Drishti IAS

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

जुलाई भाग-2

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

शासन व्यवस्था 5

- नीति आयोग ने जारी किया SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 — 5
- ग्राम न्यायालय — 9
- SC सूची को संशोधित करने में राज्यों की असमर्थता — 11
- DPDP अधिनियम 2023 और माता-पिता की सहमति का मुद्दा — 13
- राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय — 15
- RSS: एक गैर-राजनीतिक संगठन — 18
- इंडियाAI मिशन — 20
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले को किया रद्द — 23
- Hkkjrh; jktuhfr — 27
- विधान में धन विधेयक के उपयोग की जाँच सर्वोच्च न्यायालय करेगा — 27
- संसदीय लोकतंत्र में शैडो कैबिनेट — 29
- निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण — 31
- CBI जाँच हेतु राज्यों की सहमति — 33
- भील प्रदेश की मांग — 36
- नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक — 39

भारतीय अर्थव्यवस्था 41

- भारत में लाइटहाउस पर्यटन को प्रोत्साहन — 41
- जलवायु अनुकूल कृषि — 44
- चाइना प्लस वन — 47
- बुनियादी अवसंरचनाओं का ढहना — 51
- भारत के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका — 53
- मक्का उत्पादन में हरित क्रांति — 55
- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 — 57
- केंद्रीय बजट 2024-2025 — 61
- उच्च खाद्य मुद्रास्फिति — 67
- बजट 2024-25 में प्रमुख आर्थिक सुधार — 69
- भारत का परिधान निर्यात क्षेत्र — 72
- खनिज अधिकारों पर राज्यों द्वारा करारोपण शक्ति को स्वीकृति — 74
- आर्थिक विकास के लिये AI और नई ऊर्जा का उपयोग — 77
- भारत की पहली अपतटीय खनिज नीलामी — 80
- राजनीतिक दान पर कर रियायतों में वृद्धि — 82
- ग्रामीण और जनजातीय विकास के लिये बजट 2024 में योजनाएँ — 83
- मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (RCF) 2023-24 — 88
- भारत की लिथियम खनन चुनौतियाँ — 94

अंतर्राष्ट्रीय संबंध 99

- विदेश मंत्रालय के सहायता आवंटन में नेबरहुड को प्राथमिकता — 99

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 102

- भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान की आपूर्ति और मांग संबंधी चुनौतियाँ — 102
- UNAIDS ग्लोबल एड्स अपडेट — 104
- GM सरसों की मंज़ूरी पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला — 109

जैव विविधता और पर्यावरण 112

- UNEP फोरसाइट रिपोर्ट 2024 — 112

भारतीय विरासत और संस्कृति 118

- अमरावती एक बौद्ध स्थल — 118
- तेल उम्म आमेर और असम के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को द्वारा मान्यता — 120

The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय 122

- महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व 122
- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में भर्ती संबंधी चिंताएँ 125
- आश्रय का अधिकार: मौलिक अधिकार 126
- स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2024 129
- NEP 2020 की 4थी वर्षगांठ 132
- भारत में आत्महत्या रोकथाम प्रयासों का सुदृढ़ीकरण 133
- किशोरियों पर WHO का अध्ययन 136

आंतरिक सुरक्षा 138

- जम्मू में उग्रवाद 138
- भारत को आंतरिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता 140
- 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची 143
- अफगानिस्तान में अफीम के भंडार पर चिंताएँ 146
- महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक, 2024 147

भारतीय इतिहास 151

- कारगिल विजय दिवस 151

भूगोल 154

- भारत का डीप ड्रिल मिशन 154

प्रिलिम्स फैक्ट्स 158

- विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस 158
- वैश्विक DPI को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका 159
- इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG) 161
- BIMSTEC के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट 162
- वन सलाहकार समिति (FAC) 163
- अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज (LUCA) 164
- चंद्रमा पर गुफाएँ 166
- WHO और UNICEF द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज (WUENIC) का अनुमान 167
- थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) 168
- दस वर्षों में धान की सबसे कम बुआई 169
- SEBI द्वारा नवीन पूंजी वर्ग का प्रस्ताव 170
- प्रोजेक्ट अस्मिता 171
- असम में विदेशी अधिकरण 172
- आकाशगंगा OJ 287 में ब्लैक होल 173
- राष्ट्रीय ध्वज दिवस 174
- प्राकृतिक कृषि के विज्ञान पर कार्यक्रम 175
- असम के मोईदाम को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार 177
- भारत में मध्य-वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन: CREA 178
- पंचमसाली लिंगायतों की कोटा मांग 181
- केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि संबंधी पहल 183
- हुमायूँ का मकबरा विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय 184
- AIM और WIPO के बीच आशय पत्र 186
- ऊर्जा संचयन और विद्युत उत्पादन हेतु सामग्री 188
- लद्दाख का रॉक वार्निश 190
- ADCs द्वारा 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग 191
- गल्फ स्ट्रीम और जलवायु संवेदनशीलता 193
- राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय संस्कृति कोष 194
- डार्क ऑक्सीजन की खोज 195
- महासागर परिसंचरण और जलवायु परिवर्तन 197
- क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 199

रैपिड फायर 202

- विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ (SAAs) 202
- संविधान हत्या दिवस 202
- GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना (GAINS 2024) 203
- यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस 203
- IMO का 132वाँ सत्र 204
- विश्व की दुर्लभतम व्हेल 204
- प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस 204
- नगालैंड की जलमार्ग क्षमता में वृद्धि 205
- यूरो 2024 205
- प्रोजेक्ट PARI 205
- विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 206
- राज्यों ने किया PM-श्री योजना का विरोध 206

नोट :

- औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 207
- सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं ने MCLR बढ़ाया 207
- विश्व के सबसे ऊँचे दर्रे पर ड्रोन परीक्षण 208
- ICCPR की चौथी आवधिक समीक्षा 209
- फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु भारत की सहायता 210
- सरकारी निकायों में ई-ऑफिस क्रियान्वन 210
- ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते 210
- फ्लोरिडा कारपेंटर चींटियाँ 211
- गेवरा और कुसमुंडा विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल 211
- शिवाजी महाराज की वाघ नख की महाराष्ट्र में वापसी 212
- कार्लोस अल्काराज़ ने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता 212
- जैविक उत्पादों हेतु पारस्परिक समझौता 213
- भारत-मलेशिया कृषि संबंध 213
- EVM के माइक्रोकंट्रोलर्स का सत्यापन करेगा ECI 214
- चाँदीपुरा वायरस संक्रमण 215
- डायसन स्फीयर्स 215
- माश्को पिरो जनजाति 217
- सर्वोच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति 217
- मिनामी-तोरीशिमा द्वीप 218
- सियाचिन में AAD की पहली महिला अधिकारी की तैनाती 218
- कवक- मशरूम 219
- GeM लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम 219
- सिंधु-सरस्वती सभ्यता और उज्जयिनी मध्याह्न रेखा 220
- प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस 220
- चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती 221
- नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी रिपोर्ट, 2024 221
- निपाह वायरस 222
- लाल डोरा-मुक्त हरियाणा 222
- सांस्कृतिक मानचित्रण के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMCM) 222
- नासा ने शुक्र ग्रह पर भेजा हॉलीवुड गीत 223
- न्यूट्रीनो 223
- चीन द्वारा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि 224
- बाल गंगाधर तिलक की 168वीं जयंती 224
- बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन 225
- बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का द्वितीय चरण का सफल परीक्षण 226
- सतत् विकास पर ECOSOC फोरम 226
- भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने हेतु राष्ट्रपति भवन हॉल का नाम परिवर्तन 227
- अभिनव बिंद्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से किया गया सम्मानित 227
- SHREYAS योजना 228
- अनुदान योजना 228
- नई पेंशन योजना 'वात्सल्य' 228
- टाइफून गेमी 229
- इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS) टॉवर्स 229
- लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल 229
- पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना 230
- मनु भाकर ने जीता ओलंपिक में कांस्य पदक 230
- बहुपक्षीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 230
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि 231
- विश्व हेपेटाइटिस दिवस 233
- 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान 233
- अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 233
- रोज़गार डेटा संग्रहण तंत्र 234
- भारत ने एशियन डिज़ास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता संभाली 235
- मेकेदातु परियोजना 235
- चार्ल्स डार्विन का मेंढक 236
- CRPF स्थापना दिवस 237
- समुद्री शैवाल आधारित जैव उत्तेजक 239
- सरदार उधम सिंह 239

नोट :

शासन व्यवस्था

नीति आयोग ने जारी किया SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24

चर्चा में क्यों?

NITI (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) आयोग ने **वर्ष** 2023-24 के लिये अपना नवीनतम ***सतत् विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक (इंडिया इंडेक्स)*** जारी किया है, जो भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सतत् विकास में महत्त्वपूर्ण प्रगति दर्शाता है।

SDG इंडिया इंडेक्स क्या है?

- **परिचय:** SDG इंडिया इंडेक्स नीति आयोग द्वारा विकसित एक उपकरण है, जो **संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्य** के प्रति भारत की प्रगति को मापने और ट्रैक करने के लिये है।
  - सूचकांक सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण का समर्थन करता है तथा राज्यों को इन लक्ष्यों को अपनी विकास योजनाओं में एकीकृत करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - यह नीति निर्माताओं के लिये अंतराल की पहचान करने तथा वर्ष 2030 तक सतत् विकास प्राप्त करने की दिशा में कार्यों को प्राथमिकता देने के लिये **एक बेंचमार्क के रूप में कार्य** करता है।
- **कार्यप्रणाली:** यह सूचकांक राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े **संकेतकों का उपयोग** करके **16 सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** के अंतर्गत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
  - SDG इंडिया इंडेक्स **राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे (National Indicator Framework)** से जुड़े **113 संकेतकों का उपयोग करके राष्ट्रीय प्रगति को मापता है।**
  - 16 सतत् विकास लक्ष्यों के लिये लक्ष्य के अनुसार स्कोर की गणना की जाती है तथा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिये समग्र अंक निकाले जाते हैं। सूचकांक के समग्र अंक की गणना में **लक्ष्य 14 (जलीय जीवन) को शामिल नहीं किया गया है**, क्योंकि यह केवल नौ तटीय राज्यों से संबंधित है।
  - **स्कोर 0-100 के बीच होता है** तथा उच्च स्कोर सतत् विकास लक्ष्य की दिशा में अधिक प्रगति का संकेत देता है।
    - राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को उनके SDG इंडिया इंडेक्स स्कोर के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: **आकांक्षी: 0-49, प्रदर्शनकर्त्ता: 50-64, अग्रणी: 65-99 और सफल व्यक्ति: 100।**
- **विकास पर प्रभाव:** यह सूचकांक प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को एक-दूसरे से सीखने एवं परिणाम-आधारित अंतराल को कम करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
  - यह प्रगति का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, उपलब्धियों और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।
  - भारत ने सतत् विकास लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में पूरी तरह से एकीकृत किया है और **संस्थागत स्वामित्व, सहयोगात्मक प्रतिस्पर्द्धा, क्षमता निर्माण तथा समग्र समाज दृष्टिकोण पर आधारित** अपने सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण मॉडल पर गर्व करता है।
  - यह सूचकांक **विकसित भारत @ 2047** की दिशा में प्रगति को मापने के लिये एक बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को सूचित करता है।

SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **समग्र प्रगति:** भारत का समग्र SDG स्कोर वर्ष 2023-24 में 71 हो गया, जो वर्ष 2020-21 में 66 और वर्ष 2018 में 57 था। सभी राज्यों ने समग्र स्कोर में सुधार दिखाया है। प्रगति मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और जलवायु कार्रवाई में लक्षित सरकारी हस्तक्षेपों से प्रेरित है।
  - **शीर्ष प्रदर्शक: केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे, जिनमें से प्रत्येक को 79 अंक मिले।**
  - **खराब प्रदर्शक: बिहार** 57 अंक के साथ पीछे रहा, जबकि **झारखंड** 62 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
  - **अग्रणी राज्य:** 32 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश (UT) अग्रणी श्रेणी में हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश सहित 10 नए प्रवेशक शामिल हैं।

नोट :

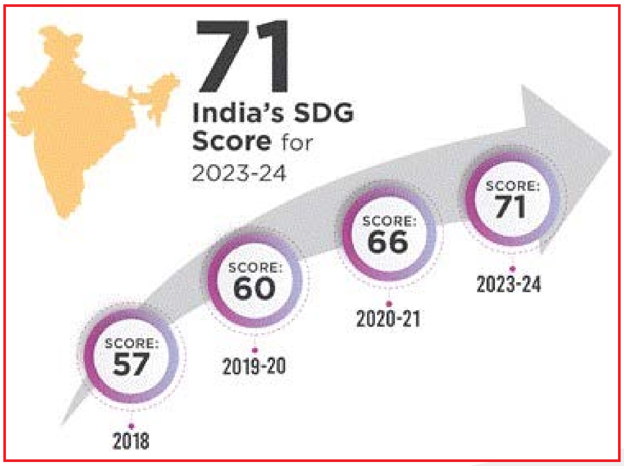

- **सतत् विकास लक्ष्य की प्रगति में सरकारी हस्तक्षेप का योगदान:**
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना:** 4 करोड़ से अधिक मकान बनाए गए।
  - **स्वच्छ भारत मिशन:** 11 करोड़ शौचालय और 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया।
  - **उज्ज्वला योजना:**10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए गए।
  - **जल जीवन मिशन:** 14.9 करोड़ से अधिक घरों में नल जल कनेक्शन।
  - **आयुष्मान भारत-PMJAY:** 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी। 150,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तक पहुँच, जो प्राथमिक चिकित्सा देखभाल और सस्ती जेनेरिक दवाएँ प्रदान करते हैं।
  - **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किये गए।
  - **सौभाग्य योजना:** 100% घरेलू विद्युतीकरण।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा:** एक दशक में सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट से बढ़कर 73.32 गीगावाट हो गई।
  - **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA):** 80 करोड़ से अधिक लोगों को कवरेज।
  - **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)** खातों के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए अर्जित किये गए।
  - **स्किल इंडिया मिशन:** 1.4 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित और कौशल-उन्नत किया जा रहा है तथा 54 लाख युवाओं को पुन: कौशल प्रदान किया गया है।

विशिष्ट सतत् विकास लक्ष्य:

SDG GOAL-WISE PERFORMANCE (INDIA)

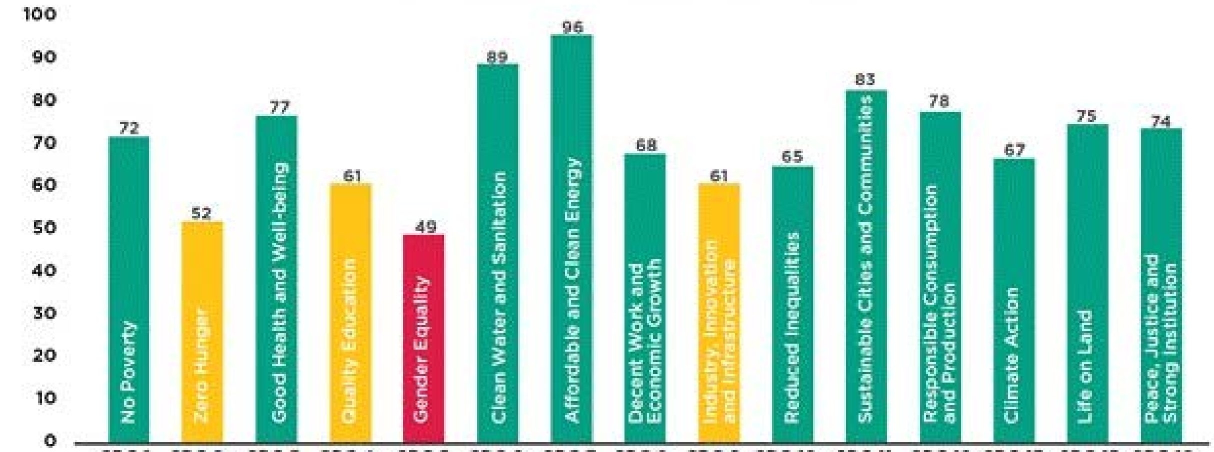

	SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5	SDG 6	SDG 7	SDG 8	SDG 9	SDG 10	SDG 11	SDG 12	SDG 13	SDG 15	SDG 16
2023-24	72	52	77	61	49	89	96	68	61	65	83	78	67	75	74
2020-21	60	47	74	57	48	83	92	61	55	67	79	74	54	66	74
2019-20	50	35	61	58	42	88	70	64	65	64	53	55	60	66	72
2018	54	48	52	58	36	63	51	65	44	71	39			90	71

Aspirant (0-49) Performer (50-64) Front Runner (65-99) Achiever (100)

सतत् विकास लक्ष्य (SDG)	मुख्य विशेषताएँ
लक्ष्य 1: गरीबी उन्मूलन	वर्ष 2020-21 में 60 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 72 का उच्च स्कोर रहा और साथ ही वर्ष 2023-2024 में, **मनरेगा** के अंतर्गत काम का अनुरोध करने वाले 99.7% व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान किया गया।
लक्ष्य 2: शून्य भुखमरी	आकांक्षी से प्रदर्शनकर्त्ता श्रेणी के समग्र स्कोर में सुधार। **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013** के अंतर्गत **99.01% लाभार्थी** शामिल हैं।
लक्ष्य 3: उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली	वर्ष 2018 समग्र स्कोर में 52 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 77 हो गया। 9-11 महीने की उम्र के 93.23% बच्चों को पूर्णटीकाकरण किया गया और साथ ही प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर 97 है।
लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	प्रारंभिक शिक्षा के लिये समायोजित शुद्ध नामांकन दर (ANER), वर्ष 2021-22 के लिये 96.5% है। 88.65% स्कूलों में विद्युत एवं पेयजल दोनों की सुविधा उपलब्ध है। उच्च शिक्षा (18-23 वर्ष) में महिलाओं तथा पुरुषों के बीच 100% समानता।
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता	वर्ष 2018 समग्र स्कोर में 36 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 49 हो गया। जन्म के समय लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर 929 महिलाएँ) है।
लक्ष्य 6: स्वच्छ जल एवं स्वच्छता	वर्ष 2018 में स्कोर 63 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 89 तक उल्लेखनीय सुधार हुआ। 99.29% ग्रामीण परिवारों ने पेयजल के अपने स्रोत में सुधार किया है। 94.7% स्कूलों में लड़कियों के लिये शौचालय हैं।
लक्ष्य 7: वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा	**सभी SDG का उच्चतम स्कोर वर्ष 2018 में 51 से** बढ़कर वर्ष **2023-24 में 96 तक महत्त्वपूर्ण सुधार प्राप्त किये हैं।** **सौभाग्य योजना** के तहत **100% घरों का विद्युतीकरण** हुआ है। खाना पकाने के **स्वच्छ ईंधन (LPG + PNG)** कनेक्शन वाले घरों में महत्त्वपूर्ण सुधार **92.02% (वर्ष 2020) से 96.35% (वर्ष 2024)** हो गया है।
लक्ष्य 8: उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास	वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्यों पर भारत की प्रति व्यक्ति GDP में 5.88% की वार्षिक वृद्धि दर। **बेरोज़गारी दर** वर्ष 2018-19 में 6.2% से घटकर वर्ष 2022-23 में 3.40% हो गई।
लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएँ	वर्ष 2018 में स्कोर 41 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 61 हो गया। **पीएम ग्राम सड़क योजना** के तहत लक्षित 99.70% बस्तियाँ बारहमासी सड़कों से जुड़ गईं।
लक्ष्य 10: असमानताओं में कमी	वर्ष 2020-21 में अंक 67 से घटकर वर्ष 2023-24 में 65 हो गए। पंचायती राज संस्थाओं की 45.61% सीटें महिलाओं के पास हैं। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 28.57% है।
लक्ष्य 11: संवहनीय शहर और समुदाय	वर्ष 2018 में स्कोर 39 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 83 तक उल्लेखनीय सुधार हुआ। संसाधित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रतिशत वर्ष 2020 में 68% से बढ़कर वर्ष 2024 में 78.46% हो गया है। 97% वार्डों में 100% घर-घर से कचरा संग्रहण हो रहा है।
लक्ष्य 12: संवहनीय उपभोग और उत्पादन	वर्ष 2022 में उत्पन्न होने वाले 91.5% बायोमेडिकल अपशिष्ट का उपचार किया जाता है। वर्ष 2022-23 में 54.99% खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/उपयोग किया गया।
लक्ष्य 13: जलवायु परिवर्तन	SDG इंडिया इंडेक्स 4 (2023-24) में वर्ष 2020-21 के 54 (परफॉर्मर श्रेणी) से 67 (फ्रंट रनर श्रेणी) में तक का सुधार हुआ। आपदा जोखिम सूचकांक के अनुसार आपदा तैयारी स्कोर 19.20 है। नवीकरणीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में सुधार वर्ष 2020 में 36.37% से बढ़कर वर्ष 2024 में 43.28% हो गया। 94.86% उद्योग पर्यावरण मानकों का अनुपालन करते हैं।

नोट :

लक्ष्य 14: जलीय जीवन	लक्ष्य 14 को सूचकांक के लिये समग्र स्कोर की गणना में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह पूरी तरह से नौ तटीय राज्यों से संबंधित है।
लक्ष्य 15: भूमि पर जीवन (थलीय जीवन)	वर्ष 2020-21 में स्कोर 66 से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 75 हो गया। भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25% भाग वनों और वृक्षों से आच्छादित है।
लक्ष्य 16: शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थाएँ	मार्च 2024 तक 95.5% जनसंख्या आधार कवरेज के अंतर्गत है। NCRB 2022 के अनुसार IPC अपराधों की आरोप-पत्र दर 71.3% है।

- **लक्ष्यों का अवलोकन:** "निर्धनता उन्मूलन", "सभ्य कार्य और आर्थिक विकास" और "भूमि पर जीवन" लक्ष्यों में वर्ष 2020-21 के अंकों की अपेक्षा राज्यों के अंकों में सर्वाधिक वृद्धि हुई जबकि "लैंगिक समता" तथा "शांति, न्याय एवं सुदृढ़ संस्थान" में वृद्धि सबसे कम रही।
  - **"असमानताओं में कमी" एकमात्र लक्ष्य था** जिसका स्कोर वर्ष 2020-21 के 67 से कम होकर वर्ष 2023-24 में 65 हुआ। इसका स्कोर कम होना **धन के वितरण** को दर्शाता है और **सुझाव** देता है कि भारत के कई क्षेत्रों, विशेषकर सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य के निम्न स्तर पर रोज़गार के अवसरों के संबंध में असमानता का स्तर बहुत अधिक है। असमानताओं को कम करने के लक्ष्य में कार्यबल भागीदारी में लैंगिक असमानता को संबोधित करना भी शामिल है।
  - **लैंगिक समानता** का स्कोर अन्य सभी लक्ष्यों के स्कोर से सबसे कम रहा, जिसमें विगत वर्ष की तुलना में अभूत कम वृद्धि हुई। **जन्म के समय लिंगानुपात, भूमि और संपत्ति के स्वामित्व वाली महिलाएँ, रोज़गार तथा श्रम बल भागीदारी दर** जैसे मुद्दे प्रमुख ध्यान देने योग्य क्षेत्र हैं, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ जन्म के समय लिंग अनुपात 900 से कम है।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** लक्ष्य का स्कोर 4 अंक की वृद्धि के साथ 61 हो गया जो इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि कुछ राज्य, विशेषकर मध्य भारत में, वर्तमान में भी चुनौतियों का सामना करते हैं। भारत में मुख्य मुद्दा शिक्षा तक पहुँच नहीं अपितु **शिक्षा की गुणवत्ता** है जो **रोज़गार के अवसरों को प्रभावित करती है।**

नीति आयोग

- भारत में **वर्ष 2015** में **नीति आयोग** ने **योजना आयोग** का स्थान लिया, जिसमें **'अधरोर्ध्व'** (Bottom-Up) **दृष्टिकोण** के साथ सहकारी संघवाद पर ज़ोर दिया गया।

- नीति आयोग में **अध्यक्ष** के रूप में **प्रधानमंत्री**, शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में विशेषज्ञ शामिल हैं।
    - **मुख्य कार्यकारी अधिकारी** को **प्रधानमंत्री** द्वारा एक विशिष्ट अवधि के लिये नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार के सचिव पद पर होता है।
- राज्यों की विविध शक्तियों और सुभेद्यताओं को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग भारत में **आर्थिक नियोजन** हेतु **अधिक लचीले दृष्टिकोण** की आवश्यकता पर ज़ोर देता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को अग्रणी बनाने के लिये यह परिवर्तन आवश्यक है।
- इसका **मुख्य उद्देश्य** राज्यों के साथ सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर योजनाएँ विकसित करना, आर्थिक रणनीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को शामिल करना, समाज के हाशियाई वर्गों पर ध्यान केंद्रित करना, हितधारकों और प्रबुद्ध मंडलों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करना, ज्ञान तथा नवाचार के लिये एक समर्थन प्रणाली विकसित करना, अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान करना और **सुशासन व सतत् विकास प्रथाओं** के लिये एक ज्ञानसाधन केंद्र (Resource Centre) बनाए रखना है।
- **प्रमुख पहल:** **SDG इंडिया इंडेक्स**, **सयुंत जल प्रबंधन सूचकांक**, **अटल नवाचार मिशन**, **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम**, **स्वास्थ्य सूचकांक**, **भारत नवाचार सूचकांक** और **सुशासन सूचकांक**।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में दर्शाई गई भारत की समग्र प्रगति का मूल्यांकन कीजिये । इस प्रगति में किन कारकों ने योगदान दिया है ?

ग्राम न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ने राज्यों और **उच्च न्यायालयों** को **ग्राम न्यायालयों** की स्थापना तथा कार्यप्रणाली पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

- यह निर्देश इन **ग्रामीण अदालतों के धीमे कार्यान्वयन के संबंध में चिंताओं** के बीच आया है।

ग्राम न्यायालयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की चिंताएँ क्या हैं ?

- **धीमी गति से क्रियान्वयन: ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008** का उद्देश्य न्यायालयों में भीड़भाड़ कम करना तथा **प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना** था। इस बात पर जोर दिया गया कि **ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य न्याय तक पहुँच** को बेहतर बनाना है, **लेकिन वर्तमान में आवश्यक 16,000 में से केवल 450 ही स्थापित हैं, जिनमें से केवल 300 ही काम कर रहे** हैं।
- **लंबित मामले:** निचले न्यायालयों में **चार करोड़ से अधिक मामले लंबित** हैं, कार्यात्मक ग्राम न्यायालयों की कमी के कारण लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे **न्यायिक प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न हो रहा** है।
- **न्याय तक पहुँच:** सर्वोच्च न्यायालय इस बात से चिंतित है कि ग्राम न्यायालयों की धीमी **स्थापना ग्रामीण नागरिकों को शीघ्र और किफायती न्याय प्रदान करने के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न** करती है।
- **रिपोर्टिंग का अभाव:** राज्य और **उच्च न्यायालय ग्राम न्यायालयों की स्थिति का विवरण देने वाले आवश्यक हलफनामे प्रस्तुत करने में विफल** रहे हैं, जो अनुपालन तथा प्रतिबद्धता की कमी को दर्शाता है।
- **जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिरोध:** झारखंड और बिहार जैसे **कुछ राज्यों ने स्थानीय या पारंपरिक कानूनों** के साथ टकराव का हवाला देते हुए **जनजातीय या अनुसूचित क्षेत्रों** में ग्राम न्यायालय स्थापित करने का विरोध किया है।

अन्य संबंधित मुद्दे: ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिये ज़िम्मेदार हैं। **हालाँकि अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाता है।**

- राज्यों द्वारा, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में, स्थानीय कानूनों के साथ टकराव का हवाला देते हुए प्रतिरोध किया गया।
- **परिवार और श्रम न्यायालयों जैसी अन्य विशेष अदालतों के साथ** ओवरलैप के कारण उनके अधिदेश के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।
    - तालुका स्तर पर नियमित न्यायालयों की स्थापना से ग्राम न्यायालयों की आवश्यकता कम हो गई है।
- **हितधारकों के बीच कम जागरूकता** तथा पुलिस अधिकारियों, वकीलों और अन्य पदाधिकारियों में ग्राम न्यायालयों का उपयोग करने के प्रति अनिच्छा।
- **प्रत्येक न्यायालय के लिये 18 लाख रुपए** का **प्रारंभिक बजट तथा केंद्र सरकार** से तीन वर्षों हेतु 50% आवर्ती व्यय सहायता अपर्याप्त रही है।

ग्राम न्यायालय क्या हैं ?

- **परिचय:** ग्राम न्यायालय की संकल्पना का प्रस्ताव **भारतीय**

नोट :

विधि आयोग ने अपनी **114वीं रिपोर्ट** में **ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय की वहनीय और त्वरित पहुँच** प्रदान करने के लिये किया था।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A विधि प्रणाली द्वारा न्याय को बढ़ावा देने और **आर्थिक या अन्य अक्षमताओं की परवाह किये बिना सभी नागरिकों के लिये समान अवसर** प्रदान करने हेतु निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करता है।
- यह विज़न वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालय विधेयक के पारित होने और उसके पश्चात् वर्ष 2009 में ग्राम न्यायालय अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ अस्तित्व में आया।
- ग्राम न्यायालय को **प्रथम श्रेणी** के **न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय** माना जाता है जिसके पास ग्राम स्तर पर लघु विवादों को निपटाने के लिये **दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार की अधिकारिता** होती है।
- यह अधिनियम **नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त** समग्र भारत में क्रियान्वित है।

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **स्थापना मानदंड:** ये न्यायालय मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिये स्थापित किये जाते हैं। किसी ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके **मध्यवर्ती पंचायत** स्तर पर अवस्थित होता है।
  - **पीठासीन अधिकारी:** पीठासीन अधिकारी, जिसे न्यायाधिकारी के रूप में जाना जाता है, को राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।
    - **न्यायाधिकारी** का तात्पर्य **न्यायिक अधिकारी** से है **जिनका वेतन और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों के तहत कार्यरत प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के समान** होती हैं।
  - **क्षेत्राधिकार:** ग्राम न्यायालय उक्त अधिनियम की **पहली और दूसरी अनुसूची** में सूचीबद्ध आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों तथा विवादों को आपराधिक मुकदमों के लिये संक्षिप्त विचारण प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संभालते हैं।
    - किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति के पास सौदा अभिवाक् (Plea Bargaining) के लिये आवेदन दायर करने का विकल्प होता है जिससे **आरोप या दंड को कम करने पर वार्ता** की जा सकती है।
  - **सुलह के प्रयास:** ये न्यायालय विवादों को निपटाने के लिये पक्षों के बीच सुलह करने पर जोर देते हैं और इस उद्देश्य के लिये नियुक्त मध्यस्थों का उपयोग करते हैं।
  - **नैसर्गिक न्याय द्वारा निर्देशित:** ये न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 **(जिसका स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है)** के तहत साक्ष्य के नियमों से आबद्ध नहीं हैं और उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा निर्देशित नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं।
- **परिचालन की शर्तें:** आरंभ में ग्राम न्यायालयों को मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था जिसमें अनावर्ती व्यय के लिये 18 लाख रुपए का एकमुश्त बजट शामिल था। केंद्र सरकार द्वारा प्रथम तीन वर्षों के लिये कुल आवर्ती व्यय के 50% का वहन करने की भी सुविधा दी गई।
  - 50 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में **ग्राम न्यायालयों के संचालित होने और न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् ही धनराशि आवंटित की जाती है।**
    - ग्रामीण क्षेत्रों में हाशियाई वर्ग के नागरिकों को वहनीय और त्वरित न्याय प्रदान करने में प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये एक वर्ष के उपरांत इनके प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है।

भारत में लंबित मामलों को संबोधित करने के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- **न्यायालय कक्ष:** न्यायालय कक्षों की संख्या वर्ष 2014 में 15,818 से बढ़कर वर्ष 2023 में 21,295 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 2,488 न्यायालय कक्ष वर्तमान में निर्माणाधीन हैं।
- **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समेकन:** ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत 18,735 ज़िलों एवं अधीनस्थ न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया है।
  - ई-कोर्ट के अंतर्गत **WAN परियोजना का लक्ष्य** देश भर के सभी ज़िलों और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को जोड़ना है। वर्तमान में 99.4% न्यायालय परिसरों WAN कनेक्टिविटी है।
  - 3,240 न्यायालय परिसरों एवं 1,272 कारागारों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सक्षम बनाया गया है, जिससे दूरस्थ कानूनी कार्यवाही में भी वृद्धि हुई है।
  - टेली-लॉ कार्यक्रम, **वर्ष 2017 में प्रारंभ** किया गया, जो **ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)** पर उपलब्ध **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन एवं चैट सुविधाओं के साथ-साथ टेली-लॉ मोबाइल एप** के माध्यम से वंचित वर्गों को वकीलों के पैनल से जोड़ता है।
- राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG): यह प्लेटफॉर्म न्यायिक अधिकारियों सहित सभी हितधारकों के लिये न्यायिक कार्यवाही एवं निर्णयों से संबंधित जानकारी तक पहुँच की अनुमति प्रदान करता है।

नोट :

- **वर्चुअल कोर्ट** (आभासी न्यायालय): 17 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित, वे 2.53 मिलियन से अधिक मामलों को संभालेंगे और जनवरी 2023 तक 359 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूलेंगे।
- **नियुक्तियाँ:**
  - **सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियाँ:** मई 2014 से मार्च 2023 तक 54 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।
  - **उच्च न्यायालयों में नियुक्तियाँ:** 887 नए न्यायाधीश तथा 646 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी बनाया गया; न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 906 से बढ़ाकर 1114 की गई।
  - **ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालय:** स्वीकृत संख्या वर्ष 2013 में 19,500 से बढ़कर वर्ष 2023 में 25,000 से अधिक हो गई।
- **फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना:** जघन्य अपराधों तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिये 843 फास्ट ट्रैक न्यायालय कार्यरत हैं।
- **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC):** यौन अपराधों से **बच्चों का संरक्षण करने संबंधी (POCSO) अधिनियम, 2012** के तहत बलात्कार के मामलों और अपराधों के शीघ्र निपटान के लिये 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के इस योजना में शामिल होने को मंज़ूरी दी गई।
- **विधायी सुधार:** लंबित मामलों को कम करने के लिये विभिन्न कानूनों में संशोधन किया गया, जिनमें शामिल हैं:
  - **परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2018**
  - **वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018**
  - **मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019**
  - **आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018**
- **लोक अदालतें एवं नि:शुल्क सेवाएँ:**
  - विधिक सेवा प्राधिकरण (LSA) अधिनियम 1987 द्वारा स्थापित **लोक अदालतों** का उद्देश्य बाध्यकारी निर्णय लेना है जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती है।
  - **न्याय बंधु मंच** के माध्यम से **प्रो बोनो (सार्वजनिक कल्याण हेतु) कल्चर** को संस्थागत बनाया गया, जिसमें प्रो बोनो अधिवक्ताओं को पंजीकृत किया गया और साथ ही 69 विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लबों की स्थापना की गई।

आगे की राह

- **लक्ष्य निर्धारण:** जनसंख्या घनत्व और केसों के भार के आधार पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिये स्पष्ट तथा समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें।
  - **न्यायाधिकारियों**, **मध्यस्थों** और **अन्य हितधारकों** के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
  - केंद्र सरकार के वित्तपोषण को ग्राम न्यायालयों के सफल कार्यान्वयन से जोड़ें, राज्यों को इन न्यायालयों को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करें।
- **जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिरोध का समाधान:** आदिवासी समुदायों के साथ मिलकर ग्राम न्यायालयों के लिये चिंताओं का समाधान और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील प्रक्रियाएँ विकसित करें तथा यह सुनिश्चित करें कि **ग्राम न्यायालय पारंपरिक न्याय प्रणालियों के पूरक हों न कि उनकी जगह लें।**
- **सीमाओं को स्पष्ट करना:** ग्राम न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इससे भ्रम की स्थिति दूर होगी और मामलों का कुशल आवंटन सुनिश्चित होगा।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** ग्राम न्यायालय के प्रदर्शन पर नज़र रखने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिये एक मज़बूत डेटा संग्रह प्रणाली विकसित करना। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर प्रदर्शन मूल्यांकन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिंग करना।
- **ग्रामीण संपर्क अभियान:** ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित जन जागरूकता अभियान शुरू करें। नागरिकों को ग्राम न्यायालयों और उनके लाभों के बारे में शिक्षित करने के लिये स्थानीय मीडिया तथा सामुदायिक नेताओं का उपयोग करें।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में ग्राम न्यायालयों के सामने आने वाली कार्यान्वयन चुनौतियों की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। ये चुनौतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुँच को कैसे प्रभावित करती हैं?

SC सूची को संशोधित करने में राज्यों की असमर्थता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court-SC)** ने फैसला दिया कि राज्यों को संविधान के **अनुच्छेद 341** के तहत प्रकाशित **अनुसूचित जाति (Scheduled Caste-SC)** सूची में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

- यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब न्यायालय ने वर्ष 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें **तांती-तंतवा (Tanti-Tantwa)** समुदाय को **अनुसूचित जाति (SC)** के रूप में वर्गीकृत करने की मांग की गई थी तथा इस तरह के वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया था।

नोट :

नोट: तांती-तंतवा एक हिंदू जाति है जो **भारत में बुनकर और कपड़ा व्यापारी समुदाय से संबंधित** है। इस समुदाय की **गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम तथा ओडिशा जैसे राज्यों में महत्त्वपूर्ण** उपस्थिति है।

मामले की पृष्ठभूमि और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है?

- **मामले की पृष्ठभूमि:**
  - तांती-तंतवा समुदाय को पहले बिहार पदों और **सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class- EBC)** के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - 1 जुलाई, 2015 को बिहार सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (State Commission for Backward Classes- SCBC) की सिफारिश के आधार पर **तांती-तंतवा समुदाय** को SC सूची में विलय करने का प्रस्ताव जारी किया।
  - इस निर्णय का उद्देश्य तांती-तंतवा समुदाय को **अनुसूचित जाति का लाभ पहुँचाना था और इसे 2017 में पटना उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था**, लेकिन बाद में इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- **सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:**
  - अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित अनुसूचित जाति सूची में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है।
    - **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341(1)** भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जाति निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है।
    - अनुच्छेद 341(2) **संसद** को इस सूची को संशोधित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार, SC सूची में किसी भी बदलाव के लिये **संविधान में संशोधन की आवश्यकता** होती है।
  - न्यायालय ने कहा कि बिहार सरकार ने उचित प्रक्रिया का **पालन नहीं किया** और भारत के महापंजीयक से परामर्श नहीं किया, जिन्होंने तांती/तंतवा को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया।
  - न्यायालय ने राज्य सरकार की अधिसूचना को "**दुर्भावनापूर्ण**" और अक्षम्य "**शरारत**" करार दिया, जिससे वास्तविक अनुसूचित जाति के सदस्यों को उनके उचित लाभों से वंचित किया गया।
  - न्यायालय ने प्रस्ताव को रद्द तो कर दिया, लेकिन प्रस्ताव से पहले ही लाभान्वित हो चुके लोगों के मामले में संतुलित रुख अपनाया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसे व्यक्तियों को उनकी मूल ईबीसी श्रेणी में समायोजित किया जाना चाहिये और जिन एससी कोटे के पदों पर वे बैठे थे, उन्हें एससी श्रेणी में वापस कर दिया जाना चाहिये।
- **सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ:**
  - यह निर्णय **संवैधानिक योजना** की पुष्टि करता है, जिसके अनुसार केवल **संसद** ही अनुसूचित जाति की सूची में परिवर्तन कर सकती है तथा राज्य सरकारें एकतरफा तरीके से उसमें **बदलाव नहीं** कर सकती हैं।
  - यह निर्णय **वास्तविक अनुसूचित जाति सदस्यों** के हितों की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करके कि उनके लिये निर्धारित लाभ अन्य समुदायों को **न दिये जाएँ**।
  - यह निर्णय एससी सूची के संबंध में **विधानमंडल और कार्यपालिका की शक्तियों** को स्पष्ट रूप से चित्रित करके शक्ति के पृथक्करण को बरकरार रखता है।
  - यह अन्य राज्यों के लिये एक मिसाल बन सकता है **जो एससी/एसटी सूचियों में अनधिकृत परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं**, जो पूरे देश में एक आम मुद्दा है।

अनुसूचित जाति (SC) सूची में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है?

- **अनुसूचित जाति सूची में संशोधन/परिवर्तन की प्रक्रिया:**
  - **पहल और जाँच:** राज्य सरकार किसी समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने या बाहर करने का प्रस्ताव करती है, जिसकी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जाँच की जाती है।
    - इसके बाद प्रस्ताव का सामाजिक-आर्थिक कारकों और ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें भारत के महापंजीयक की भी राय ली जाती है।
  - **विशेषज्ञ परामर्श और मंत्रिमंडल की मंज़ूरी: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC)** प्रस्ताव पर विशेषज्ञ अनुशंसाएँ प्रदान करता है।
    - इसके पश्चात् मंत्रिमंडल NCSC की अनुशंसाओं और अन्य कारकों पर विचार करते हुए प्रस्ताव की समीक्षा करता है तथा प्रस्तावित संशोधनों के लिये मंज़ूरी प्रदान करता है।
  - **संसदीय प्रक्रिया: संसद** में एक संविधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति सूची में प्रस्तावित संशोधनों का विवरण दिया जाता है।

नोट :

- इस विधेयक के पारित होने के लिये **विशेष बहुमत** की आवश्यकता होती है यानी दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्यों का बहुमत तथा साथ ही प्रत्येक सदन में उपस्थित कुल सदस्यों का बहुमत।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति और कार्यान्वयन:** दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिये जाने के उपरांत अनुसूचित जाति सूची में किये गए संशोधन आधिकारिक रूप से क्रियान्वित हो जाते हैं।
- **अनुसूचित जाति सूची में शामिल किये जाने हेतु मानदंड:**
  - अस्पृश्यता की परंपरागत प्रथा से समुदायों में उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।

भारत का महारजिस्ट्रार

- भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना **वर्ष 1961** में **गृह मंत्रालय** के अधीन भारत सरकार द्वारा की गई थी।
  - यह **भारत की जनगणना** और **भारतीय भाषाई सर्वेक्षण** सहित भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के परिणामों की व्यवस्था, संचालन तथा विश्लेषण करता है।
- रजिस्ट्रार का पद प्राय: **संयुक्त सचिव** के पद पर कार्यरत सिविल सेवक द्वारा धारण किया जाता है।

अनुसूचित जाति के उत्थान से संबंधित संविधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 15(4)** अनुसूचित जातियों की उत्थान के लिये **विशेष प्रावधान** करता है।
- **अनुच्छेद 16(4A)** राज्य सेवाओं में पदों पर **पदोन्नति में** उन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये **आरक्षण** की अनुमति देता है जिनका प्रतिनिधित्व कम है।
- **अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता** को समाप्त करता है।
- **अनुच्छेद 46** राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के **शैक्षिक तथा आर्थिक हितों** को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से संरक्षित करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332** में क्रमश: **लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में** अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये **आरक्षण** का प्रावधान किया गया है।
- **अनुच्छेद 335** यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ करते समय प्रशासन कार्य पटुता बनाए रखने की संगति के अनुसार **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों** पर विचार किया जाए।
- **भाग IX** (पंचायतें) और **भाग IXA** (नगर पालिकाएँ) **स्थानीय शासन निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण** का प्रावधान करते हैं।
  - **अनुच्छेद 243D(4):** यह प्रावधान **पंचायतों** (स्थानीय स्वशासन संस्थाओं) में अनुसूचित जातियों के लिये क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण को अनिवार्य बनाता है।
  - **अनुच्छेद 243T(4):** यह प्रावधान **नगर पालिकाओं** (शहरी स्थानीय निकायों) में अनुसूचित जातियों के लिये उस क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय और योजनाएँ क्या हैं?

DPDP अधिनियम 2023 और माता-पिता की सहमति का मुद्दा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जबकि उद्योग ने **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA)** 2023 का इसके सीधे अनुपालन ढाँचे के लिये बड़े पैमाने पर स्वागत किया है, बच्चों के डेटा को संसाधित करने से पहले सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति की आवश्यकता वाले प्रावधान ने उद्योग तथा सरकार के बीच विभाजन को जन्म दिया है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **डेटा सुरक्षा का अधिकार:** यह व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत डेटा को जानने और नियंत्रित करने का अधिकार देता है। इसमें उनके डेटा तक पहुँचने, उसे सुधारने तथा मिटाने के अधिकार शामिल हैं, जिससे नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर अधिक नियंत्रण मिलता है।
- **डेटा प्रोसेसिंग और सहमति:** अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि व्यक्तिगत डेटा को केवल व्यक्ति की स्पष्ट सहमति से ही प्रोसेस किया जा सकता है। संगठनों को स्पष्ट और विशिष्ट सहमति प्रपत्र प्रदान करने चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि डेटा संग्रह से पहले सहमति प्राप्त की जाए।
- **डेटा स्थानीयकरण:** कुछ प्रकार के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को भारत के भीतर संग्रहीत और संसाधित किया जाना आवश्यक है। इस प्रावधान का उद्देश्य डेटा सुरक्षा को बढ़ाना तथा डेटा सुरक्षा कानूनों के आसान प्रवर्तन को सुगम बनाना है।

- **विनियामक प्राधिकरण:** अधिनियम अनुपालन की निगरानी और शिकायतों को निपटाने के लिये **भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board of India- DPBI)** की स्थापना करता है। बोर्ड विवादों का निपटारा करने तथा उल्लंघनों हेतु दंड लगाने के लिये ज़िम्मेदार है।
- **डेटा उल्लंघन अधिसूचना:** संगठनों को व्यक्तियों और डेटा सुरक्षा बोर्ड को किसी भी डेटा उल्लंघन के बारे में सूचित करना आवश्यक है जो व्यक्तिगत जानकारी से समझौता कर सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य डेटा लीक की स्थिति में पारदर्शिता तथा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है।
- **जुर्माना और दंड:** इसमें गैर-अनुपालन के लिये कठोर दंड की रूपरेखा दी गई है, जिसमें उल्लंघन हेतु भारी जुर्माना भी शामिल है। इसका उद्देश्य संगठनों को डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिये प्रोत्साहित करना है।

माता-पिता की सहमति प्राप्त करने में क्या समस्याएँ हैं?

- **परिचय:**
  - DPDP, **2023 की धारा 9** के तहत **डेटा फिडुशियरीज़ को बच्चों के डेटा को संसाधित करने से पहले माता-पिता या अभिभावकों से सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी** होगी।
    - यह अधिनियम नाबालिगों के लिये हानिकारक डेटा प्रसंस्करण और विज्ञापन लक्ष्यीकरण पर भी प्रतिबंध लगाता है।
  - हालाँकि **कुछ संस्थाओं को स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षणिक संस्थानों सहित सत्यापन योग्य माता-पिता की सहमति** तथा आयु सीमा आवश्यकताओं को प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।
  - इसके अलावा, कुछ संस्थाओं को प्रतिबंधित आधार पर **मानदंडों** से छूट दी जा सकती है, **जो उस विशिष्ट उद्देश्य पर निर्भर करता है** जिसके लिये उन्हें बच्चे के डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता है।
- **मुद्दे:**
  - जबकि अधिनियम में माता-पिता की सहमति सहित बाल डेटा संरक्षण के लिये उपाय प्रस्तुत किये गए हैं, लेकिन **आयु सत्यापन और बच्चों को होने वाले नुकसान को परिभाषित करने के संबंध** में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
  - ऐसी स्थितियों से निपटने के लिये **जहाँ माता-पिता सहमति रद्द कर देते हैं या बच्चे सहमति की आयु तक पहुँच जाते हैं**, सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
  - **बायोमेट्रिक डेटा** का भंडारण और विभिन्न उपकरणों में **अनुकूलता सुनिश्चित करने** जैसे मुद्दे कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ पैदा कर सकते हैं।
  - **यह अधिनियम स्वयं उन तरीकों का सुझाव नहीं देता है जिससे प्लेटफॉर्म उम्र-गेटिंग कर सकते हैं जिससे उद्योग के लिये एक प्रमुख बाधा उत्पन्न हो सकती है।**
  - एक और चुनौती यह है कि **बच्चे और उसके माता-पिता के बीच संबंध विश्वसनीय तरीके से कैसे स्थापित किया जाए।**
    - सत्यापन योग्य अभिभावकीय सहमति प्रावधान के साथ आगे कैसे बढ़ना है, **इस पर निर्णायक निर्णय पर पहुँचने में असमर्थता** डेटा संरक्षण नियमों को जारी करने में देरी के पीछे सबसे बड़ा कारण है, जिसके बिना अधिनियम को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। (DPDP अधिनियम अधिनियम के तौर-तरीकों को लागू करने के लिये **कम-से-कम 25 ऐसे प्रावधानों पर निर्भर** करता है)
- **संभावित समाधान और उनकी सीमाएँ:**
  - शुरुआत में MeitY ने माता-पिता के **डिजिलॉकर एप** का उपयोग करने पर विचार किया, जो आधार विवरण पर निर्भर करता है। हालाँकि **स्केलेबिलिटी और गोपनीयता** संबंधी चिंताओं के कारण इसे खारिज कर दिया गया।
  - उद्योग के लिये एक अन्य विकल्प सरकार द्वारा अधिकृत एक **इलेक्ट्रॉनिक टोकन प्रणाली** बनाना था। **हालाँकि इस दृष्टिकोण में भी व्यावहारिक सीमाएँ थी।**
  - हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) तथा उद्योग प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में उद्योग प्रतिनिधियों ने जोखिम के आधार पर एक श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण का सुझाव दिया, जिसमें UK के **आयु उपयुक्त डिज़ाइन कोड (Age Appropriate Design Code- AADC)** को एक मॉडल के रूप में उद्धृत किया गया।

नोट: माता-पिता की सहमति के संबंध में वैश्विक प्रथाएँ:

- वैश्विक स्तर पर **निजता संबंधी कानूनों में** माता-पिता की सत्यापनीय सहमति प्राप्त करने के लिये **कोई प्रौद्योगिकी निर्धारित नहीं की है** और **डेटा संग्रहकर्त्ताओं को** ऐसी प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की **ज़िम्मेदारी** दी है जिसके माध्यम से ऐसी सहमति प्राप्त की जा सकती है।
  - उदाहरण के लिये, **US चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट (COPPA)** माता-पिता की सहमति प्राप्त करने की **सटीक विधि निर्दिष्ट नहीं** करता है

नोट :

लेकिन इसके अंतर्गत बच्चे के माता-पिता की पहचान की पुष्टि करने के लिये उपलब्ध प्रौद्योगिकी को देखते हुए "उचित रूप से डिज़ाइन" की गई विधि का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।

- यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के अनुसार डेटा संग्रहकर्त्ताओं को उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग कर यह सत्यापित करने के लिये उचित प्रयास करने की आवश्यकता होती है कि 13 वर्ष से कम आयु के बच्चे की ओर से प्रदान की गई सहमति वास्तव में उस बच्चे के माता-पिता की ज़िम्मेदारी के धारक द्वारा प्रदान की गई है।

माता-पिता की सहमति प्राप्त करने के मुद्दे का समाधान करने हेतु संभावित सुझाव क्या हैं?

- **सेल्फ-डिक्लेरेशन:** कंपनियाँ माता-पिता को **अकाउंट सेटअप करते समय बच्चे के साथ उनके नाते की घोषणा करने** की अनुमति दे सकती हैं। हालाँकि यह समाधान सत्यनिष्ठा पर आधारित है और इसमें सुव्यवस्थित सत्यापन का अभाव होता है।
- **टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA): माता-पिता के अकाउंट के लिये** 2FA लागू करने **से सुरक्षा बढ़ सकती है।** सहमति की पुष्टि करने के लिये माता-पिता को SMS या ईमेल के माध्यम से एक कूट प्राप्त होता है।
- **बायोमेट्रिक सत्यापन:** माता-पिता की सहमति के लिये बायोमेट्रिक्स (जैसे- फिंगरप्रिंट या फेशियल रिकॉग्निशन) का लाभ उठाना **सुरक्षित और निजता के अनुकूल** हो सकता है।
- **प्रॉक्सी कंसेंट: माता-पिता** बच्चे के साथ अपने नाते को सत्यापित करने के लिये **किसी तीसरे विश्वसनीय पक्ष** (जैसे- स्कूल या बाल रोग विशेषज्ञ) **को अधिकृत कर सकते हैं।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA), 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन में चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों की विवेचना कीजिये।

राज्यपाल को प्राप्त उन्मुक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने संविधान के **अनुच्छेद 361** के तहत राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से दी जाने वाली उन्मुक्ति की जाँच करने पर सहमति व्यक्त की है।

- ऐसा **भारत के मुख्य न्यायाधीश** द्वारा राजभवन की एक महिला कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई के बाद किया गया, जिसने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी।

अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को क्या-क्या उन्मुक्तियाँ प्रदान की जाती हैं?

- **राज्यपाल की उन्मुक्ति की उत्पत्ति:**
  - यह लैटिन कहावत **"रेक्स नॉन पोटेस्ट पेकेरे"** या **"राजा कोई अनुचित कार्य नहीं कर सकता"** से संबंधित है।
  - अनुच्छेद 361 पर **संविधान सभा की चर्चा के दौरान,** सदस्य एच.वी. कामथ ने **राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिये आपराधिक उन्मुक्ति** की सीमा पर सवाल उठाया (विशेष रूप से आपराधिक कृत्यों के लिये उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के संबंध में)।
    - इन चिंताओं के बावजूद, **अनुच्छेद को बिना किसी और चर्चा के अपना लिया गया।**
- **अनुच्छेद 361 के तहत छूट:**
  - **न्यायालय के प्रति गैर-उत्तरदायी: अनुच्छेद 361(1)** के अनुसार राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अपनी शक्तियों और कर्त्तव्यों के प्रयोग के लिये या **उन शक्तियों एवं कर्त्तव्यों के प्रयोग में किये गए किसी भी कार्य के लिये किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं।**
    - अनुच्छेद 361 **अनुच्छेद 14** (समानता का अधिकार) का अपवाद है।
  - **आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा:** अनुच्छेद 361(2) के तहत, **राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल** के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी।
  - **कोई गिरफ्तारी नहीं: अनुच्छेद 361(3)** के तहत, राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कोई गिरफ्तारी या कारावास की प्रक्रिया जारी नहीं की जा सकती है।
  - **सिविल कार्यवाही से सुरक्षा: अनुच्छेद 361(4)** के तहत, लिखित नोटिस देने के दो महीने बाद तक राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी व्यक्तिगत कृत्य के लिये कोई सिविल मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।
    - नोटिस में कार्यवाही की प्रकृति, कार्रवाई का कारण, मुकदमा दायर करने वाला पक्ष तथा मांगी जा रही राहत का विवरण शामिल होना चाहिये।

राज्यपाल

(भाग-III)

राष्ट्रपति- अनुच्छेद 52-78 (भाग V); राज्यपाल- अनुच्छेद 153-167 (भाग VI)

राज्यपाल व राष्ट्रपति-समानताएँ

समानता का बिंदु	विशेषताएँ
प्रमुख	✦ दोनों अपने स्तर पर **नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख** (संवैधानिक/शीर्षक प्रमुख) हैं
अध्यादेशों का प्रख्यापन	✦ दोनों के पास यह शक्ति है **(अनुच्छेद 123- राष्ट्रपति; अनुच्छेद 213- राज्यपाल)**
सिविल और आपराधिक कार्यवाही	✦ दोनों **कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त** हैं; गिरफ्तार या कैद नहीं किया जा सकता। ✦ **2 महीने का नोटिस देकर सिविल कार्यवाही** शुरू की जा सकती है।
पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन	✦ दोनों एक ही कार्यालय में **पुनर्नियुक्ति/पुनर्निर्वाचन के पात्र** हैं
नियुक्ति अधिकारी	✦ जिस प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्तियाँ करता है वैसे ही राज्यपाल राज्य स्तर पर नियुक्ति करता है (**लोक सेवा आयोग के सदस्य, न्यायालयों के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त** आदि)।
विधानमंडल में भूमिका	✦ **राज्य/संघ विधानमंडल को आहूत करने या सत्रावसान करने** और राज्य विधानसभा/लोकसभा को भंग करने की शक्ति
वित्तीय शक्तियाँ	✦ राज्य/संघ स्तर पर **वित्त आयोग का गठन** करना
परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्ति	✦ **प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की नियुक्ति** (प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की मृत्यु के मामले में या जब किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है) ✦ मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी ✦ लोकसभा/राज्य विधायिका को **भंग करना**

राज्यपाल बनाम राष्ट्रपति

अंतर का बिंदु	राष्ट्रपति	राज्यपाल
निर्वाचन	अप्रत्यक्ष चुनाव	राष्ट्रपति द्वारा **नियुक्त**
प्रसादपर्यंतता का सिद्धांत	प्रसादपर्यंतता के सिद्धांत की कोई अवधारणा नहीं	**राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत** पद पर बना रहता है
अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा	किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है	भूमिका **सलाह/परामर्श के अधीन**
संविधान में संशोधन	विधेयक पर इसकी सहमति आवश्यक है	संविधान संशोधन में **कोई भूमिका नहीं**
क्षमादान शक्ति	मृत्युदंड की सजा/कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकता है	**मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता**; सैन्य मामलों में कोई भूमिका नहीं
संवैधानिक विवेकाधिकार	कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं	किसी **विधेयक को सुरक्षित रखने, राष्ट्रपति शासन** लगाने और किसी **निकटवर्ती केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन** के संदर्भ में संवैधानिक विवेकाधिकार
महाभियोग की स्थिति	संविधान का उल्लंघन	**कोई आधार निर्धारित नहीं**

न्यायालयों ने अनुच्छेद 361 की व्याख्या किस प्रकार की है?

- **डॉ. एस.सी. बारत एवं अन्य बनाम हरि विनायक पाटस्कर मामला, 1961: इसमें राज्यपाल के आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण** के बीच अंतर किया गया था। जबकि आधिकारिक कार्यों के लिये पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान की जाती है, राज्यपाल के कार्यों के लिये 2 महीने की पूर्व सूचना के साथ **सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है।**
- **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ मामला, 2006:** सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक कार्यों के लिये अनुच्छेद 361(1) के तहत राज्यपाल की "पूर्ण उन्मुक्ति" को स्वीकार किया, लेकिन दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिये न्यायिक जाँच की अनुमति दी।
    - इस मामले ने स्थापित किया कि आधिकारिक कार्यों को संरक्षित किया जाता है, लेकिन जवाबदेही के लिये तंत्र मौजूद हैं।
- **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, 2015: व्यापम घोटाला मामले** में न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि राज्यपाल राम नरेश यादव को पद पर रहते हुए दुर्भावनापूर्ण प्रचार से **अनुच्छेद 361(2) के तहत "पूर्ण संरक्षण"** प्राप्त है।
    - अनुचित कानूनी उत्पीड़न को रोकने तथा पद की अखंडता को बनाए रखने के लिये उनका नाम जाँच से हटा दिया गया।
- **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कल्याण सिंह मामला, 2017:** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह पद पर रहते हुए **अनुच्छेद 361** के तहत उन्मुक्ति के हकदार थे। **बाबरी मस्जिद विध्वंस** से संबंधित मामलों के आलोक में राज्यपाल के कर्त्तव्यों और गरिमा की रक्षा पर प्रकाश डाला गया।
- **तेलंगाना उच्च न्यायालय का निर्णय (2024):** इसमें उच्च

न्यायालय ने कहा कि "संविधान में कोई स्पष्ट या अंतर्निहित प्रतिबंध नहीं है जो राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को निरसित/अपवर्जित करता हो"।

- इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि **अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्ति व्यक्तिगत है और यह न्यायिक समीक्षा को** निरसित/अपवर्जित **नहीं करती है।**

नोट: हाल ही में **अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय** ने निर्णय सुनाया कि **पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प** को अन्य पूर्व राष्ट्रपतियों की तरह **आधिकारिक क्षमता में की गई कार्रवाइयों के लिये आपराधिक अभियोजन से "पूर्ण प्रतिरक्षा" प्रदान की गई है,** लेकिन यह प्रतिरक्षा **अनौपचारिक या व्यक्तिगत कार्यों तक विस्तारित नहीं होती है।**

राज्यपाल के पद से संबंधित सिफारिशें क्या हैं?

- **सरकारिया आयोग (1988):**
  - राज्यपाल को सार्वजनिक जीवन के किसी क्षेत्र में **प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिये** और उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिये जहाँ वह नियुक्त किया गया है।
  - दुर्लभ एवं बाध्यकारी परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल को उसका **कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया** जाना चाहिये।
  - राज्यपाल को **केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु** के रूप में कार्य करना चाहिये न कि केंद्र के एजेंट के रूप में।
  - राज्यपाल को अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग **संयमित एवं विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिये** और उनका उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करने के लिये नहीं करना चाहिये।
- **वेंकटचलैया आयोग (2002):**
  - **राज्यपालों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी चाहिये** जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हों।
  - **राज्यपाल को पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा** करने देना चाहिये, जब तक कि सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर वह स्वयं त्यागपत्र न दे दे या उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटा नहीं दिया जाए।
  - केंद्र सरकार को राज्यपाल को हटाने की किसी भी **कार्रवाई से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह** लेनी चाहिये।
  - **राज्यपाल को राज्य के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं** करना चाहिये।
    - उसे **राज्य सरकार के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक** के रूप में कार्य करना चाहिये तथा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का संयमपूर्वक उपयोग करना चाहिये।
- **पुंछी आयोग (2010):**
  - इस आयोग ने संविधान से **"राष्ट्रपति की इच्छापर्यंत"** वाक्यांश को हटाने की सिफारिश की, जो यह सुझाव देता है कि राज्यपाल को केंद्र सरकार की इच्छा पर हटाया जा सकता है।
  - इसमें प्रस्ताव दिया गया कि **राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा ही हटाया** जाना चाहिये, जिससे राज्यों के लिये अधिक स्थिरता और स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके।

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **अनुच्छेद 153:** प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों (**सरकारिया आयोग** द्वारा अनुशंसित) का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
  - **राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह केंद्र सरकार का मनोनीत** सदस्य होता है।
- **दोहरी भूमिका:** यह राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह से संबंधित होता है और **केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी** के रूप में कार्य करता है।
- **अनुच्छेद 157 और 158:** राज्यपाल के पद के लिये पात्रता आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हैं।
- **अनुच्छेद 161: राज्यपाल को क्षमादान, दण्ड विराम** आदि देने की शक्ति प्राप्त है।
- **अनुच्छेद 163:** राज्यपाल को उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा दी जाती है, सिवाय कुछ स्थितियों में जहाँ विवेकाधिकार की अनुमति होती है।
- **अनुच्छेद 164:** राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- **अनुच्छेद 200:** राज्यपाल, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिये अनुमति देता है, अनुमति वापस लेता है या आरक्षित करता है।
- **अनुच्छेद 213:** राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल से संबंधित उन्मुक्ति प्रावधानों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये।

RSS: एक गैर-राजनीतिक संगठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)** की गतिविधियों में भाग लेने वाले लोक प्रशासकों के संदर्भ में **आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध हटा दिया** है।

- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training- DoPT) द्वारा जारी इस निर्णय ने वर्ष 1966, 1970 और 1980 के आधिकारिक ज्ञापनों में RSS के संदर्भ जारी निर्देशों को अप्रभावी बना दिया।

नोट:

- यह सर्कुलर **केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये** है।
- राज्य सरकारों के पास अपने कर्मचारियों के लिये अपने स्वयं के आचरण नियम हैं।

सरकारी कर्मचारियों के लिये RSS में शामिल होने के संदर्भ में क्या नियम हैं?

- **DoPT के निर्देश:**
  - 9 जुलाई 2024 को DoPT ने **वर्ष 1966, 1970 और 1980 के आधिकारिक ज्ञापनों (OM) में RSS के संदर्भ में जारी निर्देशों को अप्रभावी करने की घोषणा** की।
  - इसके तहत RSS को **अब एक "राजनीतिक" संगठन नहीं** माने जाने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को **आचरण नियमों के नियम 5(1)** के तहत शामिल दंड के बिना इसकी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी।
    - हालाँकि, यह पुनर्वर्गीकरण **जमात-ए-इस्लामी** (जो एक राजनीतिक संगठन बना हुआ है) **पर लागू नहीं** होता है, जिससे सरकारी अधिकारियों को इसकी गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंधित किया गया है।
    - **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964** का **नियम (5)** सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक दलों से जुड़ने या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है।
- **वर्ष 1966, 1970 और 1980 के आधिकारिक ज्ञापन (OM):**
  - **वर्ष 1966 का आधिकारिक ज्ञापन: 30 नवंबर, 1966 को गृह मंत्रालय (MHA)** ने एक सर्कुलर जारी कर RSS और जमात-ए-इस्लामी में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने को सरकारी नीति के विपरीत बताया।
    - इस सर्कुलर में **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964** के **नियम 5** का संदर्भ दिया गया और कहा गया कि इन समूहों से जुड़े लोगों पर **अनुशासनात्मक कार्रवाई** की जा सकती है।
    - **अखिल भारतीय सेवाएँ (आचरण) नियमावली, 1968** में भी ऐसा ही नियम है, जो **आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारियों** पर लागू होता है।
  - **वर्ष 1970 का आधिकारिक ज्ञापन:** 25 जुलाई, 1970 को गृह मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया कि 30 नवंबर 1966 को जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिये।
    - आपातकाल (वर्ष 1975 से 1977) के दौरान सरकार ने RSS, **जमात-ए-इस्लामी** और CPI-ML सहित विभिन्न समूहों के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किये, जिनकी गतिविधियाँ उस समय प्रतिबंधित थीं।
  - **वर्ष 1980 का आधिकारिक ज्ञापन:** 28 अक्तूबर, 1980 को सरकार ने एक निर्देश जारी किया जिसमें **सरकारी कर्मचारियों के बीच धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण** बनाए रखने के महत्त्व पर बल दिया गया और सांप्रदायिक भावनाओं एवं पूर्वाग्रहों को समाप्त करने की **आवश्यकता पर प्रकाश** डाला गया।
- **1966 से पहले की स्थिति:**
  - वर्ष 1966 से पूर्व भारत में सरकारी कर्मचारी **सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1949** (जिसके तहत राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध था) के द्वारा शासित थे।
  - इस प्रतिबंध को सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1949 के नियम (23) में दोहराया गया था, जो **केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम (5)** और **अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968** के साथ संरेखित था।
- **नियमों के उल्लंघन के लिये दंड:**
  - इन नियमों **[केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम (5)** और **अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968]** के उल्लंघन से **सेवा से बर्खास्तगी/पदच्युति** सहित अन्य गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
  - दोनों नियमों के अनुसार यदि किसी पक्ष की राजनीतिक भागीदारी या किसी गतिविधि के अनुपालन के बारे में कोई अनिश्चितता है, तो ऐसे में **सरकार का निर्णय अंतिम** है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) क्या है?

- **परिचय:**
  - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1925 में नागपुर में डॉ. के.बी. हेडगेवार ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान कथित खतरों से रक्षा एवं इसके प्रत्युत्तर के रूप में हिंदू संस्कृति और भारतीय नागरिक समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिये की थी।
  - इसका उद्देश्य हिंदुत्व के विचार को बढ़ावा देना है।
- **स्वतंत्रता-पूर्व चरण:**
  - इस संगठन ने हिंदुओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने सामुदायिक सेवा, शिक्षा और हिंदू मूल्यों के प्रचार पर ध्यान केंद्रित किया।
- **स्वतंत्रता-उपरांत:**
  - वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, RSS **जाँच के घेरे** (वर्ष 1948 में **नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या के बाद**) में आ गया। इसके बाद इस संगठन पर कुछ समय के लिये प्रतिबंध लगाया गया था लेकिन बाद में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया।
- **विचारधारा:**
  - विनायक दामोदर सावरकर द्वारा व्यक्त की गई RSS की केंद्रीय विचारधारा इस विचार को बढ़ावा देती है कि **भारत, मूल रूप से एक हिंदू राष्ट्र** है।
  - RSS **भारतीय संस्कृति और विरासत के महत्त्व** पर बल देता है, जिसका उद्देश्य **भारतीयों** को एक समान राष्ट्रीय पहचान के तहत संगठित करना है।
  - यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आपदा राहत सहित **विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में संलग्न** है, जो अपने सदस्यों के बीच **"सेवा भाव" के विचार को बढ़ावा** देता है।
- **स्वतंत्रता संग्राम में योगदान:**
  - RSS ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में **प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया** लेकिन इसने हिंदुओं के सामाजिक-राजनीतिक जागरण में योगदान दिया।
- **RSS पर प्रतिबंध का इतिहास:**
  - **वर्ष 1948:** महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया; संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद वर्ष 1949 में यह प्रतिबंध हटा दिया गया।
  - **वर्ष 1966:** सरकारी कर्मचारियों पर RSS में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसे वर्ष 1970 और 1980 में दोहराया गया।
  - **वर्ष 1975-1977:** आपातकाल के दौरान इस पर प्रतिबंध लगाया गया; वर्ष 1977 में यह प्रतिबंध हटा दिया गया।
  - **वर्ष 1992:** बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इस पर प्रतिबंध लगाया गया। आगे चलकर वर्ष 1993 में एक आयोग द्वारा इस प्रतिबंध को अनुचित मानने के बाद इसे हटा दिया गया।
- **संरचना और कार्यप्रणाली:**
  - RSS **भारत और विदेशों में अपनी विभिन्न शाखाओं** (जो **शारीरिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण** पर केंद्रित हैं) **के नेटवर्क** के माध्यम से कार्य करता है।
  - इसने **विश्व हिंदू परिषद (VHP), बजरंग दल** और **अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP)** सहित कई अन्य संगठनों को प्रेरित किया है।
- **राजनीतिक प्रभाव:** इसे **भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का वैचारिक आधार** माना जाता है, जो 1990 के दशक से भारत में एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति रही है।

जमात-ए-इस्लामी

- यह एक सामाजिक-धार्मिक और राजनीतिक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1941 में ब्रिटिश भारत में **अबुल अला मौदूदी (Abul A'la Maududi)** द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य **इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देना** और समाज एवं शासन में **इस्लामी सिद्धांतों को लागू** करना है।
- यह **शरिया कानून द्वारा शासित इस्लामी राज्य की स्थापना का समर्थन** करता है।
- भारत सरकार ने मार्च 2019 में **विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA)** के तहत जमात-ए-इस्लामी जम्मू और कश्मीर पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था।

आनंद मार्ग:

- इसकी स्थापना **वर्ष 1955 में प्रभात रंजन सरकार द्वारा** की गई थी, यह एक **सामाजिक-आध्यात्मिक संगठन** है जो अपने **प्रगतिशील उपयोग सिद्धांत (Prout) के लिये जाना** जाता है।
  - **प्रगतिशील उपयोग सिद्धांत (Prout)** एक सामाजिक-आर्थिक वैकल्पिक मॉडल है **जो प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण तथा विकास को बढ़ावा देता है।**
- 1960 के दशक में इसे लोकप्रियता मिली, जिसके कारण पश्चिम बंगाल सरकार के साथ इसका संघर्ष हुआ। इससे संबंधित प्रमुख घटनाओं में वर्ष 1975 में रेल मंत्री एल. एन. मिश्रा की हत्या

शामिल है, जिसके लिये चार सदस्यों को दोषी ठहराया गया था और 1971 में एक अनुयायी की हत्या (Disciple's Murde) का आदेश देने के आरोप में आनंदमूर्ति की गिरफ्तारी की गई।

- **आपातकाल (1975-1977) के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राजनीतिक संगठनों और दबाव समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इन संगठनों ने आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया तथा भारत की अंतिम स्वतंत्रता में किस प्रकार योगदान दिया?

इंडियाAI मिशन

चर्चा में क्यों?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिये भारत सरकार की प्रतिबद्धता **इंडियाAI मिशन** के लिये नए बजटीय आवंटन से स्पष्ट है।

- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** को **उच्च प्रदर्शन वाले ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट (GPU)** की खरीद सहित AI आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिये **केंद्रीय बजट 2024-25** में 551.75 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- इस मिशन का उद्देश्य **घरेलू AI विकास को समर्थन** देना एवं **विदेशी हार्डवेयर पर निर्भरता कम करना** है।

इंडियाAI मिशन क्या है?

- **उद्देश्य:** मिशन का उद्देश्य AI प्रणालियों के विकास और परीक्षण का समर्थन करने के लिये भारत में एक मज़बूत AI कंप्यूटिंग बुनियादी ढाँचे की स्थापना करना है।
  - मिशन का उद्देश्य डेटा की गुणवत्ता को बढ़ाना और साथ ही स्वदेशी AI तकनीक विकसित करना है। यह शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने, उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने, प्रभावशाली AI स्टार्टअप का समर्थन करने के साथ नैतिक AI प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **वित्तीय सहायता:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में **10,372 करोड़ रुपए के इंडियाAI मिशन को मंज़ूरी** दी थी, जिसका उद्देश्य **10,000 से अधिक GPU की कंप्यूटिंग क्षमता** स्थापित करना और साथ ही स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं शासन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये प्रमुख भारतीय भाषाओं को सम्मिलित करने वाले डेटासेट पर प्रशिक्षित 100 अरब से अधिक मापदंडों की क्षमता वाले आधारभूत मॉडल विकसित करना है।
- **वर्तमान संकेंद्रण:** प्रारंभिक प्रयासों में परियोजना को आरंभ करने के लिये **300 से 500 GPU की खरीद** शामिल होगी।
- **GPU खरीद का महत्त्व:** GPU बड़े पैमाने पर AI मॉडलों के प्रशिक्षण एवं निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण हैं, जो उन्नत AI अनुप्रयोगों के लिये आवश्यक हैं।
  - डेटा सेंटर GPU समानांतर संचालन, AI, मीडिया एनालिटिक्स तथा 3D रेंडरिंग समाधानों हेतु महत्त्वपूर्ण हैं, जिससे वे मशीन लर्निंग, मॉडलिंग और क्लाउड गेमिंग जैसे उन्नत उपयोग के मामलों के लिये आवश्यक हो जाते हैं।
  - यह खरीद **भारतीय स्टार्टअप्स को आवश्यक कंप्यूटिंग क्षमता** प्रदान करेगी, जो मौजूदा बाज़ार में कमियों को दूर करेगी।
- **इंडियाAI मिशन के प्रमुख घटक:**
  - **इंडियाAI कंप्यूटिंग क्षमता** - इस इकोसिस्टम में सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए निर्मित 10,000 या उससे ज्यादा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) का AI कंप्यूटिंग बुनियादी ढाँचा शामिल होगा। इसके अतिरिक्त, एक AI बाज़ार डिज़ाइन किया जाएगा जो AI नवोन्मेषी को एक सेवा और पूर्व-प्रशिक्षित मॉडलों के रूप में AI की पेशकश करेगा। ये AI नवाचार हेतु महत्त्वपूर्ण संसाधनों का एकल बिंदु समाधान भी होगा।
  - **इंडियाAI नवाचार केंद्र** - इंडियाAI नवाचार केंद्र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेश में निर्मित **लार्ज मल्टीमॉडल मॉडलों (LMMs)** तथा डोमेन-विशिष्ट बुनियादी मॉडल के विकास एवं तैनाती में सहयोग प्रदान करेगा।
  - **इंडियाAI डेटासेट मंच** - भारतीय स्टार्टअपों और शोधकर्त्ताओं को **गैर-व्यक्तिगत डेटासेट** तक अबाधित पहुँच के लिये वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने हेतु एक एकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।
  - **इंडियाAI एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव** - इंडियाAI एप्लीकेशन डेवलपमेंट की पहल केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों और अन्य संस्थानों से प्राप्त समस्याओं के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में AI के प्रयोग को बढ़ावा देगा।
  - **इंडियाAI फ्यूचर स्किल्स** - ये स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं पीएचडी की पढ़ाई में AI पाठ्यक्रमों को बढ़ाएगी। इसके अतिरिक्त छोटे शहरों में डेटा एवं AI लैब्स स्थापित की जाएंगी।
  - **इंडियाAI स्टार्टअप फाइनेंसिंग** - इंडियाAI स्टार्टअप फाइनेंसिंग के स्तंभ की परिकल्पना डीप-टेक AI स्टार्टअप को समर्थन और गति देने और साथ ही उन्हें भविष्य की AI परियोजनाओं हेतु फंडिंग तक सुगम पहुँच प्रदान करने के लिये की गई है।

- **सुरक्षित और भरोसेमंद AI** - **AI के जिम्मेदारीपूर्ण अनुप्रयोग**, तैनाती और उसे अपनाए जाने के कार्य को आगे बढ़ाने के लिये पर्याप्त सजगता की जरूरत को पहचानते हुए, सुरक्षित और भरोसेमंद AI का ये स्तंभ उत्तरदायित्वपूर्ण AI परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सक्षम बनाएगा।

भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) बाज़ार की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **मुख्य रुझान**
  - **विभिन्न क्षेत्रों में अपनाना:** भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई **राष्ट्रीय AI रणनीति** और **राष्ट्रीय AI पोर्टल** जैसी पहलों के कारण भारत में विभिन्न क्षेत्रों में AI को अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
    - स्वास्थ्य सेवा, वित्त, खुदरा, विनिर्माण और कृषि जैसे क्षेत्र तीव्रता से AI प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकृत हो रहे हैं।
- **डेटा एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित करना: क्लाइव हंबी** का यह कथन कि **"डेटा नया तेल (के समान मूल्यवान संसाधन) है"** जो **AI-संचालित डेटा विश्लेषण के बढ़ते महत्त्व** को रेखांकित करता है।
  - कंपनियाँ मूल्यवान जानकारी प्राप्त करने, परिचालन में सुधार लाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये AI-संचालित विश्लेषण का लाभ उठा रही हैं, जिसे **नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम)** द्वारा शुरू किये गए **AI फॉर ऑल कार्यक्रम** जैसी पहलों का समर्थन प्राप्त है।
  - **सरकारी पहल: डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया** एवं **स्मार्ट सिटीज मिशन, GI क्लाउड (मेघराज)** और साथ ही भारत द्वारा आयोजित **ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन** जैसी पहल सभी क्षेत्रों में AI को अपनाने को बढ़ावा दे रही हैं।
  - **अनुसंधान एवं विकास:** भारतीय अनुसंधान संस्थान तथा शैक्षणिक संगठन, जैसे कि IIT, ISI एवं IISc, वैश्विक ज्ञान आधार में योगदान करते हुए, AI अनुसंधान और विकास में सक्रिय रूप से शामिल हैं।
- **क्लस्टर्स:** सहायक नीतियों, शोध संस्थानों और AI प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग जैसे कारकों के कारण भारतीय शहरों में AI क्लस्टर उभर रहे हैं। **प्रमुख शहरों में बेंगलूरू, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, पुणे तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR)** शामिल हैं।
  - बेंगलूरू को **"भारत की सिलिकॉन वैली"** के नाम से जाना जाता है, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों, **स्टार्टअप** एवं शैक्षणिक संस्थानों का एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ 2,000 से अधिक सक्रिय स्टार्टअप हैं और साथ ही वार्षिक IT निर्यात 50 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक है और साथ ही शहर का AI अनुसंधान में भी मज़बूत है, जहाँ **वार्षिक रूप से 400 से अधिक पेटेंट** दाखिल किये जाते हैं।
- **भारत के AI बाज़ार में निवेश के अवसर:**
  - **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** एवं AI-संचालित परिशुद्ध कृषि एवं फसल निगरानी का उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।
  - AI-संचालित **धोखाधड़ी का पता लगाना, जोखिम मूल्यांकन एवं ग्राहक सेवा स्वचालन की मांग** में वृद्धि हो रही है और साथ ही AI समाधानों को लागू करने हेतु भारतीय बैंकों के साथ सहयोग किया जा सकता है।
  - AI **पूर्वानुमानित निदान, वैयक्तिकृत उपचार और दवा खोज के अवसर** प्रदान करता है।
  - चैटबॉट एवं अनुशंसा इंजन(recommendation engines) जैसी AI प्रौद्योगिकी के आधार पर खुदरा क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है।

इंडियाAI मिशन के लिये अपेक्षित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **सीमित GPU क्षमता और अवसंरचना:** मिशन का उद्देश्य 10,000 GPU की उच्च-स्तरीय AI कम्प्यूट क्षमता का निर्माण करना है। फिर भी, AI अनुप्रयोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये इन GPU की समय पर खरीद और तैनाती के बारे में चिंताएँ विद्यमान हैं
  - **GPU की उच्च लागत**, जैसे कि Nvidia की A100 चिप की कीमत 10,000 अमेरिकी डॉलर तक है, जो छोटे व्यवसायों के लिये एक बड़ी चुनौती है
  - GPU की उपलब्धता एक बाधा है और इस हार्डवेयर के अधिग्रहण और एकीकरण तीव्रता लाना AI क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **डेटा पहुँच और गुणवत्ता:** विविध डेटासेट पर एआई मॉडल का प्रशिक्षण, विशेष रूप से इंडिक भाषाओं के लिये, महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, मौजूदा डेटासेट प्रभावी स्वदेशी एआई मॉडल विकसित करने के लिये अपर्याप्त हैं।
- **सीमित AI विशेषज्ञता और उच्च लागत:** भारत में कुशल AI पेशेवरों की कमी है। इस समस्या का समाधान करने के प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन इस अंतराल को समाप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

नोट :

- **उच्च कार्यान्वयन लागत:** एआई समाधानों के कार्यान्वयन की लागत, विशेष रूप से विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में, काफी अधिक हो सकती है
  - इसमें बुनियादी ढाँचे और एकीकरण के लिये पूंजी निवेश शामिल है, जो व्यापक रूप से अपनाने में बाधा बन सकता है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी:** प्रभावी AI तैनाती के लिये उन्नत **क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है।** जबकि AIRAWAT जैसे प्रयास प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं, **भारत में अभी भी एआई अनुप्रयोगों को बढ़ाने के लिये आवश्यक व्यापक एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधाओं का अभाव है।**
- **नैतिक एवं सत्यनिष्ठा संबंधी चिंताएँ:** चूँकि AI एल्गोरिदम निर्णय लेने को तीव्र गति से प्रभावित कर रहे हैं, अत: **AI मॉडल में नैतिक उपयोग सुनिश्चित करना और पूर्वाग्रहों से बचना** महत्त्वपूर्ण है।
  - प्रभावित डेटासेट या त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण डेटा के कारण विषम परिणामों की संभावना महत्त्वपूर्ण ज़ोखिम पैदा करती है।
  - **संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा के प्रबंधन से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित ज़ोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।**
- **भू-राजनीतिक और विनियामक मुद्दे:** भू-राजनीतिक तनाव और निर्यात नियंत्रण विनियम आवश्यक AI प्रौद्योगिकियों एवं घटकों तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकते हैं, जिससे भारत की AI समाधानों को प्रभावी ढंग से विकसित करने तथा इसे तैनात करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** विशेष रूप से OpenAI के ChatGPT के लिये AI क्वेरीज़, **नियमित Google सर्च की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा का प्रयोग करती हैं।** इमेज बेस्ड AI सर्च और भी अधिक ऊर्जा का खपत करते हैं। AI मॉडल, सामान्य सर्च की तुलना में अधिक मात्रा में डेटा का उपयोग करते हैं, जिससे डेटा को संसाधित करने, संग्रहीत और पुनर्प्राप्त करने के लिये अधिक विद्युत संकेतों की आवश्यकता होती है।
  - बढ़ी हुई डेटा प्रोसेसिंग से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे **डेटा केंद्रों में शक्तिशाली एयर-कंडीशनिंग और शीतलन प्रणालियों की आवश्यकता** होती है।
  - AI उपकरणों से वैश्विक ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में, **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)** के अनुसार, वैश्विक विद्युत ऊर्जा की मांग में डेटा केंद्रों की हिस्सेदारी 1% से लेकर 1.3% तक है, जिसके वर्ष 2026 तक 1.5% से 3% तक बढ़ने का अनुमान है।
  - विशेषज्ञों का मानना है कि **भारत को जल्द ही AI और डेटा केंद्रों के महत्त्वपूर्ण पर्यावरणीय नुकसान** का सामना करना पड़ेगा। डेटा केंद्रों को ठंडा रखने के लिये जल संसाधनों की बढ़ती मांग पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाती है।

आगे की राह:

- **हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहित करना:** वर्ष 2021 में अधिसूचित IT हार्डवेयर और सेमीकंडक्टर के लिये **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI)** योजना पात्र फर्मों के लिये घरेलू विनिर्माण में निवेश बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है। इस पहल का विस्तार करने से इस क्षेत्र में विकास को और बढ़ावा मिल सकता है।
- **स्टार्ट-अप सपोर्ट:** AI-स्टार्टअप के लिये वित्तीय प्रोत्साहन, मेंटरशिप और इनक्यूबेशन सुविधाएँ प्रदान करना। **तेलंगाना के T-हब (भारत का सबसे बड़ा इनक्यूबेशन सेंटर) जैसे AI-केंद्रित त्वरक और इनक्यूबेटर स्थापित करना।**
- **व्यापक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र:** एक **राष्ट्रीय डेटा प्लेटफॉर्म** को मानकीकृत प्रारूपों और गुणवत्ता जाँच के साथ केंद्रीकृत डेटा भंडार के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिसमें गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए डेटा साझाकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है। डेटा की गुणवत्ता में सुधार के लिये **एन्क्रिप्शन तकनीकों के साथ-साथ डेटा लेबलिंग और क्यूरेशन में निवेश करना।**
- **नैतिक AI को प्राथमिकता देना: व्यापक AI नैतिकता दिशानिर्देश** और विनियम विकसित करना, स्वतंत्र AI नैतिकता बोर्ड स्थापित करना, AI-सिस्टम में पारदर्शिता और व्याख्या को बढ़ावा देना और पूर्वाग्रहों की पहचान करने एवं उन्हें कम करने के लिये नियमित AI ऑडिट करना।
- **सामाजिक प्रभाव हेतु अनुप्रयोग:** प्रमुख सामाजिक चुनौतियों की पहचान करना और AI-संचालित समाधान विकसित करना। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में AI अनुप्रयोगों को प्राथमिकता देना। समाज के सभी वर्गों के लिये AI संबंधित लाभों तक समान पहुँच सुनिश्चित करना।
- **सतत् AI को बढ़ावा देना:** ऊर्जा-कुशल AI एल्गोरिदम और हार्डवेयर में निवेश करके, **डेटा केंद्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों** के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा अनुकूलन एवं संसाधन प्रबंधन हेतु AI-संचालित समाधान प्रदान कर स्थायी AI का समर्थन करना।
- **कौशल में अंतर (Talent Gap):** इंटर्नशिप, शोध परियोजनाओं और संकाय विनिमय हेतु साझेदारी को बढ़ावा देना। भारत में निवेश करने के लिये विदेशी छात्रों और कर्मचारियों को आकर्षित करना, AI प्रतिभा को बनाए रखने के लिये वेतन में वृद्धि करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: इंडिया AI मिशन के उद्देश्यों और प्रमुख घटकों पर चर्चा कीजिये। इसका उद्देश्य भारत के AI परिदृश्य को किस प्रकार परिवर्तित करना है?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने POCSO मामले को किया रद्द

चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी 23 वर्षीय व्यक्ति, जिसने पीड़िता से बाद में विवाह कर लिया, के खिलाफ **लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया है।

- इस निर्णय में एक चेतावनी शामिल है, जिसके तहत **यदि व्यक्ति भविष्य में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ देता है तो आपराधिक कार्यवाही को पुनः शुरू किया जा सकता है।** इस शर्त का उद्देश्य माँ और बच्चे के कल्याण एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

न्यायालय ने मामले को रद्द करने का औचित्य कैसे सिद्ध किया?

- **आरोपी के वकील:** तर्क दिया कि आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे से प्रेम करते थे तथा माता-पिता द्वारा विवाह के लिये सहमति जताए जाने के बाद अपराध दर्ज किया गया था। इस बात पर प्रकाश डाला कि दोनों परिवार विवाह का समर्थन करने के लिये आगे आए थे।
- **राज्य के वकील:** तर्क दिया कि अपराध की जघन्य प्रकृति के कारण मामले को रद्द नहीं किया जाना चाहिये, जिसके लिये दस वर्ष के कारावास की सज़ा हो सकती है। मामले को सुनवाई के लिये ले जाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
- **न्यायालय का निर्णय:**
  - पीड़िता और बच्चे की सुरक्षा: न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामले को सुलझाए बिना याचिकाकर्त्ता को रिहा करने से माँ और बच्चे असुरक्षित हो जाएंगे, उन्हें सामाजिक बदनामी व संभावित खतरे का सामना करना पड़ेगा।
  - पीड़िता की संभावित शत्रुता: न्यायालय ने कहा कि पीड़िता के अपने बयान से पलट जाने की संभावना है, जिससे याचिकाकर्त्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है।
  - न्यायमूर्ति ने ज़मीनी हकीकत पर विचार करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया कि आपराधिक मुकदमे को लंबा खींचने से अनावश्यक पीड़ा होगी और किसी भी अंतरिम रिहाई की संभावना कम हो जाएगी।

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 क्या है?

- **परिचय:** लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण हेतु बनाया गया था, जो **वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र** द्वारा **बाल अधिकारों पर कन्वेंशन** को अपनाने के बावजूद भारत में एक महत्त्वपूर्ण विधायी अंतर को कम करता है।
  - इस अधिनियम के तहत गंभीर दंड का प्रावधान है, जिसमें **20 वर्ष तक की कैद** और गंभीर **यौन उत्पीड़न के लिये मृत्युदंड** तक शामिल है।
- **आवश्यकता:** POCSO अधिनियम, 2012 से पूर्व, भारत का एकमात्र बाल संरक्षण कानून **गोवा बाल अधिनियम, 2003** था। **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराएँ 375, 354 और 377** अपर्याप्त थीं क्योंकि उनमें **बालकों के प्रति हुए 'अप्राकृतिक अपराध' की स्पष्ट परिभाषाएँ प्रदान नहीं** की गई थीं।
  - बाल यौन शोषण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक विशिष्ट कानून की आवश्यकता हुई, जिसके परिणामस्वरूप **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा POCSO अधिनियम को लागू किया गया।
- **सामान्य सिद्धांत:**
  - **सम्मान पूर्वक व्यवहार किये जाने का अधिकार:** बच्चों के साथ करुणा और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के महत्त्व को दर्शाता है।
  - **जीवन और अस्तित्व का अधिकार:** यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को अनुच्छेद 21 के अनुसार सुरक्षा मिले और सुरक्षित वातावरण में उनका पालन पोषण हो।
  - **भेदभाव के विरुद्ध अधिकार:** लिंग, धर्म या संस्कृति के आधार पर भेदभाव किये बिना निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रियाएँ।
  - **निवारक उपायों का अधिकार:** बच्चों को दुर्व्यवहार को पहचानने और रोकने के लिये प्रशिक्षित करना।
  - **सूचित किये जाने का अधिकार:** बच्चे को कानूनी कार्यवाही के बारे में सूचित रखना।
  - **गोपनीयता का अधिकार:** बच्चे की गोपनीयता की रक्षा के लिये कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखना।

- **अपराधों की सुनवाई:** विशेष न्यायालय अभियुक्त को सुनवाई के लिये भेजे बिना ही संज्ञान ले सकती हैं। बच्चे को अभियुक्त के संपर्क में आने से रोकने के प्रयास किये जाने चाहिये।
  - **साक्ष्य 30 दिनों के भीतर दर्ज किये जाने चाहिये** और संज्ञान लेने के एक वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी होनी चाहिये।
  - चिकित्सा जाँच के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन ध्यान दिया गया है कि शारीरिक चोटें हमेशा मौजूद नहीं हो सकती हैं।
  - धारा 42A यह सुनिश्चित करती है कि POCSO **प्रावधान किसी भी परस्पर विरोधी कानून को दरकिनार कर दें।**
- **POCSO अधिनियम की कमियाँ:**
  - **अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का अनुप्रयोग: अंजन कुमार सरमा बनाम असम राज्य, 2017** में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पुष्टि करने वाले साक्ष्य के बिना यह सिद्धांत कमज़ोर है, जिससे गलत दोषसिद्धि का जोखिम है।
    - यह सिद्धांत बताता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध से पहले पीड़ित के साथ अंतिम बार देखा गया है और कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है, तो यह प्रबल अनुमान है कि वे अपराध के लिये ज़िम्मेदार हैं।
  - **सहमति से शारीरिक क्रियाकलाप:** यह अधिनियम **नाबालिग के साथ सहमति से शारीरिक संबंध बनाने** वाले गैर-नाबालिग साथी पर मुकदमा चलाता है, क्योंकि नाबालिगों की सहमति अप्रासंगिक मानी जाती है।
  - **बच्चों द्वारा झूठी शिकायतें:** धारा 22 बच्चों को झूठी शिकायतों के लिये सज़ा से छूट देती है, जिससे संभावित दुरुपयोग होता है।
  - **टू-फिंगर टेस्ट:** वर्ष 2012 में प्रतिबंधित होने के बावजूद, यह परीक्षण अभी भी किया जाता है, जो पीड़ित की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है, जैसा कि लिल्लू @ राजेश बनाम हरियाणा राज्य, 2013 में उल्लेख किया गया है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2022 में पुष्टि की कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न से बचे लोगों पर आक्रामक 'टू-फिंगर' या 'थ्री-फिंगर' योनि परीक्षण करना कदाचार माना जाता है। इन परीक्षणों को प्रतिगामी माना जाता है और यह निर्धारित करने के लिये उपयोग किया जाता है कि क्या पीड़ित यौन संबंध के लिये "आदी" थी।
  - **अप्रस्तुत जाँच तंत्र:** बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, होइंगोली एवं अन्य बनाम भवत एवं अन्य, 2017 के मामले में, दोषपूर्ण जाँच प्रक्रियाओं को उजागर करते हुए, बिना सील किये गए साक्ष्य के कारण अभियुक्तों को बरी कर दिया।
- **अपराधों के लिये सज़ा:**
- POCSO अधिनियम, 2012 में शामिल अपराधों के लिये सज़ा
- उपर्युक्त अपराधों के लिये सज़ा तालिका में निर्दिष्ट है:

अपराध का नाम	POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान	सज़ा
16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला	धारा 4	न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास जिसे आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है
16 वर्ष से कम आयु के बच्चे पर प्रवेशन यौन हमला	धारा 4	न्यूनतम 20 वर्ष का कारावास जिसे शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास और जुर्माने तक बढ़ाया जा सकता है
गंभीर प्रवेशन यौन हमला	धारा 6	न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास जिसे शेष प्राकृतिक जीवन के लिये कारावास और जुर्माना या मृत्यु तक बढ़ाया जा सकता है
यौन उत्पीड़न	धारा 8	3 से 5 वर्ष की कैद और जुर्माना
गंभीर यौन हमला	धारा 10	5 से 7 वर्ष की कैद और जुर्माना
यौन उत्पीड़न	धारा 12	कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

पोर्नोग्राफी के लिये बच्चे का उपयोग	धारा 14(1)	पहली दोषसिद्धि- 5 वर्ष तक की कैद, दूसरी या आगे की सजा- 7 वर्ष तक की कैद और जुर्माना
धारा 3 के तहत अपराध करते समय अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चे का उपयोग।	धारा 14(2)	न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास। आजीवन कारावास और जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है
धारा 5 के तहत अपराध करते समय अश्लील उद्देश्य के लिये बच्चे का उपयोग	धारा 14(3)	आजीवन कठोर कारावास और जुर्माना
धारा 7 के तहत अपराध करते समय किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिये उपयोग करना	धारा 14(4)	6 से 8 वर्ष की कैद और जुर्माना
धारा 9 के तहत अपराध करते समय किसी बच्चे का अश्लील उद्देश्यों के लिये उपयोग करना।	धारा 14(5)	8 से 10 वर्ष की कैद और जुर्माना
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये किसी बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री संग्रहीत करने का अपराध	धारा 15	3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

POCSO अधिनियम, 2012 पर महत्त्वपूर्ण न्यायिक घोषणाएँ

- **बिजॉय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2017:** इस मामले में, **कलकत्ता उच्च न्यायालय ने** यौन उत्पीड़न के शिकार बच्चों की गरिमा की रक्षा के लिये निर्देश जारी किये।
  - पुलिस को POCSO अधिनियम की धारा 19 के तहत एफआईआर दर्ज करनी चाहिये और पीड़ितों तथा उनके माता-पिता को कानूनी सहायता अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहिये।
  - पोक्सो अधिनियम की धारा 27 के अनुसार **प्रथम सूचना रिपोर्ट** (First Information Report- FIR) दर्ज होने के बाद बच्चे की तत्काल चिकित्सा जाँच कराई जाएगी।
  - **किशोर न्याय अधिनियम** के तहत **'देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों'** के रूप में पहचाने गए पीड़ितों को **बाल कल्याण समिति** (Child Welfare Committee- CWC) को भेजा जाना चाहिये। पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये।
    - विशेष न्यायालय द्वारा अंतरिम स्तर पर मुआवज़ा प्रदान किया जा सकता है, जो कि दोषसिद्धि के बाद दोषी को दिये जाने वाले मुआवज़े से स्वतंत्र होगा, जिसका उद्देश्य पीड़ित बच्चे को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।
  - **विष्णु कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2017:** छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने POCSO अधिनियम की धारा 36 के अनुपालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:
    - यह सुनिश्चित करना कि कार्यवाही के दौरान बाल **गवाहों को सहजता महसूस हो,** संभवत: बंद कमरे में सत्र के माध्यम से तथा उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके।
    - **साक्ष्य नियमों में लचीलापन प्रक्रियाओं के सख्त पालन पर सत्य को प्राथमिकता देता है।** बच्चों के बयानों को रिकॉर्ड करते समय आराम और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये ब्रेक की अनुमति होनी चाहिये।
  - **दिनेश कुमार मौर्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2016:** इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। महत्त्वपूर्ण टिप्पणियाँ निम्नलिखित थीं:
    - **यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिये चोटें आवश्यक नहीं हैं,** पीड़ित की गवाही महत्त्वपूर्ण है।
    - न्यायालयों को नाबालिगों पर बाहरी प्रभावों के कारण झूठे आरोपों की संभावना पर विचार करना चाहिये।
  - **सुंदरलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2017:** मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नाबालिग की गर्भावस्था को समाप्त करने की याचिका पर सुनवाई की। मुख्य निर्देश:

नोट :

- **नाबालिग के लिये माता-पिता की सहमति ही पर्याप्त है,** नाबालिग की सहमति की आवश्यकता नहीं है। गर्भपात का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है।
- चिकित्सकों की एक समिति को गर्भपात अनुरोध का मूल्यांकन करना चाहिये। गर्भपात के बाद, भ्रूण के **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid- DNA)** परीक्षण को कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 की भूमिका का विश्लेषण कीजिये। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान और उनका महत्त्व क्या हैं?

■■■

दृष्टि The Vision

भारतीय राजनीति

विधान में धन विधेयक के उपयोग की जाँच सर्वोच्च न्यायालय करेगा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत के मुख्य न्यायाधीश** (Chief Justice of India- CJI) ने **संसद** में विवादास्पद संशोधनों को पारित करने के लिये सरकार द्वारा **धन विधेयक** मार्ग के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की है।

- यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह **राज्यसभा** की अवहेलना तथा **संविधान के अनुच्छेद 110** के संभावित उल्लंघन से संबंधित है।

धन विधेयक के संबंध में चिंताएँ क्या हैं?

- **राज्यसभा को दरकिनार करना:** प्राथमिक चिंताओं में से एक यह है कि विवादास्पद संशोधनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने से सरकार को **राज्यसभा को दरकिनार करने का मौका मिल जाता है, जिससे संसद की द्विसदनीय प्रकृति कमज़ोर** होती है।
  - किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने से राज्यसभा को केवल उसमें परिवर्तन की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है तथा उसे **विधेयक को संशोधित करने या अस्वीकार करने का अधिकार नहीं** होता।
  - उच्च सदन के रूप में राज्यसभा कानून पर अतिरिक्त जाँच करती है। इसे दरकिनार करने से व्यापक बहस और निरीक्षण का अवसर कम हो जाता है।
- **अनुच्छेद 110 का उल्लंघन:** यह निर्दिष्ट करता है कि धन विधेयक क्या होता है। ऐसी चिंताएँ हैं कि **धन विधेयक के रूप में चिह्नित किये गए कुछ संशोधन इन प्रावधानों का सख्ती से पालन** नहीं करते हैं।
- **अध्यक्ष का प्रमाणन: संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष** को किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रामाणित करने का अधिकार है, यह निर्णय **न्यायिक समीक्षा** के अधीन नहीं है।
  - इससे इस शक्ति के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता उत्पन्न होती है, जिससे विधायी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का अवसर मिल जाता है।
- **चिंता को उजागर करने वाले विशिष्ट मामले:**
  - **आधार अधिनियम:** **आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ तथा सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016** को अनुच्छेद 110(1) के तहत धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसके कारण व्यापक विवाद हुआ।
    - वर्ष 2018 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने आधार कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा, जिसमें बहुमत से फैसला दिया गया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी और लाभ प्रदान करना था, जिसमें समेकित निधि से व्यय शामिल है तथा इसलिये इसे धन विधेयक के रूप में पारित करने के योग्य माना गया।
    - हालाँकि न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ (जो उस समय मुख्य न्यायाधीश नहीं थे) ने असहमति जताते हुए कहा कि इस मामले में धन विधेयक की राह अपनाना **"संवैधानिक प्रक्रिया का दुरुपयोग"** है।
  - **वित्त अधिनियम, 2017:** **वित्त अधिनियम, 2017** में कई अधिनियमों में संशोधन शामिल थे, जिनमें सरकार को न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में नियमों को अधिसूचित करने का अधिकार देना शामिल था।
    - कई याचिकाकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि वित्त अधिनियम, 2017 को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाना चाहिये, **क्योंकि इसमें ऐसे प्रावधान शामिल थे जिनका अनुच्छेद 110 में सूचीबद्ध विषयों से कोई संबंध नहीं था।**
    - वर्ष 2019 में **रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड** मामले में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने धन विधेयक पहलू को **सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ** को भेज दिया था।
  - **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) संशोधन:** वर्ष 2015 से धन विधेयक के रूप में पारित **PMLA** में संशोधनों ने प्रवर्तन निदेशालय को गिरफ्तारी और छापेमारी सहित व्यापक शक्तियाँ प्रदान कीं।
    - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन संशोधनों की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन यह सवाल कि क्या उन्हें धन विधेयक के रूप में पारित किया जाना चाहिये था, सात न्यायाधीशों की पीठ पर छोड़ दिया।
    - इन संशोधनों के माध्यम से दी गई व्यापक शक्तियों ने संभावित दुरुपयोग और विधायी जाँच को दरकिनार करने के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कीं।

वर्ष 2019 के फैसले के बाद के घटनाक्रम

- सात न्यायाधीशों वाली पीठ (जिसका उल्लेख पहले किया गया है) ने अभी तक वैध धन विधेयक की अवधारणा से जुड़े महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार नहीं किया है, जिसका प्रभाव आगामी विधानों पर पड़ेगा।
- न्यायालय ने **प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों और चुनावी कानूनों से संबंधित मामलों मे ं धन विधेयक के प्रश्न को हल करने से परहेज़ किया है** तथा बड़ी पीठ के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है।

धन विधेयकों के गलत वर्गीकरण के संभावित परिणाम क्या हैं?

- **कानूनी चुनौतियाँ:** विधेयकों को धन विधेयक के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत करने से लंबी कानूनी लड़ाई हो सकती है, जिससे विधायी प्रक्रिया में अनिश्चितता बढ़ सकती है।
- **विधायी उदाहरण:** यदि न्यायपालिका इसे बरकरार रखती है, तो धन विधेयक का अनुचित उपयोग भविष्य की सरकारों के लिये राज्यसभा को दरकिनार करने का एक उदाहरण स्थापित कर सकता है।
- **लोगों का विश्वास:** धन विधेयकों से संबंधित विवाद विधायी प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रियाओं की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म कर सकते हैं।
- **भारतीय लोकतंत्र पर व्यापक प्रभाव:**
  - धन विधेयकों के इर्द-गिर्द चल रही बहस और न्यायिक समीक्षा लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच **शक्ति संतुलन** बनाए रखने के महत्त्व को रेखांकित करती है।
  - यह सुनिश्चित करना कि महत्त्वपूर्ण कानून के पारित होने में पर्याप्त जाँच और बहस शामिल हो, विधायी पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - संवैधानिक प्ावधानों को बनाए रखना और उनका दुरुपयोग रोकना भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता के लिये आवश्यक है।

धन विधेयक क्या है?

- **परिचय:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी विधेयक में केवल विशिष्ट वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधान हों तो उसे धन विधेयक माना जाता है। इनमें शामिल हैं:
  - **कराधान संबंधी मामले:** किसी भी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन।
  - **उधार विनियमन:** केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन।
  - **निधियों की अभिरक्षा:** भारत की समेकित निधि (करों और उधार तथा ऋण के रूप में किये गए व्ययों के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व) या आकस्मिकता निधि (अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिये धन) का प्रबंधन।
  - **निधियों का विनियोजन:** समेकित निधि से धन का विनियोजन।
  - **व्यय घोषणा:** समेकित निधि पर लगाए गए किसी भी व्यय की घोषणा।
  - **धन प्राप्ति:** समेकित निधि या सार्वजनिक खातों से संबंधित धन की प्राप्ति।
  - **अन्य मामले:** उपरोक्त प्रावधानों से संबंधित कोई भी मामले।
- **लोकसभा अध्यक्ष का प्रमाणन:** किसी विधेयक को धन विधेयक मानने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यह निर्णय अंतिम होता है और इस पर किसी भी न्यायालय या संसद के किसी भी सदन द्वारा सवाल नहीं उठाया जा सकता है तथा न ही राष्ट्रपति द्वारा इसे चुनौती दी जा सकती है।
  - प्रमाणन के बाद **अध्यक्ष विधेयक को धन विधेयक के रूप में अनुमोदित करते हैं**, जब इसे सिफारिशों के लिये राज्यसभा को भेजा जाता है।
- **विधायी प्रक्रिया:** धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किये जा सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा अनुशंसित किये जाने होते हैं। उन्हें **सरकारी विधेयक** माना जाता है और उन्हें **केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है।**
  - लोकसभा में पारित होने के पश्चात् विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है, जिसके पास सीमित शक्तियाँ होती हैं, जैसे यह धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता है अपितु केवल अनुशंसाएँ कर सकता है और चाहे वह अनुशंसाएँ करे या नहीं **14 दिनों के भीतर** विधेयक को वापस भेजा जाना होता है।
  - लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि लोकसभा किसी अनुशंसा को स्वीकार करती है तो विधेयक को संशोधित रूप में पारित माना जाता है; यदि वह उन्हें अस्वीकार करती है, तो यह अपने मूल रूप में पारित होता है।
- **राष्ट्रपति की स्वीकृति:** जब धन विधेयक **राष्ट्रपति** के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वह या तो **स्वीकृति दे सकता है या उसे विधारित (रोकना) रख सकता है** किंतु पुनर्विचार के लिये वापस नहीं कर सकता।
  - प्राय: राष्ट्रपति धन विधेयकों को स्वीकृति दे देता है क्योंकि वे उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किये जाते हैं।

नोट: किसी विधेयक को केवल इस आधार पर धन विधेयक नहीं घोषित किया जा सकता क्योंकि इसमें जुर्माना या आर्थिक दंड अधिरोपित करना, लाइसेंस या सेवाओं के लिये शुल्क की मांग या भुगतान तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये कराधान शामिल है।

विधेयकों के प्रकार (TYPES OF BILLS)

साधारण विधेयक

- वित्तीय मामलों के अलावा अन्य मामलों से संबंधित

धन विधेयक

- वित्तीय मामलों से संबंधित जैसे:
  - करारोपण
  - सरकारी व्यय
  - संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनियमन
  - भारत की समेकित और आकस्मिक निधि

वित्त विधेयक

- वित्तीय मामलों से संबंधित लेकिन धन विधेयक से अलग:
  - वित्त विधेयक (I) -उदाहरण. - एक ऐसा बिल जिसमें उधार लेने संबंधी खंड होता है लेकिन यह विशेष रूप से उधार लेने से संबंधित नहीं होता है।
  - वित्त विधेयक (II) - भारत की संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान (धन विधेयक में वर्णित मामलों को छोड़कर)

संविधान संशोधन विधेयक

- संविधान के प्रावधानों में संशोधन से संबंधित

विधेयकों के प्रकार

विशेषताएँ	साधारण विधेयक	धन विधेयक	वित्त विधेयक (I)	वित्त विधेयक (II)	संविधान संशोधन विधेयक
अनुच्छेद	107, 108	110	117 (1)	117 (3)	368
जिन सदनों में पेश किया जा सकता है	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	केवल लोकसभा	केवल लोकसभा	लोकसभा और राज्यसभा दोनों	लोकसभा और राज्यसभा दोनों (लेकिन राज्य विधानमंडल नहीं)
जिन सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है	मंत्री या निजी सदस्य	केवल मंत्री	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य	मंत्री या निजी सदस्य
राष्ट्रपति की सिफारिश (सदन में विधेयक पेश करने के संदर्भ में)	आवश्यक नहीं	आवश्यक है	आवश्यक है	केवल विचार के लिये सिफारिश	आवश्यक नहीं
राज्यसभा द्वारा संशोधन/अस्वीकृति	किया जा सकता है	सिफारिश ही की जा सकती है (बाध्यकारी नहीं)	किया जा सकता है	किया जा सकता है	किया जा सकता है
गतिरोध के लिये संयुक्त बैठक	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है	कोई प्रावधान नहीं
राष्ट्रपति की भूमिका	अस्वीकार करना/स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है लेकिन पुनर्विचार के लिये वापस नहीं भेज सकता	अस्वीकार करना/स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना/पुनर्विचार के लिये वापस भेजना	स्वीकृति देना आवश्यक (अस्वीकार नहीं कर सकता/वापस नहीं भेज सकता)

Drishti IAS

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: प्रतिविरोधात्मक संशोधनों को पारित करने हेतु सरकार द्वारा उन्हें धन विधेयक के रूप में घोषित करने से जुड़ी चिंताओं का मूल्यांकन कीजिये। ये प्रावधान किस प्रकार विधायी जवाबदेहिता को सुनिश्चित या कमज़ोर करते हैं?

संसदीय लोकतंत्र में शैडो कैबिनेट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **विपक्ष के नेता (LoP)** और बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष ने ओडिशा विधानसभा के 50 बीजेडी **सदस्यों (विधायकों)** को शामिल करते हुए एक '**शैडो कैबिनेट**' का गठन किया है।

- यह घटनाक्रम राज्य में भारतीय जनता पार्टी की हालिया चुनावी सफलताओं के मद्देनज़र हुआ है, जो विधायी गतिशीलता (Legislative Dynamics) में महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

शैडो कैबिनेट क्या है?

- **परिचय:** शैडो कैबिनेट में विपक्षी विधायक/सांसद शामिल होते हैं, जो सरकार के मंत्रियों के विभागों को दर्शाते हैं। विपक्ष के नेता के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में **सत्तारूढ़ सरकार के कार्यों की निगरानी तथा आलोचना** करता है।
  - विश्व भर के संसदीय लोकतंत्रों में, शैडो कैबिनेट की अवधारणा शासन और विपक्ष की गतिशीलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - वेस्टमिंस्टर प्रणाली से उत्पन्न और यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूज़ीलैंड जैसे देशों में प्रमुख रूप से उपयोग की जाने वाली शैडो कैबिनेट की अवधारणा विपक्षी सांसदों को सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों की जाँच करने तथा उन्हें चुनौती देने के लिये एक संरचित ढाँचा प्रदान करती है।
- **लाभ:**
  - विशिष्ट मंत्रालयों की छाया में काम करके, सांसदों को **गहन ज्ञान और विशेषज्ञता** प्राप्त होती है, जिससे वे संसदीय परिचर्चाओं के दौरान सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से चुनौती दे पाते हैं।
  - यह विपक्षी सांसदों को नेतृत्व का अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जो उन्हें शैडो कैबिनेट में उनके प्रदर्शन के आधार पर **भविष्य में मंत्री की भूमिकाओं के लिये तैयार करता** है।
  - **कार्यकारी कार्यों की सुदृढ़ जाँच** सुनिश्चित करके और सार्वजनिक नीतियों पर सूचित परिचर्चाओं (Informed Debates) को बढ़ावा देकर संसदीय **लोकतंत्र को मज़बूत करता है।**
    - सरकारी नीतियों के लिये एक विश्वसनीय विकल्प प्रस्तुत करके, शैडो कैबिनेट यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयों पर पूर्ण परिचर्चा और जाँच की जाए, जिससे जल्दबाज़ी या मनमाने विधायी कार्यों को रोका जा सके।
- **चुनौतियाँ और आलोचनाएँ:**
  - भारत की बहुदलीय प्रणाली में, **अलग-अलग दलों की प्राथमिकताओं और विचारधाराओं** के कारण एकीकृत शैडो कैबिनेट का समन्वय करने से चुनौतियों का सामना करता है।
  - आलोचकों का तर्क है कि विशिष्ट मंत्रालयों पर ध्यान केंद्रित करने से सांसदों की शासन संबंधी मुद्दों की समग्र समझ सीमित हो सकती है। हालाँकि समर्थकों का यह भी कहना है कि **शैडो कैबिनेट में समय-समय पर फेरबदल करके इस चिंता को दूर किया जा सकता है।**
  - वैधानिक पद होने के बावजूद, विपक्ष के नेता की मान्यता और शैडो कैबिनेट का संस्थागतकरण अलग-अलग हो सकता है, जिससे विभिन्न संसदीय सत्रों में उनकी प्रभावशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **भारतीय लोकतंत्र के लिये संभावित निहितार्थ:**
  - सभी विधायी कार्रवाइयों पर गहन वाद-विवाद और उनका न्यायोचित होना सुनिश्चित करते हुए शैडो कैबिनेट को संस्थागत रूप देने से संसद के कामकाज का निगरानी तंत्र सुदृढ़ हो सकता है।
    - **नीतियों के लिये सुसंगत विकल्प** प्रस्तुत कर शैडो कैबिनेट **संसदीय कार्यवाही में जनता का विश्वास** बढ़ा सकता है और विपक्षी दल को शासन के विश्वसनीय विकल्प के रूप में प्रदर्शित कर सकता है।
  - **व्यक्तित्व-संचालित राजनीति से नीति-केंद्रित बहसों** की ओर बदलाव को प्रोत्साहित करते हुए, शैडो कैबिनेट शासन और सार्वजनिक नीति पर अधिक व्यापक चर्चा को बढ़ावा देता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:**
  - **यूनाइटेड किंगडम:** शैडो कैबिनेट को नेता प्रतिपक्ष (विपक्ष का नेता) द्वारा सरकार के मंत्रिमंडल को प्रतिबिंबित करने के लिये नियुक्त किया जाता है।
    - इसके अंतर्गत सत्तारूढ़ विपक्ष को एक वैकल्पिक सरकार के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रत्येक सदस्य अपनी पार्टी के एक विशिष्ट नीति क्षेत्र की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल में अपने समकक्ष से सवाल करता है तथा उन्हें चुनौती देता है।
  - **कनाडा:** यहाँ विपक्षी दल **शैडो कैबिनेट** का गठन करते हैं **जो कि विपक्षी दल के सांसदों का समूह होता है जिन्हें आलोचक कहा जाता है जो सत्तारूढ़ दल के कैबिनेट मंत्रियों के समान विशेषज्ञता के क्षेत्रों के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।**
    - उन्हें एक दूसरे की प्रतिबिंब के रूप में बैठाना यह स्मरण कराता है कि विपक्षी दल अगली बार सत्तारूढ़ दल का स्थान ले सकता है।

नोट :

भारत में शैडो कैबिनेट के साथ प्रयोग

- **महाराष्ट्र, 2005 भाजपा-शिवसेना शैडो कैबिनेट:**
  - इसे कॉन्ग्रेस-NCP सरकार के कामकाज की आलोचना करने हेतु गठित किया गया था।
  - **संरचना:** इसमें भाजपा और शिवसेना के प्रमुख विपक्षी नेताओं को शामिल किया गया जिन्होंने अपने संबंधित सरकारी मंत्रालयों के कामकाज की निगरानी की।
  - **प्रभाव:** इसनें राज्य विधानसभा में विपक्षी दल के कामकाज की संरचित जाँच और नीतिगत आलोचना प्रदान की।
- **मध्य प्रदेश, 2014 कॉन्ग्रेस शैडो कैबिनेट:**
  - **संरचना:** इसमें वरिष्ठ कॉन्ग्रेस नेताओं और विधायकों को शामिल किया गया जिन्होंने अपने संबंधित सरकारी मंत्रालयों के कामकाज की निगरानी की।
  - **परिणाम:** राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में विपक्ष की पारदर्शिता और जवाबदेहिता बढ़ी।
- **गोवा, 2015 NGO अध्यक्षता वाली शैडो कैबिनेट:**
  - यह जेन नेक्स्ट, एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा गठित किया गया था। आधिकारिक विपक्षी दल न होने के बावजूद भी उक्त NGO ने सत्तारूढ़ सरकार की नीतियों का विश्लेषण किया।
  - इसने शासन के मुद्दों की स्वतंत्र जाँच की और सार्वजनिक चर्चा की।
- **केरल, 2018 सिविल सोसायटी शैडो कैबिनेट:**
  - यह सत्तारूढ़ पक्ष की नीतियों की जाँच करने हेतु सिविल सोसायटी के सदस्यों की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसमें सामाजिक कार्यकर्त्ता और विशेषज्ञ शामिल थे, जो विपक्षी दल UDF से संबद्ध नहीं थे।
  - **प्रभाव:** इसने सरकारी नीतियों और पहलों पर महत्त्वपूर्ण विश्लेषण तथा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किये।

नोट: '**आंतरिक कैबिनेट**' या '**किचन कैबिनेट**' का तात्पर्य एक लघु अनौपचारिक समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री और दो से चार विश्वस्त सहयोगी शामिल होते हैं, जिन्हें सत्ता के वास्तविक केंद्र की संज्ञा दी जा सकती है।

आगे की राह

- **औपचारीकरण:** हालाँकि विधि द्वारा शैडो कैबिनेट का औपचारीकरण करना अनिवार्य नहीं है किंतु संसद अपने नियमों में संशोधन करके विपक्ष के नेता को **औपचारिक रूप से मान्यता** दे सकती है और उन्हें **शैडो कैबिनेट नियुक्त करने का अधिकार दे सकती है।**
  - इससे विपक्ष का दर्जा बढ़ेगा और संचालन के लिये एक रूपरेखा प्राप्त होगी।
  - दीर्घावधि में विपक्ष के नेता और शैडो कैबिनेट को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिये संविधान में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिये।
- **रिसर्च फंडिंग:** संसद विशेष रूप से शैडो कैबिनेट के लिये अनुसंधान कर्मचारियों और संसाधनों के लिये बजट आवंटित कर सकती है। इससे **उन्हें सरकारी नीतियों का अधिक प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने और सूचित विकल्प विकसित करने का अधिकार मिलेगा।**
- **छाया मंत्रियों का चयन:** विपक्ष के नेता को प्रासंगिक नीति क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता, अनुभव और योग्यता के आधार पर छाया मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होता है कि शैडो कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति शामिल हों जो सूचित और रचनात्मक आलोचना करने में सक्षम हों।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: छाया मंत्रिमंडल (Shadow Cabinet) की अवधारणा और संसदीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। यह सत्तारूढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के विकल्प के रूप में कैसे काम करता है?

निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक सरकार ने उद्योग जगत की आलोचना के बाद निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण अनिवार्य करने वाले **"उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों के कर्नाटक राज्य रोज़गार विधेयक, 2024" पर प्रतिबंध लगा दिया** है।

- सरकार ने अब राज्य विधानसभा में विधेयक को पुन: प्रस्तुत करने से पहले इसकी व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

हरियाणा में 10% अग्निवीर कोटा

- हाल ही में हरियाणा सरकार ने वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिये रोज़गार के अवसर प्रदान करने की घोषणा की है। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं-
  - कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और एसपीओ भर्तियों में 10% आरक्षण।
  - ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों के लिये आयु में छूट।
  - ग्रुप-सी में 5% और ग्रुप-बी की सीधी भर्तियों में 1% आरक्षण।

- अग्निवीरों को काम पर रखने वाली निजी फर्मों के लिये सब्सिडी।
- बिज़नेस स्टार्टअप के लिये ऋण ब्याज लाभ।
- अग्निवीरों के लिये शस्त्र लाइसेंस और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता।

कर्नाटक का निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये आरक्षण विधेयक क्या है?

- **आरक्षण नीति:** विधेयक कर्नाटक में निजी क्षेत्र की कंपनियों, उद्योगों और उद्यमों के भीतर गैर-प्रबंधन पदों **में 'स्थानीय उम्मीदवारों' के लिये 75% तथा प्रबंधन पदों पर 50% का पर्याप्त आरक्षण** अनिवार्य करता है।
- **'स्थानीय उम्मीदवार' की परिभाषा:** यह **"स्थानीय उम्मीदवारों"** को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित करता है जो राज्य में पैदा हुए हैं या कम-से-कम **15 वर्षों से** कर्नाटक में रह रहे हैं **एवं कन्नड़ बोलने, पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं।**
- **कार्य वर्गीकरण:** यह कार्यों **को प्रबंधन और गैर-प्रबंधन भूमिकाओं में वर्गीकृत करता है।**
  - **प्रबंधन भूमिकाओं** में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, तकनीकी, संचालनात्मक और प्रशासनिक पद शामिल होंगे।
  - **गैर-प्रबंधन भूमिकाओं** में आईटी-आईटीईएस सेक्टर में लिपिक, अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल पद शामिल होंगे।
- **कौशल विकास प्रावधान:** उद्योगों को स्थानीय उम्मीदवारों के लिये कौशल अंतर को दूर करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता होती है, योग्य स्थानीय उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में कार्यान्वयन के लिये 3 वर्ष की समय-सीमा होती है।
- **लचीले प्रावधान:** यह विशिष्ट परिस्थितियों में गैर-प्रबंधन पदों पर आरक्षण कोटा में कमी करके **50% तथा प्रबंधन पदों पर 25% करने का प्रावधान करता है।**

  नोट:
- **आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखंड** सहित कई राज्यों ने भी नौकरी में आरक्षण के लिये **मूल निवासियों से संबंधित विधेयक या विनियमन की घोषणा** की है।
- **आंध्र प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2019 में पारित जॉब कोटा बिल** में स्थानीय लोगों के लिये **तीन-चौथाई निजी नौकरियाँ भी आरक्षित** की गईं।

निवास-आधारित आरक्षण से संबंधित विधिक चुनौतियाँ क्या हैं?

- **समानता एवं सकारात्मक कार्रवाई में संतुलन:** निवास-आधारित आरक्षण भारत के संविधान के अंतर्गत एक विधिक चुनौती प्रस्तुत करता है।
  - अनुच्छेद 14 **कानून के समक्ष समानता** की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 15 **(धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध)** तथा अनुच्छेद 16 **(सार्वजनिक रोज़गार में अवसर की समानता)** गैर-निवासी उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना पिछड़े वर्गों को लाभ पहुँचाने के लिये विशेष प्रावधान की अनुमति प्रदान करते हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय:**
  - **डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ (1984) मामले में** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि स्थानीय उम्मीदवारों को कुछ वरीयता दी जा सकती है, लेकिन यह पूर्णतः नहीं होनी चाहिये और **गैर-स्थानीय उम्मीदवारों को पूरी तरह से इससे वंचित नहीं किया जाना चाहिये।**
    - सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार से **बी.एड सीटों में 75%** अधिवास कोटा की समीक्षा करने को कहा।
  - नवंबर 2023 में **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय** ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिये 75% आरक्षण अनिवार्य करने वाले हरियाणा के कानून को असंवैधानिक माना।
  - न्यायालय ने नागरिकों के बीच कृत्रिम विभाजन पैदा करने और अहस्तक्षेप सिद्धांतों को बाधित करने के लिये कानून की आलोचना की। इसके बाद, **हरियाणा सरकार** ने इस निर्णय के विरुद्ध **सर्वोच्च न्यायालय** में अपील की।
- **कोटे की सीमा:** इंद्रा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि कुल आरक्षण, जिसमें स्थानीय आरक्षण भी शामिल है, **उपलब्ध सीटों या पदों के 50% से अधिक नहीं होना चाहिये।** यह सीमा आरक्षण की सभी श्रेणियों पर लागू होती है, जैसा कि मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये आरक्षण को संबोधित करने वाले फैसले पर ज़ोर दिया गया है।

निजी क्षेत्र आरक्षण विधेयक के पक्ष में तर्क क्या हैं?

- **स्थानीय रोज़गार सृजन:** इस नीति का उद्देश्य **स्थानीय निवासियों के लिये रोज़गार के अवसर बढ़ाना, बेरोज़गारी को कम करना** तथा **यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक लाभ राज्य के भीतर ही बरकरार रहें।**
- **आर्थिक समता एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास:** इस नीति का उद्देश्य **राज्य के भीतर संसाधन वितरण** में असमानताओं को दूर करके आर्थिक समानता को बढ़ावा देना है।
  - इसके अतिरिक्त यह आर्थिक अवसरों को **केवल कुछ शहरी केंद्रों तक ही सीमित रखने** के बजाय विभिन्न क्षेत्रों में फैलाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास का समर्थन करता है।

- **कौशल विकास:** अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय कार्यबल के कौशल को बढ़ा सकते हैं, **जिससे वे अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकते हैं** तथा उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिये बेहतर ढंग से सक्षम हो सकते हैं।
- **सामाजिक स्थिरता:** स्थानीय लोगों को अधिक रोज़गार के अवसर प्रदान करने से उनमें अपनत्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा, **सामाजिक तनाव कम होगा तथा सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा।**
- **प्रतिभा प्रतिधारण:** यह नीति राज्य के भीतर कुशल व्यक्तियों संलग्न रखने, **प्रतिभा पलायन को रोकने** और उनकी विशेषज्ञता को स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है।
- **सांस्कृतिक संरक्षण: भाषा दक्षता की आवश्यकता स्थानीय भाषा और संस्कृति को संरक्षित तथा बढ़ावा देने में मदद करती है,** जिससे एक मज़बूत सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा मिलता है।

निजी क्षेत्र आरक्षण विधेयक के विरुद्ध तर्क क्या हैं?

- **व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा पर प्रभाव:** यह नीति कंपनियों की सर्वोत्तम प्रतिभाओं को नियुक्त करने की क्षमता को सीमित कर सकती है, जिससे उनकी **कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **कौशल की कमी:** स्थानीय कार्यबल में विशिष्ट भूमिकाओं के लिये आवश्यक कौशल का अभाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप **परिचालन अक्षमताएँ और प्रशिक्षण लागत में वृद्धि** हो सकती है।
- **निवेश निरोधक:** स्थानीय स्तर पर नियुक्ति संबंधी **प्रतिबंध घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों** को हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे राज्य के आर्थिक विकास तथा रोज़गार सृजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **विधिक एवं प्रशासनिक बोझ:** नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में कंपनियों को अतिरिक्त **विधिक एवं प्रशासनिक** लागत का सामना करना पड़ सकता है।
- **भेदभाव संबंधी चिंताएँ:** इस नीति की आलोचना इस आधार पर की गई है कि **इसमें गैर-स्थानीय उम्मीदवारों के प्रति भेदभाव किया गया है** तथा यह **समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन** करती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** अधिवास-आधारित आरक्षण व्यवसायों को रोककर और नौकरी के अवसरों को सीमित करके राज्य की आर्थिक वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
  - इसके अलावा, जिन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में आंतरिक प्रवास हो रहा है, वहाँ ऐसी नीतियाँ **राष्ट्रीय एकीकरण और आर्थिक गतिशीलता** में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं।
- **सामाजिक तनाव:** यह नीति **स्थानीय और गैर-स्थानीय निवासियों के बीच सामाजिक तनाव** को बढ़ा सकती है, **विभाजनकारी माहौल पैदा कर सकती है** तथा सामाजिक एकता को कमज़ोर कर सकती है।

आगे की राह

- आरक्षण नीति को इस तरह से लागू किया जा सकता है कि देश में जनशक्ति संसाधनों की मुक्त आवाजाही में बाधा न आए।
- राज्य में अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लिया गया कोई भी नीतिगत निर्णय भारत के संविधान के अनुपालन में हो और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न करे।

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न:** भारत में निजी रोज़गार में राज्य द्वारा लगाए गए अधिवास आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आकलन कीजिये।

CBI जाँच हेतु राज्यों की सहमति

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** को अब राज्य के अधिकारियों के खिलाफ कोई भी जाँच शुरू करने के लिये राज्य सरकार से लिखित सहमति की आवश्यकता होगी।

- यह कदम **कई राज्यों द्वारा CBI जाँच के लिये सामान्य सहमति** वापस लेने की पृष्ठभूमि में उठाया गया है, जिससे CBI की स्थिति, कार्य और शक्तियों को परिभाषित करने के लिये नए कानून की आवश्यकता के बारे में चर्चा हो रही है।

मध्य प्रदेश ने CBI जाँच के लिये पूर्व सहमति क्यों अनिवार्य की?

- यह निर्णय **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** में बदलावों और CBI के साथ हाल ही में हुए परामर्शों पर विचार करता है।
  - इसके अलावा **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17A** के तहत, एजेंसियों को सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जाँच करने के लिये अनुमति की आवश्यकता होती है।

- इसमें प्रावधान है कि PC अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किये गए किसी भी अपराध में पुलिस अधिकारी द्वारा **उचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई जाँच नहीं** की जाएगी।
- किसी भी अन्य अपराध के लिय सभी पिछली सामान्य सहमति और किसी भी अन्य अपराध के लिये राज्य सरकार द्वारा केस-दर-केस आधार पर दी गई कोई भी सहमति लागू रहेगी।
- मेघालय, मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल और पंजाब समेत कई राज्यों ने CBI जाँच के लिये सामान्य सहमति वापस ले ली है।
- **मध्य प्रदेश के निर्णय के निहितार्थ:**
  - लिखित सहमति की आवश्यकता राज्य के अधिकारियों के खिलाफ CBI जाँच शुरू करने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है।
  - इससे **राज्य सरकार और CBI दोनों पर प्रशासनिक बोझ** बढ़ सकता है, जिससे भ्रष्टाचार की जाँच की दक्षता प्रभावित हो सकती है।
  - यह निर्णय राज्यों द्वारा केंद्रीय जाँच एजेंसियों पर अधिक नियंत्रण रखने की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो भारत में **संघीय शासन की गतिशीलता** को प्रभावित करता है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:** संथानम समिति की भ्रष्टाचार निवारण समिति (1962-1964) की सिफारिशों के बाद, CBI की आधिकारिक स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
  - यह **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946** से अपनी जाँच शक्तियाँ प्राप्त करता है।
  - यह **कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है।
    - **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम** के तहत जाँच के संदर्भ में CBI की निगरानी **केंद्रीय सतर्कता आयोग** द्वारा की जाती है।
  - यह **इंटरपोल सदस्य देशों के साथ जाँच के समन्वय के लिये नोडल पुलिस एजेंसी के रूप में कार्य करता है।**
  - CBI का निदेशक **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना** (Delhi Special Police Establishment-DSPE) का **पुलिस महानिरीक्षक (IGP)** भी होता है जो संगठन के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- **CBI निदेशक की नियुक्ति:** प्रारंभ में DSPE अधिनियम, 1946 के तहत नियुक्ति की जाती थी। **विनीत नारायण मामले** में सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के बाद, वर्ष 2003 में इस प्रक्रिया को संशोधित किया गया।
  - वर्तमान व्यवस्था में, लोकपाल अधिनियम 2014 के तहत **प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश)** की एक समिति नियुक्ति की सिफारिश करती है।
  - निदेशक का कार्यकाल दो वर्ष का होता है जिसे **जनहित में पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।**
  - वर्ष 2021 में, **राष्ट्रपति** ने CBI और **प्रवर्तन निदेशालय** के निदेशकों के कार्यकाल को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने के लिये दो अध्यादेश जारी किये।
    - DSPE अधिनियम, 1946 में किये गए संशोधनों के अनुसार, CBI प्रमुख का कार्यकाल अब तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
- **CBI के अधिकार क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला विधिक ढाँचा:**
  - CBI **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946** के तहत कार्य करती है।
    - DSPE अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, **CBI अधिकारियों को केंद्रशासित प्रदेशों या रेलवे क्षेत्रों को छोड़कर किसी भी राज्य क्षेत्र में शक्तियों का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी।**
    - CBI का विधिक आधार **संघ सूची की प्रविष्टि 80** पर आधारित है, जो **अन्य राज्यों को** उनकी अनुमति से **पुलिस शक्तियों का विस्तार करने** की अनुमति देता है।
  - केंद्रशासित प्रदेशों के लिये एक बल होने के नाते CBI केवल राज्यों की सहमति से ही जाँच कर सकती है, जैसा कि **वर्ष 1970 में एडवांस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले** में निर्धारित किया गया था।
    - **सहमति या तो मामला-विशिष्ट या सामान्य हो सकती है।** सामान्य सहमति आमतौर पर राज्यों के अंदर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार की जाँच को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रदान की जाती है, क्योंकि **संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत** 'पुलिस' राज्य **सूची की प्रविष्टि 2 में है।**

- **प्राथमिक कार्य:**
  - **भ्रष्टाचार विरोधी अपराध:** सरकारी अधिकारियों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की जाँच करना।
  - **आर्थिक अपराध:** प्रमुख वित्तीय घोटाले, आर्थिक धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी, साइबर अपराध और नशीले पदार्थों, प्राचीन वस्तुओं और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी से निपटना।
  - **विशेष अपराध:** आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती हेतु अपहरण और माफिया से संबंधित गतिविधियों जैसे गंभीर एवं संगठित अपराधों की जाँच करना।
  - **स्वतः संज्ञान मामले:** इसके द्वारा केंद्रशासित प्रदेशों में और केंद्र सरकार के प्राधिकरण के संदर्भ में उनकी सहमति से राज्यों में जाँच शुरू की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी अपराधों की जाँच करने के लिये CBI को निर्देश दे सकते हैं।

भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023

BNS 2023 ने भारतीय दंड संहिता 1860 को प्रतिस्थापित किया, जिसमें 358 धाराओं (IPC की 511) को शामिल किया गया, IPC के अधिकांश प्रावधानों को बनाए रखा गया, नए अपराधों को पेश किया गया, न्यायालय द्वारा बाधित अपराधों को समाप्त किया गया और विभिन्न अपराधों के लिये दंड को बढ़ाया गया।

शामिल नवीन अपराध

- **विवाह का वादा:** विवाह करने के "झूठे/मिथक" वादे को अपराध घोषित करना
- **मॉब लिंचिंग:** मॉब लिंचिंग और हेट-क्राइम के कारण होने वाली हत्याओं से जुड़े अपराधों को संहिताबद्ध करना
- सामान्य आपराधिक कानून अब **संगठित अपराध** और **आतंकवाद** को कवर करता है, जिसमें UAPA की तुलना में BNS में आतंक का वित्तपोषण करना शामिल है।
- **आत्महत्या का प्रयास:** किसी भी लोक सेवक को आधिकारिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या मजबूर करने के आशय से आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध माना गया है।
- **सामुदायिक सेवा:** इसमें चिकित्सा सेवा/सामुदायिक सेवा को सज़ा के रूप में जोड़ा गया है।

विलोपन

- **अप्राकृतिक यौन अपराध:** IPC की धारा 377, जो अन्य "अप्राकृतिक" यौन गतिविधियों के बीच समलैंगिकता को अपराध मानती थी, पूरी तरह से निरस्त कर दी गई
- **व्यभिचार:** शीर्ष न्यायालय के फैसले के अनुरूप व्यभिचार का अपराध हटा दिया गया
- **ठग:** IPC की धारा 310 पूर्ण रूप से हटा दी गई
- **लैंगिक तटस्थता:** बच्चों से संबंधित कुछ कानूनों को लैंगिक तटस्थता लाने के लिये संशोधित किया गया है

अन्य संशोधन

- **फेक न्यूज़:** झूठी और भ्रामक जानकारी प्रकाशित करना अपराध है
- **राजद्रोह:** व्यापक परिभाषा देते हुए नए नाम 'देशद्रोह' के साथ पेश किया गया
- **अनिवार्य न्यूनतम सजा:** कई प्रावधानों में अनिवार्य न्यूनतम सजा निर्धारित की गई है, जो न्यायिक विवेक के दायरे को सीमित करती है
- **सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान:** श्रेणीबद्ध ज़ुर्माना लगाना (यानी क्षति की मात्रा के अनुरूप ज़ुर्माना)
- **लापरवाही से मौत:** लापरवाही से मौत की सजा को दो वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया (डॉक्टरों के लिये - 2 वर्ष की कैद)

प्रमुख मुद्दे

- **आपराधिक उत्तरदायित्व आयु विसंगति:** आपराधिक उत्तरदायित्व की आयु सात वर्ष बनी हुई है, आरोपी की परिपक्वता के आधार परइसे 12 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अनुशंसाओं के अनुरूप नहीं है।
- **बाल अपराध परिभाषाओं में विसंगतियाँ:** BNS2 एक बच्चे को 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। बच्चों के विरुद्ध कई अपराधों के लिये आयु सीमा भिन्न होती है, जिससे असंगतता की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC प्रावधानों को बरकरार रखना:** BNS2 ने बलात्कार और यौन उत्पीड़न पर IPC के प्रावधानों को बरकरार रखा है। यह न्यायमूर्ति वर्मा समिति (2013) की सिफारिशों पर विचार नहीं करता है जैसे कि बलात्कार के अपराध को लैंगिक तटस्थ बनाना और वैवाहिक बलात्कार को अपराध के रूप में शामिल करना।

Drishti IAS

कौन से मुद्दे CBI के लिये नए कानून की आवश्यकता को उजागर करते हैं?

- **स्पष्ट कानून की आवश्यकता:** वर्ष 2023 में एक संसदीय पैनल ने CBI की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु नए कानून की आवश्यकता पर बल दिया।
  - वर्तमान विधायी ढाँचा, सामान्य सहमति प्रदान करने में राज्यों की बढ़ती अनिच्छा के कारण CBI की जाँच करने की क्षमता को जटिल बना रहा है।
- **नियुक्तिकरण संबंधी समस्याएँ:** CBI में स्वीकृत पदों की संख्या 7,295 है, जबकि इस समय लगभग 1,700 पद रिक्त हैं। **कार्यकारी रैंक, विधि अधिकारी और तकनीकी अधिकारियों** के पदों पर रिक्तियों के कारण लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
  - इन रिक्तियों के कारण जाँच की गुणवत्ता और एजेंसी की समग्र प्रभावशीलता प्रभावित होती है।
- **CBI की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता:** CBI के पास दर्ज मामलों का विवरण, उनकी जाँच में प्रगति और परिणाम, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। CBI की वार्षिक रिपोर्ट भी आम जनता के लिये सुलभ नहीं है।
- **आलोचना:** CBI अभी भी **DPSE अधिनियम 1946** द्वारा निर्देशित है, जो इसकी जवाबदेही और स्वायत्तता में बाधा डालता है। इसकी आलोचना **राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने तथा अनुचित दबाव** के प्रति संवेदनशील होने के लिये की जाती रही है।
  - वर्ष 2013 में **गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने वैधानिक समर्थन की कमी के कारण CBI को असंवैधानिक माना था,** लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय पर रोक लगा दी। इसमें भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के उदाहरण भी सामने आए हैं।

आगे की राह

- वर्ष 2023 में एक संसदीय पैनल ने CBI की स्थिति, कार्य और शक्तियों **को परिभाषित करने और इसकी कार्यप्रणाली में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये एक नया कानून बनाने** की सिफारिश की थी। यह सिफारिश राज्यों द्वारा सामान्य सहमति प्रदान करने में बढ़ती अनिच्छा के जवाब में आई थी, जिससे CBI की जाँच करने की क्षमता जटिल हो गई थी।
  - इस तरह के कानून से विभिन्न राज्यों में CBI के कार्य निष्पादन में आने वाली अस्पष्टताओं और चुनौतियों का समाधान हो सकेगा।
- इस पैनल ने सिफारिश की है कि **CBI के निदेशक** को तिमाही आधार पर रिक्तियों को भरने की प्रगति की निगरानी करनी चाहिये। CBI को **प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता कम करनी चाहिये** और अधिक स्थायी कर्मचारियों, विशेषकर पुलिस निरीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक के पदों के लिये, भर्ती करनी चाहिये।
- CBI को अपनी वेबसाइट पर **केस के आँकड़े और वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी** चाहिये। सूचना तक पहुँच प्रदान करने से CBI की कार्यप्रणाली अधिक जवाबदेह, ज़िम्मेदार, कुशल और पारदर्शी बनेगी।
- इस पैनल ने सुझाव दिया कि CBI के पास एक **केंद्रीकृत केस प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिये,** जिसमें केस का विवरण और प्रगति शामिल हो। सिस्टम को केस की प्रगति पर नज़र रखने की अनुमति देनी चाहिये तथा यह आम जनता हेतु सुलभ होनी चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थिति, कार्यों और शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिये नए कानून की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये।

भील प्रदेश की मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **राजस्थान और पड़ोसी राज्यों** में एक **अलग भील राज्य ("भील प्रदेश") की मांग** को बल मिला है।

भील कौन हैं और उनकी क्या मांगें हैं?

- **परिचय:**
  - भीलों को **भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक माना जाता है** और उन्हें **पश्चिम भारत की द्रविड़ जनजाति** के रूप में पहचाना जाता है, जो **ऑस्ट्रेलॉयड जनजाति समूह** से संबंधित है।
    - ये **मुंडा और** भारत की एक अन्य **वन्य जनजाति का मिश्रण** हैं जो **द्रविड़ मूल की भाषा (भीली)** बोलते हैं।
    - राजस्थान, गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों पर कभी उनका शासन हुआ करता था।
    - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार **पूरे देश में 1.7 करोड़ भील हैं।**
  - इनकी सर्वाधिक संख्या (लगभग 60 लाख) **मध्य प्रदेश** में है, इसके बाद **गुजरात** में 42 लाख, **राजस्थान** में 41 लाख तथा **महाराष्ट्र** में 26 लाख है।
    - **भील हिंदू धर्म से संबंधित हैं।** भगवान शिव और दुर्गा की पूजा के अलावा वे वन देवताओं की भी पूजा करते हैं।

नोट :

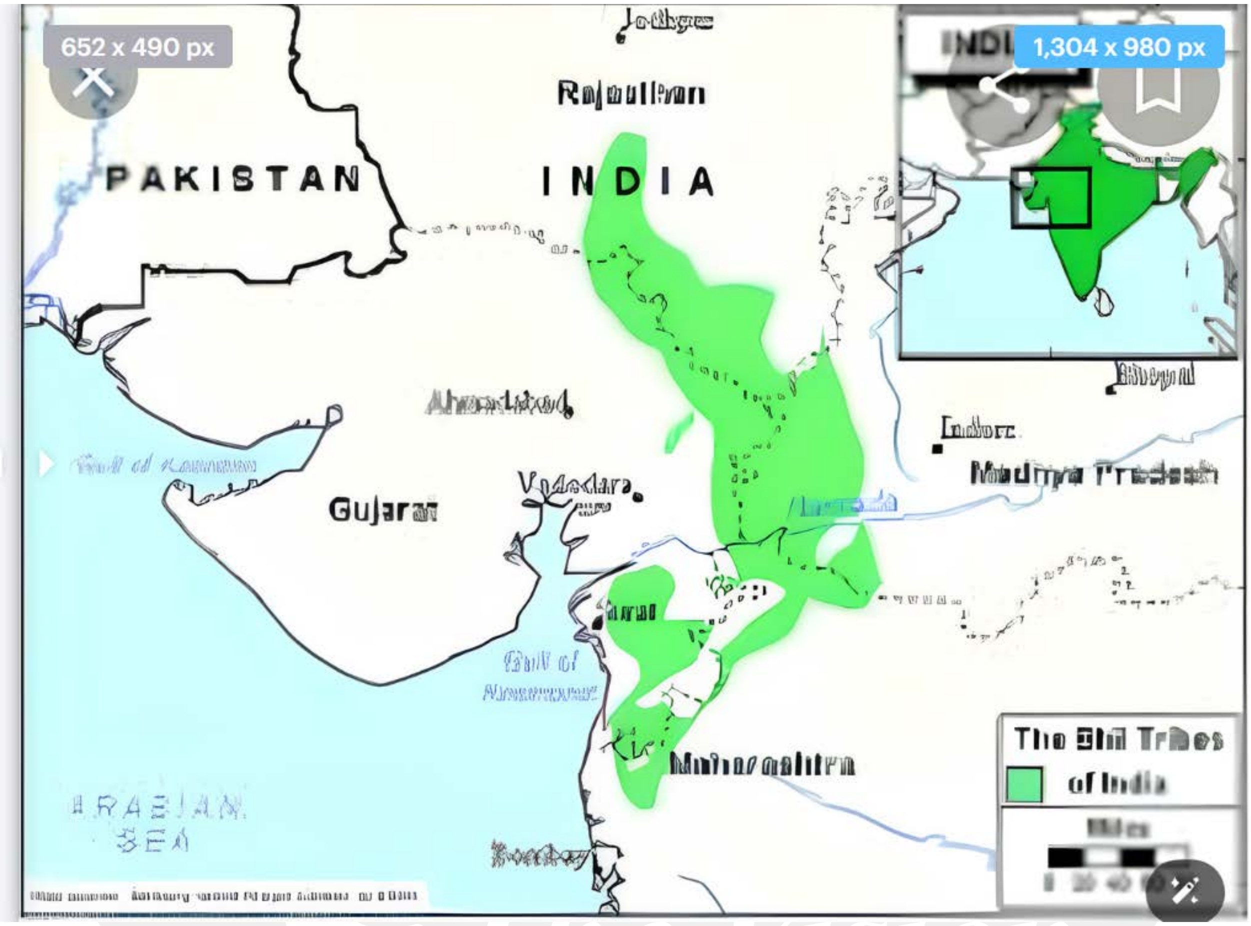

- **भील प्रदेश की मांग:**
  - **भील प्रदेश की मांग वर्ष 1913 में शुरू हुई थी,** जब एक **जनजातीय कार्यकर्त्ता और समाज सुधारक** गोविंद गिरी बंजारा ने मानगढ़ हिल पर एक जनसभा के दौरान पहली बार एक अलग भील राज्य की मांग की थी।
    - इसके बाद **एक दुखद नरसंहार हुआ** जिसमें ब्रिटिश सेना ने करीब 1,500 जनजातीय लोगो की हत्या कर दी थी।
    - दशकों से विभिन्न जनजातीय नेताओं (जिनमें राजनीतिक हस्तियाँ भी शामिल हैं) ने समय-समय पर इस मांग को फिर से उठाया है।
    - प्रस्तावित भील प्रदेश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित चार समीपवर्ती राज्यों के 49 ज़िले शामिल होंगे। इसमें राजस्थान के 12 ज़िले शामिल होंगे।
- **मांग के कारण:**
  - **सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता:** भील समुदाय की **भाषा भीली है** और चारों राज्यों में **सांस्कृतिक प्रथाएँ एक जैसी** हैं। समर्थकों का तर्क है कि एक अलग राज्य उनकी सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित कर सकेगा और बढ़ावा देगा।
    - फज़ल अली आयोग ने भी **भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता** को नए राज्यों के गठन के कारकों में से एक माना था।
  - **भौगोलिक दृष्टिकोण:** प्रस्तावित भील प्रदेश में **इन चार राज्यों के 49 ज़िले शामिल होंगे।** इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध वर्तमान राज्य की सीमाओं से परे हैं।
  - **राजनीतिक रूप से हाशिये पर होना:** जनजातीय नेताओं का दावा है कि मौजूदा राजनीतिक संरचनाएँ **भील समुदाय की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं** को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रही हैं।
    - पृथक राज्य को अधिक केंद्रित शासन और विकास सुनिश्चित करने के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।
  - **विकासात्मक फोकस:** समर्थकों का मानना है कि पृथक राज्य से **विकास नीतियों को अधिक अनुकूल बनाया जा सकेगा** जिससे **जनजातीय कल्याण के लिये संसाधनों का बेहतर उपयोग** संभव होगा।

नोट :

  - पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 जैसे कानूनों की ऐतिहासिक उपेक्षा और धीमा/मंद क्रियान्वयन, अधिक स्थानीयकृत शासन की आवश्यकता पर बल देता है।
- **मांग की आलोचना:**
  - आलोचकों का तर्क है कि जाति या समुदाय के आधार पर राज्य के गठन से और अधिक **विखंडन और अस्थिरता उत्पन्न** हो सकती है।
    - **फज़ल अली आयोग** का मानना था कि देश की राजनीतिक इकाइयों के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को प्राथमिक पहलू माना जाना चाहिये।
  - इसके अलावा स्थापित **राजनीतिक दलों की ओर से भी प्रतिरोध है,** जिनके लिये यथास्थिति बनाए रखना एक जटिल मुद्दा है।
  - विरोधियों का तर्क है कि जनजातीय पहचान के आधार पर राज्य के गठन से **सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है।**

अलग राज्य की मांग करने वाले अन्य क्षेत्र कौन से हैं?

- **विदर्भ:** इसमें पूर्वी महाराष्ट्र के **अमरावती और नागपुर संभाग** शामिल हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत नागपुर को राजधानी बनाकर विदर्भ राज्य के गठन की सिफारिश की गई थी।
  - हालाँकि, महाराष्ट्र राज्य में शामिल होने के बाद विदर्भ के लोगों में उपेक्षा के भय को कम करने के लिये **नागपुर को दूसरी राजधानी के रूप में नामित किया गया था।**
  - लगातार **राज्य सरकारों की उपेक्षा** के कारण इस **क्षेत्र का पिछड़ापन, एक अलग राज्य के रूप में** विदर्भ की **मांग के आधार** के रूप में उचित ठहराया जाता है।

- **बोडोलैंड:** बोडो **उत्तरी असम में सबसे बड़ा जातीय और भाषाई समुदाय है।** अलग बोडोलैंड राज्य के गठन के लिये आंदोलन के परिणामस्वरूप वर्ष 2003 में भारत सरकार, असम राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स फोर्स के बीच समझौता हुआ।
  - इस समझौते के अनुसार बोडो लोगों को बोडोलैंड का दर्जा दिया गया।
- **इसके साथ ही** अलग राज्यों की **मांग गोरखालैंड, कुकीलैंड और मिथिला आदि** सहित **अन्य क्षेत्रों से भी उठती रही है।**

नवीन राज्यों के गठन के कारण क्या मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं?

- विभिन्न राज्यों के कारण **प्रमुख समुदाय/जाति/जनजाति** का अपनी सत्ता संरचनाओं पर आधिपत्य हो सकता है।
- इससे उप-क्षेत्रों के बीच **अंतर-क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न हो सकती है।**
- नये राज्यों के गठन से कुछ **नकारात्मक राजनीतिक परिणाम भी सामने आ सकते हैं,** जैसे विधायकों का एक छोटा समूह अपनी इच्छानुसार सरकार बना सकता है या विघटन कर सकता है।
- **इससे अंतर-राज्यीय जल,** विद्युत और सीमा विवाद बढ़ने की भी **संभावना है।** उदाहरण के लिये, **दिल्ली और हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद का होना।**
- राज्यों के विभाजन के क्रम में **नई राजधानियों के गठन** और बड़ी संख्या में राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों तथा प्रशासकों को बनाए रखने **के लिये भारी धनराशि की आवश्यकता** होगी, जैसा कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के विभाजन के मामले में भी हुआ।
- **छोटे राज्यों के गठन के बाद केवल पुरानी राजधानी/प्रशासनिक केंद्र से नई राजधानी में सत्ता का हस्तांतरण होता है** और इससे ग्राम पंचायत, ज़िला कलेक्टर आदि जैसी मौजूदा संस्थाओं के साथ पिछड़े क्षेत्रों का विकास एवं सशक्तीकरण होना सुनिश्चित नहीं होता है।

आगे की राह:

- **क्षेत्रवाद की चुनौतियों से निपटने के लिये** राष्ट्रीय एकता परिषद को सुदृढ़ किया जा सकता है।
  - मौजूदा कानूनों और नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने तथा **क्षेत्रीय चिंताओं के समाधान के लिये** आवश्यक संशोधनों का प्रस्ताव करने हेतु एक उच्चस्तरीय आयोग का भी गठन किया जा सकता है।
- 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को मज़बूत आधार प्रदान किया। क्षमता निर्माण, वित्तीय सशक्तीकरण और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से इन संस्थाओं को मज़बूत करना अधिक प्रभावी हो सकता है।

नोट :

- **वित्त आयोग** की सिफारिशों को न्यायसंगत वितरण के लिये बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रदर्शन-आधारित बजट जैसे कुशल संसाधन उपयोग के तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
- तेलंगाना के गठन के बाद उसे प्रदान किये गए विशेष पैकेज के समान तथा विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक विशेष पैकेज तैयार किया जा सकता है।
    - प्रति व्यक्ति आय, बुनियादी ढाँचा सूचकांक और मानव विकास संकेतक जैसे आर्थिक मापदंडों का उपयोग, योग्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिये किया जा सकता है।
- **नीति आयोग का आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है।** राज्य का दर्जा मांगने वाले क्षेत्रों के लिये भी इसी तरह के कार्यक्रम शुरू किये जा सकते हैं।
    - **अंतर-राज्यीय परिषद,** केंद्र-राज्य संवाद हेतु एक मंच प्रदान करती है। क्षेत्रीय स्तर पर भी इसी तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है।
- **राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष और साहित्य अकादमी** जैसी पहल सांस्कृतिक संरक्षण का समर्थन करती हैं। भाषा संवर्द्धन और सांस्कृतिक उत्सवों सहित क्षेत्र-विशिष्ट कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है।

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न: भारत में नए राज्यों के गठन की बढ़ती मांगों का विश्लेषण कीजिये। संघवाद पर इन मांगों के निहितार्थों पर चर्चा कीजिये।**

नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **प्रधानमंत्री** की अध्यक्षता में **नीति आयोग** की 9वीं शासी परिषद की बैठक में 20 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं को "**विकसित भारत @2047**" थीम पर चर्चा करने के लिये बुलाया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत के विकास हेतु एक रूपरेखा स्थापित करना है।

बैठक के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- **30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का विज़न/दृष्टिकोण:** भारत का लक्ष्य वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के **GDP** लक्ष्य के साथ **विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।** यह महत्त्वाकांक्षा देश के **सतत् आर्थिक विकास, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा** पर ध्यान केंद्रित करने को उजागर करती है।
- **वर्ष 2047 हेतु राज्य का दृष्टिकोण:** बैठक में **प्रत्येक राज्य और ज़िले को** विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ **संरेखित करते हुए वर्ष 2047** के लिये अपना दृष्टिकोण तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।
    - राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि **विकसित भारत के लिये विकसित राज्य महत्त्वपूर्ण हैं।**
- **शून्य गरीबी लक्ष्य:** बैठक से एक महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि व्यक्तिगत स्तर पर **गरीबी** उन्मूलन पर ज़ोर दिया गया। '**शून्य गरीबी**' वाले गाँवों की अवधारणा पर चर्चा की गई जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर से **समग्र विकास** करना है।
- **बुनियादी ढाँचा और निवेश:** प्रधानमंत्री ने निवेश आकर्षित करने के लिये **बुनियादी ढाँचे, कानून और व्यवस्था तथा सुशासन के** महत्त्व पर ज़ोर दिया।
    - राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने वाले मापदंडों के माध्यम से निगरानी करते हुए, **निवेशक-अनुकूल वातावरण बनाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु एक 'निवेश-अनुकूल चार्टर'** प्रस्तावित किया गया।
- **शिक्षा और कौशल विकास: युवाओं को रोज़गार के लिये तैयार करने हेतु उनके कौशल पर ज़ोर दिया गया,** जिससे वैश्विक कुशल संसाधन केंद्र के रूप में भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाया जा सके।
- **कृषि उत्पादकता और प्राकृतिक कृषि: उत्पादकता बढ़ाने, कृषि में विविधता लाने तथा प्राकृतिक कृषि** पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई, ताकि मृदा उर्वरता में सुधार हो, लागत कम हो और वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच बनाई जा सके।
- **जीवन की सुगमता/ईज़ ऑफ लिविंग: मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन** की सिफारिशों पर विचार किया गया, जिसमें **पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा और भूमि/संपत्ति प्रबंधन** जैसे 5 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
    - प्रधानमंत्री ने राज्यों को भविष्य में बढ़ती जनसंख्या की समस्या से निपटने हेतु **जनसांख्यिकी प्रबंधन योजनाएँ** शुरू करने के लिये प्रोत्साहित किया।
    - प्रधानमंत्री ने राज्यों से सभी **स्तरों पर सरकारी अधिकारियों की क्षमता निर्माण का कार्य करने को कहा** तथा इसके लिये उन्हें **क्षमता निर्माण आयोग** के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया।
    - प्रधानमंत्री ने जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिये राज्य स्तर पर **नदी ग्रिडों के निर्माण** को प्रोत्साहित किया।

नोट :

- **शासन में साइबर सुरक्षा और AI:** शासन में प्रौद्योगिकी का एकीकरण, **साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान और कुशल शासन हेतु AI का लाभ उठाने** को भविष्य की तत्परता के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया गया।

नोट:

- **'जीवन की सुगमता' की व्यापक थीम के तहत,** मुख्य सचिवों के **तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पाँच प्रमुख विषयों पर अनुशंसाएँ** की गईं:
  - **पेयजल:** पहुँच, मात्रा और गुणवत्ता
  - **विद्युत:** गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता
  - **स्वास्थ्य:** सुगम्यता, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता
  - **स्कूली शिक्षा:** पहुँच और गुणवत्ता
  - **भूमि और संपत्ति:** सुगम्यता, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन

नीति आयोग की शासी परिषद क्या है?

- **परिचय:**
  - शासी परिषद एक प्रमुख निकाय है जिसका **कार्य विकास को आकार देने में** राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं** और रणनीतियों का **साझा दृष्टिकोण विकसित करना है।**
  - सहकारी संघवाद **के उद्देश्यों** को मूर्त रूप देने वाली शासी परिषद, राष्ट्रीय विकास एजेंडे के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिये अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रस्तुत करती है।
- **सदस्य:**
  - भारत के प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  - मुख्यमंत्री (विधानसभा वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश)
  - अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
  - पदेन सदस्य
  - नीति आयोग के उपाध्यक्ष
  - नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य
  - विशेष आमंत्रित सदस्य
- **कार्य:**
  - **शासी परिषद सचिवालय (GCS)** शासी परिषद की बैठकों का समन्वय करता है।
    - यह नीति आयोग के सभी **कार्यक्षेत्रों,** प्रभागों और इकाइयों **की गतिविधियों का समन्वय भी करता है।**
  - GCS संसद में परिचालन के लिये नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित मामलों के समन्वय हेतु नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है।
  - यह प्रभाग संसदीय प्रश्नों, स्थायी समिति के मामलों, RTI प्रश्नों, GCS से संबंधित केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralised Public Grievance Redressal and Monitoring System- CPGRAMS) शिकायतों को भी संभालता है।

नीति आयोग क्या है?

- **परिचय:**
  - योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए **'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' की परिकल्पना** के लिये **'बॉटम-अप' दृष्टिकोण** पर ज़ोर दिया गया था।
  - **इसमें दो हब हैं:**
    - **टीम इंडिया हब-** यह राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का कार्य करता है।
    - **ज्ञान और नवोन्मेष हब-** यह नीति आयोग के थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है।
- **पहल:**
  - SDG इंडिया इंडेक्स
  - समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
  - अटल नवाचार मिशन
  - SATH प्रोजेक्ट
  - आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम
  - स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
  - ज़िला अस्पताल सूचकांक
  - स्वास्थ्य सूचकांक
  - कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक
  - भारत नवाचार सूचकांक
  - वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स
  - सुशासन सूचकांक

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में नीति आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर शासन की गुणवत्ता बढ़ाने में किस प्रकार योगदान दिया है?

■■■

नोट :

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में लाइटहाउस पर्यटन को प्रोत्साहन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने केरल के विझिनजाम में **दीप स्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय** (Directorate General of Lighthouses and Lightships) द्वारा आयोजित हितधारकों की बैठक के दौरान भारत में मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV) 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 के तहत लाइटहाउस पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की।

लाइटहाउस क्या है?

- **परिचय:** लाइटहाउस/दीपस्तंभ एक प्रकार का टावर, इमारत या अन्य प्रकार की संरचना है जिसे **लैंप और लेंस की प्रणाली** से **प्रकाश उत्सर्जित** करने के लिये डिज़ाइन किया गया है तथा इनका उपयोग **नाविकों एवं स्थानीय मछुआरों** हेतु नौचालन सहायता के रूप में किया जाता है। लाइटहाउस खतरनाक समुद्री तटों, परिसंकटमय रेतिले क्षेत्र, चट्टानों आदि को चिह्नित करने के साथ-साथ बंदरगाहों में सुरक्षित प्रवेश भी उपलब्ध कराते हैं।
  - वर्तमान में भारत के जलीय क्षेत्र के समुद्री तट और द्वीपों पर अब तक 194 **दीपस्तंभों** की स्थापना और **रखरखाव** का कार्य किया जा रहा है।
- **ऐतिहासिक भूमिका:**
  - **पौराणिक संबंध:** 'मनु' को बाढ़ से बचाए जाने संबंधी कथाएँ समुद्र और नौवहन के संबंध में भारत के प्रारंभिक ज्ञान को उजागर करती है।
  - ***7वीं शताब्दी*** ई. में, **पल्लव राजा नरसिंहवर्मन-I** ने जहाज़ों के नौचालन हेतु लकड़ी की आग का उपयोग करते हुए ***मामल्लपुरम (महाबलीपुरम)*** में एक लाइटहाउस की स्थापना की।
    - यह लाइटहाउस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, शोर मंदिर परिसर के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है।

महत्त्वपूर्ण आधुनिक लाइटहाउस:

लाइटहाउस	विवरण	इमेज
तांगसेरी लाइटहाउस, कोल्लम, केरल	यह केरल में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित **सबसे ऊँचा लाइटहाउस** है। इसे सफेद और लाल रंग से रंगा गया है जो इसे आकर्षक बनाता है।	
महाबलीपुरम लाइटहाउस, तमिलनाडु	यह **औपनिवेशिक काल का प्राचीन लाइटहाउस** है जो पल्लव वंश के महेंद्र पल्लव द्वारा बनवाए गए प्राचीन लाइटहाउस के समीप स्थित है। हालाँकि यह क्रियाशील नहीं है किंतु पर्यटक के लिये खुला है।	

कौप बीच लाइटहाउस, उडुपी, कर्नाटक	मूलत: इसका निर्माण वर्ष 1901 में अंग्रेज़ों ने किया था और विगत कुछ वर्षों में इसमें कई सुधार किये गए हैं जिसमें विभिन्न लाइटिंग उपकरण संस्थापित किये गए।	
विझिनजाम लाइटहाउस, कोवलम, केरल	वर्ष 1925 में कोलाचल में एक लाइट बीकन स्थापित किया गया था और उसके पश्चात् 1960 में विझिनजाम में एक डे मार्क बीकन प्रदान किया गया। एक प्रमुख लाइटहाउस निर्माण वर्ष 1972 में पूरा हुआ था। यह भारत के प्राचीनतम और सबसे अद्भुत लाइटहाउस में से एक है।	
अगुआड़ा किला लाइटहाउस, गोवा	यह **पुर्तगाली** द्वारा निर्मित एक सुव्यवस्थित रूप से संरक्षित संरचना है जो गोवा में स्थित प्रमुख स्थलों में से एक। यहाँ से समुद्र का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है जो इसे पर्यटकों के लिये एक महत्त्वपूर्ण स्थल बनाता है।	
चंद्रभागा, ओडिशा	यह लाइटहाउस **कोणार्क मंदिर** के समीप स्थित है सुपर साइक्लोन (1999), फैलिन (2013) और फानी (2019) जैसे भीषण चक्रवातों का सामना किया है।	

टिप्पणी: तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, **टॉलेमी द्वितीय ने प्राचीन दुनिया के सात अजूबों में से एक, अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध फारोस (अलेक्जेंड्रिया का लाइटहाउस)** का निर्माण करवाया था।

- उच्च गुणवत्ता वाले केदान पत्थर की ईंटों से बना यह टॉवर पिघले हुए सीसे में जड़ा हुआ था, जिसे 1600 वर्षों तक संचालित किया गया था। 13वीं शताब्दी ईस्वी में, एक भयंकर भूकंप के कारण यह क्षतिग्रस्त हो गया।

भारत में आधुनिक लाइटहाउस की क्या भूमिका है?

- आधुनिक लाइटहाउस जहाज़ों का दिशा प्रदर्शित करने, बंदरगाहों को चिह्नित करने और सिग्नल भेजने में सहायता करते हैं, जो **जीपीएस तकनीक** के लिये मूल्यवान आधार के रूप में काम करते हैं।

- वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद, **तटीय निगरानी के लिये लाइटहाउसों को अत्याधुनिक राडार से लैस किया गया** था।
- भारत सरकार ने मछुआरों और लाइटहाउस के बीच संचार की सुविधा के लिये स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) की स्थापना की।
- नेविगेशन के लिये **समुद्री सहायता अधिनियम 2021** का उद्देश्य लाइटहाउस के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य में वृद्धि करना है।
- **गोवा में इंडियन लाइटहाउस फेस्टिवल जैसे आयोजन** इन संरचनाओं की विरासत और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। कई लाइटहाउस अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं, जो ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि और आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

आधुनिक नौवहन सहायक उपकरण

- **लाइट वेसल्स (Light Vessels):** ऐसी परिस्थितियों में जहाँ लाइटहाउस बनाना संभव नहीं होता, इन फ़्लोटिंग लाइट वेसल्स का इस्तेमाल अलग-अलग उथले जल या जल के नीचे के खतरों की पहचान करने के लिये किया जाता है। वे रोशनी और ऑप्टिकल उपकरणों का उपयोग करके जहाज़ के झुकाव को रोकती है।
- **प्लव (Buoys):** प्लव नाविकों को नेविगेशनल दिशाएँ प्रदान करते हैं। आरंभ में एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हुए, वे अब सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक लाइट पर काम करते हैं।
- **एम. एफ. रेडियो बीकन (M.F Radio Beacons):** वर्ष 1955-60 के बीच स्थापित, इन्हें समुद्री स्थिति में बेहतर सटीकता के लिये डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- **रैकन्स (Racons):** ये रडार ट्रांसपोंडर बीकन जहाज़ के रडार को एक विशिष्ट कूट सिग्नल भेजते हैं, जो रेंज, दिशा और पहचान संबंधी डेटा प्रदान करते हैं।

भारत में लाइटहाउस पर्यटन को बढ़ावा देने के क्या लाभ हैं?

- **सांस्कृतिक विरासत:** लाइटहाउस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करते हैं, जिससे वे शैक्षणिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, साथ ही गोवा के ऐतिहासिक किले अगुआड़ा में आयोजित **भारत का प्रथम लाइटहाउस महोत्सव "भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव"** जैसे कार्यक्रम भारत की समृद्ध समुद्री विरासत का उत्सव मनाते हैं, जो ऐतिहासिक लाइटहाउस के प्रति जागरूकता तथा प्रशंसा को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें पूर्व में वृहद् स्तर पर नज़रअंदाज़ किया गया है।
  - नौवहन के लिये **नौचालन के लिये सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021** के तहत, कुछ प्रकाशस्तंभों को विरासत स्थल के रूप में नामित किया जा सकता है, जिससे उनकी भूमिका नौवहन सहायता से आगे बढ़कर सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्देश्यों तक विस्तारित हो जाएगी।
  - लाइटहाउस विजिट करने से व्यापार, विजय और यात्रा में **उनकी सदियों पुरानी भूमिका की झलक मिलती है।** लाइटहाउस समुद्र के किनारे सूर्यास्त का आनंद लेने और समुद्री इतिहास के बारे में जानने के लिये अद्वितीय सुविधाजनक स्थान प्रदान करते हैं।
- **आर्थिक विकास:** लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय ने पर्यटन विकास में संभावित निवेश के लिये 75 लाइटहाउस की पहचान की है, जो आस-पास के क्षेत्रों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।
  - यह पहल सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से निवेश क्षमता पर प्रकाश डालती है, जिससे निजी संस्थाओं को इन स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
  - पर्यटन बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, जिससे स्थानीय विक्रेताओं, रेस्तरां और सेवा प्रदाताओं को लाभ होगा।
- **पर्यावरण जागरूकता:** विरासत लाइटहाउस पर ध्यान पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देता है,जो पर्यटकों को आकर्षित करते हुए तटीय वातावरण की रक्षा कर सकते हैं।
  - इस पहल का उद्देश्य लाइटहाउस को बहुआयामी पर्यटन स्थलों में बदलना है, जो पारंपरिक सागरीय तट पर्यटन से परे विविध अनुभव प्रदान करते हैं।

लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय

- बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत लाइटहाउस तथा लाइटशिप महानिदेशालय, भारतीय तट के साथ **समुद्री नेविगेशन में सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय नोएडा में है,** क्षेत्रीय मुख्यालय 9 ज़िलों (गांधीधाम, जामनगर, मुंबई, गोवा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर) में है।
- इसका उद्देश्य लाइटहाउस, हल्के जहाज़ों, प्लव (Buoys) और बीकन जैसे दृश्य सहायता के साथ-साथ डीजीपीएस तथा रैकन्स(RACONs) जैसे रेडियो सहायता के माध्यम से **भारतीय जल में सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करना है।**
- निदेशालय इंटरैक्टिव नेविगेशन नियंत्रण के लिये पोत यातायात सेवाएँ भी प्रदान करता है। यह लाइटहाउस अधिनियम 1927 के

अनुसार समुद्री नेविगेशन के लिये सामान्य सहायता बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार है, जबकि स्थानीय सहायता समुद्री राज्य सरकार संगठनों द्वारा बनाए रखी जाती है।

- **निदेशालय स्थानीय लाइटों के रखरखाव के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करता है**, साथ ही यदि वित्तीय बाधाओं या तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं किया जाता है तो निदेशालय रखरखाव की ज़िम्मेदारी ले सकता है।

मैरीटाइम इंडिया विज़न (MIV), 2030 क्या है?

- मैरीटाइम इंडिया विज़न, 2030 (जिसे **नवंबर, 2020 में मैरीटाइम इंडिया समिट** में प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था) भारत में समुद्री क्षेत्र से संबंधित दस वर्ष की रणनीति है। इसका उद्देश्य जलमार्ग, जहाज़ निर्माण उद्योग और क्रूज पर्यटन को उन्नत बनाना है।
- मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के तहत वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की स्थिति को मज़बूत बनाने के क्रम में आवश्यक विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसके द्वारा **सागरमाला पहल** का स्थान लिया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत में जलमार्गों को बढ़ावा देना तथा क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।
    - MIV 2030 के तहत 4 प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेपों की पहचान की गई है: **ब्राउनफील्ड क्षमता में वृद्धि, विश्व स्तरीय मेगा पोर्ट विकसित करना, दक्षिण भारत में ट्रांसशिपमेंट हब का विकास करना और बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना।**
    - भारत का लक्ष्य **अगले 5 से 10 वर्षों में विश्व निर्यात में 5% हिस्सेदारी हासिल करना** है, जिसके लिये निर्यात में उचित वृद्धि की आवश्यकता है। इसे प्राप्त करने के लिये भारतीय बंदरगाहों के संदर्भ में **ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)** में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके तहत प्रमुख
        - 200 से अधिक बंदरगाहों की कनेक्टिविटी परियोजनाओं, मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी अपनाने, परिवहन समय में कमी, लागत में कमी, तटीय शिपिंग को बढ़ावा देना और पोर्टलैंड औद्योगिकीकरण के माध्यम से **लॉजिस्टिक दक्षता एवं लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना।**
    - MIV 2030 का उद्देश्य **शासन तंत्र में सुधार करना**, मौजूदा कानूनों में संशोधन करना, **समुद्री एवं तटरक्षक एजेंसी (MCA)** को मज़बूत करना तथा समुद्री क्षेत्र में सतत् विकास का समर्थन करने हेतु PPP अपनाना और राजकोषीय सहायता एवं वित्तीय अनुकूलन को बढ़ावा देना शामिल है।
    - भारत का लक्ष्य शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनना है। वर्तमान में **विश्व के नाविकों में 10-12% की भागीदारी** वाले भारत को फिलीपींस जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।
        - इस क्षेत्र के तहत मुख्य हस्तक्षेपों में अनुसंधान तथा नवाचार को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में सुधार करना और नाविकों तथा बंदरगाह क्षमता के विकास हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना शामिल है।
    - भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा का 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना है और इस क्रम में **भारत में सुरक्षित, कुशल एवं टिकाऊ बंदरगाहों हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लक्ष्यों के साथ समन्वित होने की आवश्यकता है।**
        - MIV 2030 के तहत सुरक्षित, धारणीय एवं हरित बंदरगाहों में अग्रणी के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिये प्रमुख हस्तक्षेपों की पहचान की गई है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, वायु उत्सर्जन को कम करना, जल उपयोग को अनुकूलित करना, अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना, **शून्य दुर्घटना सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करना तथा एक केंद्रीकृत निगरानी प्रणाली की स्थापना करना शामिल** है हस्तक्षेपों में **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (समुद्री)** का निर्माण करना, समुद्री हितधारकों से संबंधित प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करना, डिजिटल-आधारित स्मार्ट बंदरगाहों का निर्माण करना तथा प्रणालीगत-संचालित दृष्टिकोणों के माध्यम से बंदरगाह के प्रदर्शन की निगरानी करना शामिल है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में लाइटहाउस के ऐतिहासिक महत्त्व को बताते हुए समुद्री नौवहन में उसकी भूमिका पर चर्चा कीजिये। लाइटहाउस पर्यटन को बढ़ावा देने से इस विरासत को संरक्षित करने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान मिल सकता है?

जलवायु अनुकूल कृषि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील ज़िलों में स्थित 50,000 गाँवों में **जलवायु-अनुकूल कृषि** (Climate Resilient Agriculture- CRA)) को बढ़ावा देने के लिये एक रूपरेखा का अनावरण करने की योजना बना रही है।

जलवायु अनुकूल कृषि (CRA) क्या है?

- **परिचय:**
  - खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO)) के अनुसार, जलवायु अनुकूल कृषि को **"जलवायु और चरम मौसम में परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाने तथा उसके लिये तैयारी करने, साथ ही उसके अनुकूल होने, उसे आत्मसात करने एवं उससे उबरने की कृषि प्रणाली की क्षमता"** के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
  - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) की एक नेटवर्क परियोजना, जलवायु-अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (**National Innovations on Climate Resilient Agriculture- NICRA**) ने कृषि और किसानों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया।
  - अध्ययनों से संकेत मिलता है कि अनुकूलन उपायों की अनुपस्थिति में, जलवायु परिवर्तन अनुमानों से वर्ष **2020-2039 की अवधि** के लिये सिंचित चावल की पैदावार में 3%, वर्षा आधारित चावल की पैदावार में 7 से 28%, गेहूँ की पैदावार में 3.2-5.3%, मक्का की पैदावार में 9-10% की कमी आने की संभावना है और सोयाबीन की पैदावार में 2.5-5.5% की वृद्धि होने की संभावना है।
  - सूखे जैसी चरम घटनाएँ खाद्य और पोषक तत्त्वों की खपत को प्रभावित करती हैं, गरीबी को बढ़ाती हैं, पलायन को बढ़ावा देती हैं, ऋणग्रस्तता बढ़ाती हैं तथा किसानों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने की क्षमता को कम करती हैं।
- **CRA पद्धति:**
  - **कृषि वानिकी:** कृषि वानिकी में फसलों के साथ-साथ पौधों की खेती भी शामिल है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार, मृदा अपरदन में कमी तथा जैवविविधता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
    - यह पद्धति **मृदा में नमी बनाए रखने में मदद करती है** तथा किसानों को अनेक लाभ प्रदान करती है।
  - **मृदा एवं जल संरक्षण: कंटूर बंडिंग, कृषि तालाब और चेक डैम** जैसी तकनीकें मृदा में नमी बनाए रखने, मृदा अपरदन को कम करने तथा भू-जल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।
    - ये पद्धतियाँ किसानों को **सूखे और जल की कमी से निपटने** में भी मदद कर सकती हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण लगातार बढ़ती जा रही हैं।
  - **सतत् कृषि:** फसल विविधीकरण, जैविक कृषि और **एकीकृत कीट प्रबंधन जैसी पद्धतियाँ** रासायनिक इनपुट के उपयोग को कम करने तथा मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करती हैं।
    - इन पद्धति से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आती है तथा किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा में सुधार होता है।
  - **पशुधन प्रबंधन: पशुधन प्रबंधन** पद्धतियाँ, जैसे **स्टाल-फीडिंग और मिश्रित फसल,** पशुधन प्रणालियों की उत्पादकता तथा लचीलेपन में सुधार कर सकती हैं।
    - इन प्रथाओं से **प्राकृतिक संसाधनों जैसे चरागाह भूमि पर दबाव भी कम** होता है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण दुर्लभ होते जा रहे हैं।

जलवायु अनुकूल कृषि हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

- सरकार जलवायु-अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार (NAPCC) का क्रियान्वयन कर रही है, जो देश में जलवायु कार्रवाई के लिये **नीतिगत ढाँचा** प्रदान करती है।
- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture- NMSA) NAPCC के अंतर्गत भारतीय कृषि को अधिक लचीला बनाने के लिये चलाए जा रहे मिशनों में से एक है।
  - NMSA को तीन प्रमुख घटकों अर्थात् **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (Rainfed Area Development- RAD), खेत जल प्रबंधन** (On Farm Water Management- OFWM) और **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (Soil Health Management- SHM)** के लिये अनुमोदित किया गया था।
  - इसके बाद चार नए कार्यक्रम शुरू किये गए, जिनके नाम हैं **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (SHC), परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER) और प्रति बूंद अधिक फसल।**
  - इसके अतिरिक्त पुनर्गठित राष्ट्रीय बाँस मिशन (**National Bamboo Mission- NBM**) अप्रैल 2018 में शुरू किया गया।

- **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** ने जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2011 में **राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (National Innovations in Climate Resilient Agriculture- NICRA)** नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की।
    - यह एक **बहु-क्षेत्रीय, बहु-स्थानीय कार्यक्रम** है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और परिवर्तनीयता को संबोधित करना तथा समग्र देश में हितधारकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है।
    - कृषि और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई पहलुओं पर नीतिगत जानकारी प्रदान करने के अतिरिक्त **अनुसंधान, प्रदर्शन तथा क्षमता निर्माण इसके तीन प्रमुख घटक** हैं।
    - जलवायु अनुकूल कृषि पर ICAR की प्रमुख उपलब्धियों में 1888 **जलवायु उपयुक्त फसल किस्मों** का विकास, 650 ज़िलों के लिये ज़िला कृषि आकस्मिकता योजनाओं (District Agriculture Contingency Plans- DACP) का विकास आदि शामिल हैं।
- सरकार ने लघु भू-धारकों सहित किसानों को जलवायु संबंधी जोखिमों से बचाने के लिये वर्ष 2016 के खरीफ सीज़न से **उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)** के सहित **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS)** की शुरुआत की है।
    - इस योजना का उद्देश्य अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं, मौसम की प्रतिकूल घटनाओं के कारण फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को **वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि क्षेत्र में सतत् उत्पादन को बढ़ावा देना** है ताकि किसानों की आय में स्थिरता लाई जा सके।

कृषि से संबंधित अन्य पहल

- **राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF)**
- **मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट रीज़न (MOVCDNER)**
- **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन**
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)**
- **कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF)**
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**
- **एग्रीस्टैक**
- **डिजिटल कृषि मिशन**
- **एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)**
- **कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)**
- **प्रधानमंत्री 'नमो ड्रोन दीदी' योजना**

जलवायु अनुकूल कृषि से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **विकासशील देश** जलवायु जोखिमों के प्रति **अधिक संवेदनशील** हैं क्योंकि वे प्रमुख रूप से कृषि पर निर्भर हैं तथा जोखिम प्रबंधन के लिये आवश्यक प्रौद्योगिकियों का अभाव है। उदाहरण हेतु भारत में **65% जनसंख्या** कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है।
    - **जोखिमों को कम करने और अनुकूलन उपायों** के अभाव के कारण ये गरीब किसान निम्न आय, उच्च ऋण तथा गरीबी के चक्र से उबर नहीं पाते हैं।
- वर्तमान में MSP व्यवस्था कुछ फसलों पर केंद्रित है जिसमें **अन्य फसलों के लिये पर्याप्त सहायता नहीं दी जाती है** जिसके परिणामस्वरूप फसलों का विविधीकरण कम होता है।
- विशेष रूप से **उत्तरी भारत में भू-जल पर अत्यधिक निर्भरता** से सतत् कृषि के क्षेत्र में किये गए प्रयासों की प्रभावशीलता कम होती है।
- कृषि क्षेत्र का देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 14% योगदान है और **सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों** के उपयोग से नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
- **भारत की कृषि उत्पादकता** अन्य प्रमुख उत्पादकों की तुलना में **अपेक्षाकृत कम है,** जहाँ प्रति हेक्टेयर **चावल की औसत उपज लगभग 2.5 टन** है जबकि चीन में प्रति हेक्टेयर औसतन लगभग 6.5 टन है।
- जलवायु परिवर्तन नीति का सबसे चुनौतीपूर्ण राजनीतिक पहलू **ग्राम पंचायतों** या स्थानीय स्वशासी निकायों **द्वारा अपर्याप्त मान्यता** है, जिसके कारण ज़मीनी स्तर पर नीतिगत पहल का अभाव है।

आगे की राह

- विकासशील देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को तकनीकी उन्नति, मौसम विज्ञान और डेटा विज्ञान जैसे **एकीकृत दृष्टिकोणों** के माध्यम से कम किया जा सकता है।
    - जलवायु और मौसम संबंधी घटनाओं से किसानों की रक्षा के लिये **राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (NICRA)** योजना को **सभी जोखिम-संवेदनशील गाँवों** में लागू किया जाना चाहिये।
- **फसलों के विविधीकरण** की आवश्यकता है जो कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाएगी।

- फसल विविधता **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करने, **मृदा की उर्वरता** बढ़ाने, कीटों को नियंत्रित करने और उपज स्थिरता लाने में भी मदद करती है।

- **ड्रिप सिंचाई** के दायरे में न केवल उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों अपितु अन्य फसलों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- सरकार को भू-जल निष्कर्षण के संदर्भ में बिजली सब्सिडी पर सावधानीपूर्वक पुनर्विचार करना चाहिये, क्योंकि भू-जल स्तर में कमी आने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है।
    - सिंचाई कार्यक्रम को अनुकूलित करने, जल को संरक्षित करने तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने वाले उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिये।
- चूँकि **जैविक खेती** में **ग्रीनहाउस गैसों** को कम करने की क्षमता होती है, इसलिये संबंधित मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिये।
    - जैविक खेती में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग प्रतिबंधित होने से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है।
- **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)** के बुनियादी ढाँचे के साथ तकनीकी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। उन्हें **स्थानीय भाषाओं** में जानकारी प्रदान करने के लिये तकनीकी नवाचारों का उपयोग करना चाहिये। ये परिवर्तन मौजूदा KVK को नया रूप देने के साथ उन्हें जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिये सुसज्जित करेंगे।
- **जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को अपनाने और उनका प्रसार** करने के क्रम में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इन फसलों में **तापमान तथा वर्षा के उतार-चढ़ाव के प्रति सहनशीलता** अधिक होने के साथ जल और पोषक तत्त्वों का अनुकूल उपयोग सुनिश्चित होगा।
    - **कृषि नीति के तहत फसल उत्पादकता में सुधार को प्राथमिकता देने** के साथ जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिमों से निपटने हेतु सुरक्षा संजाल तैयार किया जाना चाहिये।
- जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रशासन द्वारा किये गए प्रयासों से तब वांछित परिणाम नहीं मिल सकते हैं **जब तक कि स्थानीय शासन को कृषि नीति-निर्माण में शामिल नहीं** किया जाता है।
    - चूँकि पंचायतें कई सरकारी योजनाओं से धन प्राप्त कर सकती हैं, इसलिये इस संदर्भ में जागरूकता लाभप्रद होगी।
    - जलवायु के प्रति सर्वोत्तम अनुकूलनीय पद्धतियों को अपनाने वाले गाँवों हेतु **राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर रैंकिंग प्रणाली शुरू करने** से ऐसी पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहन मिल सकता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को बताते हुए इन चुनौतियों के समाधान हेतु उपाय बताइए?

चाइना प्लस वन

चर्चा में क्यों?

भारत के पास **चाइना प्लस वन** रणनीति का लाभ उठाने तथा वैश्विक विनिर्माण के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने का अवसर है।

- हालाँकि चीन के निर्यात की स्थिति सुदृढ़ बनी हुई है किंतु भारत का वृहद् घरेलू बाज़ार, कम श्रम लागत और विकास की संभावना इसे चीन का एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

चाइना+1 रणनीति क्या है?

- **परिचय:**
    - यह कंपनियों की **वैश्विक प्रवृत्ति** को संदर्भित करता है जिसमें कंपनियाँ **चीन के अतिरिक्त** अन्य देशों में अपने परिचालन इकाई स्थापित कर अपने विनिर्माण और आपूर्ति शृंखलाओं का विस्तार करते हैं।
    - इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला व्यवधानों को दृष्टिगत रखते हुए **किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता के कारण होने वाले जोखिमों को कम करना** है।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में चीन का प्रभुत्व:**
    - विगत कुछ दशकों से चीन वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का केंद्र रहा है जिससे इसे **"वर्ल्ड्स फैक्ट्री"** की संज्ञा दी जाती है। यह उत्पादन के अनुकूल कारकों और सुदृढ़ व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के कारण संभव हुआ है।
- **1990 के दशक में चीन की ओर रुख:**
    - 1990 के दशक में **अमेरिका और यूरोप की** बड़ी **विनिर्माण इकाइयों** ने कम विनिर्माण लागत तथा **वृहद् घरेलू बाज़ार तक पहुँच के कारण** चीन में अपना उत्पादन करना शुरू किया।
- **महामारी के दौरान व्यवधान:**
    - **कोविड-19** महामारी से कई अर्थव्यवस्थाओं में गंभीर व्यवधान उत्पन्न हुए। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समय के साथ महामारी से उबरने के पश्चात् मांग में अचानक वृद्धि हुई। हालाँकि **चीन की ज़ीरो-कोविड नीति** के परिणामस्वरूप औद्योगिक लॉकडाउन जारी रहा जिससे **आपूर्ति शृंखला** और कंटेनर की उपलब्धता **प्रभावित** हुई।

- **चाइना+1 रणनीति की उत्पत्ति:**
  - चीन की ज़ीरो-कोविड नीति, आपूर्ति शृंखला व्यवधान, माल ढुलाई की उच्च दरों और लीड हेतु लंबे समयावधि सहित कई कारकों के परिणामस्वरूप कई वैश्विक कंपनियों को **"चाइना-प्लस-वन" रणनीति** अपनाने के लिये प्रेरित किया।
    - इसमें **एशिया** के **भारत, वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और मलेशिया** जैसे **अन्य विकासशील देशों** में कंपनियों द्वारा अपनी आपूर्ति शृंखला निर्भरता में विविधता लाने के उद्देश्य से **वैकल्पिक विनिर्माण इकाइयों की स्थापना** करना शामिल है।

भारत के लिये विदेशी निवेश आकर्षित कर पाने की क्या संभावनाएँ हैं?

- **जनसांख्यिकीय लाभ और उपभोग शक्ति:**
  - विश्व बैंक के आँकड़ों के अनुसार, **वर्ष 2023 में भारत की 28.4% जनसंख्या की आयु 30 वर्ष से कम** है जबकि चीन में यह आँकड़ा 20.4% का है, जो कार्यबल और उपभोक्ता बाज़ार को आगे बढ़ा रही है। इससे उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलता है, जिससे भारत एक संभावित मल्टी-ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक कंपनियों के लिये आकर्षक बाज़ार के रूप में स्थापित होता है।
- **लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता और बुनियादी ढाँचे का लाभ:**
  - वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्द्धी देशों की तुलना में भारत की कम श्रम और पूंजी लागत इसके उत्पादन क्षेत्र को अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती है।
    - डेलॉयट द्वारा वर्ष 2023 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार भारत का **औसत विनिर्माण वेतन चीन की तुलना में 47% कम** है।
  - इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के माध्यम से सरकार द्वारा बुनियादी ढाँचे में किये गए महत्त्वपूर्ण निवेश का उद्देश्य **विनिर्माण लागत को कम करना और रसद में 20% सुधार करना** है, जिससे भारत के प्रति कंपनियाँ अधिक आकृष्ट होंगी।
- **व्यावसायिक वातावरण और नीतिगत पहल:**
  - उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) **योजना, कर सुधार** और **एफडीआई मानदंडों में ढील** जैसे हालिया नीतिगत हस्तक्षेपों ने अनुकूल व्यावसायिक परिवेश तैयार किया है।
  - मेक इन इंडिया पहल और व्यवसाय को सुगम बनाने के प्रयासों से **विदेशी निवेश** आकर्षित हो रहा है।
- **डिजिटल कौशल और तकनीकी बढ़त:**
  - **जनवरी 2024** तक भारत में 870 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं, जो इसकी **आबादी का 61%** है। इसके साथ ही **गूगल और फेसबुक** जैसी वैश्विक तकनीकी दिग्गजों तक पहुँच, **जो चीन में उपलब्ध नहीं है**, भारतीय युवाओं को डिजिटल लाभ देती है।
- **रणनीतिक आर्थिक साझेदारी:**
  - संयुक्त अरब अमीरात के साथ **CEPA व्यापार समझौते** जैसी पहलों के माध्यम से उप-क्षेत्रीय साझेदारी और चीन के प्रभाव नियंत्रण पर भारत का ध्यान, उसके रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
  - इस विविधीकरण से 5 वर्षों के **भीतर द्विपक्षीय व्यापार में 200% की वृद्धि होने** की उम्मीद है, जिससे घरेलू हितों की रक्षा करते हुए नए बाज़ारों तक पहुँच सुनिश्चित होगी।
- **गतिशील कूटनीति और वैश्विक प्रभाव:**
  - QUAD और I2U2 जैसे समूहों में भारत की सक्रिय भागीदारी साथ ही प्रमुख देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते, इसके आर्थिक संबंधों को मज़बूत करते हैं तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वित्त एवं बाज़ार पहुँच के द्वार खोलते हैं।
  - चूँकि भारत G20 और SCO में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है, इसलिये वह वैश्विक व्यापार प्रवृत्तियों को आकार देने के लिये अपनी स्थिति का लाभ उठा सकता है।
- **बड़ा घरेलू बाज़ार:**
  - भारत का **1.3 अरब लोगों का बड़े घरेलू बाज़ार, जिसकी आय में वृद्धि हो** रही है, चीन के लिये एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करता है।
  - भारत की **प्रति व्यक्ति** GDP वर्ष 2018 और 2023 के बीच औसतन **6.9%** बढ़ी है, जिससे एक **बड़ा उपभोक्ता आधार** तैयार हुआ है जो निरंतर आर्थिक विकास तथा बढ़े हुए वैश्विक व्यापार के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करता है।

भारत में चीन+1 रणनीति से कौन-से क्षेत्र लाभांवित होंगे?

- **सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ (IT/ITeS):** वर्ष 2024 NASSCOM रिपोर्ट में भारत को IT सेवाओं के निर्यात में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे "मेक इन इंडिया" जैसी पहलों से बल मिला है, जिसका उद्देश्य देश को IT हार्डवेयर के लिये विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस प्रयास ने प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्मों को आकर्षित किया है।

- **फार्मास्यूटिकल्स:** भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग, जिसका मूल्य वर्ष 2024 में **3.5 लाख करोड़ रुपए** होगा और यह मात्रा के हिसाब से विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा उद्योग** होगा।
  - भारत **"विश्व की फार्मेसी"** के रूप में उभरा है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की लगभग 70% वैक्सीन आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है तथा **अमेरिका की तुलना में 33% कम विनिर्माण** लागत प्रदान करता है।
- **धातु और इस्पात:** भारत के समृद्ध प्राकृतिक संसाधन और विशेष इस्पात के लिये PLI योजना से **वर्ष 2029 तक 40,000 करोड़ रुपए** के निवेश आकर्षित करने की उम्मीद है, इसे एक प्रमुख इस्पात निर्यातक के रूप में स्थापित करती है। चीन द्वारा निर्यात छूट वापस लेने तथा प्रसंस्कृत इस्पात उत्पादों पर शुल्क लगाने से भारत का आकर्षण बढ़ता है।

C+1 परिदृश्य में भारत का प्रदर्शन कैसा है?

- **आयात वृद्धि:**
  - विश्लेषित देशों में पश्चिमी देशों से भारत के आयात में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जिसकी वर्ष 2014 से 2023 तक **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate- CAGR)** 6.3% रही है।
  - **वियतनाम और थाईलैंड** ने भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है, जहाँ अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूरोपीय संघ के आयात में CAGR 12.4% रहा है।

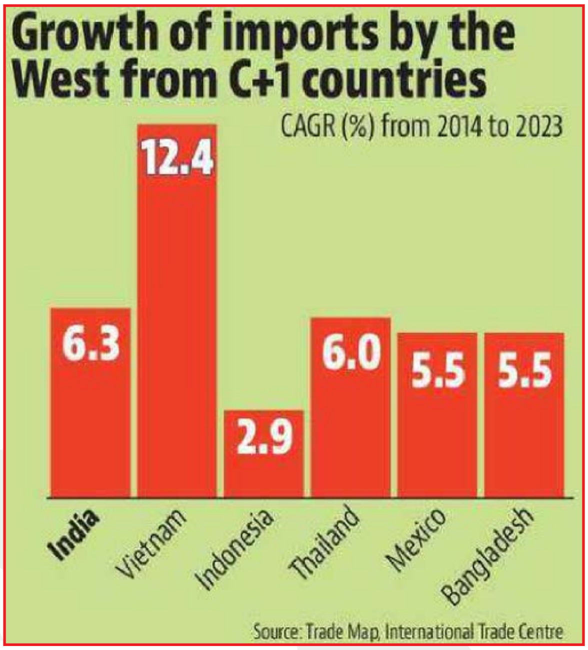

- **व्यावसायिक धारणा:**
  - प्रचुर संसाधन और रणनीतिक योजना होने के बावजूद, **भारत को चीन से स्थानांतरित होने वाले व्यवसायों के बीच सकारात्मक प्रभाव पैदा** करने में संघर्ष करना पड़ा है।
  - **वियतनाम और थाईलैंड अधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरे हैं।**

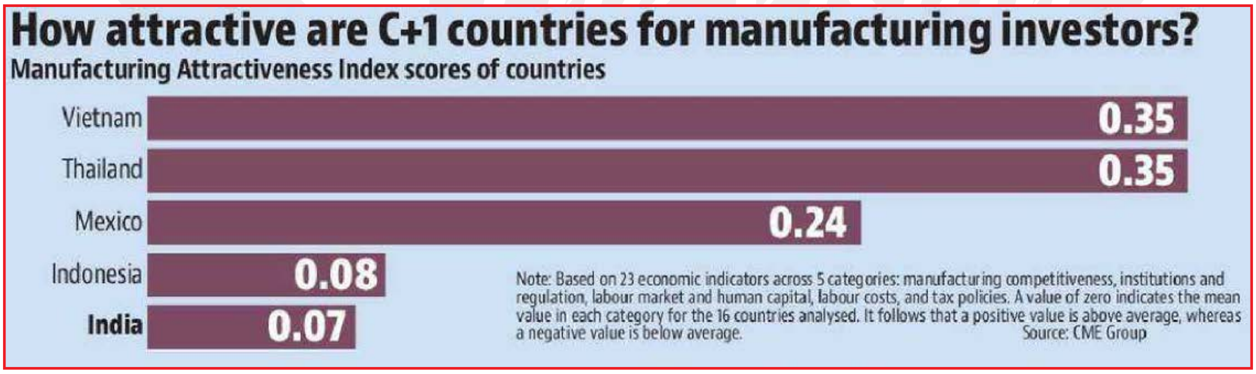

- **टैरिफ दरें:**
  - **भारत में गैर-कृषि उत्पादों के** लिये औसतन 14.7% की उच्च टैरिफ दरों ने पश्चिमी निवेशकों को हतोत्साहित किया है। विश्लेषण किये गए देशों में यह सबसे अधिक है।
    - भारत में रिवर्स शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure), जिसमें आयातित कच्चे माल पर कर, अंतिम उत्पादों पर कर से अधिक है, **भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम करता है।**

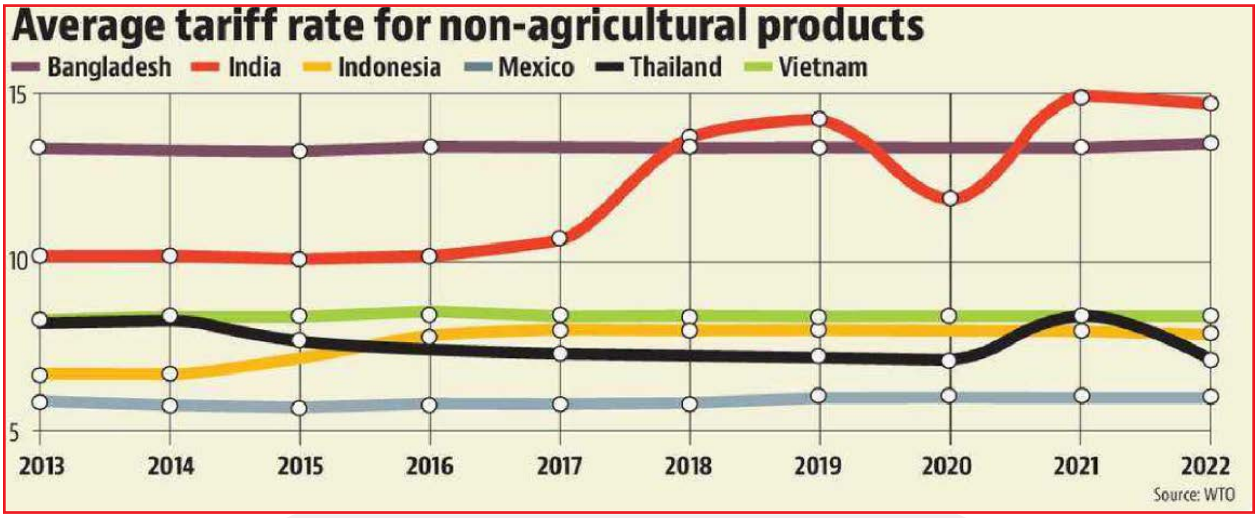

- **आशाजनक भविष्य की संभावनाएँ:**
  - विश्लेषण के अनुसार, **एशिया में उत्पादन स्थानांतरित करने या नई सुविधाओं में निवेश करने की योजना बना रही कंपनियों के लिये** भारत सबसे पसंदीदा स्थान के रूप में उभरा है, **जहाँ 28 कंपनियों ने रुचि दिखाई है**, जबकि वियतनाम के लिये यह आँकड़ा 23 है।
  - उल्लेखनीय बात यह है कि इन इच्छुक कंपनियों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा (28 में से 8) इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें भारत पहले वियतनाम से पीछे था।

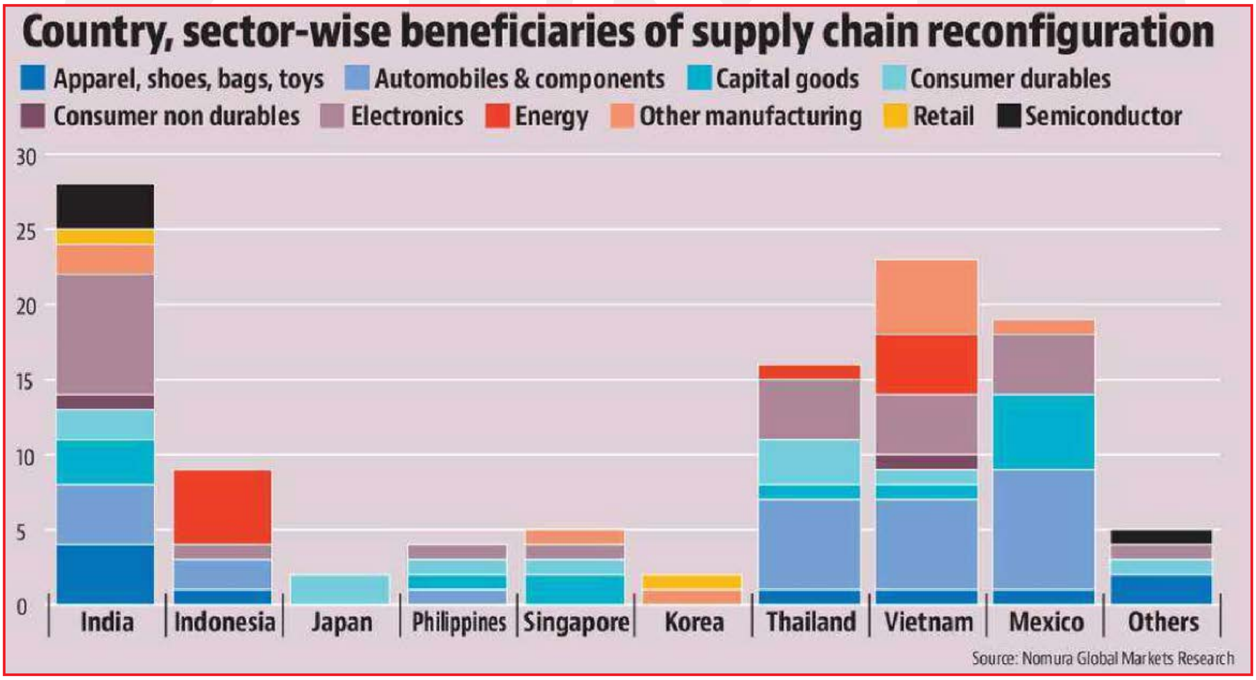

भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा डालने वाले कारक क्या हैं?

- **ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस:** भारत का विनियामक वातावरण जटिल है, जिसमें नौकरशाही संबंधी बाधाएँ और असंगत नीति कार्यान्वयन शामिल हैं, जो **घरेलू तथा विदेशी दोनों निवेशकों को हतोत्साहित** करते हैं।
- **विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता: उच्च इनपुट लागत, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और कुशल श्रम की कमी** के कारण भारत को विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

नोट :

- CME समूह की रैंकिंग इस मुद्दे को उजागर करती है, जिसमें भारत को कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से पीछे रखा गया है।
- **बुनियादी ढाँचे की कमियाँ:** खराब परिवहन, रसद और ऊर्जा बुनियादी ढाँचे से परिचालन लागत बढ़ जाती है तथा व्यावसायिक दक्षता कम हो जाती है।
- **श्रम बाज़ार की कठोरता:** प्रतिबंधात्मक श्रम कानून, विशेष रूप से संगठित क्षेत्र में, लचीलेपन और रोज़गार सृजन में बाधा डालते हैं।
- **कर संरचना:** कई अप्रत्यक्ष करों सहित जटिल कर व्यवस्था, व्यापार करने की लागत में वृद्धि करती है।
- **भूमि अधिग्रहण की चुनौतियाँ:** औद्योगिक परियोजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया से निवेश में देरी होती है और लागत बढ़ जाती है।
- **कौशल में भिन्नता:** शिक्षा प्रणाली प्राय: आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांग के अनुरूप कौशल स्नातक तैयार करने में विफल रहती है।
- **भ्रष्टाचार:** भ्रष्टाचार की व्यापकता से निवेशकों का विश्वास कम होता है और लेन-देन की लागत बढ़ती है।

आगे की राह

- **लक्षित प्रोत्साहन एवं सब्सिडी:** भारत को अपनी विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करने के लिये, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन तथा सब्सिडी प्रदान करनी चाहिये, जिसमें कर लाभ, भूमि सब्सिडी एवं बुनियादी ढाँचे का समर्थन शामिल हो।
- **ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में वृद्धि करना:** भारत में समग्र रूप से व्यावसाय को आसान बनाने हेतु विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, नौकरशाही बाधाओं को कम करने, श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के साथ-साथ पर्यावरणीय मंज़ूरी को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।
- विशिष्ट औद्योगिक क्लस्टर विकसित करना: प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं, सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के साथ-साथ साझा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे एवं सहायता सेवाओं एवं विशिष्ट क्षेत्रों के लिये समर्पित औद्योगिक क्लस्टर या विनिर्माण केंद्र बनाने की आवश्यकता है।
- कौशल विकास में निवेश करना: भारत को व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मज़बूत करने पर भी ध्यान देना चाहिये तथा विनिर्माण क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल कार्यबल विकसित करने के लिये उद्योग के साथ सहयोग करना चाहिये, STEM शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिये तथा उच्च तकनीक विनिर्माण की मांगों को पूरा करने के लिये मौजूदा कार्यबल को भी उन्नत करना चाहिये।
- **बुनियादी ढाँचे और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना:** सड़क, रेलवे, बंदरगाह एवं हवाई अड्डों सहित आधुनिक, कुशल तथा अच्छी तरह से जुड़े परिवहन नेटवर्क में निवेश करना और विद्युत आपूर्ति, जल एवं अन्य आवश्यक उपयोगिताओं की विश्वसनीयता व उपलब्धता में सुधार करना।
- **व्यापार नीतियों एवं समझौतों को सुव्यवस्थित करना:** भारतीय निर्यात के लिये बाज़ार पहुँच में सुधार, आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को सरल बनाने और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने हेतु टैरिफ को कम करने हेतु प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के साथ **मुक्त व्यापार समझौतों (FTA)** पर वार्ता एवं हस्ताक्षर करना।
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना: सरकार को वििनिर्माण प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये अनुसंधान और विकास (R&D) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा कंपनियों को भारत में अनुसंधान व विकास केंद्र स्थापित करने के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करने हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

C+1 अवसर भारत के लिये अपने विनिर्माण क्षेत्र की दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने तथा वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति के रूप में उभरने के लिये एक विशेष अवसर प्रस्तुत करता है। प्रमुख बाधाओं को दूर करके और एक व्यापक रणनीति को लागू करके, भारत इस प्रवृत्ति का लाभ उठाकर सतत् आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन को बढ़ावा दे सकता है। भारत के लिये अब C+1 क्षमता का लाभ उठाने और स्वयं को शीर्ष विनिर्माण गंतव्य के रूप में स्थापित करने का अवसर है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: चाइना प्लस वन रणनीति क्या है? इस रणनीति का पूर्ण उपयोग करने के लिये भारत के सामने चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये।

बुनियादी अवसंरचनाओं का ढहना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कई भौतिक बुनियादी अवसंरचना (Physical Infrastructures), जैसे बिहार में पुल तथा **दिल्ली** और **गुजरात** के राजकोट में **हवाई अड्डे** की छतरी संरचनाएँ ढह गईं।

भौतिक अवसंरचना के पतन के कारण क्या हैं?

- **प्राकृतिक कारण:**
  - **भारी वर्षा:** लंबे समय तक और **तीव्र वर्षा से मिट्टी संतृप्त** हो सकती है तथा पुल जैसी संरचनाओं का भार बढ़ सकता है, जिससे पुल टूटने की संभावना हो सकती है।

- **बिहार** के मामले में, नेपाल से आने वाले महत्त्वपूर्ण जल प्रवाह ने भी इस कारक में योगदान दिया है।
- **आपदाएँ:** भूकंप जैसी आपदाएँ बुनियादी ढाँचे को कमज़ोर कर सकती हैं।

- **प्रशासनिक कारण:**
  - **भ्रष्टाचार:** प्रशासन और निविदा आवंटन में भ्रष्टाचार परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा निगरानी से संबंधित प्रशासनिक विफलताओं का कारण बनता है।
    - **उदाहरण के लिये-** वर्ष 2023 के लिये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perceptions Index - CPI) में 180 देशों में से भारत 93वें स्थान पर है।
  - **प्रबंधन का मुद्दा:** उचित रखरखाव, निगरानी और भीड़ के प्रबंधन के अभाव में बुनियादी अवसंरचना में विफलता होती है।
    - **उदाहरण के लिये:** मोरबी ब्रिज के ढहने का एक कारण नियमित रखरखाव और भीड़ प्रबंधन में विफलता थी।
- **प्रक्रियात्मक कारण:**
  - **डिज़ाइन प्रोटोकॉल का पालन न करना:** स्थापित इंजीनियरिंग डिज़ाइनों और सुरक्षा प्रोटोकॉल से **विचलन संरचनात्मक** कमज़ोरियों को जन्म दे सकता है।
  - **खराब गुणवत्ता को नियंत्रण करना:** निर्माण के दौरान **निरीक्षणों की कमी** और **अपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण** उपायों के परिणामस्वरूप अनदेखी की गई खामियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे सुरक्षा से समझौता हो सकता है।
    - **घटिया सामग्री के उपयोग से संरचनात्मक अखंडता** काफी कमज़ोर हो सकती है, जिससे पर्यावरणीय तनावों को सहन करने की क्षमता कम हो सकती है।

ग्रामीण अवसंरचना निर्माण के लिये कौन-सी योजनाएँ हैं?

- **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD)**

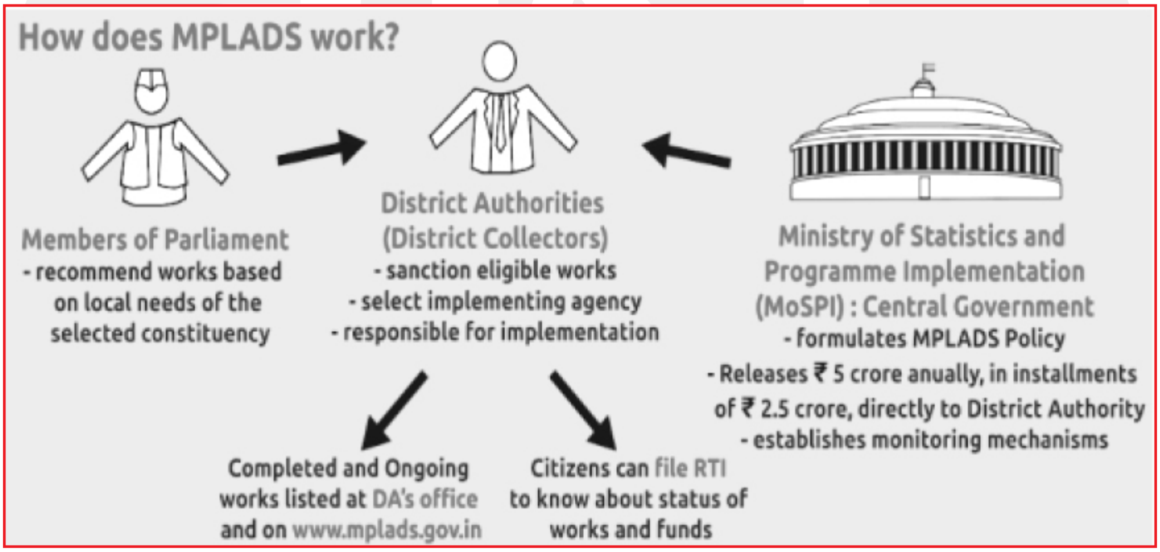

- **विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD):**
  - यह केंद्र सरकार की योजना- MLALAD का राज्य संस्करण है।
  - इस योजना का उद्देश्य **स्थानीय आवश्यकता आधारित बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना,** सार्वजनिक उपयोगिता की परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है।
  - MLALAD कार्यक्रम प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए सीधे राज्य सरकार से धन उपलब्ध कराता है।
  - यद्यपि विधायकों और सांसदों को सीधे तौर पर धनराशि नहीं मिलती, लेकिन वे योजना के लिये परियोजनाओं की सिफारिश कर सकते हैं।
  - उनके द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएँ आमतौर पर "**टिकाऊ बुनियादी ढाँचे के कार्य**" तक ही सीमित होती हैं, जिसमें सड़कों की मरम्मत से लेकर सामुदायिक केंद्रों का निर्माण शामिल होता है।
  - इस धनराशि का उपयोग कुछ राज्यों में प्राकृतिक आपदा राहत के लिये भी किया गया है, जैसा कि कोविड-19 के मामले में हुआ।

नोट :

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:**
  - इसे **वर्ष 2000 में असंबद्ध** बस्तियों तक **बारहमासी सड़क के माध्यम से संपर्कता प्रदान करने** के लिये शुरू किया गया था।
  - **पात्रता:** ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने के लिये कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, रेगिस्तान तथा जनजातीय क्षेत्रों में 250+) की असंबद्ध बस्तियों को शामिल करना।
  - **नवीनतम वित्तपोषण पैटर्न:** पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार परियोजना लागत का 90% वहन करती है, जबकि अन्य राज्यों के लिये केंद्र सरकार लागत का 60% वहन करती है।

भौतिक अवसंरचना निर्माण हेतु अन्य प्रमुख पहल:

- **प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना**
- भारतमाला परियोजना
- IIPDF (भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि) पोर्टल

आगे की राह

- **प्रशासनिक सुधार:** इससे पारदर्शी प्रणाली के साथ परियोजनाओं की बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।
- **आधुनिक इंजीनियरिंग पद्धतियों को अपनाना:** उन्नत डिज़ाइन तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करें जो स्थायित्व को बढ़ाते हैं।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP):** अधिक निवेश लाने के लिये वित्तपोषण और विशेषज्ञता हेतु सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- **सख्त नियामक मानक:** सामग्री और निर्माण प्रथाओं के लिये कठोर मानकों को लागू करना।
- **नियमित निरीक्षण:** सुरक्षा और गुणवत्ता मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये लगातार मूल्यांकन करना।
- **लचीलापन योजना:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिये बुनियादी ढाँचे का डिज़ाइन तैयार करना।
- **क्षमता निर्माण:** कौशल बढ़ाने के लिये इंजीनियरों, वास्तुकारों और निर्माण श्रमिकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में सतत् आर्थिक विकास प्राप्त करने में आधारिक अवसंरचना के विकास की भूमिका का आकलन कीजिये। इस क्षेत्र के समक्ष कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं?

भारत के विकास में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगाँठ के समय तक एक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य इस बात पर निर्भर करता है कि **उसका वित्तीय क्षेत्र कितनी अच्छी तरह से विकसित है।**

भारत के विकास में वित्तीय क्षेत्र किस प्रकार सहयोग कर सकता है?

- **सतत् उच्च वृद्धि:** भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिये आगामी 25 वर्षों तक **7.6% वार्षिक दर से विकास** करने की आवश्यकता है।
  - उच्च विकास दर को दीर्घावधि तक बनाए रखने के लिये **एक स्थिर, कुशल और अभिनव वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता होगी** जो **मैक्रो-वित्तीय स्थिरता से समझौता किये बिना** भारतीय परिवारों तथा व्यवसायों एवं सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा करे।
- **बचत का एकत्रीकरण: पूंजी निर्माण** हेतु **घरेलू एवं बाहरी दोनों स्रोतों** पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूंजी संचय **तीव्रता से होना** चाहिये।
  - **वित्त एवं पूंजी** की मांग **बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं,** विनिर्माण की बढ़ती आवश्यकताओं, **औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार** और बढ़ती व्यापार गतिविधियों से उत्पन्न होगी।
  - वित्त एवं पूंजी की आपूर्ति के लिये **घरेलू बचत, चिरस्थायी विदेशी पूंजी जुटाने** और जमा, ऋण तथा इक्विटी बाज़ारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- **बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका:**
  - **नए वित्तीय संस्थान की आवश्यकता: डिजिटल, थोक/निवेश और विशिष्ट बैंकों** सहित विभिन्न आकारों के बैंकों तथा **NBFC की एक विविध श्रेणी वित्तीय समावेशन** का समर्थन करने एवं बड़े पैमाने की परियोजनाओं को निधि प्रदान करने के लिये आवश्यक है।

- **फिनटेक कंपनियों की भूमिका:** वित्तीय पहुँच और समावेशन को आगे बढ़ाने तथा आने वाले वर्षों में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली में दक्षता बढ़ाने में फिनटेक कंपनियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
  - रिज़र्व बैंक की नीतियों के अनुसार फिनटेक कंपनियाँ अपनी बैलेंस शीट पर ऋण नहीं दे सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष वित्तीय जोखिम भी कम हो गए हैं।
- **बैंकों का निजीकरण:** मार्च 2024 की तिमाही की बैंक बैलेंस शीट के अनुसार, सात PSB के पास शुद्ध NPA में ऋण अग्रिम का 1% से भी कम है। कोई भी PSB अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क के तहत नहीं है जो ऋण प्रतिबंध लगाता है।
  - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने से नौकरशाही संबंधी बाधाएँ और वेतन संबंधी प्रतिबंध हट जाएंगे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में समानता आएगी, उनकी लाभप्रदता तथा मूल्यांकन में वृद्धि होगी एवं संभवत: वे निजी बैंकों के बराबर आ जाएंगे, जिससे ऋण तक पहुँच, निवेश व रोज़गार वृद्धि को लाभ होगा।

- **पूंजी बाज़ार की भूमिका:**
  - सरकार का लक्ष्य है कि भारत **वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन** तक पहुँच जाए और वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद उत्सर्जन को कम कर दे, लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक परियोजनाओं तथा योजनाओं के लिये वित्त पर निर्भर करेगा।
    - **5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** को पार करने वाले बाज़ार पूंजीकरण के साथ भारतीय बाज़ार अब आकार के मामले में **विश्व में चौथे स्थान पर है**, जो अमेरिका, चीन और जापान की तुलना में पीछे है। हाल ही में बाज़ार पूंजीकरण से सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 150% को पार कर गया है।
  - **भारतीय पूंजी बाज़ार तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूलन ढालने में सुसज्जित है, यह नियामकों** के साथ-साथ संस्थान और प्रतिभागी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग करने में कुशल है, जो भारत के विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिये इक्विटी बाज़ारों की स्थिति का निर्माण करते हैं।

वित्तीय क्षेत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- वित्तीय पहुँच का विस्तार करने और दक्षता में सुधार करने में फिनटेक कंपनियों की भूमिका के बावजूद उनकी तीव्र वृद्धि **ग्राहकों की सुरक्षा तथा बैंकों एवं गैर-बैंकों दोनों के लिये संभावित अप्रत्यक्ष जोखिम जैसी चुनौतियाँ** प्रस्तुत करती है।
- **उभरते केंद्रीकृत जोखिमों के बारे में भी चिंताएँ हैं क्योंकि बड़ी तकनीकी कंपनियाँ फिनटेक क्षेत्र पर तेज़ी से हावी** हो रही हैं। फिनटेक कंपनियाँ, जो वर्तमान में अनियमित हैं, व्यवहार्यता और प्रभावशीलता की चुनौतियों के बावजूद प्रत्यक्ष विनियामक निरीक्षण की माँग का सामना करती हैं।
- **डिजिटल लेंडिंग, बाय नाउ पे लेटर (BNPL) और पे-एज़-यू-गो स्कीम्स** के तीव्र पैमानों (Rapid Scale) को अपनाने की दरों के कारण संभावित **अति-विस्तारण तथा विवेक रहित उत्साह (Irrational Enthusiasm)** संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
  - सामान्य जोखिमों में गलत बिक्री और अत्यधिक जोखिम शामिल हैं।
- **डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और परिचालन संबंधी मुद्दों से जुड़े जोखिमों** से एक चुनौती उत्पन्न होती है, जिस पर भी विचार किया जाना चाहिये।
- **PSB अपनी बैलेंस शीट में सुधार के बावजूद भारतीय निजी बैंकों की तुलना में प्राइस-टू-बुक गुणक के साथ काफी कम संघर्ष** करते हैं, जो संभावित रूप से कम प्रदर्शन का संकेत देता है।
- निजी बैंक प्राय: **जमा पूंजी के लिये प्रतिस्पर्द्धा करने की आवश्यकता से बचने के लिये न्यून ऋण वृद्धि लेकिन उच्च मार्जिन बनाए रखने** का विकल्प चुनते हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप जमा दरें कम हो जाती हैं, जिससे भारतीय बचतकर्त्ता इक्विटी और आवास निवेश को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे जमा वृद्धि के लिये चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
- **भारत के अविकसित कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार** को अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिये सरकार के तत्काल ध्यान की आवश्यकता है।

आगे की राह

- **बैंकिंग क्षेत्र:**
  - **बैंकों की पर्याप्त पूंजी आवश्यकताओं के कारण** व्यापारिक और औद्योगिक घरानों, निजी इक्विटी, उद्यम पूंजी कोषों तथा विदेशी बैंकों को **बैंकों में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी की अनुमति देने की अनिच्छा पर पुनर्विचार** किया जाना चाहिये।
  - यह सुनिश्चित करने के लिये कि बैंक, NBFC और फिनटेक कंपनियाँ अत्यधिक उत्साह की प्रवृत्ति के बावजूद

सुरक्षित, संरक्षित तथा कुशलतापूर्वक काम करें, **बैंकिंग प्रणाली हेतु मज़बूत सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने एवं उस पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता** है।

- अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) के अंतर्गत बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा विकसित सुस्थापित सुरक्षा उपायों को अपनाना और लागू करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जिन्हें वैश्विक वित्तीय विकास तथा अनुभवों के आधार पर कई वर्षों के दौरान परिष्कृत किया गया है।

- **पूंजी और प्रतिभूति बाज़ार:**
  - **तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों द्वारा बाज़ार जोखिमों के कमज़ोर आकलन से रोकने के लिये** विनियामक ध्यान बढ़ाने की आवश्यकता है। विनियामकों को संभावित मुद्दों का अनुमान लगाना चाहिये और नवाचार हेतु जगह छोड़ते हुए सुरक्षा उपायों को लागू करना चाहिये।
  - सर्वोच्च प्राथमिकता सरकारी प्रतिभूतियों और **कॉर्पोरेट बॉण्डों** के लिये बॉण्ड बाज़ार विनियमन को एकीकृत करना तथा निवेशकों, व्यापारियों एवं हितधारकों हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाना होना चाहिये।
  - **विकासशील बॉण्ड बाज़ार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, क्योंकि यह हरित और ऊर्जा** परिवर्तन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो तेज़ी से विदेशी निवेश पर निर्भर होंगे, जिसके लिये विशिष्ट सुविधाजनक उपायों की आवश्यकता होगी।
- **अन्य उपाय:**
  - बैंकों के अलावा **वित्तीय क्षेत्र के अन्य भागों, जैसे बीमा और ऊर्जा क्षेत्र के वित्त का निजीकरण भी एक साथ उठाए जाने वाले कदमों के रूप में विचार किया** जाना चाहिये।
  - **भारत में शहरी बुनियादी ढाँचे का पुनरुद्धार अत्यंत महत्त्वपूर्ण बना हुआ है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि अनुमान है कि वर्ष 2050 तक 800 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करेंगे,** हालाँकि वर्ष 2015 से नगरपालिका बॉण्ड को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद नगरपालिकाएँ विकास परियोजनाओं के लिये संसाधनों तथा वित्तपोषण की कमी से जूझ रही हैं।
  - **परियोजना वित्तपोषण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुरूप** प्रतिचक्रीय बफर्स और मानक परिसंपत्तियों के लिये प्रावधानों के कार्यान्वयन पर विचार किया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में देश की यात्रा को सुविधाजनक बनाने में भारत के वित्तीय क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा कीजिये।

मक्का उत्पादन में हरित क्रांति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत के मक्का उद्योग** में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जो **सामान्य चारा फसल से ईंधन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुआ है।**

- यह बदलाव एक व्यापक **हरित क्रांति** का संकेत है, जो गेहूँ और चावल में की गई ऐतिहासिक प्रगति को दर्शाता है, लेकिन यह प्रगति निजी क्षेत्र के नवाचारों से प्रेरित है।

भारत में मक्का उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है?

- **उत्पादन में तीन गुना वृद्धि:** वर्ष 1999-2000 से भारत के मक्का उत्पादन में तीन गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है, जो **11.5 मिलियन टन से बढ़कर वार्षिक 35 मिलियन टन** से भी अधिक हो गई है, साथ ही प्रति हेक्टेयर औसत उपज भी 1.8 से बढ़कर 3.3 टन हो गई है।
  - भारत **पाँचवाँ सबसे बड़ा मक्का उत्पादक** है, जो वर्ष 2020 में वैश्विक उत्पादन का 2.59% है।
  - **चावल तथा गेहूँ** के बाद मक्का **भारत में तीसरी सबसे महत्त्वपूर्ण अनाज फसल** है। यह देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 10% है।
- **उपज में सुधार:** इसी अवधि में प्रति हेक्टेयर औसत उपज 1.8 से बढ़कर 3.3 टन हो गई है।
- **प्रमुख राज्य:** कर्नाटक, मध्यप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश मुख्य मक्का उपज वाले राज्य हैं।
- **वर्ष भर खेती:** मक्के का उत्पादन संपूर्ण वर्ष होता है, मुख्य रूप से खरीफ फसल के रूप में (मक्का की खेती का 85% क्षेत्र इसी मौसम में होता है)।
- **निर्यात मात्रा:** भारत ने वर्ष 2022-23 में 8,987.13 करोड़ रुपए मूल्य के 3,453,680.58 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया।
  - **प्रमुख निर्यात गंतव्य:** बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका भारतीय मक्का के प्रमुख बाज़ार हैं।
- **प्रमुख उपयोग:** लगभग 60% मक्के का उपयोग मुर्गी और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है, जबकि केवल लगभग 20% का ही मनुष्यों द्वारा सीधे उपभोग किया जाता है।

- मक्का पशुधन आहार में एक प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जिसमें 55-65% ब्रॉयलर आहार और 15-20% मवेशी आहार मक्का से प्राप्त होता है।
- **स्टार्च और इथेनॉल: मक्का के दानों में 68-72% स्टार्च होता है, जिसका उपयोग कपड़ा, कागज़ और फार्मास्यूटिकल्स** जैसे उद्योगों में किया जाता है।
  - **हाल के घटनाक्रमों ने इथेनॉल उत्पादन** के लिये मक्का के उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर दिया है , विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा चिंताओं के कारण **इथेनॉल सम्मिश्रण में चावल के विकल्प के रूप में।**
  - पेराई के मौसम के दौरान, भट्टियाँ (distilleries) गन्ने के शिरे और जूस/सिरप से संचालित होती हैं, जबकि ऑफ-सीज़न में इनके संचालन हेतु अनाज का उपयोग किया जाता है तथा हाल ही में इन्होंने मक्के का उपयोग शुरू किया है।

मक्के की हरित क्रांति की तुलना गेहूँ और चावल से कैसे की जा सकती है?

- **स्व-परागण बनाम पर-परागण: स्व-परागण वाले** गेहूँ और चावल के विपरीत, **मक्का की पर-परागण वाली** प्रकृति संकर प्रजनन को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाती है।
  - गेहूँ और चावल में हरित क्रांति का कारण उच्च उपज देने वाली किस्मों की खेती करना था, जो स्वयं परागण करने वाले पौधे थे तथा जिनका संकरण नहीं किया जा सकता था।
  - मक्के में हरित क्रांति निजी क्षेत्र के नेतृत्व में हुई है और वर्तमान में भी जारी है। मक्के की खेती में 80% से ज़्यादा हिस्सा निजी क्षेत्र की **संकर किस्मों (Hybrids)** का है तथा उच्च पैदावार केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित है।
    - यदि किसान इन उपजों से अनाज बचाकर उन्हें बीज के रूप में पुनः उपयोग में लाते हैं, तो वे वही उपज नहीं प्राप्त कर सकते (बीजों की स्वतः समाप्ति प्रकृति)।
- **मक्के की खेती में नवोन्मेष:** भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने **उच्च एमाइलोपेक्टिन स्टार्च घटक** के साथ भारत की पहली **"मोमी" मक्का (Waxy Maize) संकर (AQWH-4)** विकसित की है, जो इसे इथेनॉल उत्पादन के लिये बेहतर बनाती है।
  - मक्के में स्टार्च दो पॉलिमरों का मिश्रण होता है, जिसमें ग्लूकोज अणु एक ***सीधी श्रृंखला (एमाइलोज) और शाखित रूप (एमाइलोपेक्टिन) में एक साथ बँधे होते हैं।***
  - सामान्य मक्के के स्टार्च में 30% एमाइलोजा और 70% एमाइलोपेक्टिन होता है, जबकि IARI के मोमी मक्का संकर (Waxy Maize Hybrid) में 93.9% एमाइलोपेक्टिन होता है।
    - एमाइलोज स्टार्च अनाज को कठोर बनाता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन इसे नरम बनाता है, जिससे स्टार्च की रिकवरी और किण्वन दर प्रभावित होती है।
    - अनाज की मृदुता आटा उत्पादन के लिये इसे अच्छी तरह से पीसने में सहायक होती है। उच्च एमाइलोपेक्टिन वाले कणिकाओं को ग्लूकोज़ इकाइयों में आसानी से तोड़ा जा सकता है। फिर ग्लूकोज़ को खमीर का उपयोग करके इथेनॉल में किण्वित किया जाता है।
  - सामान्य मक्के के दानों में 68-72% स्टार्च होता है, लेकिन केवल 58-62% ही रिकवरी योग्य होता है। नए **पूसा वैक्सी मक्का हाइब्रिड-1** में 71-72% स्टार्च है और रिकवरी 68-70% है।
    - यह संकर किस्म **प्रति हेक्टेयर 7.3 टन की औसत उपज** प्रदान करती है और इसकी क्षमता 8.8 टन तक पहुँचने की है।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका:** अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूँ सुधार केंद्र (International Maize and Wheat Improvement Center- CIMMYT) ने कुनिगल (कर्नाटक) में **मक्का डबल हैप्लोइड (DH) फैसिलिटी स्थापित की है, जो उच्च उपज वाली, आनुवंशिक रूप से शुद्ध अंतःप्रजनन किस्मों का उत्पादन करती है।**
  - यह फैसिलिटी संसाधन के विकास को गति प्रदान करती है तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करती है।
  - पारंपरिक प्रक्रिया में, **6 से 8 पीढ़ियों तक लगातार स्व-परागण द्वारा अंतःप्रजनन किस्में तैयार की जाती हैं। DH तकनीक केवल दो** फसल चक्रों के बाद पूरी तरह से समान किस्म के उत्पादन को सक्षम बनाती है।
  - वर्ष 2022 में, कुनिगल फैसिलिटी ने 29,622 मक्का डीएच किस्मों का उत्पादन और साझाकरण किया। ये किस्में **उच्च उपज देने वाली, सूखे, गर्मी और जल-जमाव के प्रति सहिष्णु, पोषक तत्त्वों के उपयोग में कुशल तथा कीटों और** फॉल आर्मीवर्म व मक्का की खेती के लिये घातक नेक्रोसिस जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी हैं।
  - माहिको, श्रीराम बायोसीड, एडवांटा सीड्स जैसी कंपनियाँ उच्च उपज वाली मक्का संकर किस्मों के विकास और प्रचार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत में मक्के के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु कौन-सी पहलें की गई हैं?

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM)
- **भारत मक्का शिखर सम्मेलन (India Maize Summit): वर्ष** 2022 में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करने तथा किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिये मक्के की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

हरित क्रांति:

- **1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग** ने इसका नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप गेहूँ की उच्च उपज देने वाली किस्मों (HYVs) का विकास हुआ और वर्ष 1970 में उन्हें **नोबेल शांति पुरस्कार मिला।**
- भारत में, **एम.एस. स्वामीनाथन ने** हरित क्रांति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे खाद्यान्न उत्पादन, विशेष रूप से **गहूँ और चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।**
  - इस क्रांति ने भारत को वर्ष 1967-68 और वर्ष 1977-78 के बीच खाद्यान्न की कमी वाले देश से खाद्य उत्पादन में विश्व के अग्रणी कृषि देशों में से एक बना दिया।
- इसमें **वर्षा पर निर्भरता कम करने** के लिये विभिन्न सिंचाई विधियों को शामिल करना, **श्रम लागत को कम करने** तथा दक्षता बढ़ाने के लिये प्रमुख कृषि पद्धतियों का मशीनीकरण करना और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने व फसलों की सुरक्षा के लिये **रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग शामिल था।**
  - फसल की सघनता और उपज बढ़ाने के लिये **मौजूदा कृषि भूमि पर दोहरी फसल उगाने की विधि को अपनाया गया।**
  - सिंचाई और उच्च उपज वाली फसलों (HYV) के बीजों का उपयोग करके, विशेष रूप से अर्द्ध-शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाकर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया।
- हरित क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे **भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया।**
  - परिणामस्वरूप, **भारत गेहूँ, चावल और अन्य खाद्यान्नों का शुद्ध निर्यातक बन गया** तथा हाल के वर्षों में निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
- उच्च उत्पादकता ने आय में वृद्धि के माध्यम से कई छोटे किसानों को गरीबी से बाहर निकालकर **गरीबी उन्मूलन में भी योगदान दिया।**
- हरित क्रांति ने कई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत कीं, जिनमें **सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों से पर्यावरण का क्षरण, मृदा अपरदन तथा जल प्रदूषण शामिल हैं। इसके कारण जैवविविधता और फसलों की आनुवंशिक विविधता को क्षति पहुँची,** देशी फसलों का विस्थापन हुआ तथा खेती के पारंपरिक तौर-तरीके भी प्रभावित हुए।
  - इसके अतिरिक्त, इससे फसलों पर कीटों, बीमारियों और **जलवायु परिवर्तन का खतरा भी बढ़ गया।**

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न:** भारत के मक्का उद्योग के एक बुनियादी चारा फसल से ईंधन और औद्योगिक क्षेत्रों में एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में हाल के परिवर्तन पर चर्चा कीजिये।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्रीय वित्त मंत्री** ने संसद में **सत्र 2023-24 के** लिये **आर्थिक सर्वेक्षण** पेश किया। यह भारत के आर्थिक प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है?

- **परिचय: आर्थिक सर्वेक्षण** अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिये केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक दस्तावेज़ है।
  - इसे **मुख्य आर्थिक सलाहकार** (वर्तमान में **वी. अनंत नागेश्वरन**) की देखरेख में वित्त मंत्रालय में **आर्थिक कार्य विभाग के आर्थिक प्रभाग** द्वारा तैयार किया जाता है।
  - इसे केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा **संसद के दोनों सदनों में पेश** किया जाता है।
- **उद्देश्य:**
  - विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करना।
  - प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करना।
  - **सरकार की नीतिगत पहलों** पर प्रकाश डालना।
  - आर्थिक रुझानों का विश्लेषण करना और आगामी वर्ष के लिये एक अवेक्षण/आउटलुक प्रदान करना।

- **ऐतिहासिक संदर्भ:**
- **पहली बार सत्र 1950-51 में प्रस्तुत** किया गया।
- प्रारंभ में, यह बजट दस्तावेज़ों का एक हिस्सा था।
- **वर्ष 1964 में इसे एक अलग खंड** बना दिया गया।

सत्र 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण से मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **अर्थव्यवस्था की स्थिति:**
  - **वास्तविक GDP वृद्धि: वित्त वर्ष 2024** में भारत की **वास्तविक GDP में 8.2% वृद्धि** हुई, जो वित्त वर्ष 24 की चार तिमाहियों में से तीन में 8% के आँकड़े को पार कर गई।
  - **खुदरा मुद्रास्फीति:** खुदरा मुद्रास्फीति वित्त **वर्ष 2023 में 6.7% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 5.4%** हो गई।
  - **चालू खाता घाटा (CAD):** CAD **वित्त वर्ष 2023 में 2.0% से बढ़कर** वित्त **वर्ष 2024 में GDP का** 0.7% हो गया।
  - **कर राजस्व:** प्रत्यक्ष करों ने **कुल कर राजस्व का 55% योगदान** दिया, जबकि **अप्रत्यक्ष करों ने शेष 45% का योगदान** दिया।
  - **पूंजीगत व्यय:** सरकार ने पूंजीगत व्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि की और **81.4 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न** उपलब्ध कराया।
- **मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता - स्थिरता ही मुख्य शब्द**
  - **मौद्रिक नीति:** RBI ने **पूरे वित्त वर्ष 2024 में 6.5% पर स्थिर नीति रेपो दर** बनाए रखी।
    - परिणामस्वरूप, अप्रैल 2022 से जून 2024 तक **कोर मुद्रास्फीति** में लगभग **4% की गिरावट** आई।
  - **ऋण वृद्धि:** **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों** (SCB) द्वारा **ऋण वितरण 164.3 लाख करोड़ रुपए** तक पहुँच गया, जो **मार्च 2024 तक 20.2% बढ़ गया।**
  - **बैंकिंग क्षेत्र:** सकल और निवल **गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ** कई वर्षों के निचले स्तर पर हैं तथा **बैंक परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार** हुआ है।
    - **RBI की जून 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट** के डेटा से पता चलता है कि SCB की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, **सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ (GNPA) अनुपात मार्च 2024 में घटकर** 2.8% हो गया है, जो 12 वर्षों का निचला स्तर है।
    - **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता** को **दोहरे बैलेंस शीट**/तुलन-पत्र की समस्या के लिये एक प्रभावी समाधान के रूप में मान्यता दी गई है, पिछले 8 वर्षों में, मार्च 2024 तक **13.9 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाले 31,394 कॉर्पोरेट देनदारों** का **निपटान** किया गया है।
  - **ट्विन बैलेंस शीट समस्या** भारी **कर्ज में डूबे निगमों और बैंकों को संदर्भित करती है** जो अशोध्य ऋणों के बोझ तले दबे हुए हैं, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करने वाला एक दुष्चक्र बन गया है।
  - **पूंजी बाज़ार:** प्राथमिक पूंजी बाज़ारों ने वित्त वर्ष 2023 में **निजी और सार्वजनिक कॉरपोरेट्स** के **सकल स्थायी पूंजी निर्माण** का **लगभग 29%**, 10.9 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निर्माण किया।
  - **बीमा और माइक्रोफाइनेंस:** भारत सबसे तेज़ी से बढ़ते बीमा बाज़ारों में से एक बनने की ओर अग्रसर है और **वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र** है।
- **कीमतें और मुद्रास्फीति - नियंत्रण में:**
  - **मुद्रास्फीति के रुझान:**
    - वित्त वर्ष 2024 में 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति 6% से कम दर्ज की गई।
    - वित्त वर्ष 2024 में **कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति** नौ वर्षों के निचले स्तर पर आ गई।
    - वित्त वर्ष 2023 में **खाद्य मुद्रास्फीति 6.6% से बढ़कर** वित्त **वर्ष 2024 में 7.5%** हो गई।
    - एलपीजी, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कटौती से **खुदरा ईंधन मुद्रास्फीति** को अपेक्षाकृत **कम रखने में मदद मिली।**
  - **भविष्य के अनुमान:** RBI ने **वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति के 4.5%** और **वित्त वर्ष 2026 में 4.1% तक गिरने का अनुमान** लगाया है।
- **बाह्य/विदेशी क्षेत्र - प्रचुरता के बीच स्थिरता:**
  - **निर्यात:** वित्त वर्ष 2024 में भारत का **सेवा निर्यात 4.9% बढ़कर** 341.1 बिलियन अमेरीकी डॉलर हो गया, जिसमें IT/सॉफ्टवेयर और अन्य व्यावसायिक सेवाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
  - **प्रेषण:** भारत **वर्ष 2023 में कुल 120 बिलियन अमेरीकी डॉलर के प्रेषण** के साथ शीर्ष वैश्विक प्राप्तकर्त्ता बना हुआ है।
  - **बाह्य ऋण:** मार्च 2024 तक भारत का **बाह्य ऋण और GDP अनुपात** 18.7% था।

नोट :

- **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन:** विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स सूचकांक में भारत की रैंक वर्ष 2014 में 44वें स्थान से बढ़कर **वर्ष 2023 में 38वें स्थान पर** पहुँच गई।
- **पर्यटन:** विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2021 के 1.38% से बढ़कर **वर्ष 2022 में 1.58%** हो गई है।

- **मध्यम अवधि का दृष्टिकोण - नए भारत के लिये विकास रणनीति:**
  - **विकास रणनीति: 7%+ की विकास दर** को बनाए रखने के लिये केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।
  - **मुख्य फोकस क्षेत्र:** कौशल एवं रोज़गार सृजन, कृषि, MSME में चुनौतियाँ, हरित ऊर्जा संक्रमण तथा शिक्षा-रोज़गार अंतर को समाप्त करना आदि मध्यम अवधि के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संक्रमण - समझौताकारी समन्वयन से निपटना:**
  - **नवीकरणीय ऊर्जा:** मई 2024 तक, गैर-जीवाश्म स्रोतों की **स्थापित विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 45.4% हिस्सेदारी रही।**
  - **ऊर्जा आवश्यकताएँ:** भारत की ऊर्जा आवश्यकताएँ **वर्ष 2047 तक 2 से 2.5 गुना बढ़ने का अनुमान** है।
  - **स्वच्छ ऊर्जा में निवेश:** स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2023 के दौरान **8.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश** आकर्षित हुआ।
- **सामाजिक क्षेत्र - लाभ जो सशक्त बनाते हैं:**
  - **कल्याण व्यय:** वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान यह **12.8% की CAGR** से बढ़ा।
  - **स्वास्थ्य सेवा:** 34.7 करोड़ से अधिक **आयुष्मान भारत कार्ड** जारी किये गए हैं।
  - **आवास:** पिछले 9 वर्षों में PM-AWAS-ग्रामीण के तहत **2.63 करोड़ आवास** बनाए गए।
  - **ग्रामीण बुनियादी ढाँचा:** सत्र 2014-15 से ग्राम सड़क योजना के तहत 15.14 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गईं।
- **रोज़गार और कौशल विकास - गुणवत्ता की ओर:**
  - **बेरोज़गारी दर: सत्र 2022-23 में घटकर 3.2%** रह गई।
    - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत शुद्ध पेरोल वृद्धि पिछले पाँच वर्षों में दोगुनी से अधिक बढ़कर 13.15 मिलियन हो गई है, जो औपचारिक क्षेत्रों में रोज़गार में प्रबल वृद्धि को दर्शाता है।
  - **युवा बेरोज़गारी:** वर्ष 2017-18 के 17.8% से **घटकर वर्ष 2022-23 में 10%** हो गई।
  - **महिला श्रम-बल भागीदारी:** लगातार छह वर्षों से बढ़ रही है (**वर्तमान में 37.0%**)।
  - **गिग इकॉनमी:** वर्ष 2029-30 तक इसमें शामिल **कार्यबल के 2.35 करोड़ तक पहुँचने की आशा** है।
- **कृषि और खाद्य प्रबंधन**
  - **कृषि विकास:** इस क्षेत्र ने पिछले पाँच वर्षों में स्थिर कीमतों पर 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की।
  - **ऋण और सूक्ष्म सिंचाई:** कृषि के लिये वितरित ऋण राशि 22.84 लाख करोड़ रुपए थी।
    - वित्त वर्ष 2015-16 से **90 लाख हेक्टेयर** क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत शामिल किया गया।
  - **किसान क्रेडिट कार्ड:** 9.4 लाख करोड़ रुपए की सीमा के साथ 7.5 करोड़ कार्ड जारी किये गए।
- **उद्योग – मध्यम एवं लघु दोनों अपरिहार्य:**
  - **औद्योगिक विकास:** वित्त वर्ष 2024 में 8.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि को 9.5 प्रतिशत की औद्योगिक विकास दर से समर्थन मिला।
  - **फार्मास्युटिकल और वस्त्र क्षेत्र:** भारत का फार्मास्युटिकल बाज़ार (जिसका वर्तमान मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है) अपनी मात्रा के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।
    - यह वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता है, जिसका वस्त्र और परिधान निर्यात **वित्त वर्ष 24 में 2.97 लाख करोड़ रुपए** तक पहुँच गया।
  - **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण:** भारत का इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र, वैश्विक बाज़ार हिस्सेदारी का अनुमानित 3.7 प्रतिशत है।
    - वित्त वर्ष 23 में घरेलू उत्पादन बढ़कर 8.22 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि निर्यात बढ़कर 1.9 लाख करोड़ रुपए हो गया।
- **सेवाएँ- विकास के अवसरों को बढ़ावा देना:**
  - **क्षेत्र का योगदान:** वित्त वर्ष 24 में सेवा क्षेत्र की **अर्थव्यवस्था में 55 प्रतिशत** हिस्सेदारी थी और इस वर्ष के दौरान इसमें 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
  - **डिजिटल सेवाएँ:** डिजिटल माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी **वित्त वर्ष 2023 में बढ़कर 6 प्रतिशत** हो गई।

नोट :

- वैश्विक स्तर पर भारत का **सेवा निर्यात वित्त वर्ष 2022 में विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात का 4.4 प्रतिशत था** और वित्त वर्ष 24 में भारत के कुल निर्यात का **44 प्रतिशत** था।

- **विमानन:** वित्त वर्ष 2024 में कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई।
- **ई-वाणिज्य:** भारत के ई-वाणिज्य उद्योग का **वित्त वर्ष 2030 तक 350 अरब अमेरिकी डॉलर** पार कर जाने की उम्मीद है।
- **स्टार्ट-अप:** भारत में टेक्नोलॉजी संबंधी स्टार्ट-अप वर्ष 2014 में लगभग 2,000 थे, जो बढ़कर 2023 में लगभग 31,000 हो गए हैं।

- **अवसंरचना – संभावित वृद्धि को बढ़ाना:**
  - **राष्ट्रीय राजमार्ग:** राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की औसत रफ्तार वित्त वर्ष 14 में 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन करीब 3 गुना बढ़कर **वित्त वर्ष 2024 तक प्रतिदिन करीब 34 किलोमीटर** हो गई।
  - **रेलवे:** पिछले पाँच वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
  - **विमानन:** वित्त वर्ष 2024 में **21 हवाई अड्डों पर नई टर्मिनल इमारतें** चालू की गई हैं।
  - **लॉजिस्टिक्स:** अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट कैटेगरी में **भारत, वर्ष 2014 के 44वें स्थान से वित्त वर्ष 2023 में 22वें स्थान** पर हो गया है।
  - **अंतरिक्ष:** भारत में **55 सक्रिय अंतरिक्ष परिसंपत्तियाँ हैं,** जिनमें 18 संचार, 9 नेविगेशन, 5 वैज्ञानिक, 3 मौसम विज्ञान और 20 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह शामिल हैं।
  - **डिजिटल अवसंरचना:** डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर 26.28 **करोड़ से ज़्यादा पंजीकृत उपयोगकर्त्ता** हैं और 674 करोड़ से ज़्यादा जारी किये गए दस्तावेज़ हैं।
  - **दूरसंचार:** भारत में कुल टेलीडेंसिटी (प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन की संख्या) **मार्च 2014 के 75.2% से बढ़कर मार्च 2024 में 85.7% हो गई।**
    - **मार्च 2024 में** इंटरनेट घनत्व भी बढ़कर **68.2 प्रतिशत** हो गया।

- **जलवायु परिवर्तन और भारत:**
  - **जलवायु परिवर्तन के लिये वर्तमान वैश्विक रणनीतियाँ** त्रुटिपूर्ण हैं और सार्वभौमिक रूप से लागू करने योग्य नहीं है।
    - **पश्चिम का जो दृष्टिकोण** समस्या की जड़ यानि अत्यधिक खपत का समाधान नहीं निकालना चाहता, बल्कि **अत्यधिक खपत** को हासिल करने के दूसरे विकल्प चुनना चाहता है।
    - **'एक उपाय सभी के लिये सही', कार्य नहीं करेगा** और विकासशील देशों को अपने रास्ते चुनने की छूट दिये जाने की ज़रूरत है।
  - भारतीय लोकाचार **प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों** पर ज़ोर देते हैं, इसके विपरीत विकसित देशों में अत्याधिक खपत की संस्कृति को अहमियत दी जाती है।
    - **'कई पीढ़ियों वाले पारंपरिक परिवारों'** पर ज़ोर से सतत् आवास की ओर मार्ग प्रशस्त होगा।
    - "मिशन लाइफ" मानव-प्रकृति सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करता है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन समस्या की जड़ में मौजूद अति उपभोग के बजाय सचेत उपभोग को बढ़ावा देता है।
    - 'मिशन लाइफ' अत्याधिक खपत की तुलना में सावधानी के साथ खपत को बढ़ावा देने के **मानवीय स्वभाव पर बल देता है।** अत्याधिक खपत वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या की जड़ है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में उल्लिखित प्रमुख चुनौतियाँ और अनुशंसित समाधान क्या हैं?

- **पहचानी गई प्रमुख चुनौतियाँ:**
  - **वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियाँ और FDI: विकसित देशों में उच्च ब्याज दरों के कारण** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की संभावनाएँ बहुत आशाजनक नहीं हैं, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों में वित्तपोषण की लागत और निवेश की अवसर लागत बढ़ जाती है।
    - इसके अलावा **विकसित देशों में औद्योगिक नीतियाँ** जो घरेलू निवेश के लिये पर्याप्त सब्सिडी प्रदान करती हैं, प्रतिस्पर्द्धी परिदृश्य को और भी जटिल बनाती हैं।
    - भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ भी चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
  - **चीन पर निर्भरता:** भारत विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में **आयात हेतु चीन पर बहुत अधिक निर्भर है।**
    - इसके अलावा चीन **निम्न-कौशल विनिर्माण क्षेत्र** पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए है, जिसे भारत हासिल करना चाहता है।
  - **AI खतरा:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उदय संभावित रूप से दूरसंचार और **इंटरनेट-संचालित बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO)** क्षेत्र को बाधित कर सकता है, जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
  - **निजी निवेश में कमी:** पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिये **सितंबर 2019** में लागू किये गए कर कटौती के बावजूद कॉर्पोरेट क्षेत्र की प्रतिक्रिया निराशाजनक रही है।

नोट :

- **कर-पूर्व कॉर्पोरेट लाभ में वृद्धि हुई है,** लेकिन नियुक्ति और पारिश्रमिक में वृद्धि नहीं हुई है।
- **रोज़गार संबंधी अनिवार्यता: रोज़गार से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले और समयबद्ध आँकड़ों की कमी है।** यह कमी प्रभावी श्रम बाज़ार विश्लेषण और नीति निर्माण में बाधा डालती है।
  - बढ़ते कार्यबल को समायोजित करने के लिये भारतीय अर्थव्यवस्था में **वर्ष 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 7.85 मिलियन नौकरियाँ प्रदान की जाएँगी।**
- **जीवनशैली संबंधी नुकसान: सोशल मीडिया, अत्यधिक स्क्रीन समय, गतिहीन जीवनशैली तथा अस्वास्थ्यकर भोजन विकल्प** को ऐसे कारकों के रूप में पहचाना गया है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे भारत की आर्थिक क्षमता प्रभावित हो सकती है।

- **अनुशंसित समाधान:**
  - **निजी क्षेत्र द्वारा रोज़गार सृजन:** सर्वेक्षण के अनुसार रोज़गार सृजन में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना कॉर्पोरेट क्षेत्र के सर्वोत्तम हित में है, **क्योंकि अब उसे अतिरिक्त आय का अनुभव हो रहा है।**
  - **निजी क्षेत्र द्वारा जीवनशैली में परिवर्तन:** भारतीय व्यवसायों को **पारंपरिक जीवनशैली प्रथाओं और स्वस्थ भोजन व्यंजनों** को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है, जो न केवल वैश्विक रुझानों के अनुरूप हैं, बल्कि इससे नए वाणिज्यिक अवसर भी मिलते हैं।
  - **कृषि क्षेत्र को पुनर्जीवित करना:** विनिर्माण और सेवाओं में चुनौतियों को देखते हुए, सर्वेक्षण में **कृषि पद्धतियों और नीतियों में सुधार** पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया गया है।
    - इसमें **मूल्य संवर्द्धन बढ़ाना, किसानों की आय बढ़ाना तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं निर्यात में अवसर प्रदान करना शामिल है।**
  - **विनियामक बाधाओं को दूर करना:** यह विधेयक व्यवसायों, विशेष रूप से मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (MSME) पर विनियामक बोझ को कम करने का समर्थन करता है।
    - लाइसेंसिंग, निरीक्षण और अनुपालन आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण:** बड़े पैमाने पर सुधारों के बजाय, सर्वेक्षण में **प्रभावी कार्यान्वयन और प्रबंधन के माध्यम से भारत की प्रगति को समर्थन देने** तथा गति प्रदान करने के लिये राज्य क्षमता को मज़बूत करने का आह्वान किया गया है।

केंद्रीय बजट 2024-2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद में **केंद्रीय बजट** 2024-25 प्रस्तुत किया गया। यह 18वीं **लोकसभा** का पहला आम बजट था।

केंद्रीय बजट 2024-25 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **लक्षित क्षेत्र:**
  - **अंतरिम बजट** में कहा गया था हमें 4 मुख्य समुदायों- **'गरीब', 'महिला', 'युवा' और 'अन्नदाता'** पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- **बजट की विषयवस्तु:**
  - **केंद्रीय बजट 2024-25 में रोज़गार, कौशल विकास, MSME और मध्यम वर्ग पर ध्यान** केंद्रित किया गया है। इस वर्ष **शिक्षा, रोज़गार और कौशल प्रशिक्षण** के लिये **1.48 लाख करोड़ रूपए आवंटित** किये गए हैं।
- **बजट प्राथमिकताएँ:**
  - बजट में **कृषि, रोज़गार, मानव संसाधन विकास, विनिर्माण, सेवाएँ, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास तथा अगली पीढ़ी के सुधार** सहित नौ क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
- **प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन:**
  - **इन उपायों में 109 नई उच्च उपज वाली फसल किस्में जारी करना, 1 करोड़ किसानों** के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, आवश्यकता-आधारित 10,000 जैव-इनपुट केंद्र स्थापित करना और दलहन एवं तिलहन के उत्पादन, भंडारण व विपणन को बढ़ाना (तिलहन के लिये 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करना) शामिल हैं।
  - इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिये **1.52 लाख करोड़ रुपए** की घोषणा की गई है।

  - सरकार राज्यों के साथ मिलकर 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिये कृषि में **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI)** के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी।
- **प्राथमिकता 2: रोज़गार और कौशल:**
  - बजट में **रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन** जैसी योजनाएँ और कौशल को बढ़ावा देने की पहल की गई है, जिसका उद्देश्य **5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना** एवं **1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करना** है।
    - उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता और कौशल विकास हेतु ऋण की भी घोषणा की गई है।
  - **मॉडल कौशल ऋण योजना** को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकार द्वारा प्रवर्तित निधि से गारंटी के साथ **7.5 लाख रुपए** तक के ऋण की सुविधा दी जा सके, जिससे प्रत्येक वर्ष 25,000 छात्रों को मदद मिलने की उम्मीद है।
- **प्राथमिकता 3: समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय:**
  - आदिवासी समुदायों और महिला उद्यमियों सहित हाशिये पर स्थित समूहों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिये समर्थन बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है।
  - सरकार की **पूर्वोदय पहल** का उद्देश्य **बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश** सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना है, जिसमें **मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढाँचे में वृद्धि और आर्थिक विकास** पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ा जा सके।

- वित्त मंत्री ने आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने हेतु **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान** शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों और आकांक्षी ज़िलों के **63,000 गाँवों को शामिल किया जाएगा, जिससे लगभग 5 करोड़ आदिवासियों** को लाभ मिलेगा।
- बैंकिंग सेवाओं को बढ़ाने के लिये पूर्वोत्तर क्षेत्र में **इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक** की 100 से अधिक शाखाएँ स्थापित की जाएँगी। साथ ही इस वर्ष ग्रामीण विकास और बुनियादी ढाँचे के लिये **2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान** किया गया है।

- **प्राथमिकता 4: विनिर्माण और सेवाएँ:**
  - बजट में MSME के लिये समर्थन पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें श्रम-प्रधान विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें प्रति आवेदक **100 करोड़ रुपए** तक की नई स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि की पेशकश की गई है।
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक MSME ऋण** के लिये अपनी आंतरिक मूल्यांकन क्षमताओं को बढ़ाएँगे। इसके अतिरिक्त, **मुद्रा ऋण** सीमा पिछले 'तरुण' श्रेणी के उधारकर्त्ताओं के लिये **20 लाख रुपए** तक बढ़ जाएगी।
  - बजट में **50 खाद्य विकिरण इकाइयाँ स्थापित करने, 100 खाद्य गुणवत्ता प्रयोगशालाएँ स्थापित करने और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र** बनाने जैसी पहल भी शामिल हैं।
  - इसके अलावा, 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के लिये एक योजना का लक्ष्य **5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं** को लाभान्वित करना है।
- **प्राथमिकता 5: शहरी विकास:**
  - **पीएम आवास योजना शहरी 2.0** के तहत **1 करोड़** शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, जिसमें **5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए** की केंद्रीय सहायता शामिल है।
  - **सरकार, बैंक योग्य परियोजनाओं** के माध्यम से 100 बड़े शहरों में **जलापूर्ति, सीवेज उपचार और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकारों एवं बहुपक्षीय विकास बैंकों के साथ भी सहयोग करेगी।
  - इसके अतिरिक्त **पीएम स्वनिधि** की सफलता के आधार पर, सरकार अगले पाँच वर्षों में वार्षिक रूप से **100 साप्ताहिक स्ट्रीट फूड हब (हाट)** स्थापित करने की योजना बना रही है।
- **प्राथमिकता 6: ऊर्जा सुरक्षा:**
  - **प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना** का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली (हर महीने 300 यूनिट तक) देने के लिये छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना है।
  - इसमें परमाणु ऊर्जा को भारत के ऊर्जा मिश्रण के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से के रूप में रेखांकित किया गया है।
- **प्राथमिकता 7: बुनियादी ढाँचा:**
  - सरकार इस दिशा में अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढाँचे के लिये मज़बूत वित्तीय सहायता बनाए रखने की कोशिश करेगी। इस वर्ष पूंजीगत व्यय के लिये **11,11,111 करोड़ रुपए** आवंटित किये गए हैं, जो हमारे **सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%** है।
  - जनसंख्या वृद्धि के कारण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिये **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)** के चरण IV की घोषणा की गई है।
  - बिहार के लिये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सरकार **कोसी-मेची अंतर-राज्यीय लिंक** जैसी परियोजनाओं और बैराज, **नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित** 20 अन्य योजनाओं के लिये 11,500 करोड़ रुपए आवंटित करेगी।
  - इसके अतिरिक्त **असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम** को बाढ़ प्रबंधन, भूस्खलन एवं संबंधित परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **प्राथमिकता 8: नवाचार, अनुसंधान और विकास:**
  - सरकार बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास का समर्थन करने हेतु **राष्ट्रीय अनुसंधान कोष** की स्थापना करेगी, जिसमें **वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार** को बढ़ावा देने के लिये **1 लाख करोड़ रुपए आवंटित** किये जाएँगे।
  - अगले दशक में **अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को पाँच गुना बढ़ाने के लिये 1,000 करोड़ रुपए** का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा।
- **प्राथमिकता 9: अगली पीढ़ी के सुधार**
  - **आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये** आर्थिक नीति ढाँचे, श्रम सुधार और FDI नियमों के सरलीकरण की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई है।
  - सरकार द्वारा **व्यापार करने में आसानी** को बेहतर बनाने के लिये **जन विश्वास विधेयक 2.0** पेश किया जाएगा।

नोट :

- **अन्य मुख्य बातें:**
  - **आर्थिक नीति फ्रेमवर्क:**
    - सरकार आर्थिक विकास के लिये समग्र दृष्टिकोण निरूपित करने हेतु एक **आर्थिक नीति फ्रेमवर्क** का निर्माण करेगी और रोज़गार के अवसरों तथा सतत् उच्च विकास के लिये अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेगी।
  - **श्रम संबंधी सुधार**
    - ई-श्रम पोर्टल का अन्य पोर्टलों के साथ समग्र एकीकरण करने से ऐसा वन-स्टॉप समाधान सुगम होगा। उद्योग और व्यापार के लिये अनुपालन की सुगमता बढ़ाने हेतु **श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल** को नवीकृत किया जाएगा।
    - सरकार, जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिये पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने हेतु **जलवायु वित्त के लिये एक टैक्सोनॉमी विकसित** करेगी।
  - **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज़ निवेश**
    - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ओवरसीज निवेश के लिये नियमों और विनियमों को सरल किया जाएगा ताकि

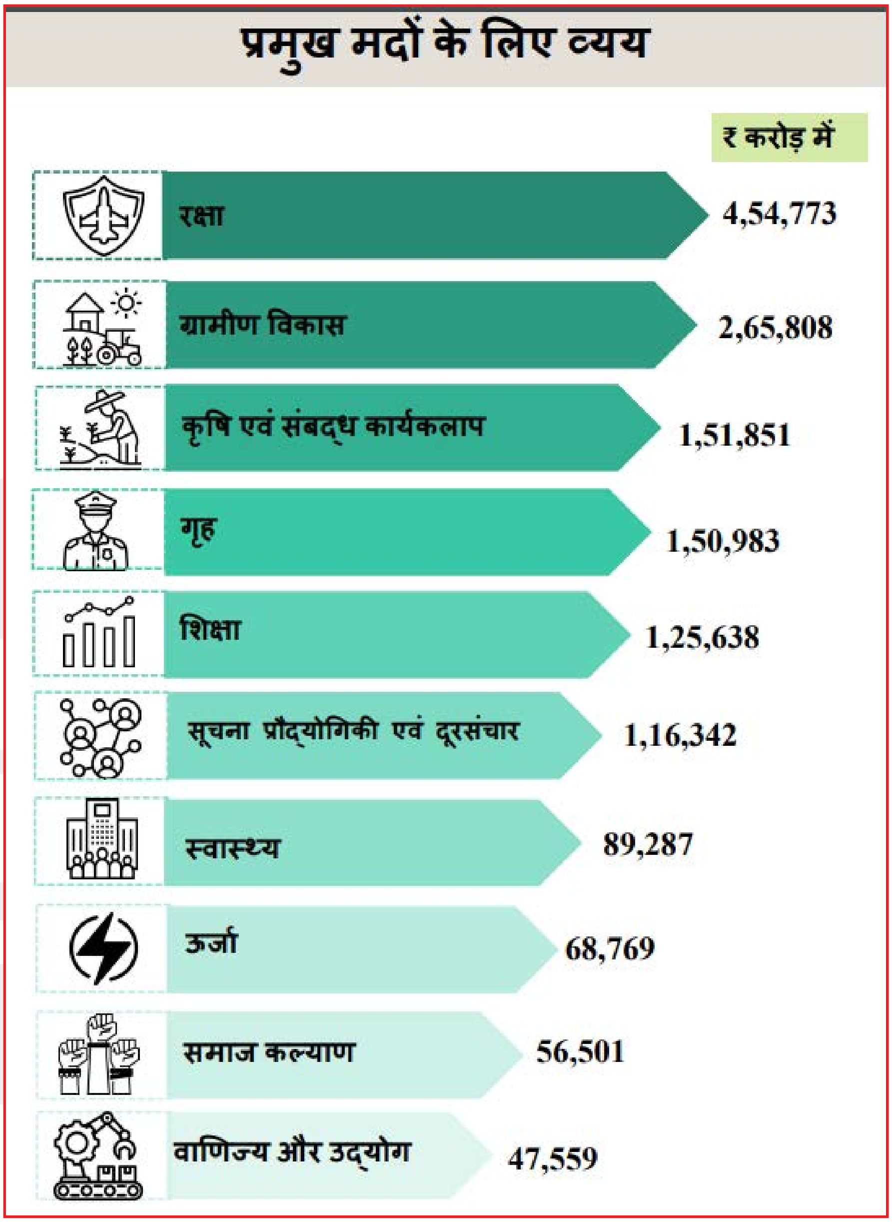

  - (1) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुविधाजनक हो सके (2) प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश हो सके और (3) ओवरसीज़ निवेशों के लिये मुद्रा के रूप में भारतीय रुपए के उपयोग हेतु अवसरों को बढ़ावा मिले।
  - **NPS वात्सल्य**
    - माता-पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिये अंशदान हेतु NPS-वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। वयस्कता की आयु होने पर इस योजना को सहज रूप से एक सामान्य NPS खाते में बदला जा सकेगा।
  - **नई पेंशन योजना (NPS)**
    - NPS की समीक्षा के लिये गठित समिति ने अपने कार्य में पर्याप्त प्रगति की है और इस दिशा में एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा तथा साथ ही आम जनता के हितों की सुरक्षा के लिये राजकोषीय दूरदर्शिता बनाए रखी जाएगी।
  - **प्रत्यक्ष कर सुधार:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा एवं सरलीकरण का प्रस्ताव है।

- परिवर्तनों में संशोधित आयकर स्लैब और कटौती, कर अनुपालन का सरलीकरण एवं पूंजीगत लाभ कराधान में सुधार लाना शामिल हैं।

- **सीमा शुल्क सुधार: GST और सीमा शुल्क दरों** को युक्तिसंगत बनाने, आवश्यक दवाओं और महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये छूट के साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है।
- **विवाद समाधान: विवाद से विश्वास योजना**, अपील हेतु मौद्रिक सीमा में वृद्‌धि तथा हस्तांतरण मूल्य निर्धारण आकलन को सुव्यवस्थित करने के उपायों जैसी पहलों का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना तथा कर निश्चितता प्रदान करना है।

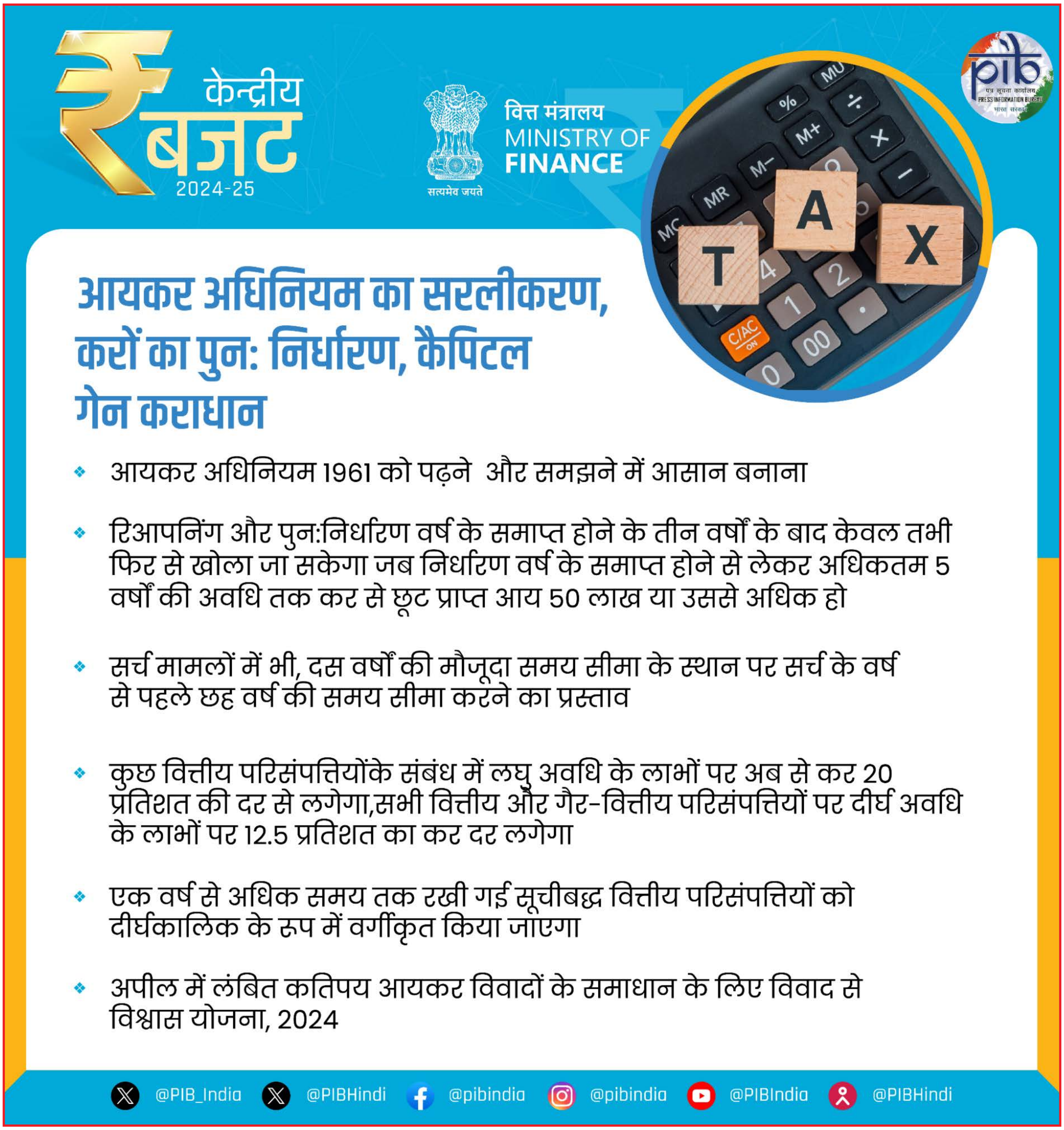

नोट :

केन्द्रीय बजट 2024-25

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE

सत्यमेव जयते

कर राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना

0-3 लाख रुपये	शून्य
3-7 लाख रुपये	5 प्रतिशत
7-10 लाख रुपये	10 प्रतिशत
10-12 लाख रुपये	15 प्रतिशत
12-15 लाख रुपये	20 प्रतिशत
15 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

- नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ

लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों आयकर में राहत

- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव
- पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia @PIBIndia @PIBHindi

बजट अनुमान 2024-25

- वर्ष 2024-25 के लिये उधार के अलावा कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय **क्रमशः 32.07 लाख करोड़ रुपए और 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित** हैं।
- शुद्ध कर प्राप्तियाँ **25.83 लाख करोड़ रुपए** रहने का अनुमान है और **राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का** अनुमान है। साथ ही सरकार **अगले वर्ष घाटे को 4.5% से नीचे** लाने का लक्ष्य रखेगी।
- वर्ष 2024-25 के दौरान **दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाज़ार उधार क्रमशः** 14.01 **लाख करोड़ रुपए और 11.63 लाख करोड़ रुपए** होने का अनुमान है।

नोट :

- बजट भाषण में भारत की निम्न एवं स्थिर मुद्रास्फीति पर प्रकाश डाला गया, जो **4% के लक्ष्य की ओर बढ़** रही है तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट उपाय किये गए हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में बजट से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। संवैधानिक ढाँचा, वित्तीय मामलों के साथ व्यय पर संसदीय नियंत्रण किस प्रकार सुनिश्चित करता है?

उच्च खाद्य मुद्रास्फिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने "**अर्थव्यवस्था की स्थिति**" शीर्षक वाले अपने मासिक बुलेटिन में बताया कि जून 2024 में सब्जियों की कीमतों में होने वाली तीव्र वृद्धि ने 4% लक्ष्य की ओर अपस्फीति प्रक्रिया को बाधित किया है।

- इस रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति को 4% के लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने पर केंद्रित रहना चाहिये।

भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति के हालिया रुझान

- **हेडलाइन मुद्रास्फीति:** खाद्य कीमतों के कारण वर्ष-दर-वर्ष (Year-on-Year) हेडलाइन मुद्रास्फीति मई 2024 के 4.8% से बढ़कर जून 2024 में 5.1% हो गई है।
- **खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि:** खाद्य मुद्रास्फीति मई 2024 के 7.9% से बढ़कर जून 2024 में 8.4% हो गई है, जिसमें अनाज, दालों और खाद्य तेलों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- **उच्च आवृत्ति डेटा:** जुलाई के डेटा के अनुसार अनाज (मुख्य रूप से गेहूँ), दालों (चना और अरहर/तूअर) और खाद्य तेलों (सरसों और मूंगफली) की कीमतों में वृद्धि हुई।

खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के क्या कारण हैं?

- **तापमान और मौसम संबंधी चुनौतियाँ:** प्रतिकूल मौसम की स्थितियाँ जैसे कि इस वर्ष कमज़ोर मानसून और **शुष्क पवनों के कारण फसलों** (विशेष रूप से अनाज, दालों तथा चीनी) की पैदावार प्रभावित हुई है, जिससे घरेलू स्तर पर आपूर्ति की कमी होने के साथ कीमतें बढ़ी हैं।
  - **उदाहरण के लिये अनाज और दालों की मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में दोहरे अंकों में रही है।**
- **ईंधन की कीमतें:** कृषि के प्रमुख इनपुट (ईंधन) की कीमत में हाल के वर्षों में काफी वृद्धि देखी गई है।
  - उदाहरण के लिये ईंधन में 1% की मुद्रास्फीति से खाद्य मुद्रास्फीति में 0.13% की वृद्धि होती है।
- **परिवहन संबंधी मुद्दे:** परिवहन बाधाओं, **श्रम की कमी और रसद संबंधी चुनौतियों जैसे कारकों से आपूर्ति शृंखला में होने वाले व्यवधान के कारण खाद्य उत्पादों की उपलब्धता में कमी होने** से कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
- **उत्पादन लागत:** किसानों के लिये उत्पादन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसमें **ईंधन, उर्वरक और श्रम लागत में होने वाली वृद्धि** शामिल है।
- **वैश्विक कारण:** रूस-यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का वैश्विक (विशेष तौर पर विकासशील देशों पर) प्रभाव पड़ रहा है। जिससे ऊर्जा और वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के साथ वैश्विक रसद आपूर्ति शृंखला बाधित हुई है।
  - यूक्रेन और रूस की वैश्विक गेहूँ **निर्यात में 30% तक हिस्सेदारी है**, जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई है।

खाद्य महँगाई/मुद्रास्फीति को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

- **सब्सिडी वाली वस्तुएँ:** सरकार अपने नेटवर्क के माध्यम से प्याज व टमाटर जैसी सब्सिडी वाली सब्जियों का वितरण बढ़ा रही है तथा कीमतों को स्थिर करने के लिये गेहूँ व चीनी का स्टॉक जारी कर रही है।
- **बफर स्टॉक प्रबंधन:** सरकार गेहूँ, चावल और दालों जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाए रखती है ताकि इनकी कमी या कीमतों में उछाल के समय बाज़ार में इसे जारी किया जा सके।
- **खरीद और PDS:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से सब्सिडी वाले अनाज प्रदान करके गरीबों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। खरीद बढ़ाने और PDS कवरेज का विस्तार करने से कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): किसानों को** उनकी उपज के लिये **लाभकारी मूल्य की गारंटी देने से उत्पादन को प्रोत्साहन** मिलता है, जिससे आपूर्ति बढ़ती है और संभावित रूप से कीमतें कम होती हैं।
- **आयात-निर्यात नीतियाँ:** सरकार **घरेलू आपूर्ति और कीमतों को प्रबंधित करने के लिये खाद्य वस्तुओं के आयात एवं निर्यात** को विनियमित कर सकती है। उदाहरण के लिये आपूर्ति बढ़ाने हेतु आयात शुल्क कम किया जा सकता है, जबकि घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिये निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

नोट :

- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और परिवहन सुविधाओं में निवेश से फसल-कटाई के बाद उपज में होने वाले नुकसान में कमी आने से आपूर्ति शृंखला दक्षता में सुधार होता है और कीमतें कम होती हैं।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने से (जैसे कि सूक्ष्म कृषि व मौसम पूर्वानुमान) **उत्पादकता को बढ़ावा मिल सकता है तथा उत्पादन लागत कम हो सकती है।**

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से खाद्य पदार्थ को हटाना (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)

- **RBI की मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रणनीति:** मार्च 2021 में सरकार ने भारतीय **रिज़र्व बैंक (RBI)** के **लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य को** मार्च 2026 तक पाँच वर्षों के लिये **2-6% पर बनाए रखा।**
  - वर्ष 2016 में प्रारंभ किये गए इस ढाँचे के तहत, RBI द्वारा **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)** द्वारा निर्धारित की गई **हेडलाइन मुद्रास्फीति** को लक्षित किया जाता है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण के सुझाव:**
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24** में भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे से **खाद्य मुद्रास्फीति को बाहर करने का सुझाव** दिया गया है।
  - विकासशील देशों में खाद्य पदार्थों की **CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति में 46%** हिस्सेदारी होती है, इसलिये खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना समग्र मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने की कुंजी है।
    - जून 2024 में **समग्र मुद्रास्फीति 5.1%** थी,जिसमें **खाद्य मुद्रास्फीति 9.4%** और **कोर मुद्रास्फीति 3.1%** थी।
- **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण से खाद्य पदार्थों को बाहर रखने के कारण:**
  - **आपूर्ति-प्रेरित मूल्य परिवर्तन:** खाद्य मूल्य में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से मांग के बजाय **आपूर्ति आघातों (उदाहरण के लिये: खराब फसल, जलवायु स्थितियों)** के कारण होता है।
    - **मांग-पक्ष के दबावों से निपटने हेतु बनाए गए** पारंपरिक **मौद्रिक नीति उपकरण,** आपूर्ति-प्रेरित परिवर्तनों के लिये अप्रभावी हैं।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** गरीब और निम्न आय वाले उपभोक्ताओं को बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने में सहायता करने के लिये इस सर्वेक्षण में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या कूपन का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है, जो **मुद्रास्फीति ढाँचे को बाधित किये बिना लक्षित सहायता प्रदान करता है।**
  - **कोर मुद्रास्फीति पर ध्यान:** खाद्य वस्तुओं को बाहर करने से **कोर मुद्रास्फीति** पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा, जो अंतर्निहित मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करती है क्योंकि **यह अस्थायी आघातों से कम प्रभावित होती है।**
  - **अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ: अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा** जैसे देश भी अधिक स्थिर एवं पूर्वानुमानित मौद्रिक नीति ढाँचे को बनाए रखने के लिये अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण में **खाद्य और ऊर्जा की कीमतों को शामिल नहीं करते हैं।**

नोट:

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बनाम थोक मूल्य सूचकांक (WPI):**
- WPI **उत्पादक स्तर** पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करता है और CPI **उपभोक्ता स्तर** पर मूल्य स्तरों में परिवर्तन को दर्शाता है।
- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को नहीं दर्शाता है, जबकि CPI दर्शाता है।
- **हेडलाइन मुद्रास्फीति और कोर मुद्रास्फीति:**
- **हेडलाइन मुद्रास्फीति कुल आर्थिक मुद्रास्फीति** का एक माप है जिसमें **खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं।**
- **कोर मुद्रास्फीति** वस्तुओं और सेवाओं की लागत में परिवर्तन है, लेकिन **इसमें खाद्य तथा ऊर्जा क्षेत्र की लागत शामिल नहीं है।**
- मुद्रास्फीति के इस माप में इन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी कीमतें बहुत अधिक अस्थिर होती हैं।
- **कोर मुद्रास्फीति = हेडलाइन मुद्रास्फीति - (खाद्य और ईंधन) मुद्रास्फीति।**

आगे की राह:

- **आपूर्ति शृंखला में सुधार:** भंडारण सुविधाओं, कोल्ड चेन और परिवहन जैसी बुनियादी संरचनाओं में निवेश से **फसल-उपरांत होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है** और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि **खाद्यान्न** उपभोक्ताओं तक तेजी से और बेहतर स्थिति में पहुँचे, जिससे कीमतें स्थिर रहेंगी।
  - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** जैसी प्रत्यक्ष खरीद पहल और **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)** जैसी योजनाओं का विस्तार, किसानों को

बिचौलियों के बिना उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता कर सकता है, जिससे मूल्य अस्थिरता कम हो सकती है।

- **नियामक उपाय:** मूल्य नियंत्रण और निगरानी से आवश्यक वस्तुओं पर **अस्थायी मूल्य नियंत्रण लागू करके मुद्रास्फीति के दौरान तत्काल राहत प्रदान की जा सकती है।**
  - **आवश्यक वस्तु अधिनियम** को मज़बूत करने से भंडारण और आवाजाही को विनियमित करने, जमाखोरी को रोकने और उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
- **प्रौद्योगिकी में निवेश:** आधुनिक कृषि तकनीकों और प्रौद्योगिकियों (जैसे परिशुद्ध कृषि और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें) के उपयोग को प्रोत्साहित करने से पैदावार में वृद्धि हो सकती है।
  - **आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23** के अनुसार नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने से **उत्पादकता में संभावित रूप से 20-30% की वृद्धि** हो सकती है।
- **फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना:** फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से कीमतों को स्थिर करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिये, पारंपरिक फसलों से दलहन और तिलहन की ओर रुख करने से आयात पर निर्भरता कम हो सकती है एवं स्थानीय बाज़ारों में स्थिरता आ सकती है।
- **बाज़ार सुधार: कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC)** को मज़बूत करना और अधिक विनियमित बाज़ारों की स्थापना से बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित हो सकता है एवं बिचौलियों का प्रभाव कम हो सकता है।
  - इसके अतिरिक्त **e-NAM (राष्ट्रीय कृषि बाज़ार)** जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को प्रत्यक्ष रूप से खरीदारों से जोड़ सकते हैं, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति हेतु उत्तरदायी प्राथमिक कारकों को बताते हुए चर्चा कीजिये कि समग्र मुद्रास्फीति एवं खाद्य मुद्रास्फीति के बीच इस अंतर को कम करने के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है?

बजट 2024-25 में प्रमुख आर्थिक सुधार

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 में **एंजेल टैक्स**, **ई-कॉमर्स** पर **समानीकरण शुल्क**, पूंजीगत लाभ और **प्रतिभूति लेन-देन कर (STT)** के अनुप्रयोग सहित **MSME** क्षेत्र से संबंधित कई **परिवर्तन किये गए हैं।**

उद्योग के संबंध में बजट में प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

- **एंजेल टैक्स:** सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में **एंजेल टैक्स को समाप्त करने** की घोषणा की है।
  - एंजेल टैक्स वह कर है जो **असूचीबद्ध कंपनियों** द्वारा ऑफ-मार्केट लेनदेन में शेयर जारी करके जुटाई गई धनराशि पर चुकाया जाना चाहिये, यदि वह कंपनी के उचित बाज़ार मूल्य से अधिक हो।
  - एंजेल टैक्स को **वर्ष 2012 में आयकर अधिनियम, 1961 के माध्यम से शुरू किया गया था,** जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स में निवेश के माध्यम से **होने वाले धन शोधन पर नियंत्रण रखना था।**
- **समानीकरण शुल्क:** सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं की ई-कॉमर्स आपूर्ति पर लगाए जाने वाले 2% समानीकरण शुल्क को वापस लेने का निर्णय लिया है।
  - हालाँकि, ऑनलाइन विज्ञापन जैसी विशिष्ट डिजिटल सेवाओं के लिये **वित्त अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 6% समानीकरण शुल्क लागू रहेगा।**
  - **अप्रैल 2020 में भारत ने अनिवासी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों** द्वारा ई-कॉमर्स आपूर्ति या सेवाओं से **प्राप्त किये जाने वाले राजस्व पर 2% समानीकरण शुल्क लगाया।**
    - समानीकरण शुल्क का उद्देश्य उन **विदेशी कंपनियों पर कर लगाना है, जिनका भारत में महत्त्वपूर्ण स्थानीय ग्राहक आधार है,** लेकिन वे देश की कर प्रणाली से अलग-थलग हैं।
  - **इस शुल्क से प्रमुख अमेरिकी डिजिटल कंपनियाँ प्रभावित हुईं हैं,** जिसके कारण वाशिंगटन ने लगभग 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर के करों की भरपाई के लिये प्रतिक्रियास्वरूप कई भारतीय उत्पादों पर **25% तक का आयात शुल्क लगाने** का प्रस्ताव रखा है।
  - नवंबर 2021 में भारत और अमेरिका ने **OECD/G20 इन्क्लूसिव फ्रेमवर्क टू-पिलर सॉल्यूशन** के तहत अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिशोधात्मक शुल्कों को निलंबित कर दिया गया।
- **पूंजीगत लाभ और प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) पर कराधान में वृद्धि:**
  - बजट 2024 में **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ** निर्धारित करने के नियमों को संशोधित किया गया है, जिससे **विभिन्न प्रकार**

नोट :

की पूंजीगत परिसंपत्तियों हेतु होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया गया है जो **अल्पकालिक** या **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ** के लिये योग्य हैं।

- **अब केवल दो होल्डिंग पीरियड होंगें: अल्पकालिक के लिये 12 महीने और दीर्घकालिक के लिये 24 महीने,** ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि परिसंपत्तियों से प्राप्त पूंजीगत लाभ अल्पकालिक है या दीर्घकालिक।
  - हालाँकि, **सभी सूचीबद्ध परिसंपत्तियों** का प्रस्तावित होल्डिंग पीरियड (**दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिये) 12 महीने** है।
  - अन्य सभी परिसंपत्तियों के संदर्भ में **लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में शामिल करने के लिये** होल्डिंग पीरियड 24 महीने होगा।
- **सूचीबद्ध इक्विटी** और इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंड पर **पूंजीगत लाभ के लिये** छूट सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है।
- **सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड को छोड़कर** सभी परिसंपत्तियों से प्राप्त अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर निवेशक की कर स्लैब दरों के अनुसार कर लगाया जाएगा।
  - कर स्लैब से इतर **इक्विटी शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर की दर बढ़ाकर 20% कर दी गई** है।

- **प्रतिभूतियों के फ्यूचर और ऑप्शन (F&O) पर STT को दोगुना कर दिया गया** है। फ्यूचर्स के लिये STT को बढ़ाकर 0.02% और ऑप्शन के लिये इसे बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है।
  - **ऑप्शन** और **फ्यूचर्स दो प्रकार के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट** हैं जो अंतर्निहित इंडेक्स, प्रतिभूति या कमोडिटी के लिये बाज़ार की गतिविधियों से अपना मूल्य प्राप्त करते हैं।
  - **ऑप्शन, क्रेता को** अनुबंध की समयावधि के दौरान किसी भी समय किसी विशिष्ट मूल्य पर परिसंपत्ति खरीदने (या बेचने) का **अधिकार देता है**, लेकिन इसमें **दायित्व/बाध्यता नहीं है**।
  - **फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, खरीदार को** एक **विशिष्ट परिसंपत्ति खरीदने** और विक्रेता को एक विशिष्ट फ्यूचर डेट पर उस परिसंपत्ति को बेचने तथा वितरित करने **के लिये बाध्य करता है।**

- **MSME के लिये नया मूल्यांकन मॉडल और ऋण योजनाएँ:**
  - **MSME के लिये नया ऋण मूल्यांकन मॉडल:**
    - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB)** को परिसंपत्तियों या टर्नओवर जैसे पारंपरिक मानदंडों के बजाय **डिजिटल फुटप्रिंट** के आधार पर **MSME ऋण** पात्रता का आकलन करने की आवश्यकता है।
    - इसमें वे **MSME** भी शामिल होंगे **जिनके पास औपचारिक लेखा प्रणाली नहीं** है।
  - **मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि:**
    - **मुद्रा ऋण** सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, और जिन उद्यमियों ने पिछले 'तरुण' श्रेणी के ऋणों को सफलतापूर्वक चुकाया है, वे बढ़ी हुई सीमा के लिये पात्र हैं।
  - **TReDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग:**
    - **व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली/ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)** प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिये **टर्नओवर सीमा 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए** कर दी गई है।
    - इस कदम से 22 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) और 7,000 अतिरिक्त कंपनियाँ इस प्लेटफॉर्म पर आ जाएँगी, जिससे MSME के लिये चलनिधि और कार्यशील पूंजी की पहुँच बढ़ेगी।
  - **SIDBI शाखाओं का विस्तार:**
    - **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)** द्वारा प्रमुख MSME क्लस्टरों में नई शाखाएँ खोली जाएँगी, **इस वर्ष 24 शाखाएँ जोड़ी जाएँगी** और तीन वर्षों के भीतर 242 क्लस्टरों में से 168 को कवर करने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- **PMMY** (**वर्ष 2015 में प्रारंभ** की गई) छोटे व्यवसाय उद्यमों के लिये 10 लाख रुपए तक के **गारंटी -मुक्त संस्थागत ऋण** प्रदान करती है।
- **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)**, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC) और **सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI)** द्वारा वित्तपोषण प्रदान किया जाता है।
- **PMMY के तहत तीन ऋण उत्पाद हैं:**
  - शिशु (50,000 रुपए तक का ऋण)

- किशोर (50,000 रुपए से 5 लाख रुपए के बीच का ऋण)
- तरुण (5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच का ऋण)

ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS)

- कई वित्तपोषकों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण/छूट की सुविधा प्रदान करने के क्रम में TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म है। ये प्राप्तियाँ कॉर्पोरेट और अन्य खरीदारों द्वारा देय हो सकती हैं, जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल हैं।

हाल के बदलावों के क्या निहितार्थ हैं?

- **एंजेल टैक्स:**
    - एंजेल टैक्स को समाप्त करने से भारतीय स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मज़बूती मिलेगी, उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
    - एंजेल टैक्स को खत्म करने से अधिक विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और स्टार्ट-अप के लिये आवश्यक पूंजी उपलब्ध कराने की उम्मीद है।
        - Inc42 की भारतीय टेक स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वर्ष 2023 में स्टार्ट-अप फंडिंग 60% घटकर 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई।
- **समानीकरण शुल्क:**
    - **2% शुल्क वापस लेने से अनुपालन बोझ कम होने और अन्य क्षेत्राधिकार में कार्य करने वाली** गैर-निवासी डिजिटल कंपनियों के लिये पारस्परिक रूप से अनुकूल वातावरण बनने की उम्मीद है।
    - इस कदम से **भारत और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव कम होने** की संभावना है, जिससे अधिक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।
    - यह निर्णय **वैश्विक कराधान मानदंडों और प्रथाओं** के साथ तालमेल बिठाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- **STT में वृद्धि:**
    - इससे **सट्टा कारोबार** में कमी आ सकती है, जिससे बाज़ार में गतिविधि कम हो सकती है।
        - STT में वृद्धि का उद्देश्य F&O सेगमेंट में वॉल्यूम में तेज़ी से हो रही वृद्धि को रोकना है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिये संभावित जोखिम के रूप में चिह्नित किया है।
        - डेरिवेटिव में **उच्च वॉल्यूम से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हो** सकता है और यह पूंजी **निर्माण, निवेश और आर्थिक विकास** को प्रभावित कर सकता है।
    - नई कर दरों से व्यापारियों और निवेशकों के लिये अनुपालन लागत बढ़ने की संभावना है, जबकि इससे सरकार के लिये अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होगा।
- **MSMEs:**
    - डिजिटल फुटप्रिंट-**आधारित मूल्यांकन मॉडल में बदलाव से MSME के लिये ऋण तक आसान पहुँच** की सुविधा मिलेगी, खासकर उन लोगों के लिये जिनके पास औपचारिक लेखा प्रणाली नहीं है।
    - मुद्रा ऋण सीमा में वृद्धि और गारंटी-मुक्त ऋण गारंटी योजना की शुरूआत से MSME के लिये वित्तीय सहायता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे वे प्रौद्योगिकी को उन्नत करने, नई मशीनरी में निवेश करने और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करने में सक्षम होंगे।
    - TReDS प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य ऑनबोर्डिंग की सीमा को कम करने से छोटे उद्यमों के लिये तरलता में सुधार होगा, **क्योंकि इससे उन्हें व्यापार प्राप्तियों को अधिक कुशलतापूर्वक नकदी** में परिवर्तित करने की अनुमति मिलेगी।
    - भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की शाखाओं का विस्तार करने से यह सुनिश्चित होगा कि MSME की वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच होगी, जिससे उनकी वृद्धि और विकास में सुविधा होगी।

निष्कर्ष

केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लिखित हाल के आर्थिक सुधार भारत के वित्तीय परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से उन्नत बनाने हेतु तैयार हैं। ये **उपाय MSME के लिये ऋण पहुँच को सुव्यवस्थित करके**, कर नीतियों को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर और **वित्तीय बाज़ारों में जोखिमों को कम करके एक अधिक गतिशील** तथा समावेशी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों चुनौतियों का समाधान करते हुए इन सुधारों का उद्देश्य सतत् विकास एवं नवाचार के लिये अनुकूल एवं अधिक लचीले आर्थिक वातावरण का निर्माण करना है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तुत किये गए हालिया आर्थिक सुधारों पर चर्चा कीजिये और भारत के वित्तीय परिदृश्य पर उनके संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।

भारत का परिधान निर्यात क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

भारत का परिधान निर्यात उद्योग, जो रोज़गार में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, लगातार गिरावट का सामना कर रहा है। **जलवायु परिवर्तन**, प्रौद्योगिकी और व्यापार पर केंद्रित शोध समूह **ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI)** की एक हालिया रिपोर्ट ने इस मंदी के पीछे के कारणों को उजागर किया है, जो बाह्य प्रतिस्पर्द्धा के बजाय स्वयं द्वारा लगाए गए अवरोधों का संकेत देती है।

GTRI रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **निर्यात मूल्य में गिरावट:** सत्र 2023-24 में भारत का परिधान निर्यात 14.5 बिलियन अमेरीकी डॉलर था, जबकि सत्र 2013-14 में यह 15 बिलियन अमेरीकी डॉलर था।

Source: Textile Export Promotion Council, Apparel Export Promotion Council
Note: *Until February 2024

  - इसी अवधि के दौरान वियतनाम और बांग्लादेश के परिधान निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो क्रमशः 33.4 बिलियन अमेरीकी डॉलर एवं 43.8 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच गया।
  - गिरावट के बावजूद, चीन ने अभी भी लगभग 114 बिलियन अमेरीकी डॉलर के परिधान निर्यात किये।
  - **वैश्वीकरण** ने प्रतिस्पर्द्धा बढ़ा दी है और उत्पादन को कम लागत वाले श्रम वाले देशों में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे भारत की बाज़ार हिस्सेदारी प्रभावित हुई है।
- **व्यापार बाधाएँ:** इस क्षेत्र को आवश्यक कच्चे माल के आयात पर भारी शुल्क का सामना करना पड़ता है, जिससे उत्पादन अधिक महँगा हो जाता है।
  - पुराने रीति-रिवाज़ और व्यापार प्रक्रियाएँ चुनौतियों को बढ़ाती हैं, समय एवं संसाधनों की खपत करती हैं जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
  - **पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर** और **विस्कोस स्टेपल फाइबर** जैसे **कच्चे माल के लिये स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं का प्रभुत्व** निर्यातकों को अधिक महँगे स्वदेशी विकल्पों पर निर्भर रहने के लिये मजबूर करता है।
  - वस्त्र के आयात के लिये हाल ही में **गुणवत्ता नियंत्रण आदेश** (QCO) ने आयात प्रक्रिया को जटिल बना दिया है, जिससे निर्यातकों की लागत बढ़ गई है।
    - निर्यातकों को **महंगी घरेलू आपूर्ति** का उपयोग करने के लिये मजबूर होना पड़ता है, जिससे भारतीय परिधान वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्द्धी बन जाते हैं। निर्यातकों को प्रत्येक आयातित घटक का सावधानीपूर्वक हिसाब रखना चाहिये जिससे जटिलता और लागत बढ़ सके।
- **उत्पादन आधारित (PLI) योजना:** वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना** ने **पर्याप्त निवेश आकर्षित नहीं किया** है जिसे प्रभावी होने के लिये इसमें और अधिक संशोधनों की आवश्यकता है।
- **बढ़ते आयात:** भारत का परिधान और वस्त्र आयात वर्ष 2023 में लगभग 9.2 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँच गया, इस बात की चिंता है कि अगर निर्यात चुनौतियों का समाधान नहीं हुआ तो यह बढ़ सकता है।
- **वैश्विक बाज़ारों में सिंथेटिक वस्त्र:** विकसित देश मिश्रित सिंथेटिक्स से बने कपड़ों को पसंद करते हैं, जबकि भारतीय निर्यात का केवल 40% से भी कम सिंथेटिक वस्त्र हैं।
  - सिंथेटिक्स में विविधता लाने से भारतीय निर्माता साल भर काम कर सकते हैं, जिससे शरद ऋतु और सर्दियों के दौरान भी मांग पूरी हो सकती है।
  - भारतीय निर्यातकों को **फास्ट फैशन इंडस्ट्री (FFI)** की तेज़ गति वाली मांगों को पूरा करने की ज़रूरत है, जिसमें वॉलमार्ट, ज़ारा, H&M, गैप और अमेज़न जैसे प्रमुख ऑनलाइन खुदरा विक्रेता शामिल हैं।
- **क्षेत्र में सुधार के लिये सिफारिशें:** सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने से निर्यातकों पर समय एवं लागत का बोझ कम हो सकता है।
  - आवश्यक कच्चे माल पर शुल्क कम करने से उत्पादन लागत कम करने में मदद मिल सकती है।

- कच्चे माल के लिये घरेलू बाज़ार में उचित प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने से निर्यातकों के लिये लागत कम हो सकती है।

भारत के परिधान उद्योग के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- भारत में वस्त्र एवं परिधान उद्योग **अत्यधिक विखंडित** है, जिसमें बड़ी संख्या में छोटे पैमाने के निर्माता और फैब्रिकेटर हावी हैं। लगभग 27,000 घरेलू निर्माता, 48,000 फैब्रिकेटर और 100 निर्माता-निर्यातक हैं। अधिकांश फर्म या तो स्वामित्व वाली हैं या साझेदारी वाली हैं।
  - उद्योग को **कुशल श्रमिकों के एक बड़े समूह** और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विकास से लाभ होता है, जो इसे भारत में एक प्रमुख संभावित क्षेत्र बनाता है।
  - भारत में कपड़ा और परिधान उद्योग कृषि के बाद देश में **दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, जो 4.5 करोड़ लोगों को** प्रत्यक्ष रोज़गार तथा संबद्ध उद्योगों में **10 करोड़ लोगों को** रोज़गार प्रदान करता है।
- **प्रमुख उत्पादक और उत्पाद:** भारत दुनिया में कपास और जूट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भी है और विश्व का 95% हाथ से बुना कपड़ा भारत से निर्यात होता है।
  - तमिलनाडु एक प्रमुख सूती कपड़ा केंद्र है, जो देश के सूती धागे और कपड़ों के निर्यात में 25% से अधिक का योगदान देता है।
- **बाज़ार वृद्धि:** वित्त वर्ष 2026 तक कुल कपड़ा निर्यात 65 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है और वर्ष 2019-20 से 10% **चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)** से बढ़कर वर्ष 2025-26 तक 190 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- **निर्यात रुझान:** भारत एक बड़ा विनिर्माण आधार के साथ कपड़ा और परिधान का एक महत्त्वपूर्ण निर्यातक है। **वर्ष 2022-23 में, कपड़ा और परिधान निर्यात** भारत के कुल निर्यात का **8.0%** था, जबकि वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 5% थी।
  - सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्यात में कपड़ा उत्पादन में 250 बिलियन अमेरीकी डॉलर हासिल करना है। भारत के कपड़ा और परिधान उत्पाद, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प शामिल हैं, विश्व भर के 100 से अधिक देशों में निर्यात किये जाते हैं, जिनमें **अमेरिका, बांग्लादेश, यूके, यूएई और जर्मनी** जैसे प्रमुख निर्यात गंतव्य शामिल हैं।
    - **अमेरिका सबसे बड़ा आयातक है,** जो भारत के कुल निर्यात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है।
  - भारत ने **मई 2022** में यूएई के साथ एक **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर हस्ताक्षर किये और कपड़ा एवं परिधान निर्यात को बढ़ावा देने हेतु यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, इज़रायल व अन्य देशों/क्षेत्रों के साथ FTA पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है।
  - इसके अतिरिक्त, भारत की **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति एकल-ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में 100% FDI और बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार में 51% तक FDI** की अनुमति देती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खुदरा विक्रेता भारत से स्रोत प्राप्त करने के लिये आकर्षित होते हैं तथा नए निर्यात गंतव्यों से रुचि बढ़ाते हैं।
- **सरकारी पहल:**
  - **केंद्रीय बजट 2024-25:**
    - बजट 2024 में कपड़ा क्षेत्र के लिये बजट आवंटन **974 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़ाकर 4,417.09 करोड़ अमेरिकी डॉलर** कर दिया गया है।
    - केंद्रीय बजट में निर्यात के लिये परिधान, जूते और अन्य चमड़े के उत्पाद बनाने के लिये गीले सफेद, क्रस्ट तथा तैयार चमड़े पर सीमा शुल्क को 10% से घटाकर 0% करने का प्रस्ताव है।
    - इसके अतिरिक्त, निर्यात के लिये परिधानों के निर्माण में उपयोग हेतु **बत्तख या हंस से प्राप्त वास्तविक डाउन-फिलिंग** सामग्री पर शुल्क को मौजूदा 30% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा।
  - **परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (AEPC):** वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रायोजित AEPC की स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी। यह भारत से रेडीमेड गारमेंट के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक नोडल एजेंसी है।
    - इस परिषद का प्राथमिक उद्देश्य भारत में सभी प्रकार के रेडीमेड गारमेंट के निर्यात को बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना और विकसित करना है।
    - AEPC FTA, **विदेश व्यापार नीति (FTP)** और द्विपक्षीय समझौतों पर अनुसंधान एवं इनपुट प्रदान करके परिधान उद्योग का समर्थन करता है।
  - **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)**
  - **PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (PM MITRA) पार्क**
  - परिधान और मेड-अप के निर्यात पर राज्य तथा केंद्रीय करों एवं शुल्कों में छूट (RoSCTL योजना)

नोट :

- निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (RoDTEP) योजना
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) समर्थ योजना
- रेशम समग्र योजना
- भारत टेक्स 2024

भारत के परिधान उद्योग को बढ़ावा देने की रणनीतियाँ क्या हैं?

- **वैश्विक बाज़ार की मांग के साथ निर्यात को संरेखित करना:** परिधान उत्पादों और **सस्टेनेबल फैशन** के विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी वैश्विक स्तर पर उच्च मांग है।
  - **बाज़ार-विशिष्ट रणनीतियाँ:**
    - प्रत्येक देश द्वारा आयातित शीर्ष वस्तुओं की पहचान करना, जिसमें भारत का प्रतिशत कम है।
    - अनुपालन मुद्दों को संबोधित करना और प्रतिस्पर्द्धी देशों के साथ लागत तुलना करना। आपूर्ति-मांग के अंतर को कम करने के लिये सूक्ष्म स्तर पर लक्षित हस्तक्षेप लागू करना।
- **ब्रांड निर्माण को बढ़ावा देना:** प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से भारतीय परिधानों के कथित मूल्य को बढ़ाना।
  - ब्रांड छवि में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुपालन के लिये **ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड** (GOTS) जैसे प्रमाणन प्राप्त करना।
  - **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा रेखांकित वर्ष 2030 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर** के परिधान निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिये कम-से-कम 1,200 नई विनिर्माण इकाइयों की आवश्यकता होगी, जबकि अनुमान है कि इसमें केवल 200 इकाइयों की वृद्धि होगी।
    - भारतीय परिधान उत्पादों की उचित ब्रांडिंग से **इकाई मूल्य प्राप्ति** (UVR) में वृद्धि हो सकती है, जिससे निर्यात अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकता है।
- **क्षमता निर्माण:** कताई क्षमता के अनुरूप इन भागों के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश करना। प्रमुख घरेलू अभिनेताओं को क्षमता निर्माण में लाभ को पुन: निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करना।
  - मूल्य शृंखला को मज़बूत करने और लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता हासिल करने के लिये बुनाई, कपड़ा प्रसंस्करण तथा परिधान निर्माण में निवेश करना।
- **बाज़ारों और उत्पादों में विविधता लाना:** अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन जैसे पारंपरिक बाज़ारों पर निर्भरता कम करना। **FTA** के माध्यम से मॉरीशस जैसे नए बाज़ारों की खोज करना।
  - बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिये **मानव निर्मित फाइबर (MMF) वस्त्रों** का उत्पादन बढ़ाना।
    - MMF मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: **सिंथेटिक (कच्चे तेल से बने)** और **सेल्युलोसिक (लकड़ी के गूदे से बने)**। सिंथेटिक स्टेपल फाइबर की मुख्य किस्में पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक और पॉलीप्रोपाइलीन हैं, जबकि सेल्युलोसिक फाइबर में विस्कोस तथा मोडल शामिल हैं।
- **ई-कॉमर्स अवसरों का लाभ उठाना:** वैश्विक **ई-कॉमर्स निर्यात** वर्ष 2030 तक 800 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
  - भारत का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का** व्यापारिक निर्यात लक्ष्य हासिल करना है, **जिसमें 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर ई-कॉमर्स** से आएंगे। **देश में इंटरनेट की उच्च पहुँच और भारतीय प्रवासी समुदायों की मांग से इस वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।**
  - MSME के लिये ई-कॉमर्स महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह परिधान निर्यात को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इसे प्राप्त करने के लिये, विनियामक अनुपालन को सरल बनाया जाना चाहिये और ई-कॉमर्स शिपमेंट हेतु अलग-अलग सीमा शुल्क कोड बनाए जाने चाहिये।
  - निर्यात विस्तार के लिये ई-कॉमर्स का उपयोग करने हेतु त्वरित, साहसिक और लक्षित दृष्टिकोण अपनाना महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के परिधान उद्योग पर वैश्वीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। इसने वैश्विक बाज़ार में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धी स्थिति को कैसे प्रभावित किया है?

खनिज अधिकारों पर राज्यों द्वारा करारोपण शक्ति को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** ने **खनिज अधिकारों पर करारोपण** से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करते हुए अपने वर्ष 1989 के निर्णय को खारिज कर दिया है तथा इस **संदर्भ में राज्य की शक्ति की पुन: पुष्टि की है।**

- नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिये गए इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि खनिज रॉयल्टी पर संसद और राज्यों के पास कितना अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया?

- **मामले की पृष्ठभूमि:**
  - वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय सुनाया कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा **संघ सूची की प्रविष्टि 54** के तहत **खनन विनियमन पर केंद्र का प्राथमिक अधिकार है।**
    - राज्यों को केवल **रॉयल्टी वसूलने** की अनुमति थी और अतिरिक्त करारोपण की अनुमति नहीं थी। न्यायालय ने रॉयल्टी को कर के रूप में वर्गीकृत किया और उन पर कोई भी उपकर **राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।**
  - वर्ष 2004 में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने वर्ष 1989 के एक निर्णय में मुद्रण संबंधी त्रुटि का सुझाव दिया था, जिसमें **यह संकेत दिया गया कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है।** इसके परिणामस्वरूप मौजूदा 9 न्यायाधीशों की पीठ ने इस निर्णय की समीक्षा की।
- **वर्ष 1989 के निर्णय को खारिज किया:** सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय सुनाया कि वर्ष 1989 का वह निर्णय गलत था, **जिसमें खनिजों पर रॉयल्टी को MMDRA, 1957 के तहत कर के रूप में वर्गीकृत किया गया था।**
- **राज्य बनाम केंद्रीय प्राधिकरण:** न्यायालय ने इस तर्क पर ज़ोर दिया कि खनिज अधिकारों पर करारोपण शक्ति पूरी तरह से राज्यों के पास है, जबकि संसद केवल खनिज विकास में बाधाओं को रोकने के लिये सीमाएँ लगा सकती है।
  - इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि **संसद को संविधान की सूची II की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है,** जो **राज्य की शक्तियों** को नियंत्रित करती है तथा यह कर नहीं, बल्कि प्रतिबंध लगाने तक सीमित है।
    - संसद राज्यों के खनिज अधिकारों पर करारोपण के तरीके पर प्रतिबंध लगा सकती है, **लेकिन वह सीधे कर नहीं लगा सकती।** ऐसा इसलिये किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनिज विकास में बाधा न आए।
- **असहमतिपूर्ण राय: चेतावनी दी गई कि राज्यों को खनिज अधिकारों पर करारोपण की अनुमति देने से सूची II की प्रविष्टि 49 के अंतर्गत भूमि और भवनों** पर भी करारोपण का प्रयास किया जा सकता है, जिससे **संघीय प्रणाली** ध्वस्त हो जाएगी तथा खनिज मूल्य निर्धारण एवं विकास में एकरूपता समाप्त हो जाएगी।
  - परिणामस्वरूप **राज्य पुनः खनिजों पर करारोपण शुरू कर देंगे, जिससे कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होगी** तथा भारत में धातु विकास सहित **अन्य प्रतिकूल आर्थिक परिणाम सामने आएंगे।**
  - खनिज मूल्य निर्धारण और विकास हितों में एकरूपता सुनिश्चित करने तथा **राज्यों को खनिज अधिकारों पर करारोपण से रोकने के लिये संसद को हस्तक्षेप करना** होगा।

रॉयल्टी और टैक्स में क्या अंतर है?

- वर्ष 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने **'रॉयल्टी' और 'कर'** के बीच अंतर को रेखांकित किया था।
- **रॉयल्टी:** यह पार्टियों के **बीच एक समझौते से उत्पन्न** होती है। यह अनुदानकर्त्ता द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के लिये भुगतान किया गया मुआवजा है।
  - रॉयल्टी भुगतान का **अनुदान प्राप्तकर्त्ता को दिये गए लाभ या विशेषाधिकार के साथ सीधा** संबंध होता है।
  - यह समझौते के लिये विशिष्ट होता है और अक्सर संसाधनों के दोहन या अनुदानकर्त्ता द्वारा दिये गए विशेषाधिकार के उपयोग से जुड़ा होता है।
  - **उदाहरण:** न्यायालय ने **हिंगिर-रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य (1961), पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2004)** और अन्य सहित कई मामलों का संदर्भ देते हुए यह स्थापित किया कि रॉयल्टी प्रत्यक्ष लाभ के साथ संविदात्मक दायित्व हैं।
- **कर:** यह करदाता को दिये गए **किसी विशेष लाभ के संदर्भ के बिना एक वैधानिक शक्ति के तहत** लगाया जाता है। इसे कानून द्वारा लागू किया जाता है और इसके लिये करदाता की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।
  - कर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये लगाए जाते हैं, लेकिन करदाता को कोई विशेष लाभ नहीं होता। ये सभी नागरिकों द्वारा वहन किये जाने वाले सामान्य बोझ का हिस्सा हैं।
  - रॉयल्टी के विपरीत करों में कोई **लेन-देन व्यवस्था शामिल नहीं** होती है। भुगतान अनिवार्य है और यह किसी विशेषाधिकार या लाभ से जुड़ा नहीं है।
  - **उदाहरण:** न्यायालय ने करों की विशेषताओं को उजागर करने के लिये **हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (2005) और जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य (2017)** सहित कई मामलों का उल्लेख किया।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 क्या है?

- यह भारत में खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कानून है। खनिज क्षेत्र में उभरती ज़रूरतों और चुनौतियों को उजागर करने के लिये इस अधिनियम में कई संशोधन किये गए हैं, ताकि राष्ट्रीय आर्थिक एवं सुरक्षा हितों के साथ इसका संरेखण सुनिश्चित किया जा सके।
- प्राथमिक उद्देश्य खनन उद्योग का विकास करना, खनिज संरक्षण सुनिश्चित करना तथा खनिज दोहन में पारदर्शिता और दक्षता लाना था।
- **2015 का संशोधन:** इस व्यापक संशोधन ने कई प्रमुख सुधार प्रस्तुत किये।
  - **नीलामी पद्धति:** आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिये खनिज रियायतों की अनिवार्य नीलामी।
  - **ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF):** खनन से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये DMF की स्थापना की गई।
  - **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET):** खनिज अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये NMET की स्थापना की गई।
  - **अवैध खनन के लिये दंड:** अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु कड़े दंड लागू किये गए।
- **वर्ष 2016 और 2020 संशोधन:** इस क्षेत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिये विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान दिया गया।
- **2021 संशोधन:**
  - **कैप्टिव और मर्चेंट खदानें:** इस प्रकार की खदानों के बीच के अंतर को हटा दिया गया है।
    - **कैप्टिव खदानों** का संचालन कंपनियों द्वारा विशेष रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिये खनिजों का उत्पादन करने हेतु किया जाता है। कैप्टिव **खदानों से निकाले गए खनिज, अंतिम उपयोग संयंत्र की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक खनिज उत्पादन का 50% तक खुले बाज़ार में बेच सकते हैं,** जिसके लिये सरकार द्वारा मूल रूप से खनिज ब्लॉक आवंटित किया गया था।
    - **मर्चेंट खदानों** का संचालन खुले बाज़ार में बिक्री के लिये खनिजों का उत्पादन करने के लिये किया जाता है। निकाले गए खनिजों को विभिन्न खरीदारों को बेचा जाता है, जिनमें वे उद्योग भी शामिल हैं जिनके पास अपनी खदानें नहीं हैं।
  - **केवल नीलामी रियायतें:** यह सुनिश्चित किया गया कि सभी निजी क्षेत्र की खनिज रियायतें नीलामी के माध्यम से दी जाएँ।
- **वर्ष 2023 का संशोधन:**
  - खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज और निष्कर्षण को मज़बूत करना है।
  - मुख्य संशोधनों में राज्य एजेंसियों द्वारा अन्वेषण तक सीमित 12 परमाणु खनिजों की सूची से 6 खनिजों को हटाना, सरकार को महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये विशेष रूप से **खनिज रियायतों** की नीलामी करने का अधिकार देना शामिल है।
  - विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और खनन कंपनियों को गहरे एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज में शामिल करने के लिये अन्वेषण लाइसेंस दिये गए।
    - इन महत्त्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन में तेज़ी लाने के लिये आयात पर निर्भरता कम करने एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिये लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, टाइटेनियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्त्वों जैसे खनिजों के महत्त्व को मान्यता दी गई एवं वर्ष 2070 तक ऊर्जा परिवर्तन **व शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी स्वीकार किया गया।**

भारत में खनन क्षेत्र का परिदृश्य

- **भारत के इस्पात क्षेत्र ने** उल्लेखनीय वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे यह विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में देश का कच्चा इस्पात उत्पादन 144.04 मिलियन टन, तैयार इस्पात उत्पादन 138.83 मिलियन टन एवं तैयार इस्पात की खपत 136.65 मिलियन टन थी।
  - पिछले वर्ष की तुलना में तैयार इस्पात उत्पादन में **12.68% से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि खपत में 13.9% की** वृद्धि हुई
- भारत के पास कुल कोयला भंडार 344.02 बिलियन टन है और यह **विश्व में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
  - कोयला क्षेत्र में, जून 2024 के दौरान उत्पादन 84.63 **मिलियन टन था, जो जून 2023 की तुलना में 14.49% की वृद्धि** दर्शाता है।
  - पिछले वर्ष की तुलना में संचयी कोयला उत्पादन में **11.65% की वृद्धि** हुई।

- **मैंगनीज़ ओर (इंडिया) लिमिटेड** ने **वित्त वर्ष 2023-24 में 17.56 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उच्चतम उत्पादन** हासिल किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में **35% की वृद्धि** दर्शाता है। भारत के खनिज उत्पादन में भी अप्रैल-फरवरी, 2023-24 की अवधि के लिये 8.2% की संचयी वृद्धि देखी गई। देश की FDI नीति स्टील और खनन क्षेत्रों के साथ-साथ कोयला एवं लिग्नाइट के लिये स्वचालित मार्गों के माध्यम से 100% FDI की अनुमति देती है।
- सत्र **2021-22 के लिये खनिज उत्पादन सूचकांक** (आधार सत्र 2011-12) **113.3 है,** जो सत्र 2020-21 की तुलना में 12.17% की वृद्धि दर्शाता है।
    - सत्र 2021-22 के लिये खनिज उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर) का कुल मूल्य लगभग 220000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें धातु खनिजों का योगदान लगभग 120000 करोड़ रुपए है।
- **भारतीय खनन उद्योग** में बड़ी संख्या में छोटी परिचालित खदानें हैं। सत्र 2021-22 में भारत में खनिज उत्पादन (लघु खनिजों, ईंधन खनिजों और परमाणु खनिजों को छोड़कर) की रिपोर्ट करने वाली खदानों की संख्या 1319 थीं, जिनमें सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश (263) में स्थित थी, इसके बाद गुजरात (147), कर्नाटक (132), ओडिशा (128), छत्तीसगढ़ (114), आंध्र प्रदेश (108), राजस्थान (90), तमिलनाडु (88), महाराष्ट्र (73), झारखंड (45) और तेलंगाना (39) थे।
    - सत्र 2021-22 में इन **11 राज्यों की देश में कुल खदानों की संख्या में 93% हिस्सेदारी** थी।

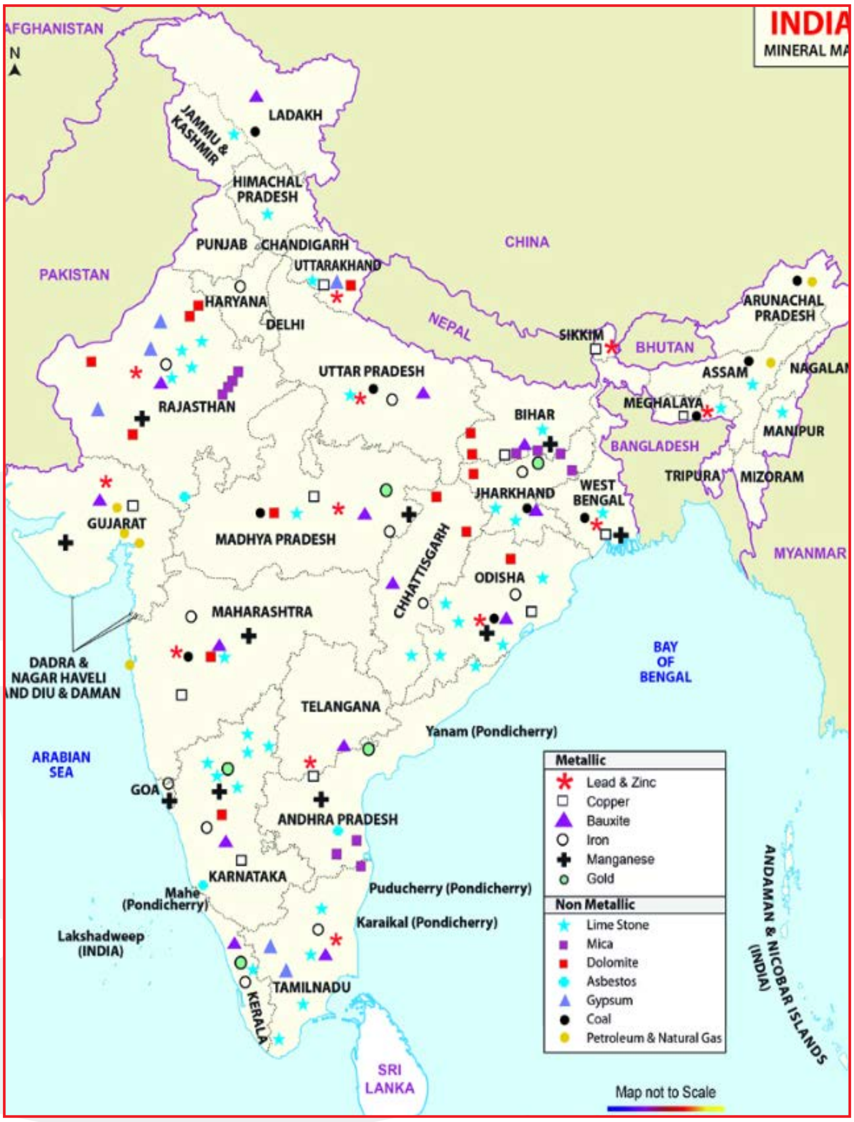

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: खनिज अधिकारों और रॉयल्टी के संबंध में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का परीक्षण कीजिये जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा स्पष्ट किया गया है।

आर्थिक विकास के लिये AI और नई ऊर्जा का उपयोग

चर्चा में क्यों?

पिछले दशक में **भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग दोगुना होकर 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है,** जो विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में इसकी स्थिति को दर्शाता है।

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और नई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता देना,** जिनमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है, विकास तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

भारत की आर्थिक वृद्धि हेतु प्रमुख उभरते क्षेत्र कौन-से हैं?

- **भारत का अपना AI स्टैक बनाना:** भारतीय अर्थव्यवस्था में **पर्याप्त डिजिटलीकरण के बावजूद कंप्यूटिंग की पहुँच कम बनी हुई है।** सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सेवाओं में भारी सफलता के बावजूद वे **30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग का केवल 1% हिस्सा हैं।**
  - **चीन जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धियों ने** अनुसंधान, बुनियादी ढाँचे और प्रतिभा में सैकड़ों अरबों डॉलर लगाते हुए **अपने AI में निवेश को तेज़ी से बढ़ाया है।**
  - भारत की AI रणनीति को **डेटा,** कंप्यूटिंग और एल्गोरिदम में अपनी **बुनियादी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिये।**
- **डेटा कॉलोनाइज़ेशन:** यह विदेशी संस्थाओं द्वारा **डेटा संसाधनों के नियंत्रण और उपयोग** को संदर्भित करता है जो **डेटा संप्रभुता** तथा **राष्ट्रीय सुरक्षा** के बारे में चिंताएँ उत्पन्न करता है। भारत विश्व का 20% डेटा उत्पन्न करता है, फिर भी 80% डेटा को विदेशों में संग्रहीत किया जाता है, AI में संसाधित किया जाता है और उसे अधिक डॉलर में वापस आयात किया जाता है।
  - भारत को गोपनीयता को सुरक्षित रखने वाले डेटासेट बनाने के लिये अपने **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का लाभ उठाकर इस प्रवृत्ति को उलटना होगा।**
  - भारत अपनी DPI सफलता (**यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)**) के आधार पर भारतीय लोकाचार पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा ओपन सोर्स AI बना सकता है।
- **कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर:** कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में भारत में वर्तमान में केवल 1GW डेटा सेंटर क्षमता है, जबकि वैश्विक क्षमता 50GW है।
  - **अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2030 तक अमेरिका 70GW तक पहुँच जाएगा,** यदि चीन और भारत अपने वर्तमान पथ पर चलते रहे तो वे क्रमशः 30GW एवं 5GW तक पहुँच जाएँगे।
  - AI नेतृत्व हासिल करने के लिये **भारत को AI को तेज़ी से अपनाने,** डेटा स्थानीयकरण मानदंडों, वैश्विक कंप्यूटिंग कंपनियों के लिये प्रोत्साहन और डेटा केंद्रों हेतु **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI)** की आवश्यकता है। वर्ष 2030 तक 50GW की तैनाती के लिये 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर की पूंजी की आवश्यकता होगी जो एक महत्त्वाकांक्षी लेकिन प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है।
  - **भारत, सिलिकॉन विकास और डिज़ाइन प्रतिभा हेतु विश्व का सबसे बड़ा केंद्र है,** फिर भी इसमें भारतीय-डिज़ाइन किये गए चिप्स की कमी है। इसे **उद्योग-नेतृत्व वाली चिप डिज़ाइन परियोजनाओं** और अनुसंधान से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से **सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है।**
- चूँकि AI अनुसंधान **अधिक प्रतिबंधित और स्वामित्वपूर्ण** होता जा रहा है, इसलिये भारत के पास **AI** अनुसंधान और विकास (R&D) में **खुले नवाचार में वैश्विक अभिकर्त्ता** बनने का एक अनूठा अवसर है।
  - भारत **विश्व स्तर की प्रतिभाओं और वैज्ञानिकों को देश में कार्य करने के लिये आकर्षित करके,** औद्योगिक पैमाने पर अनुसंधान संसाधन उपलब्ध कराकर और AI अनुसंधान एवं विकास हेतु सरकारी प्रोत्साहन प्रदान करके इस लक्ष्य को हासिल कर सकता है।
  - **AI के लिये विश्व स्तर पर अग्रणी खुला नवाचार मंच बनाकर** भारत स्वयं को AI उन्नति के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर रख सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसके मूल्य और दृष्टिकोण इस परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देंगे।
- **नई ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाएँ:** नई ऊर्जा प्रतिमान **जीवाश्म ईंधन के खनन और शोधन** से उन्नत सामग्री विज्ञान की ओर **स्थानांतरित** हो रही है, विशेष रूप से लिथियम जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये। यह परिवर्तन वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रहा है और भारत को इस क्रांति में सबसे आगे रहना चाहिये।

नई ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र के तीन स्तंभ क्या हैं?

- नई ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र तीन स्तंभों पर टिका है:
  - **नवीकरणीय ऊर्जा (RE) उत्पादन:** भारत की **नवीकरणीय ऊर्जा** क्षमता **वर्ष 2014 में 72GW से बढ़कर** वर्ष 2023 में **175GW से भी अधिक** हो गई है, जबकि सौर ऊर्जा क्षमता 3.8GW से बढ़कर 88GW से अधिक हुई है।
    - हालाँकि, **भारत अभी भी वैश्विक अग्रणी राष्ट्रों से पीछे** है। वर्ष 2023 में, चीन ने 215 GW सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की, जबकि भारत ने केवल 8 GW स्थापित किया। वर्ष 2030 तक अपने 500 GW लक्ष्य को पूरा करने के लिये **भारत को नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन पर केंद्रित होने की आवश्यकता** है।

- **बैटरी स्टोरेज:** नवीकरणीय ऊर्जा को वास्तव में प्रभावी बनाने के लिये **भारत को इसे एक सुदृढ़ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ जोड़ना होगा।** वर्तमान में, इसकी बैटरी स्टोरेज उत्पादन क्षमता केवल 2GWh है, जबकि चीन की 1,700GWh है।
  - नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड को शक्ति प्रदान करने और 100% EV अपनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत को 1,000GWh क्षमता का लक्ष्य रखना होगा। बैटरी भंडारण में यह महत्त्वपूर्ण वृद्धि न केवल इसके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करेगी, बल्कि **लागत में कमी में भी सहायक सिद्ध** होगी जिससे **देश भर में ऊर्जा की पहुँच में सुधार** होगी।
- **EV क्षेत्र:** EV क्षेत्र में, भारत की वर्तमान स्थिति **प्रति 1,000 लोगों पर 200 वाहनों से कम** है, वहीं चीन के 30 मिलियन की तुलना में वार्षिक रूप से 2 मिलियन EV बेचे जाते हैं।
  - **वर्ष 2030 तक, भारत को** संभावित रूप से 50 मिलियन EV का उत्पादन करते हुए **विश्व का सबसे बड़ा EV बाज़ार बनने का लक्ष्य रखना चाहिये।**
  - **इस बदलाव से एक स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित होगा,** उपभोक्ताओं के लिये परिवहन लागत कम होगा और अर्थव्यवस्था के समग्र रसद खर्च भी कम होंगे।
  - वर्तमान में, नई ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र का 90% हिस्सा— जिसमें सौर उत्पादन, लिथियम सेल निर्माण, मिडस्ट्रीम प्रसंस्करण और EV उत्पादन शामिल है— चीन में केंद्रित है।
  - अपनी स्वयं की प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति शृंखलाओं का निर्माण करके, **भारत अपनी अर्थव्यवस्था को अधिक ऊर्जा-कुशल बना सकता है** तथा भविष्य के लिये तैयार लाखों नौकरियों का सृजन कर सकता है।
  - **यह परिवर्तन इसकी ऊर्जा स्वतंत्रता को सुरक्षित करेगा** और इसे जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण हेतु वैश्विक प्रयास में एक प्रमुख देश के रूप में स्थापित करेगा। वैश्विक नेतृत्व के लिये भारत का मार्ग भविष्य की इन प्रौद्योगिकियों में महारत प्राप्त करने में निहित है।

उभरते क्षेत्रों से संबंधित भारत की पहल

- **भारत का अपना AI स्टैक निर्माण:**
  - INDIAai
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI)
  - अमेरिका भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल
  - युवाओं के लिये उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
  - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन प्लेटफॉर्म
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन
- **डेटा कॉलोनाइजेशन/उपनिवेशन:**
  - डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
  - राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क
- **कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर:**
  - राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (NSM)
  - डिजीलॉकर जैसी क्लाउड कंप्यूटिंग पहल
- **एल्गोरिदम पर अनुसंधान एवं विकास:**
  - 5G इंटेलिजेंट विलेज
  - क्वांटम एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम
- **नई ऊर्जा:**
  - अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
  - राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (NEMMP)
  - उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना
  - FAME इंडिया योजना (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेज़ी से प्रयोग और निर्माण)

इन उभरते क्षेत्रों में चुनौतियाँ और इसके संभावित समाधान क्या हैं?

चुनौतियाँ	आगे की राह
बुनियादी ढाँचे की कमी	**कंप्यूटिंग बुनियादी ढाँचे,** विशेष रूप से डेटा केंद्रों को **उन्नत करने के लिये** महत्त्वपूर्ण **निवेश की आवश्यकता** है। AI हार्डवेयर के लिये **स्वदेशी चिप तकनीक का विकास महत्त्वपूर्ण** है।
प्रतिभा अधिग्रहण और प्रतिधारणा	ऐसा माहौल बनाना जो **घरेलू स्तर पर AI टैलेंट को पोषित करे** और विदेशों से उनकी वापसी को प्रोत्साहित करे। कुशल पेशेवरों के लिये वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना।

नोट :

डेटा गोपनीयता और सुरक्षा	**सुदृढ़ डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की स्थापना** करना और उत्पन्न डेटा की विशाल मात्रा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिये नागरिकों में विश्वास का निर्माण करना।
वित्तीय बाधाएँ	AI स्टैक बनाने और नई ऊर्जा अर्थव्यवस्था में संक्रमण के उद्देश्य से बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिये **सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संसाधनों को जुटाना**।
आपूर्ति शृंखला की कमज़ोरियाँ	वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सेमीकंडक्टर और बैटरी सामग्री जैसे महत्त्वपूर्ण घटकों के लिये **एक लचीली घरेलू आपूर्ति शृंखला का निर्माण** करना।
नीति और विनियामक वातावरण	AI और नए ऊर्जा क्षेत्रों के लिये एक अनुकूल नीति तथा विनियामक वातावरण बनाना जो नवाचार को सुरक्षा, सुरक्षा एवं नैतिक विचारों के साथ संतुलित करता है।
तकनीकी जटिलता	तेज़ी से हो रही तकनीकी प्रगति के साथ अपडेट रहने और **AI एवं नए ऊर्जा क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमताओं को विकसित करने** हेतु अनुसंधान व विकास में निरंतर निवेश।

निष्कर्ष

चूँकि भारत वर्ष **1947 में प्राप्त अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उत्सव मना** रहा है, इसलिये **वर्ष 2047 का लक्ष्य तकनीकी स्वतंत्रता प्राप्त करना** होना चाहिये। भारत को तकनीकी उन्नति के लिये एक अनूठी कार्यपुस्तिका विकसित करनी चाहिये, अपनी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना चाहिये और अपनी शक्तियों का लाभ उठाना चाहिये, न केवल आर्थिक विकास हेतु बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिये भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिये।

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न:** 'भारत कई प्रमुख क्षेत्रों में अपनी तकनीकी और अवसंरचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिये सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।' टिप्पणी कीजिये।

भारत की पहली अपतटीय खनिज नीलामी

चर्चा में क्यों?

भारत अपनी **पहली अपतटीय खनिज नीलामी शुरू** करने के लिये तैयार है, जो संसाधन प्रबंधन में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCCM) के हिस्से के रूप में यह पहल **महत्त्वपूर्ण खनिजों** हेतु आपूर्ति शृंखला को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

- केंद्रीय खान मंत्री ने 10 ब्लॉकों की पहचान की घोषणा की, जो **आत्मनिर्भर भारत** के दृष्टिकोण के अनुरूप खनिज संसाधनों में आत्मनिर्भरता की दिशा में राष्ट्र की खोज में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

अपतटीय खनिज नीलामी से संबंधित प्रमुख विवरण क्या हैं?

- **चिह्नित खनिज ब्लॉक:** भारत के **अनन्य आर्थिक क्षेत्र** (Exclusive Economic Zone- EEZ) में स्थित 10 ब्लॉकों की अन्वेषण रिपोर्ट समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिये नीलामी हेतु उपलब्ध हैं। इनमें से पॉली-मेटैलिक नोड्यूल और क्रस्ट के 7 ब्लॉक **अंडमान सागर** में स्थित हैं, जबकि लाइम-मड के 3 ब्लॉक **गुजरात तट** से दूर स्थित हैं।
- **खनिजों के प्रकार:** वे खनिज ब्लॉक जिनमें कोबाल्ट और निकल जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज होते हैं, जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करने, भंडारित एवं संचारित करने तथा इस्पात निर्माण के लिये निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों के निर्माण हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
- **नियामक ढाँचा:** **नीलामी अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (OAMDR), 2002** के तहत आयोजित की जाएगी।
  - खनिज संसाधन निर्धारण, अन्वेषण और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये समग्र लाइसेंस जारी किये जाएंगे।

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2002

- **खान मंत्रालय OAMDR अधिनियम, 2002** का प्रशासन करता है, जो भारत के प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के विकास तथा विनियमन एवं उससे संबंधित या उसके प्रासंगिक मामलों के लिये प्रावधान करता है।
- वर्ष 2023 में हाल ही में किये गए संशोधन में **परिचालन अधिकारों के लिये पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया शुरू करने, खनन प्रभावित व्यक्तियों हेतु एक ट्रस्ट स्थापित करने**, अन्वेषण में वृद्धि करने और साथ ही आपदाओं के मामले में राहत प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

- संशोधन के माध्यम से **विवेकाधीन नवीकरण** को हटा दिया गया, **पचास वर्ष की मानक पट्टा अवधि स्थापित** की गई, **समग्र लाइसेंस की शुरुआत की गई**, परिचालन अधिकारों के लिये क्षेत्र सीमा निर्धारित की गई, तथा समग्र लाइसेंस और उत्पादन पट्टे के आसान हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की गई।

राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन क्या है?

- **आवश्यकता:** इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग के कारण भारत महत्त्वपूर्ण खनिजों के आयात हेतु **मुख्यत: चीन पर अत्यधिक निर्भर** है।
- आयात पर इस निर्भरता का नकारात्मक आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जिससे **चालू खाता घाटा** बढ़ता है और घरेलू उत्पादन प्रभावित होता है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये चीन पर भारत की निर्भरता के संबंध में रणनीतिक चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है**
- **उद्देश्य:** ताँबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों सहित महत्त्वपूर्ण खनिजों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना। ये खनिज लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिये आवश्यक घटक हैं।
- **अनुप्रयोग:**
- **इलेक्ट्रॉनिक्स:** लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के निर्माण के लिये आवश्यक।
- **स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ:** पवन टर्बाइनों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिये महत्त्वपूर्ण।
- **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र:** **परमाणु ऊर्जा**, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स।
- **NCCM को समर्थन देने के लिये विधायी और बजटीय उपाय:**
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2023:** एंटीमनी, बेरिलियम, लिथियम और अन्य सहित 30 बहुमूल्य एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये अन्वेषण लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान करता है।
- **बजटीय सहायता:**
- **केंद्रीय बजट 2024-2025** में **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण** (Geological Survey of India- GSI), **भारतीय खान ब्यूरो** (Indian Bureau of Mines- IBM) और **राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट** (NMET) के लिये आवंटन में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया।
  - **भूविज्ञान डेटा और रणनीतिक योजना में सुधार के लिये GSI** हेतु 1,300 करोड़ रुपए।
  - विनियामक दक्षता और पर्यावरण संरक्षण बढ़ाने के लिये IBM हेतु 135 करोड़ रुपए।
  - खनिज अन्वेषण में तेज़ी लाने और इस क्षेत्र में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिये NMET हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।

Sl. No.	Critical Mineral	Percentage (2020)	Major Import Sources (2020)
1.	Lithium	100%	Chile, Russia, China, Ireland, Belgium
2.	Cobalt	100%	China, Belgium, Netherlands, US, Japan
3.	Nickel	100%	Sweden, China, Indonesia, Japan, Philippines
4.	Vanadium	100%	Kuwait, Germany, South Africa, Brazil, Thailand
5.	Niobium	100%	Brazil, Australia, Canada, South Africa, Indonesia
6.	Germanium	100%	China, South Africa, Australia, France, US
7.	Rhenium	100%	Russia, UK, Netherlands, South Africa, China
8.	Beryllium	100%	Russia, UK, Netherlands, South Africa, China
9.	Tantalum	100%	Australia, Indonesia, South Africa, Malaysia, US
10.	Strontium	100%	China, US, Russia, Estonia, Slovenia
11.	Zirconium(zircon)	80%	Australia, Indonesia, South Africa, Malaysia, US
12.	Graphite(natural)	60%	China, Madagascar, Mozambique, Vietnam, Tanzania
13.	Manganese	50%	South Africa, Gabon, Australia, Brazil, China
14.	Chromium	2.5%	South Africa, Mozambique, Oman, Switzerland, Turkey
15.	Silicon	<1%	China, Malaysia, Norway, Bhutan, Netherlands

Table.1 The net import reliance for critical minerals of India (2020) (Source: A report on 'Unlocking Australia-India Critical Minerals Partnership Potential' by Australian Trade and Investment Commission, July 2021)

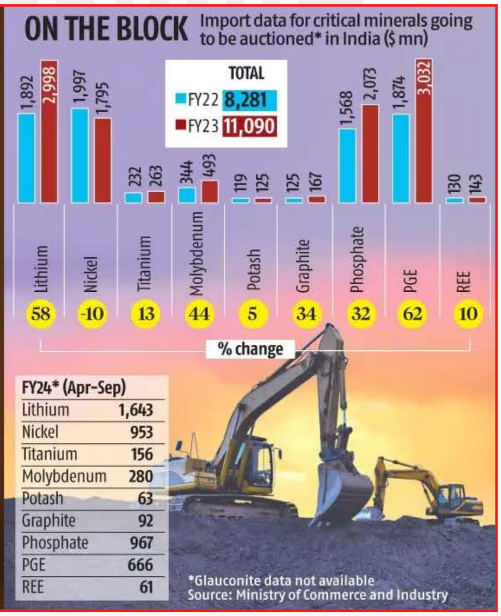

- **सीमा शुल्क में छूट: केंद्रीय बजट 2024-2025** में 25 महत्त्वपूर्ण खनिजों पर **सीमा शुल्क** को समाप्त करने और दो अन्य पर कटौती का प्रस्ताव किया गया है।

नोट :

- इस कदम का उद्देश्य **इन खनिजों पर निर्भर उद्योगों की लागत को कम करना, प्रसंस्करण एवं शोधन में निवेश आकर्षित करना** तथा डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करना है।
- ब्लिस्टर कॉपर- **जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं निर्माण उद्योगों के लिये महत्त्वपूर्ण** है, पर शून्य आयात शुल्क से कॉपर रिफाइनरों के लिये आपूर्ति शृंखला स्थिर हो जाएगी।

अपतटीय खनिज नीलामी, किस प्रकार प्रस्तावित राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन के अनुरूप है?

- **क्षमता विस्तार:** अपतटीय खनिज संसाधनों के दोहन से स्वच्छ ऊर्जा एवं इस्पात निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत की क्षमताओं में वृद्धि होगी।
- **आपूर्ति शृंखला दृष्टिकोण:** प्रस्तावित NCCM द्वारा घरेलू उत्पादन से लेकर पुनर्चक्रण तक महत्त्वपूर्ण खनिजों की संपूर्ण आपूर्ति शृंखला का विनियमन होगा।
  - इससे देश वैश्विक भू-राजनीतिक अशांति के आलोक में आयात निर्भरता तथा आपूर्ति जोखिमों से भी सुरक्षित हो पाएगा।
- **अनुसंधान एवं विकास पर फोकस:** इस मिशन के तहत महत्त्वपूर्ण खनिजों की मूल्य शृंखला में व्यापार एवं बाज़ार पहुँच, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
- **पुनर्चक्रण पहल को प्रोत्साहित करना:** इस पहल का उद्देश्य भारतीय उद्योग क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण खनिजों की पुनर्चक्रण क्षमता को प्रोत्साहित करना है।

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न:** भारत के औद्योगिक एवं तकनीकी क्षेत्रों पर राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCCM) के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये

राजनीतिक दान पर कर रियायतों में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

नवीनतम वित्तीय डेटा **राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले दान** के लिये प्रदान की जाने वाली **कर रियायतों में उल्लेखनीय वृद्धि** दर्शाता है, जिसमें सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगभग 4,000 करोड़ रुपए दिये हैं।

- यह वृद्धि कर कटौती के माध्यम से चुनावी फंडिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है और कर रियायतों में वृद्धि राजनीतिक वित्त में व्यापक बदलाव एवं राजकोषीय नीति के लिये इसके निहितार्थों को दर्शाती है।

राजनीतिक दान पर कर रियायतें क्या हैं?

- **परिचय:** कर रियायत किसी विशेष समूह या **संगठन को चुकाए जाने वाले कर की राशि में कमी** या कर प्रणाली में बदलाव है जो उन्हें लाभ पहुँचाता है।
  - भारत में, **आयकर अधिनियम, 1961** के तहत राजनीतिक दान पर कर रियायतें प्रदान की जाती हैं।
  - **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80GGB,** भारतीय कंपनियों को राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्टों को दिये गए योगदान के लिये कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।
  - हालाँकि, नकद में किये गए दान कटौती के लिये पात्र नहीं हैं। **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80GGC, व्यक्तियों, फर्मों और अन्य गैर-कॉर्पोरेट संस्थाओं पर लागू** होती है।
    - चेक, खाता हस्तांतरण या चुनावी बॉण्ड के माध्यम से किये गए दान पर कटौती लागू होती है।
  - **आयकर अधिनियम** के अनुसार, **राजनीतिक दल** को **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A** के तहत पंजीकृत दल माना जाता है।
- **कुल कर रियायतें:** वित्त वर्ष 2022-23 में, राजनीतिक दलों को दिये गए दान के लिये कुल कर रियायतें लगभग 3,967.54 करोड़ रुपए थीं।
  - सत्र 2021-22 में, कर रियायतें 3,516.47 करोड़ रुपए थीं, जो पिछले वित्त वर्ष से 13% की वृद्धि दर्शाती हैं।
- **इन कटौतियों का राजस्व प्रभाव:** सत्र 2014-15 से, राजनीतिक दान पर कर रियायतों का कुल राजस्व प्रभाव लगभग 12,270.19 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
  - सत्र 2022-23 में, कर रियायतों में से 2,003.43 करोड़ रुपए धारा 80GGB के तहत कॉर्पोरेट करदाताओं द्वारा दिये गए दान से आए।
  - धारा 80GGC के तहत व्यक्तियों द्वारा दावा की गई कटौती 1,862.38 करोड़ रुपए थी।

कर रियायतों में वृद्धि के क्या निहितार्थ हैं?

- **बढ़ती चुनावी फंडिंग:** राजनीतिक दान के लिये बढ़ती कर रियायतें चुनावी वित्तपोषण में बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती हैं, जो यह सुझाव देती हैं कि राजनीतिक दल निगमों और व्यक्तियों से मिलने वाले योगदान पर अधिक निर्भर हो रहे हैं।
  - यह **राजनीतिक निर्णय लेने में शक्ति और प्रभाव के संतुलन** को संभावित रूप से बदल सकता है।

- **पारदर्शिता की आवश्यकता:** राजनीतिक दान में वृद्धि के साथ, राजनीतिक प्रक्रिया पर जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुचित प्रभाव को रोकने के लिये राजनीतिक वित्तपोषण में अधिक पारदर्शिता की तत्काल आवश्यकता है।
    - रियायतों में तेज़ वृद्धि सार्वजनिक वित्त पर प्रभाव और राजनीतिक वित्तपोषण नीतियों में संभावित सुधारों की आवश्यकता के बारे में सवाल उठाती है।
- **राजस्व हानि:** बढ़ी हुई कर रियायतें सरकारी राजस्व में महत्त्वपूर्ण कमी ला सकती हैं। यह **सार्वजनिक सेवाओं और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं** को निधि देने की सरकार की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **बाज़ार विकृतियाँ:** अत्यधिक रियायतें बाज़ार विकृतियाँ उत्पन्न कर सकती हैं, कुछ क्षेत्रों या कंपनियों को दूसरों पर तरजीह दे सकती हैं, जिससे अक्षमताएँ हो सकती हैं।
- **सतत् विकास:** जबकि कर रियायतें अल्पकालिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, उन्हें दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। **रियायतों पर अत्यधिक निर्भरता कर आधार और राजकोषीय स्थिति को कमज़ोर कर सकती है।**

भारत में राजनीतिक दान पर क्या नियम हैं?

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951:** जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29B राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों और विदेशी स्रोतों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति या कंपनी से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने की अनुमति देती है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 भारतीय कंपनियों को किसी राजनीतिक पार्टी को कोई भी राशि दान करने की अनुमति देती है, जिसके लिये बोर्ड द्वारा प्राधिकरण, गैर-नकद भुगतान एवं कंपनी के लाभ व हानि (P&L) खाते में प्रकटीकरण जैसी शर्तें हैं।
- **आयकर अधिनियम, 1961:** भारतीय कंपनियाँ और व्यक्ति धारा 80GGB एवं 80GGC के तहत राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्टों को दिये गए दान पर कर कटौती के लिये पात्र हैं।
- **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA): जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और FCRA राजनीतिक दलों को 'विदेशी स्रोत' से दान स्वीकार करने से रोकते हैं,** लेकिन अनुमत सीमा तक विदेशी निवेश वाली भारतीय कंपनियों को अब '**विदेशी स्रोत**' नहीं माना जाता है तथा वे अब **कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत राजनीतिक योगदान दे सकती हैं।
- **चुनावी बॉण्ड योजना:** वर्ष 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉण्ड योजना दानकर्त्ताओं को गुमनाम रूप से राजनीतिक दलों को दान देने की अनुमति देती है। बॉण्ड अधिकृत बैंकों के माध्यम से खरीदे जाते हैं और 15 दिनों के लिये वैध होते हैं।
    - फरवरी 2024 में, भारत के **सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉण्ड योजना** और संबंधित संशोधनों को असंवैधानिक करार देते हुए फैसला सुनाया कि यह योजना **सूचना के अधिकार का उल्लंघन** करती है।

आगे की राह

- **कर रियायतों की समीक्षा:** राजनीतिक दान पर कर रियायतों के ढाँचे पर पुनर्विचार करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि वे व्यापक राजकोषीय नीतियों के साथ संरेखित हों और सरकारी राजस्व पर अनुचित प्रभाव न डालें।
    - कटौतियों पर उचित सीमाएँ निर्धारित करना और राजनीतिक वित्तपोषण के लिये वैकल्पिक तंत्रों की खोज करना वित्तपोषण प्रणाली की स्थिरता को बढ़ा सकता है।
- **सार्वजनिक वित्तपोषण:** यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिये सरकारी वित्तीय सहायता को संदर्भित करता है, जिससे निजी दान पर निर्भरता एवं निहित स्वार्थों के संभावित प्रभाव को कम किया जा सके।
    - कई देश पिछले चुनाव प्रदर्शन, सदस्यता शुल्क और निजी दान जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर राजनीतिक दलों को सार्वजनिक वित्तपोषण प्रदान करते हैं। सिएटल जैसी कुछ जगहों ने "लोकतंत्र वाउचर" के साथ प्रयोग किया है, जहाँ पात्र मतदाताओं को अपने चुने हुए उम्मीदवारों को दान करने के लिये वाउचर मिलते हैं।
- **बढ़ी हुई पारदर्शिता:** चुनावी बॉण्ड के माध्यम से दिये गए दान सहित सभी राजनीतिक दानों का व्यापक खुलासा अनिवार्य किया जाए तथा राजनीतिक वित्त पर कड़ी निगरानी के लिये एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जाए।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में राजनीतिक दान के लिये कर रियायतों के रुझानों पर चर्चा कीजिये। ये रुझान राजनीतिक वित्त परिदृश्य और राजकोषीय नीति को कैसे प्रभावित करते हैं?

ग्रामीण और जनजातीय विकास के लिये बजट 2024 में योजनाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। यह **18वीं लोकसभा** का पहला आम बजट था।

- इस बजट में सरकार ने ग्रामीण विकास (PMGSY) और **पीएम जनजातीय विकास मिशन (PMJVM)** जैसे जनजातीय कल्याण के लिये कई उपायों की घोषणा की है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) क्या है?

- **परिचय:** 25 दिसंबर 2000 को असंबद्ध बस्तियों तक **हर मौसम के लिये उपयुक्त सड़क** के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिये लॉन्च की गई थी।
  - **पात्रता:** ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (**500 + मैदानी क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों, रेगिस्तान तथा जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 +**) की असंबद्ध बस्तियाँ।
    - एक असंबद्ध बस्ती वह है जिसकी निर्धारित आकार की आबादी किसी बारहमासी सड़क से कम-से-कम 500 मीटर या उससे अधिक (पहाड़ियों के मामले में 1.5 किमी पथ दूरी) की दूरी पर स्थित है।
  - **कोर नेटवर्क:** यह सड़कों (मार्गों) का वह न्यूनतम नेटवर्क है जो कम-से-कम एकल ऑल-वेदर रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से चयनित क्षेत्रों में सभी पात्र बस्तियों को आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं तक बुनियादी पहुँच प्रदान करने के लिये आवश्यक है।
  - **वित्तपोषण पैटर्न: उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में योजना के तहत** स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में **केंद्र सरकार परियोजना लागत का 90% वहन करती है** जबकि **अन्य राज्यों के लिये केंद्र सरकार 60% लागत वहन करती है।**
  - **निर्माण मानक:** PMGSY के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कें **भारतीय सड़क कॉन्ग्रेस (IRC)** के प्रावधान के अनुसार होंगी, जो वर्ष 1934 से राजमार्ग इंजीनियरों का शीर्ष निकाय रहा है।
- **PMGSY - चरण-I:**
  - PMGSY - चरण-I को **वर्ष 2000 में 100% केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में लॉन्च किया गया था।
  - इस योजना के तहत, 1,35,436 बस्तियों को सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने और **3.68 लाख किमी** मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था ताकि खेत से बाज़ार तक पूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।
- **PMGSY - चरण-II:**
  - इसके बाद भारत सरकार ने अपनी समग्र दक्षता में सुधार के लिये **मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लिये वर्ष 2013 में PMGSY-II** लॉन्च किया।
  - जबकि चल रही PMGSY - I जारी रही, PMGSY चरण-II के तहत, ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को बढ़ाने के लिये गाँव की कनेक्टिविटी हेतु पहले से बनाई गई सड़कों को उन्नत किया जाना था।
  - लागत केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच साझा की गई थी।
  - **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना (RCPL WEA),** वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिये वर्ष 2016 में शुरू की गई थी।
- **PMGSY - चरण-III:**
  - चरण-III को **जुलाई 2019** के दौरान कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था।
  - यह सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, जैसे:
    - **ग्रामीण कृषि बाज़ार (GrAMs):** GrAM, **फार्म गेट के नज़दीक खुदरा कृषि बाज़ार** हैं जो किसानों की उपज के अधिक कुशल लेनदेन को बढ़ावा देते हैं और सेवा प्रदान करते हैं।
    - उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और
    - अस्पताल।
  - PMGSY-III योजना के तहत, **राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क** को समेकित करने का प्रस्ताव है। योजना की **अवधि वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक है।**
- **योजना की प्रगति:** स्वीकृत 8.25 लाख किलोमीटर में से 7 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें पहले ही पूरी हो चुकी हैं, जिस पर **2,70,000 करोड़ रुपए** का निवेश किया गया है। इसके अतिरिक्त, PMGSY के तहत कुल **1,61,561 असंबद्ध बस्तियों** को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया गया है।
- **PMGSY - चरण IV:**
  - **केंद्रीय बजट 2024-25 में 25,000 गाँवों को बारहमासी सड़कों** से जोड़ने के लिये **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)** के **चरण IV** की घोषणा की गई है।
  - **वित्त वर्ष 2024-25 (FY-25)** के लिये इसके लिये **19,000 करोड़ रुपए** की राशि आवंटित की गई है।

इंडियन रोड्स कॉन्ग्रेस (IRC)

- इसकी **स्थापना वर्ष 1934 में सड़क विकास में** पेशेवरों और हितधारकों को एकजुट करके **भारत में सड़क बुनियादी ढाँचे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी।**
- इसके प्रमुख कार्यों में मानक निर्धारित करना, अनुसंधान करना और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है।

- इसके सदस्य **सरकार, निजी उद्योग और शिक्षा जगत** से जुड़े हुए हैं।
- यह राष्ट्रीय सड़क नीतियों को प्रभावित करता है, **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)** जैसी संस्थाओं का समर्थन करता है। यह सड़क निर्माण, रखरखाव में सतत् और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं का समर्थन करता है।

जनजातीय विकास के संबंध में केंद्रीय बजट 2024 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM JUGA) का शुभारंभ:**
  - **PM JUGA योजना** का शुभारंभ 63,000 गाँवों में जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिये एक बड़ा प्रयास है।
  - यह योजना **जनजातीय बहुल** गाँवों और आकांक्षी ज़िलों में **"संपूर्ण कवरेज़"** पर ज़ोर देगी। इससे लगभग **5 करोड़ जनजाति व्यक्तियों को** आवश्यक सेवाओं और सामाजिक-आर्थिक अवसरों तक उनकी पहुँच में सुधार करके लाभ मिलने का अनुमान है।
- **जनजातियों से संबंधित विभिन्न योजनाओं हेतु बजट आवंटन:**
  - ST छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS)** को **6,399 करोड़ रुपए** आवंटित किये गए हैं, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 456 करोड़ रुपए अधिक है।
    - EMRS पूरे भारत में **अनुसूचित जनजातियों के लिये मॉडल आवासीय विद्यालयों** की एक योजना है, जिसे **जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत वर्ष 1997-98 में शुरू किया गया था।**
    - इसका उद्देश्य **जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों** के समान विद्यालयों का निर्माण करना है, जिसमें **स्थानीय कला, संस्कृति, खेल तथा कौशल विकास के संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा।**
  - **अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति** का आवंटन 1,970.77 करोड़ रुपए से बढ़ाकर **2,432.68 करोड़ रुपए** कर दिया गया है।
  - **प्रधानमंत्री जन जाति विकास मिशन (PMJVM)** को इस **वर्ष 136.17 करोड़ रुपए की बजट कटौती** का सामना करना पड़ा है।
    - PMJVM का उद्देश्य **जनजातीय उद्यमिता को मज़बूत करना,** आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/गैर-काष्ठ वन उत्पादों (NTFP)/गैर-कृषि उद्यमों के कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित तथा इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना है।
  - **पीएम दक्ष योजना** का आवंटन 92.47 करोड़ रुपए से बढ़ाकर **130 करोड़ रुपए** कर दिया गया है।
    - यह **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - **अनुसूचित जातियों के लिये राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति योजना हेतु आवंटन 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 95 करोड़ रुपए कर दिया गया है,** जिससे विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता बढ़ गई है।
  - **नमस्ते योजना** को वित्त वर्ष 2024 में **116.94 करोड़ रुपए का आवंटन** प्राप्त हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 97.41 करोड़ रुपए था।
    - नमस्ते/NAMASTE का अर्थ है **मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई।**
    - वर्ष 2022 में शुरू की गई नमस्ते योजना एक **केंद्रीय क्षेत्र की पहल** है जो वर्ष 2007 से **के पुनर्वास के लिये स्व-रोज़गार योजना की जगह लेगी।** इसे **मैनुअल स्कैवेंजर्स (SRMS)** वर्ष 2025-26 तक 4,800 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) में लागू किया जाएगा।
    - इसे **भारत में मशीनीकृत सीवर सफाई के माध्यम से मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करके शहरी क्षेत्रों** में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के साथ-साथ इन श्रमिकों को स्थायी आजीविका प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है।
  - **केंद्रीय बजट 2023** में शुरू किये गए **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम JANMAN)** को **केंद्रीय बजट 2024 में 25 करोड़ रुपए** के आवंटन के साथ जारी रखा गया है।
    - इसका उद्देश्य सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच के साथ-साथ बेहतर सड़क एवं दूरसंचार संपर्क व पीवीटीजी परिवारों और आवासों को स्थायी आजीविका के अवसर जैसी **आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करना है।**

नोट :

केंद्रीय बजट (वर्ष 2024-25) में घोषित अन्य योजनाएँ और उनके आवंटन क्या थे ?

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):**
  - PMAY-G का उद्देश्य: वंचितों को किफायती आवास उपलब्ध कराना, **वर्ष 2016 में** इसके **शुभारंभ के बाद से कुल 2.95 करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य** है। **जुलाई 2024 तक, लगभग 2.94 करोड़ आवास निर्माण को मंज़ूरी** दी गई है।

नोट :

- **इकाई लागत में वृद्धि:** सरकार ने वर्ष 2024-25 से **PMAY-G** के तहत इकाई लागत को **मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए** और एकीकृत कार्य योजना (IAP) ज़िलों, पहाड़ी क्षेत्रों एवं **दुर्गम क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.20 लाख रुपए** करने का निर्णय किया है।
  - IAP भारत में एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य कुछ वंचित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना है।
- **लक्ष्य और आवंटन:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **PMAY के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त आवास।**
  - इनमें से **54,500 करोड़ रुपए के आवंटन** के साथ **PMAY-ग्रामीण (PMAY-G)** के तहत **गाँवों में 2 करोड़ आवास का निर्माण** किया जाएगा।

- **जल जीवन मिशन (JJM) (ग्रामीण): आवंटन:** 69,926.65 करोड़ रुपए।
  - **उद्देश्य:** सभी **ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति** प्रदान करना, **सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना।**
  - **JJM के संदर्भ में:** वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया, इसमें वर्ष 2024 तक **कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)** के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को **प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर जल की आपूर्ति** की परिकल्पना की गई है।
  - **उपलब्धि:** इसने देश भर में **15 करोड़ ग्रामीण परिवारों** को नल-जल कनेक्शन प्रदान किया है। इसने **वर्ष 2019 से वर्ष 2024 के दौरान** ग्रामीण **नल कनेक्शन कवरेज** को 3 करोड़ से **बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया है। 8 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने** 100% **कवरेज** हासिल कर लिया है, जबकि बिहार, उत्तराखंड, लद्दाख एवं नगालैंड जैसे अन्य राज्यों ने पर्याप्त प्रगति की है।

- **ग्रामीण भूमि सुधार:**
  - **उद्देश्य:** इन सुधारों का उद्देश्य **ऋण प्रवाह को सुगम बनाना** और **भूमि प्रबंधन में सुधार करना** है, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
  - **सुधार:**
    - विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (**भू-आधार**) का आवंटन।
    - कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण।
    - वर्तमान स्वामित्व के आधार पर मानचित्र उपविभागों का सर्वेक्षण।

- भूमि रजिस्ट्री की स्थापना।
- भूमि अभिलेखों को किसानों की रजिस्ट्री से जोड़ना।

जल जीवन मिशन (शहरी) क्या है?

- बजट 2021-22 में, सतत् विकास लक्ष्य- 6 के अनुसार सभी वैधानिक शहरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में जल की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज़ प्रदान करने के लिये शहरी मामलों के आवास मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन (शहरी) की घोषणा की गई थी।
- बजट 2021-22 में, सतत् विकास लक्ष्य- 6 के अनुसार सभी वैधानिक कस्बों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से सभी घरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज़ प्रदान करने के लिये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन **(शहरी)** की घोषणा की गई है।
- यह जल जीवन मिशन (ग्रामीण) का पूरक है।
- **जल जीवन मिशन (शहरी) के उद्देश्य:**
  - नल और सीवर कनेक्शन सुरक्षित करना।
  - जल निकायों का पुनरुद्धार।
  - एक परिपत्र जल अर्थव्यवस्था बनाना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जनजातीय और ग्रामीण विकास के लिये केंद्र सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं?

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (RCF) 2023-24

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की '**मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट (RCF) 2023-24**' के अनुसार, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का **वर्ष 2026 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में 20% योगदान होने की उम्मीद है,** जो इसके वर्तमान योगदान 10% से दोगुना है।

- यह महत्त्वपूर्ण वृद्धि **अनुमान वित्त में डिजिटलीकरण की परिवर्तनकारी क्षमता** और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी प्रभाव को रेखांकित करता है।

मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट क्या है?

- **परिचय:**
  - यह **RBI का वार्षिक प्रकाशन है।**
  - रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली के **विभिन्न पहलुओं को शामिल** किया गया है।
- **थीम:**
  - मुद्रा एवं वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 की थीम है '**भारत की डिजिटल क्रांति (India's Digital Revolution)**'।
    - यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में **डिजिटलीकरण के परिवर्तनकारी प्रभाव** पर केंद्रित है।
- **आयाम:**
  - इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ **आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक अवसंरचना** और नियामक परिदृश्य को नया **आकार दे रही हैं,** साथ ही इससे संबंधित अवसरों तथा चुनौतियों का भी समाधान कर रही हैं।

मुद्रा एवं वित्त 2023-24 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **वित्तीय सेवाओं का विस्तार:** तकनीकी प्रगति के विकास और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप डिजिटल वित्तीय सेवाओं की गहराई में महत्त्वपूर्ण सुधार हुआ है।
  - मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन के विस्तार की संभावना अधिक है।
    - पहला, भारत में वित्तीय समावेशन की प्रगति रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक तथा आय समूहों के बीच खाता पहुँच के अंतर में कमी से स्पष्ट है।
    - दूसरा, **ग्रामीण भारत में 46% आबादी वायरलेस फोन उपभोक्ताओं की है** तथा 54% सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं।
    - तीसरा, यह देखते हुए कि फिनटेक उपभोक्ताओं में से आधे से अधिक अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण भारत से हैं तथा **डिजिटल भुगतान उपयोगकर्त्ताओं में से एक तिहाई से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, डिजिटल पहुँच को आगे बढ़ाने** तथा ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करने की संभावना है।
  - **पिछले दशक में दो लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को** भारतनेट के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और ई-गवर्नेंस जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराना संभव हो गया है।
- **मोबाइल पहुँच:** यद्यपि भारत में इंटरनेट पहुँच वर्ष 2023 में 55% थी, लेकिन हाल के तीन वर्षों में इंटरनेट उपयोगकर्त्ता आधार में 199 मिलियन की वृद्धि हुई है।
  - **भारत में प्रति गीगाबाइट (GB) डेटा** की खपत **पूरे विश्व में सबसे कम है,** जो औसतन 13.32 रुपए प्रति GB है।

- भारत विश्व में **सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत वाले देशों में से एक है,** जहाँ **वर्ष 2023 में प्रति उपयोगकर्त्ता प्रति माह औसत खपत 24.1 GB होगी।**
- देश में लगभग **750 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता हैं,** जिनके वर्ष 2026 तक लगभग एक बिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।
- अगले पाँच वर्षों में भारत **दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बनने की उम्मीद है।**

Chart I.4: Digitally Connected Population in India

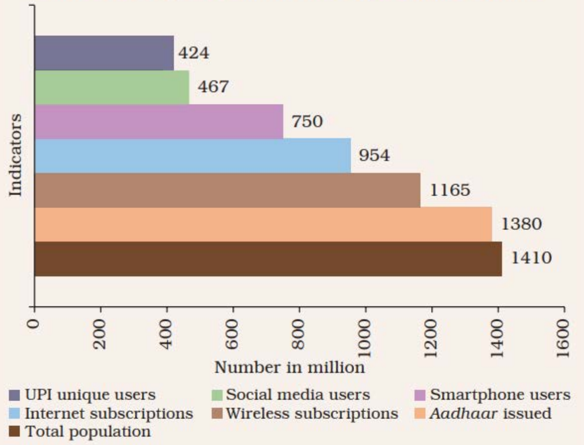

Note: Data for wireless subscriptions, internet subscriptions, smartphone users and social media users are not unique, *i.e.*, one individual may be holding multiple subscriptions.
Source: *Jan Dhan* Dashboard, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), Statista and RBI staff estimates.

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** डिजिटल अर्थव्यवस्था वर्तमान में **भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 10% हिस्सा है।**
  - वर्ष 2026 तक **यह आँकड़ा दोगुना होकर सकल घरेलू उत्पाद का 20% हो जाने की उम्मीद है,** जिसका श्रेय डिजिटल बुनियादी ढाँचे और वित्तीय प्रौद्योगिकी में तेज़ी से हो रही प्रगति को जाता है।
  - डिजिटलीकरण **बैंकिंग बुनियादी ढाँचे** और सार्वजनिक वित्त प्रणालियों को मज़बूत कर रहा है, जिससे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण एवं कर संग्रह को अनुकूलित किया जा रहा है।
- **इंडिया स्टैक:** आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) **और** डिजिलॉकर जैसे प्रमुख घटकों ने सेवा वितरण में क्रांति ला दी है। UPI ने चार वर्षों में लेन-देन में दस गुना वृद्धि देखी है।
  - **आधार:** विश्व की **सबसे बड़ी बायोमेट्रिक-आधारित पहचान प्रणाली,** जो 1.38 बिलियन ID धारकों को शामिल करती है।
  - **UPI:** एक वास्तविक समय, कम लागत वाला लेन-देन प्लेटफॉर्म जो वित्तीय समावेशन में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
  - **डिजिलॉकर:** क्लाउड-आधारित स्टोरेज जो सुरक्षित दस्तावेज़ पहुँच प्रदान करता है।

Chart I.6: India Stack – Schematic Presentation

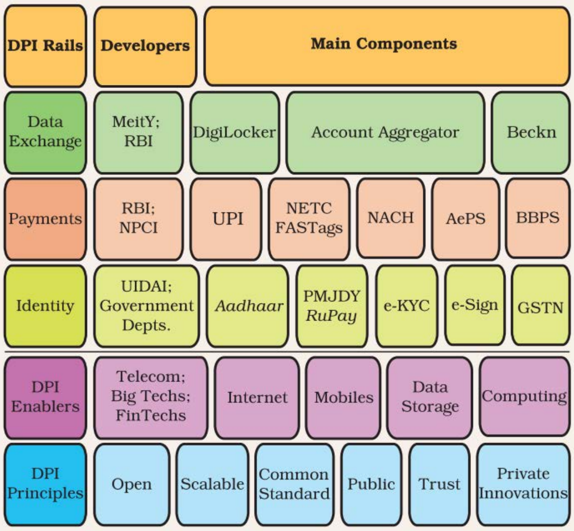

Source: RBI staff illustration.

- **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** भारत का DPI वैश्विक हो रहा है:
  - **मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म (MOSIP) कार्यक्रम** के तहत डिजिटल पहचान समाधान विकसित करने हेतु अन्य देशों के साथ सहयोग करना।
  - **लागत प्रभावी और तीव्र धन प्रेषण** के लिये UPI को सिंगापुर के पेनाउ (PayNow), संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के इंस्टेंट पे प्लेटफॉर्म (IPP) तथा नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस (NPI) जैसे अन्य देशों की तीव्र भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ना।
  - भौगोलिक सीमाओं से परे **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे (RuPay) की स्वीकार्यता** को व्यापक बनाने के लिये अन्य केंद्रीय बैंकों तथा विदेशी भुगतान सेवा प्रदाताओं के साथ साझेदारी करना, जैसे कि भूटान, मॉरीशस, सिंगापुर एवं संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में।
  - **बेकन प्रोटोकॉल को राष्ट्रों** के साथ साझा करना ताकि वे खुले, हल्के और विकेंद्रीकृत विनिर्देशों का उपयोग करके सार्वजनिक एवं निजी सेवाएँ प्रदान कर सकें।
    - बेकन प्रोटोकॉल पैन-सेक्टर आर्थिक लेन-देन के लिये खुले, पीयर-टू-पीयर विकेंद्रीकृत नेटवर्क के निर्माण को सक्षम बनाता है।

नोट :

Chart I.10: Global Footprint of India's DPI

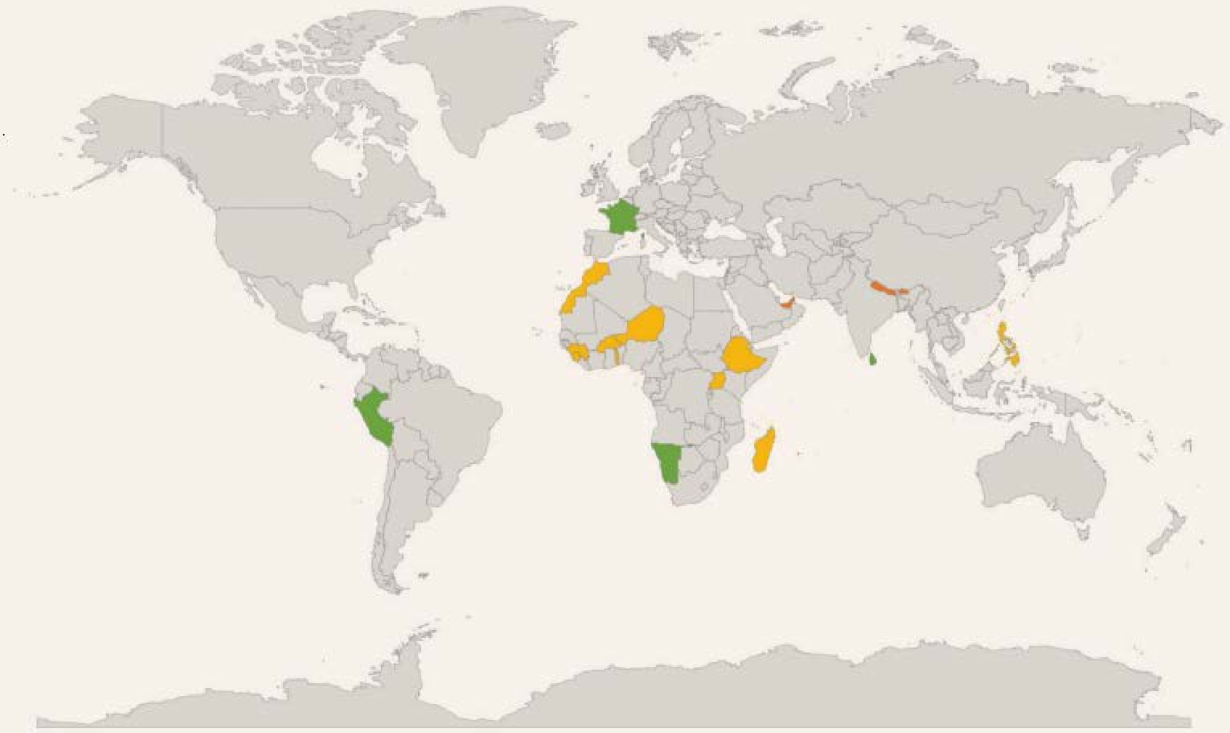

Note: The "UPI" category includes initiatives for UPI acceptance *via* QR codes, fast payment interlinkages and partnerships with other countries to develope UPI-like infrastructure. The combined "UPI and *RuPay*" category covers countries where both UPI and *RuPay* acceptance initiatives are undertaken. The "MOSIP digital identity" category involves partnerships with countries to establish MOSIP-based digital identity systems.
Source: NPCI; MOSIP and RBI staff estimates.

- **व्यावसायिक पहल: ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क,** डिजिटल कॉमर्स के लिये ओपन नेटवर्क और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट हेतु पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं।
  - फिनटेक कंपनियाँ डिजिटल ऋण समाधान प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिये **बैंकों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC)** के साथ साझेदारी कर रही हैं।

नोट :

REPORT ON CURRENCY AND FINANCE

Annex I.1: India's Digital Evolution Timeline

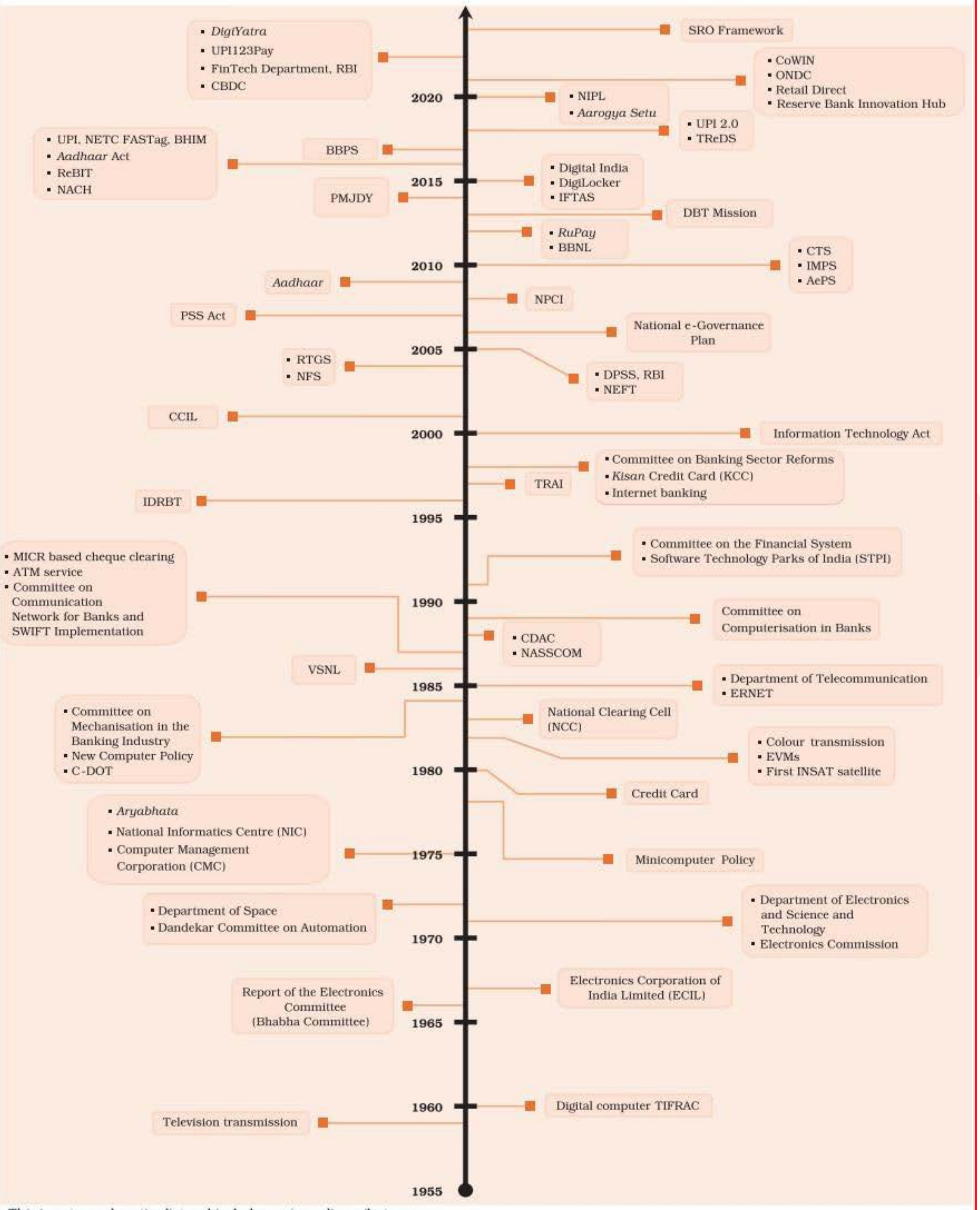

: This is not an exhaustive list and includes major policy milestones.
ce: RBI staff illustration.

भारत में डिजिटल क्रांति का विकास

भारत की डिजिटल क्रांति सरकार द्वारा की गई पहलों और वित्तीय बाज़ार नियामकों (**भारतीय रिज़र्व बैंक** तथा **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)**) के सक्षम विनियामक ढाँचों का मिश्रण है। आज़ादी के बाद से यह मार्ग चार चरणों से गुज़रा है।

नोट :

चरण	अवधि	विवरण
डिजिटल जागृति	1950-1980	**शुरुआती कंप्यूटर बैंकों में लगाए गए थे।** इस अवधि के दौरान ATM और क्रेडिट कार्ड भी पेश किये गए।
उदारीकरण और इन्फोटेक बूम	1990	1990 के दशक में **इंटरनेट अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध हो गया।** इससे **स्टॉक का डीमैटरियलाइज़ेशन** हुआ, जिसका अर्थ है कि स्टॉक अब भौतिक प्रमाण-पत्रों द्वारा दर्शाए नहीं जाते थे। इस दौरान बैंकों द्वारा **इंटरनेट बैंकिंग की पेशकश भी** की जाने लगी।
कानूनी ढाँचा तैयार करना	2000-2016	डिजिटल लेन-देन को विनियमित करने के लिये कानून पारित किये गए। इस अवधि के दौरान **UPI जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू की गई।**
डिजिटल नवाचार	2017 के बाद से	**भारत डिजिटल भुगतान में अग्रणी बन गया है।** ऑफलाइन भुगतान जैसी नई सुविधाएँ शुरू की गई हैं।

डिजिटलीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वित्तीय बाज़ारों पर प्रभाव:** डिजिटलीकरण के कारण **जटिल वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ सामने** आई हैं, जिससे बाज़ार संरचना तथा वित्तीय स्थिरता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।
- अविश्वसनीय वित्तपोषण मॉडल वाले डिजिटल खिलाड़ियों के उभरने से **प्रणाली की कमज़ोरियाँ** बढ़ती हैं और वित्तीय स्थिरता के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
- वित्तीय सेवाओं के इस **अति-विविधीकरण** के परिणामस्वरूप एक **"बारबेल" वित्तीय संरचना उत्पन्न हो सकती है, जहाँ कुछ प्रमुख बहु-उत्पाद कंपनियाँ अनेक विशिष्ट सेवा प्रदाताओं** के साथ सह-अस्तित्व में रहेंगी।
- **एकाधिकार का भय:** भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface-UPI) अनुप्रयोगों के प्रसार ने ग्राहकों के लिये विकल्पों का विस्तार किया है और लेन-देन की मात्रा में वृद्धि की है। हालाँकि लेन-देन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा कुछ अनुप्रयोगों द्वारा हावी है, जैसा कि **हर्फिंडाहल-हिर्शमैन इंडेक्स (Herfindahl-Hirschman Index-HHI)** (बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा निर्धारित करने के लिये उपयोग किये जाने वाले उद्योग के बाज़ार संकेंद्रण का एक सामान्य उपाय) द्वारा इंगित किया गया है।
  - संकेंद्रण जोखिमों से निपटने के लिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India- NPCI) ने दिसंबर 2024 तक किसी एकल तृतीय-पक्ष एप्लीकेशन प्रदाता की बाज़ार हिस्सेदारी को 30% तक सीमित कर दिया है।
- **साइबर सुरक्षा चुनौतियाँ:** डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढाँचे को लक्षित करने वाले **साइबर खतरों** की विविध प्रकृति के कारण साइबर सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय है।
  - भारत में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (Computer Emergency Response Team- CERT-In) द्वारा संभाली गई सुरक्षा घटनाएँ वर्ष 2017 में 53,117 से बढ़कर जनवरी और अक्तूबर 2023 के बीच 1.32 मिलियन से अधिक हो गई हैं।
  - इनमें से अधिकांश घटनाएँ अनधिकृत नेटवर्क स्कैनिंग, जाँच और कमज़ोर सेवाओं के दोहन से संबंधित हैं।
  - भारत में वर्ष 2023 में डेटा उल्लंघन की औसत लागत 2.18 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो वैश्विक औसत से कम है लेकिन फिर भी एक महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्शाती है।
- **उपभोक्ता संरक्षण मुद्दे:** डिजिटलीकरण के कारण "डार्क पैटर्न" भी उत्पन्न हुए हैं, **जहाँ उपभोक्ताओं को उनके हितों के विरुद्ध निर्णय लेने के लिये प्रेरित किया** जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों द्वारा ग्राहक डेटा का व्यापक उपयोग डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में चिंताएँ पैदा करता है, जिससे संभावित रूप से ग्राहक के विश्वास के साथ समझौता होता है।

नोट :

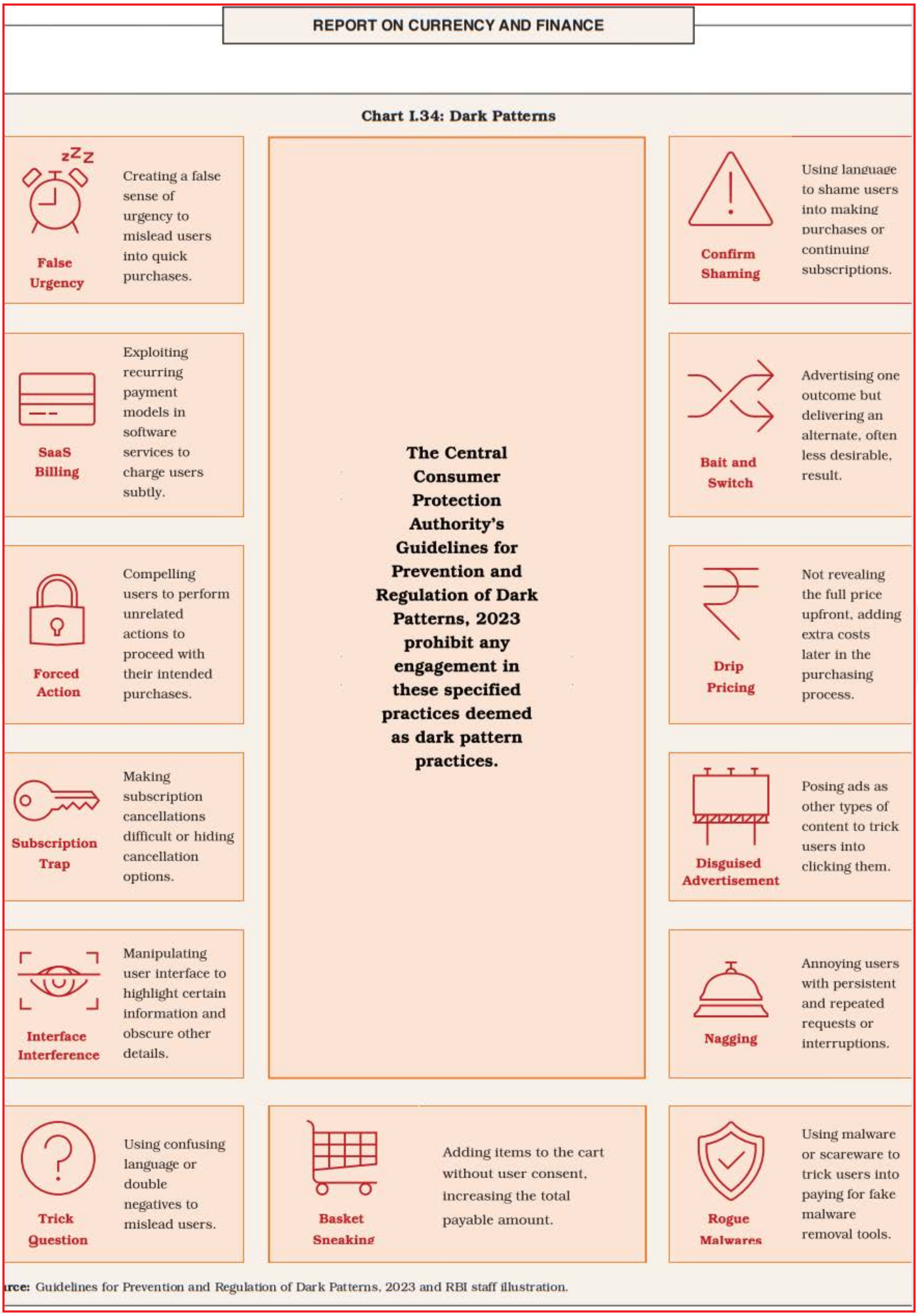
REPORT ON CURRENCY AND FINANCE
Chart I.34: Dark Patterns
False Urgency
Creating a false sense of urgency to mislead users into quick purchases.
SaaS Billing
Exploiting recurring payment models in software services to charge users subtly.
Forced Action
Compelling users to perform unrelated actions to proceed with their intended purchases.
Subscription Trap
Making subscription cancellations difficult or hiding cancellation options.
Interface Interference
Manipulating user interface to highlight certain information and obscure other details.
Trick Question
Using confusing language or double negatives to mislead users.
The Central Consumer Protection Authority's Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023 prohibit any engagement in these specified practices deemed as dark pattern practices.
Basket Sneaking
Adding items to the cart without user consent, increasing the total payable amount.
Confirm Shaming
Using language to shame users into making purchases or continuing subscriptions.
Bait and Switch
Advertising one outcome but delivering an alternate, often less desirable, result.
Drip Pricing
Not revealing the full price upfront, adding extra costs later in the purchasing process.
Disguised Advertisement
Posing ads as other types of content to trick users into clicking them.
Nagging
Annoying users with persistent and repeated requests or interruptions.
Rogue Malwares
Using malware or scareware to trick users into paying for fake malware removal tools.
rce: Guidelines for Prevention and Regulation of Dark Patterns, 2023 and RBI staff illustration.

नोट :

- **श्रम बाज़ारों को नया आकार देना:** डिजिटल **तकनीकें कार्यबल संरचना**, नौकरी की गुणवत्ता, कौशल आवश्यकताओं और श्रम नीतियों को बदल रही हैं। वित्तीय सेवाओं में AI के कार्यान्वयन से भूमिकाएँ उच्च-कुशल कार्यों की ओर स्थानांतरित होती हैं, नियमित कार्यों को स्वचालित करती हैं और निर्णय लेने में सहायता करती हैं।
    - वर्ष 2013 और 2019 के बीच वित्तीय क्षेत्र में सहायक भूमिकाओं में गिरावट आई, जबकि पेशेवरों तथा तकनीशियनों की संख्या में वृद्धि हुई।
    - भारत में कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने 2022-23 में 30 प्रतिशत से अधिक टर्नओवर दरों की सूचना दी। यह अधिक टर्नओवर महत्त्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है, जिसमें संस्थागत ज्ञान की हानि, सेवा व्यवधान और भर्ती लागत में वृद्धि शामिल है।

चुनौतियों से निपटने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- **वित्तीय और डिजिटल समावेशन:** भारत ने **डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ** (Digital Banking Units- DBU) स्थापित की हैं और स्थानीय भाषाओं में ऑफलाइन तथा संवादात्मक भुगतान के साथ UPI में सुधार किया है।
    - भुगतान अवसंरचना को व्यापक बनाने के लिये **भुगतान अवसंरचना विकास कोष** (Payment Infrastructure Development Fund- PIDF) की शुरुआत की गई है तथा कृषि वित्त का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।
- **ग्राहक संरक्षण:** डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में विनियामक और ग्राहक संरक्षण चुनौतियों का समाधान करने के लिये, RBI ने **डिजिटल ऋण पर दिशा-निर्देश जारी किये, जो ऋण सेवा,** प्रकटीकरण, शिकायत निवारण, ऋण मूल्यांकन मानकों और डेटा गोपनीयता पर केंद्रित हैं।
    - **रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना** (Reserve Bank-Integrated Ombudsman Scheme- RB-IOS) ने शिकायत निवारण तंत्र में सुधार किया है तथा 'RBI कहता है' और **ई-बात कार्यक्रम** जैसे जन जागरूकता अभियान जनता को डिजिटल भुगतान उत्पादों तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में शिक्षित करते हैं।
- **डेटा सुरक्षा:** RBI ने भुगतान डेटा के लिये डेटा स्थानीयकरण लागू किया है और **डिजिटल ऋण देने वाले अनुप्रयोगों** को स्पष्ट उपयोगकर्त्ता सहमति के बिना निजी जानकारी तक पहुँचने से रोकने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कार्ड जारी करने वाले बैंकों के माध्यम से **कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइज़ेशन** (Card-on-file tokenisation- CoFT) को डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिये सक्षम किया गया है।
- **साइबर सुरक्षा:** डिजिटल लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये **दो-कारक प्रामाणीकरण, कार्ड के उपयोग पर ग्राहक नियंत्रण में वृद्धि, लेन-देन विफलताओं हेतु** तेज़ी से कार्रवाई और संवर्द्धित पर्यवेक्षी निरीक्षण जैसे उपाय लागू किये गए हैं।
    - RBI ने **IT और साइबर जोखिम प्रबंधन** के लिये व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- **फिनटेक विनियमन:** RBI ने फिनटेक नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिये **विनियामक सैंडबॉक्स योजना**, रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब और फिनटेक हैकथॉन लॉन्च किया है।
- **विनियमन और पर्यवेक्षण में डिजिटल प्रौद्योगिकी:** पर्यवेक्षी तथा निगरानी ढाँचे को बढ़ाने के लिये डिजिटल उपकरणों का लाभ उठाया जा रहा है। **DAKSH प्रणाली** पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में मदद करती है।
    - डेटा प्रबंधन और विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिये **एकीकृत अनुपालन प्रबंधन और ट्रैकिंग प्रणाली** (Integrated Compliance Management and Tracking System- ICMTS) तथा **केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली** (Centralised Information Management System- CIMS) भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। समावेशी और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान कैसे किया जा सकता है?

भारत की लिथियम खनन चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

घरेलू **लिथियम** संसाधनों को सुरक्षित करने के भारत के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि खान मंत्रालय ने **जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम ब्लॉक की नीलामी** दूसरी बार रद्द कर दी है।

- बार-बार मिल रही असफलता के कारण अधिकारी एक और **नीलामी का प्रयास करने से पहले और अधिक अन्वेषण की आवश्यकता पर विचार** कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम ब्लॉक के संबंध में मुख्य बातें क्या हैं?

- **अनुमानित संसाधन:** फरवरी 2023 में, **भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण** (Geological Survey of India-

GSI) ने जम्मू और कश्मीर (J&K) के रियासी ज़िले में 5.9 मिलियन टन के लिथियम-अनुमानित संसाधन स्थापित किये, जो विभिन्न अनुप्रयोगों, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी के लिये आवश्यक है।

- इस खोज से **भारत विश्व में लिथियम का सातवाँ सबसे बड़ा स्रोत बन** गया है।

- **नीलामी का प्रयास:** पहला नीलामी प्रयास नवंबर 2023 में हुआ था, लेकिन तीन से कम बोलीदाताओं के योग्य होने के कारण 13 मार्च को रद्द कर दिया गया था।
  - दूसरी बार नीलामी का प्रयास किया गया, लेकिन किसी भी बोलीदाता के योग्य न होने के कारण इसे भी रद्द कर दिया गया।
- **विनियामक ढाँचा:** खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के अनुसार, **तीन से कम बोलीदाताओं के योग्य होने पर भी नीलामी दूसरे दौर में जा सकती है।** हालाँकि इस मामले में कोई भी बोलीदाता योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करता था।
  - **दूसरे नीलामी प्रयास में कोई भी योग्य बोलीदाता सामने नहीं आया,** जिससे निवेशकों की हिचकिचाहट का पता चलता है।
- **निवेशकों की हिचकिचाहट के कारण:**
  - **मिट्टी के भंडार:** जम्मू-कश्मीर के लिथियम भंडार मुख्य रूप से मिट्टी के भंडार हैं, जिन्हें अभी तक वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक रूप से प्रामाणित नहीं किया गया है। ऐसे भंडारों के व्यवसायीकरण का मार्ग अनिश्चित है और इसमें अधिक समय लग सकता है।
  - **लाभकारी अध्ययन का अभाव:** लिथियम के निष्कर्षण और प्रसंस्करण की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिये **लाभकारी अध्ययन के अभाव ने परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता** के बारे में संभावित बोलीदाताओं के बीच चिंता पैदा कर दी है।
  - **घटिया रिपोर्टिंग मानक:** नीलामी दस्तावेज़ों की आलोचना इस बात के लिये की गई है कि उनमें **ब्लॉक के बारे में सीमित जानकारी दी** गई है।
    - संभावित बोलीदाताओं ने ब्लॉक के छोटे आकार और आधुनिक खनिज प्रणालियों-आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिये डेटा की अपर्याप्तता के बारे में चिंता व्यक्त की है।
  - **अन्वेषण चरण की अस्पष्टताएँ:** कम बोली रुचि का प्राथमिक कारण ब्लॉक की अन्वेषण स्थिति है, जो वर्तमान में **संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण संसाधनों (UNFC)** के अनुसार G3 स्तर पर है।
    - अन्वेषण का यह स्तर **खनिज भंडारों के बारे में प्रारंभिक और कम विश्वसनीय अनुमान प्रदान** करता है, जो ऐसे निवेशों से जुड़े उच्च जोखिम तथा अनिश्चितता के कारण निवेशकों को हतोत्साहित करता है।
  - **आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ:** लिथियम का निष्कर्षण महँगा है और **वैश्विक लिथियम की कीमतों में गिरावट के कारण निवेशक संभावित वित्तीय नुकसान** से चिंतित हैं।
    - वर्तमान रिपोर्टिंग मानक परियोजना की लाभप्रदता के बारे में पर्याप्त स्पष्टता प्रदान नहीं करते हैं, जिससे निवेश में और बाधा उत्पन्न होती है।
  - **आरक्षित मूल्य:** दूसरे नीलामी प्रयास के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पिछले दौर की उच्चतम प्रारंभिक बोली पेशकश पर आधारित था। यदि यह आरक्षित मूल्य ब्लॉक के अनुमानित मूल्य या जोखिम के सापेक्ष बहुत अधिक माना जाता, तो यह संभावित बोलीदाताओं को हतोत्साहित कर सकता था।

संसाधनों के वर्गीकरण के लिये संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा (UNFC)

- UNFC अन्वेषण के चरण और अनुमानों में विश्वास के आधार पर खनिज संसाधनों को वर्गीकृत करने के लिये एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्गीकरण को चार चरणों में विभाजित किया गया है:
  - **G4-सर्वेक्षण:** यह अन्वेषण का प्रारंभिक चरण है, जिसमें क्षेत्रीय आकलन और सीमित भूमिगत नमूनाकरण शामिल है।
    - **विश्वास का स्तर:** अनुमान कम विश्वास वाले हैं तथा खनिज संसाधनों की संभावित मात्रा और श्रेणी के बारे में केवल प्रारंभिक जानकारी ही प्रदान करते हैं।
  - **G3-पूर्वेक्षण:** इस चरण में, खनिज भंडार की क्षमता का आकलन करने के लिये प्रारंभिक अन्वेषण किया जाता है।
    - **विश्वास का स्तर:** अनुमान कम विश्वास वाले बने हुए हैं तथा खनिज संसाधनों के वास्तविक मूल्य और सीमा के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है।
  - **G2-सामान्य अन्वेषण:** इस चरण में अधिक विस्तृत अन्वेषण और नमूनाकरण शामिल होता है, जो अनुमानों में मध्यम स्तर का विश्वास प्रदान करता है।
    - **विश्वास का स्तर:** ये आकलन खनिज संसाधनों का अधिक विश्वसनीय अनुमान प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अभी भी पूर्णतः विस्तृत नहीं हैं।
  - **G1- विस्तृत अन्वेषण:** अन्वेषण के सबसे उन्नत चरण में व्यापक जाँच, व्यापक नमूनाकरण और प्रत्यक्ष विश्लेषण शामिल है।

नोट :

- **विश्वास का स्तर:** इस स्तर पर अनुमान अत्यधिक विश्वास योग्‍य होते हैं तथा खनिज संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता के बारे में सटीक तथा विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध कराते हैं।

भारत में लिथियम अन्वेषण की स्थिति क्या है?

- **छत्तीसगढ़ में सफल नीलामी:** भारत की पहली सफल लिथियम नीलामी **छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में** हुई। इस ब्लॉक की नीलामी जून 2024 में मैकी साउथ माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को की गई।
  - बोली में 76.05% का प्रीमियम शामिल था, जो अधिक रुचि और प्रतिस्पर्द्धी बोली को दर्शाता है।
  - **कोरबा में अतिरिक्त अन्वेषण:** राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) द्वारा वित्तपोषित एक निजी अन्वेषण कंपनी ने कोरबा में हार्ड रॉक लिथियम भंडार की पहचान की है, जिसमें लिथियम सांद्रता 168 से 295 भाग प्रति मिलियन (ppm) तक है।
- **अन्य राज्यों में चुनौतियाँ:**
  - मणिपुर: स्थानीय प्रतिरोध के कारण कामजोंग ज़िले में लिथियम अन्वेषण प्रयास रुक गए हैं। NMET समिति ने इस क्षेत्र में आगे की कार्रवाई को रोकने का फैसला किया है।
  - लद्दाख: भारत-चीन सीमा के समीप मेरक ब्लॉक में अन्वेषण से निराशाजनक परिणाम मिले हैं, जिसके कारण NMET समिति ने वहाँ अन्वेषण प्रयासों को रोकने का सुझाव दिया है।
  - असम: धुबरी और कोकराझार ज़िलों में अन्वेषण आशाजनक नहीं रहा है, NMET ने इन क्षेत्रों में आगे की प्रक्रिया या अन्वेषण के खिलाफ सिफारिश की है।

Lithium exploration

Between Field Season (FS) 2016-17 to FS 2021-22, the Geological Survey of India has explored 19 mineral blocks/belts for lithium. Of these, 15 are in the G4 stage, 3 in the G3 stage and one in the G2 stage as of March 2022.
*Locations approximate

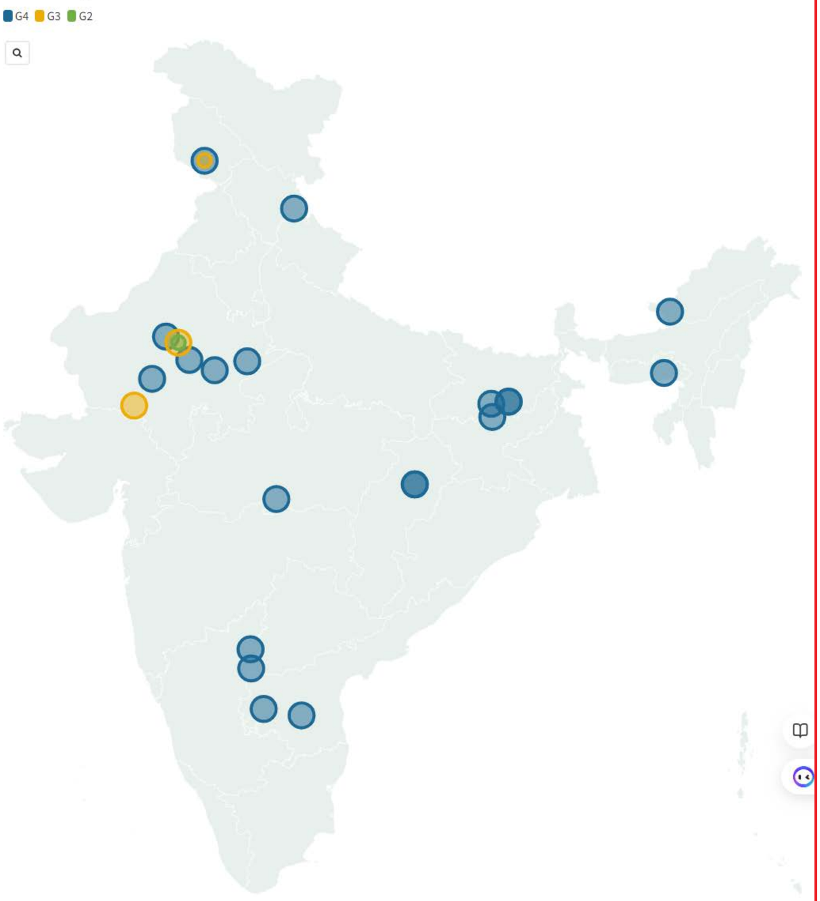

भारत के लिये लिथियम का महत्त्व:

- लिथियम एक **नरम, चाँदी सदृश श्वेत क्षारीय धातु** है जिसमें उच्च अभिक्रियाशीलता, कम घनत्व और उत्कृष्ट विद्युत रासायनिक गुण होते हैं।
  - यह विभिन्न खनिजों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका लिथियम धातु या इसके यौगिकों में निष्कर्षण तथा परिष्कृत किया जाता है।
- भारत ने **वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन** का संकल्प लिया है, जिसके लिये EV बैटरी और **नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों** में लिथियम एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में आवश्यक है।
  - भारत को **वर्ष 2030 तक 27 गीगावाट ग्रिड-स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की आवश्यकता** है, जिसके लिये भारी मात्रा में लिथियम की आवश्यकता होगी।
  - विश्व आर्थिक मंच ने EV और रिचार्जेबल बैटरी की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक स्तर पर लिथियम की कमी की चेतावनी दी है, जिसकी **खपत का अनुमान वर्ष 2050 तक 2 बिलियन** तक पहुँचने का है। विश्व की लिथियम आपूर्ति दबाव में है, जिसका **54% भंडार अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में** है।

- हरित प्रौद्योगिकियों और ऊर्जा भंडारण में लिथियम की भूमिका इसे एक महत्त्वपूर्ण संसाधन बनाती है क्योंकि देश जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने तथा हरित ऊर्जा संक्रमण का लक्ष्य रखते हैं।
- भारत अपनी ज़रूरत का **70-80% लिथियम** और **70% लिथियम-आयन चीन से आयात** करता है, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव जारी रहने पर इसके विकास और घरेलू उद्योगों को जोखिम में डाल सकता है।

भारत में लिथियम के निष्कर्षण और निवेश में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **निष्कर्षण चुनौतियाँ:** हार्ड रॉक पेग्माटाइट अयस्क/निक्षेप से लिथियम निष्कर्षण कठिन है, जिसके लिये विशेष तकनीक और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। पेग्माटाइट अयस्कों से लिथियम निष्कर्षण में कई जटिल और महँगे प्रसंस्करण चरण शामिल हैं।
  - **पर्यावरण संबंधी चिंताएँ:** लिथियम निष्कर्षण, विशेष रूप से **खुली खदान उत्खनन** के माध्यम से, पारिस्थितिकी क्षति और **प्रदूषण सहित पर्यावरण पर काफी प्रभाव डाल सकता है।** इन प्रभावों को कम करने के लिये उचित प्रबंधन और शमन उपायों की आवश्यकता है।
  - **परिवहन:** जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले जैसे दूर-दराज़ के क्षेत्रों में, **परिवहन और रसद** के लिये अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के कारण कुशल निष्कर्षण में बाधा हो सकती है जिससे लागत बढ़ सकती है।
  - **नवोदित उद्योग:** भारत का **लिथियम क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा** है, जिसमें **कार्यात्मक खनन और प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा स्थापित करने के लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता** है।
    - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, लिथियम परियोजनाओं में विशेष रूप से खनिज संपदा से, **आमतौर पर अन्वेषण से उत्पादन तक 6 से 7 वर्ष** लगते हैं।
  - **प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचे की कमी: चीन** वर्तमान में लिथियम प्रसंस्करण क्षेत्र पर हावी है, जो **वैश्विक बाज़ार का 65% प्रबंधन** करता है। **भारत इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित नहीं है।**
  - **सीमित घरेलू विशेषज्ञता:** विदेशों में खनन परिसंपत्तियों के विकास में भारत का सीमित अनुभव और लिथियम उत्खनन में इसकी अपरिपक्व विशेषज्ञता घरेलू परियोजनाओं को गति देने में चुनौतियों का कारण बनती है।
- **निवेश संबंधी चुनौतियाँ: संसाधनों के लिये संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (UNFC)** पर आधारित भारत के वर्तमान खनिज रिपोर्टिंग मानक, वैश्विक स्तर पर उपयोग किये जाने वाले खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानकों (CRIRSCO) के लिये समिति के साथ संरेखित नहीं हैं।
  - UNFC मानकों में आर्थिक व्यवहार्यता का व्यापक रूप से आकलन करने के लिये आवश्यक विवरण का अभाव है।
  - **स्थानीय तनाव:** जातीय और धार्मिक तनाव निवेश को आकर्षित करने व संसाधन विकास का प्रबंधन करने के प्रयासों को जटिल बना सकते हैं। पिछले संघर्ष और चल रही हिंसा इस क्षेत्र को विशेष रूप से अस्थिर बनाती है।
  - **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा और निर्भरता:** चीन वैश्विक लिथियम-आयन बैटरी **निर्माण क्षमता** के **77% को नियंत्रित करता है** जो **भारत सहित अन्य देशों**, जो चीनी आपूर्ति पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं, **के लिये एक रणनीतिक चुनौती** उत्पन्न करता है।
    - निवेशकों के पास वैश्विक खनन बाज़ार में कई अवसर हैं। यदि अन्य क्षेत्र अधिक आकर्षक या कम जोखिम वाले अवसर प्रदान करते हैं, तो निवेशक J&K लिथियम ब्लॉक जैसे क्षेत्रों की तुलना में उन्हें प्राथमिकता दे सकते हैं।

आगे की राह

- **विदेशी विशेषज्ञता को आकर्षित करना:** लिथियम उत्खनन और प्रसंस्करण में विशेषज्ञता वाली विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना भारत की घरेलू लिथियम अन्वेषण एवं खनन गतिविधियों को गति देने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।
- **लिथियम ट्रायंगल से सबक: बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना**, जहाँ **विश्व के सबसे बड़े लिथियम भंडार** हैं, से मूल्यवान सबक ली जानी चाहिये। चिली और बोलीविया ने राज्य-नियंत्रित या विनियमित लिथियम निष्कर्षण प्रक्रियाओं को लागू किया है।
  - इन देशों में हाल की पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियाँ सुदृढ़ नियामक ढाँचों तथा सामुदायिक सहभागिता के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।
  - लिथियम उत्खनन के तहत निष्कर्षण से लेकर बैटरी प्रबंधन तक **पूरे प्रक्रम में संधारणीय सिद्धांतों को एकीकृत करने की आवश्यकता** है।
- **स्थानीय भागीदारी:** लिथियम अन्वेषण की योजनाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और उन्हें रोज़गार के अवसरों के लिये प्राथमिकता देना चाहिये। हालाँकि कृषि, पशुपालन और पर्यटन पर व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

- **सरकारी प्रोत्साहन:** **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं** सहित सरकारी पहलों का उद्देश्य **इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस** को **बेहतर बनाना और महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में निवेश** को प्रोत्साहित करना है, जो **ओला इलेक्ट्रिक** और **रिलायंस न्यू एनर्जी जैसी प्रमुख कंपनियों की रुचि को आकर्षित कर सकता है।**
- **आगामी अन्वेषण:** अतिरिक्त अन्वेषण संसाधन के बारे में अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकती है और संभावित रूप से लिथियम भंडार को निवेशकों के लिये अधिक आकर्षक बना सकती है। हालाँकि इस दृष्टिकोण में समय और अतिरिक्त निवेश शामिल है।
- **सरकार द्वारा शुरू किया गया विकास:** सरकार के लिये एक अन्य विकल्प यह है कि वह **खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम** के तहत अनुमति के अनुसार सीधे सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से पूर्वेक्षण या खनन कार्य करे। यह दृष्टिकोण निजी निवेशकों की रुचि की कमी के बावजूद लिथियम ब्लॉक के विकास को सुनिश्चित कर सकता है।
- **व्यापार की शर्तों को आसान बनाना:** खनन विनियमों में संशोधन और इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से भारत के लिथियम उद्योग के विकास का समर्थन करने की उम्मीद है।
  - वैश्विक बाज़ारों तक उचित पहुँच सुनिश्चित करने और लिथियम आपूर्ति श्रृंखला में भारत के हितों की रक्षा करने वाले व्यापार समझौतों पर वार्ता की जानी चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: हाल के घटनाक्रमों और असफलताओं पर विचार करते हुए भारत में लिथियम संसाधनों के प्रबंधन एवं दोहन में चुनौतियों तथा अवसरों का मूल्यांकन कीजिये।

प्रश्न: चीन से लिथियम आयात पर भारत की निर्भरता उसके सामरिक और आर्थिक हितों को कैसे प्रभावित करती है? इस निर्भरता को कम करने के उपाय सुझाइए।

■■■

The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विदेश मंत्रालय के सहायता आवंटन में नेबरहुड को प्राथमिकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट 2024-25 में, **विदेश मंत्रालय (MEA)** ने रणनीतिक साझेदारों और पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी **विकास सहायता योजनाओं** की रूपरेखा तैयार की है।

- यह भारत की पड़ोस प्रथम नीति के अनुरूप **क्षेत्रीय संपर्क, सहयोग और स्थिरता** को बढ़ावा देने के लिये तैयार की गई है।

देशों के बीच विकास सहायता कैसे वितरित की जाती है?

- विदेश मंत्रालय के व्यय का एक बड़ा हिस्सा, 4,883 करोड़ रुपए, **"देशों को सहायता"** के लिये निर्धारित किया गया है। इसे इस प्रकार आवंटित किया गया है:
  - **भूटान:** इसे सबसे अधिक **2,068.56 करोड़ रुपए** की सहायता मिली, हालाँकि यह पिछले वर्ष के **2,400 करोड़ रुपए** से थोड़ा कम है।
  - **नेपाल:** इसे 700 **करोड़** रुपए आवंटित किये गए, जो पिछले वर्ष के **550 करोड़ रुपए** से अधिक है।
  - **मालदीव:** इसने पिछले वर्ष के लिये 770.90 **करोड़** रुपए की संशोधित राशि के बावजूद **400 करोड़ रुपए** का आवंटन बनाए रखा।
  - **श्रीलंका:** इसे 245 **करोड़** रुपए मिले, जो पिछले वर्ष के **150 करोड़ रुपए** से अधिक है।
  - **अफगानिस्तान:** अफगानिस्तान को 200 **करोड़** रुपए मिले, जो मौजूदा चुनौतियों के बीच देश की स्थिरता और विकास में सहायता करने में भारत की भूमिका को दर्शाता है।
  - **मालदीव:** भारत विरोधी प्रदर्शनों और इसके शीर्ष नेतृत्व की टिप्पणियों के बावजूद मालदीव को 400 **करोड़** रुपए मिले।
  - **ईरान:** **चाबहार बंदरगाह** परियोजना को 100 **करोड़** रुपए मिलना जारी है, जो पिछले तीन वर्षों से अपरिवर्तित है।
  - **अफ्रीका:** अफ्रीकी देशों को सामूहिक रूप से 200 **करोड़ रुपए** मिले, जो इस महाद्वीप के साथ भारत के बढ़ते प्रभाव और जुड़ाव को दर्शाता है।
    - **सेशेल्स:** इसे 10 **करोड़ रुपए** से बढ़ाकर 40 **करोड़** रुपए मिले।

पड़ोसी देशों को दी जाने वाली विकास सहायता के क्या लाभ हैं?

- **राजनयिक संबंधों को मज़बूत बनाना:** पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करके, भारत राजनयिक संबंधों को बढ़ाता है, मज़बूत **राजनीतिक और आर्थिक संबंधों** को बढ़ावा देता है।
- **क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना:** वित्तीय सहायता पड़ोसी देशों को स्थिर करने में मदद करती है, जिससे एक अधिक **सुरक्षित और स्थिर क्षेत्र** बन सकता है, जिससे भारत के रणनीतिक हितों को लाभ होगा।
- **आर्थिक विकास का समर्थन करना:** सहायता **बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं**, विकास कार्यक्रमों और अन्य पहलों में योगदान देती है जो प्राप्तकर्त्ता देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे एक अधिक समृद्ध क्षेत्र बन सकता है। **उदाहरण के लिये, ईरान में चाबहार बंदरगाह।**
- **व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना:** पड़ोसी देशों में बेहतर **बुनियादी ढाँचे और आर्थिक स्थिति** भारत के लिये व्यापार एवं निवेश के अवसरों को बढ़ा सकती है, उदाहरण के लिये, भारत व बांग्लादेश के बीच **अगरतला-अखौरा रेलवे परियोजना**।
- **रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाना:** सहायता प्रदान करने से भारत को प्रभाव डालने और गठबंधन बनाने की अनुमति मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पड़ोसी देशों का भारत के साथ **सकारात्मक जुड़ाव हो एवं वे इसके हितों के साथ अधिक निकटता** से जुड़ें।
  - उदाहरणार्थ, **डोकलाम मुद्दे पर भूटान** का भारत के प्रति पक्ष लेना।
- **मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करना:** सहायता अक्सर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और आपदा राहत जैसी तत्काल **मानवीय आवश्यकताओं** को पूरी करती है, जिससे प्राप्तकर्त्ता देशों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
  - उदाहरण के लिये, भारत ने चक्रवात मोचा के दौरान म्याँमार को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिये **"ऑपरेशन करुणा"** शुरू किया।
- **सॉफ्ट पावर को मज़बूत करना:** पड़ोसी देशों के विकास में निवेश करके, भारत एक ज़िम्मेदार क्षेत्रीय नेता के रूप में अपनी सॉफ्ट पावर और प्रतिष्ठा को मज़बूत करता है।

नोट :

- **उदाहरण के लिये,** यह भारत के छोटे पड़ोसियों के बीच **बिग ब्रदर सिंड्रोम** को कम करने में मदद करता है।

भारत की पड़ोस प्रथम नीति

- **नेबरहुड फर्स्ट नीति** अर्थात् **पड़ोस प्रथम नीति** की अवधारणा वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई।
- भारत की 'पड़ोस प्रथम नीति' उसके **निकटतम पड़ोसी राष्ट्रों** अर्थात् अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्याँमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ **संबंधों के प्रबंधन** के प्रति उसके दृष्टिकोण को निर्दिष्ट करती है।
- पड़ोस प्रथम नीति, अन्य विषयों के साथ-साथ, पूरे **क्षेत्र में भौतिक, डिजिटल और जन-जन समन्वयन व संपर्क** बढ़ाने के साथ-साथ व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने के उद्देश्य से है।
- यह नीति हमारे पड़ोस के साथ संबंधों और नीतियों का प्रबंधन करने वाली सरकार की सभी प्रासंगिक शाखाओं के लिये एक **संस्थागत प्राथमिकता** के रूप में विकसित हुई है।
- अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने/समन्वय के लिये भारत का दृष्टिकोण **परामर्श**, **गैर-पारस्परिकता** और **ठोस/वास्तविक परिणाम** प्राप्त करने पर केंद्रित होने की विशेषता है। यह दृष्टिकोण संपर्क, बुनियादी ढाँचे, विकास सहयोग, सुरक्षा को बढ़ाने तथा जन-जन समन्वयन को और भी बढ़ावा देने को प्राथमिकता देता है।

भारत के लिये नेबरहुड फर्स्ट/पड़ोस प्रथम नीति क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **आतंकवाद और अवैध प्रवास:** भारत को अपने निकटतम पड़ोसियों से हथियारों और ड्रग्स की **तस्करी** सहित **आतंकवाद** एवं **अवैध प्रवासन** के खतरों का सामना करना पड़ता है।
  - बेहतर संबंध सीमा सुरक्षा अवसंरचना में सुधार कर सकते हैं और अवैध प्रवास के कारण जनसांख्यिकीय/जनांकीकीय परिवर्तनों की निगरानी कर सकते हैं।
- **चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध:** चीन और पाकिस्तान के साथ संबंध तनावपूर्ण हैं, विशेषकर पाकिस्तान से संबद्ध आतंकवाद के कारण।
  - क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों में शामिल होने से आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया जा सकता है और पड़ोस प्रथम नीति के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक साझा मंच बनाया जा सकता है।
- **सीमा सुरक्षा अवसंरचना में निवेश:** सीमा सुरक्षा अवसंरचना में कमी है और सीमा क्षेत्रों को स्थिर एवं विकसित करने की आवश्यकता है।
  - सीमा पार सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों जैसे बेहतर कनेक्टिविटी बुनियादी ढाँचे तथा ऐसे बुनियादी ढाँचे के लिये एक क्षेत्रीय विकास निधि का पता लगाना।
- **ऋण व्यवस्था (LOC) परियोजनाओं की निगरानी:** पड़ोसी देशों के लिये भारत की LOC में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वैश्विक सॉफ्ट लेंडिंग का 50% हिस्सा उन्हें दिया जा रहा है।
  - यह क्षेत्र में भारत के प्रभाव को बढ़ाता है, भारतीय फर्मों की उपस्थिति का विस्तार करता है और प्राप्तकर्त्ता देशों के साथ आर्थिक संबंध बनाता है।
- **रक्षा और समुद्री सुरक्षा:** रक्षा सहयोग महत्त्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास किये जाते हैं।
  - यह विस्तारित पड़ोस में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करता है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास:** पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास पड़ोस प्रथम और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसी नीतियों के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - म्याँमार और थाईलैंड जैसे देश पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास तथा सुरक्षा को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग।
- **पर्यटन को बढ़ावा:** भारत मालदीव और बांग्लादेश के लिये पर्यटकों का एक प्रमुख स्रोत है तथा नेपाली धार्मिक पर्यटन के लिये एक गंतव्य है।
  - पर्यटन सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है, जिससे भारतीय संस्कृति और व्यवसायों में रुचि बढ़ सकती है, जिससे भारतीय सांस्कृतिक उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।
- **बहुपक्षीय संगठन:** पड़ोसियों के साथ भारत का जुड़ाव SAARC और BIMSTEC जैसे क्षेत्रीय तंत्रों द्वारा संचालित होता है।
  - दोनों भारत को दक्षिण एशिया में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को स्थापित करने और क्षेत्र में अन्य प्रमुख शक्तियों के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करते हैं।

अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **सीमा विवाद: सीमाओं पर मतभेद,** विशेष रूप से **चीन और पाकिस्तान के साथ,** तनाव एवं **संघर्ष का कारण** बनते हैं।
  - दक्षिण एशियाई क्षेत्र में **चीन** का बढ़ता प्रभाव **और पाकिस्तान के साथ** उसके घनिष्ठ संबंध **सामरिक चुनौतियों का कारण** हैं।

- **आतंकवाद: पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM)** जैसे विभिन्न आतंकवादी समूहों को **लगातार समर्थन**, सुरक्षित पनाह तथा धन मुहैया कराया है, जिन्होंने **भारत में हमले किये** हैं।
- **अवैध प्रवास:** बांग्लादेश से भारत में **अवैध प्रवासियों** के आने से जनसांख्यिकीय और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **व्यापार असंतुलन:** पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसियों के साथ आर्थिक मुद्दे एवं **व्यापार बाधाएँ** संबंधों को प्रभावित करती हैं।
    - **व्यापार प्रतिबंधों** और शुल्कों से संबंधित मुद्दों ने प्राय: कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।
- **जल विवाद:** **सिंधु** और **तीस्ता** नदियों जैसे नदी जल संधि पर विवाद क्रमश: **पाकिस्तान तथा बांग्लादेश** के साथ संबंधों को खराब करने का कारण रहे हैं।
- **आंतरिक संघर्ष:** नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों **में राजनीतिक अस्थिरता** या विवाद **द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते** हैं।
- **राजनयिक संबंध:** श्रीलंका में **अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार** और **म्याँमार** सरकार पर भारत के रुख जैसे मुद्दे तनाव उत्पन्न करते हैं।
    - उदाहरण के लिये, म्याँमार के साथ **मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR)** का मुद्दा।
- **पर्यावरण संबंधी मुद्दे:** प्राकृतिक आपदाओं और पर्यावरणीय समस्याओं (जैसे- **बांग्लादेश में बाढ़**) के लिये संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता होती है जिससे संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, भूटान की **BBIN** और पर्यटन के कारण उसकी नाज़ुक पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चिंताएँ।
- **क्षेत्रीय सहयोग: SAARC** और **BIMSTEC** जैसे क्षेत्रीय संगठनों के भीतर मतभेद प्रभावी सहयोग में बाधा डाल सकते हैं।

पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिये भारत की पहल

- **नेबरहुड फर्स्ट नीति**
- एक्ट ईस्ट पॉलिसी
- **'क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास' (सागर)**
- **प्रोजेक्ट मौसम**
- बिम्सटेक
- सार्क का कायाकल्प
- गुजराल सिद्धांत

आगे की राह

- **राजनयिक जुड़ाव को मज़बूत करना:** मुद्दों को संबोधित करने और हल करने के लिये **नियमित राजनयिक संवाद** तथा **उच्च स्तरीय बैठकें स्थापित करना** एवं उसे बनाए रखना।
    - विवादों को **सुलझाने के लिये संयुक्त समितियों और मध्यस्थता पैनलों जैसे** तंत्रों का विकास तथा संस्थागतकरण करना।
- **आर्थिक सहयोग बढ़ाना: निष्पक्ष व्यापार समझौतों** पर वार्ता करना और उन्हें लागू करना जो असंतुलनों को दूर करें तथा पारस्परिक लाभ को बढ़ावा दें।
    - कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण में सुधार के लिये सड़क, रेलवे तथा ऊर्जा गलियारों पर सहयोग करना।
- **सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना:** आतंकवाद तथा अवैध प्रवास जैसे आम खतरों से निपटने के लिये क्षेत्रीय सुरक्षा पहलों पर समन्वय करना।
    - संयुक्त कार्य बल और खुफिया-साझाकरण तंत्र स्थापित करना।
- **लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देना:** लोगों के बीच आपसी समझ और सद्भावना बनाने के लिये **शैक्षिक तथा पर्यटन पहलों को बढ़ाना**।
- **पर्यावरण और मानवीय मुद्दों को संबोधित करना:** संयुक्त प्रयासों तथा क्षेत्रीय योजनाओं का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरणीय समस्याओं को समन्वित करना। संकट के समय में मानवीय सहायता व समर्थन प्रदान करना, **सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा** देना।
- संयुक्त प्रयासों और क्षेत्रीय योजनाओं का उपयोग करके प्राकृतिक आपदाओं तथा पर्यावरणीय समस्याओं पर तालमेल बिठाना।
- **क्षेत्रीय संगठनों को मज़बूत बनाना:** क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान तथा निर्णय लेने और कार्यान्वयन के लिये उनके तंत्र में सुधार करने हेतु **सार्क एवं बिम्सटेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों में सक्रिय** रूप से भाग लेना।
- **आंतरिक और बाह्य कारकों पर ध्यान देना:** सुनिश्चित करना कि घरेलू नीतियों का पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
    - ऐसी संतुलित नीतियों के लिये प्रयास करना जो **गुजराल सिद्धांत** के अनुरूप **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के प्रभावों पर विचार** करें।

■■■

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान की आपूर्ति और मांग संबंधी चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष ने कहा कि इसरो की प्रक्षेपण यान क्षमता, मांग से तीन गुना अधिक है।

- इस बयान से भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों के संबंध में विशेषज्ञों के बीच वार्ता शुरू हो गई है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत अपनी सेवाओं के लिये पर्याप्त मांग सृजित करने के लिये संघर्ष कर रहा है।

भारत का वर्तमान प्रक्षेपण यान परिदृश्य क्या है?

- मौजूदा प्रक्षेपण वाहन:
  - लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV): यह रॉकेट, कम भार वाले पेलोड प्रक्षेपित करने के लिये डिज़ाइन किया गया था।
  - ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV): यह पृथ्वी अवलोकन, भू-स्थिर और नेविगेशन पेलोड लॉन्च करने में सक्षम है।
    - यह अपने सफलता प्रक्षेपण दर के लिये जाना जाता है और इसे इसरो का वर्कहॉर्स माना जाता है।
  - भू-समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान (GSLV): इसका उपयोग भारी पेलोड, विशेष रूप से 2 टन भार वाले संचार उपग्रहों के लिये उपयोग किया जाता है।
  - लॉन्च वाहन मार्क-III (LVM-3): यह 4-टन वर्ग के संचार उपग्रहों और 10-टन वर्ग के पेलोड को पृथ्वी की निम्न कक्षाओं (LEO) में लॉन्च करने में सक्षम है।
- मौजूदा प्रक्षेपण यानों की सीमाएँ:
  - कम पेलोड क्षमता: भारत के LVM-3 की क्षमता चीन के लॉन्ग मार्च 5 की क्षमता से एक तिहाई से भी कम है। भारत के मौजूदा प्रक्षेपण यानों को चंद्रयान 4 जैसे अधिक महत्त्वाकांक्षी मिशनों के लिये क्षमता संबंधी सीमाओं का सामना करना पड़ता है जिसके लिये अपग्रेड और नए प्रक्षेपण यान विकसित करने की आवश्यकता है।
    - भारत के पास वर्तमान में संचार, रिमोट सेंसिंग, पोज़िशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT), मौसम विज्ञान, आपदा प्रबंधन, अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट, वैज्ञानिक मिशन तथा प्रायोगिक मिशन जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिये उपग्रहों का समूह है। इसके अतिरिक्त इसे आगामी अंतरिक्ष मिशनों के लिये प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता है।
  - यानों के उन्नयन की आवश्यकता: इसरो ने LVM-3 को अर्द्ध-क्रायोजेनिक इंजन के साथ उन्नत करने की योजना बनाई है जिसका उद्देश्य भूस्थिर अंतरण कक्षा (GTO) तक इसकी पेलोड क्षमता को छह टन तक बढ़ाना है।
    - GTO तक 10 टन भार ले जाने के लिये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) अथवा प्रोजेक्ट सूर्य नामक एक नया प्रक्षेपण यान विकसित करने की योजना बनाई गई है।
    - वर्तमान में इसरो ने इस परियोजना के लिये केवल एक फंडिंग प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
    - इसके अतिरिक्त छोटे उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिये आत्मविश्वास स्थापित करने के लिये SSLV के एक और सफल उड़ान की आवश्यकता है।
  - विदेशी प्रक्षेपण यानों पर निर्भरता: भारी पेलोड के प्रक्षेपण लिये भारत एरियन वी और स्पेसएक्स के फाल्कन 9 पर निर्भर रहता है।

आपूर्ति एवं मांग के बीच विसंगति क्यों है?

- ऐतिहासिक संदर्भ: पहले इसरो आपूर्ति-संचालित मॉडल उपग्रहों को लॉन्च करता पर कार्य करता था, और तत्पश्चात् ग्राहकों की तलाश करता था। यह दृष्टिकोण वर्ष 2019 के बाद मांग-संचालित मॉडल में स्थानांतरित हो गया, जिसके कारण वास्तविक ज़रूरतों के सापेक्ष लॉन्च वीकल्स की अधिक आपूर्ति सुनिश्चित हुई।
- इस परिवर्तन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उपग्रह सेवाओं की मांग उपग्रह निर्माण तथा प्रक्षेपण से पहले की जानी चाहिये।
- मांग सृजित करने में चुनौतियाँ:
  - आर्थिक कारक: उपग्रहों के लिये लॉन्च वीकल्स की आवश्यकता होती है, हेवी वीकल्स का उपयोग लूनर एक्सप्लोरेशन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिये किया जाता है तथा स्माल वीकल्स का उपयोग प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिये किया जाता है।

नोट :

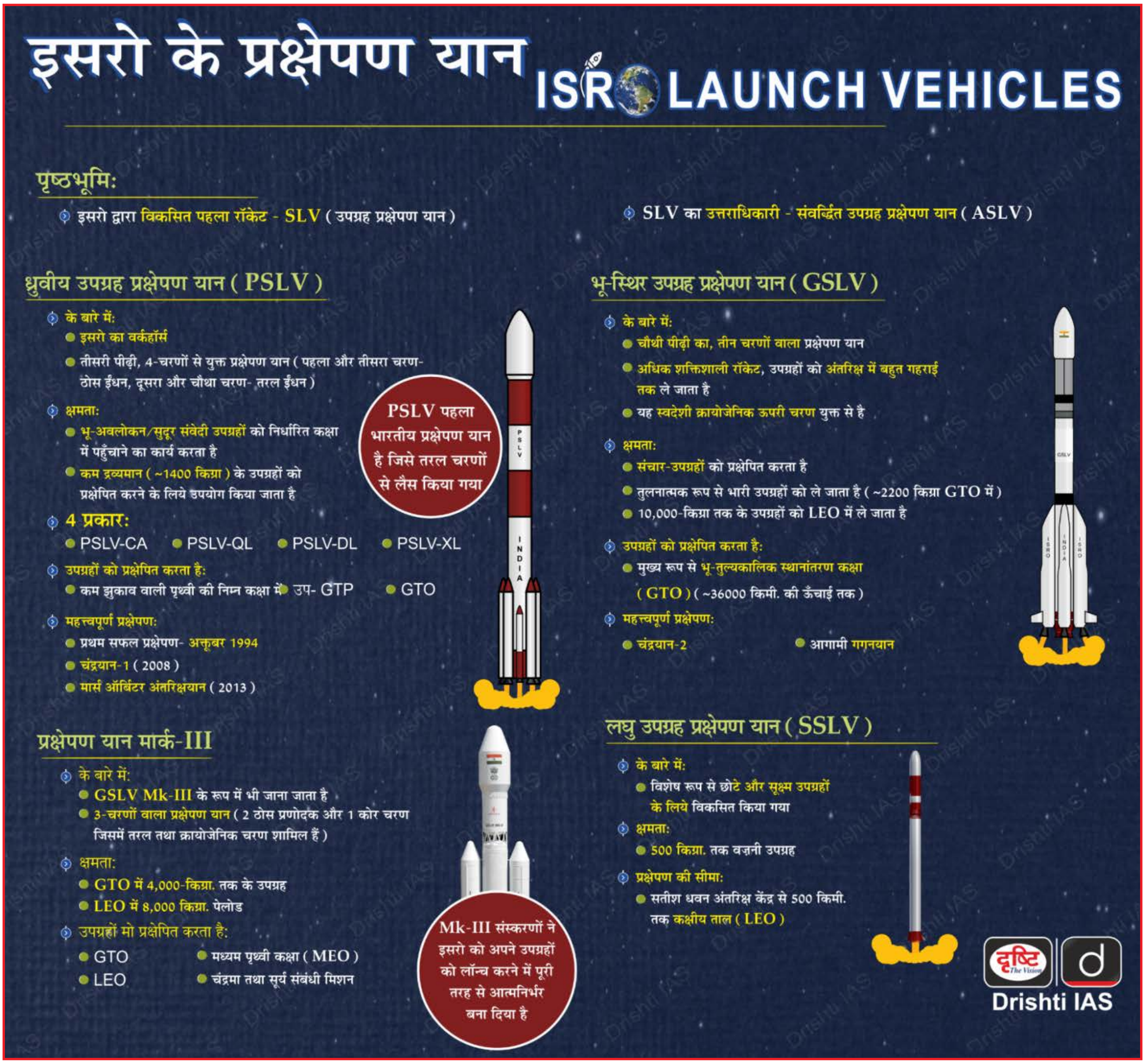

- उपग्रहों का परिचालन जीवनकाल सीमित होता है, जिसके कारण उन्हें बदलने की आवश्यकता होती है, जिससे लॉन्च वीकल्स की अतिरिक्त मांग सृजित हो सकती है। हालाँकि तकनीकी प्रगति ने इन जीवनकालों को बढ़ा दिया है, जिससे लॉन्च वीकल्स की मांग में अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है।
- लॉन्च वीकल्स में भी सुधार हो रहा है, जिनमें एक ही प्रक्षेपण में अनेक उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता, पुन: प्रयोज्य रॉकेट चरण तथा विषैले ईंधनों के स्थान पर हरित विकल्पों के उपयोग के प्रयास शामिल हैं।

- इसरो पुन: प्रयोज्य रॉकेट प्रौद्योगिकी में भी निवेश कर रहा है, जिससे लागत कम हो सकती है और साथ ही दीर्घावधि में लाभप्रदता में सुधार भी हो सकता है।
- बाज़ार अनुवेधन: इंटरनेट सेवाओं जैसे कुछ क्षेत्रों में, मौजूदा विकल्प (उदाहरण के लिये, किफायती फाइबर एवं मोबाइल इंटरनेट) अंतरिक्ष-आधारित समाधानों की कथित आवश्यकता को प्रभावित कर सकते हैं। इससे उपग्रह क्षमताओं को विकसित करने की ज़रूरत कम हो जाती है।
- सरकारी पहलों पर निर्भरता: भारत सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र मांग को प्रोत्साहित करे, उपग्रहों का निर्माण के साथ-साथ

नोट :

उनको प्रक्षेपित करे, ग्राहक सेवाएँ प्रदान करे, प्रक्षेपण सेवाओं से राजस्व उत्पन्न करे और साथ ही श्रमिकों के कौशल को उन्नत करे।

- निजी कंपनियाँ चाहती हैं कि सरकार उनकी ग्राहक बने और विश्वसनीय विनियमन उपलब्ध कराए, जिससे उन्हें दीर्घकालिक राजस्व प्राप्त हो सके।
- यदि सरकार संभावित उपभोक्ताओं को खरीदारी करने हेतु सूचित करने और प्रोत्साहित करने के लिये सक्रिय कदम नहीं उठाती है, तब इस बात की पूर्ण संभावना है कि आपूर्ति तथा मांग में असंतुलन जारी रहेगा।

आगे की राह

- हितधारकों को शिक्षित करना: मांग सृजित करने की कुंजी संभावित उपयोगकर्त्ताओं (सरकारी संस्थाओं, उद्योगों के साथ-साथ आम नागरिकों) को उपग्रह सेवाओं के लाभों एवं अनुप्रयोगों के बारे में शिक्षित करना है।
  - जागरूकता बढ़ाने और उपग्रह-आधारित सेवाओं के लिये बाज़ार तैयार करने की ज़िम्मेदारी इसरो तथा निजी क्षेत्र दोनों पर है।
- जटिल ग्राहक आधार (**Complex Customer Base**): उपग्रह सेवाओं की मांग को कृषि, वित्त और रक्षा सहित विविध क्षेत्रों में विकसित किया जाना चाहिये। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग-अलग ज़रूरतें और जागरूकता का स्तर होता है, जिससे मांग सृजन के प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- लागत-प्रभावशीलता (**Cost-Effectiveness**): लागत-प्रतिस्पर्धी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता के रूप में भारत की बढ़त को बनाए रखना तथा अंतरिक्ष तक किफायती पहुँच चाहने वाले वैश्विक ग्राहकों को आकर्षित करना।
  - इसरो के सफल प्रक्षेपणों के सिद्ध रिकॉर्ड को बनाए रखना, संभावित ग्राहकों के बीच विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना।
- सरकारी दबाव (**Government Push**): सरकार प्रारंभिक वित्तपोषण उपलब्ध कराकर, उपग्रहों के लिये प्रक्षेपण स्थान की गारंटी देकर तथा अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों के लाभों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाकर निजी अंतरिक्ष उपक्रमों को समर्थन दे सकती है।
- सहयोग (**Collaboration**): संयुक्त मिशन, प्रौद्योगिकी विनिमय और ज्ञान साझा करने के लिये अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। सहायक विनियामक वातावरण बनाकर उपग्रह विकास और प्रक्षेपण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत के अंतरिक्ष प्रक्षेपण क्षेत्र के समक्ष वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा कीजिये, आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को पाटने के उपाय सुझाइए।

UNAIDS ग्लोबल एड्स अपडेट

चर्चा में क्यों?

"*The Urgency of Now: AIDS at a Crossroads,*" शीर्षक वाले UNAIDS ग्लोबल एड्स अपडेट- 2024 में HIV/AIDS महामारी की वर्तमान स्थिति और इसके प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का महत्त्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- परिचय:
  - यह रिपोर्ट वर्ष 2030 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में AIDS को समाप्त करने की क्षमता को रेखांकित करने के साथ असमानताओं को दूर करने, रोकथाम एवं उपचार तक पहुँच बढ़ाने और स्थायी संसाधनों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देती है।
- प्रगति और चुनौतियाँ:
  - नए **HIV** संक्रमण और **AIDS** से संबंधित मौतों में कमी:
    - वर्ष 2010 से वैश्विक स्तर पर नए HIV संक्रमणों में 39% की कमी आई है, जिसमें उप-सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक गिरावट (**56%**) आई है।
    - वर्ष 2023 में 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध के बाद से लोगों में **HIV** संक्रमण के मामलों में अतुलनीय रूप से कमी आई, जिसमें लगभग 31 मिलियन लोग एंटी-रेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) प्राप्त कर रहे थे।
    - **AIDS** से संबंधित मौतें वर्ष 2004 में चरम पर पहुँचने के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं, जिसका मुख्य कारण ART तक पहुँच में वृद्धि है।
  - क्षेत्रीय असमानताएँ:
    - इस संदर्भ में उप-सहारा अफ्रीका में महत्त्वपूर्ण प्रगति होने के बावजूद पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में नए HIV संक्रमणों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।
    - पहली बार उप-सहारा अफ्रीका के बाहर, इसके आंतरिक क्षेत्र की तुलना में नए **HIV** संक्रमण के अधिक मामले दर्ज किये गए।

- प्रमुख प्रभावित समूह:
    - सेक्स वर्कर, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष, नशीली दवाओं (मादक पदार्थों) का इंजेक्शन लेने वाले लोग, ट्रांसजेंडर और जेल में बंद लोग सहित प्रमुख आबादी के लिये रोकथाम कार्यक्रमों की अपर्याप्तता एवं इसे कलंक व भेदभाव से जोड़कर देखने के कारण **HIV** संक्रमण के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ता है।
    - इस दिशा में समुदाय द्वारा संचालित इंटरवेंशन/हस्तक्षेप कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन यह प्रायः कम वित्तपोषित होते हैं।
- रोकथाम और उपचार अंतराल:
    - HIV रोकथाम के प्रयास सीमित रहे हैं, जिसमें प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (PrEP) और मादक पदार्थों का इंजेक्शन लेने वाले लोगों के लिये क्षति कम करने जैसी सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय कमी होना शामिल है।
    - HIV से पीड़ित लगभग 9.3 मिलियन लोग ART प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनमें बच्चे और किशोर विशेष रूप से प्रभावित हैं।

UNAIDS

- UNAIDS संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिये एक मॉडल है जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में एकमात्र सह-प्रायोजित संयुक्त कार्यक्रम है।
    - यह 11 संयुक्त राष्ट्र प्रणाली सह-प्रायोजकों के अनुभव एवं विशेषज्ञता पर आधारित है और यह एकमात्र संयुक्त राष्ट्र इकाई है जिसके शासी निकाय में नागरिक समाज का प्रतिनिधित्व है।
- UNAIDS सतत् विकास लक्ष्यों के एक भाग के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा माने जाने वाले **AIDS** का वर्ष 2030 तक उन्मूलन करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।

Figure 0.1 Number of new HIV infections, global, 1990–2023, and 2025 target

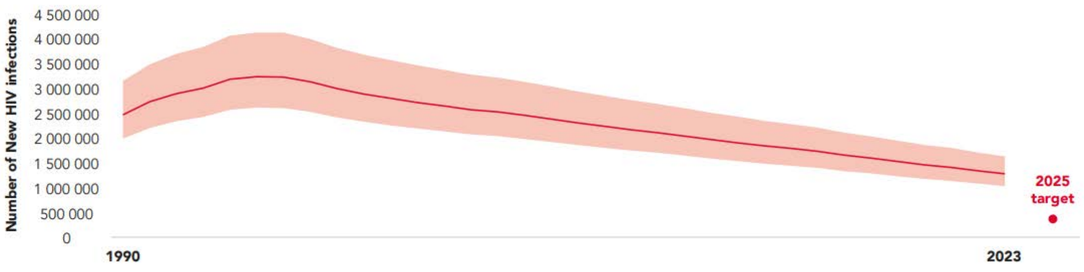

Source: UNAIDS epidemiological estimates, 2024 (https://aidsinfo.unaids.org/).

Figure 0.2 Number of AIDS-related deaths, global, 1990–2023, and 2025 target

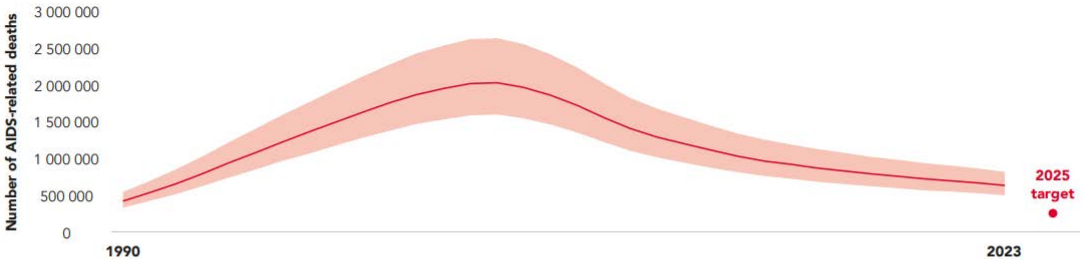

Source: UNAIDS epidemiological estimates, 2024 (https://aidsinfo.unaids.org/).

HIV/AIDS क्या है?

- परिचय:
    - **HIV/AIDS** एक वायरल संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली, विशेष रूप से CD4 कोशिकाओं (टी कोशिकाओं-जो प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं) पर हमला करता है।

- यदि HIV का उपचार न किया जाए तो यह शरीर में CD4 कोशिकाओं (टी कोशिकाओं) की संख्या को कम कर देता है, जिससे व्यक्ति को संक्रमण या संक्रमण-संबंधी कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **AIDS, HIV** संक्रमण का अंतिम चरण है, जब प्रतिरक्षा प्रणाली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है और संक्रमण से लड़ने में सक्षम नहीं रह जाती है।

- **HIV/AIDS के कारण:**
  - HIV संक्रमण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (**HIV**) के कारण होता है। यह वायरस संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ (जैसे रक्त, वीर्य, योनि द्रव एवं मलाशय द्रव) के संपर्क के माध्यम से फैलता है।
  - यह यौन संपर्क, सुई या सिरिंज साझा करने, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में तथा कभी-कभी रक्त आधान या अंग प्रत्यारोपण के माध्यम से फैल सकता है।
- **HIV/AIDS के लक्षण:**
  - नैदानिक अव्यक्त संक्रमण:
    - ऐसे मामलों में **HIV** सक्रिय होता है लेकिन अत्यंत निम्न स्तर पर वृद्धि करता है। पीड़ितों में लक्षणों का अभाव होता है या हल्के लक्षण प्रकट होते हैं।
  - एक्यूट **HIV** संक्रमण
    - इसके लक्षण फ्लू जैसे हो सकते हैं, जिनमें बुखार आना, लिम्फ नोड्स का सूजन, गले में खराश, दाने/चकत्ते, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द और सिरदर्द शामिल हैं।
  - एड्स (**AIDS**):
    - एड्स के लक्षण गंभीर होते हैं और इनमें तेज़ी से वजन कम होना, बार-बार बुखार आना या रात में अत्यधिक पसीना आना, अत्यधिक और अस्पष्ट कारणों से थकान महसूस होना आदि शामिल हैं।
- **HIV/AIDS का निदान:**
  - **HIV** एंटीबॉडी/एंटीजन परीक्षण: ये परीक्षण वायरस द्वारा उत्पादित एंटीबॉडी या एंटीजन का पता लगाते हैं और आमतौर पर रक्त या लार के माध्यम से किये जाते हैं।
  - न्यूक्लिक एसिड परीक्षण (**NATs**): ये परीक्षण एंटीबॉडी परीक्षणों की तुलना में शीघ्रता से HIV संक्रमण का पता लगा सकते हैं।
- उपचार एवं प्रबंधन:
  - एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (**ART**): ART में प्रति दिन HIV दवाओं का एक संयोजन ग्रहण करना शामिल है। ART, HIV का इलाज नहीं कर सकती है, लेकिन यह वायरस को नियंत्रित कर सकती है, जिससे HIV पीड़ित लोग लंबे समय तक और अपेक्षाकृत स्वस्थ जीवन जी सकते हैं तथा इससे वायरस को दूसरों तक प्रसारित करने का जोखिम कम किया जा सकता है।
  - प्री-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस (**Pre-exposure prophylaxis- PrEP**): PrEP उन लोगों के लिये एक गोली है, जिन्हें HIV नहीं है, लेकिन उन्हें इसका जोखिम बना हुआ है। इसे नियमित रूप से लेने से HIV संक्रमण का खतरा कम हो सकता है।
  - हाल ही में ब्रिटेन में एक **HIV** दवा को मंज़ूरी दी गई है, जो प्रतिदिन ली जाने वाली कई दवाओं की ज़रूरत को कम करेगी।

HIV की रोकथाम हेतु भारत के प्रयास

- HIV और AIDS (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017
- एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी (ART) तक पहुँच
- समझौता ज्ञापन (**MoU**): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने **HIV**/एड्स संबंधी जागरूकता बढ़ाने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के पीड़ितों तथा **HIV**/एड्स से पीड़ित बच्चों और लोगों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार एवं भेदभाव की घटनाओं को कम करने के लिये वर्ष 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
- प्रोजेक्ट सनराइज़:
  - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूर्वी राज्यों में बढ़ते **HIV** के प्रसार से निपटने हेतु विशेष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) शुरू किया गया था।
- लक्ष्य: भारत ने **UNAIDS** के 90-90-90 लक्ष्यों (एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से 90% लोगों के रोग की जाँच करना, जाँच किये गए एचआईवी पॉजिटिव लोगों में से 90% को एंटीरेट्रोवायरल उपचार देना जबकि एंटीरेट्रोवायरल उपचार प्राप्त लोगों में से 90% को इस संक्रमण से मुक्त करना) को प्राप्त करने तथा वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने हेतु लक्षित हस्तक्षेपों का लाभ उठाने की मांग की।

अंतर्राष्ट्रीय पहल

- **HIV**/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम:
  - यह सतत् विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वर्ष 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के वैश्विक प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी।

- UNAIDS का लक्ष्य है कि HIV संक्रमण के नए मामले शून्य हों, भेदभाव न हो और एड्स से संबंधित मौतें शून्य हों।
- वर्ष 2016 में एड्स को समाप्त करने पर संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक घोषणा को अपनाया गया था।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सितंबर 2015 के "सभी का उपचार करें" मार्गदर्शन में यह सिफारिश की गई थी कि HIV संक्रमण और निदान के बाद सभी व्यक्तियों का जल्द से जल्द उपचार किया जाए।
  - इसके अतिरिक्त ट्रीट ऑल रणनीति में HIV की घटनाओं को कम किया जा सकता है क्योंकि यह HIV संचरण की संभावना में कमी लाने पर केंद्रित है।
- वैश्विक एड्स रणनीति **2021-2026** - असमानताओं को समाप्त करना। एड्स को समाप्त करना। यह एक साहसिक नई पहल है जिसका उद्देश्य असमानताओं के दृष्टिकोण का उपयोग करके एड्स के खिलाफ लड़ाई में बाधा डालने वाले अंतराल को समाप्त करना है।

रिपोर्ट में मुख्य सुझाव क्या हैं?

- **HIV** रोकथाम में तेज़ी लाना:
  - रिपोर्ट में **HIV** रोकथाम सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने (विशेषकर सेक्स वर्कर, पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुष, नशीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले व्यक्ति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति और जेल में बंद व्यक्तियों के लिये) की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।
  - सुरक्षित शारीरिक संबंध के लिये कंडोम कार्यक्रमों को बहाल करना और उन्हें वित्तपोषित करना (विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ इनके उपयोग में कमी आई है) चाहिये।
  - **PrEP** की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाना चाहिये, वर्ष 2025 तक 21.2 मिलियन व्यक्तियों द्वारा PrEP का उपयोग करने के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिये।
- उपचार और देखभाल को बढ़ाना:
  - सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष **2025** तक **HIV** से पीड़ित **95%** लोगों को **ART** उपलब्ध हो। वर्तमान में HIV से पीड़ित केवल 77% लोग ART प्राप्त कर रहे हैं।
  - HIV से पीड़ित बच्चों के निदान और उपचार में सुधार करना चाहिये। HIV से पीड़ित केवल **48%** बच्चे **ART** प्राप्त कर रहे हैं, जबकि वयस्कों में यह संख्या **78%** है।
  - परिणामों में सुधार लाने तथा तपेदिक, हेपेटाइटिस और गैर-संचारी रोगों जैसी सह-रुग्णताओं का समाधान करने के लिये HIV सेवाओं को व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत करना चाहिये।

Figure 0.5 Number of people receiving antiretroviral therapy, 2010–2023, global, and 2025 target

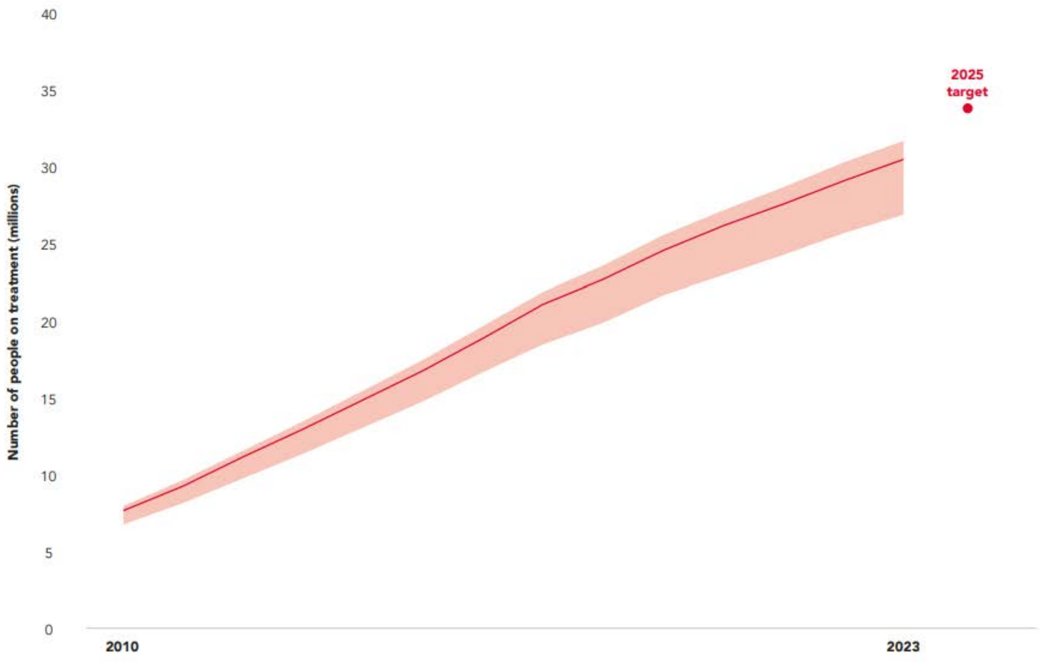

नोट :

- **असमानताओं और कलंक से संबंधित समस्या का समाधान करना:**
  - HIV संक्रमण, जोखिम और इसके गैर-प्रकटीकरण को अपराध बनाने वाले कानूनों को हटाने के साथ ही प्रमुख आबादी को लक्षित करने वाले कानूनों को भी हटाना चाहिये। वर्तमान में अधिकांश देशों में इस संदर्भ में दंडात्मक कानून प्रचलित हैं।
  - स्वास्थ्य सेवा और सामुदायिक वातावरण में कलंक और भेदभाव को कम करने के लिये कार्यक्रम लागू करने चाहिये। HIV से पीड़ित लोगों के लिये कानूनी सुरक्षा एवं सहायता सुनिश्चित करना चाहिये।

Figure 0.6 Percentage of people living with HIV who know their HIV status, of people who know their HIV status and are receiving antiretroviral therapy, and of people on HIV treatment who have suppressed viral load, global, 2023

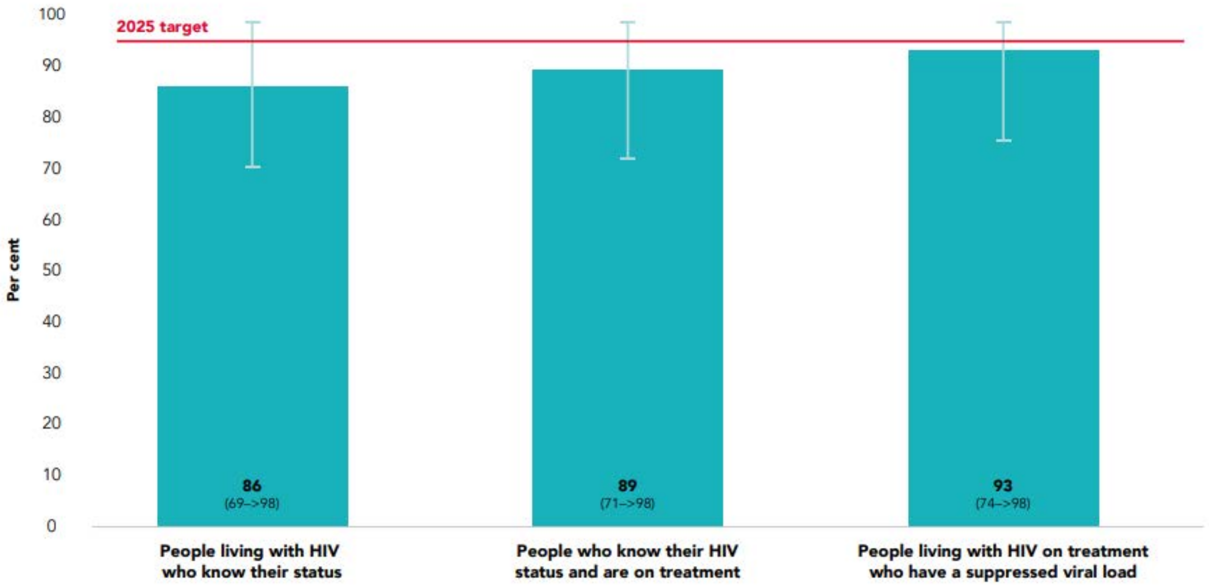

Source: Further analysis of UNAIDS epidemiological estimates, 2024.

- **सामुदायिक-नेतृत्व वाली प्रतिक्रियाएँ:**
  - इस क्रम में सामुदायिक-नेतृत्व वाले संगठनों की भूमिका को मज़बूत करना चाहिये।
    - इन संगठनों का लक्ष्य उच्च जोखिम वाली आबादी में 30% परीक्षण एवं उपचार सेवाओं सहित 80% HIV रोकथाम सेवाएँ प्रदान करना है।
- **प्रभावी वित्तपोषण:**
  - HIV कार्यक्रमों के लिये वित्तपोषण में कमी को दूर करना चाहिये। लक्ष्यों को पूरा करने के लिये वर्ष 2025 तक अनुमानित अतिरिक्त 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है।
  - HIV प्रतिक्रिया को बनाए रखने के लिये नए वित्तपोषण स्रोतों और तंत्रों की खोज करना (विशेषकर निम्न तथा मध्यम आय वाले देशों में) जारी रखना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत जैसे विकासशील देशों में AIDS को समाप्त करने से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के उपाय बताइये।

GM सरसों की मंज़ूरी पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों की फसलों को पर्यावरण के लिये सशर्त मंज़ूरी देने के केंद्र के फैसले पर विभाजित निर्णय दिया। अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच को भेजा जाएगा।

- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें (GM फसलें या बायोटेक फसलें) कृषि में उपयोग किये जाने वाले पौधे हैं, जिनके DNA को आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया जाता है।

GM सरसों पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **विभाजित निर्णय के पीछे कारण:**
  - न्यायमूर्ति नागरत्ना ने भारत में फसल के प्रभाव और इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर किसी भी स्वदेशी अध्ययन पर भरोसा किये बिना परियोजना को मंज़ूरी देने के लिये GEAC की आलोचना की तथा सिफारिश करते समय केवल विदेशी शोध अध्ययनों पर विचार किया गया।
  - इसके विपरीत, न्यायमूर्ति करोल ने GM सरसों के व्यावसायिक विमोचन के लिये GEAC की मंज़ूरी को बरकरार रखा।
  - हालाँकि दोनों न्यायाधीश बहस के दौरान उठाए गए कुछ बिंदुओं पर सहमत थे।
    - उन्होंने स्वीकार किया कि GEAC द्वारा लिये गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा स्वीकार्य है तथा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन पर विचार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- **राष्ट्रीय नीति हेतु निर्देश:**
  - न्यायाधीशों ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को चार महीने के भीतर नियमों के साथ ऐसी नीति तैयार करने को कहा।
  - इस नीति में अनुसंधान, खेती, व्यापार और वाणिज्य को शामिल किया जाना चाहिये तथा इसे कृषि विशेषज्ञों, जैव प्रौद्योगिकीविदों, राज्य सरकारों एवं किसान प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिये।
- **GEAC की भूमिका:**
  - जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने अक्तूबर 2022 में ट्रांसजेनिक सरसों हाइब्रिड धारा सरसों हाइब्रिड -11 (DMH -11) के पर्यावरणीय विमोचन को मंज़ूरी दे दी है।

GM सरसों क्या है?

- **परिचय:**
  - धारा सरसों हाइब्रिड-11 (DMH-11) को भारत में भारतीय सरसों किस्म 'वरुणा' और 'अर्ली हीरा-2' (पूर्वी यूरोपीय किस्म) के संकरण से विकसित किया गया है।
  - इसमें दो विदेशी जीन ('बार्नेज' और 'बास्टर') शामिल हैं, जिन्हें बैसिलस एमाइलोलिकेफेशियंस नामक मृदा जीवाणु से पृथक किया गया है, जो उच्च उपज देने वाली व्यावसायिक सरसों संकर प्रजातियों के प्रजनन को सक्षम बनाते हैं।
  - इसे कृषि के लिये जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- **विशेषताएँ:**
  - इसे हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) सरसों की किस्म के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसे विशिष्ट हर्बिसाइड्स का सामना करने के लिये इंजीनियर किया गया है, जो खरपतवार नियंत्रण में सहायता कर सकता है तथा फसल की उपज बढ़ा सकता है।
- **महत्त्व:**
  - तेल उत्पादन और आयात में सरसों का योगदान: सत्र 2021-22 में 116.5 लाख टन खाद्य तेलों का उत्पादन करने के बावजूद, भारत ने 141.93 लाख टन आयात किया, जो एक महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है और सत्र 2025-26 तक 34 मिलियन टन की मांग अनुमानित है।
    - सरसों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, जो भारत के कुल खाद्य तेल उत्पादन का 40% है।
  - GM सरसों की संभावित उपज वृद्धि: GM सरसों राष्ट्रीय मानक की तुलना में लगभग 28% की उपज वृद्धि प्रदर्शित करती है और लगभग 37% तक क्षेत्रीय बेंचमार्क को पार करती है, जो विशिष्ट कृषि क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का संकेत देती है।
    - DMH-11 जैसी इसकी किस्मों में उपज को 3-3.5 टन प्रति हेक्टेयर तक बढ़ाने की क्षमता है।
  - बेहतर कृषि आदान दक्षता: GM सरसों पारंपरिक किस्मों की तुलना में जल, उर्वरक और कीटनाशकों की कम आवश्यकता के कारण संसाधन उपयोग को अनुकूलित कर सकती है। यह दक्षता संधारणीय कृषि प्रथाओं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - कीमत अस्थिरता में कमी: GM सरसों के माध्यम से बढ़ा हुआ उत्पादन घरेलू बाज़ार में खाद्य तेल की कीमतों को स्थिर कर सकता है, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

नोट :

आनुवंशिक/जीन संवर्द्धित (Genetically Modified- GM) फसलें क्या हैं?

- GM फसल ऐसी वनस्पति हैं जिनके जीन को आमतौर पर किसी अन्य जीन से आनुवंशिक पदार्थ निर्दिष्ट कर कृत्रिम रूप से संवर्द्धित किया जाता है, ताकि उन्हें नई विशेषताएँ दी जा सकें, जैसे कि अधिक उपज, शाकनाशी के प्रति सहनशीलता, रोग या अनावृष्टि के प्रति प्रतिरोध या बेहतर पोषण मूल्य।
  - इससे पूर्व, भारत ने केवल एक GM फसल, बीटी-कपास की व्यावसायिक खेती को मंज़ूरी दी थी, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) ने वाणिज्यिक उपयोग के लिये GM सरसों की सिफारिश की है।
- **बीटी-कपास (भारत में एकमात्र व्यावसायिक रूप से कृषि योग्य GM फसल) के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ:**
  - कीट प्रतिरोध: बीटी-कपास के साथ प्राथमिक चुनौती BT टॉक्सिन के लिये कीट प्रतिरोध का उभरना है। कीट नियंत्रण के एक ही तरीके पर अत्यधिक निर्भरता ने इस प्रक्रिया को तेज़ कर दिया है।
  - द्वितीयक कीट प्रकोप: बॉलवर्म को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करते हुए, बीटी-कपास ने एफिड्स और व्हाइटफ्लाइज़ जैसे शोषक कीटों की संख्या में वृद्धि की है, जिससे अतिरिक्त कीटनाशक अनुप्रयोगों की आवश्यकता बढ़ी है।
  - पर्यावरणीय प्रभाव: गैर-लक्ष्यित जीवों, जैसे कि लाभकारी कीटों पर बीटी-कपास के प्रभाव के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।
  - आर्थिक निहितार्थ: प्रारंभिक उपज लाभ के बावजूद बीटी-कपास के दीर्घकालिक आर्थिक लाभ विवादास्पद हैं तथा कुछ अध्ययनों में घटते लाभ का संकेत दिया गया है।

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) क्या है?

- जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के तहत कार्य करती है। यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान एवं औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों तथा पुन: संयोजकों के बड़े पैमाने पर उपयोग से जुड़ी गतिविधियों के मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी है।

- समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GE) जीवों और उत्पादों को जारी करने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिये भी उत्तरदायी है।
- GEAC की अध्यक्षता **MoEF&CC** के विशेष सचिव/अपर सचिव द्वारा की जाती है और सह-अध्यक्षता जैवप्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के एक प्रतिनिधि द्वारा की जाती है।
  - वर्तमान में, इसके 24 सदस्य हैं और ऊपर बताए गए क्षेत्रों में अनुप्रयोगों की समीक्षा के लिये प्रत्येक माह बैठक होती है।

GM सरसों से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- जैव विविधता चिंता: पुष्पन और पराग उत्पादन में परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों पर संभावित प्रभाव।
  - इसके परिवर्तित जीन अन्य लाभकारी जीवों जैसे कीटों, मृदा सूक्ष्मजीवों और वन्य जीवों को प्रभावित कर सकते हैं तथा लाभकारी कीट आबादी को आकस्मिक क्षति पहुँचने से कृषि के लिये महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक संतुलन को बाधित कर सकते हैं।
- खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ: **GM** किस्मों द्वारा सुगम एकल-फसल उत्पादन से फसल रोगों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
  - मानव स्वास्थ्य पर अज्ञात प्रभाव वाले नवीन प्रोटीनों के निर्माण की संभावना है, क्योंकि GM सरसों में प्रयुक्त जीन मानव आहार का हिस्सा नहीं हैं।
- नैतिक विचार: स्व-समाप्त होने वाले बीज जैसे आनुवंशिक संसाधनों के वस्तुकरण (Commodification) को लेकर नैतिक चिंताएँ हैं और विशेष पेटेंट व्यवस्था कृषि संप्रभुता के लिये निहितार्थ हैं।
  - GM सरसों के प्रयोग से किसानों के बीजों के भंडारण और आदान-प्रदान के अधिकार के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच पर भी प्रश्नचिह्न लग गया है।
- नियामक चुनौतियाँ: कड़े जैव-सुरक्षा प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी के लिये मज़बूत संस्थागत क्षमता, बुनियादी ढाँचे तथा नियामक चुनौतियों की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- **अनुकूली प्रबंधन रणनीतियाँ:** गैर-लक्षित जीवों पर GM सरसों के पारिस्थितिकी प्रभावों को समझने के लिये व्यापक अनुसंधान करना और अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना।
- **खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य:** फसल में शामिल किये गए नए प्रोटीन की एलर्जी और विषाक्तता का जोखिम मूल्यांकन। खाद्य सुरक्षा पर GM सरसों के प्रभावों की निगरानी के लिये दीर्घकालिक अध्ययनों में निवेश करना, जिसमें फसल रोगों पर इसके प्रभाव शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत में बीटी कपास को सफलतापूर्वक अपनाना।
- **नैतिक विचार:** GM प्रौद्योगिकियों तक समान पहुँच, जिसमें किसानों को बीज बचाने और आदान-प्रदान करने का अधिकार शामिल है। ऐसी नीतियों को लागू करना जो पारंपरिक कृषि प्रथाओं की रक्षा करती हैं और निर्णय लेने में किसान स्वायत्तता को बढ़ावा देती हैं।
- **क्षमता निर्माण:** नियामकों को प्रशिक्षित करके संस्थागत क्षमता को मज़बूत करना, GM फसलों के परीक्षण के लिये प्रयोगशाला सुविधाओं को बढ़ाना और डेटा संग्रह एवं विश्लेषण क्षमताओं में सुधार करना।
  - पारदर्शी नियामक ढाँचे की स्थापना करना जिसमें सार्वजनिक परामर्श और हितधारक जुड़ाव शामिल हो।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) सरसों की फसलें कृषि उत्पादकता के लिये संभावित लाभ रखती हैं, लेकिन साथ ही महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती हैं। भारत में GM सरसों को अपनाने से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों को कम करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

■■■

नोट :

जैव विविधता और पर्यावरण

UNEP फोरसाइट रिपोर्ट 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम** (United Nations Environment Programme- UNEP) ने **"नेविगेटिंग न्यू होराइजन्सः ए ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट ऑन प्लेनेटरी हेल्थ एंड ह्यूमन वेलबीइंग, 2024"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

- रिपोर्ट में विश्व से उन उभरती चुनौतियों से निपटने का आग्रह किया गया है जो ग्रह के स्वास्थ्य को बाधित कर सकती हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता हानि, प्रकृति हानि और प्रदूषण के **तीन ग्रहों के संकट को बढ़ाने वाले 8 महत्त्वपूर्ण वैश्विक बदलावों** पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्यों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं:** नवीनतम 2023 SDG प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, **169 SDG लक्ष्यों में से 85% लक्ष्य पटरी से उतर गए हैं** और 37% लक्ष्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है या **वर्ष 2015 के बाद से इनमें गिरावट** आई है।
  - **SDG 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई), SDG 14 (पानी के नीचे जीवन) और SDG 15 (भूमि पर जीवन) के लक्ष्यों में से 42.85% या तो स्थिर हैं** या पीछे जा रहे हैं।
  - **60%** पर्यावरणीय संकेतकों की स्थिति या तो खराब हो रही है या अस्पष्ट बनी हुई है।

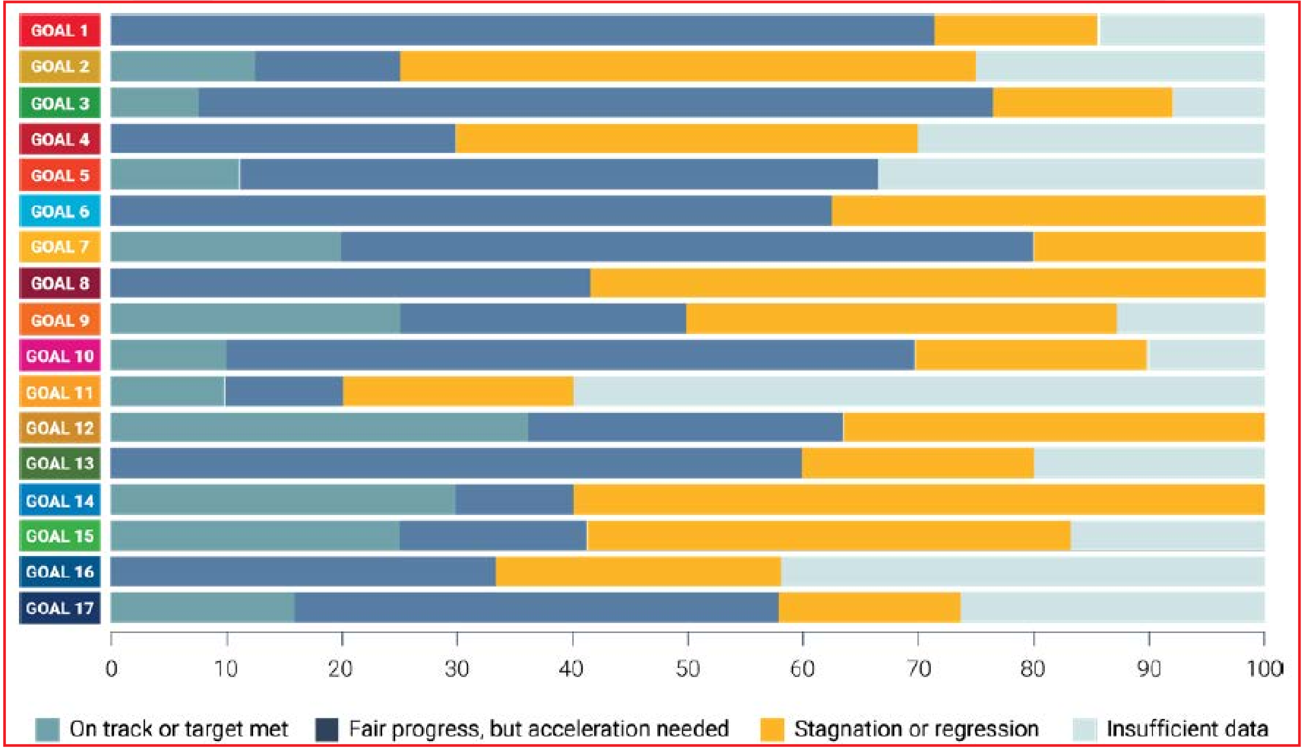

- **8 बदलाव, परिवर्तन के 18 संकेत:** UNEP रिपोर्ट में **8 महत्त्वपूर्ण बदलावों की पहचान** की गई है, जिनमें **परिवर्तन के 18 संभावित संकेत** हैं।
  - ये संकेत **स्वाभाविक रूप से अच्छे या बुरे नहीं हैं, बल्कि ये संभावित भविष्य** के घटनाक्रमों के शुरुआती संकेत हैं और **यदि ऐसा होता है तो भविष्य पर इनका बड़ा प्रभाव** पड़ सकता है।

नोट :

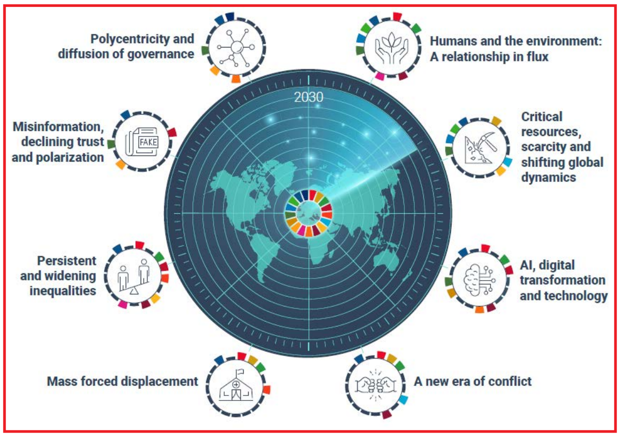
Polycentricity and diffusion of governance
Humans and the environment: A relationship in flux
2030
Misinformation, declining trust and polarization
Critical resources, scarcity and shifting global dynamics
Persistent and widening inequalities
AI, digital transformation and technology
Mass forced displacement
A new era of conflict

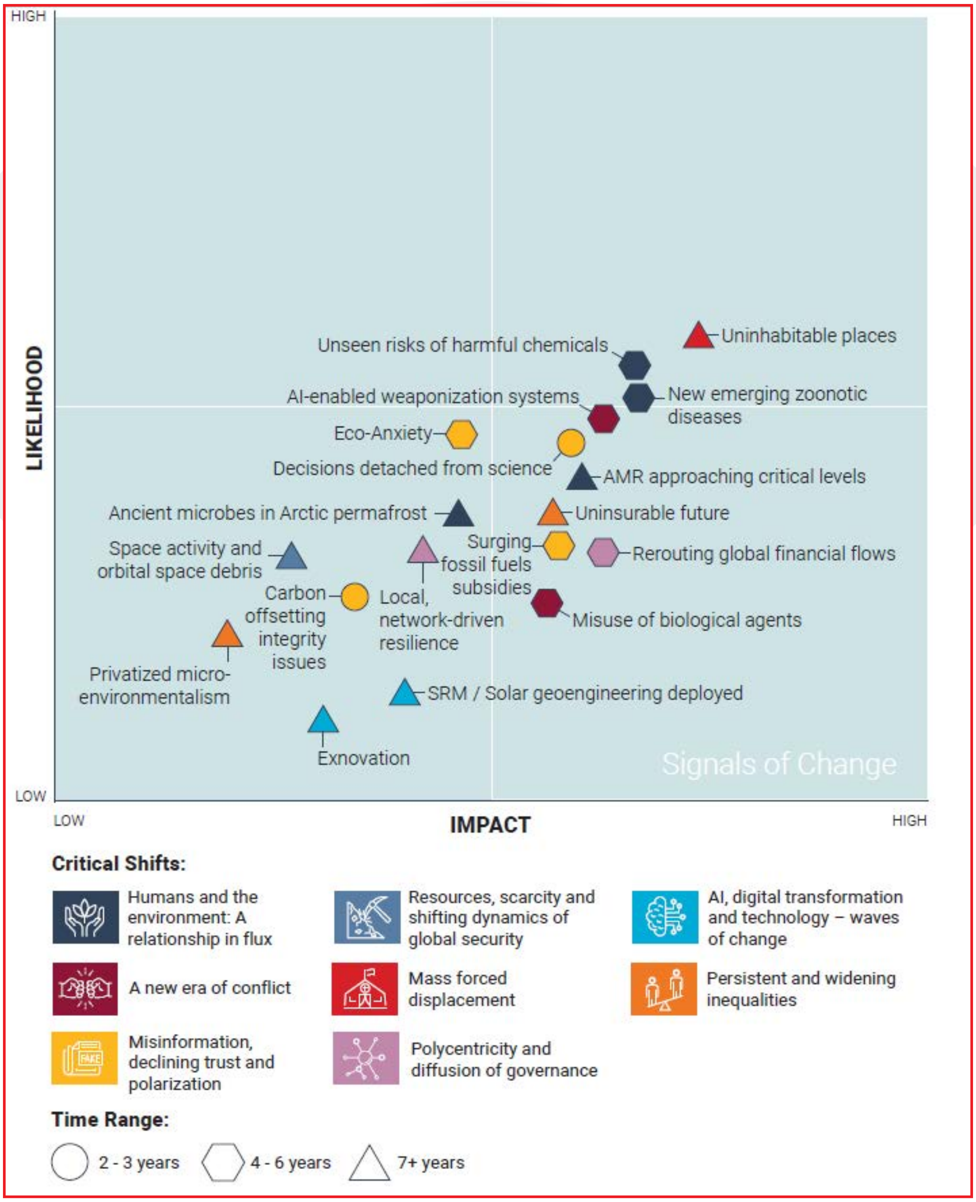
HIGH
LIKELIHOOD
LOW
LOW
IMPACT
HIGH
Uninhabitable places
Unseen risks of harmful chemicals
AI-enabled weaponization systems
New emerging zoonotic diseases
Eco-Anxiety
Decisions detached from science
AMR approaching critical levels
Ancient microbes in Arctic permafrost
Uninsurable future
Space activity and orbital space debris
Surging fossil fuels subsidies
Rerouting global financial flows
Carbon offsetting integrity issues
Local, network-driven resilience
Misuse of biological agents
Privatized micro-environmentalism
SRM / Solar geoengineering deployed
Exnovation
Signals of Change
Critical Shifts:
Humans and the environment: A relationship in flux
Resources, scarcity and shifting dynamics of global security
AI, digital transformation and technology – waves of change
A new era of conflict
Mass forced displacement
Persistent and widening inequalities
Misinformation, declining trust and polarization
Polycentricity and diffusion of governance
Time Range:
2 - 3 years
4 - 6 years
7+ years

नोट :

- **मानव और पर्यावरण के बीच तेज़ी से बदलते संबंध:** अनुमान है कि वर्ष 2050 तक मानवीय गतिविधियों के कारण **90% से अधिक भूमि प्रभावित** होगी। **46% तक प्रजातियाँ विलुप्त** हो सकती हैं।
    - अनुमान है कि वर्ष **2100 तक वैश्विक तापमान 2.1-3.9°C तक** बढ़ जाएगा।
    - **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन**, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों से, इन परिवर्तनों का कारण बन रहा है, तथा अधिकांश उत्सर्जन के लिये विकसित देश ज़िम्मेदार हैं।
- **महत्त्वपूर्ण संसाधनों की कमी और प्रतिस्पर्द्धा:** महत्त्वपूर्ण संसाधनों के लिये वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को नया रूप दे रही है। मांग आपूर्ति से अधिक है, जिससे अस्थिरता और संभावित संघर्ष बढ़ रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ भंडार केंद्रित हैं।
    - सबसे बुनियादी **संसाधन, जल और भोजन, जलवायु परिवर्तन तथा असंवहनीय प्रबंधन** के कारण बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं,जिससे असुरक्षित आबादी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
    - **शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये वर्ष 2050 में महत्त्वपूर्ण खनिजों की मांग में अनुमानित वृद्धि** नीचे दी गई है:

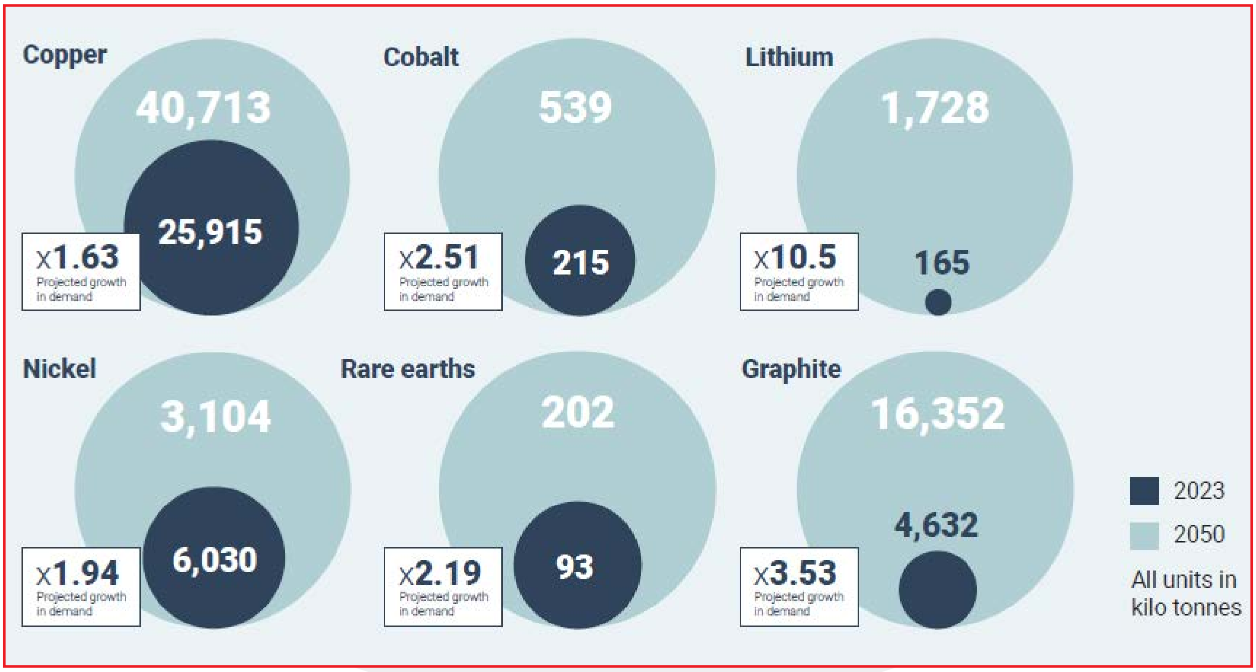

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रूपांतरण और प्रौद्योगिकी:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** की तीव्र प्रगति के प्रमुख चालकों में मोबाइल डिवाइस, इंटरनेट का उपयोग तथा AI का विकास शामिल है जो प्रगति की संभावनाएँ प्रदान करते हैं, **उनके पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करने की आवश्यकता है।**
    - दुनिया भर में **8.89 बिलियन से ज़्यादा मोबाइल सब्सक्रिप्शन** हैं, जिनमें से लगभग **5.6 बिलियन** उपयोगकर्त्ताओं के पास डिवाइस है। **अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU)** की रिपोर्ट के मुताबिक, **वर्ष 2023 में दुनिया की 67.4% आबादी इंटरनेट उपयोगकर्त्ता थी।**

नोट :

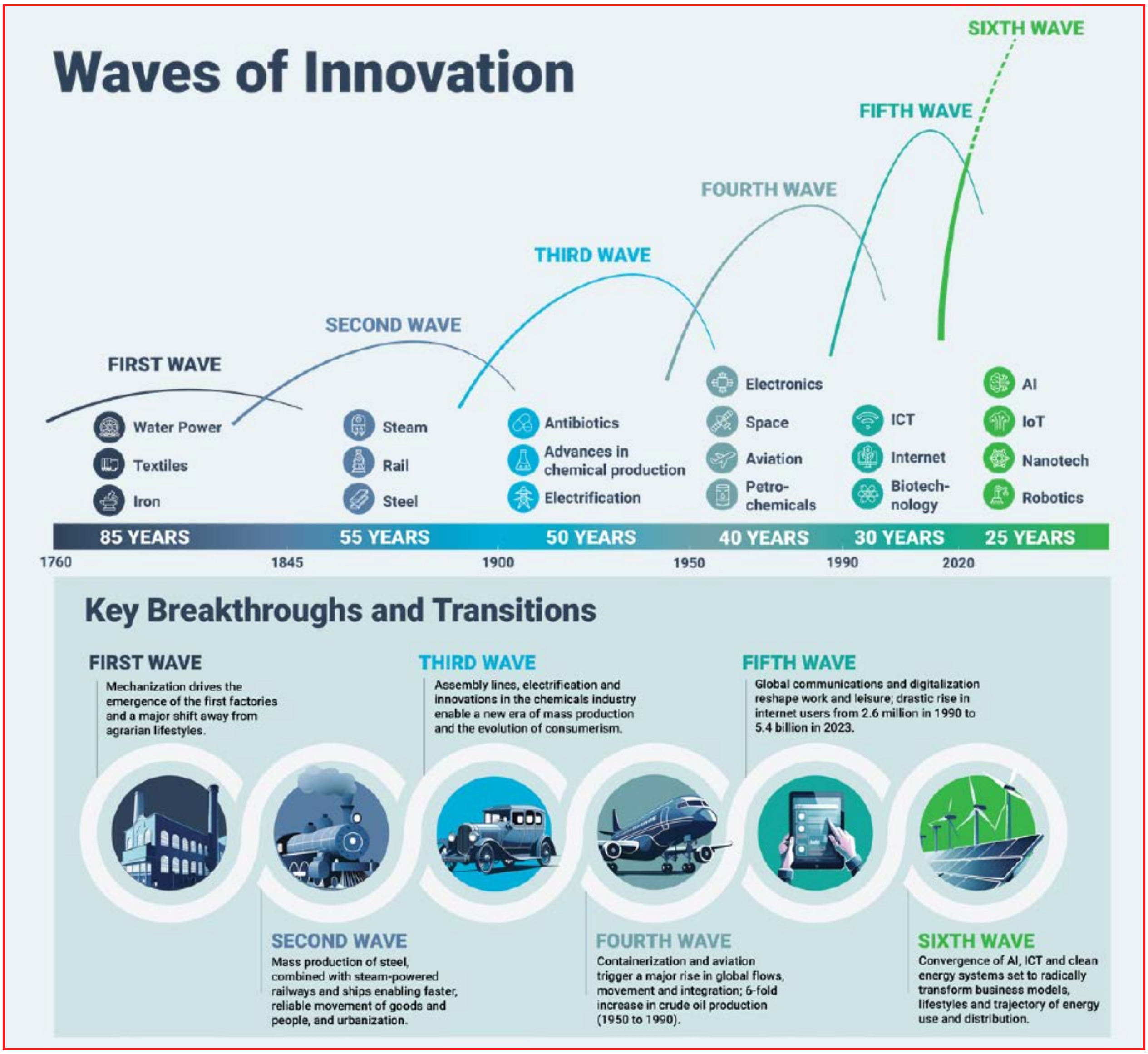

- **संघर्ष का एक नया युग:** रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि **AI-आधारित और स्वायत्त हथियार**, मानवीय निगरानी के बिना, 4-6 वर्षों में **बड़ी वैश्विक गड़बड़ी** पैदा कर सकते हैं।
  - विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के व्यवधानों के होने की **संभावना बहुत अधिक (59%)** है, जिसका प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है।
  - उदाहरणों में रूस-यूक्रेन युद्ध में रूसी लक्ष्यों पर हमला करने के लिये यूक्रेनी सेना द्वारा AI से लैस ड्रोन का उपयोग करना और **AI-नियंत्रित जैव हथियारों** का जोखिम शामिल है।
- **सामूहिक बलपूर्वक विस्थापन:** रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक जनसंख्या का **1.5%** हिस्सा जबरन विस्थापित हुआ है, जो एक दशक पहले की संख्या से लगभग दोगुना है।
  - **जलवायु परिवर्तन** इसका एक प्रमुख कारण है, जिसमें जंगल में आग लगना, बाढ़, खराब वायु गुणवत्ता और असहनीय गर्मी जैसी चरम स्थितियाँ महत्त्वपूर्ण रूप से योगदान देती हैं।
  - **अफ्रीका, मध्य अमेरिका, प्रशांत द्वीप समूह और दक्षिण एशिया** में जलवायु के कारण होने वाले प्रवास तथा विस्थापन का जोखिम अधिक है।

- **यदि** कोई शमन नहीं होता है, तो **वर्ष 2070 तक 3 बिलियन लोग** उपयुक्त जलवायु परिस्थितियों से पृथक हो सकते हैं और वर्ष 2050 तक **पर्यावरणीय प्रवासियों** की सँख्या 25 मिलियन से 1 बिलियन तक हो सकती है।
- विगत 20 वर्षों में **आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों** की संख्या में **340% की वृद्धि हुई** है, जलवायु संबंधी आपदाएँ अब संघर्षों की तुलना में अधिक लोगों को विस्थापित कर रही हैं।

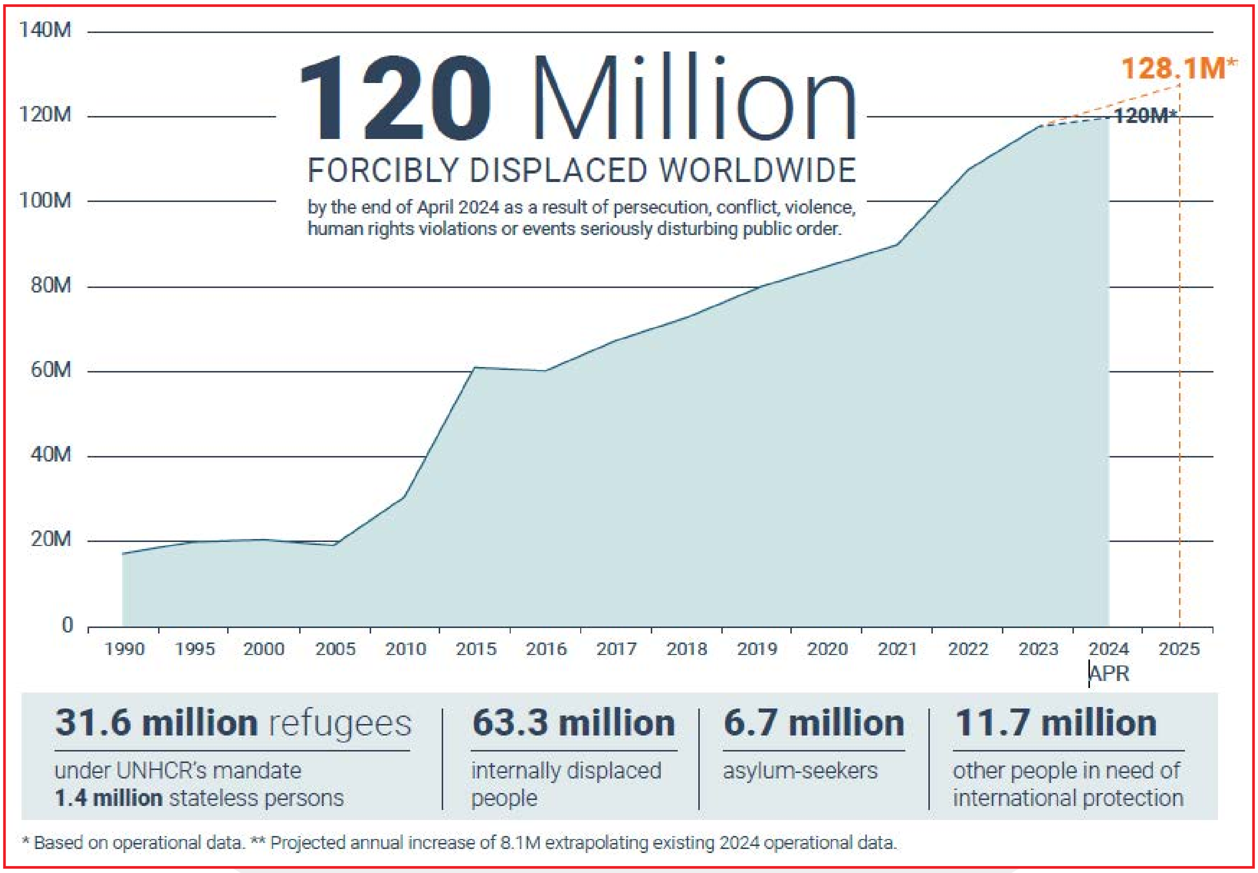

- **बढ़ती असमानताएँ:** रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वैश्विक असमानता बढ़ती जा रही है, जहाँ **शीर्ष 10% लोगों के पास 75% से अधिक संपत्ति** है, जबकि **निम्न 50% लोगों के पास केवल 2% संपत्ति** है।
  - कई देशों में असमानता **शिक्षा, नौकरियों और सेवाओं तक असमान पहुँच** के साथ-साथ **वैश्वीकरण** से प्रेरित है।
  - **धन संबंधी असमानता पारिस्थितिक असमानताओं** को भी जन्म देती है, क्योंकि अमीर लोग जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, जबकि गरीब लोग सबसे अधिक पर्यावरणीय क्षति का सामना करते हैं।
- **गलत सूचना, घटता विश्वास और ध्रुवीकरण:** विज्ञान एवं सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास की कमी ने साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और लोकतांत्रिक शासन को कमज़ोर कर दिया है।
  - कथित विफलताओं और 'फर्ज़ी खबरों' से विश्वास में होने वाली गिरावट जलवायु संकट जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिये **प्रभावी नीतियों को लागू करना कठिन बना देती** है।

UNEP द्वारा भविष्य का दृष्टिकोण और सिफारिशें क्या हैं?

- **हितधारकों की भागीदारी को व्यापक बनाना: महिलाओं, स्वदेशी समूहों और युवा लोगों सहित विविध प्रकार के हितधारकों** को सक्रिय रूप से शामिल करना, सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने, गलत सूचनाओं से निपटने तथा **विश्वास का निर्माण करने के लिये तकनीकी एवं सामाजिक नवाचारों** का उपयोग करना।
- **युवा लोगों के लिये सशक्त आवाज़:** यह सुनिश्चित करें कि युवाओं की सभी शासन स्तरों पर निर्णय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमिका हो ताकि अंतर और अंतर-पीढ़ीगत समानता (Intra- and inter-generational equity) प्राप्त हो सके।

- **GDP से परे प्रगति को पुनः परिभाषित करना:** सतत् विकास लक्ष्यों की दिशा में निवेश का मार्गदर्शन करने के लिये **समावेशी धन सूचकांक और बहुआयामी भेद्यता सूचकांक** जैसे मानव एवं पर्यावरणीय कल्याण के व्यापक संकेतकों को शामिल करना।
- **सामुदायिक सशक्तीकरण:** तीव्र और अनुकूल शासन को बढ़ावा देना जो **समुदायों को प्रयोग करने, नवाचार करने तथा ज्ञान साझा करने** के लिये सशक्त बनाता है, यह लचीले दीर्घकालिक पर्यावरणीय लक्ष्यों को भी निर्धारित करता है।
- **डेटा-संचालित निर्णय लेना:** स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक पर्यावरण निगरानी को बढ़ाते हुए, विभिन्न क्षेत्रों और पैमानों पर साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सूचित करने के लिये **डेटा, निगरानी और ज्ञान-साझाकरण प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना।**
- **संधारणीय विकास: समानता, संधारणीयता और स्थिति स्थापकता के साझा मूल्यों द्वारा निर्देशित**, पर्यावरणीय विषयों को दृष्टिगत रखते हुए विकास करने के लिये विश्व की अर्थव्यवस्थाओं तथा समुदायों में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है एवं मनुष्यों और ग्रह को प्राथमिकता देने के लिये **व्यवसायों**, बाज़ारों व शासन की भूमिका में सुधार किया जाना चाहिये।

UNEP क्या है?

- **05 जून, 1972** को स्थापित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है।
- इसका प्राथमिक कार्य वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना, **संयुक्त राष्ट्र** प्रणाली के भीतर सतत् विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिये एक आधिकारिक अधिवक्ता के रूप में कार्य करना है।
- **प्रमुख रिपोर्ट:** **एमिशन गैप रिपोर्ट**, **अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट**, **ग्लोबल एन्वायरनमेंट आउटलुक**, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लेनेट रिपोर्ट।
- **प्रमुख अभियान:** बीट पॉल्यूशन', 'UN75', विश्व पर्यावरण दिवस, वाइल्ड फॉर लाइफ।
- **मुख्यालय:** नैरोबी, केन्या।

■■■

भारतीय विरासत और संस्कृति

अमरावती एक बौद्ध स्थल

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्री ने **आंध्र प्रदेश** को राजधानी **अमरावती** के निर्माण तथा **राज्य में अन्य विकास गतिविधियों** को बढ़ावा देने के लिये 15,000 करोड़ रुपए की **वित्तीय सहायता** की घोषणा की।

- इससे आंध्र प्रदेश में **अमरावती** नामक एक **ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्त्व वाले स्थल पर पुनः ध्यान केंद्रित हो गया है,** जो अभी तक अपेक्षाकृत अज्ञात है।

अमरावती और आंध्र बौद्ध धर्म के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं ?

- **ऐतिहासिक विकास:**
  - 1700 के दशक के अंत में **राजा वेसरेड्डी नायडू** ने अनजाने में आंध्र के धन्यकटकम गाँव में **प्राचीन चूना पत्थर के खंडहरों की खोज की,** जिसका उपयोग उन्होंने और स्थानीय लोगों ने निर्माण के लिये किया तथा इसके परिणामस्वरूप गाँव का नाम बदलकर अमरावती रख दिया गया।
  - खंडहरों का निरंतर विनाश वर्ष 1816 तक जारी रहा, जब कर्नल कोलिन मैकेंज़ी के गहन सर्वेक्षण से और अधिक क्षति होने के बावजूद **भव्य अमरावती स्तूप की पुनः खोज हुई।**
  - वर्ष 2015 में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **ऐतिहासिक बौद्ध स्थल** से प्रेरित होकर नई राजधानी अमरावती की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य इसे **सिंगापुर के समान एक आधुनिक शहर के रूप में विकसित करना था।**
- **अमरावती और आंध्र बौद्ध धर्म:**
  - बौद्ध धर्म जो पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन मगध राज्य (वर्तमान बिहार) में विकसित हुआ, मुख्यतः व्यापारिक संबंधों के माध्यम से आंध्र प्रदेश तक फैल गया।
    - सिद्धार्थ गौतम जिन्हें बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ने ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना की।
  - आंध्र प्रदेश में बौद्ध धर्म का पहला महत्त्वपूर्ण प्रमाण **तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र में एक शिलालेख स्थापित किया, जिससे इसके प्रसार को काफी बढ़ावा मिला।**
    - 483 ईसा पूर्व में राजगीर बिहार में आयोजित **प्रथम बौद्ध समिति** में आंध्र के भिक्षु उपस्थित थे।
  - **इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म लगभग छह शताब्दियों तक फलता-फूलता रहा,** जिसका समयकाल तीसरी शताब्दी ई.पू. तक रहा, **अमरावती, नागार्जुनकोंडा, जग्गयापेटा, सालिहुंडम और शंकरम** जैसे अलग-अलग स्थलों पर 14वीं शताब्दी ई.पू. तक धर्म का पालन होता रहा।
  - इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि आंध्र में बौद्ध धर्म की उपस्थिति इसकी पहली शहरीकरण प्रक्रिया के साथ हुई, जिसमें **समुद्री व्यापार ने महत्त्वपूर्ण रूप से** सहायता की, जिसने **धर्म के प्रसार को सुगम बनाया।**
- **उत्तरी बौद्ध धर्म और आंध्र बौद्ध धर्म की प्रकृति के बीच अंतर:**
  - व्यापारी संरक्षण: आंध्र में, व्यापारियों, शिल्पकारों और घुमक्कड़ भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उत्तर भारत में देखे जाने वाले शाही संरक्षण (राजा बिम्बिसार या अजातशत्रु) के विपरीत था।
  - राजनीतिक शासकों पर प्रभाव: व्यापारियों की सफलता और बौद्ध धर्म के साथ उनके जुड़ाव ने आंध्र के राजनीतिक शासकों को प्रभावित किया, जिन्होंने बौद्ध संघ का समर्थन करते हुए शिलालेख जारी किये जिनसे बौद्ध धर्म के उर्ध्वगामी प्रसार का संकेत मिलते हैं।
  - स्थानीय प्रथाओं का एकीकरण: आंध्र में बौद्ध धर्म ने स्थानीय धार्मिक प्रथाओं, जैसे कि महापाषाण समाधि, तथा देवी एवं नाग (सर्प) पूजा को अपने सिद्धांतों में एकीकृत किया, जो क्षेत्रीय परंपराओं के लिये बौद्ध धर्म के एक अद्वितीय अनुकूलन को दर्शाता है।
- **बौद्ध धर्म में अमरावती का महत्त्व:**
  - अमरावती **महायान बौद्ध धर्म के जन्मस्थान** के रूप में प्रसिद्ध है, जो बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाओं में से एक है और **बोधिसत्व के मार्ग पर ज़ोर देती है।**
  - प्रमुख बौद्ध दार्शनिक **आचार्य नागार्जुन** ने **अमरावती** में **शून्यता और मध्य मार्ग की अवधारणा** पर ध्यान केंद्रित करते हुए **मध्यमिका दर्शन विकसित किया।**
  - अमरावती से, महायान बौद्ध धर्म का प्रसार **दक्षिण एशिया, चीन, जापान, कोरिया** और **दक्षिण पूर्व एशिया** तक हो गया।
- **आंध्र प्रदेश में बौद्ध धर्म के पतन के लिये अग्रणी कारक:**
  - **शैव मत का उदय:** आंध्र प्रदेश में बौद्ध धर्म के पतन में योगदान देने वाले प्राथमिक कारकों में से एक **शैव मत का उदय** था।

- **सातवीं शताब्दी ई.पू. तक**, चीनी यात्रियों ने **बौद्ध स्तूपों के पतन** और शिव मंदिरों को समृद्ध होते देखा, जिन्हें **कुलीन परिवारों एवं राजघरानों से संरक्षण प्राप्त** था।
- शैव मत के बढ़ते प्रभाव ने एक **अधिक संरचित और सामाजिक रूप से एकीकृत धार्मिक ढाँचा प्रस्तुत किया**, जिसने स्थानीय जनता और शासकों को बौद्ध संस्थाओं से समर्थन वापस लेने के लिये प्रेरित किया।।

- **शहरीकरण में गिरावट:** तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान, इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण शहरीकरण और व्यापार का उदय हुआ। चूँकि बौद्ध धर्म ने जातिविहीन समाज को अधिक प्रेरित किया जिससे बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायता मिली।
  - हालाँकि, छह शताब्दियों बाद, **आर्थिक गिरावट के कारण बौद्ध संस्थाओं के संरक्षण में गिरावट** आई।
  - चौथी शताब्दी ई.पू. तक, **बौद्ध संस्थाओं को बहुत अधिक संरक्षण नहीं मिला।**
- **इस्लाम का आगमन:** इस्लाम के आगमन के साथ, आम तौर पर इस्लामी संस्थापन का समर्थन करने वाले इस्लामी शासकों के कारण **बौद्ध प्रतिष्ठानों का शाही संरक्षण छीन गया।**

अमरावती कला शाखा की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **परिचय:**
  - मौर्योत्तर काल में, आंध्र प्रदेश के अमरावती के प्राचीन बौद्ध स्थल से **अमरावती कला शैली मथुरा और गांधार** शैलियों के साथ-साथ प्राचीन भारतीय कला की तीन सबसे महत्त्वपूर्ण शैलियों में से एक के रूप में उभरी।
- **ऐतिहासिक संदर्भ और प्रभाव:**
  - **अमरावती स्तूप:**
    - **अमरावती स्तूप**, एक भव्य बौद्ध स्मारक, **अमरावती मूर्तिकला शैली का केंद्रबिंदु** था। यह **स्थल कलात्मक और स्थापत्य गतिविधि का केंद्र** बन गया, जिसने भारत में बौद्ध कला के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
    - **19वीं शताब्दी के प्रारंभ में,** प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के प्रति सरकार की उदासीनता के कारण स्थानीय लोगों व ब्रिटिश अधिकारियों ने निर्माण के लिये स्तूप सामग्री का प्रयोग किया, जिससे और अधिक गिरावट आई।
    - सन् 1845 में वाल्टर इलियट जैसे अधिकारियों द्वारा उत्खनन और कलकत्ता, लंदन एवं मद्रास में मूर्तियों के आयात ने भी इस स्थल के पतन में योगदान दिया।

- **अमरावती मूर्तिकला शैली की मुख्य विशेषताएँ:**
  - **प्रमुख केंद्र:** अमरावती और नागार्जुनकोंडा।
  - **संरक्षण:** इस मूर्तिकला शैली को **सातवाहन शासकों का संरक्षण** प्राप्त था।
  - अमरावती शैली की मूर्तियों में **त्रिभंग मुद्रा,** यानी तीन मोड़ वाला शरीर **का अत्यधिक प्रयोग** किया गया था।
  - अमरावती की मूर्तियाँ अपनी **उच्च सौंदर्य गुणवत्ता** और **जटिल कलात्मकता के लिये प्रसिद्ध** हैं, जिन्हें मुख्य रूप से **पलनाद संगमरमर**, जो **एक विशेष प्रकार का चूना पत्थर** है तथा **बारीक व जटिल नक्काशी के लिये उपयुक्त** होता है, से तैयार किया गया है।
  - इस मूर्तिकला में प्राय: **बुद्ध के जीवन,** जातक कथाओं और विभिन्न बौद्ध अनुष्ठानों एवं प्रथाओं के **दृश्य दर्शाये गए** हैं।
  - अमरावती में बुद्ध का एक विशेष चित्रण, **जिसमें उनके बाएँ कंधे पर वस्त्र और दूसरा हाथ अभय (निर्भयता की मुद्रा) में था, प्रतिष्ठित हो गया एवं दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया** के अन्य भागों में भी इसका अनुकरण किया गया।
  - मथुरा और गांधार शैलियों के विपरीत, जिनमें ग्रीको-रोमन प्रभाव दिखाई देते हैं, अमरावती शैली ने बहुत कम **बाहरी प्रभाव के साथ एक अनूठी शैली विकसित की**, जिसमें स्वदेशी कलात्मक परंपराओं पर ज़ोर दिया गया।
- **अमरावती कला का वैश्विक प्रसार:**
  - **आज अमरावती स्तूप की मूर्तियाँ विश्व भर में फैली हुई हैं तथा ब्रिटिश संग्रहालय,** शिकागो के आर्ट इंस्टीट्यूट, पेरिस के म्यूसी गुइमेट तथा न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में उनके महत्त्वपूर्ण संग्रह मौजूद हैं।
  - चेन्नई स्थित सरकारी संग्रहालय और नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय जैसे भारतीय संग्रहालयों में भी अमरावती कला की कलाकृतियाँ मौजूद हैं।

- आस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने चोरी की हुई अमरावती शैली की मूर्ति लौटा दी है।

- **अमरावती, मथुरा और गांधार कला शैलियों के बीच अंतर:**

गांधार	मथुरा	अमरावती
1. हेलेनिस्टिक और ग्रीक कला का उच्च प्रभाव.	1. प्रकृति में स्वदेशी	1. प्रकृति में स्वदेशी
2. ग्रे-बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। (हमें चूने के प्लास्टर के साथ प्लास्टर से बनी छवियाँ भी मिलती हैं)	2. चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर	2. सफेद संगमरमर
3. मुख्यत: बौद्ध प्रतिमाएँ पाई जाती हैं	3. बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की छवियाँ पाई जाती हैं	3. मुख्यत: बौद्ध धर्म
4. संरक्षक-कुषाण	4. कुषाण	4. शातवाहन
5. उत्तर-पश्चिम भारत में पाया जाता है	5. उत्तर भारत, मुख्यत: मथुरा का क्षेत्र	5. कृष्णा-गोदावरी डेल्टा के पास दक्कन क्षेत्र
6. आध्यात्मिक बुद्ध की छवियाँ, लहराते बालों के साथ बहुत सुरुचिपूर्ण	6. प्रसन्नचित्त बुद्ध और आध्यात्मिक दृष्टि नहीं	6. मुख्य रूप से जातक कथाओं का चित्रण
7. दाढ़ी और मूँछ है	7. दाढ़ी-मूँछ नहीं	
8. दुबला - पतला शरीर	8. मज़बूत मांसपेशीय विशेषता	
9. बैठे और खड़े दोनों चित्र पाए जाते हैं	9. उनमें से अधिकतर बैठे हुए हैं	
10. आँखें आधी बंद और कान बड़े हैं।	10. आँखें खुली हुई हैं तथा कान छोटे हैं	

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अमरावती कला शैली की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये और प्राचीन भारतीय कला के संदर्भ में इसके महत्त्व का विश्लेषण कीजिये।

तेल उम्म आमेर और असम के चराइदेव मोइदम को यूनेस्को द्वारा मान्यता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **विश्व धरोहर समिति** ने **तेल उम्म आमेर**, जिसे **मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलारियन** के रूप में भी जाना जाता है, को **संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)** की **विश्व धरोहर स्थल सूची** तथा **खतरे में विश्व धरोहर की सूची** में शामिल किया।

- इसके अतिरिक्त, **असम के चराइदेव मोइदम** को **यूनेस्को की विश्व धरोहर** स्थल सूची में जोड़ा गया, जो **भारत का 43वाँ विश्‍व धरोहर स्थल** है।

तेल उम्म आमेर के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** **गाज़ा पट्टी** में स्थित तेल उम्म आमेर, चौथी शताब्दी ई.पू. का एक **प्राचीन ईसाई मठ** है। **हिलारियन द ग्रेट (291-371 ई.)** द्वारा स्थापित, इसे **मिडिल ईस्ट में सबसे प्राचीन और सबसे बड़े मठवासी/मोनास्टिक समुदायों में से एक** माना जाता है।
- **पुरातात्त्विक महत्त्व:** इस स्थल में पाँच क्रमिक चर्च, स्नान परिसर और अभयारण्य परिसर, ज्यामितीय मोज़ाइक एवं एक विशाल तहखाना सहित व्यापक खंडहर हैं। इसे अपने स्थापना काल से लेकर **उमय्यद काल (661-750ई.) तक धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र** माना जाता रहा है।
- **हाल ही में हुई क्षति:** **गाज़ा पट्टी में चल रहे संघर्ष** से तेल उम्म आमेर सहित सांस्कृतिक स्थलों को काफी नुकसान पहुँचाया है।

नोट :

- विश्व धरोहर समिति द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची और खतरे में पड़ी विश्व धरोहरों की सूची में शामिल करने का निर्णय संघर्ष के बीच इस ऐतिहासिक स्मारक को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- **विश्व धरोहर स्थिति का तेल उम्म आमेर पर प्रभाव:**
  - विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध होने से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और संरक्षण कर्त्तव्य प्राप्त होते हैं। यदि किसी स्थल को "खतरे में" घोषित किया जाता है, तो उसे **संरक्षण प्रयासों के लिये अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और वित्तीय सहायता में वृद्धि** प्राप्त हो सकती है।
  - दिसंबर 2023 में, यूनेस्को ने **वर्ष 1954 के हेग कन्वेंशन** के तहत तेल उम्म आमेर को अनंतिम उन्नत संरक्षण प्रदान किया, जो सशस्त्र संघर्ष के दौरान **जानबूझकर किये जाने वाले नुकसान से उच्चतम स्तर की सुरक्षा** प्रदान करता है।,

नोट:

- **खतरे में विश्व धरोहर** की सूची अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्व धरोहर सूची में शामिल किसी संपत्ति की विशेषताओं पर खतरों के बारे में सूचित करती है और सुधारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।
- इसमें **सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाएँ, प्रदूषण, अवैध शिकार, शहरीकरण और पर्यटन विकास** जैसे खतरों का सामना करने वाली साइटें शामिल हैं।
  - सूची में प्रविष्टि आसन्न खतरों या संपत्ति के विश्व धरोहर मूल्यों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों के कारण हो सकती है।
- **वर्ष 2019 में बाकू में अपने 43वें सत्र** के दौरान, विश्व धरोहर समिति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसी संपत्ति को खतरे में विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध करने का उद्देश्य **राज्य पक्ष को संपत्ति (धरोहर) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में मदद करने के लिये वैश्विक समर्थन** जुटाना है।
  - इसमें संपत्ति के संरक्षण की वांछित स्थिति को प्राप्त करने हेतु सुधारात्मक उपायों की योजना विकसित करने के लिये **विश्व धरोहर केंद्र और सलाहकार निकायों के साथ काम करना** शामिल है।

असम के चराईदेव मोइदम के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- असम में चराईदेव मोइदम ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं क्योंकि ये **अहोम राजवंश के समाधि स्थल** हैं, जिनकी **स्थापना 1253 ई. में किंग सुकफा** ने की थी।
  - इन **पार्थिव टीलों को मोइदम के नाम से जाना जाता है**, इनका इस्तेमाल राजघरानों और कुलीन वर्ग के शवों को दफनाने के लिये किया जाता था, जो अहोम वंश की अनूठी अंत्येष्टि प्रथाओं को दर्शाता है।
- **प्राचीन मिस्र के लोगों से मिलते-जुलते मोइदम चराईदेव मोइदम** को '**असम के पिरामिड**' का उपनाम देते हैं, जो अब लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं, लेकिन जिनमें कई जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं।
- अहोम, जिन्होंने छह शताब्दियों तक असम पर शासन किया, **दाह संस्कार के बजाय दफनाने की प्रथा का अनुसरण** करते थे और मोइदम की भव्यता प्रायः दफन व्यक्तियों की स्थिति को दर्शाती थी।
- **चाओलुंग सुकफा** बर्मा से **ब्रह्मपुत्र घाटी** में चले गए, **चराईदेव में पहली रियासत** की स्थापना की। अहोम ने पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन किया और अपनी पारंपरिक मान्यताओं को बनाए रखते हुए हिंदू धर्म एवं असमिया भाषा को अपनाया।
  - सुकफा ने विभिन्न समुदायों और जनजातियों को सफलतापूर्वक आत्मसात किया, जिससे उन्हें '**बोर असोम**' या '**ग्रेटर असम**' के वास्तुकार की उपाधि मिली।
- असम में विशेष रूप से **अहोम सेनापति लचित बोड़फुकन की 400वीं जयंती** जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से **अहोम राजवंश की विरासत को कायम रखा जाता है। असम में प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को** सुकफा और उनके शासन की स्मृति में '**असोम दिवस**' **मनाया जाता है।**

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के महत्त्व पर चर्चा कीजिये, विशेष रूप से टेल उम्म आमेर और चराइदेव मोइदम के हाल ही में शामिल किये जाने के संदर्भ में।

■■■

नोट :

सामाजिक न्याय

महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व

चर्चा में क्यों ?

यूनाइटेड किंगडम में हाल ही में संपन्न आम चुनावों में हाउस ऑफ कॉमन्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व रिकॉर्ड **40%** देखा गया, जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के संदर्भ में अन्य देशों द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण प्रगति को उजागर करता है।

- इसके विपरीत, भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत 25% से काफी नीचे है।

Country wise data on women representation*

Women representation in parliament varies across different democracies

Moving forward: Trinamool Congress MPs take selfies at the Parliament House complex during the first session of the 18th Lok Sabha, on June 25. PTI

Country	% of elected women	Quota in Parliament	Quota in political parties
Sweden	46%	No	Yes
South Africa	45%	No	Yes
Australia	38%	No	Yes
France	38%	No	Yes
Germany	35%	No	Yes
U.K.	40%	No	Yes
U.S.	29%	No	No
Pakistan	16%	Yes	No
Bangladesh	20%	Yes	No

*(as of September 2023) | Source: PRS legislative research

भारतीय संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है ?

- संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: लोकसभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत वर्ष **2004** तक **5-10%** से बढ़कर वर्तमान 18वीं लोकसभा में 13.6% हो गया है, जबकि राज्यसभा में यह **13%** है ।
  - इसके अलावा, पिछले 15 वर्षों में चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की संख्या में भी क्रमिक वृद्धि हुई है।
    - वर्ष 1957 में, केवल 45 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा चुनाव में भाग लिया था; वर्ष 2024 में यह संख्या 799 थी (कुल उम्मीदवारों का 9.5%)।
  - पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक महिला सांसद (**11** प्रतिनिधि) निर्वाचित हुई हैं। **18**वीं लोकसभा में तृणमूल कॉन्ग्रेस के लोकसभा सांसदों में महिलाओं का अनुपात सबसे अधिक 38% है।
    - यह वैश्विक औसत लगभग **25%** से बहुत कम है।

Historical comparison

- **16th Lok Sabha (2014-2019):** 64 women MPs
- **17th Lok Sabha (2019-2024):** 78 women MPs (highest)
- **18th Lok Sabha (2024-Present):** 74 women MPs

TOI

- राज्य विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व: राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का राष्ट्रीय औसत मात्र **9%** है तथा किसी भी राज्य में **20%** से अधिक महिला विधायक नहीं हैं।
  - यहाँ तक कि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाले राज्य छत्तीसगढ़ में भी केवल 18% महिला विधायक हैं।

नोट :

- वैश्विक परिदृश्य: संसद के निचले सदन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत 185 देशों में से 143वें स्थान पर है।
  - स्वीडन में **46%**, दक्षिण अफ्रीका में 45%, ब्रिटेन में 40% और अमेरिका में 29% महिला सांसद हैं।
  - लैंगिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत, वियतनाम, फिलीपींस, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से पीछे हैं।

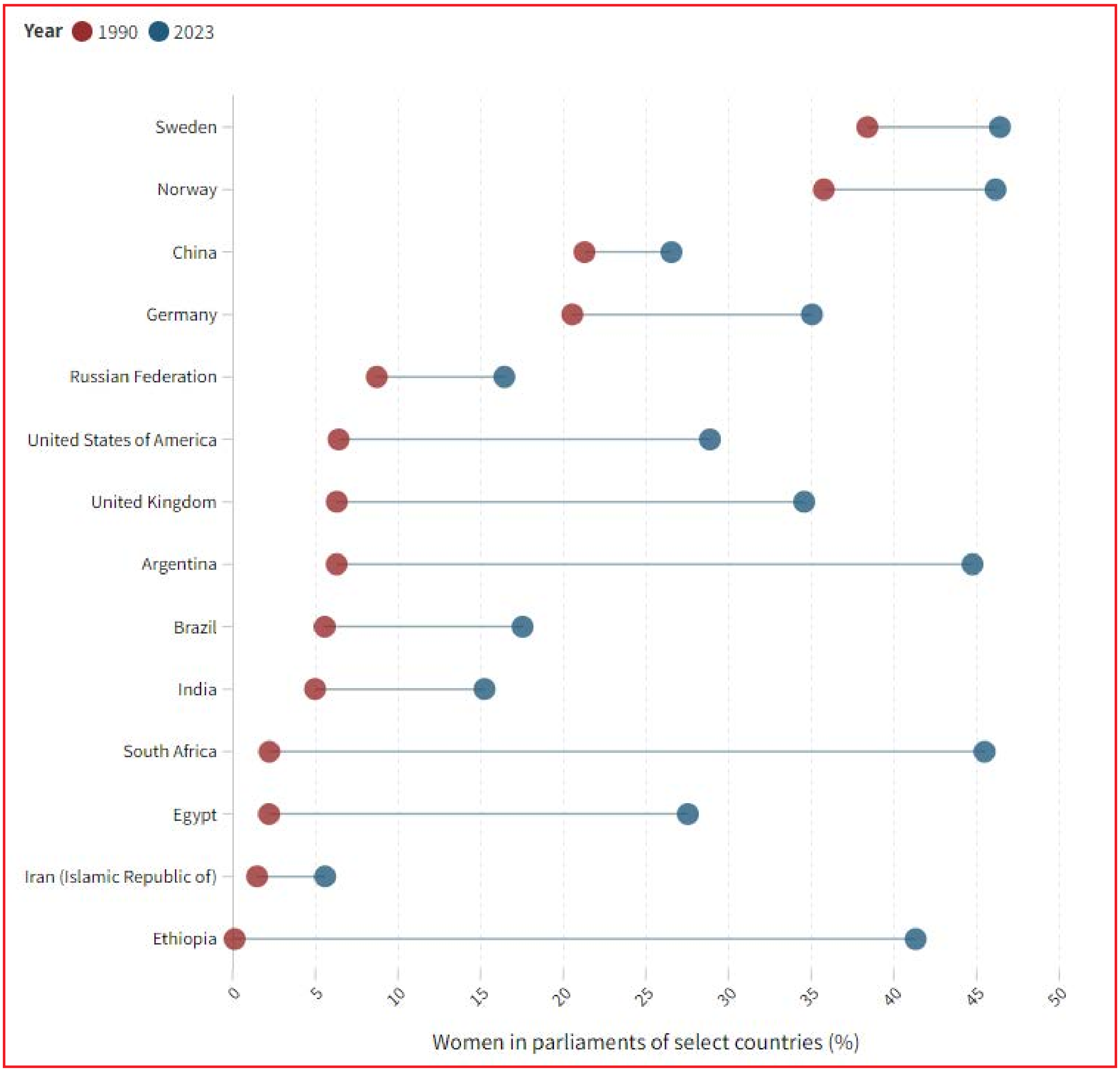

राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के क्या कारण हैं?

- सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ: पितृसत्तात्मक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती है। घरेलू ज़िम्मेदारियाँ और परिवार के समर्थन की कमी, साथ ही शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तीकरण में असमानताएँ, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी बाधाओं में योगदान करती हैं।
- राजनीतिक दल की गतिशीलता: पुरुष-प्रधान दल अक्सर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में हिचकिचाते हैं, जिससे उन्हें "सुरक्षित" या "अजेय" सीटों पर उतार दिया जाता है। आंतरिक कोटा या सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की कमी महिलाओं की उम्मीदवारी में और बाधा डालती है।
- चुनाव प्रणाली की चुनौतियाँ: फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में मज़बूत वित्तीय और संगठनात्मक समर्थन वाले स्थापित पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। उच्च चुनाव लागत और राजनीति में अपराधीकरण तथा धनबल का प्रचलन महिलाओं को और अधिक नुकसान पहुँचाता है।

- संस्थागत और कानूनी बाधाएँ: स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण प्रदान करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के विलंबित कार्यान्वयन ने महिलाओं के राजनीति में प्रवेश की संभावनाओं को सीमित कर दिया है।
  - महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रस्ताव था, को पारित करने में बार-बार विफलता एक अन्य प्रमुख संस्थागत बाधा है।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव: प्रमुख दलों द्वारा महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण को अपर्याप्त प्राथमिकता देना तथा महिला आंदोलनों और नागरिक समाज की ओर से निरंतर दबाव का अभाव यथास्थिति को कायम रखता है।

भारतीय संसद में महिला आरक्षण के पक्ष में तर्क क्या हैं?

- महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना: वर्तमान में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैश्विक औसत लगभग 25% से काफी कम है। 33% आरक्षण इस अंतर को पाटने में मदद करेगा और भारतीय संसद में महिलाओं का अधिक न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
- लैंगिक समानता और समावेशी शासन को बढ़ावा देना: भारत में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिये सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें पितृसत्तात्मक मानदंड, संसाधनों की कमी तथा लिंग आधारित हिंसा शामिल हैं।
  - इसके अलावा, वे भारत की आबादी का लगभग 50% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन राजनीतिक निर्णय लेने में उनका प्रतिनिधित्व कम है। उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने से लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियाँ बनेंगी और महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का बेहतर ढंग से समाधान होगा।
- लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना: महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित करने से राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी को बल मिलेगा, समावेशी लोकतंत्र मज़बूत होगा और महिलाओं तथा बच्चों पर केंद्रित नीतियों की शुरुआत होगी, जिससे मानव विकास में मदद मिलेगी।
  - उदाहरण के लिये, कई गाँवों में महिला प्रतिनिधियों ने बाल विवाह उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार और स्वच्छ पेयजल तक पहुँच सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को दूर करने हेतु क्या उपाय किये गए हैं?

- संवैधानिक संशोधन:
  - 73वें और 74वें संविधान संशोधन (1992/1993) द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई सीटें आरक्षित की गईं, जिससे स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ गई।
  - 106वें संविधान संशोधन (2023) में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है, हालाँकि इसका कार्यान्वयन अगले परिसीमन पर निर्भर है।
    - यह आरक्षण 106वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद पहली जनगणना के बाद लागू किया जाएगा, जिसमें परिसीमन प्रक्रिया भी शामिल होगी।
- महिला आरक्षण विधेयक:
  - वर्ष 1996 में पहली बार पेश किये गए इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रस्ताव था। कई प्रयासों के बावजूद, प्रमुख दलों के बीच राजनीतिक सहमति की कमी के कारण यह विधेयक पारित नहीं हो सका।
- राजनीतिक दलों द्वारा महिला उम्मीदवार: भारत में कई राजनीतिक दलों ने चुनावों में अपने उम्मीदवारों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है।
  - नाम तमिलर काची (Naam Tamilar Katchi) 50% महिला उम्मीदवारों के साथ सबसे आगे है, इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी 40-40% के साथ दूसरे स्थान पर है।
  - झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल में क्रमशः 33%, 33% तथा 29% महिला प्रतिनिधित्व था।
  - इस बीच समाजवादी पार्टी में 20% और अखिल भारतीय तृणमूल कॉन्ग्रेस में 25% महिला उम्मीदवार थीं।
- सशक्तीकरण योजनाएँ और कार्यक्रम:
  - महिला शक्ति केंद्र, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और STEP जैसी पहलों का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित ही रहा है।
- नागरिक समाज और महिला आंदोलन:
  - महिला अधिकार समूहों, कार्यकर्त्ताओं और संगठनों द्वारा अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिये निरंतर वकालत की जा रही है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में भर्ती संबंधी चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

देश भर में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (Eklavya Model Residential Schools- EMRS) के लिये शिक्षक भर्ती के संबंध में केंद्रीय बजट 2023 में किये गए हालिया संशोधनों जिनके अंतर्गत भर्ती के केंद्रीकरण ने हिंदी दक्षता को अनिवार्य किया है जिसने कई प्रकार की चिंताओं को उजागर किया है।

- इस परिवर्तन के कारण हिंदी भाषी राज्यों से भर्ती किये गए कई शिक्षक दक्षिणी राज्यों में नियुक्ति के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ की भाषा, भोजन और संस्कृति से अपरिचित हैं इस कारण बड़ी संख्या में इनके द्वारा स्थानांतरण का अनुरोध किया जा रहा है।
- इससे संबंधित एक और चिंता यह भी है कि इन परिवर्तनों ने जनजातीय विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिन्हें ऐसे शिक्षकों द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो स्थानीय भाषा और संस्कृति से अपरिचित हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) क्या हैं?

- EMRS पूरे भारत में भारतीय जनजातियों (ST-अनुसूचित जनजाति) के लिये मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी।
    - इन विद्यालयों का विकास जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये किया जा रहा है, जिसमें शैक्षणिक के साथ-साथ समग्र विकास की ओर भी ध्यान दिया जाएगा।
    - EMRS में **CBSE** पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है।
- इस योजना का उद्देश्य जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों की तरह ही विद्यालय बनाना है, जिसमें स्थानीय कला तथा संस्कृति को संरक्षित करने के लिये अत्याधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, साथ ही खेल एवं कौशल विकास में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। वित्त वर्ष 2018-19 में EMRS योजना को नया रूप दिया गया।
- संसद के वर्ष 2023 के बजट सत्र के दौरान, वित्त मंत्री ने घोषणा की कि EMRSमें कर्मचारियों की भर्ती की ज़िम्मेदारी राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा सोसायटी (National Education Society for Tribal Students- NESTS) को हस्तांतरित की जाएगी।
    - NESTS को अब देश भर में 400 से अधिक एकलव्य स्कूलों में 38,000 पदों पर स्टाफ उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया है।
    - भर्ती के केंद्रीकरण का उद्देश्य EMRS प्रणाली में शिक्षकों की गंभीर कमी को दूर करना तथा राज्यों में भर्ती नियमों को मानकीकृत करना था।

नोट: जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) के तहत, आदिवासी छात्रों के लिये राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS) की स्थापना एक स्वतंत्र संस्था के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षकों एवं छात्रों के प्रशिक्षण के साथ-साथ क्षमता निर्माण करना है।

जनजातीय शिक्षा हेतु अन्य पहल

- **राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना (RGNF):** RGNF की शुरुआत वर्ष 2005-2006 में की गई थी जिसका उद्देश्य ST समुदाय के छात्रों को विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में नियमित और पूर्णकालिक एम.फिल तथा पीएचडी डिग्री जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना था।
- **जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र:** इस योजना का उद्देश्य ST छात्रों की योग्यता और साथ ही वर्तमान बाज़ार रुझान के आधार पर उनके कौशल का विकास करना है।
- **राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति योजना:** यह अनुसूचित जातियों, विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मज़दूरों तथा पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी से संबंधित निम्न आय वाले छात्रों को विदेश में अध्ययन करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करने के लिये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिये पहल:** इस पहल का उद्देश्य सामाजिक कल्याण तथा सतत् विकास हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रम प्रदान करके, शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं AI-आधारित परियोजनाओं पर छात्रों को परामर्श देकर एक समावेशी, कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

EMRS में भर्ती से संबंधित हालिया मुद्दा क्या है?

- **हिंदी दक्षता की आवश्यकता:**
    - हाल ही में भर्ती के केंद्रीकरण ने हिंदी दक्षता को अनिवार्य आवश्यकता के रूप में पेश किया है।
    - इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में हिंदी भाषी राज्यों से भर्ती किये गए कर्मचारियों को दक्षिणी राज्यों में EMRS में तैनात किया जा रहा है, जहाँ की भाषा, भोजन और संस्कृति उनके लिये अपरिचित है।

नोट :

- सरकार ने कहा है कि बुनियादी हिंदी भाषा दक्षता की आवश्यकता असामान्य नहीं है क्योंकि यह जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती के लिये भी अनिवार्य है।

- **आदिवासी छात्रों पर प्रभाव:**
  - एकलव्य विद्यालयों में अधिकांश आदिवासी विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से लाभान्वित होंगे जो उनके स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों को समझते हैं, क्योंकि इन समुदायों के पास बहुत विशिष्ट संदर्भ होते हैं जिनके तहत शिक्षण को अनुकूल बनाया जा सकता है।
    - सरकारी अधिकारियों ने कहा कि भर्ती किये गए शिक्षकों से दो वर्ष के भीतर स्थानीय भाषा सीखने की अपेक्षा की जाती है लेकिन भर्ती किये गए शिक्षकों में एक नई, पूर्ण रूप से अलग भाषा सीखने को लेकर आशंकाएँ हैं।
  - गैर-स्थानीय शिक्षकों की नियुक्ति से जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि वे ऐसे शिक्षकों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ से परिचित नहीं हैं।

आगे की राह

- **स्थानीयकृत भर्ती:**
  - शिक्षकों का छात्रों के सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भों से परिचित होना सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय समुदायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
  - स्थानीय परंपराओं का सम्मान करते हुए शिक्षण विधियों की विविधता सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय और गैर-स्थानीय दोनों प्रकार के शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिये।
- **भाषा संबंधी अनुकूल आवश्यकताएँ:**
  - गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में अनुकूलन की अनुमति देने के लिये भर्ती में अनिवार्य हिंदी योग्यता आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिये।
  - शिक्षकों को उनके नियोजित किये गए क्षेत्रों की स्थानीय भाषाएँ सीखने के लिये भाषा सहायता कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण:**
  - सभी शिक्षकों, विशेष रूप से गैर-स्थानीय क्षेत्रों के शिक्षकों को व्यापक सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ताकि उन्हें उस समुदाय को समझने और उसमें एकीकृत होने में मदद मिल सके जिसकी वे सेवा करेंगे।
  - स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों और भाषा कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान में जारी पेशेवर/व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों का उन्नयन किया जाना चाहिये।
- **नीति समीक्षा:**
  - शिक्षकों और छात्रों दोनों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये भर्ती नीति की नियमित समीक्षा की जानी चाहिये ताकि उभरते मुद्दों को संबोधित करने के लिये आवश्यक समायोजन किये जा सकें।
  - नीतियों का विभिन्न राज्यों के विविध सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्यों के अनुकूल होना सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिये। साथ ही यह भी बताइए कि उन्हें कैसे हल किया जाए?

आश्रय का अधिकार: मौलिक अधिकार

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में रेलवे के अवसंरचनात्मक विकास और रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने वाले आरोपियों के लिये आश्रय के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाने का आह्वान किया।

- न्यायालय ने आगे कहा कि उसके आदेशों की गलत व्याख्या भविष्य में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण को बढ़ावा देने के रूप में भी नहीं की जा सकती।

आश्रय का अधिकार क्या है और इसमें शामिल महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- भारत में आश्रय के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत जीवन के अधिकार के व्यापक दायरे के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
  - यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त आवास उपलब्ध हो, जिसे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये आवश्यक माना जाता है।
  - इसका तात्पर्य केवल सिर पर छत अर्थात् आश्रय ही नहीं है, बल्कि इसमें पर्याप्त गोपनीयता, स्थान, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, वेंटिलेशन, बुनियादी ढाँचा और कार्यस्थलों व सामाजिक सुविधाओं से निकटता भी शामिल है।
- उचित पुनर्वास और उचित प्रक्रिया के बिना लोगों का जबरन आश्रय से निष्कासन/बेदखली आश्रय के अधिकार का उल्लंघन करती है।

आश्रय से निष्कासन/बेदखली के संबंध में नैतिक विचार क्या हैं?

- मानवाधिकार उल्लंघन: प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित आवास/आश्रय का अधिकार है और पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था के बिना बेदखली इस अधिकार को कमज़ोर करती है।
- अनुपातहीन प्रभाव: बेदखली से गरीब, दिव्यांग और बुजुर्ग सहित हाशिये पर पड़े समूहों पर असमान रूप से असर पड़ता है, जिनके पास स्थानांतरित होने या पुनर्वास/अनुकूलन के लिये कम संसाधन हो सकते हैं।
- विकल्पों का अभाव: कभी-कभी वैकल्पिक आवास समाधान या सहायता सेवाओं की पेशकश किये बिना बेदखली की जाती है, जिससे लोगों के पास पुनर्वासन/अनुकूलन के लिये कोई स्थान नहीं बचता।

आश्रय के अधिकार से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या हैं?

- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985): झुग्गीवासियों ने वैकल्पिक आवास के बिना बेदखली के खिलाफ दलील देते हुए एक जनहित याचिका दायर की। न्यायालय ने माना कि बेदखली आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है तथा आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित न करना राज्य का कर्तव्य है।
- महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंती भाई खेतान (1986): सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि हदबंदी कानून को कायम रखते हुए कहा कि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। हालाँकि, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्रदान करने की ज़िम्मेदारी राज्य की है।
- चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1995): न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि आश्रय का अधिकार अनुच्छेद 21 और निवास का अधिकार [अनुच्छेद 19(1)(e)] के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
- अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाम अहमद सिंह और गुलाब सिंह (1996): ओल्गा टेलिस मामले की तरह, न्यायालय ने फुटपाथ पर रहने वालों को इस शर्त पर बेदखल करने की अनुमति दी कि उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- सुदामा सिंह एवं अन्य बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य (2010): याचिकाकर्त्ताओं ने झुग्गी बस्तियों से पुनर्वास की मांग की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी बेदखली में पर्याप्त मुआवज़ा या वैकल्पिक आवास शामिल होना चाहिये।

लोगों को आश्रय प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा कौन-सी पहलें की गई हैं?

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): यह देश के निम्न एवं मध्यम आय वाले निवासियों के लिये किफायती आवास तक पहुँच की सुविधा हेतु भारत सरकार की एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है।
- राष्ट्रीय शहरी आवास कोष (NUHF): यह आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोज़गार के साथ ही कुशल मज़दूरी के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके निर्धनता को कम करना है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार होगा।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM): इसका उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय उपलब्ध कराना है।
- झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) योजना: विशेष रूप से महाराष्ट्र में सक्रिय यह योजना झुग्गीवासियों के लिये आवास उपलब्धता के साथ उनके पुनर्वास पर केंद्रित है।

भारत में आश्रय के अधिकार का समर्थन करने के लिये कौन-से कानून बनाए गए हैं?

- **गंदी बस्ती क्षेत्र (सुधार और उन्मूलन) अधिनियम, 1956:**
  - यह सरकार को उन झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने का अधिकार देता है जो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिमों के कारण निवास की दृष्टि से अनुपयुक्त हैं।
  - ऐसे मामलों में अनुपयुक्त आवास को बेहतर, अधिक सतत् संरचनाओं से परिवर्तित करने के लिये पुनर्विकास योजनाएँ तैयार की जाती हैं।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006:**
  - यह आजीविका के लिये निवास या स्व-कृषि के लिये व्यक्तिगत अथवा साझा अधिग्रहण के तहत वन भूमि पर कब्ज़ा करने और रहने का अधिकार प्रदान करता है।
  - यह वन समुदायों के वन संसाधनों का उपयोग एवं प्रबंधन करने के अधिकारों को भी मान्यता देता है।
- **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA):**
  - यह आवासीय परियोजनाओं की पारदर्शिता, जवाबदेहिता तथा समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिये रियल एस्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
  - यह परियोजनाओं के पंजीकरण को अनिवार्य करके तथा शिकायत निवारण तंत्र प्रकी उपलब्धता द्वारा घर खरीदारों को संरक्षण प्रदान करता है।

- **भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013:**
  - इसमें भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिये विस्तृत प्रावधान शामिल किये गए हैं।
  - यह सुनिश्चित करता है कि विस्थापित परिवारों को आवास के साथ-साथ अपने जीवन के पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन के लिये सहायता प्राप्त हो।
- **आदर्श किराएदारी अधिनियम, 2021:**
  - इसका उद्देश्य विवाद समाधान हेतु त्वरित निर्णय तंत्र स्थापित करना, परिसर के किराये को विनियमित करना और मकान मालिकों तथा किरायेदारों के हितों का संरक्षण करना है।

विकास परियोजनाओं और आश्रय के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है?

- वैकल्पिक आवास समाधान: विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के लिये पर्याप्त वैकल्पिक आवास का विकल्प प्रदान करना।
- विधिक सुरक्षा और निष्पक्ष प्रक्रियाएँ: यह सुनिश्चित करना कि यदि आवश्यक हो, तो विस्थापन उचित प्रतिकर और सहायता के साथ वैध एवं न्यायपूर्ण विधि से किया जाए।
- सामुदायिक विकास और एकीकरण: स्थानीय बुनियादी ढाँचे, सेवाओं और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिये परियोजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को शामिल करना।
- दीर्घकालिक योजना: शहरी नियोजन और आवास के लिये दीर्घकालिक रणनीतियाँ विकसित करना, जो विकास लक्ष्यों को किफायती और सुलभ आवास की आवश्यकता के साथ एकीकृत करती हैं।

निष्कर्ष:

उच्चतम न्यायालय ने आश्रय के अधिकार को जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए इसकी मौलिक प्रकृति पर बल दिया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। राज्य किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने के लिये बाध्य है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे सभी आवासों का निर्माण करना चाहिये या सभी विस्थापनों को रोकना चाहिये। आश्रय का अधिकार, भूमि के अधिकार से पृथक् स्पष्ट जानकारी और यथार्थवादी अपेक्षाओं की आवश्यकता को व्यक्त करता है। इसके मूल तत्त्व को पहचानकर, व्यक्ति अपने अधिकारों का समर्थन कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक निवारण की मांग कर सकते हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: विकास और व्यक्तियों के मौलिक अधिकार प्राय: परस्पर विरोधी होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरण के साथ समझाइये।

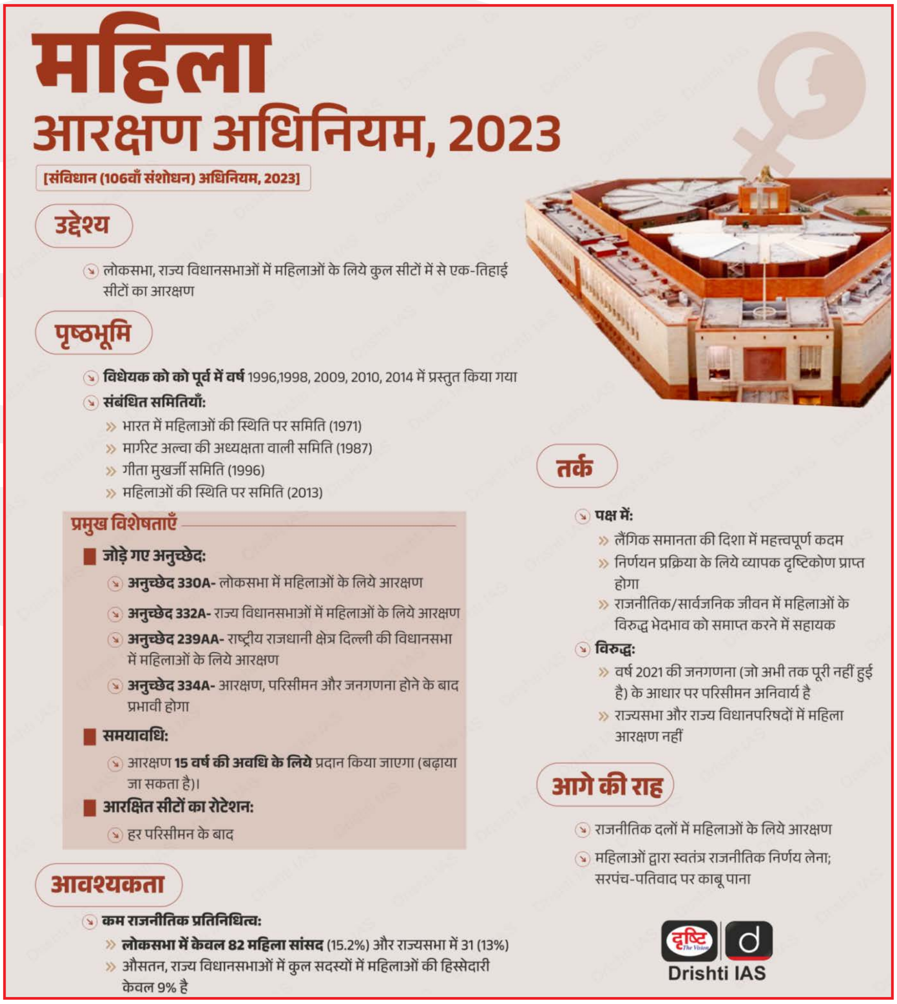

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **FAO, IFAD, UNICEF, WFP** एवं **WHO** द्वारा प्रकाशित "स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन इन द वर्ल्ड 2024" (SOFI 2024) रिपोर्ट, वैश्विक खाद्य सुरक्षा तथा पोषण प्रवृत्तियों का एक महत्त्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

- इस वर्ष की रिपोर्ट भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिये वित्तपोषण में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

SOFI 2024 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- कुपोषण का वैश्विक प्रसार: वर्ष **2023** में **713** से **757** मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा, जिसमें विश्व में ग्यारह में से एक व्यक्ति और अफ्रीका में हर पाँच में से एक व्यक्ति भूख का सामना कर रहा है।
    - एशिया, कम प्रतिशत होने के बावजूद, अभी भी सबसे बड़ी संख्या में कुपोषित लोगों (**384.5** मिलियन) को आश्रय देता है।

FIGURE 1 GLOBAL HUNGER ROSE SHARPLY FROM 2019 TO 2021 AND PERSISTED AT THE SAME LEVEL TO 2023

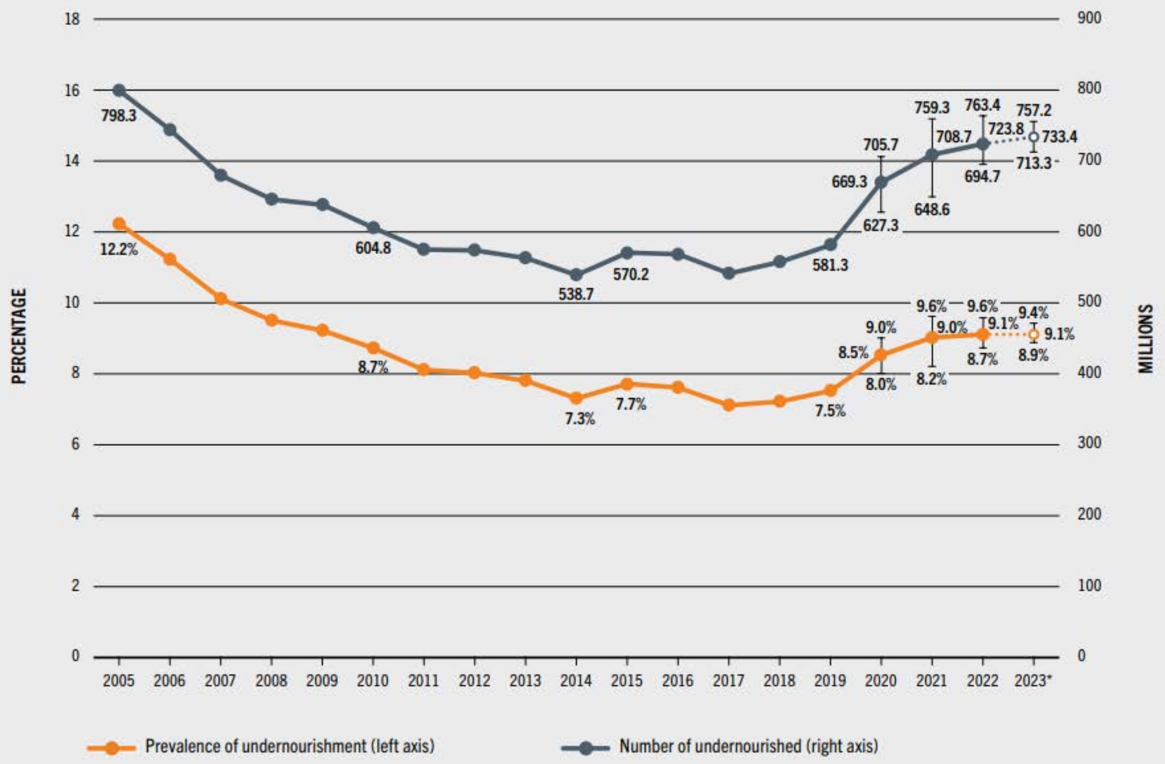

- खाद्य असुरक्षा: वर्ष 2023 में लगभग 2.33 बिलियन लोगों को मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। गंभीर खाद्य असुरक्षा ने वैश्विक स्तर पर 864 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित किया।

FIGURE 5 THE CONCENTRATION AND DISTRIBUTION OF FOOD INSECURITY BY SEVERITY IN 2023 DIFFERED GREATLY ACROSS THE REGIONS OF THE WORLD

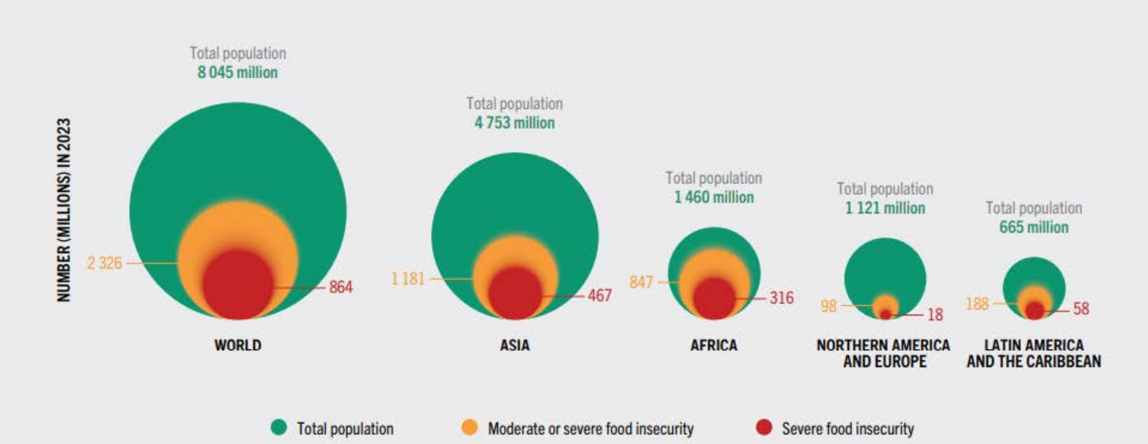

- **पोषित आहार की लागत:** पोषित आहार की वैश्विक औसत लागत 2022 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रय शक्ति समता (PPP) के संदर्भ में बढ़कर 3.96 अमेरिकी डॉलर हो गई। इस वृद्धि के बावजूद, पोषित आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या वर्ष 2022 में घटकर 2.83 बिलियन हो गई।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** पोषित आहार की लागत लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में सबसे अधिक तथा ओशिनिया में सबसे कम है। वहनीयता में सुधार असमान रहा है, जिसमें अफ्रीका में महत्त्वपूर्ण गिरावट आई है।
- **स्टंटिंग और वेस्टिंग:** पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग के प्रचलन को कम करने में सुधार हुआ है। हालाँकि वर्ष 2030 (SDG) लक्ष्यों को पूरा करने के लिये प्रगति अपर्याप्त है।
  - छह महीने से कम उम्र के शिशुओं में केवल स्तनपान की दर में वृद्धि हुई है, लेकिन यह अभी भी वर्ष 2030 के लक्ष्य से कम है।
- **मोटापा और एनीमिया:** मोटापे की दर वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया बढ़ रहा है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये महत्त्वपूर्ण चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।
- **वर्तमान स्तर और अंतराल:** खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सार्वजनिक व्यय अपर्याप्त बना हुआ है, खासकर कम आय वाले देशों में। निजी वित्तपोषण प्रवाह को ट्रैक करना भी मुश्किल है, जिससे वित्तपोषण अंतराल और भी बढ़ जाता है।

TABLE 11 COMPOSITION OF PUBLIC SPENDING ON FOOD SECURITY AND NUTRITION IN SELECTED LOW- AND MIDDLE-INCOME COUNTRIES

	Benin	Brazil	Georgia	India	Kenya	Mexico	Nigeria	Philippines	South Africa	Uganda
	(% annual average)									
Food consumption and health status (core definition)	65	31	50	85	75	56	55	40	55	73
Food consumption	50	14	39	83	53	40	33	37	35	59
Food availability	23	11	30	45	21	34	23	33	10	28
Food access	19	1	7	35	31	0	8	3	18	25
Food utilization	9	1	2	3	0	6	2	1	7	6
Health status	14	17	11	2	20	17	21	3	19	14
Practices	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Health services and environmental health	14	17	11	4	22	17	21	3	19	13
Major drivers of food insecurity and malnutrition (extended definition)	35	69	50	15	25	44	45	60	45	27

नोट :

रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं?

- भारत में 194.6 मिलियन कुपोषित व्यक्ति हैं, जो विश्व में सबसे ज़्यादा है।
  - कुपोषित लोगों की संख्या वर्ष 2004-06 की अवधि में 240 मिलियन से घटकर वर्तमान आँकड़ा हो गया है।
- 55.6% भारतीय, यानी 790 मिलियन लोग, पोषित आहार का खर्च नहीं उठा सकते।
  - वर्ष 2022 की तुलना में इस अनुपात में लगभग 3% अंकों का सुधार हुआ है।
- भारत की 13% जनसंख्या दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित है, जो दीर्घकालिक खाद्य असुरक्षा का संकेत है।
  - ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index-GHI) 2023 में भारत 111वें स्थान पर है, जो खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उजागर करता है।
- दक्षिण एशिया में भारत में सबसे अधिक कुपोषण (18.7%) है, तथा पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग (31.7%) का दर भी उच्च है।
  - भारत में जन्म लेने वाले 27.4% शिशुओं का वजन कम होता है, जो विश्व में सबसे अधिक है, जो मातृ कुपोषण को दर्शाता है।
- भारत में 53% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का वैश्विक प्रसार बढ़ने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण दक्षिण एशिया है।
- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मोटापे की व्यापकता 2.8% है और वयस्कों में यह बढ़कर 7.3% हो गई है। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक रूप से निष्क्रिय है, जो मोटापे में वृद्धि करता है।
- रिपोर्ट में एक ही जनसंख्या में कुपोषण और मोटापे की बढ़ती समस्या पर प्रकाश डाला गया है, जो अल्प आहार गुणवत्ता जैसे सामान्य कारकों से प्रेरित है।
- अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत सहित प्रमुख देशों में शीर्ष वैश्विक निर्माताओं द्वारा बनाए गए अधिकांश खाद्य उत्पादों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार अस्वास्थ्यकर माना जाता है।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण पर भारत के सार्वजनिक व्यय में कुछ वृद्धि देखी गई है, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि खाद्य असुरक्षा तथा कुपोषण के मूल कारणों को दूर करने के लिये संसाधनों के अधिक प्रभावी आवंटन एवं उपयोग की अभी भी आवश्यकता है।
  - कोविड-19 महामारी ने भारत में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। आर्थिक मंदी, आजीविका का नुकसान और खाद्य आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधान ने भोजन की पहुँच तथा सामर्थ्य पर स्थायी प्रभाव डाला है।

भारत में इससे संबंधित क्या पहल की गई हैं?

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013
- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन
- मिशन पोषण 2.0
- समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
- मध्याह्न भोजन योजना
- किशोरियों के लिये योजना (SAG)
- माँ का पूर्ण स्नेह (MAA)
- पोषण वाटिकाएँ
- अन्य नीतियाँ:
  - कृषि उत्पादों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
  - राष्ट्रीय बागवानी मिशन

रिपोर्ट में प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- सार्वजनिक निवेश में वृद्धि: रिपोर्ट में भूखमरी और कुपोषण को कम करने वाले कार्यक्रमों के लिये बजट बढ़ाकर तथा प्रभावशीलता एवं स्थिरता में सुधार हेतु उनकी योजना व कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों को शामिल करके खाद्य सुरक्षा और पोषण पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
- निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना: सामाजिक बॉण्ड, हरित बॉण्ड और स्थिरता से जुड़े बॉण्ड जैसे नवीन वित्तपोषण तंत्रों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने से खाद्य सुरक्षा पहलों के लिये अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं।
  - वैश्विक साझेदारी को मज़बूत करना और राष्ट्रीय नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय ढाँचे के साथ संरेखित करना, अधिक प्रभाव के लिये ज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा संसाधनों के आदान-प्रदान को बढ़ा सकता है।
- जलवायु-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना: जलवायु परिवर्तन के खाद्य उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिये जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों का विकास और क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। इसमें सूखा-प्रतिरोधी फसलों तथा सतत् कृषि पद्धतियों के अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना शामिल है।

- कृषि खाद्य प्रणालियों में सुधार: बेहतर अवसंरचना, रसद और बाज़ार अभिगम के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों की दक्षता एवं स्थिरता को बढ़ाने से खाद्य हानि तथा इसकी बर्बादी को कम करने में मदद मिल सकती है।
- व्यापक पोषण कार्यक्रम: रिपोर्ट में एकीकृत पोषण कार्यक्रमों की मांग की गई है जो कुपोषण और अति-पोषण दोनों को रेखांकित करते हैं। इसमें बढ़ती मोटापे की दरों से निपटने के लिये संतुलित आहार और शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देने की पहल शामिल है।
- कमज़ोर आबादी पर ध्यान: नीतियों को गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों के लिये पोषण में सुधार करके, आवश्यक विटामिन एवं खनिज प्रदान करके छोटे किसानों, महिलाओं तथा बच्चों जैसे कमज़ोर समूहों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- डेटा संग्रह, निगरानी और रिपोर्टिंग का सुदृढ़ीकरण: खाद्य सुरक्षा और पोषण की निगरानी, बेहतर नीति-निर्माण को सक्षम करने, सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिये राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ डेटा संग्रह एवं एकीकरण में सुधार करना आवश्यक है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। इन चुनौतियों में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों पर चर्चा कर उनसे निपटने के लिये प्रभावी उपाय सुझाइये।

NEP 2020 की 4थी वर्षगांठ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने "शिक्षा सप्ताह" नामक एक सप्ताह के अभियान के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की चतुर्थ वर्षगाँठ मनाई।

- यह अभियान NEP 2020 की उपलब्धियों और उद्देश्यों को बढ़ावा देने तथा उनका उत्सव मनाने के लिये बनाया गया है।

शिक्षा सप्ताह के तहत क्या पहल की गई हैं?

- विद्यांजलि कार्यक्रम:
  - वर्ष 2021 में शुरू किया गया, यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एक पहल है, जो समुदाय के सदस्यों एवं स्वयंसेवकों को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से जोड़ता है।
  - विद्यांजलि पोर्टल पूर्व छात्रों, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों को भारत भर के स्कूलों में सेवाओं, सामग्रियों या विशेषज्ञता का योगदान करने में सक्षम बनाता है, जो NEP-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप स्कूलों, स्वयंसेवकों एवं समुदाय को एकीकृत करके अधिगम के माहौल को बेहतर करता है।
- तिथि भोजन:
  - इस पहल के तहत, समुदाय के लोग मिड डे मील योजना में योगदान देकर बच्चे के जन्म, विवाह, जन्मदिन आदि जैसे महत्त्वपूर्ण दिन मनाते हैं।
  - तिथि भोजन मिड डे मील का विकल्प नहीं है, बल्कि यह मिड डे मील का पूरक है।
  - नवीनतम मेनू को बढ़ावा देने के लिये ब्लॉक, ज़िला और राज्य स्तर पर पाक कला प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है?

- परिचय:
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 21वीं सदी के लक्ष्यों और सतत् विकास लक्ष्य 4 (SDG4) को पूरा करने के लिये शिक्षा प्रणाली में सुधार करके भारत की उभरती विकास आवश्यकताओं को पूरा करना है।
  - इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का स्थान लिया, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था।
- मुख्य विशेषताएँ:
  - सार्वभौमिक पहुँच: NEP 2020 प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा के सार्वभौमिक अभिगम पर केंद्रित है।
  - प्रारंभिक बाल शिक्षा: 10+2 संरचना 5+3+3+4 प्रणाली में स्थानांतरित हो जाएगी, जिसमें 3-6 वर्ष के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education- ECCE) पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
  - बहुभाषावाद: कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी, जिसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं के विकल्प भी होंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) को मानकीकृत किया जाएगा।
  - समावेशी शिक्षा: सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDG) को विशेष प्रोत्साहन, दिव्यांग बच्चों के लिये सहायता और "बाल भवन" की स्थापना।
  - सकल नामांकन अनुपात (GER) वृद्धि: वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करने का लक्ष्य 3.5 करोड़ नए नामांकन जोड़ना है।

नोट :

- अनुसंधान फोकस: अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का निर्माण।
- भाषा संरक्षण: अनुवाद और व्याख्या संस्थान (IITI) सहित भारतीय भाषाओं के लिये समर्थन एवं भाषा विभागों को मज़बूत करना।
- अंतर्राष्ट्रीयकरण: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा और शीर्ष क्रम वाले विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन।
  - उदाहरण के लिये, वर्ष 2023 में UGC ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के लिये विनियम जारी किये।
- फंडिंग: शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक बढ़ाने के लिये संयुक्त प्रयास।
- परख मूल्यांकन केंद्र: राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में परख (समग्र विकास के लिये प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना शिक्षा में योग्यता को आधार बनाने तथा समग्र मूल्यांकन करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- लिंग समावेशन निधि: यह नीति एक लिंग समावेशन निधि की शुरुआत करती है, जो शिक्षा में लैंगिक समानता के महत्त्व पर ज़ोर देती है और वंचित समूहों को सशक्त बनाने की पहल का समर्थन करती है।
- विशेष शिक्षा क्षेत्र: वंचित क्षेत्रों और समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशेष शिक्षा क्षेत्रों की कल्पना की गई है, जो सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच की नीति की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हैं।

निपुण भारत मिशन की उपलब्धियाँ क्या हैं?

- परिचय:
  - NEP 2020 की एक प्रमुख सिफारिश यह सुनिश्चित करना थी कि बच्चे कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल विकसित कर लें।।
  - इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, केंद्र ने वर्ष 2021 में निपुण (बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ शिक्षा में प्रवीणता के लिये राष्ट्रीय पहल) भारत मिशन की शुरुआत की।
- जनसांख्यिकीय रुझान:
  - सर्व शिक्षा अभियान के कारण 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2000 के दशक के प्रारंभ तक ग्रामीण भारत में 90% से अधिक तक पहुँच गया।
  - वर्ष 2010 और वर्ष 2022 के बीच, 4-8 वर्ष की आयु के बच्चों वाली माताओं का प्रतिशत, जिन्होंने कक्षा 5 से आगे शिक्षा प्राप्त की है, 35% से बढ़कर लगभग 60% हो गया है।
  - 10 वर्ष से अधिक स्कूली शिक्षा प्राप्त करने वाली माताओं का अनुपात भी 10% से बढ़कर 20% से अधिक हो गया।
  - शिक्षा में वृद्धि के बावजूद, भारत में महिला श्रमबल भागीदारी 37% पर बनी हुई है, तथा युवा महिलाओं (15-29 वर्ष) की भागीदारी दर और भी कम है।
  - शिक्षित माताएँ अपने बच्चों की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण रूप से सहयोग कर सकती हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में युवा पुरुषों की कार्यबल में उच्च भागीदारी को देखते हुए।
  - कोविड-19 महामारी ने शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ा दी है, जिससे अधिक सहभागिता के लिये एक मिसाल कायम हुई है।
  - निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में सुधार हेतु परिवार, विशेष रूप से मातृ भागीदारी को तथा अधिक प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये NEP 2020 में प्रस्तावित उपायों पर चर्चा कीजिये। नीति सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDG) को समर्थन देने की योजना कैसे बनाती है?

भारत में आत्महत्या रोकथाम प्रयासों का सुदृढ़ीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंसेट में छपे लेख में भारत में आत्महत्या रोकथाम के लिये अधिक राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है।

- इसमें वर्ष 2022 में शुरू की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS) पर भी चर्चा की गई है, जिसका उद्देश्य इस मुद्दे का निवारण करना है, लेकिन इसकी शुरुआत से अब तक इसमें बहुत कम प्रगति हुई है।

राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति क्या है?

- भारत में आत्महत्या रोकथाम के लिये राष्ट्रीय रणनीति का लक्ष्य बहुक्षेत्रीय सहयोग, समावेशिता और नवाचार के माध्यम से वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है।

- यह रणनीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रमुख हितधारकों को कार्यान्वयन, निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिये एक कार्यात्मक रूपरेखा प्रदान करता है।
- दृष्टिकोण: एक ऐसा समाज स्थापित करना जहाँ व्यक्ति अपने जीवन को महत्त्व देता है और कठिन समय के दौरान उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त होती है।
- उद्देश्य: यह ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से पाँच वर्षों के भीतर सभी ज़िलों में मनोरोग बाह्य रोगी विभाग स्थापित करने की योजना बना रहा है।
  - यह आठ वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम को एकीकृत करने का प्रयास करता है।
  - आत्महत्याओं की ज़िम्मेदार मीडिया रिपोर्टिंग और आत्महत्या के साधनों तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिये दिशा-निर्देश विकसित करता है।

भारत में आत्महत्या का परिदृश्य क्या है?

- **वार्षिक रूप से मृत्यु:** राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष **2022** की वार्षिक रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में वर्ष 2022 में कुल 1.7 लाख से अधिक आत्महत्याएँ हुईं, जिनमें से लगभग एक तिहाई पीड़ित दिहाड़ी मज़दूर, खेतिहर मज़दूर और किसान थे।
  - वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक, आत्महत्या की दर 10.2 से बढ़कर 11.3 प्रति 1,00,000 हो गई।
- **प्राथमिक प्रभावित समूह:** 9.6% आत्महत्याएँ स्व-नियोजित या वेतनभोगी पेशेवरों की थीं। 9.2% आत्महत्याएँ बेरोज़गार व्यक्तियों की थीं और 12,000 से अधिक छात्रों की आत्महत्या से मृत्यु हुई।
  - आत्महत्या से मरने वाली लगभग **48,000** महिलाओं में से **52%** से अधिक गृहिणी थीं, जो कुल आत्महत्याओं का लगभग **14%** है।
  - महाराष्ट्र में सबसे अधिक आत्महत्याएँ (**22,746**) हुईं, उसके बाद तमिलनाडु (19,834), मध्य प्रदेश (15,386), कर्नाटक (13,606), केरल (10,162) और तेलंगाना (9,980) का स्थान रहा।
- **आत्महत्या के कारण:** सबसे आम कारण पारिवारिक समस्याएँ, बेरोज़गारी, किसान-संकट, वित्तीय समस्याएँ और बीमारी थी, जो सभी आत्महत्याओं में से लगभग आधी के लिये ज़िम्मेदार थी।
  - अन्य कारणों में नशीले पदार्थों का दुरुपयोग, शराब की लत और विवाह संबंधी समस्याएँ शामिल थीं, जिनमें से एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने दहेज़ संबंधी समस्याओं को इसका कारण बताया।
  - भारत में युवा महिलाओं में आत्महत्याओं की वृद्धि कई कारकों से प्रेरित है, जिसमें बढ़ती शिक्षा और कठोर सामाजिक मानदंडों के बीच असंतुलन है, जिससे सापेक्ष अभाव की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं।
    - आधुनिक रिश्तों/संबंधों, जैसे कि प्रेम और अंतर-जातीय विवाह, की ओर बदलाव व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन एकाकीपन को भी बढ़ावा देता है। व्याप्त पितृसत्ता और लैंगिक भेदभाव के साथ ही 31% विवाहित महिलाओं को प्रभावित करने वाली घरेलू हिंसा की उच्च दर, इन चुनौतियों को और भी बढ़ा देती है।
    - सीमित सामाजिक और वित्तीय अवसर उनके संघर्षों को और भी जटिल बना देते हैं, जिससे इस जनसांख्यिकीय समूह में आत्महत्या की दर चिंताजनक हो जाती है।
  - अकादमिक प्रदर्शन के दबाव को प्राय: छात्रों की आत्महत्या का एक प्रमुख कारण बताया जाता है, जो 18-30 आयु वर्ग के विद्यार्थियों का परीक्षा में असफल होने से संबद्ध होता है।
    - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि तीव्र प्रतिस्पर्द्धा और माता-पिता का दबा व बढ़ती आत्महत्या दरों में बहुत बड़ा योगदान देता है, जो बच्चों से संतुलित अपेक्षाओं की आवश्यकता को उजागर करता है।

भारत में आत्महत्या रोकथाम की क्या आवश्यकता है?

- **व्यक्तियों और समाज पर प्रभाव:** प्रत्येक आत्महत्या की घटना परिवार और मित्रों सहित करीबी व्यक्तियों को गहराई से प्रभावित करती है, जो व्यापक सामाजिक एवं भावनात्मक परिणामों को रेखांकित करती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य कलंक:** मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से जुड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक कलंक प्राय: व्यक्तियों को अपनी चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करने या मदद मांगने से रोकता है।
  - आत्महत्या को गहन मनोवैज्ञानिक पीड़ा की अभिव्यक्ति के बजाय कायरता, अपराध या पाप के रूप में गलत तरीके से समझा जाता है, जिसके निवारक उपाय करने में बाधा आती है।
  - अकादमिक और कॅरियर उपलब्धियों, लैंगिक भूमिकाओं एवं वैवाहिक अपेक्षाओं के संदर्भ में सामाजिक मानदंड महत्त्वपूर्ण दबाव डालते हैं, जिससे कई लोगों के लिये इन मानदंडों के खिलाफ बोलना या मदद मांगना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
- **आर्थिक बोझ:** आत्महत्या की आर्थिक लागत में स्वास्थ्य सेवा व्यय और उत्पादकता में कमी शामिल है, जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है।

भारत में आत्महत्या रोकथाम से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- **संसाधनों की कमी:** भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में प्राय: पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये आवश्यक संसाधनों की कमी होती है।
- **अपर्याप्त डेटा संग्रह:** अपर्याप्त रिपोर्टिंग, व्यापक स्तर पर आवश्यक अध्ययनों की कमी और आत्महत्या के प्रयासों की कम रिपोर्टिंग संकट की सीमा को समझने एवं इसमें प्रभावी हस्तक्षेपों को डिज़ाइन करने में बाधा डालती है।
- **राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी:** केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपर्याप्त प्रतिबद्धता दिखाती हैं।
  - राजनीतिक नेता प्राय: आत्महत्या की रोकथाम के प्रति भाग्यवादी रवैया दिखाते हैं, उनका मानना है कि इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है।
- **मीडिया की अपर्याप्त भागीदारी:** मीडिया में प्राय: आत्महत्याओं की ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग के बारे में स्वयं को शिक्षित करने की इच्छाशक्ति की कमी होती है। आत्महत्याओं की मीडिया रिपोर्टिंग के लिये उचित दिशा-निर्देश विकसित किये जाने और उनका पालन किये जाने की आवश्यकता है।

भारत में आत्महत्या की रोकथाम से संबंधित पहल क्या हैं?

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme- NMHP):**
  - ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP) 738 ज़िलों में लागू किया गया है, जिसमें ज़िला स्तर पर बाह्य रोगी सेवाएँ, परामर्श, निरंतर देखभाल और 10 बिस्तरों वाली इनपेशेंट सुविधा प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम:** यह स्वास्थ्य कार्यक्रम देश भर में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिये वर्ष 2022 में शुरू किया गया।
  - दिसंबर 2023 तक, 34 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने 46 टेली MANAS सेल स्थापित किये हैं, जो हेल्पलाइन पर 500,000 से अधिक कॉल संभालते हैं।
  - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिये **24/7** टोल-फ्री हेल्पलाइन "**KIRAN**" शुरू की है।
- **आयुष्मान आरोग्य मंदिर:** 1.6 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्र (SHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC), शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (UPHC) और शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (UHWC) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया गया है।
  - इन केंद्रों पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शामिल हैं।
  - आयुष्मान भारत के तहत मानसिक, न्यूरोलॉजिकल (तंत्रिका संबंधी) और पदार्थ उपयोग विकारों (MNS) पर दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं।
- **मनोदर्पण पहल:** मनोदर्पण कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिये मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है।

आगे की राह

- **कार्यस्थल कल्याण:** कार्यस्थलों पर, विशेष रूप से उच्च-तनाव वाले क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अनिवार्य की जानी चाहिये। गेटकीपर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों की आवश्यकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण:** मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिये। प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है।
  - किसानों, छात्रों, महिलाओं और बुज़ुर्गों जैसे उच्च जोखिम वाले समूहों के लिये लक्षित हस्तक्षेप विकसित किया जाना चाहिये। इन समूहों के लिये विशेष रूप से सहायता नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - आत्महत्याओं में 20% की गिरावट से भी सालाना 40,000 लोगों की जान बच सकती है।
- **मूल कारणों को समाप्त करना:** रोज़गार सृजन, असमानता और गरीबी को कम करने तथा सामाजिक सुरक्षा जाल को मज़बूत करने की आवश्यकता है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के साथ ही घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को समाप्त किया जाना चाहिये।
  - आत्महत्या या इसका प्रयास जैसे व्यवहार को रोकने के लिये दिशा-निर्देश लागू कर मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
  - व्यापक मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम लागू कर खुली बातचीत और तनाव प्रबंधन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी और मानसिक स्वास्थ्य:** डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार किया जाना चाहिये। ऑनलाइन समुदायों के माध्यम से सहकर्मी सहायता की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

नोट :

- स्व-देखभाल और तनाव प्रबंधन के लिये उपयोगकर्त्ता के अनुकूल ऐप विकसित करने की आवश्यकता है। पैटर्न की पहचान करने और हस्तक्षेप को प्रभावी ढंग से लक्षित करने के लिये डेटा का प्रयोग किया जाना चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे में सुधार की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। इन क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाए जाने चाहिये?

किशोरियों पर WHO का अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लैंसेट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अध्ययन से पता चला है कि 15 से 19 वर्ष की आयु की किशोर लड़कियाँ जो किसी रिश्ते/रिलेशनशिप में रही हैं, के साथ शारीरिक या यौन हिंसा हुई है।

- यह सर्वेक्षण 154 देशों और क्षेत्रों की हज़ारों किशोर लड़कियों के साथ किया गया था।

किशोरियों पर WHO के अध्ययन के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **मुख्य हाइलाइट्स:**
  - व्यापकता: यह दर्शाता है कि 20 वर्ष की आयु तक की लगभग एक चौथाई (24%) किशोर लड़कियाँ जो किसी रिश्ते में रही हैं, ने अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक और/या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
    - लगभग 6 में से 1 (16%) किशोर लड़कियों ने पिछले वर्ष में इस तरह की हिंसा का अनुभव किया है।
    - वर्तमान में कोई भी देश वर्ष 2030 में सतत् विकास लक्ष्य (लक्ष्य 5) की लक्षित तिथि तक महिलाओं और किशोरियों के साथ होने वाली हिंसा का उन्मूलन करने के लिये ट्रैक पर नहीं है।
  - क्षेत्रीय भिन्नताएँ: सबसे अधिक व्यापकता दर ओशिनिया (47%) में है (उदाहरण के लिये पापुआ न्यू गिनी में 49% किशोरियाँ अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा का रिपोर्ट करती हैं) और मध्य उप-सहारा अफ्रीका में 40% (उदाहरण के लिये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 42% अंतरंग साथी द्वारा की गई हिंसा का रिपोर्ट करती हैं)।
    - सबसे कम दरें मध्य यूरोप (10%) और मध्य एशिया (11%) में हैं।
- **व्यापकता को प्रभावित करने वाले कारक:** हिंसा की उच्च दर निम्न-आय वाले देशों, माध्यमिक शिक्षा में अध्ययनरत कम किशोरियों वाले क्षेत्र तथा उन क्षेत्रों में व्याप्त है जहाँ लड़कियों के पास कानूनी संपत्ति स्वामित्व और विरासत अधिकार की कमी है।
  - बाल विवाह से होने वाले शक्ति असंतुलन, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक अलगाव के कारण अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का जोखिम काफी बढ़ जाता है।
    - संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2022 में विश्व भर में 5 में से 1 युवा महिला (19%) का विवाह बचपन में ही अर्थात् उनका बाल विवाह करा दिया गया था।
- **अंतरंग साथी हिंसा के निहितार्थ:**
  - चोट लगने, अवसाद, चिंता विकार, अनियोजित गर्भधारण और यौन संचारित संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है।
  - दीर्घकालिक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव।
  - शैक्षिक उपलब्धि, भावी रिश्तों और आजीवन संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव।

किशोरियों को सशक्त बनाने हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशें और हस्तक्षेप:**
  - किशोरों के लिये सहायता सेवाओं और प्रारंभिक रोकथाम उपायों को सुदृढ़ करना।
  - स्कूल-आधारित कार्यक्रम लड़कों और लड़कियों दोनों को स्वस्थ संबंधों तथा हिंसा की रोकथाम के बारे में शिक्षित करते हैं।
  - महिलाओं और लड़कियों के लिये कानूनी सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण पहल।
    - सभी लड़कियों के लिये माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।
    - लिंग-समान संपत्ति अधिकार सुरक्षित करना।
    - बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करना।
  - महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को मापने और उससे निपटने में देशों को सहायता प्रदान करना।
- **अन्य आवश्यक कदम:**
  - स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अंतरंग साथी हिंसा के संकेतों को पहचानने और उनका जवाब देने के लिये प्रशिक्षित किया गया है।
    - प्रभावित लड़कियों के लिये मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ और परामर्श प्रदान करना।

नोट :

- लैंगिक मानदंडों को चुनौती देना: उन सामाजिक मानदंडों और दृष्टिकोणों को बदलने के लिये काम करना जो महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ लैंगिक असमानता एवं हिंसा को कायम रखते हैं।
  - अंतरंग साथी हिंसा के संकेतों और परिणामों तथा लैंगिक समानता के महत्त्व के बारे में समुदायों में जागरूकता बढ़ाना।
  - यह सुनिश्चित किया जाए कि लड़कियों और महिलाओं को संपत्ति पर समान स्वामित्व तथा उत्तराधिकार का अधिकार मिले।
- सतत् निगरानी: अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की व्यापकता और हस्तक्षेप कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु नियमित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करना।
  - अंतरंग साथी हिंसा को कम करने के उद्देश्य से नीतियों और कार्यक्रमों को सूचित करने तथा विकसित करने के लिये डेटा का उपयोग करना।
- वैश्विक प्रयास: सर्वोत्तम प्रथाओं और संसाधनों को साझा करने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना।
  - स्वास्थ्य, शिक्षा और कानूनी क्षेत्रों को एकीकृत करते हुए अंतरंग साथी हिंसा से निपटने के लिये व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजनाएँ विकसित करना।

भारत में किशोरियों के लिये पहल

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)
- महिला शक्ति केंद्र (MSK)
- सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
- निर्भया फंड फ्रेमवर्क
- वन स्टॉप सेंटर (OSC)
- संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)
- वर्ष 2005 से जेंडर बजट को भारत के केंद्रीय बजट का हिस्सा बनाया गया है और इसमें महिलाओं को समर्पित कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये धन आवंटन शामिल है।
- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों को उच्च शिक्षा और STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) में कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं की भागीदारी कम है, ताकि सभी क्षेत्रों में लिंग अनुपात को संतुलित किया जा सके।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में किशोरियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

■■■

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

जम्मू में उग्रवाद

चर्चा में क्यों?

जम्मू-कश्मीर (J&K) के जम्मू क्षेत्र में वर्ष 2021 के मध्य से **आतंकवादी हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि** देखी गई है, जिसमें कठुआ ज़िले में सेना के वाहनों पर घात लगाकर हमला और अन्य क्षेत्रों में किये गए लक्षित हमले शामिल हैं।

- हमले की घटनाओं में पुन: वृद्धि पूर्व के रुझानों में हुए परिवर्तन को दर्शाता है तथा सुरक्षा संबंधी सुभेद्यता और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभावों को लेकर चिंता उत्पन्न करता है।

जम्मू में उग्रवाद बढ़ने के क्या कारण हैं?

- **रणनीतिक बदलाव: कश्मीर में ज़ीरो टेरर नीति** के अनुसरण ने आतंकवादियों को जम्मू में हमले करने के लिये अवसर प्रदान किया।
  - वर्ष 2020 में जम्मू में कम उग्रवाद की घटनाओं में कथित कमी के कारण सेना की आवाजाही लद्दाख (**गलवान दुर्घटना** के बाद **LAC** के साथ) में हो गई, जिससे संभावित रूप से आतंकवादियों को स्थानांतरित होने का अवसर प्रदान हुआ।
- **जम्मू का सामरिक महत्त्व:** जम्मू शेष भारत में एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है जो इसे सामान्य स्थिति को भंग करने और भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से आतंकवादियों के लिये एक आकर्षक क्षेत्र बनाता है।
- **भू-रणनीतिक तत्त्व:** जम्मू की नियंत्रण रेखा (LoC) से निकटता आतंकवादियों को **पाक अधिकृत कश्मीर** से आसानी से प्रवेश प्रदान करती है, जिससे घुसपैठ और रसद सहायता में सुविधा होती है।
  - हाल की घटनाएँ राजौरी, पुंछ और रियासी जैसे ज़िलों में **पहाड़ी एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित करने के लिये किये गए प्रयासों** का संकेत देती हैं।
- **आर्थिक असमानताएँ:** जम्मू के दूरदराज़ और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और विकास की कमी आतंकवादी समूहों द्वारा **स्थानीय युवाओं को अपने संगठन में शामिल करने के लिये** अवसर प्रदान करती है।
- **राजनीतिक अलगाव:** कुछ समुदायों के बीच राजनीतिक अलगाव की भावना, जो **ऐतिहासिक असमानताओं और प्रशासनिक चुनौतियों** से और बढ़ जाती है, आतंकवादी विचारधाराओं के लिये सहानुभूति या समर्थन को बढ़ावा दे सकती है।
- **ह्यूमन इंटेलिजेंस का अभाव:** दशकों पहले आसूचना देने वाले स्थानीय लोग अब अपने 60 या 70 की आयु में हैं और सुरक्षा बलों ने युवा पीढ़ी के साथ संबंधों को बढ़ावा नहीं दिया है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को जारी रखने में आई कमी को उजागर करता है।

नोट:

- **आतंकवाद:** विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2012 के तहत आतंकवाद में **राजनीतिक, वैचारिक या चरमपंथी उद्देश्यों के लिये भय पैदा करने हेतु** हिंसा या धमकियों का उपयोग करना शामिल है, जिसका राष्ट्रीय या वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।
- **उग्रवाद:** उग्रवाद से तात्पर्य **हिंसा या लड़ाकूपन का प्रयोग करने की तत्परता** से है, जिसमें सशस्त्र धार्मिक गुटों सहित विभिन्न समूह या व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसे अक्सर आतंकवाद के साथ एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन **यह आतंकवाद की तुलना में हिंसक अभिव्यक्ति के संभावित रूप से कम चरम स्तर का संकेत** देता है।

SHIFT IN TERROR

SOUTH OF PIR PANJAL* TERROR INCIDENTS		NORTH OF PIR PANJAL* TERROR INCIDENTS	
2021	2	2021	129
2022	10	2022	100
2023	3	2023	7

CIVILIAN CASUALTIES		CIVILIAN CASUALTIES	
2021	1	2021	36
2022	7	2022	23
2023	7	2023	1

(2023 data as of May 30)

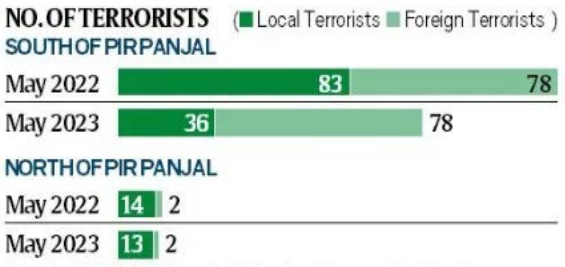

*South of Pir Panjal: Poonch, Rajouri and Jammu districts in Jammu region **North of Pir Panjal: Valley districts

नोट :

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद के ऐतिहासिक कारण क्या हैं?

- **राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता में गिरावट:** अप्रभावी प्रशासन, **भ्रष्टाचार और खराब विकासात्मक परिणामों के कारण राजनीतिक दलों** की विश्वसनीयता कम हो गई है।
- **बढ़ता विश्वास-घाटा: सुरक्षाकर्मियों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग की घटनाओं ने जनता के बीच अविश्वास** को और गहरा कर दिया है।
- **पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से समर्थन:** पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस (Inter-Services Intelligence- ISI) लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba-LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (Jaish-e-Mohammed- JeM) जैसे **भारत विरोधी समूहों को वित्तीय तथा वैचारिक** समर्थन प्रदान करती है।
- **वर्ष 1987 के चुनाव में धाँधली पर विवाद:** मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट (Muslim United Front- MUF), जो **शरिया कानून को लागू करने और केंद्रीय राजनीतिक हस्तक्षेप का विरोध करने** के उद्देश्य से कट्टरपंथी समूहों का गठबंधन था, ने दावा किया कि चुनाव में धाँधली के कारण उग्रवाद बढ़ा।
- **बेरोज़गारी:** बेरोज़गारी का बढ़ता स्तर और सीमित अवसर युवाओं को उग्रवाद की ओर धकेलते हैं।
- **कट्टरपंथ:** बढ़ता **धार्मिक कट्टरपंथ और सांप्रदायिक प्रचार अस्थिरता** को बढ़ाता है।
- **बंदूक संस्कृति की प्रशंसा:** तत्काल प्रसिद्धि, पहचान और सम्मान पाने वाले उग्रवादियों की प्रशंसा उग्रवादी संस्कृति को बढ़ावा देता है। सोशल मीडिया तथा मुख्यधारा का मीडिया भी इस प्रशंसा में योगदान देता है।

उग्रवाद में वृद्धि से निपटने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **भौगोलिक स्थिति:** जम्मू में 192 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा (International Border- IB) और कश्मीर में 740 किलोमीटर लंबी **नियंत्रण रेखा (Line of Control-LoC)** संभावित घुसपैठ बिंदु हैं।
  - **सुरक्षा उपायों के बावजूद, आतंकवादियों ने घुसपैठ के लिये इन सीमाओं पर दुर्गम इलाकों** और जंगली क्षेत्रों का लाभ उठा सकते है। कठुआ में हुए हालिया हमले पुराने घुसपैठ **मार्गों के फिर से सक्रिय होने का संकेत** देते हैं।
- **सामुदायिक संबंध: सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास का निर्माण तथा उसे बनाए रखना,** जो खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिये आवश्यक है, ऐतिहासिक शिकायतों एवं जनसांख्यिकीय विविधता के बीच एक सतत् चुनौती बनी हुई है।
  - यद्यपि उग्रवादी खतरों से निपटने के लिये **ग्राम रक्षा गार्ड (Village Defence Guards- VDG) को पुनर्जीवित** करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन VDG सदस्यों द्वारा पूर्व में किये गए अपराधों के आरोपों के कारण ये प्रयास जटिल हो गए हैं।
- **खुफिया जानकारी एकत्र करना:** स्थानीय समर्थकों की उपस्थिति और आतंकवादियों द्वारा अत्याधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के कारण **सटीक तथा समय पर खुफिया जानकारी एकत्र करना कठिन है।**
  - **चुनौती हाई-टेक, अच्छी तरह से प्रशिक्षित आतंकवादियों का सामना करने में है,** जो पुलिस और सुरक्षा बलों की पकड़ से बचने के लिये स्थानीय लोगों के फोन तथा टेलीग्राम जैसे एप का उपयोग करके अपने ट्रैक को कवर करते हैं।
- **बाह्य समर्थन: ड्रोन के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति सहित** पाकिस्तान से सीमा पार समर्थन के आरोप स्थानीय उग्रवाद की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले बाहरी आयामों को रेखांकित करते हैं।
- **सांप्रदायिक तनाव:** जम्मू की जनसांख्यिकीय विविधता, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदाय शामिल है, **जो ऐतिहासिक रूप से तीव्र हिंसा** के दौरान सांप्रदायिक तनाव के प्रति संवेदनशील रही है।
  - हाल की घटनाएँ, **जैसे कि डांगरी गाँव में हुई हत्याएँ और विशिष्ट समुदायों पर लक्षित हमले, सांप्रदायिक भय और विभाजन को भड़काने की एक जानबूझकर बनाई गई** रणनीति की ओर संकेत करते हैं।

जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद से निपटने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

पहल	उद्देश्य
विशेष दर्जे का निरसन	भारत के साथ घनिष्ठ एकीकरण के लिये जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति और विशेषाधिकारों को हटा दिया गया।
शिमला समझौता (1972)	भारत-पाकिस्तान ने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की प्रतिबद्धता जताई।
विश्वास-निर्माण उपाय	बस सेवाओं और व्यापार मार्गों जैसे संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयास।
वर्ष 2015 की उफा घोषणा	भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की बहाली।

नोट :

परवाज़ योजना	जम्मू-कश्मीर से खराब होने वाले वस्तुओं के हवाई माल परिवहन के लिये सब्सिडी।
हिमायत	जम्मू-कश्मीर में बेरोज़गार युवाओं के लिये प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम।
उड़ान	**जम्मू-कश्मीर में युवाओं के कौशल विकास और** प्रशिक्षण के लिये उद्योग पहल।
नई मंज़िल	स्कूल छोड़ने वाले या मदरसा-शिक्षित युवाओं के लिये मुख्यधारा की शिक्षा और रोज़गार के लिये कार्यक्रम।
उस्ताद योजना	पारंपरिक कला और शिल्प में अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल और प्रशिक्षण को उन्नत करना।
पंचायत-स्तरीय युवा क्लब	आतंकवाद को कम करने के लिये युवाओं को विकास और मनोरंजन में शामिल करना।

आगे की राह

- **सीमा सुरक्षा उपाय:** सीमा पार से घुसपैठ पर अंकुश लगाने के लिये नियंत्रण रेखा (LOC) और **अंतर्राष्ट्रीय सीमा (IB) पर सीमा निगरानी बढ़ाना और संवेदनशील बिंदुओं को मज़बूत करना आवश्यक** है।
    - निगरानी प्रणालियों के माध्यम से एकत्रित जानकारी की बेहतर करने और घुसपैठ प्रणाली की पहचान करने के लिये डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर में निवेश करना।
- **तकनीकी प्रगति: उन्नत निगरानी तकनीकों, ड्रोन के साथ-साथ रात्रि दृष्टि उपकरणों की तैनाती से** परिचालन प्रभावशीलता तथा आतंकवादी गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी में वृद्धि होती है।
- **कानूनी और राजनीतिक ढाँचे:** आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ कानूनी ढाँचे को मजबूत करना, तथा संदिग्धों पर मुकदमा चलाने के लिये मज़बूत तंत्र सुनिश्चित करना प्रभावी आतंकवाद **विरोधी अभियानों के लिये आवश्यक है**।
    - उदाहरण के लिये,त्वरित न्याय प्राप्त करने और भविष्य के हमलों को रोकने के लिये, गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) को मज़बूत करने के साथ-साथ शत्रु एजेंट अध्यादेश को लागू किया जाना चाहिये, एवं विशेष न्यायाधिकरणों के माध्यम से आतंकवाद के मुकदमों में तीव्रता लाई जानी चाहिये।
- **सामुदायिक व्यस्तता:** सामाजिक-आर्थिक विकास, युवा सशक्तीकरण और अंतर-सामुदायिक संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल, चरमपंथी विचारधाराओं के लिये स्थानीय समर्थन को कम करने के लिये आवश्यक हैं।
    - उदाहरण के लिये, सहिष्णुता को बढ़ावा देने और **चरमपंथी आख्यानों** का मुकाबला करने वाली **शिक्षा पहलों में निवेश करना**, साथ ही **सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देने और चरमपंथी समूहों द्वारा शोषण की जाने वाली शिकायतों को दूर करने के लिये अंतर-धार्मिक संवाद** तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
- **कूटनीतिक पहुँच:** आतंकवाद के सीमापारीय प्रभावों से निपटने के लिये कूटनीतिक प्रयास, **आतंकवाद-निरोध पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** के साथ मिलकर, बाह्य सहायता नेटवर्क को बाधित करने में मदद कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, आतंकवाद से निपटने के लिये सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation - SCO) जैसे क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों के साथ साझेदारी का निर्माण करना।
- **नीति समीक्षा:** सक्रिय सुरक्षा उपायों को बनाए रखने और नागरिक हताहतों को न्यूनतम करने के लिये सुरक्षा नीतियों की निरंतर समीक्षा तथा उभरती हुई आतंकवादी रणनीतियों के साथ अनुकूलन आवश्यक है।
    - सुरक्षा बलों और आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञों के बीच सूचना साझाकरण तथा सर्वोत्तम अभ्यास के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना, साथ ही **मानकीकृत संचालन प्रक्रियाओं** (standardised operating procedures - SOPs) को अपनाकर नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिससे संपार्श्विक क्षति को न्यूनतम किया जा सके।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में उग्रवाद के फिर से उभरने में योगदान देने वाले कारकों की जाँच कीजिये। इस फिर से उभरने के क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये और इन चुनौतियों से निपटने के उपाय सुझाइए।

भारत को आंतरिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता

चर्चा में क्यों ?

जैसे-जैसे भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, वैसे-वैसे एक व्यापक **आंतरिक सुरक्षा योजना**

की आवश्यकता तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। हाल के घटनाक्रम राष्ट्रीय एकता और स्थिरता को बनाए रखने के लिये **आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता को उजागर करते हैं।**

भारत के लिये आंतरिक सुरक्षा योजना की आवश्यकता और आगे की राह क्या है?

- **राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत (NSD):** देश में आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिये एक NSD होना चाहिये। **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड** ने इन प्रारूपों पर कार्य किया है, लेकिन उन्हें कभी स्वीकृति नहीं मिली।
  - आंतरिक सुरक्षा के लिये एक सुसंगत दृष्टिकोण, मूलतः सरकार में बदलाव के दौरान, रखना महत्त्वपूर्ण है।
  - यह नीतिगत निर्णयों और रणनीतिक कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करेगा, तदर्थ प्रतिक्रियाओं को कम करेगा तथा सुरक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने हेतु सामंजस्य में सुधार करेगा।
- **मंत्रालय की आंतरिक सुरक्षा:** गृह मंत्रालय गलत तरीके से कार्य करता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा मामलों में विलंब होता है और उस पर कम ही ध्यान दिया जाता है। आंतरिक सुरक्षा को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये एक युवा, कनिष्ठ मंत्री को नियुक्त करने की आवश्यकता है।
  - **भारत के संविधान में अनुच्छेद 355** के अनुसार, संघ प्रत्येक **राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने** तथा यह सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करे।
- **जम्मू-कश्मीर में हालिया मुद्दे:** गृह मंत्री का दावा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पश्चात् से आतंकवादी घटनाओं में 66% की कमी आई है, लेकिन **जम्मू में हुए हालिया हमलों** से पता चलता है कि परिस्थितियाँ अभी सामान्य से दूर है।
  - सरकार को सुरक्षा ग्रिड को पुनर्गठित करने, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने और पाकिस्तानी डीप स्टेट के उद्देश्यों को संबोधित करने के लिये विधानसभा चुनाव कराने की आवश्यकता है।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र को स्थिर करना:** प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर को "हमारे दिल का टुकड़ा" कहकर संबोधित किया है, हालाँकि इस क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना जारी है।
  - नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड- इसाक-मुइवा (NSCN-IM) की अलग ध्वज और संविधान की मांग के कारण विद्रोही नागाओं के साथ वर्ष 2015 का फ्रेमवर्क समझौता पूरी तरह से साकार नहीं हो पाया है।
  - सरकार को युद्धविराम समझौते का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और जबरन वसूली तथा जबरन भर्ती जैसी विद्रोही गतिविधियों को रोकने की आवश्यकता है।
  - गृह मंत्रालय द्वारा बहुल-जातीय शांति समिति के गठन के बावजूद मणिपुर अभी भी जातीय संघर्षों और कतिपय हिंसा से जूझ रहा है।
    - अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इन मुद्दों पर ध्यान दें।
  - इसके अतिरिक्त अवैध प्रवास, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी जैसी समस्याओं से निपटने के लिये व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।
- **नक्सल समस्या:** गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया कि "राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के कारण वामपंथी उग्रवाद (LWE) हिंसा तथा उसके भौगोलिक प्रभाव में उल्लेखनीय कमी आई है।
  - वर्ष 2010 से हिंसा और मौतों में 73% की कमी आई है, LWE से संबंधित हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या में भी कमी आई है।
  - नक्सलियों के पीछे हटने के बाद सरकार के लिये यह समय है कि वह उन्हें एकतरफा युद्धविराम की पेशकश करे, उन्हें बातचीत के लिये राजी करे, उनकी शिकायतों का समाधान करे और उन्हें सामाजिक मुख्यधारा में एकीकृत करने का प्रयास करे।
  - नक्सलवाद से निपटने की रणनीतियों में सुरक्षा उपाय, विकास परियोजनाएँ और कल्याणकारी पहल शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित घटनाओं में कमी आई है।
- **आसूचना और अन्वेषण अभिकरण: आसूचना ब्यूरो (IB)** और **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)** के पुनर्गठन की आवश्यकता है। आसूचना ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1887 में एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से की गई थी। **राजनीतिक लाभ हेतु आसूचना के दुरुपयोग की रोकथाम** करने के लिये इसे एक सांविधिक दर्जा दिये जाने का उचित समय है।
  - CBI की स्थापना वर्ष 1963 में एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी और **दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946** के अंतर्गत इसे जाँच करने की शक्ति प्रदान की गई है।
    - यह एक असंगत व्यवस्था है और संसदीय समिति की 24वीं रिपोर्ट में विधिक अधिदेश, बुनियादी ढाँचे तथा संसाधनों के संदर्भ में CBI को सुदृढ़ करने की अनुशंसा की गई थी।
- **राज्य पुलिस बलों में सुधार:** औपनिवेशिक युग के पुलिस मॉडल की सभी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिये और साथ समुदाय की ज़रूरतों के अनुरूप इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

नोट :

- लोगों के विश्वास और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये राज्य पुलिस की छवि को "**शासक की पुलिस**" से "**जनमानस की पुलिस**" में परिवर्तित की जानी चाहिये।
- संबद्ध विषय में विश्व में किये गए सुधारों से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से पुलिसिंग मानकों का आधुनिकीकरण और सुधार हो सकता है।

- **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल:** दस लाख से अधिक कर्मियों वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) को अनियोजित विस्तार, अव्यवस्थित तैनाती, अपर्याप्त प्रशिक्षण, अनुशासन मानकों का घटता स्तर, शीर्ष अधिकारी चयन हेतु अस्पष्ट मानदंड और **कैडर एवं अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के बीच संघर्ष** जैसी आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
  - सरकार को इन समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान के लिये एक उच्चस्तरीय आयोग की नियुक्ति करनी चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी: उन्नत प्रौद्योगिकी** के उपयोग से देश में पुलिस बल को मदद मिल सकती है। वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकी की सिफारिश करने के लिये एक उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करना महत्त्वपूर्ण है।
  - आंतरिक संसक्ति को सुव्यवस्थित कर और सुरक्षा मुद्दों को संबोधित कर, देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकता है।

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिये राज्य ने क्या उपाय किये हैं?

- **आतंकवाद निरोधक प्रयास:** 2008 के मुंबई हमलों के बाद, आतंकवाद-रोधी अभियानों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें **अनुच्छेद** 370 को समाप्त करना और जम्मू-कश्मीर में रणनीतिक अभियान शामिल हैं।
  - मुंबई हमलों के बाद से समुद्री सुरक्षा, खास तौर पर तटीय सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी को मजबूत करना, भारतीय तटरक्षक बल की क्षमताओं में सुधार करना तथा अंतरराज्यीय समन्वय को बढ़ाना इसमें शामिल है।
- **पूर्वोत्तर उग्रवाद प्रबंधन:** विकास और कूटनीति के संयोजन के माध्यम से सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को नियंत्रित करने के लिये काम किया है।
- **वामपंथी उग्रवाद से निपटना:** उन्नत रणनीति और समन्वय से नक्सलवाद और संबंधित गतिविधियों से निपटने में सुधार हुआ है।
  - CAPF को उग्रवाद से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिये सुसज्जित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
- **सीमा प्रबंधन:** सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने और विकास सहित **सीमा सुरक्षा** को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण संसाधनों का निवेश किया गया है।
  - न केवल सीमाओं को सुरक्षित करने के प्रयास किये जा रहे हैं, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और संपर्क को बेहतर बनाने के लिये भी प्रयास किये जा रहे हैं। विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी की आशंका वाली सीमाओं के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- **संस्थागत ढाँचे का समर्थन:** आंतरिक सुरक्षा से जुड़े संस्थानों, जैसे पुलिस बल और CAPF को बेहतर संसाधन, तकनीक और प्रशिक्षण दिया गया है। साइबर अपराध, महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों को रोकने और नए युग के अपराधों से निपटने सहित उभरते खतरों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
  - गृह मंत्रालय, 2023-24 के लिये लगभग 200,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ, आंतरिक सुरक्षा के लिये नोडल एजेंसी के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लगभग दस लाख CAPF कर्मियों की देखरेख करता है और राज्य पुलिस बलों के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों का समर्थन करता है।

आंतरिक सुरक्षा में शामिल प्रमुख अधिनियम और संस्थाएँ क्या हैं?

- **वैधानिक ढाँचा:** प्रमुख अधिनियमों में दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम (1973), गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम (UAPA) (1967), राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980), धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) (2002) और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से बनाए गए विभिन्न अन्य कानून शामिल हैं।
- **संस्थाएँ एवं एजेंसियाँ:**
  - **गृह मंत्रालय:** आंतरिक सुरक्षा के लिये जिम्मेदार केंद्रीय एजेंसी जिसके पास पर्याप्त बजट और अनेक विभाग हैं।
  - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA): राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत स्थापित। यह भारत में आंतकवाद और संबंधित अपराधों की जाँच करने वाली प्राथमिक संघीय एजेंसी है।
    - यह राज्य-पार संबंधों वाले आतंकवाद, अवैध तस्करी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों को संभालता है।
    - राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (संशोधन) अधिनियम 2019 ने मानव तस्करी, नकली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियार, विस्फोटक पदार्थ और साइबर आतंकवाद को शामिल करने के लिये इसके अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया।

- **आसूचना ब्यूरो:** इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी, **खुफिया ब्यूरो (Director of Intelligence Bureau - DIB)** का निदेशक आमतौर पर देश का सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक उसकी सीधी पहुँच होती है।
- **बहु-एजेंसी केंद्र (MAC):** गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा इसे सुरक्षा संबंधी जानकारी एकत्र करने और साझा करने के लिये 24X7 संचालित करने हेतु सशक्त बनाया गया है।
- **राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड:** NATGRID एक आईटी प्लेटफॉर्म है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आतंकवाद का मुकाबला करने में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता के लिए बनाया गया है।
  - यह आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की पूर्ति के लिये रेलवे, पुलिस, चोरी के वाहन, आव्रजन, एयरलाइंस, पासपोर्ट, वाहन स्वामित्व, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन डेटा आदि जैसे विभिन्न डेटाबेस को जोड़ता है।
- **आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (CFT) सेल:** गृह मंत्रालय का CFT प्रकोष्ठ आतंकवाद के वित्तपोषण और जाली भारतीय मुद्रा नोटों से निपटने संबंधी नीतिगत मामलों को संभालता है।
  - राज्यों ने आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिये विशेष बल, **आतंकवाद निरोधक दस्ते (Anti-Terrorism Squad - ATS)** का गठन किया है तथा राज्यों की सहायता के लिये विभिन्न स्थानों पर **केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)** और **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guards - NSG)** को भी तैनात किया गया है।

निष्कर्ष:

आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये, भारत को एकीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत अपनाना चाहिये, अपने सुरक्षा संस्थानों को सुव्यवस्थित करना चाहिये और उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना चाहिये। क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना और कानून प्रवर्तन को आधुनिक बनाना उभरते खतरों के लिये एक व्यापक तथा अनुकूल प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा। एक सुरक्षित और लचीले राष्ट्र के लिये बेहतर समन्वय तथा रणनीतिक योजना आवश्यक है।

> **दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:**
>
> **प्रश्न:** भारत के आंतरिक सुरक्षा ढाँचे की वर्तमान स्थिति का आकलन कीजिये। आंतरिक सुरक्षा के प्रभावी प्रबंधन के लिये किन प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये?

5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **रक्षा मंत्रालय (MoD)** ने रक्षा वस्तुओं से संबंधित **पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची (PIL)** अधिसूचित की है, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयात को कम करना तथा घरेलू रक्षा क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।

- हाल के घटनाक्रमों ने **भारत के लिये एक व्यापक आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार करने की आवश्यकता** को रेखांकित किया है। जैसे-जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ता है और इसकी अर्थव्यवस्था मज़बूत होती है, आंतरिक सामंजस्य सुनिश्चित करना तथा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना सर्वोपरि हो जाता है।

पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **उद्देश्य और दायरा:** पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में 346 वस्तुएँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में **आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना** और **रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (DPSU) द्वारा आयात पर निर्भरता** को कम करना है।
  - यह सुनिश्चित करता है कि ये वस्तुएँ विशेष रूप से भारतीय उद्योग से खरीदी जाएँ, जिसमें **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)** तथा स्टार्टअप शामिल हैं।
  - इन वस्तुओं में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट (LRU), सिस्टम, सब-सिस्टम, असेंबली, सब-असेंबली, स्पेयर, कंपोनेंट और कच्चा माल शामिल हैं।
- **कार्यान्वयन:** यह सूची **रक्षा मंत्रालय के सृजन पोर्टल** पर उपलब्ध है, जो DPSU और सेवा मुख्यालयों (SHQ) को **निजी उद्योगों के स्वदेशीकरण हेतु रक्षा संबंधी वस्तुएँ** प्रस्तावित करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
  - **हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL)** और अन्य जैसे DPSU ने रुचि की अभिव्यक्ति (Expressions of Interest- EoI) तथा निविदा या प्रस्ताव के लिये अनुरोध (RFP) जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
- **प्रभाव:** इन वस्तुओं के स्वदेशीकरण से **1,048 करोड़ रुपए के मूल्य का आयात प्रतिस्थापन** होने की उम्मीद है।
  - यह पहल **घरेलू रक्षा उद्योग को आश्वासन प्रदान करती** है, जिससे उन्हें आयात से प्रतिस्पर्द्धा के जोखिम के बिना रक्षा उत्पाद विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

नोट :

- **भविष्य के लक्ष्य:** रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य **वर्ष 2025 तक प्रत्येक वर्ष** सूची का विस्तार जारी रखना है, जिससे स्वदेशीकरण की जाने वाली वस्तुओं की संख्या में और वृद्धि होगी।
  - यह वृद्धिशील दृष्टिकोण रक्षा उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के दीर्घकालिक लक्ष्य का समर्थन करता है।

सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

- **परिचय:** सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची उन वस्तुओं की सूची है, जिन्हें भारतीय सशस्त्र बल केवल घरेलू निर्माताओं से ही खरीद सकते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र या DPSU शामिल हैं।
  - इस अवधारणा को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 में पेश किया गया था, जिसमें प्रमुख प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों, शस्त्र प्रणालियों, सेंसर और युद्ध सामग्री के लिये आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
  - इस सूची में भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण वस्तुओं की विविध श्रेणी शामिल हैं।
- **प्रगति:**
  - पहली सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अगस्त, 2020 में प्रख्यापित की गई थी, उसके पश्चात् निरंतर सूचियाँ जारी की गईं, जिसके परिणामस्वरूप कुल 4,666 वस्तुएँ हो गईं।
    - अब तक आयात प्रतिस्थापन मूल्य में 3,400 करोड़ रुपए मूल्य की 2,972 वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जा चुका है।
    - DPSU के लिये ये पाँच सूचियाँ सैन्य कार्य विभाग (DMA) द्वारा अधिसूचित 509 वस्तुओं की पाँच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों के अतिरिक्त हैं। **इन सूचियों में अत्यधिक जटिल प्रणालियाँ, सेंसर, हथियार और गोला-बारूद शामिल हैं।**
  - उद्योगों के स्वदेशीकरण के लिये 36,000 से अधिक रक्षा वस्तुओं की पेशकश की गई है, **जिनमें से 12,300 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण विगत तीन वर्षों में किया गया है। परिणामस्वरूप, DPSU ने घरेलू विक्रेताओं को 7,572 करोड़ रुपए** के ऑर्डर दिये हैं।

भारत में रक्षा के स्वदेशीकरण की क्या आवश्यकता है?

- **आयात निर्भरता:** अपने रक्षा-औद्योगिक आधार को मज़बूत करने के निरंतर प्रयासों के बावजूद, भारत विश्व का **सबसे बड़ा हथियार आयातक** रहा है।
  - वर्ष 2019 और वर्ष 2023 के बीच, देश की **कुल वैश्विक हथियार आयात में 9.8% हिस्सेदारी रही**, जो इसकी रक्षा खरीद में रणनीतिक भेद्यता को दर्शाती है।
- **सामरिक स्वायत्तता:** विदेशी हथियारों के आयात पर **भारी निर्भरता से भारत की सामरिक स्वायत्तता से** समझौता होता है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण द्वारा **भारत, बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ** महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित कर सकता है।
  - **भू-राजनीतिक तनाव के दौरान** विदेशी हथियारों पर निर्भरता, जोखिम उत्पन्न कर सकती है। स्वदेशी उत्पादन संकट के दौरान रक्षा उपकरणों की निर्बाध आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करके, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।
  - आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत के राजनीतिक लाभ को बढ़ावा मिलता है। यह **वैश्विक वार्ता और रक्षा सहयोग** में भारत की स्थिति को मज़बूत करता है।
- **आर्थिक लाभ:** स्वदेशीकरण रोज़गार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करके घरेलू अर्थव्यवस्था को समर्थन मिलता है।
  - यह विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करता है, जिससे आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलता है।
  - स्वदेशी उत्पादन लंबे समय में अधिक लागत प्रभावी हो सकता है। यह विदेशों से हथियार आयात करने से जुड़ी **खरीद लागत, रखरखाव और रसद चुनौतियों को कम कर सकता** है।
- **सतत् विकास:** स्वदेशीकरण यह सुनिश्चित करके कि **रक्षा उद्योग राष्ट्रीय हितों और पर्यावरणीय विचारों** के साथ सामंजस्य में विकसित हो,सतत् विकास को बढ़ावा देता है।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की स्थिति क्या है?

- **निर्यात में वृद्धि:** वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए (लगभग 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर) तक पहुँच गया, जो विगत वित्त वर्ष की तुलना में **32.5% की वृद्धि दर्शाता है।**
  - वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में विगत 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में 31 गुना वृद्धि हुई है।
  - इस वृद्धि में निजी क्षेत्र और DPSUs ने क्रमश: 60% तथा 40% का योगदान दिया है।
  - इस वृद्धि का श्रेय नीतिगत सुधारों, **'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' पहलों** और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए किये गए डिजिटल समाधानों को दिया जाता है।
- **उपलब्धियाँ:** भारतीय रक्षा क्षेत्र में कई उन्नत प्रणालियों का उत्पादन हुआ है, जिनमें 155 मिमी. आर्टिलरी गन 'धनुष',

नोट :

हल्का लड़ाकू विमान 'तेजस', आईएनएस विक्रांत: विमान वाहक तथा विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्म व उपकरण, विशेष रूप से **एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन (ATAG) हॉवित्ज़र** शामिल हैं।

- **आयात पर निर्भरता में कमी: पिछले चार वर्षों में** विदेशी रक्षा खरीद पर व्यय **46% से घटकर 36%** हो गया है, जो आयात पर निर्भरता कम करने में स्वदेशीकरण प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है।
- **घरेलू खरीद में हिस्सेदारी में वृद्धि:** कुल रक्षा खरीद में घरेलू खरीद की हिस्सेदारी वर्ष **2018-19 के 54% से बढ़कर चालू वर्ष में 68% हो गई है,** जिसमें **रक्षा बजट का 25% हिस्सा निजी उद्योग से खरीद के लिये** आवंटित किया गया है।
- **उत्पादन का मूल्य:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रक्षा कंपनियों द्वारा किये गए उत्पादन का मूल्य पिछले दो वर्षों में 79,071 करोड़ रुपए से बढ़कर 84,643 करोड़ रुपए हो गया है, जो इस क्षेत्र की क्षमता तथा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण से संबंधित पहल

- **रक्षा खरीद नीति (DPP), 2016:** DPP 2016 ने अधिग्रहण की "Buy-IDDM" (Indigenous Designed and Manufactured) विकसित श्रेणी की शुरुआत की है और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
  - यह नीतिगत बदलाव स्थानीय उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020:** इसका उद्देश्य रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में **आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना है। इसमें PIL, स्वदेशी खरीद को प्राथमिकता, MSMEs और छोटे शिपयार्ड के लिये आरक्षण, स्वदेशी सामग्री में वृद्धि तथा 'मेक इन इंडिया' पहल को** बढ़ावा देने के लिये नई श्रेणियों की शुरुआत जैसी विशेषताएँ शामिल हैं।
  - इसके अतिरिक्त, यह आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये आयातित पुर्जों के स्वदेशीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **औद्योगिक लाइसेंसिंग:** लाइसेंसिंग प्रक्रिया को विस्तारित वैधता के साथ सुव्यवस्थित किया गया है, जिससे रक्षा क्षेत्र में निवेश सरल हो गया है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** FDI नीति अब स्वचालित मार्ग के तहत 74% तक निवेश की अनुमति देती है, जिससे रक्षा विनिर्माण में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।
- **निर्माण प्रक्रिया:** रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) में **"Make" प्रक्रिया** रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है।
  - **यह मेक इन इंडिया पहल** का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें स्वदेशी क्षमताओं का निर्माण करने के लिये सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे:** निवेश आकर्षित करने और व्यापक रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये **उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु** में दो गलियारे स्थापित किये गए हैं। इन गलियारों में लगभग 6,089 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
- **नवीन एवं सहायक योजनाएँ:**
  - **मिशन डेफस्पेस (DefSpace):** रक्षा अनुप्रयोगों के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को उन्नत करने हेतु लॉन्च किया गया।
  - **रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX):** अप्रैल 2018 में शुरू की गई यह योजना स्टार्ट-अप, MSMEs और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करते हुए रक्षा क्षेत्र में नवाचार का समर्थन करती है। वर्ष 2022 में शुरू की गई 'iDEX प्राइम' फ्रेमवर्क' उच्च-स्तरीय समाधानों के लिये 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान करती है।
  - **सृजन पोर्टल:** स्वदेशीकरण को सुगम बनाने के लिये शुरू किये गए **सृजन (SRIJAN) पोर्टल पर** स्थानीय उत्पादन के लिये पहले से आयातित 19,509 वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है। अब तक 4,006 वस्तुओं ने भारतीय उद्योगों की रुचि आकर्षित की है।
- **अनुसंधान एवं विकास (R&D):** अनुसंधान एवं विकास बजट का 25% उद्योग-आधारित अनुसंधान एवं विकास के लिये आवंटित किया गया है, जो रक्षा क्षेत्र में तकनीकी उन्नति और नवाचार को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

पाँचवीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। जबकि स्वदेशीकरण के प्रयास रक्षा क्षमताओं और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिये तैयार हैं, क्षेत्रीय अस्थिरता तथा प्रणालीगत सुधार सहित आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना राष्ट्रीय सामंजस्य एवं स्थिरता बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है। जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इन तत्त्वों को एकीकृत करना उसकी वैश्विक स्थिति और आंतरिक लचीलेपन को मज़बूत करने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

नोट :

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों (PIL) की प्रारंभ से लेकर सामयिक प्रगति और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिये। इन सूचियों ने भारत की रक्षा खरीद रणनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है?

प्रश्न: भारत के आंतरिक सुरक्षा ढाँचे की वर्तमान स्थिति का आकलन कीजिये। आंतरिक सुरक्षा के प्रभावी प्रबंधन के लिये किन प्रमुख चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिये?

अफगानिस्तान में अफीम के भंडार पर चिंताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की नवीनतम रिपोर्ट में, अफीम की खेती पर तालिबान के प्रतिबंध के बावजूद **अफगानिस्तान में अफीम के विशाल भंडार** के संबंध में महत्त्वपूर्ण चिंताओं को उजागर किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- **अप्रैल 2022 में अफीम की खेती पर तालिबान के प्रतिबंध** के बावजूद, अफगानिस्तान में अफीम का पर्याप्त भंडार है।
  - इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि इन भंडारों के कारण, **प्रतिबंध के पूर्ण प्रभाव का आकलन करने में कई वर्ष लग** सकते हैं।
- ज़ब्ती के आँकड़ों के आधार पर मादक पदार्थों के निर्यात में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं होने के साथ, मादक पदार्थों का व्यापार बना हुआ है।
  - हक्कानी नेटवर्क सहित तालिबान के लोग और संबंधित व्यापारी मादक पदार्थों की तस्करी से लाभ कमा रहे हैं।
  - **तालिबान के प्रमुख लोग** विभिन्न मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों को नियंत्रित करते हैं।
- **मेथमफेटामाइन का उत्पादन** बढ़ने के साथ फेंटेनाइल की प्रमुख मात्रा को भी दर्ज किया गया है।
  - मेथमफेटामाइन उत्पादन के प्रमुख केंद्रों में फराह, हेरात और निमरोज शामिल हैं, जिनमें बहरामचा, दिशु ज़िले एवं हेलमंद प्रांत में सक्रिय प्रयोगशालाएँ हैं।

अफीम के भंडार और मादक पदार्थों की तस्करी के क्या निहितार्थ हैं?

- **तस्करी नेटवर्क:** भारत में अधिकांश मादक पदार्थ अफगानिस्तान से आते हैं, जहाँ पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) एजेंसी इन नेटवर्क को नियंत्रित करती है।
- **आतंकवाद का वित्तपोषण:** मादक पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे **भारत विरोधी आतंकवादी समूहों** को वित्तपोषित करने के लिये किया जा रहा है।
  - अफगानिस्तान से खरीदे गए मादक पदार्थों को बलूचिस्तान की गुप्त प्रयोगशालाओं में लेबल किया जाता है और फिर इनकी भारत में तस्करी की जाती है।
- **ज़ब्ती:** भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कंधार स्थित कार्टेल और मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के बीच प्रत्यक्ष संबंधों का पता लगाया है।
  - ज़ब्ती में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) द्वारा सितंबर 2021 में **मुंद्रा बंदरगाह** पर 3,000 किलोग्राम हेरोइन का पता लगाना शामिल है।
- **सरकारी प्रतिक्रिया:** केंद्रीय गृह मंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों से तस्करी नेटवर्क के प्रति कठोर रुख अपनाने का आग्रह किया है।
  - केंद्र सरकार मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये सभी बंदरगाहों और भूमि सीमा चौकियों पर **कंटेनर स्कैनर लगाने पर कार्य कर रही है।**

मादक पदार्थों/ड्रग्स के दुरुपयोग से निपटने की पहल:

- **वैश्विक पहल:**
  - सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स, 1961
  - साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन (1971)
  - नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (1988)।
    - **भारत ने तीनों पर हस्ताक्षर किये हैं और उसने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 को लागू किया है।**
  - **संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स प्रकाशित करता है।**
  - **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय:** इसकी स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी और वर्ष 2002 में इसका नाम **ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय** (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) रखा गया।
    - यह **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम** (UNDCP) और **वियना स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अपराध निवारण एवं आपराधिक न्याय प्रभाग** को मिलाकर **मादक पदार्थ नियंत्रण एवं अपराध निवारण कार्यालय** के रूप में कार्य करता है।

- **भारतीय पहल:**
    - नशा मुक्त भारत अभियान/ड्रग्स-फ्री इंडिया अभियान
    - मादक पदार्थों की मांग में कमी हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना
    - नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर
        - मादक पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कोष

अवैध ड्रग्स का प्रसिद्ध केंद्र

- गोल्डन ट्राइंगल **दक्षिण-पूर्व एशिया के एक क्षेत्र को संदर्भित करता है जो अवैध ड्रग्स** (विशेष रूप से अफीम के उत्पादन हेतु) के लिये जाना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ तीन देशों की सीमाएँ मिलती हैं: म्याँमार (पूर्व में बर्मा), लाओस और थाईलैंड।
- गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में **अफगानिस्तान और ईरान** शामिल हैं, जो इसे **पाकिस्तान से तस्करी किये जाने वाले** ड्रग्स हेतु एक प्राकृतिक पारगमन बिंदु बनाता है।

अफीम विनियमन और उपयोग

- **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985** तथा **स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियम, 1985** के अंतर्गत स्वापक आयुक्त **अफीम की कृषि एवं अफीम के उत्पादन** के अधीक्षण से संबंधित सभी कार्य करता है।
- अफीम की कृषि **केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है जो सरकार द्वारा अधिसूचित हों।**
    - वर्तमान में ये क्षेत्र **तीन राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश** तक सीमित हैं।
    - मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के साथ-साथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ ज़िलों में **कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का लगभग 80% हिस्सा इसके तहत शामिल है।**
- **अफीम के उपयोग:**
    - अफीम का **चिकित्सीय महत्त्व** अद्वितीय है और **चिकित्सा जगत में अपरिहार्य है।**
    - इसका उपयोग **होम्योपैथी और आयुर्वेद या** स्वदेशी दवाओं की यूनानी प्रणालियों में भी किया जाता है।
    - अफीम (जिसका उपयोग **'एनल्जेसिक' (Analgesics), एंटी-टूसिव (Anti-Tussive), एंटी स्पस्मोडिक (Anti spasmodic)** और खाद्य बीज-तेल के स्रोत के रूप में किया जाता है) एक औषधीय जड़ी बूटी भी है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: अफगानिस्तान से होने वाले अफीम व्यापार के भारत की सुरक्षा एवं सामाजिक-आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये। इन चुनौतियों से निपटने के लिये भारत द्वारा किये जा सकने वाले उपायों पर प्रकाश डालिये।

महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने **शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की बढ़ती उपस्थिति को संबोधित करने** के उद्देश्य से एक व्यापक नया कानून, **महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा (Maharashtra Special Public Security- MSPS) विधेयक, 2024 प्रस्तावित किया है।**

- **यह विधेयक अपने व्यापक एवं सख्त प्रावधानों** के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है।

नोट

- **भारत में नक्सलवाद की स्थिति:** वर्ष 2018 से 2023 की अवधि के दौरान **वामपंथी उग्रवाद से संबंधित 3,544 घटनाएँ घटित हुईं जिनमें 949 लोगों की मृत्यु हुई।**
- **शहरी नक्सलवाद: 'शहरी नक्सल' या 'अर्बन नक्सल'** शब्द **माओवादी रणनीति** पर आधारित है, जिसके तहत वे **नेतृत्व,** जनता को संगठित करने और कार्मिक तथा बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराने जैसे सैन्य कार्यों के लिये शहरी क्षेत्रों की ओर अग्रसर होते हैं।
    - यह रणनीति **CPI (माओवादी) के "शहरी परिप्रेक्ष्य" नामक डॉक्यूमेंट पर आधारित है,** जिसमें बताया गया है कि इस रणनीति का ध्यान मज़दूर वर्ग को संगठित करने पर होना चाहिये, जो "हमारी क्रांति का नेतृत्व" है।
- यद्यपि, **शहरी नक्सल या अर्बन नक्सल** शब्द की **कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है।**

महाराष्ट्र विशेष लोक सुरक्षा विधेयक, 2024 के प्रावधान क्या हैं?

- **पृष्ठभूमि:**
    - सरकार का कहना है कि **नक्सलवाद,** जो परंपरागत रूप से दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, अब **उन अग्रणी संगठनों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है** जो सशस्त्र नक्सली कैडरों के लिये **रसद (लॉजिस्टिक्स) और सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हैं।**

- **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम (UAPA)** और **महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA-मकोका)** सहित मौजूदा कानून इस उभरते खतरे से निपटने के लिये अपर्याप्त प्रतीत होते हैं।
- MSPS विधेयक छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के **समान कानूनों के आधार पर तैयार किया गया है, जिन्होंने नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये लोक सुरक्षा अधिनियम लागू किये हैं।**

- **विधेयक के प्रमुख प्रावधान:**
  - सरकार किसी भी संगठन को उसकी गतिविधियों के आधार पर **विधिविरुद्ध (unlawful) घोषित कर सकती है।**
  - विधेयक में **विधिविरुद्ध संगठनों से संबंधित चार मुख्य अपराधों की रूपरेखा दी गई है:** सदस्य बनना, धन जुटाना, प्रबंधन करना और विधिविरुद्ध गतिविधियों में सहायता करना।
    - दंड के रूप में 2-7 वर्ष के लिये कारावास तथा 2-5 लाख रुपए के बीच जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - विधेयक के अंतर्गत अपराध **संज्ञेय** (cognisable)- जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति होती है तथा **गैर-ज़मानती (non-bailable) होते हैं।**
  - विधेयक जिला मजिस्ट्रेटों या पुलिस आयुक्तों को आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने की **अनुमति देकर, उच्च प्राधिकारियों से अनुमोदन की आवश्यकता को नज़रअंदाज़ करते हुए, त्वरित अभियोजन को सक्षम बनाता है।**

- **UAPA से तुलना:**
  - जहाँ UAPA विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को भी लक्षित करता है वहीं MSPS विधेयक **"विधिविरुद्ध क्रियाकलाप" की परिभाषा का विस्तार** करता है ताकि उन कृत्यों को शामिल किया जा सके जो लोक व्यवस्था एवं कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं तथा जनता के बीच भय पैदा करते हैं।
  - UAPA की परिभाषाओं को वर्षों से न्यायिक व्याख्या द्वारा परिष्कृत किया गया है, जबकि **MSPS विधेयक की परिभाषाएँ स्पष्ट रूप से व्यापक** हैं।
  - इसके अलावा, **MSPS विधेयक अभियोजन प्रक्रिया को सरल बनाता** है, जिसके बारे में सरकार का तर्क है कि **इससे देरी कम होगी और प्रवर्तन में सुधार** होगा।

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम

- **विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को** व्यक्तियों और संगठनों के कुछ विधिविरुद्ध क्रिया-कलापों के अधिक प्रभावी **रोकथाम**, आतंकवादी गतिविधियों तथा उनसे संबंधित मामलों से निपटने के लिये अधिनियमित किया गया था।
  - विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को **भारत के किसी भी हिस्से के हस्तांतरण** या अलगाव का समर्थन करने अथवा उसे उकसाने वाली कार्रवाइयों या इसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर प्रश्न-चिह्न लगाने या उसका अनादर करने वाली कार्रवाइयों के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA)** को UAPA द्वारा देश भर में मामलों का अन्वेषण करने तथा मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है।
- इसमें कई संशोधन किये गए (वर्ष 2004, 2008, 2012 और 2019 में) जिसमें आतंकवादी वित्तपोषण, **साइबर आतंकवाद**, किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने तथा संपत्ति की ज़ब्ती से संबंधित प्रावधानों का विस्तार किया गया।
- **प्रमुख प्रावधान:**
  - वर्ष 2004 तक, **"विधिविरुद्ध" क्रिया-कलापों का तात्पर्य अलगाव और क्षेत्र के अधिग्रहण से संबंधित कार्यों से था।** वर्ष 2004 के संशोधन के बाद, "आतंकवादी कृत्य" को भी अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया।
    - वर्ष 2019 का संशोधन **सरकार को** व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार देता है।
  - यह अधिनियम **केंद्र सरकार को** किसी भी क्रिया-कलाप को विधिविरुद्ध घोषित करने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। यदि सरकार किसी गतिविधि/क्रिया-कलाप को विधिविरुद्ध या गैरकानूनी मानती है, तो वह आधिकारिक राज-पत्र (Official Gazette) में एक नोटिस प्रकाशित करके **इसे आधिकारिक तौर पर विधिविरुद्ध घोषित कर सकती है।**
  - UAPA के तहत, **अन्वेषण अभिकरण गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप-पत्र दायर कर सकता है** तथा न्यायालय को सूचित करने के बाद इस अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
  - भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर आरोप लगाया जा सकता है। यह **अपराधियों पर** एक ही तरह से लागू होगा, भले ही अपराध भारत से बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।
  - इसमें **उच्चतम सज़ा के रूप में मृत्युदंड** और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
- **संबंधित निर्णय:**
  - **अरूप भुयान बनाम असम राज्य, 2011** में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता मात्र से किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं माना**

जाएगा। ऐसा तब किया जा सकता है जब कोई व्यक्ति हिंसा का सहारा लेता है या लोगों को हिंसा के लिये उकसाता है या अव्यवस्था उत्पन्न करने के इरादे से कोई कार्य करता है।

- हालाँकि वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **ऐसे संगठनों में केवल सदस्यता को ही अपराध माना जा सकता है, भले ही प्रत्यक्ष हिंसा न हुई हो।**

- **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ, 2004** में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि आतंकवाद का मुकाबला करने में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो यह आत्म-पराजय होगी।
  - न्यायालय ने माना कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना अच्छा विकल्प नहीं है क्योंकि उनका अनुभव मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन के बजाय अपराधों की जाँच से अधिक संबंधित है।
- **मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ**, 2018 में न्यायालय ने कहा कि सरकारी और संसदीय कार्यों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन वैध हैं, हालाँकि ऐसे विरोध प्रदर्शन तथा सभाएँ शांतिपूर्ण एवं अहिंसक होनी चाहिये।

नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की पहल

- **वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015**
- **समाधान**
- **आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम**
- **सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना:** सुरक्षा संबंधी व्यय के लिये 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में योजना लागू की गई।
  - यह **सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और परिचालन संबंधी ज़रूरतों,** वामपंथी उग्रवाद हिंसा में मारे गए/घायल हुए नागरिकों/सुरक्षा बलों के परिवारों को अनुग्रह राशि भुगतान, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादियों के पुनर्वास, सामुदायिक पुलिसिंग, ग्राम रक्षा समितियों और प्रचार सामग्री से संबंधित है।
- **अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित ज़िलों के लिये विशेष केंद्रीय सहायता (SCA):** इसका उद्देश्य सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं में महत्त्वपूर्ण अंतराल को भरना है, जो आकस्मिक प्रकृति के हैं।
- **किलेबंद पुलिस स्टेशनों की योजना:** इस योजना के तहत, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 604 किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया गया है।
- **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिये सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWE):** इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में सड़क संपर्क में सुधार करना है।

विधेयक की आलोचनाएँ और निहितार्थ क्या हैं?

- **आलोचना:**
  - **अस्पष्टता और अतिशयता:** आलोचकों का तर्क है कि विधेयक की परिभाषाएँ बहुत अस्पष्ट तथा व्यापक हैं, जिससे दुरुपयोग हो सकता है। **"सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरा"** और **"अवज्ञा को प्रोत्साहित करना"** जैसे शब्दों को व्यक्तिपरक तथा स्पष्टीकरण के लिये खुला माना जाता है।
  - **नागरिक स्वतंत्रता को खतरा:** ऐसी चिंताएँ हैं कि इस **विधेयक का इस्तेमाल असहमति को दबाने तथा नक्सलवाद से लड़ने की आड़ में कार्यकर्त्ताओं,** पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिये किया जा सकता है।
  - **न्यायिक निगरानी:** UAPA के विपरीत, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व वाले **न्यायाधिकरण द्वारा गैरकानूनी संगठन घोषणाओं की पुष्टि की आवश्यकता** होती है, MSPS विधेयक पूर्व न्यायाधीशों या पात्र व्यक्तियों के एक सलाहकार बोर्ड को यह कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे पर्याप्त न्यायिक निगरानी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
  - **दुरुपयोग की संभावना: उचित नोटिस या सुनवाई के बिना संपत्ति ज़ब्त करने और बेदखल करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों** का दुरुपयोग होने की संभावना है। गैर-कानूनी संगठनों की सहायता करने के लिये गैर-सदस्यों को दंडित करने की विधेयक की शक्ति भी अतिक्रमण के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।
- **कानूनी और सामाजिक निहितार्थ:**
  - **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव:** गैर-कानूनी गतिविधियों की व्यापक परिभाषा वैध विरोध प्रदर्शन, सरकार की आलोचना और खोजी पत्रकारिता को आपराधिक बना सकती है।
  - **न्यायिक पूर्ववृत्त:** न्यायालयों ने **कठोर कानूनों को संकीर्ण रूप से परिभाषित करने** और उनकी सख्ती से स्पष्टीकरण

करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। MSPS विधेयक की व्यापक परिभाषाएँ स्थापित न्यायिक सिद्धांतों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकती हैं।

- **नागरिक समाज की भूमिका:** इस विधेयक में **नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने** की क्षमता है, जिससे मानवाधिकार संगठनों की सक्रियता तथा विरोध बढ़ सकता है, जिससे लोकतांत्रिक समाजों में सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच नाज़ुक संतुलन पर प्रकाश डाला जा सकता है।

निष्कर्ष

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, 2024, नक्सलवाद से निपटने के लिये राज्य के दृष्टिकोण में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि **सरकार शहरी नक्सलवाद के उभरते खतरे से निपटने हेतु** विधेयक को एक आवश्यक उपकरण के रूप में उचित ठहराती है, व्यापक और सख्त प्रावधान नागरिक स्वतंत्रता तथा संभावित दुरुपयोग के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करती हैं। **सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की रक्षा के बीच संतुलन विधेयक के भावी व महाराष्ट्र के कानूनी और सामाजिक ताने-बाने** पर इसके प्रभाव को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण होगा।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: भारत में नक्सली विद्रोह से निपटने में सरकारी नीतियों और उपायों की प्रभावशीलता पर चर्चा कीजिये। इन उपायों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

■■■

भारतीय इतिहास

कारगिल विजय दिवस

चर्चा में क्यों?

कारगिल युद्ध (वर्ष 1999) में देश के लिये सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों के शौर्य, पराक्रम व बहादुरी के सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को **कारगिल विजय दिवस** मनाया जाता है।

- यह स्मृति दिवस भारत और पाकिस्तान के बीच मई 1999 में शुरू हुए कारगिल युद्ध के समापन का प्रतीक है।

कारगिल विजय दिवस क्या है?

- **परिचय:** कारगिल विजय दिवस या कारगिल विक्ट्री डे, भारत में **प्रतिवर्ष 26 जुलाई** को मनाया जाने वाला एक महत्त्वपूर्ण दिन है।
  - यह दिन वर्ष 1999 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में **भारत की विजय/जीत का स्मरण** कराता है और युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी एवं बलिदान का सम्मान करता है।
  - वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध परमाणु संपन्न दक्षिण एशिया में पहला सैन्य संघर्ष/युद्ध था जो यकीनन **दो परमाणु संपन्न देशों** के बीच **पहला वास्तविक युद्ध** था।
- **पृष्ठभूमि:**
  - भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षों का इतिहास रहा है, जिसमें वर्ष 1971 का एक महत्त्वपूर्ण संघर्ष भी शामिल है, जिसके कारण **बांग्लादेश का गठन** हुआ।
  - वर्ष 1971 के बाद, दोनों देशों ने विशेष रूप से निकटवर्ती पर्वत श्रृंखलाओं पर सैन्य चौकियों के माध्यम से **सियाचिन ग्लेशियर** पर नियंत्रण की होड़ में निरंतर तनाव का सामना किया।
  - वर्ष 1998 में, दोनों देशों ने **परमाणु परीक्षण** किये जिससे तनाव बढ़ गया। फरवरी 1999 में **लाहौर घोषणा** का उद्देश्य **कश्मीर संघर्ष** को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय रूप से हल करना था।
  - वर्ष 1998-1999 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने **कारगिल, लद्दाख के द्रास व बटालिक सेक्टर में NH 1A पर** स्थित किलेबंद ठिकानों पर कब्ज़ा करने के लिये **नियंत्रण रेखा (LOC)** के पार **गुप्त रूप से सैनिकों को प्रशिक्षित और तैनात** किया।
  - भारतीय सैनिकों ने पहले तो इसे **घुसपैठियों को आतंकवादी या 'जिहादी' समझा,** लेकिन जल्द ही **स्पष्ट हो गया कि यह हमला एक सुनियोजित सैन्य अभियान था।**
  - यह युद्ध वर्ष 1999 की गर्मियों में कारगिल सेक्टर में **मश्कोह घाटी से लेकर तुरतुक तक** फैली 170 किलोमीटर लंबी पर्वतीय सीमा पर लड़ा गया था।
  - इसके प्रत्युत्तर में, **भारत** ने **ऑपरेशन विजय** की शुरुआत की, जिसमें घुसपैठ का मुकाबला करने के लिये 200,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया।

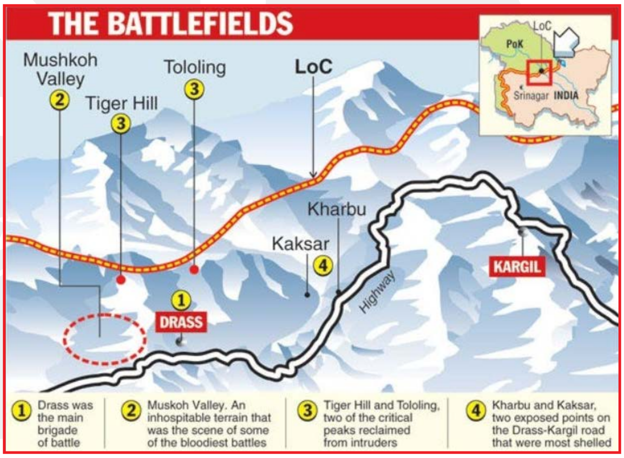

- **कारगिल युद्ध दिवस का महत्त्व:**
  - वर्ष 1999 में युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए भारतीय **सैनिकों की स्मृति में** उनका **सम्मान करने के लिये** 26 जुलाई को **कारगिल विजय दिवस** के रूप में मनाया जाता है।
  - वर्ष 2000 में द्रास में **कारगिल युद्ध स्मारक** की स्थापना भारतीय सेना द्वारा **वर्ष 1999 में ऑपरेशन विजय की सफलता** की याद में बनाया गया था।
    - बाद में वर्ष 2014 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। **जम्मू और कश्मीर के कारगिल ज़िले के द्रास शहर में स्थित होने के कारण** इसे **"द्रास युद्ध स्मारक"** के रूप में भी जाना जाता है।

नोट :

- **राष्ट्रीय युद्ध स्मारक** का उद्घाटन वर्ष 2019 में किया गया। यह उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने **वर्ष 1962 में चीन-भारत युद्ध, वर्ष 1947, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध, श्रीलंका में वर्ष 1987-90 में भारतीय शांति सेना के ऑपरेशन** और **वर्ष 1999 में कारगिल संघर्ष** सहित विभिन्न संघर्षों व मिशनों में अपने प्राणों की आहुति दी।

- **कारगिल युद्ध का प्रभाव:**
  - **नियंत्रण रेखा (LoC) की वैश्विक मान्यता:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नियंत्रण रेखा को भारत तथा पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता दी है, जिससे जम्मू और कश्मीर की क्षेत्रीय अखंडता पर भारत के रुख को बल मिला है।
  - **मज़बूत रणनीतिक साझेदारी:** कारगिल ने भारत-अमेरिका संबंधों में भी महत्त्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व किया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक ज़िम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता दी गई, जिससे रणनीतिक साझेदारी के अगले चरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिसकी परिणति भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के रूप में हुई।
  - **कूटनीतिक लाभ:** युद्ध ने **पाकिस्तान पर काफी कूटनीतिक दबाव डाला,** जिसकी परिणति 4 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ की संयुक्त राज्य अमेरिका की उच्चस्तरीय यात्रा के रूप में हुई, जिसके दौरान उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से **कड़ी आलोचना** का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की कार्रवाइयों की इस अंतर्राष्ट्रीय निंदा ने उसे **कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने** में सहायता की।
  - **परमाणु कूटनीति पर प्रकाश डालना:** इस संघर्ष ने भारत और पाकिस्तान के बीच अस्थिर संबंधों की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, विशेषकर **परमाणु जोखिमों** के संबंध में। युद्ध ने **परमाणु-सशस्त्र क्षेत्र में संघर्ष के बढ़ने की संभावना** को रेखांकित किया।
  - **वैश्विक धारणा पर प्रभाव:** इस युद्ध ने भारत की सैन्य क्षमताओं और क्षेत्रीय संघर्षों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने तथा उनका जवाब देने की उसकी क्षमता को उजागर किया, जिससे मज़बूत रक्षा क्षमताओं के साथ एक **उभरती हुई शक्ति** के रूप में उसकी **वैश्विक छवि** मज़बूत हुई।

कारगिल युद्ध से जुड़े ऑपरेशन

- **ऑपरेशन विजय:** ऑपरेशन विजय कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठ के लिये भारत की सैन्य प्रतिक्रिया का कोड नाम था।
  - इस ऑपरेशन का उद्देश्य **नियंत्रण रेखा (LOC)** के भारतीय हिस्से से घुसपैठियों को हटाना और व्यवस्था तैनात करना था।
- **ऑपरेशन सफेद सागर:** भारतीय वायुसेना ने ज़मीनी अभियानों को समर्थन देने के लिये **"ऑपरेशन सफेद सागर"** चलाया। **उच्च तुंगता वाले अभियानों** में MiG-21s, MiG-23s, MiG-27s, मिराज 2000 और जगुआर जैसे विमानों का इस्तेमाल किया गया।
- **ऑपरेशन तलवार:** भारतीय नौसेना के **"ऑपरेशन तलवार"** ने **समुद्री सुरक्षा** और **प्रतिरोध** सुनिश्चित किया। नौसेना की तत्परता ने पाकिस्तान को आगामी आक्रामकता के संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में एक कड़ा संदेश दिया।

कारगिल युद्ध के बाद क्या सुधार किये गए?

- **सुरक्षा क्षेत्र में सुधार:** कारगिल युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा ढाँचे की समीक्षा को प्रेरित किया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और **के. सुब्रह्मण्यम** के नेतृत्व में **कारगिल समीक्षा समिति (KRC)** की स्थापना हुई। KRC रिपोर्ट ने खुफिया, सीमा और रक्षा प्रबंधन में कमियों को उजागर किया, जिससे सुरक्षा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सुधार तथा संस्थागत परिवर्तन हुए।
- **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का गठन:** इसका गठन **सेना, नौसेना और वायु सेना** के बीच **"संयुक्तता"** को बढ़ावा देने के लिये किया गया था।
  - CDS सरकार के **एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार** के रूप में कार्य करता है और तीनों सेवाओं के **एकीकरण** की देखरेख करता है।
- **त्रि-सेवा कमानों की स्थापना: अंडमान और निकोबार कमान** को **भविष्य के थिएटर कमांडों** के लिये एक परीक्षण स्थल के रूप में बनाया गया था, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के संसाधनों को एकीकृत किया गया था।
- **खुफिया सुधार:** तकनीकी खुफिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिये **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)** की स्थापना की गई।
  - **रक्षा खुफिया एजेंसी (DIA)** का गठन तीनों सेवाओं में खुफिया **जानकारी के समन्वय** हेतु किया गया था।
  - **तकनीकी समन्वय समूह** का गठन **उच्च तकनीक खुफिया** अधिग्रहण की निगरानी हेतु किया गया था।
  - **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)** को सभी खुफिया एजेंसियों का **समन्वयक** नियुक्त किया गया, जो NTRO की निगरानी करेंगे और बेहतर खुफिया एकीकरण सुनिश्चित करेंगे।

- **सीमा प्रबंधन में सुधार:** घुसपैठ को रोकने के लिये सीमा पर बेहतर **निगरानी और गश्त**। सीमा सुरक्षा हेतु बेहतर तकनीक की तैनाती। उदाहरण के लिये, **थर्मल इमेजिंग कैमरे, मोशन सेंसर और रडार सिस्टम** की स्थापना।
- **परिचालन सुधार:** हथियार प्रणालियों, तोपखाने और संचार उपकरणों का **आधुनिकीकरण** किया गया। **उच्च तुंगता पर होने वाले युद्ध** और संयुक्त अभियानों के लिये विशेष प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिये, **धनुष आर्टिलरी गन, आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल** आदि।
- बेहतर समन्वय और संचार: बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिये सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच संयुक्त अभ्यास तथा संचालन पर ज़ोर दिया गया। विभिन्न एजेंसियों और सैन्य शाखाओं के बीच खुफिया जानकारी के वास्तविक समय के आदान-प्रदान के लिये उन्नत तंत्र स्थापित किए गए।
- **आतंकवाद विरोधी उपाय:** इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) प्रमुख आतंकवाद विरोधी एजेंसी बन गई। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच **आतंकवाद विरोधी क्षमताओं** और समन्वय को मज़बूत किया गया।
- **स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम:** अमेरिकी सरकार द्वारा बनाए गए **अंतरिक्ष-आधारित नेविगेशन सिस्टम** से महत्त्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी, लेकिन अमेरिका ने भारत को इससे वंचित कर दिया। स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता पहले से ही महसूस की जा रही थी, लेकिन कारगिल के अनुभव ने देश को इसकी अनिवार्यता का एहसास कराया। उदाहरण के लिये, **भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS)** का विकास।
- **सैद्धांतिक परिवर्तन:** युद्ध ने भारतीय सैन्य सिद्धांतों के विकास को उत्पन्न कर दिया, जिसमें **कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत** भी शामिल है। कारगिल ने बहुआयामी छद्म युद्धों को कम करने और भविष्य की सैन्य रणनीतियों को आकार देने के लिये एक समग्र सिद्धांत की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

निष्कर्ष

वर्ष 1999 का कारगिल युद्ध भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, जिसने इसकी सैन्य रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। ऑपरेशन विजय की सफलता ने रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण बहाल किया और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया। युद्ध ने मज़बूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को उजागर किया और राष्ट्रीय सुरक्षा बुनियादी ढाँचे में बड़े सुधारों को प्रेरित किया। इसने नियंत्रण रेखा (LoC) को एक प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में फिर से स्थापित किया और कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत जैसे नए सैन्य सिद्धांतों के विकास को गति दी। संघर्ष की विरासत भारत की रक्षा रणनीतियों और कूटनीतिक संबंधों को आकार देना जारी रखती है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध ने दक्षिण एशियाई क्षेत्र की क्षेत्रीय गतिशीलता पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला। चर्चा कीजिये।

■■■

भूगोल

भारत का डीप ड्रिल मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने महाराष्ट्र के कराड में **बोरहोल जियोफिज़िक्स रिसर्च लेबोरेटरी (Borehole Geophysics Research Laboratory- BGRL)** नामक एक विशेष संस्थान की मदद से पृथ्वी की भू-पर्पटी की 6 किलोमीटर गहराई तक **वैज्ञानिक ड्रिलिंग** का कार्य शुरू किया है।

- इसके द्वारा पहले ही 3 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई।

कोयना भारत के डीप ड्रिलिंग मिशन के लिये क्यों उपयुक्त है?

- **भूकंपीय उत्प्रेरकता (Triggered Seismicity):** प्लेट विवर्तनिक (tectonic plate) सीमाओं पर होने वाले अधिकांश भूकंपों के विपरीत, **कोयना में वर्ष 1962 में कोयना बाँध के निर्माण के बाद कई भूकंप आए।** यह घटना, जहाँ मानवीय गतिविधि (जलाशय को भरने) के कारण भूकंप आते हैं, उसे **जलाशय-प्रेरित भूकंपीयता (Reservoir-Induced Seismicity - RIS)** कहा जाता है।
    - वैज्ञानिकों का लक्ष्य **गहरी ड्रिलिंग के माध्यम से इन भूकंपों के स्रोत पर पृथ्वी की संरचना** और दबाव का प्रत्यक्ष अध्ययन करना है।
- **सक्रिय भ्रंश क्षेत्र:** कोयना-वार्ना क्षेत्र **भूगर्भीय भ्रंश रेखा** पर स्थित है, जिसके कारण यह स्वाभाविक रूप से **भूकंप के प्रति संवेदनशील** है।
- हालाँकि यहाँ होने वाली घटनाएँ प्लेट सीमाओं पर होने वाली घटनाओं से भिन्न हैं।
- **पृथक गतिविधि:** कोयना बाँध के 50 किलोमीटर के दायरे में भूकंपीय गतिविधि का कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत नहीं है। यह अलगाव कोयना को केंद्रित अनुसंधान के लिये एक आदर्श स्थान बनाता है।

साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग क्या है?

- **परिचय:**
    - साइंटिफिक डीप **ड्रिलिंग से तात्पर्य है कि पृथ्वी की संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिये** पृथ्वी की भू-पर्पटी में डीप ड्रिलिंग करना शामिल है।
    - यह शोध भू-वैज्ञानिक **संरचनाओं**, प्राकृतिक संसाधनों और पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।
    - डीप ड्रिलिंग परियोजनाओं का उद्देश्य अक्सर **विवर्तनिक, भूकंप तंत्र और भूतापीय ऊर्जा क्षमता के बारे में** हमारी समझ को आगे बढ़ाना होता है।
- **तकनीक और विधियाँ:**
    - **रोटरी ड्रिलिंग:** इस विधि में चट्टानों को काटने के लिये एक घूमने वाली ड्रिल बिट का उपयोग किया जाता है। ड्रिल बिट को एक ड्रिल स्ट्रिंग से जोड़ा जाता है, जिसे एक रिग द्वारा घुमाया जाता है। बिट को ठंडा करने और चट्टानों को सतह पर ले जाने के लिये ड्रिलिंग मिट्टी को प्रसारित किया जाता है।
    - **पर्कशन ड्रिलिंग (एयर हैमरिंग):** यह हथौड़े को चलाने के लिये उच्च वायुदाब का उपयोग करता है जो ड्रिल बिट पर तेज़ी से प्रहार करता है, कुशलतापूर्वक चट्टान को तोड़ता है और कटिंग को बाहर निकालता है। **यह खनिज अन्वेषण, पानी के कुओं और भूतापीय ऊर्जा जैसे कठोर चट्टान अनुप्रयोगों के लिये लागत प्रभावी तथा बहुमुखी है,** हालाँकि यह तेज आवाज़ करने और उथली गहराई के लिये सबसे उपयुक्त है।
        - कोयना ड्रिलिंग तकनीक में **मड रोटरी ड्रिलिंग** और पर्क्यूशन ड्रिलिंग (एयर हैमरिंग) का संयोजन किया जाता है।
    - **हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग (फ्रैकिंग):** फ्रैकिंग, जिसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक तकनीक है जिसका उपयोग कभी-कभी **चट्टानों को विभाजित करने के लिये** किया जाता है जिसका उद्देश्य नमूने के लिये **द्रव प्रवाह में सुधार करना** या **संसाधन निष्कर्षण** के दौरान बेहतर परिणाम पाना होता है।
    - **भू-भौतिकीय सर्वेक्षण:** इसमें भूमिगत संरचनाओं का मानचित्रण करने तथा ड्रिलिंग कार्यों से पहले और उसके दौरान ड्रिलिंग लक्ष्यों की पहचान करने के लिये भूकंपीय, चुंबकीय एवं गुरुत्वाकर्षण विधियों का उपयोग किया जाता है।

पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने की अन्य विधियाँ क्या हैं?

- पृथ्वी की **आंतरिक संरचना का अध्ययन प्रत्यक्ष विधियों** जैसे ड्रिलिंग और गहरे बोरहोल के माध्यम से शैल का नमूना प्राप्त

करने तथा **अप्रत्यक्ष विधियों** जैसे भूकंपीय तरंग विश्लेषण, गुरुत्वाकर्षण माप एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करके किया जाता है।

- **भूकंपीय तरंगें:** भूकंप से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।
    - भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर परिवहित होती हैं और उनकी **अपवर्तन (Refraction)** और **परावर्तन (Reflection)** जैसी गतिविधियाँ वैज्ञानिकों को विभिन्न परतों की संरचना और इनके गुणों का अनुमान लगाने में मदद करती हैं।
- **गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्र माप:** पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन आंतरिक घनत्व तथा इसकी संरचना में परिवर्तन का संकेत देती हैं। ये माप पृथ्वी के क्रोड, मेंटल और क्रस्ट के बीच की सीमाओं की पहचान करने में मदद करते हैं।
- **ऊष्मा के प्रवाह का माप:** पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलने वाली ऊष्मा **विभिन्न परतों के ताप और ऊष्मीय गुणधर्मों के बारे में जानकारी** प्रदान करती है। यह जानकारी पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं और गतिशीलता को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **उल्कापिंड की संरचना:** उल्कापिंडों का अध्ययन, जिन्हें **प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष** माना जाता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना और निर्माण के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

विश्व की अन्य डीप ड्रिलिंग परियोजनाएँ

- **अमेरिका का प्रोजेक्ट मोहोल:** 1960 के दशक में अमेरिका ने पृथ्वी की पर्पटी और मेंटल के बीच की सीमा से नमूने प्राप्त करने के लिये दुनिया का सबसे गहरा प्रवेधन (Drill) करने का प्रयास किया, जिसे **मोहो डिसकंटिन्यूटी** के नाम से जाना जाता है।
    - इसे वर्ष 1966 में रोक दिया गया लेकिन इसने ग्रह के संबंध में नवीन भू-वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिये गहरे समुद्र में प्रवेधन करने की क्षमता को प्रदर्शित किया।
- **कोला सुपरडीप बोरहोल:** यह रूस में **मानव द्वारा किया गया विश्व का सबसे गहरा रंध्र** (Hole) है, जिसे 1970 के दशक में शुरू किया गया था जिसकी गहराई **12,262 मीटर** थी।
    - इस दौरान **"कॉनराड डिसकंटिन्यूटी" के लोप, अत्यंत गहराई पर तरल पदार्थ की मौजूदगी** और 2 अरब वर्ष प्राचीन सूक्ष्म जीवाश्मों जैसी अप्रत्याशित खोज हुई।
    - इसे वर्ष 1992 में रोक दिया गया और वर्ष 2005 में रंध्र को सील कर दिया गया।
- **चीन की डीप होल परियोजना:** चीन पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे नई सीमाओं का पता लगाने के लिये **शिंजियांग** में **10,000 मीटर गहरा प्रवेधन** कर रहा है।
    - इसका उद्देश्य 10 से अधिक महाद्वीपीय परतों में प्रवेश करना और 145 मिलियन वर्ष प्राचीन **क्रेटेशियस सिस्टम** तक पहुँच सुनिश्चित करना है।
- **डीप सी ड्रिलिंग प्रोजेक्ट (DSDP):** इसकी शुरुआत **वर्ष 1966** में हुई थी, जिसमें विभिन्न महासागरों में **ड्रिलिंग और कोरिंग** शामिल थी, जिससे महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज हुईं, जिसमें **नमक के गुंबदों की पहचान तथा तेल की खोज के लिये उनकी क्षमता** शामिल थी। इसे वर्ष 1972 में समाप्त कर दिया गया था।
- **एकीकृत महासागर ड्रिलिंग परियोजना (IODP):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो समुद्री अनुसंधान प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके **समुद्र तल के नमूनों के माध्यम से पृथ्वी के इतिहास और प्रक्रियाओं** का अध्ययन करती है।
    - इसके **लक्ष्यों में पृथ्वी की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं को समझना, गहन जीवमंडल की खोज करना,** जलवायु इतिहास का अध्ययन करना तथा **भूपर्पटी और मेंटल की जाँच करना** शामिल है।
    - IODP वैश्विक अभियानों के लिये जापान, अमेरिका और अन्य साझेदारों के अनुसंधान जहाज़ों को नियुक्त करता है, जिससे ग्रह संबंधी ज्ञान में वृद्धि होती है।

कोयना में डीप ड्रिलिंग मिशन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **क्षेत्र का गंभीर तनाव:** कोयना क्षेत्र अत्यधिक तनावग्रस्त है, जिससे यह छोटे तनाव संबंधी विक्षोभों के प्रति संवेदनशील है, जिससे बार-बार छोटे-तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं।
- **3 किमी. तक जल की उपस्थिति:** 3 किमी. नीचे पाया जाने वाला जल उल्कापिंड या वर्षा आधारित है, जो गहरे रिसाव और परिसंचरण का संकेत देता है।
- **जलाशय से उत्पन्न भूकंपों के संबंध में जानकारी:** इस मिशन से ज्ञात हुआ कि 65 मिलियन वर्ष पुराने डेक्कन ट्रैप लावा प्रवाह का 1.2 किमी. हिस्सा 2,500-2,700 मिलियन वर्ष पुराने ग्रेनाइट बेसमेंट चट्टानों के ऊपर स्थित है।
- **चट्टान संबंधी जानकारी:** 3 किमी. गहराई से लिये गए कोर नमूनों से चट्टानों के **भौतिक और यांत्रिक गुणों, निर्माण तरल पदार्थ तथा गैसों की रासायनिक** एवं समस्थानिक संरचना, तापमान व तनाव व्यवस्था तथा फ्रैक्चर अभिविन्यासों के बारे में नई जानकारी मिली।

नोट :

- **डेटा सत्यापन:** ध्वनिक और **सूक्ष्म-प्रतिरोधकता तकनीकों का उपयोग करके बोरहोल दीवार** की उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियाँ वैश्विक वैज्ञानिकों को अन्य कोर से डेटा को सत्यापित करने की अनुमति देती हैं।
- **हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एंड फॉल्ट डिटेक्शन:** टीम ने चट्टानों के स्व-स्थानिक तनाव शासन को मापने के लिये हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रयोग किये। विभिन्न डेटासेट तथा उन्नत विश्लेषण को एकीकृत करके, उन्होंने दबे हुए फॉल्ट ज़ोन का पता लगाया एवं उनका अध्ययन किया।

डीप ड्रिलिंग मिशन का महत्त्व क्या है?

- **भूकंप की बेहतर समझ और भू-खतरा प्रबंधन:** इसे गहरे बोरहोलों में सेंसर लगाकर प्राप्त किया जा सकता है, ताकि **दोष रेखाओं की निगरानी की जा सके, जिससे बेहतर पूर्वानुमान मॉडल एवं जोखिम** न्यूनीकरण संभव हो सके।
    - इसके अतिरिक्त, **गहरी ड्रिलिंग से पृथ्वी की पपड़ी पर सटीक डेटा मिलता** है, जो **भू-खतरों के प्रबंधन और खनिजों और हाइड्रोकार्बन जैसे भू-संसाधनों** की खोज के लिये आवश्यक है।

- **भू-वैज्ञानिक मॉडलों का सत्यापन:** ड्रिलिंग से प्रत्यक्ष **अवलोकन और नमूनाकरण, भू-वैज्ञानिक मॉडलों** की **पुष्टि या खंडन करने तथा टेक्टोनिक प्रक्रियाओं और भूपर्पटी की गतिशीलता** के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने की सुविधा मिलती है।
- **तकनीकी नवाचार और आत्मनिर्भरता:** गहरी ड्रिलिंग में निवेश से भूकंप विज्ञान, ड्रिलिंग तकनीक, सेंसर विकास तथा डेटा विश्लेषण में प्रगति को बढ़ावा मिलता है, जिससे भारत में तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।
- **वैश्विक वैज्ञानिक योगदान:** भारत में गहन ड्रिलिंग परियोजनाओं से प्राप्त **निष्कर्ष वैश्विक भू-विज्ञान ज्ञान में योगदान** देते हैं, **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं और पृथ्वी की प्रणालियों की समग्र समझ** को बढ़ाते हैं।

डीप ड्रिलिंग मिशन के साथ चुनौतियाँ क्या हैं?

- **रिग क्षमता:** जैसे-जैसे गहराई बढ़ती है, ड्रिलिंग रिग की हुक लोड क्षमता एक महत्त्वपूर्ण बाधा बन जाती है, जिससे 3 किलोमीटर के लिये 100 टन के रिग की तुलना में 6 किलोमीटर के पायलट के लिये कहीं अधिक शक्तिशाली रिग की आवश्यकता होती है।
- **ड्रिलिंग जटिलता:** अधिक गहराई पर खंडित एवं भूकंपीय रूप से सक्रिय **चट्टान संरचनाओं के माध्यम से ड्रिलिंग करना अधिक जटिल** हो जाता है, जिससे उपकरणों के फँसने का जोखिम बढ़ जाता है और साथ ही सीमित पहुँच के कारण समस्या निवारण में जटिलताएँ उत्पन्न होती हैं।
- **कोर हैंडलिंग:** 3 किलोमीटर से अधिक गहराई से लंबे और भारी चट्टान कोर को निकालना तथा उठाने पर विशेष तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **बोरहोल की स्थिरता:** गहरे बोरहोल में **फॉल्ट लाइन एवं फ्रैक्चर ज़ोन का सामना करने की अधिक संभावना** होती है, जो बोरहोल स्थिरता से समझौता कर सकता है और साथ ही ड्रिल को चलाने के लिये विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है।
- **मानव संसाधन:** गहरी **ड्रिलिंग प्रचालनों की विस्तारित अवधि,** जो 3 किलोमीटर के लिये 6-8 महीने तथा 6 किलोमीटर के लिये 12-14 महीने तक चलती है, अत्यधिक कुशल तकनीकी कर्मिकों पर भारी बोझ डालती है, जिन्हें कठोर परिस्थितियों में 24/7 साइट पर कार्य करना पड़ता है।

निष्कर्ष

3 किलोमीटर पायलट ड्रिलिंग डेटा भविष्य की 6 किमी. योजनाओं का मार्गदर्शन करेगा, जिसमें 110-130 डिग्री सेल्सियस के तापमान के लिये उपकरण एवं सेंसर डिज़ाइन शामिल हैं। कोयना के निष्कर्ष औद्योगिक क्षमता के साथ दोष क्षेत्रों से लेकर गहरे उपसतह सूक्ष्मजीवों तक विविध शोध को सक्षम बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रुचि में गहरे डेक्कन ट्रैप में कार्बन कैप्चर पर परियोजनाएँ शामिल हैं। यह प्रयास भारत की वैज्ञानिक ड्रिलिंग क्षमता को मज़बूत करता है और साथ ही अंत:विषय ज्ञान को भी विस्तृत करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: साइंटिफिक डीप ड्रिलिंग क्या है? इसके महत्त्व एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिये?

■■■

नोट :

प्रिलिम्स फैक्ट्स

विशेषाधिकार उल्लंघन नोटिस

मुख्य विपक्षी दल ने पूर्व **उपराष्ट्रपति** और **राज्यसभा** के सभापति के खिलाफ "**अपमानजनक**" **टिप्पणी** करने के लिये **प्रधानमंत्री** के खिलाफ **विशेषाधिकार हनन** का नोटिस प्रस्तुत किया।

विशेषाधिकार का उल्लंघन क्या है ?

- **परिचय:**
  - जब कोई व्यक्ति या अधिकारी किसी सदस्य के विशेषाधिकार, **अधिकार और उन्मुक्ति** का उल्लंघन करता है, चाहे वह **व्यक्तिगत** रूप से हो या **सदन की सामूहिक क्षमता में,** तो उस अपराध को विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाता है तथा **सदन द्वारा दंडनीय** होता है।
  - इसके अतिरिक्त, **सदन के प्राधिकार या गरिमा का अनादर करने वाली कोई भी कार्रवाई**, जैसे उसके आदेशों की अनदेखी करना या उसके सदस्यों, समितियों या अधिकारियों का अपमान करना, विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है।

नोट :

- **सदन की अवमानना बनाम औचित्य के मुद्दे:**
  - **सदन की अवमानना:** इसे सामान्यत: ऐसे किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संसद के किसी भी सदस्य या सदन को उसके कर्त्तव्य और कार्यों के निर्वहन में बाधा डालता है।
  - **औचित्य के बिंदु:** संसद और उसके सदस्यों को विशिष्ट प्रथाओं तथा परंपराओं का पालन करना चाहिये एवं इनका **उल्लंघन करना 'अनुचित'** माना जाता है।
- **संसद की दण्ड देने की शक्ति:**
  - संसद का प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों का संरक्षक है।
  - भारत में न्यायालयों ने माना है कि **संसद का सदन (या राज्य विधानमंडल) किसी विशेष मामले में सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है या नहीं,** इसका निर्णय करने का एकमात्र प्राधिकारी है।
  - **सदन विशेषाधिकारों के उल्लंघन या सदन की अवमानना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को फटकार या चेतावनी देकर या निर्दिष्ट अवधि के लिये कारावास से दंडित कर सकता है।**
    - इसके अलावा सदन अपने सदस्यों को दो अन्य तरीकों से दंडित कर सकता है अर्थात् **सेवा से निलंबन और निष्कासन।**
    - हालाँकि **सदस्य द्वारा बिना शर्त माफी मांगने की स्थिति में सदन आमतौर पर अपनी** गरिमा के हित में मामले को आगे बढ़ाने से बचता है।
- **कार्यविधि:** विशेषाधिकार के प्रश्नों से निपटने की प्रक्रिया राज्यसभा के **प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम,** 187 से 203 में निर्धारित की गई है।
  - सदन में विशेषाधिकार का प्रश्न सभापति की सहमति प्राप्त करने के बाद ही उठाया जा सकता है।
  - यह प्रश्न कि क्या **कोई मामला वास्तव में विशेषाधिकार का उल्लंघन है या सदन की अवमानना** का है, इसका निर्णय पूरी तरह से सदन को करना है।
- **किसी अन्य सदन के सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन:**
  - विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त रिपोर्ट,1954 की के अनुसार, जब सदन के कार्मिकों से संबंधित विशेषाधिकार हनन का मामला लोकसभा या राज्यसभा में उठाया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी मामले को दूसरे सदन के पीठासीन अधिकारी को प्रेषित कर देता है।
    - सदन इसे अपने विशेषाधिकार के उल्लंघन के रूप में देखता है तथा जाँच एवं की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देता है।

वैश्विक DPI को आगे बढ़ाने में भारत की भूमिका

डिजिटल क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है, विशेष रूप से **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना** (Digital Public Infrastructure- DPI) में इसकी प्रगति के माध्यम से।

- **DPI पर भारत के G20 टास्क फोर्स की हालिया रिपोर्ट** में इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया है और देश से वैश्विक दक्षिण में **अपने डिजिटल समाधानों को सक्रिय रूप से विस्तारित करने** का आग्रह किया गया है।

> **नोट:** टास्क फोर्स की स्थापना जनवरी 2023 में **DPI और वित्तीय समावेशन पर भारत के G20 प्रेसीडेंसी एजेंडे की देखरेख** के लिये की गई थी।

- इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादकता को बढ़ावा देना और सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था नीतियों का समर्थन करना है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- **वैश्विक निकाय की पहचान:** रिपोर्ट में विभिन्न क्षेत्रों में **DPI पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करने के लिये** एक वैश्विक-मानक संगठन की स्थापना की सिफारिश की गई है।
  - इस इकाई की **बहुराष्ट्रीय उपस्थिति होनी चाहिये और नीतियों को तैयार करने** तथा रणनीतियों को **प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये आवश्यक विशेषज्ञता होनी** चाहिये। इसका लक्ष्य राष्ट्रों के बीच, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में सहयोग को सुविधाजनक बनाना होगा।
- **DPI के साथ AI का एकीकरण:** नैतिक उपयोग और **डेटा गोपनीयता** सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए DPI क्षमताओं को बढ़ाने के लिये **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** के एकीकरण का पता लगाना।
  - रिपोर्ट में DPI में नवाचार और मापनीयता को बढ़ावा देने के लिये **ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर** तथा एआई मॉडल का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है, जिससे इसे निजी अभिकर्त्ताओं हेतु अधिक सुलभ बनाया जा सके।
  - AI-सक्षम सेवाओं में विश्वास बनाने के लिये **उपयोगकर्त्ता डेटा की सुरक्षा** के उपायों को लागू करना महत्त्वपूर्ण है।
  - **AI एल्गोरिदम में पूर्वाग्रहों को संबोधित करने** से सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिये निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित होता है, AI प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने से डिजिटल सेवाओं में जनता का विश्वास हासिल करने में मदद मिलती है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?

- **परिभाषा:** DPI को साझा डिजिटल प्रणालियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो सुरक्षित और **अंतर-संचालनीय होना चाहिये तथा सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/या निजी सेवाओं** तक समान पहुँच प्रदान करने के लिये खुले मानकों एवं विनिर्देशों पर बनाया जा सकता है।
- DPI को लागू **कानूनी ढाँचे और सक्षम नियमों द्वारा नियंत्रित किया** जाता है ताकि मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास एवं प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दिया जा सके।
- **DPI के घटक:**
    - **प्रौद्योगिकी:** इसमें डिजिटल प्रणालियाँ और अनुप्रयोग (जैसे- सॉफ्टवेयर कोड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटोकॉल, मानक) शामिल हैं जो अंतर-संचालनीय हैं।
    - **शासन व्यवस्था:** शासन व्यवस्था DPI में लोगों का विश्वास स्थापित कर बड़े पैमाने पर उपयोगकर्त्ताओं द्वारा इसे अपनाने में सहायता करता है। शासन ढाँचे में निम्नलिखित तत्त्व शामिल हैं:
        - हितधारक की गतिविधि को नियंत्रित करने वाले सहभागिता के नियम।
        - क्रॉस-कटिंग और डोमेन-विशिष्ट मानदंड, विधि तथा नीतियाँ।
        - डिजिटल प्रौद्योगिकियों में अंतर्निहित शासन।
        - इसके डिज़ाइन, परिनियोजन और कार्यान्वयन पर निगरानी बनाए रखने के लिये उत्तरदायी संस्थान।
    - **समुदाय:** समुदाय की सक्रिय और समावेशी भागीदारी मूल्य सृजन को सक्षम कर सकती है। इसमें निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के अभिकर्त्ता भी शामिल हैं जो नवाचार को बढ़ावा देने तथा मूल्य सृजन के लिये सहयोग कर सकते हैं।
- **आधारभूत DPI:**
    - **पहचान:** इसमें लोगों और व्यवसायों के लिये अपनी पहचान को सुरक्षित रूप से सत्यापित करने की क्षमता, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तथा सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल जैसी विश्वास की पूरक सेवाएँ हैं।
    - **भुगतान:** इसकी सहायता से लोगों, व्यवसायों और सरकारों के बीच धन का सुगम तथा त्वरित अंतरण संभव है।
    - **डेटा साझाकरण:** यह शासन ढाँचे के अनुसार वैयक्तिक डेटा सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपायों की सहायता से सार्र्वजनिक और निजी क्षेत्रों में सहमति के साथ डेटा को निर्बाध रूप से साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।

- **DPI संबंधी भारतीय उदाहरण और उनकी उपलब्धियाँ:**

भारत वर्तमान में वैश्विक DPI में किस प्रकार योगदान कर रहा है?

- **UPI का वैश्वीकरण:** यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को वैश्वीकृत करने के लिये विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है जिसके तहत अभी तक 80 से अधिक देशों के साथ वार्ता और 30 से अधिक देशों में भागीदारी की गई है।
- **NPCI की भूमिका:** भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) UPI के अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के लिये ज़ोर दे रहा है जो वैश्विक स्तर पर डिजिटल वित्त के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

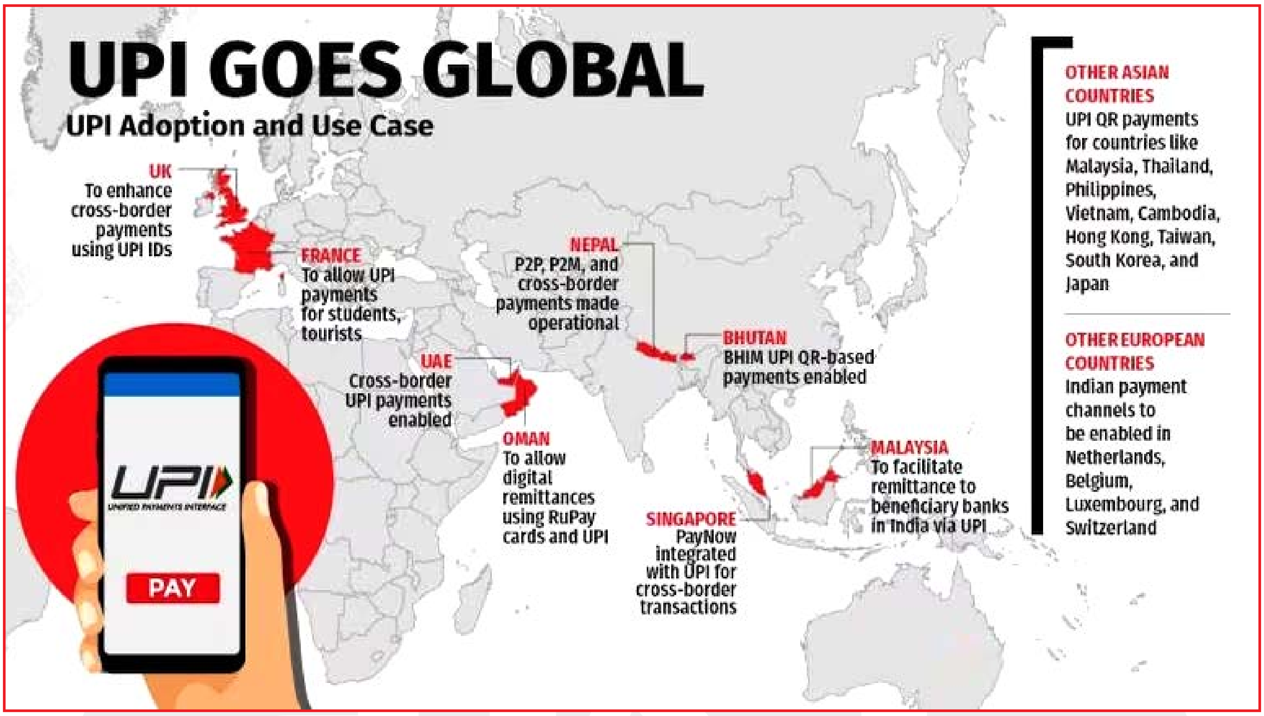

इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG)

हाल ही में **इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG)** जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैंस बर्जर द्वारा विकसित **प्रथम मानव EEG के शताब्दी वर्ष के कारण चर्चा** में रही है।

- व्लादिमीर प्राव्दिच-नेमिंस्की ने वर्ष 1912 में एक कुत्ते के मस्तिष्क से पहला स्तनधारी EEG प्राप्त किया, इसके बाद वर्ष **1924 में हंस बर्गर ने पहला मानव EEG प्राप्त** किया।

इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी (EEG) क्या है?

- **परिचय:**
  - EEG का मतलब इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है। 'इलेक्ट्रो-' बिजली से संबंधित है; '-एन्सेफेलो-' मस्तिष्क को संदर्भित करता है और '-ग्राफी' एक प्रत्यय है जिसका अर्थ है दिखाना या प्रतिनिधित्व करना।
  - EEG भौतिकी और तंत्रिका जीव विज्ञान में एक उल्लेखनीय उपकरण है, **जो आक्रामक प्रक्रियाओं के बिना मानव मस्तिष्क के कार्य करने की स्थिति दर्शाता है।**
  - **EEG सेटअप सरल, लागत प्रभावी, गैर-आक्रामक, पोर्टेबल, स्थान-कुशल है** और MRI के विपरीत उच्च-ऊर्जा विकिरण या ध्वनि उत्सर्जित नहीं करता है।
- **कार्यविधि:**
  - आयतन चालन वह इंटरफेस है **जो विद्युत विभव के स्रोत और उसको मापने वाले इलेक्ट्रोड के बीच होता है।**
    - यह तब होता है जब विद्युत विभव को उसके स्रोत से कुछ दूरी पर मापा जाता है।
  - **मस्तिष्क में न्यूरॉन लगातार अपने आस-पास के वातावरण के साथ आयनों का आदान-प्रदान करते हैं,** जिससे विद्युत गतिविधि की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो खोपड़ी पर स्थित **इलेक्ट्रोडों को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम** उत्पन्न करने के लिये प्रेरित करती हैं।
- **अनुप्रयोग:**
  - यह **मिर्गी** (मस्तिष्क से जुड़ी एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति जो लोगों को बार-बार बिना किसी कारण के दौरे पड़ने के लिये अतिसंवेदनशील बनाती है) का निदान करने के लिये उपलब्ध सबसे अच्छा परीक्षण है।
  - ईईजी परीक्षण **एनेस्थीसिया**, नींद के पैटर्न, कोमा के दौरान न्यूरोलॉजिकल गतिविधि और ऑक्सीजन की उपलब्धता के प्रभावों को भी प्रकट कर सकता है।
  - EEG मस्तिष्क की मृत्यु की पुष्टि करने में भी मदद कर सकता है।
  - तंत्रिका विज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स और न्यूरोमार्केटिंग अध्ययनों तथा **मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस** विकसित करने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।

- शोधकर्त्ताओं ने EEG डेटा को विभिन्न मस्तिष्क गतिविधियों से जोड़ा है, जो सामान्य और असामान्य स्थितियों के बीच प्रभावी रूप से अंतर करते हैं।

- **चुनौतियाँ:**
  - EEG तीव्र मस्तिष्क गतिविधि को मिलीसेकंड में ट्रैक करने के लिये उपयुक्त है, लेकिन यह **मस्तिष्क की सतह एवं डेन्ड्राइट्स से आने वाले संकेतों के प्रति पक्षपाती** है, परिणामस्वरूप गतिविधि के मूल का पता लगाना जटिल हो जाता है।
  - शोधकर्त्ता इन चुनौतियों से निपटने के लिये **MRI** और उन्नत तरीकों के साथ EEG का उपयोग करते हैं।

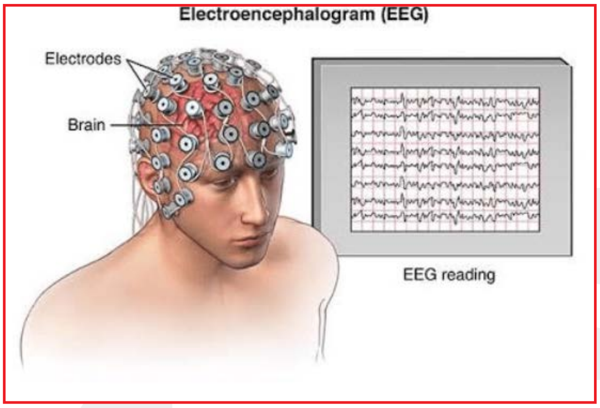

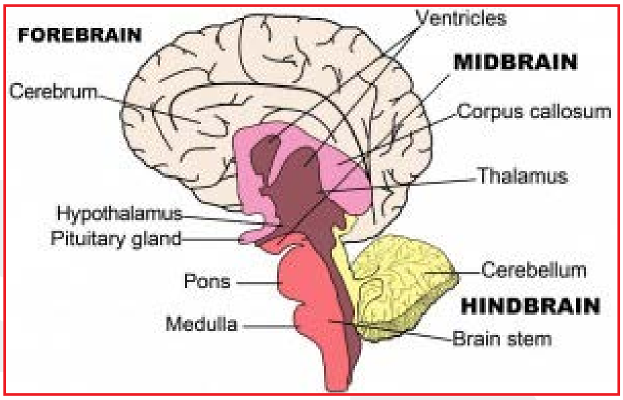

EEG एवं अन्य प्रौद्योगिकियाँ

विशेषता	EEG (इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी)	fMRI (फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग)	PET Scan (पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन)	MEG (मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी)
यह क्या मापता है	न्यूरॉन्स की विद्युतीय गतिविधि	मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में परिवर्तन	मस्तिष्क कोशिकाओं की चयापचय गतिविधि	मस्तिष्क में विद्युत धाराओं द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
सुरक्षा	सुरक्षित, गैर-आक्रामक	सुरक्षित, गैर-आक्रामक (कुछ सीमाओं के साथ)	कम खुराक वाले विकिरण जोखिम की आवश्यकता होती है	सुरक्षित, गैर-आक्रामक
लागत	अपेक्षाकृत सस्ती	बहुत महंगी	महंगी	महंगी
सुवाह्यता/	पोर्टेबल, विभिन्न सेटिंग्स में उपयोग किया जा सकता है	पोर्टेबल नहीं, एक बड़े स्कैनर कक्ष की आवश्यकता होती है	पोर्टेबल नहीं, एक विशेष स्कैनर की आवश्यकता होती है	कुछ हद तक पोर्टेबल, चुंबकीय रूप से संरक्षित कमरे की आवश्यकता होती है
अनुप्रयोग	मिर्गी का निदान, नींद का अध्ययन, मस्तिष्क कार्य निगरानी	कार्यों के दौरान मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन, ब्रेन मैपिंग	रोगों से जुड़े चयापचय परिवर्तनों की पहचान करना, कैंसर का पता लगाना	कार्यों के दौरान मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन, मिर्गी का स्थानीयकरण

BIMSTEC के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट

बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation- BIMSTEC) के विदेश मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट नई दिल्ली में आयोजित हुई, जो म्याँमार में बढ़ते तनाव और **प्रमुख घटनाक्रमों के बीच और अधिक महत्त्वपूर्ण** हो गई है।

नोट :

- भारत के विदेश मंत्री ने, विशेष रूप से म्याँमार के सैन्य जुंटा (Military Junta) द्वारा विभिन्न **एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस (Ethnic Armed Organisations- EAO)** के विरुद्ध हाल ही में सामना किये गए चुनौतियों के आलोक में, आंतरिक रूप से क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये BIMSTEC की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

नोट: यह रिट्रीट वर्ष 2024 में **BIMSTEC चार्टर** के प्रभावी होने के बाद से पहला बड़ा आयोजन है, जो संगठन के विकास में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। बिम्सटेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट का पहला संस्करण वर्ष 2023 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था।

BIMSTEC विदेश मंत्रियों की बैठक की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **वैश्विक एवं क्षेत्रीय विकास:** बैठक में वर्तमान वैश्विक एवं क्षेत्रीय चुनौतियों के कारण क्षमता निर्माण और **आर्थिक सहयोग जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया** गया।
- **म्याँमार संकट:** चर्चा का मुख्य विषय क्षेत्रीय स्थिरता और विकास परियोजनाओं पर म्याँमार संकट का प्रभाव था। म्याँमार में अस्थिरता BIMSTEC के लिये एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इसने **नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, म्याँमार और थाईलैंड** के बीच संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को प्रभावित किया है।
- **मानवीय सहायता पर चर्चा:** बातचीत में मानवीय सहायता की संभावना पर भी चर्चा हुई, हालाँकि भारत की वर्तमान सहायता विस्थापित आबादी और मिज़ोरम में शरण लेने वाले सैन्य कर्मियों तक ही सीमित है।
- **म्याँमार संकट पर भारत का रुख:** भारत ने विशेष रूप से तब से सतर्क रुख अपनाया है, जब से एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस (EAO) ने महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गों और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के निकट क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है।
  - भारत **साइबर अपराध, मादक पदार्थों** और अवैध हथियारों जैसे **पार-देशीय अपराधों** से निपटने में सहयोग कर रहा है।

म्याँमार संकट

म्याँमार की सैन्य (Tatmadaw) जुंटा ने फरवरी 2021 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को पारजित किया। इसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ।

सेना की दमनकारी नीति का प्रतिरोध करने हेतु **एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस (EAO)** सहित विपक्षी समूहों ने सैन्य शासन का विरोध करने के लिये पीपल्स डिफेंस फोर्सेज़ (PDF) का गठन किया, जो अपदस्थ सांसदों द्वारा स्थापित नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट (NUG) का समर्थन कर रहा था। अक्तूबरबर 2023 से सैन्य और सशस्त्र विपक्षी समूहों के बीच संघर्ष अधिक बढ़ गया, जिससे नागरिकों का व्यापक विस्थापन हुआ तथा मानवतावाद संकट की स्थिति में आया।

लगभग 2.6 मिलियन नागरिकों को विवश होकर अपना निवास छोड़ना पड़ा और वर्तमान में 18.6 मिलियन नागरिकों, कुल आबादी का लगभग 1/3, को मानवीय सहायता की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति और संघर्ष ने भोजन और अन्य मूल आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा दिया है जिससे 1/4 आबादी को खाद्य संकट का सामना करना पड़ा और अस्वस्थता की स्थिति उत्पन्न हुई।

भारत ने एक संतुलित रुख बनाते हुए अपने हितों की रक्षा के लिये सेना के साथ वार्ता करते हुए लोकतंत्र के विघटन पर चिंता व्यक्त की। सेना विरोधी तत्त्वों ने **भारत-म्याँमार सीमा** के समीप स्थित महत्त्वपूर्ण शहरों पर कब्ज़ा कर लिया है जिससे **भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** जैसी महत्त्वपूर्ण कनेक्टिविटी परियोजनाएँ प्रभावित हुई हैं।

वन सलाहकार समिति (FAC)

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की **वन सलाहकार समिति (FAC)** ने **पुरी** में प्रस्तावित **श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे** के निर्माण के लिये वन भूमि पर बिना अनुमति के दीवारें बनाने के लिये ओडिशा सरकार को फटकार लगाई।

वन सलाहकार समिति (FAC) क्या है?

- **परिचय:**
  - यह एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 द्वारा किया गया था।
  - यह **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)** के अंतर्गत आता है।
  - FAC उन **औद्योगिक परियोजनाओं का मूल्यांकन** करता है जिनके कार्यकलापों के लिये वन भूमि की आवश्यकता होती है।
    - समिति को **विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन वन भूमि के परिवर्तन को अनुमोदित करने, अस्वीकार करने या अनुमति प्रदान करने** का अधिकार है।
    - हाल ही में प्राप्त उपग्रह चित्रों से पता चला कि **परियोजना की प्रबंधन एजेंसी द्वारा FAC की मंज़ूरी प्राप्त करने से पहले ही दीवार का निर्माण कार्य प्रारंभ** कर दिया था।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 क्या है?

- **परिचय:** **वन संरक्षण अधिनियम 1980** को वन-संबंधी कानूनों को सुव्यवस्थित करने, वनों की कटाई को विनियमित करने, वन उत्पादों के परिवहन की निगरानी करने तथा लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादों पर शुल्क लगाने हेतु अधिनियमित किया गया था।
  - इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत, गैर-वनीय **उद्देश्यों के लिये वन भूमि के परिवर्तन हेतु केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक** है।
    - यह मुख्य रूप से **भारतीय वन अधिनियम, 1927** अथवा वर्ष 1980 के राज्य अभिलेखों द्वारा मान्यता प्राप्त वन भूमि पर लागू होता था।
- **सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या:** **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा **वर्ष 1996 में दिये गए गोदावर्मन निर्णय** में वर्गीकरण या स्वामित्व की परवाह किये बिना वनों के संरक्षण का आदेश दिया गया।
  - इसने वनों या वन जैसे भू-भागों की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जो वनों के मिलते-जुलते क्षेत्रों को संदर्भित करता है, लेकिन सरकारी या राजस्व अभिलेखों में आधिकारिक तौर पर इस रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इससे **"डीम्ड फॉरेस्ट" या ऐसे क्षेत्रों का विचार सामने आया जो वनों के समान** होते हैं, लेकिन सरकारी या राजस्व अभिलेखों में औपचारिक रूप से वनों के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं।
- **वनों की भिन्न-भिन्न परिभाषाओं के संबंध में चिंता:** भारत में राज्य सर्वेक्षणों और विशेषज्ञ रिपोर्टों के आधार पर 'वनों' की अलग-अलग व्याख्या करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ सामने आती हैं।
  - उदाहरण के लिये, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अपनी परिभाषाओं को आकार, वृक्ष घनत्व तथा प्राकृतिक वृद्धि के आधार पर निर्धारित करते हैं, जबकि गोवा वन प्रजातियों के कवरेज पर निर्भर करता है।
  - विभिन्न परिभाषाओं के अनुरूप अनुमानित वन क्षेत्र भारत के आधिकारिक वन क्षेत्र का **1% से 28% तक** है।
- **वन संरक्षण अधिनियम में हालिया संशोधन:**
  - हाल ही में पारित **वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023** का उद्देश्य इस क्षेत्र में स्पष्टता लाना तथा वनों से संबंधित चिंताओं का समाधान करना है।
    - इसमें अधिनियम के दायरे में **वन भूमि के दायरे को परिभाषित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा भूमि की कुछ श्रेणियों को इसके प्रावधानों से छूट दी गई।**
  - इसमें **सड़कों और रेलमार्गों के साथ संपर्क के प्रयोजनों के लिये 0.10 हेक्टेयर तक वन भूमि**, सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढाँचे के लिये 10 हेक्टेयर तक तथा सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिये **वामपंथी उग्रवाद** प्रभावित ज़िलों में 5 हेक्टेयर तक वन भूमि को छूट दी गई है।
  - हालाँकि **सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश में वन प्रशासन के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण को बरकरार रखा गया है**, जिस पर केंद्र द्वारा हाल ही में किये गए संशोधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
    - इसके अलावा, **सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि किसी भी सरकार या प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर या सफारी के निर्माण के लिये अंतिम मंज़ूरी न्यायालय** से लेनी होगी।

वन संरक्षण के लिये पहल:

भारतीय वन नीति, 1952
वन संरक्षण अधिनियम, 1980
राष्ट्रीय वन नीति, 1988
राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
अन्य संबंधित अधिनियम:
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972
राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज (LUCA)

हाल ही में एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने कहा है कि **अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज (Last Universal Common Ancestor - LUCA)** की उत्पत्ति पृथ्वी के निर्माण के मात्र 300 मिलियन वर्ष बाद हुई होगी।

शोध के हालिया मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **परिचय:**
  - शोधकर्त्ताओं का मानना है कि जीवन की तीनों शाखाएँ अर्थात् **बैक्टीरिया**, **आर्किया** और **यूकेरिया** की उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुई है, जिसे अंतिम सार्वभौमिक सामान्य पूर्वज (LUCA) कहा जाता है।
  - LUCA का जीनोम छोटा था, **जिसमें लगभग 2.5 मिलियन बेस और 2,600 प्रोटीन थे**, जो इसके विशिष्ट वातावरण में जीवित रहने के लिये पर्याप्त थे।

नोट :

- LUCA के मेटाबोलाइट्स ने अन्य सूक्ष्मजीवों के उभरने के लिये द्वितीयक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया होगा और संभवत: इसमें वायरस से लड़ने के लिये **प्रतिरक्षा** जीन भी मौजूद थे।
- हालाँकि LUCA के अस्तित्व का समर्थन करने के लिये कोई **जीवाश्म साक्ष्य** नहीं है, लेकिन आधुनिक जीनोम में इतनी सारी विशेषताएँ हैं जो कुछ जानकारी प्रदान करती हैं।
- जैसे **आणविक घड़ी के सिद्धांत** ने वैज्ञानिकों को '**जीवन के वृक्ष**' का पुनर्निर्माण करने की अनुमति दी।
  - **सिद्धांत के अनुसार**, किसी जनसंख्या के **जीनोम में उत्परिवर्तन जुड़ने या हटने की दर**, नए **उत्परिवर्तन** (mutations) प्राप्त करने की दर के समानुपाती होती है, जो स्थिर होती है।
- विभिन्न प्रजातियों में उत्परिवर्तन दर भिन्न-भिन्न होती है।
  - निष्कर्षों के आधार पर, शोधकर्त्ताओं ने ज्ञात उत्परिवर्तन दरों का उपयोग करके और जीनोम को विशिष्ट घटनाओं जैसे कि प्रथम स्तनपायी के विकास या जीवाश्मों की आयु को मानक के रूप में जोड़कर विकासवादी घटनाओं के बीच के समय का अनुमान लगाने की एक विधि बनाई।
- **ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्रेटन** में जीवाश्मों की प्रारंभिक खोज के आधार पर यह माना गया है कि **प्रारंभिक जीवन के साक्ष्य 3.4 अरब वर्ष पूर्व के थे**।

- **निष्कर्ष का महत्त्व:**
  - कुल मिलाकर ये निष्कर्ष यह समझने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं कि पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे विकसित हुआ तथा ब्रह्मांड में अन्यत्र समान जीवन रूपों की खोज के लिये भी महत्त्वपूर्ण हैं।
  - ये विकासवादी अंतर्दृष्टियाँ **पृथ्वी पर विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये कृत्रिम जीवों के निर्माण तथा भविष्य** में अन्य ग्रहों पर पारिस्थितिकी तंत्रों के निर्माण या प्रबंधन के प्रयासों को बढ़ावा देंगी।

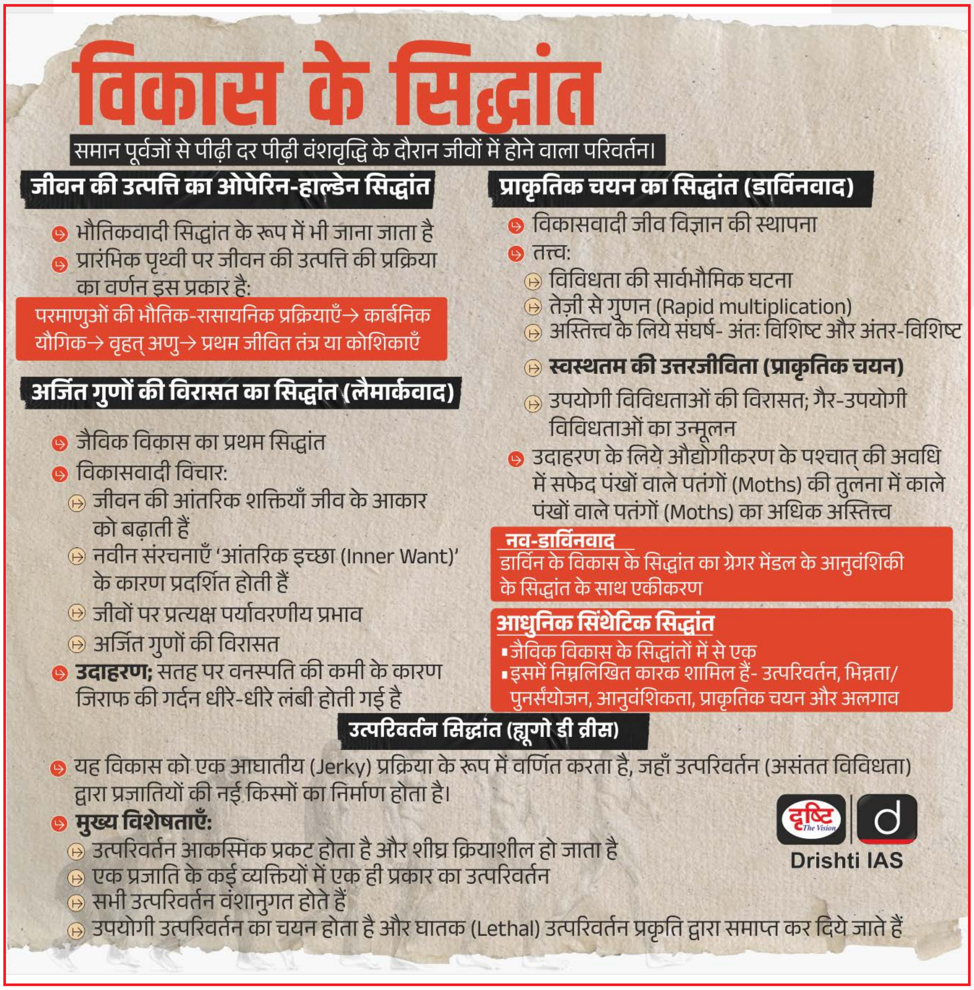

जीवन की उत्पत्ति के विभिन्न प्रतिस्पर्द्धी सिद्धांत क्या हैं?

- **ओपेरिन-हाल्डेन परिकल्पना:** वर्ष 1924 और 1929 में, ओपेरिन और हाल्डेन ने क्रमश: सुझाव दिया कि **शुरुआती जीवन रूपों को बनाने वाले पहले अणु एक पृथ्वी की युवावस्था के तूफानी, प्रीबायोटिक वातावरण में एक "प्रिमोर्डियल सूप (Primordial Soup)" से धीरे-धीरे स्वयं संगठित** हुए। इस विचार को आज ओपेरिन-हाल्डेन परिकल्पना (Oparin-Haldane hypothesis) कहा जाता है।
- **मिलर-यूरे प्रयोग:** इसने दिखाया कि सही परिस्थितियों में, **अकार्बनिक यौगिक जटिल कार्बनिक यौगिकों** को जन्म दे सकते हैं।
  - इसके अंतर्गत मीथेन, अमोनिया और पानी को मिलाया गया तथा विद्युत धारा प्रवाहित करके प्रोटीन के निर्माण हेतु आवश्यक अमीनो एसिड का उत्पादन किया गया।
- **पैनस्पर्मिया परिकल्पना:** यह सुझाव देती है कि उल्कापिंड पृथ्वी पर जीवन की आधारशिला लेकर आए होंगे तथा क्षुद्रग्रहों पर बाह्य कार्बनिक पदार्थों और अमीनो एसिड की खोजों से भी इसका समर्थन मिलता है।
  - वर्ष 2019 में फ्राँसीसी और इतालवी वैज्ञानिकों ने **3.3 अरब वर्ष पुराने बाह्य-स्थलीय कार्बनिक पदार्थ की खोज** की सूचना दी।
  - रयुगु (Ryugu) क्षुद्रग्रह पर जापान के हायाबुसा 2 मिशन ने भी वहाँ 20 से अधिक अमीनो एसिड की उपस्थिति का संकेत दिया था।

चंद्रमा पर गुफाएँ

हाल ही में वैज्ञानिकों ने **चंद्रमा पर एक गुफा** के अस्तित्व की **पुष्टि** की है, जो उस स्थान के पास स्थित है जहाँ 55 वर्ष पहले **अपोलो 11 मिशन** उतरा था।

- इस खोज का भविष्य में **चंद्र अन्वेषण** और **चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति** की स्थापना के लिये महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

चंद्रमा से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - इटली के नेतृत्व वाली शोधकर्त्ताओं की एक टीम को **अपोलो 11** लैंडिंग स्थल से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर, **ट्रैंक्विलिटी सागर** में स्थित एक गुफा के साक्ष्य मिले।
    - चंद्रमा की सतह पर खोजे गए 200 से अधिक अन्य गड्ढों की तरह यह गड्ढा भी लावा ट्यूब के ढहने से बना था।
  - **नासा के लूनर रिकॉनिस्सेंस ऑर्बिटर द्वारा रडार** मापों के विश्लेषण से पता चला कि **गुफा कम-से-कम 40 मीटर चौड़ी और दसियों मीटर लंबी** है तथा संभवत: इससे भी बड़ी है।
- **महत्त्व/निहितार्थ:**
  - **भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिये संभावित आश्रय:** चंद्र गुफाएँ ब्रह्मांडीय किरणों, सौर विकिरण तथा सूक्ष्म उल्कापिंडों से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे आवासों के निर्माण की आवश्यकता कम हो जाती है।
  - **लुनार भूविज्ञान और ज्वालामुखी गतिविधि को समझना:** इन गुफाओं के अंदर की चट्टानें और सामग्री, जो सदियों से सतही परिस्थितियों से अपरिवर्तित रही हैं।
    - यह वैज्ञानिकों को चंद्रमा के विकास, विशेष रूप से इसकी ज्वालामुखी गतिविधि को बेहतर ढंग से समझने में सहायक हो सकता है।
  - **संभावित जल और ईंधन स्रोत:** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में फ्रोज़ेन वाटर की उपस्थिति है, जो पीने और रॉकेट ईंधन के लिये एक महत्त्वपूर्ण संसाधन है।
  - **लुनार अन्वेषण का उन्नयन करना:** लुनार गुफाओं की खोज चंद्रमा के भू-विज्ञान और संसाधनों को समझने में एक बड़ा कदम है, जो भविष्य के मिशन हेतु योजना निर्माण तथा चंद्रमा पर मानवीय उपस्थिति एवं उनकी चिरस्थायित्वता में सहायता करता है।

चंद्रमा अन्वेषण

वर्ष **1959** में **सोवियत संघ के लूना**-1 और 2 चंद्रमा पर जाने वाले पहले रोबोटिक मिशन थे।

अपोलो 11 मिशन से पहले वर्ष **1961** और **1968** के बीच **अमेरिका** ने चंद्रमा पर रोबोटिक मिशनों की 3 श्रेणियाँ भेजी थीं।

वर्ष 1969 से 1972 तक, 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर पहुँचे।

वर्ष 1990 के दशक में अमेरिका ने क्लेमेंटाइन और लुनार प्रॉस्पेक्टर जैसे रोबोटिक मिशनों के साथ चंद्र अन्वेषण पुन: प्रारंभ किया।

वर्ष 2009 में अमेरिका ने चंद्र मिशनों के लिये **लुनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर (LRO)** और **लुनार क्रेटर ऑब्ज़र्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट (LCROSS)** लॉन्च किया।

वर्ष 2011 में नासा ने चंद्र अन्वेषण के लिये **ARTEMIS मिशन** प्रारंभ किया।

ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी (GRAIL) अंतरिक्ष यान ने वर्ष 2012 में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया था।

चीन ने चंद्रमा की सतह पर अपने दो रोवर लैंड किये, जिसमें वर्ष **2019** में चंद्रमा के सुदूर भाग पर सर्वप्रथम लैंडिंग भी शामिल है।

भारत (ISRO) का चंद्र मिशन

चंद्रयान 1: चंद्रयान परियोजना की शुरुआत वर्ष 2007 में ISRO और रूस के रोस्कोसमोस (ROSCOSMOS) के बीच सहयोग से हुई थी। रूस द्वारा लैंडर विकसित करने में देरी के कारण मिशन को शुरू में वर्ष 2016 तक के लिये स्थगित कर दिया गया था।

निष्कर्ष: चंद्र पर **जल की मौजूदगी**, गुफाओं के साक्ष्य और सतह पर पूर्व में घटित हुई विवर्तनिक गतिविधि की पुष्टि हुई।

चंद्रयान-2: यह भारत का दूसरा चंद्र मिशन था, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) शामिल थे। रोवर प्रज्ञान, विक्रम लैंडर के अंदर अवस्थित था।

चंद्रयान-3: इसके माध्यम से भारत **चंद्र के दक्षिणी ध्रुव** के समीप लैंडिंग करने वाला विश्व का **पहला देश** बना और इसके साथ ही ISRO **रोस्कोसमोस, NASA तथा CNSA** के बाद चंद्र पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाली विश्व की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई।

WHO और UNICEF द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज (WUENIC) का अनुमान

हाल ही में जारी किये गए **WHO और UNICEF के राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज (WUENIC)** के अनुमानों से पता चला है कि वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में **बच्चों के टीकाकरण में मामूली गिरावट** आई है।

- एक अन्य विकास में **U-Win** पर **गर्भवती महिलाओं और बच्चों** को पंजीकृत करने के लिये सरकार की **पायलट परियोजना** के हिस्से के रूप में एक **क्विट डिजिटल रेवोलुशन सामने आ रही** है।

WUENIC की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **परिचय:**
  - प्रत्येक वर्ष **WHO और UNICEF संयुक्त रूप से राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज,** अंतिम सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा ग्रे साहित्य से प्रकाशित डेटा के संदर्भ में सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत **रिपोर्टों की समीक्षा** करते हैं।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - वर्ष 2023 में **वैश्विक स्तर पर टीकाकरण रुक गया,** जिससे वर्ष 2019 के महामारी-पूर्व वर्ष (Pre-Pandemic Year) की तुलना में 2.7 मिलियन अतिरिक्त बच्चे **या तो बिना टीकाकरण के या कम टीकाकरण** वाले रह गए।
  - इससे यह पता चलता है कि वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में भारत में **बच्चों के टीकाकरण में मामूली गिरावट** आई है।
  - **डिप्थीरिया, कुकुर खाँसी और टेटनस (DPT) वैक्सीन** के कवरेज में **दो प्रतिशत की गिरावट (वर्ष 2022 में 95% से 2023 में 93% तक)** आई, जिसका उपयोग "शून्य-खुराक (Zero-Dose)" बच्चों की संख्या के लिये प्रॉक्सी के रूप में किया जाता है।
    - **शून्य-खुराक वाले बच्चे वे हैं जिनका नियमित रूप से कोई टीकाकरण नहीं हुआ है।**
  - यह दर्शाता है कि **वर्ष 2023 में भारत में 1.6 मिलियन शून्य खुराक वाले बच्चे** होंगे, जो वर्ष 2022 में 1.1 मिलियन से अधिक है, लेकिन वे वर्ष 2021 में अधिसूचित 2.73 मिलियन से बहुत कम है।
  - वर्ष 2023 में, **91% ने तीसरी DPT वैक्सीन प्राप्त** की, जो वर्ष 2022 से 2% कम है, लेकिन फिर भी वैश्विक औसत 84% से ऊपर है।
  - निरपेक्ष रूप से **वर्ष 2023 में 2.04 मिलियन बच्चे कम टीकाकरण** वाले मिले, जो वर्ष 2019 में 2.11 मिलियन बच्चों की तुलना में थोड़ा कम है।

U-Win क्या है?

- **परिचय:**
  - भारत के **सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)** को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई **U-WIN** पहल को पायलट चरण में शुरू किया गया है।
    - **को-विन प्लेटफॉर्म** की सफलता के बाद, सरकार ने **नियमित टीकाकरण के लिये एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री स्थापित** की है।
- **उद्देश्य:**
  - इस प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रत्येक गर्भवती महिला को पंजीकृत करने और उसका टीकाकरण करने, उसके प्रसव के परिणाम को रिकॉर्ड करने, प्रत्येक नवजात शिशु के जन्म को पंजीकृत करने, जन्म के समय खुराक देने तथा उसके बाद सभी टीकाकरण कार्यक्रमों के लिये किया जाएगा।

- U-WIN **टीकाकरण सेवाओं**, टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करने, प्रसव के परिणाम और एंटीजन-वार कवरेज़ जैसी रिपोर्ट आदि के लिये **सूचना का एकमात्र स्रोत** बनने जा रहा है।

- **लाभ:**
  - स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, कार्यक्रम प्रबंधक बेहतर योजना, टीका वितरण के लिये नियमित टीकाकरण सत्रों और टीकाकरण कवरेज पर वास्तविक समय **डेटा उत्पन्न करने में सक्षम** होंगे।
  - गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिये, **ABHA ID (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता)** से जुड़े वैक्सीन स्वीकृति व टीकाकरण संबंधी कार्ड तैयार किये जाएंगे और सभी राज्य और ज़िले लाभार्थियों को ट्रैक करने तथा टीकाकरण करने के लिये एक सामान्य डेटाबेस तक पहुँच सकते हैं।
  - टीकाकरण कार्यक्रम के पूर्ण डिजिटलीकरण के बाद, **लाभार्थियों को तत्काल प्रमाण-पत्र प्राप्त होंगे**, जिन्हें डाउनलोड करके **डिजी-लॉकर** में संग्रहीत भी किया जा सकेगा।
  - प्रभावी निगरानी प्रणाली प्रभावी हस्तक्षेपों की योजना बनाने और **उन्हें लागू करने के लिये साक्ष्य आधार बनाने में मदद करेगी।**

थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT)

हाल ही में बंगलुरु स्थित **भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान** (Indian Institute of Astrophysics- IIA) के भारतीय शोधकर्त्ताओं ने आगामी **थर्टी मीटर टेलीस्कोप** (Thirty Meter Telescope- TMT) के **अनुकूली प्रकाशिकी प्रणाली** (Adaptive Optics System- AOS) के लिये एक व्यापक तारा सूची तैयार करने हेतु एक नया ऑनलाइन टूल विकसित किया है।

थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- **परिचय:**
  - यह हवाई के **मौना कीआ** में शुरू होने वाली एक महत्त्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, जिसमें **भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान** शामिल हैं, **जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड की समझ को महत्त्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाना** है।
    - **भारत TMT परियोजना में एक प्रमुख साझेदार** है तथा IIA स्थित भारत TMT केंद्र राष्ट्रीय सहयोग का नेतृत्व कर रहा है।
  - **TMT एक अगली पीढ़ी की खगोलीय वेधशाला है जिसे इसके विशाल 30-मीटर प्राथमिक दर्पण, उन्नत अनुकूली प्रकाशिकी प्रणाली** और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ अभूतपूर्व रिज़ॉल्यूशन तथा संवेदनशीलता प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
  - TMT, **विशाल मैगलन टेलीस्कोप** और **यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला का अत्यंत विशाल टेलीस्कोप**, भू-आधारित खगोल विज्ञान के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **प्राथमिक लक्ष्य:**
  - **प्रारंभिक ब्रह्मांड** और **बिग बैंग** के बाद पहली आकाशगंगाओं तथा तारों के निर्माण एवं विकास का अध्ययन करना।
  - ब्रह्मांडीय समय में **आकाशगंगाओं के निर्माण, संरचना और विकास की जाँच करना।**
  - अतिविशाल ब्लैक होल और उनकी **मेज़बान आकाशगंगाओं के बीच संबंध का अध्ययन** करना।
  - तारों और ग्रह प्रणालियों के निर्माण की जाँच करना।
  - **एक्सोप्लैनेट** की विशेषता बताना और उनके वायुमंडल का अध्ययन करना।

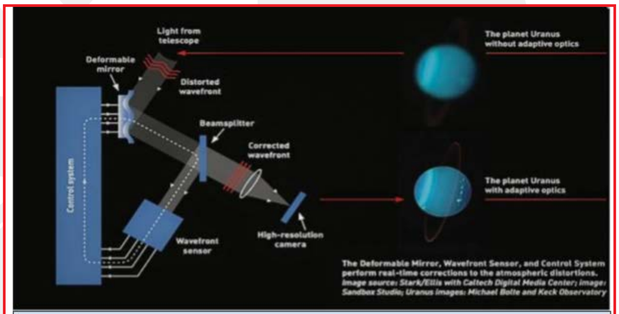

AO System in Telescope

- **अनुकूली प्रकाशिकी प्रणाली (AOS) और नया ऑनलाइन टूल:**
  - TMT का AOS, जिसे **नैरो फील्ड इंफ्रारेड एडेप्टिव ऑप्टिक्स सिस्टम** (Narrow Field Infrared Adaptive Optics System- NFIRAOS) के रूप में जाना जाता है, वायुमंडलीय अशांति को ठीक करने और छवि रिज़ॉल्यूशन को बढ़ाने के लिये विकृत दर्पण तथा **लेज़र गाइड स्टार (Laser Guide Stars- LGS) का उपयोग** करता है।
  - यह सुविधा **कृत्रिम मार्गदर्शक तारे बनाने के लिये आकाश में नौ लेज़र तक प्रक्षेपित** करेगी। हालाँकि वायुमंडलीय अशांति इन लेज़र किरणों को प्रभावित करती है, इसलिये वायुमंडलीय टिप-टिल्ट (Tip-Tilt) को मापना अनिश्चित है।

- इन प्रभावों को ठीक करने के लिये **AO प्रणाली को तीन वास्तविक** तारों, जिन्हें **प्राकृतिक मार्गदर्शक तारे (Natural Guide Stars- NGS)** के रूप में जाना जाता है, से फीडबैक की आवश्यकता होती है।
- **शोधकर्त्ताओं ने एक स्वचालित कोड विकसित किया है** जिसका उपयोग निकट अवरक्त (NIR) तारों की सूची बनाने के लिये एक ऑनलाइन उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
  - **स्वचालित कोड, विभिन्न प्रकाशीय आकाश सर्वेक्षणों में पहचाने गए तारकीय स्रोतों** के अपेक्षित निकट-अवरक्त परिमाणों की गणना **उनके प्रकाशीय परिमाणों का उपयोग** करके कर सकता है।

अन्य प्रमुख टेलीस्कोप

- PRATUSH टेलीस्कोप
- जेम्स वेब टेलीस्कोप
- स्क्वायर किलोमीटर ऐरे ऑब्ज़र्वेटरी (SKAO)
- कोडाइकनाल सोलर ऑब्ज़र्वेटरी
- यूक्लिड मिशन फॉर डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी
- टोक्यो अटाकामा ऑब्ज़र्वेटरी
- ब्रह्मांड का 3-D मानचित्र

इसी प्रकार की अन्य परियोजनाएँ जिनका भारत हिस्सा है:

- यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN): "गॉड पार्टिकल" संबंधी परियोजना
  - **CMS:** CMS उन प्रयोगों में से एक है, जिसमें हिग्स बोसॉन या 'गॉड पार्टिकल' की खोज की गई।
  - **ALICE:** ALICE में बिग बैंग के दौरान मौजूद स्थितियों का पता लगाया गया।
- **इंटरनेशनल फैसिलिटी फॉर एंटीप्रोटॉन एंड आयन रिसर्च (FAIR):** यह द्रव्य के संरचनात्मक भागों और ब्रह्मांड के विकास के अध्ययन से संबंधित है।
  - **NUSTAR (परमाणु संरचना, खगोल भौतिकी और अभिक्रियाएँ)**
  - **CBM (संपीड़ित बैरियोनिक पदार्थ)**
  - **PANDA (डार्मस्टाट में एंटीप्रोटॉन विलोपन)**

दस वर्षों में धान की सबसे कम बुआई

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जून 2024 में **जारी आँकड़ों के अनुसार**, धान की बुआई का क्षेत्र **अभी तक केवल 2.27 मिलियन हेक्टेयर (mha) ही रहा।**

- जून 2024 में **भारत की प्राथमिक खरीफ फसल धान** की बुआई का क्षेत्र, वर्ष 2015 के सूखा प्रभावित वर्ष के अतिरिक्त, विगत एक दशक में सबसे कम रहा।

धान की बुआई के क्षेत्र में हुई कमी के क्या कारण हैं?

- **ऐतिहासिक तुलना:**
  - **फसल मौसम निगरानी समूह** के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में धान की खेती का क्षेत्रफल क्रमशः 3.90 मिलियन हेक्टेयर तथा 3.89 मिलियन हेक्टेयर था एवं तब से इसमें 3.60 मिलियन हेक्टेयर व 2.69 मिलियन हेक्टेयर के बीच उतार-चढ़ाव होता रहा है तथा जून 2023 के आँकड़ों में क्षेत्रफल जून 2024 से थोड़ा अधिक था।
- **धान की बुआई में गिरावट के कारण:**
  - **वर्षा के प्रतिरूप में परिवर्तन:** किसानों ने धान की बुआई हेतु आवश्यक पर्याप्त वर्षा को लेकर आशंकाएँ व्यक्त करते हुए जून माह के स्थान पर जुलाई माह में बुआई करने का निर्णय लिया।
    - यह बदलाव हाल के वर्षों में देखी गई वर्षा के अनियमित पैटर्न के कारण है। उदाहरण के लिये, जून 2024 में 11% वर्षा की कमी थी।
    - इन प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण लाखों किसानों के लिये **जून माह अब खरीफ फसलों की बुआई के लिये उपयुक्त नहीं रहा।**
  - **कृषि संबंधी आवश्यकताएँ:** धान की खेती करने के दौरान रोपाई के समय लगातार दो सप्ताह तक **खेतों को 10 सेमी. की ऊँचाई तक जल से भरने की आवश्यकता** होती है।
  - **शुष्क जून का प्रभाव:** जून माह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत का प्रतीक है जो भारत की 61% वर्षा आधारित कृषि के लिये आवश्यक मृदा को आद्रता प्रदान करता है। शुष्क जून के परिणामस्वरूप ज़मीन में आद्रता का स्तर अपर्याप्त होता है जिससे किसानों के लिये फसल की बुआई करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
    - डाउन टू अर्थ द्वारा भारत के 676 ज़िलों को कवर करते हुए 1988-2018 की अवधि के आँकड़ों के विश्लेषण के अनुसार **62% ज़िलों में जून माह की वर्षा का स्तर कम रहा।**
- **निहितार्थ:**
  - इन **बदलावों के कारण फसल का परंपरागत कैलेंडर**, जिसमें औसत वर्षा और तापमान के साथ-साथ बुआई तथा कटाई का समय उल्लिखित है, **प्रासंगिक नहीं** रहा।

◆ जून 2024 के अंत तक धान की बुआई के क्षेत्र में हुई गिरावट **भारतीय कृषि के समक्ष** विद्यमान व्यापक **चुनौतियों**, विशेष रूप से अनियमित मानसून पैटर्न **के प्रभाव का संकेत** है।
   - हालाँकि अन्य खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है किंतु **समग्र प्रवृत्ति** जलवायु की बदलती परिस्थितियों से निपटने के लिये **बेहतर मौसम पूर्वानुमान और अनुकूली कृषि पद्धतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है।**

खरीफ फसलें क्या हैं?

खरीफ फसलें वे फसलें हैं जो **बरसात के मौसम में बोई जाती हैं**, जो आमतौर पर जून में **दक्षिण-पश्चिम मानसून** की शुरुआत के साथ शुरू होती हैं, जबकि फसल विपणन सीज़न अक्तूबर 2024 से सितंबर 2025 तक चलेगा।

खरीफ की कुछ प्रमुख फसलें **धान, मक्का, बाजरा, दालें, तिलहन, कपास और गन्ना** हैं।

भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में खरीफ फसलों का योगदान लगभग 55% है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आगामी 2024-25 खरीफ विपणन सत्र के लिये धान के **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** को 5.35% बढ़ाकर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल करने को मंज़ूरी दी।

मंत्रिमंडल ने सभी 14 खरीफ सीजन की फसलों के लिये MSP बढ़ोतरी को मंज़ूरी दे दी है, जो सरकार की **"स्पष्ट नीति"** के अनुरूप है, जिसमें MSP को सरकार द्वारा गणना की गई उत्पादन लागत से कम-से-कम 15 गुना अधिक रखने की बात कही गई है।

हालाँकि इनमें से केवल चार फसलों के MSP ऐसे हैं जो किसानों को उनकी उत्पादन लागत से 50% से अधिक का मार्जिन प्रदान करेंगे अर्थात् **बाजरा (77%), उसके बाद अरहर दाल (59%), मक्का (54%) और काला चना (52%)।**

वर्ष 2024 में MSP वृद्धि से कुल 2 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है, जो पिछले सीज़न की तुलना में लगभग 35,000 करोड़ रुपए अधिक है।

SEBI द्वारा नवीन पूंजी वर्ग का प्रस्ताव

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने एक नवीन पूंजी वर्ग या उत्पाद श्रेणी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है।

- इस कदम का उद्देश्य **निवेशकों को एक विनियमित निवेश उत्पाद उपलब्ध कराना है, जिसमें उच्च जोखिम लेने की क्षमता हो,** साथ ही अपंजीकृत और **अनधिकृत निवेश** उत्पादों के प्रसार पर भी अंकुश लगाया जा सके।

नोट:
- PMS निवेशकों को अपने निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिये पेशेवरों पर भरोसा करने और विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों से प्रतिस्पर्द्धी रिटर्न अर्जित करने की अनुमति देता है।
- यह सेवा प्रत्येक निवेशक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार की गई है तथा यह सुनिश्चित करती है कि यह उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करना

प्रस्तावित नवीन पूंजी वर्ग क्या है?

- **न्यूनतम निवेश सीमा:** नवीन पूंजी वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम निवेश सीमा प्रति निवेशक 10 लाख रुपए प्रस्तावित की गई है।
- **विशिष्ट नामकरण:** सेबी ने इस नवीन पूंजी वर्ग के लिये विशिष्ट नामकरण का प्रस्ताव किया है ताकि इसे पारंपरिक MF, PMS, वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds- AIF), रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (Real Estate Investment Trusts- REIT) और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (Infrastructure Investment Trusts- INVIT) से अलग किया जा सके।
- **निवेश रणनीतियाँ:** कुछ निवेश रणनीतियाँ जिनकी अनुमति दी जा सकती है, उनमें दीर्घ-अल्प अवधि इक्विटी फंड और इनवर्स एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (Exchange-Traded Fund- ETF) (ऐसे फंड जो स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किये जाते हैं, काफी हद तक व्यक्तिगत स्टॉक की तरह) शामिल हैं।
  - ◆ निवेशकों के पास नए परिसंपत्ति वर्ग के अंतर्गत निवेश रणनीतियों के लिये व्यवस्थित निवेश योजना (Systematic Investment Plan- SIP), व्यवस्थित निकासी योजना (Systematic Withdrawal Plan- SWP) और व्यवस्थित हस्तांतरण योजना (Systematic Transfer Plan- STP) जैसी व्यवस्थित योजनाओं का विकल्प भी हो सकता है।
- **एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) के लिये पात्रता मानदंड:**
  - ◆ **पात्रता के दो मार्ग:**
    - **पहला मार्ग:** कम-से-कम तीन वर्षों से परिचालनरत विद्यमान एमएफ, जिनकी **औसत प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (AUM)** 10,000 करोड़ रुपए है तथा जिनके प्रायोजक/AMC के **विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में सेबी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं** की गई है, वे सीधे इस नए वर्ग में उत्पाद पेश कर सकते हैं।

- **दूसरा मार्ग:** मौजूदा और नए MF जो पहले पात्रता मार्ग को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें कम-से-कम 10 वर्ष के फंड प्रबंधन अनुभव वाले और कम-से-कम 5,000 करोड़ रुपए के AUM का प्रबंधन करने वाले मुख्य निवेश अधिकारी (Chief Investment Officer- CIO) की नियुक्ति करनी चाहिये।
- न्यूनतम 7 वर्ष के निवेश प्रबंधन अनुभव वाले और 3,000 करोड़ रुपए के AUM का प्रबंधन करने वाले अतिरिक्त फंड मैनेजर की नियुक्ति।

- **संभावित लाभ और निहितार्थ:**
  - **विनियमित निवेश उत्पाद:** नवीन पूंजी वर्ग से निवेशकों को एक विनियमित निवेश उत्पाद प्रदान करने की उम्मीद है, जो **उच्च जोखिम लेने की क्षमता और उच्च टिकट आकार (ticket size)** प्रदान करता है।
  - **MF और PMS के बीच की खाई को पाटना:** नवीन पूंजी वर्ग का उद्देश्य MF और PMS के बीच की खाई को भरना है, जो निवेशकों के उभरते वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पाद प्रस्तुत करता है।
  - **MF की भूमिका को सुदृढ़ करना:** नवीन पूँजी वर्ग, उत्पादों के पेशकश के लिये पात्रता मानदंड निवेश परिदृश्य में स्थापित MF और AMC की स्थिति को मज़बूत कर सकते हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI)

SEBI एक **सांविधिक निकाय** है, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में **भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992** के प्रावधानों के अनुसार निवेशकों के हितों की रक्षा करने तथा प्रतिभूति बाज़ार को विनियमित करने के लिये की गई थी।

- इसका **मुख्यालय मुंबई में स्थित** है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में हैं।
- सेबी की स्थापना से पूर्व **पूंजी निर्गम नियंत्रक, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947** के अंतर्गत पूंजी बाज़ारों को विनियमित करता था।
  - वर्ष 1988 में सेबी का गठन एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से भारत में पूंजी बाज़ारों के लिये नियामक प्राधिकरण के रूप में किया गया था।
  - प्रारंभ में सेबी एक गैर-सांविधिक निकाय था, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे स्वायत्तता और सांविधिक शक्तियाँ प्राप्त हुईं।
- सेबी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य शामिल हैं। सेबी वर्तमान मुद्दों को संबोधित करने के लिये आवश्यकतानुसार समितियों का गठन करता है।
  - सेबी के निर्णयों से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा के लिये **प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT)** की स्थापना की गई है, जिसमें एक पीठासीन अधिकारी और दो सदस्य हैं।
  - SAT को सिविल न्यायालय के समान अधिकार प्राप्त हैं तथा इसके निर्णयों के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

प्रोजेक्ट अस्मिता

हाल ही में, **आगामी पाँच वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने** के लिये **अनुवाद और अकादमिक लेखन के माध्यम से भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री का संवर्द्धन (Augmenting Study Materials in Indian languages through Translation and Academic Writing- ASMITA)** परियोजना शुरू की गई।

- यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** के अनुरूप शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा की गई कई पहलों में से एक है।

प्रोजेक्ट अस्मिता क्या है?

- **परिचय:**
  - इसे **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय** और **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)** द्वारा लॉन्च किया गया था।
  - यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिये UGC और **भारतीय भाषा समिति** द्वारा किया गया संयुक्त प्रयास है।
    - विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव के लिये UGC की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी (वर्ष 1956 में सांविधिक संगठन बना)।
    - **भारतीय भाषा समिति** वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार के लिये आधारभूत समिति है।
  - इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य विश्वविद्यालयों के साथ-साथ **13 नोडल विश्वविद्यालयों** की पहचान की गई है।
  - UGC ने प्रत्येक निर्दिष्ट भाषा में पुस्तक-लेखन प्रक्रिया के लिये एक **मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)** बनाई है।
  - इस परियोजना का लक्ष्य **पाँच वर्षों के** भीतर **22 भाषाओं में 1,000 पुस्तकें** तैयार करना है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार होंगी।

- इसके अतिरिक्त आयोग का लक्ष्य जून 2025 तक **कला, विज्ञान और वाणिज्य** स्ट्रीम पर आधारित **1,800 पाठ्यपुस्तकें** तैयार करना है।

- **प्रोजेक्ट अस्मिता के साथ शुरू की गई अन्य पहलें:**
  - **बहुभाषा शब्दकोष:**
    - **केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (Central Institute of Indian Languages)** द्वारा **भारतीय भाषा समिति** के सहयोग से विकसित यह एक व्यापक बहुभाषी शब्दकोश संग्रह है।
    - इससे आईटी, उद्योग, अनुसंधान और **शिक्षा** जैसे विभिन्न आधुनिक क्षेत्रों में भारतीय शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
  - **रीयल-टाइम अनुवाद वास्तुकला:**
    - **राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (National Educational Technology Forum)** और **भारतीय भाषा समिति** द्वारा विकसित, इसका उद्देश्य **भारतीय भाषाओं** में रीयल-टाइम अनुवाद को बढ़ाने के लिये एक रूपरेखा बनाना है।
  - NETF की परिकल्पना एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई है, जिसे एक सोसायटी के रूप में शामिल किया गया है, जो NEP उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रौद्योगिकी की तैनाती, प्रेरण और उपयोग पर निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा।
- **उद्देश्य:**
  - इससे **22 अनुसूचित भाषाओं में शैक्षणिक संसाधनों** का एक व्यापक पूल बनाने, भाषाई विभाजन को पाटने, सामाजिक सामंजस्य और एकता को बढ़ावा देने तथा देश के युवाओं को सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार वैश्विक नागरिकों में बदलने में मदद मिलेगी।

नोट: भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित **22 भाषाएँ** शामिल हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी।

असम में विदेशी अधिकरण

हाल ही में असम सरकार ने राज्य पुलिस की सीमा विंग से कहा कि वह वर्ष 2014 से पहले **अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के मामलों** को **विदेशी अधिकरणों (Foreigners Tribunal- FT) को अग्रेषित न करें।**

- यह **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019** के अनुरूप था, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से उत्पीड़न के कारण प्रवास करने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तथा बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के लिये **नागरिकता का आवेदन** करने का अवसर प्रदान करता है।

विदेशी अधिकरण (FT) से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:**
  - **विदेशी अधिकरण (FT) अर्द्ध-न्यायिक निकाय** होते हैं, जिनका गठन केंद्र सरकार द्वारा **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3** के अंतर्गत **विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964** के माध्यम से किया गया है जिसका उद्देश्य किसी राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों को किसी संदिग्ध विदेशी व्यक्ति को अधिकरण के पास भेजने की अनुमति प्रदान करना है।
- **विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश (2019 संशोधन):** मूल आदेश में **वर्ष 2019 में किया गया संशोधन** केवल यह **रूपरेखा प्रदान करता है** कि **अधिकरण** उन व्यक्तियों की अपीलों पर किस प्रकार निर्णय लेंगे जो NRC **के लिये** दायर अपने दावों और आक्षेपों के परिणाम से तुष्ट नहीं हैं।
  - **गृह मंत्रालय (MHA)** ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में **ज़िला मजिस्ट्रेटों को** अधिकरण स्थापित करने का **अधिकार** भी **प्रदान किया है।**
  - ये सभी आदेश **संपूर्ण देश में क्रियान्वित** हैं और राज्य विशिष्ट नहीं हैं।
    - हालाँकि इस आदेश के तहत विदेशी अधिकरण **केवल असम में स्थापित किये गए हैं और देश के किसी अन्य राज्य में नहीं** तथा इस प्रकार यह संशोधन वर्तमान में केवल असम के लिये प्रासंगिक प्रतीत होता है।
    - इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों में **"अवैध अप्रवासियों" के मामलों** पर निर्णय **विदेशियों विषयक अधिनियम** के अनुसार लिया जाता है।
- **मामलों के प्रकार:** FT को **दो प्रकार के मामले** प्राप्त होते हैं:
  - जिनके लिये सीमा पुलिस द्वारा "संदर्भ" दिया गया है।
  - जिनके नाम मतदाता सूची में D [Doubtful (शंकास्पद)] मतदाता के रूप में दर्ज है।
    - **'D' अथवा शंकास्पद मतदाताओं** के मामलों को **भारत के निर्वाचन आयोग** द्वारा भी FT को भेजा जा सकता है।

- **संरचना:**
  - प्रत्येक FT की **अध्यक्षता न्यायाधीशों,** अधिवक्ताओं और न्यायिक अनुभव वाले **सिविल सेवकों में से चुने गए सदस्यों द्वारा की जाती है।**
  - न्यायाधीशों/अधिवक्ताओं को समय-समय पर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार **विदेशी अधिकरण अधिनियम, 1941** और विदेशी विषयक अधिकरण आदेश, 1964 **के तहत FT के सदस्यों के रूप में नियुक्त** किया गया है।
- **प्रकार्य:**
  - 1964 के आदेश के अनुसार, FT के पास कुछ विशिष्ट मामलों में **सिविल न्यायालय की शक्तियाँ** प्राप्त हैं जिनमें **किसी व्यक्ति को बुलाए जाने और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने,** शपथ पर उसका परीक्षण करने तथा किसी आवश्यक दस्तावेज़ को पेश करवाए जाने, जैसी शक्तियाँ शामिल हैं।
  - **अधिकरण को** संबंधित प्राधिकारी से **संदर्भ प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर** विदेशी होने के अभियुक्त व्यक्ति को **अंग्रेज़ी** या राज्य की आधिकारिक **भाषा में नोटिस देना आवश्यक** है।
  - FT को **संदर्भ के 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा** करना होता है।
    - **विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 9** के अनुसार **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** में किसी बात के होते हुए भी यह साबित करने का भार कि **संबद्ध व्यक्ति विदेशी है या नहीं, उसी व्यक्ति पर होगा।**
    - यदि व्यक्ति नागरिकता का कोई सबूत देने में विफल रहता है तो **FT उसे** बाद में निर्वासन के लिये **डिटेंशन सेंटर,** जिसे अब ट्रांज़िट कैंप कहा जाता है, **में भेज सकता है।**

अधिकरणों से संबंधित सांविधानिक प्रावधान

इसे **42वें संशोधन अधिनियम,** 1976 द्वारा शामिल किया गया था।

अनुच्छेद 323-A प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है।

अनुच्छेद 323-B अन्य मामलों के लिये अधिकरणों से संबंधित है।

- **विदेशी अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील:**
  - संबद्ध व्यक्ति द्वारा **समीक्षा आवेदन आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है** और FT मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगा।
  - FT द्वारा प्रतिकूल आदेश दिये जाने की स्थिति में उसके विरुद्ध **उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है** और उसके पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील दायर की जा सकती है।

असम की सीमा पुलिस की क्या भूमिका है?

- **असम पुलिस सीमा संगठन** की स्थापना **वर्ष** 1962 में **पाकिस्तानी घुसपैठ की रोकथाम (PIP) योजना** के तहत **राज्य पुलिस की विशेष शाखा** के एक हिस्से के रूप में की गई थी।
- इस संगठन को **वर्ष** 1974 में एक स्वतंत्र इकाई बना दिया गया।
- इस इकाई के सदस्यों को **अवैध विदेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने** तथा **सीमा सुरक्षा बल** के साथ भारत-बांग्लादेश सीमा पर गश्त करने का कार्य सौंपा गया है।

आकाशगंगा OJ 287 में ब्लैक होल

हाल ही में भारत सहित 10 देशों के 32 वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा किये गए एक अध्ययन में **आकाशगंगा OJ 287 में एक बड़े ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे एक छोटे ब्लैक होल** की उपस्थिति की पुष्टि की गई है। यह खोज नासा के TESS उपग्रह का प्रयोग करके की गई थी।

- **यह परिक्रमा करते ब्लैक होल युग्म का पहला प्रत्यक्ष प्रेक्षण था,** जो खगोलविदों द्वारा प्रस्तावित पिछले सिद्धांतों का समर्थन करता है।

नोट: अप्रैल 2018 में प्रक्षेपित नासा का **ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट (TESS)** ग्रहों की गति के कारण होने वाली आवधिक गिरावट का पता लगाने के लिये 200,000 से अधिक तारों की चमक की निगरानी करके एक्सोप्लेनेट की खोज पर केंद्रित है।

ब्लैक होल अत्यधिक सघन पिंड होते हैं, जिनका **गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वे प्रकाश को भी बाहर निकलने से रोकते हैं,** जिससे उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

इनका निर्माण तब होता है जब **एक विशाल तारा अपने जीवनकाल की समाप्ति में होता** है, जिसके परिणामस्वरूप एक सघन क्षेत्र बनता है जो आसपास के स्पेस टाइम को महत्त्वपूर्ण रूप से विकृत कर देता है।

बाह्यग्रह (एक्सोप्लैनेट) वे ग्रह हैं जो अन्य **तारों की परिक्रमा करते हैं तथा हमारे सौरमंडल** से परे हैं।

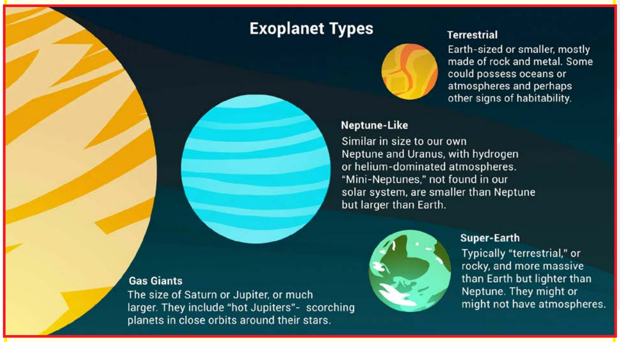

इन निष्कर्षों के निहितार्थ क्या हैं?

- **ब्लैक होल का विकास और विलय:** यह खोज बताती है कि **ब्लैक होल द्रव्यमान के संचय और विलय से बढ़ते** हैं, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल के विकास को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **एक्रीशन डिस्क और जेट निर्माण/विरचन:** बड़े ब्लैक होल की एक्रीशन डिस्क के साथ छोटे ब्लैक होल की परस्पर क्रिया जेट धाराओं (न्यूट्रॉन तारों या ब्लैक होल जैसे कॉम्पैक्ट एक्रीटिंग ऑब्जेक्ट्स द्वारा उत्पादित चुंबकीय प्लाज़्मा की कोलाइमेटेड धाराएँ) के निर्माण/विरचन में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, जो **सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक (AGN)** और आकाशगंगा के विकास को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
- **गुरुत्वाकर्षण तरंगें और ब्रह्मांडीय घटनाएँ: नैनो-हर्ट्ज गुरुत्वाकर्षण तरंगों का उत्सर्जन ब्रह्मांडीय घटनाओं और ब्लैक होल** की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिये नए अवसर प्रदान करता है, जो ब्लैक होल विलय दरों एवं आकाशगंगा विकास को समझने में सहायता करता है।
- **डार्क मैटर और ऊर्जा में अंतर्दृष्टि:** ब्लैक होल के व्यवहार का अध्ययन **डार्क मैटर और डार्क एनर्जी** में अप्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है।

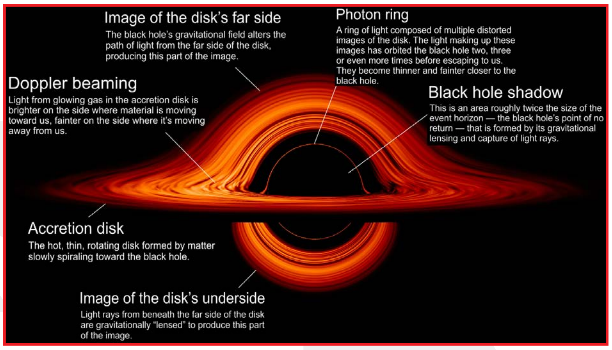

राष्ट्रीय ध्वज दिवस

भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस देश को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिलने (15 अगस्त 1947) से कुछ दिन पहले , **22 जुलाई 1947** को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय ध्वज दिवस क्या है?

- **परिचय:**
  - **22 जुलाई 1947 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद** की अध्यक्षता में **भारतीय संविधान सभा** ने **राष्ट्रीय ध्वज** को अपनाया।
  - **राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय गौरव, एकता और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है** तथा स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि है।
- **संकल्प और महत्त्व:**
  - पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, "यह संकल्प लिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया (केसरी), सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में क्षैतिज तिरंगा होगा।
    - सफेद पट्टी के बीच में चरखे को दर्शाने के लिये गहरे नीले रंग का एक चक्र होगा। इस चक्र का डिज़ाइन अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ पर बने चक्र जैसा होगा।
    - चक्र का व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के लगभग बराबर होगा। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात सामान्यत: 2:3 होगा।

नोट :

- **सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया,** जिससे ब्रिटिश शासन के अंत के साथ स्वतंत्रता और भविष्य की समृद्धि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई।

राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कानून क्या हैं?

- **परिचय:**
  - भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना/उपयोग करना/प्रदर्शित करना **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971** और **भारतीय ध्वज संहिता, 2002** द्वारा शासित है।
- **भारतीय ध्वज संहिता, 2002:**
  - **प्रावधान:**
    - जब भी राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाता है, तो **यह सम्मान की स्थिति में** होना चाहिये।
    - **क्षतिग्रस्त या अव्यवस्थित ध्वज को** नहीं फहराना चाहिये और उसका पूरी तरह से **निजी तौर पर निस्तारण कर दिया जाना चाहिये।**
  - क्षतिग्रस्त तिरंगे का निस्तारण करने के लिये दो स्वीकृत तरीके हैं, **या तो उसे दफनाना या जलाना**। राष्ट्रीय ध्वज का निस्तारण करते समय हमेशा इसकी गरिमा बनाए रखी जानी चाहिये।
    - ध्वज को किसी अन्य ध्वज के साथ **एक ही मास्टहेड/मस्तूल शिखर द्वारा नहीं फहराया जाना चाहिये।**
    - ध्वज को **ध्वज संहिता के भाग III की धारा IX** में उल्लिखित गणमान्य व्यक्तियों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि के अतिरिक्त **किसी भी अन्य वाहन पर नहीं फहराया जाना चाहिये।**
    - **किसी अन्य ध्वज या पताका को** राष्ट्रीय ध्वज से **ऊँचा या ऊपर या उसके बगल में नहीं रखा जाना** चाहिये।
    - कोई भी सार्वजनिक सदस्य, कोई निजी संगठन या कोई शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय **ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों एवं अवसरों पर, औपचारिक या अन्यथा, राष्ट्रीय ध्वज फहरा/प्रदर्शित कर सकता है।**
  - **हाल में हुए संशोधन:**
    - भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में वर्ष 2021 में संशोधन करके पॉलिएस्टर या मशीन से बने ध्वज को अनुमति दी गई और फिर वर्ष 2022 में ध्वज को दिन-रात फहराने की अनुमति दी गई।
    - भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में दो बार संशोधन किया गया: एक बार **वर्ष 2021 में पॉलिएस्टर या मशीन से बने ध्वज को अनुमति देने के लिये** और फिर वर्ष 2022 में ध्वज को दिन एवं रात दोनों समय फहराने की अनुमति देने हेतु।
    - **राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होगा।** ध्वज किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन ध्वज की लंबाई और ऊँचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होना चाहिये।
- **राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971:**
  - कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झंडे या भारत के संविधान या उसके किसी भाग को जलाता है, विकृत करता है, विरूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या अन्यथा उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

प्राकृतिक कृषि के विज्ञान पर कार्यक्रम

हाल ही में **"प्राकृतिक कृषि के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम"** में संधारणीय कृषि पद्धति के रूप में प्राकृतिक कृषि अर्थात् रसायन मुक्त कृषि के महत्त्व पर बल दिया गया।

- यह घोषणा की गई कि जो किसान अपनी भूमि के एक हिस्से पर तीन वर्षों तक प्राकृतिक कृषि करेंगे, वे सरकारी सब्सिडी के लिये पात्र होंगे।

प्राकृतिक कृषि क्या है?

- **परिचय:**
  - प्राकृतिक कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें **फसलों की कृषि के लिये न्यूनतम हस्तक्षेप** (कृषि विज्ञान अनुसंधान के

क्षेत्र में मृदा परीक्षण, पोषक तत्त्व प्रबंधन, सिंचाई, जुताई और कीट प्रबंधन सहित कई तरह की तकनीकें) **के साथ प्राकृतिक संसाधनों के ही उपयोग पर बल** दिया जाता है।

- इसका उद्देश्य कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों या शाकनाशियों पर निर्भर हुए बिना मृदा स्वास्थ्य, जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन को बढ़ाना है।
- यह मुख्य रूप से बायोमास पुनर्चक्रण पर आधारित है, जिसमें **बायोमास मल्चिंग, खेत में गाय के गोबर-मूत्र के फॉर्मूलेशन का उपयोग, मृदा में वायु संचार बनाए रखने के साथ सभी कृत्रिम रासायनिक आदानों/इनपुट का त्याग** करना शामिल है।

- **लक्ष्य और उद्देश्य:**
  - प्राकृतिक वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण करना।
  - मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए करना।
  - फसल उत्पादन में विविधता बनाए रखना।
  - भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना।
  - प्राकृतिक लाभकारी कीटों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा देना।
  - पशुधन एकीकरण के लिये स्थानीय नस्लों को बढ़ावा देना।
  - प्राकृतिक/स्थानीय संसाधन-आधारित आदानों/इनपुट का उपयोग करना।
  - कृषि उत्पादन की इनपुट लागत कम करना।
  - किसानों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना।
- **प्राकृतिक कृषि के तत्त्व:**

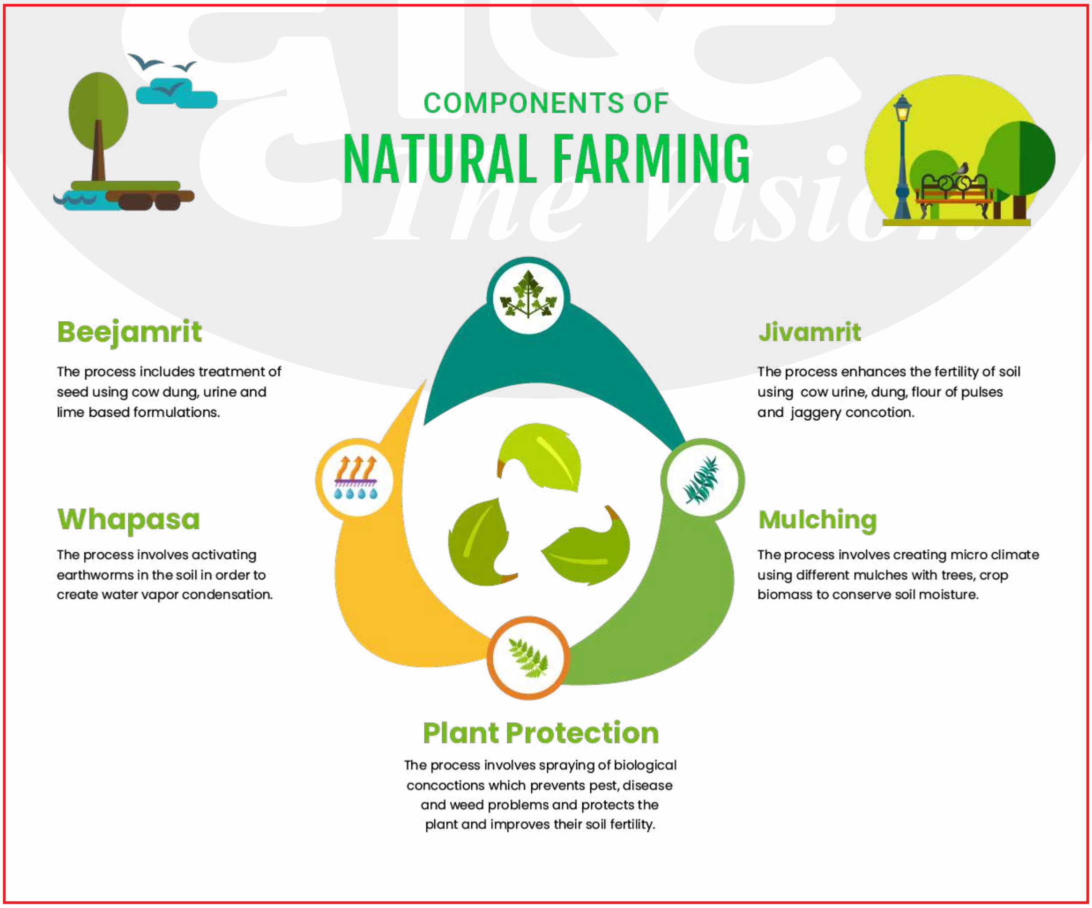

- **वर्तमान परिदृश्य:**
  - आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम शुरू किये हैं।
  - वर्तमान में भारत में **10 लाख हेक्टेयर** से अधिक भूमि का उपयोग प्राकृतिक कृषि के लिये किया जा रहा है।
- **सरकारी योजनाएँ:**
  - **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP):** यह **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)** के तहत एक उप-मिशन है, जो **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA)** के अंतर्गत आता है।
  - **राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन**

तालिका 1: जैविक और प्राकृतिक कृषि के बीच अंतर

जैविक कृषि	प्राकृतिक कृषि
जैविक उर्वरक और खाद जैसे कृषि आदान, बाह्य स्रोतों से प्राप्त वर्मी-कम्पोस्ट और गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है।	प्राकृतिक कृषि में मृदा में न तो रासायनिक और न ही जैविक खाद डाली जाती है। वास्तव में मृदा में कोई बाह्य तौर पर या अतिरिक्त पोषक तत्त्व नहीं मिलाया जाता है।
जैविक कृषि अभी भी महंगी है क्योंकि इसमें वृहत मात्रा में खाद की आवश्यकता होती है और इसका पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है।	यह कम लागत वाली कृषि पद्धति है, जो स्थानीय जैवविविधता के साथ पूरी तरह से संतुलन स्थापित करती है।
जैविक कृषि में खाद और कम्पोस्ट को मृदा में मिलाया जाता है ताकि इनका अच्छी तरह अपघटन हो सके जिसके लिये अधिक प्रयास और लागत की आवश्यकता होती है।	प्राकृतिक कृषि में सूक्ष्मजीवों और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया मृदा की सतह पर ही की जाती है, जिससे धीरे-धीरे मृदा में पोषक तत्त्वों की वृद्धि होती जाती है।
जैविक कृषि द्वारा निकटवर्ती परिवेश/पर्यावरण पर कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है।	प्राकृतिक कृषि द्वारा निकटवर्ती परिवेश/पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह जैवविविधता की स्थानीय प्रक्रियाओं के अनुरूप होती है।
इसमें प्रमाणन के उद्देश्य से दिशानिर्देशों और विनियमों का पालन किये जाने की भी आवश्यकता होती है।	यह कम विनियमित होती है।

असम के मोईदाम को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार

हाल ही में **विश्व धरोहर समिति** के 46वें सत्र के दौरान **अहोम राजवंश** के **'मोईदाम'** को **विश्व धरोहर स्थल सूची** में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

- भारत पहली बार जुलाई 2024 में नई दिल्ली में होने वाले इस सत्र की मेजबानी कर रहा है।
- वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 168 देशों की 1,199 संपत्तियाँ शामिल हैं।

मोईदाम क्या थे?

- ये असम के चराईदेव ज़िले में अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के लिये बनी कब्रगाह (13वीं-19वीं शताब्दी) हैं।
- इनका निर्माण मुख्य रूप से मिट्टी, ईंटों और पत्थर से किया गया था।
  बाहरी संरचना में आमतौर पर मिट्टी का एक टीला होता था, जो अक्सर ईंट या पत्थर की दीवार से घिरा होता था।
- इसमें अहोम साम्राज्य के शाही परिवारों के सदस्यों के पार्थिव अवशेषों को दफनाया जाता था।

नोट :

- 18वीं शताब्दी के बाद, अहोम शासकों ने हिंदू दाह संस्कार पद्धति को अपनाया और चराईदेव में दाह संस्कार की बची हड्डियों और राख को दफनाना शुरू कर दिया।

- अहोम राजवंश की ये दफन पद्दतियाँ **चीन के प्राचीन शाही मकबरों और मिस्र के फिरौन के पिरामिडों** से तुलनीय हैं।

अहोम साम्राज्य के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- **परिचय:**
  - अहोम साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1228 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में हुई थी और इसने 600 वर्षों तक अपनी संप्रभुता बनाए रखी।
  - इसकी स्थापना 13वीं शताब्दी के शासक छोलुंग सुकफा (Chaolung Sukapha) ने वर्ष 1253 में की थी।
  - चराईदेव उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो गुवाहाटी से 400 किमी पूर्व में स्थित थी।
  - अहोम राजवंश ने लगभग 600 वर्षों तक शासन किया, जब तक कि वर्ष 1826 में यांडबू की संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने असम पर कब्ज़ा नहीं कर लिया था।
- **राजनीतिक व्यवस्था:**
  - अहोमों ने **भुइयाँ (ज़मींदारों)** की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन कर एक नया साम्राज्य स्थापित किया।
  - यह राज्य **बलात् श्रम** पर निर्भर था। राज्य के लिये इस प्रकार का श्रम करने वालों को **पाइक (Paik)** कहा जाता था।
- **समाज:**
  - अहोम समाज **कुलों या खेलों में विभाजित** था। एक खेल के तहत प्राय: कई गाँवों को नियंत्रित किया जाता था।
  - अहोम साम्राज्य के लोग अपने **स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा** करते थे, फिर भी **उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार किया।**
    - हालाँकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद **अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा।**
- **सैन्य रणनीति:**
  - अहोम सेना की पूरी टुकड़ी में **पैदल सेना, नौसेना, तोपखाने, हाथी, घुड़सवार सेना और जासूस शामिल** थे।
    - मुख्य आयुध में **तीर-धनुष, तलवारें, भाले, बंदूकें, बारूद वाले आग्नेयास्त्र और तोपें** शामिल थीं।
  - अहोम सैनिक गुरिल्ला युद्धकला में निपुण थे। उन्होंने ब्रह्मपुत्र में नौका सेतु (Boat Bridges) बनाने की तकनीक भी सीखी।
  - **लाचित बोड़फुकन** के नेतृत्व में अहोम नौसेना ने **सन् 1671 में सरायघाट के युद्ध में औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान** राम सिंह प्रथम की कमान वाली **मुगल सेना को हराया** था।
    - **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक** दिया जाता है।
  - यह **पदक वर्ष 1999 में रक्षा कर्मियों को** बोड़फुकन की वीरता और बलिदान का अनुकरण करने के क्रम में **प्रेरित करने** हेतु शुरू किया गया था।

यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल क्या हैं?

विश्व धरोहर/विरासत स्थल का आशय एक ऐसे स्थान से है, जिसे **यूनेस्को** द्वारा उसके विशिष्ट सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्त्व के कारण सूचीबद्ध किया गया है।

विश्व धरोहर स्थलों की सूची को **'विश्व धरोहर कार्यक्रम'** द्वारा तैयार किया जाता है, **यूनेस्को की 'विश्व धरोहर समिति'** द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है।

यह सूची, यूनेस्को द्वारा **वर्ष 1972 में** अपनाई गई **'विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन'** नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि से संबंधित है।

भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं (34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल)। नवीनतम स्थलों में **शांतिनिकेतन (2023)** और **होयसल के पवित्र मंदिर (2023) शामिल** हैं।

भारत में मध्य-वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन: CREA

हाल ही में **सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA)** द्वारा द्वारा भारत में जनवरी से जून 2024 तक की अवधि को कवर करते हुए **मध्य-वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन** किया गया, जो देश के वायु प्रदूषण के स्तर का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।

- यह रिपोर्ट भारतीय शहरों में वायु **प्रदूषण की गंभीरता और वितरण पर प्रकाश** डालने के साथ इस पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिये कड़े उपायों के महत्त्व पर बल देती है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - **असम-मेघालय सीमा पर स्थित बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है,** जहाँ PM 2.5 की औसत सांद्रता 140 μg/m³ **(माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर)** है।
  - भारत के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों में से तीन हरियाणा में, दो-दो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तथा एक-एक दिल्ली, असम एवं बिहार में है।
    - दिल्ली को तीसरे सबसे प्रदूषित शहर (जहाँ PM2.5 का स्तर 102 μg/m³ है) के रूप में शामिल किया गया है जो **राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS)** और **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के दिशा-निर्देशों से अधिक है।

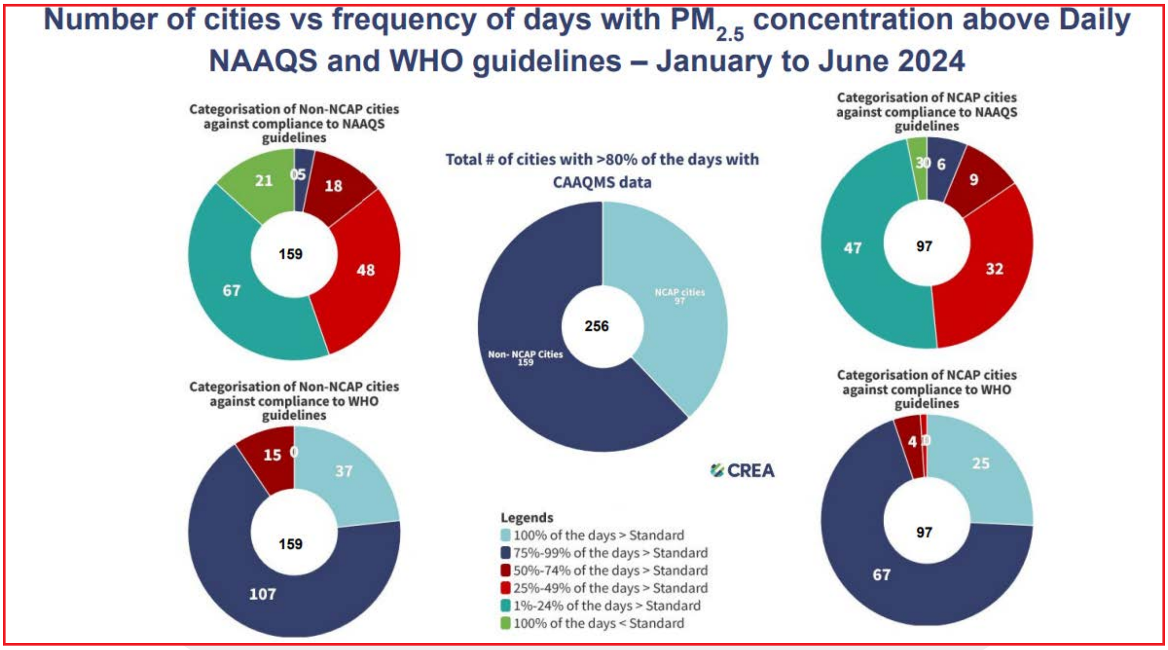

Top 10 most polluted cities in India by $PM_{2.5}$ concentration – January to June 2024

Days in respective AQI categories based on $PM_{2.5}$ (μg/m³) – January to June 2024								
City	Monitored days	Days > NAAQS	Good (0-30)	Satisfactory (31-60)	Moderate (61-90)	Poor (91-120)	Very poor (121-250)	Severe (>250)
Byrnihat	176	165	5	23	11	24	107	6
Faridabad	182	181	0	18	62	58	41	3
Delhi	182	180	0	28	84	25	41	4
Gurgaon	182	181	0	17	68	52	44	1
Bhagalpur	182	167	4	57	53	22	42	4
Sri Ganganagar	179	173	2	29	72	32	43	1
Greater Noida	182	176	4	47	58	31	39	3
Muzaffarnagar	181	180	0	38	67	37	39	0
Ballabgarh	182	179	0	23	69	63	26	1
Bhiwadi	181	177	2	23	74	50	32	0

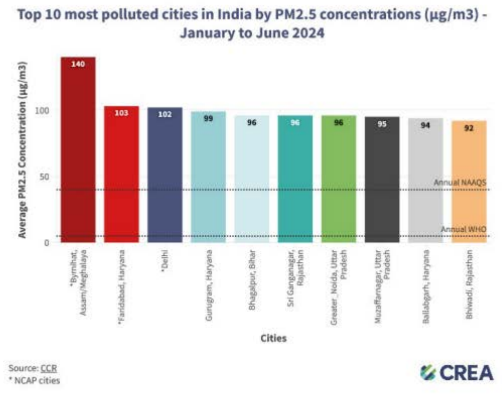

- शामिल किये गए 256 शहरों में से 163 शहरों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के वार्षिक स्तर (40 $\mu g/m^3$) से अधिक प्रदूषण था जबकि सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर WHO द्वारा निर्धारित वार्षिक सांद्रता मानक (5 $\mu g/m^3$) से अधिक था।
  - **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)** के तहत शामिल 97 शहरों में से 63 शहरों में प्रदूषण की सांद्रता, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक थी।

वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

भारत स्टेज उत्सर्जन मानक

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली (सफर) पोर्टल

वायु गुणवत्ता सूचकांक

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

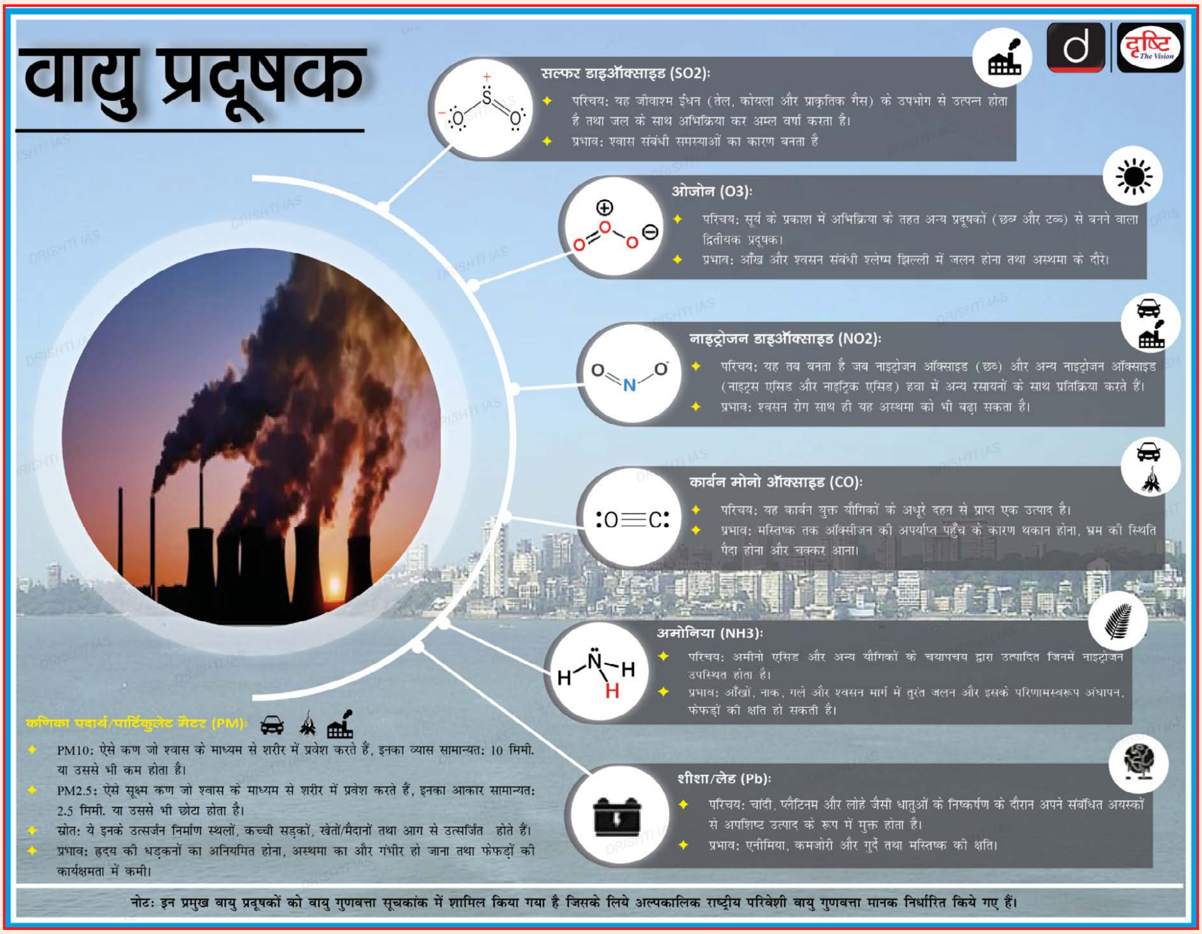

- राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक प्रदूषण वाले 163 शहरों में से केवल 63 ही NCAP का हिस्सा हैं और इस प्रकार से 100 शहरों में वायु प्रदूषण कम करने की कोई कार्य-योजना नहीं है।
- **शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहर 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** से शामिल थे, जो भारत में वायु प्रदूषण की व्यापक प्रकृति को दर्शाते हैं।

नोट :

- छह नए **सतत् परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (CAAQMS)** शामिल होने से इनकी कुल संख्या बढ़कर 545 हो गई।
- **कर्नाटक और महाराष्ट्र में "अच्छा" और "संतोषजनक" श्रेणियों** के तहत सबसे अधिक शहर थे, जबकि बिहार में "मध्यम" श्रेणी में सबसे अधिक शहर थे।

- **निहितार्थ:**
  - बर्नीहाट और दिल्ली में पीएम 2.5 का उच्च स्तर **स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण उपायों की तत्काल आवश्यकता को** रेखांकित करता है।
    - हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में प्रदूषण की व्यापकता, वायु गुणवत्ता के मुद्दों से निपटने के लिये **समन्वित क्षेत्रीय प्रयासों** पर बल देती है।
  - यह तथ्य कि राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक प्रदूषण वाले 100 शहर NCAP के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, भारत के **वायु गुणवत्ता प्रबंधन ढाँचे में एक महत्त्वपूर्ण अंतराल पर प्रकाश डालता** है।
    - इन शहरों को शामिल करने के लिये NCAP का विस्तार करना, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - PM2.5 के उच्च स्तरों के लगातार संपर्क में रहने से **श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियों** सहित **गंभीर स्वास्थ्य संबंधी परिणाम** होते हैं।
    - रिपोर्ट के निष्कर्ष लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देते हैं।
  - CAAQMS में वृद्धि एक सकारात्मक कदम है, लेकिन डेटा अंतराल और गैर-संचालन स्टेशन **बेहतर निगरानी बुनियादी ढाँचे** एवं रखरखाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
- **नीतिगत सिफारिशें:** उत्सर्जन मानकों को **मज़बूत करना, हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना** और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना प्रदूषण के स्तर को काफी कम कर सकता है।
  - **स्थायी वायु गुणवत्ता सुधार के लिये सामुदायिक भागीदारी और पर्यावरण कानूनों** का कठोर प्रवर्तन आवश्यक है।

पंचमसाली लिंगायतों की कोटा मांग

हाल ही में **कर्नाटक के प्रमुख लिंगायत समुदाय** के भीतर एक उप-जाति **पंचमसाली लिंगायत**, **अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** की **श्रेणी 2A में शामिल होने की मांग** कर रहे हैं।

- इस कदम का उद्देश्य कर्नाटक के OBC कोटा मैट्रिक्स की श्रेणी 3B के तहत **मौजूदा 5% कोटा के विपरीत, सरकारी नौकरियों और शैक्षिक प्रवेश में 15% कोटा सुरक्षित** करना है।

पंचमसाली लिंगायतों की कोटा मांग क्या है?

- **पंचमसाली लिंगायत:** लिंगायत, जिन्हें आधिकारिक तौर पर **हिंदू उपजाति 'वीरशैव लिंगायत'** के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 12वीं शताब्दी के **दार्शनिक-संत बसवन्ना के अनुयायी** हैं।
  - बसवन्ना ने एक **कट्टरपंथी जाति-विरोधी आंदोलन** की शुरुआत की, जिसमें **रूढ़िवादी हिंदू प्रथाओं** को अस्वीकार करते हुए भगवान, विशेष रूप से **भगवान शिव** के साथ एक व्यक्तिगत, भावनात्मक संबंध की अवधारणा दी।
  - लिंगायत समुदाय में **विभिन्न उपजातियाँ शामिल** हैं, जिनमें **कृषि प्रधान पंचमसाली** सबसे बड़ी हैं, जो लिंगायत आबादी का लगभग **70% और कर्नाटक की कुल आबादी का लगभग 14% हिस्सा** बनाती हैं।
- **कर्नाटक में मौजूदा ओबीसी कोटा श्रेणियाँ:**
  - श्रेणी 2**A में शामिल करने की मांग वर्ष 2020 में प्रमुखता से उभरी।**
  - कर्नाटक में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में **32% ओबीसी आरक्षण पाँच श्रेणियों में विभाजित है।**
  - श्रेणी 2A में 102 जातियाँ शामिल हैं,जिसमें पंचमसाली भी शामिल होना चाहते हैं।
    - **जटिल वर्गीकरण का उद्देश्य प्रमुख ओबीसी समूहों को कोटा लाभों पर एकाधिकार करने से रोकना है,** ताकि सापेक्ष हाशिये पर स्थित समान वितरण सुनिश्चित हो सके।

नोट :

Table 1: Karnataka's current quota matrix

CATEGORY		QUOTA
Other Backward Classes (OBC)		**32**
Category 1	Backward Castes	4
Category 2A	Other Backward Classes	15
Category 2B	Muslims	4
Category 3A	Vokkaliga, etc.	4
Category 3B	Lingayat, etc.	5
Scheduled Castes (SC)		**15**
Scheduled Tribes (ST)		**3**
Economically Weaker Sections (EWS)		**10**
TOTAL RESERVATIONS		**60**

- **सरकार द्वारा पूर्व में उठाए गए कदम:**
  - पिछली राज्य सरकार ने श्रेणी 2B के तहत **4% मुस्लिम कोटा वोक्कालिगा और लिंगायत को पुन: आवंटित करके** पंचमसाली को खुश करने का प्रयास किया, जिससे नई श्रेणियाँ 2C तथा 2D बनाई गईं।
  - इससे **लिंगायत कोटा 5% से बढ़कर 7% और वोक्कालिगा कोटा 4% से बढ़कर 6%** हो गया।
    - हालाँकि पंचमसाली ने श्रेणी 2A में शामिल किये जाने पर ज़ोर दिया और पुन: आवंटन को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
- **वर्तमान स्थिति और सरकार का रुख:**
  - **सरकार सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी समाधान की प्रतीक्षा कर रही है।** कर्नाटक सामाजिक, आर्थिक और जाति सर्वेक्षण के निष्कर्ष, जिनसे भविष्य की कोटा योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, भी लंबित हैं।
  - राज्य सरकार **संतुलन बनाने के लिये सभी लिंगायतों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने पर विचार कर सकती** है।
    - **वर्तमान में, केवल 16 लिंगायत उप-जातियों को, जिन्हें "बहुत पिछड़ा"** माना जाता है, केंद्रीय सरकार की नौकरियों और कॉलेज प्रशासन के लिये ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण प्रदान किया जाता है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि संबंधी पहल

केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने **नमो ड्रोन दीदी योजना** के तहत **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG)** को ड्रोन प्रदान करने के लिये 500 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की, साथ ही एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने हेतु समर्थन दिया।

कृषि के क्षेत्र में प्रमुख पहल क्या हैं ?

- **नमो ड्रोन दीदी योजना:**
  - **यह योजना मार्च 2024 में शुरू की गई थी** और इसका उद्देश्य **15,000 चयनित महिला** स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्यों के लिये किसानों को किराये पर देने हेतु **ड्रोन प्रदान करना है।**
    - कार्यान्वयन अवधि वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक है।
    - केंद्रीय बजट वर्ष 2024-25 के तहत इस पहल के लिये 500 करोड़ रुपए निर्धारित किये गए हैं।
  - यह योजना **ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कृषि में तकनीकी प्रगति से एकीकृत करके उन्हें सशक्त बनाएगी,** जिससे उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।

- ड्रोन **परिशुद्ध कृषि (Precision Agriculture) के माध्यम से कृषि दक्षता को बढ़ाएंगे,** जिससे बेहतर फसल प्रबंधन और उपज अनुकूलन हो सकेगी।

- **प्राकृतिक कृषि हेतु समर्थन:**
  - एक करोड़ किसानों को प्रामाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से **प्राकृतिक कृषि पद्धतियों** को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
    - **प्राकृतिक कृषि** एक कृषि पद्धति है जिसमें फसलों की कृषि के लिये **न्यूनतम हस्तक्षेप** और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर ज़ोर दिया जाता है।
  - यह कार्य वैज्ञानिक संस्थाओं और इच्छुक **ग्राम पंचायतों** के माध्यम से किया जाएगा।
  - **राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के तहत वर्ष 2024-25 के लिये 365.64 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।**
    - 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-आगत संसाधन केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

- **जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट:**
  - राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट जारी करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे एकल खिड़की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 13 सरकारी योजनाओं तक पहुँच सुगम हो जाएगी।

- **दलहन, तिलहन और सब्ज़ी उत्पादन:**
  - **दलहनों और तिलहनों में आत्मनिर्भरता हासिल करने** हेतु एक रणनीति तैयार की जा रही है, जो महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भारत वर्तमान में खाद्य तेल के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।
  - प्रमुख उपभोग केंद्रों के निकट **सब्ज़ी उत्पादन हेतु बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित किये जाएंगे।**
    - इसमें कुशल आपूर्ति शृंखलाओं के लिये **किसान-उत्पादक संगठनों**, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना शामिल है।

- **राष्ट्रीय सहकारिता नीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था:**
  - सरकार ने **सहकारी क्षेत्र** के व्यवस्थित और सुव्यवस्थित सर्वांगीण विकास के लिये **राष्ट्रीय सहयोग नीति** की घोषणा की।
  - ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को गति देना और बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करना नीति का लक्ष्य होगा।

- **झींगा उत्पादन और निर्यात:**
  - भारत **विश्व के सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में से एक है।**
    - वर्ष 2022-23 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात 8.09 बिलियन अमेरीकी डॉलर रहा, जिसमें झींगा का हिस्सा 5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ सबसे अधिक रहा।
  - **झींगा ब्रूड-स्टॉक्स न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने** के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि **झींगा पालन, उनके प्रसंस्करण और निर्यात के लिये नाबार्ड** के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि से संबंधित अन्य पहल

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)**
- **राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन**
- **परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)**
- **कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF)**
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**
- **एग्रीस्टैक**
- **डिजिटल कृषि मिशन**
- **एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)**
- **कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)**

हुमायूँ का मकबरा विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय

हुमायूँ का मकबरा, विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय, आगंतुकों के लिये खुलने वाला है। दिल्ली के निज़ामुद्दीन में सुंदर नर्सरी और हुमायूँ के मकबरे के बीच स्थित यह संग्रहालय आगंतुकों को दूसरे मुगल सम्राट हुमायूँ के जीवन एवं समय के बारे में एक अनूठी जानकारी प्रदान करता है।

हुमायूँ के मकबरे स्थल संग्रहालय की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **भूमिगत डिज़ाइन:** संग्रहालय को एक **बावली** की तरह डिज़ाइन किया गया है और इसमें 100 सीटों वाला सभागार, अस्थायी गैलरी, कैफे, बैठक कक्ष एवं एक पुस्तकालय शामिल हैं।
- **अद्वितीय व्यक्तिगत वस्तुएँ:** कलाकृतियाँ जैसे कि **हुमायूँ के जीवनी लेखक जौहर आफताबची (Jauhar Aftabchi) का नाशपाती के आकार का पानी का बर्तन तथा हुमायूँ द्वारा फारस यात्रा** के दौरान खाना पकाने के बर्तन के रूप में उपयोग किया गया हेलमेट।
  - संग्रहालय में प्रदर्शित कलाकृतियाँ राष्ट्रीय संग्रहालय से 10 वर्षों के लिये उधार पर ली गई हैं, जिससे आगंतुकों हेतु एक समृद्ध और विविध प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।

- **मुगल सिक्के और सिंहासन:** प्रदर्शनी में 18 मुगलकालीन राजाओं के शासनकाल के सिक्के और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का सिंहासन शामिल हैं।
  - **मुख्य आकर्षणों में शामिल हैं:** अकबर के काल के सिक्के, जिनके एक तरफ **'अल्लाह' और दूसरी तरफ 'राम'** लिखा है। जहाँगीर के काल के कीमती सिक्के। बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा ढाले गए दुर्लभ सिक्के।
- **वास्तुकला और व्यक्तित्व:** हुमायूँ के मकबरे की वास्तुकला तथा सम्राट के व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रदर्शनी में हुमायूँ की यात्रा, प्रशासन, पढ़ने में रुचि, ज्योतिष, कला एवं वास्तुकला के प्रति उनके संरक्षण की कहानियाँ बताई गई हैं।
- **सांस्कृतिक हस्तियाँ:** 14वीं शताब्दी से निज़ामुद्दीन क्षेत्र से जुड़ी चार सांस्कृतिक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है : **सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, कवि अमीर ख़ुसरो देहलवी, अकबर की सेना के सेनापति और कवि रहीम एवं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने के लिये जाने जाने वाले दारा शिकोह।**
- संरक्षण प्रयास: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा प्रबंधित, यह संग्रहालय 300 एकड़ के हुमायूँ के मकबरे-सुंदर नर्सरी-निज़ामुद्दीन बस्ती क्षेत्र को शामिल करते हुए एक बड़े संरक्षण प्रयास का हिस्सा है।

हुमायूँ का मकबरा

वर्ष 1570 में निर्मित, हुमायूँ का मकबरा **भारतीय उपमहाद्वीप में पहला प्रमुख उद्यान मकबरा** है, जो मुगल वास्तुकला के लिये एक मिसाल कायम करता है, जिसकी परिणति ताजमहल में हुई। इसे उनकी पहली पत्नी, महारानी बेगा बेगम ने वर्ष 1569-70 में बनवाया था और इसे फारसी वास्तुकारों द्वारा डिज़ाइन किया गया था।

इसमें **नीला गुम्बद और अफगान कुलीन ईसा खान नियाज़ी** जैसे 16वीं सदी के अन्य मुगल मकबरे शामिल हैं।

मकबरे में एक **चारबाग उद्यान, एक ऊँची सीढ़ीदार चबूतरा और संगमरमर से बना गुंबद** है। **'मुगलों के शयनगृह'** के रूप में जाना जाने वाला मकबरा 150 से अधिक मुगल परिवार के सदस्यों का आवास रहा है।

मकबरा 14वीं सदी के **सूफी संत, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह** के आसपास केंद्रित है। इस मान्यता के कारण कि संत की कब्र के पास दफन होना सौभाग्य की बात है।

इसे वर्ष 1993 में **यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल** घोषित किया गया था और इसके जीर्णोद्धार का व्यापक कार्य किया गया है।

ASI और आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर इस स्थल का प्रबंधन करते हैं, तथा विभिन्न कानूनों के तहत इसके संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं।

हुमायूँ

प्रारंभिक शासनकाल: बाबर के सबसे बड़े बेटे हुमायूँ को अपने उत्तराधिकार के तुरंत बाद चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके शासन में **प्रशासनिक और वित्तीय अस्थिरता थी।**

प्रमुख युद्ध: चुनार की घेराबंदी (वर्ष 1532) हुमायूँ ने अफगानों के खिलाफ जीत हासिल की और चुनार किले की घेराबंदी की। **चौसा की लड़ाई (वर्ष 1539)** हुमायूँ को शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा, वह युद्ध के मैदान से बाल-बाल बच गया। **कन्नौज की लड़ाई (वर्ष 1540)** जिसे बिलग्राम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है शेर शाह सूरी की पूर्ण जीत ने हुमायूँ को निर्वासन में जाने के लिये मजबूर कर दिया।

हुमायूँ के भाई हिंडाल द्वारा विद्रोह तथा कामरान की योजनाओं सहित आंतरिक संघर्षों ने उसकी स्थिति को और कमज़ोर कर दिया।

हुमायूँ पंद्रह वर्ष के लिये निर्वासित हो गया। इस दौरान, उसने **हमीदा बानू बेगम** से निकाह किया और उससे उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम **अकबर** था ।

हुमायूँ ने फारस के शाह से सहायता मांगी, जो कुछ शर्तों के बदले में उसका समर्थन करने के लिये सहमत हुआ। फारसी सहायता से **हुमायूँ ने वर्ष 1545 में कंधार और काबुल पर कब्ज़ा कर लिया।**

फारसी प्रभाव: हुमायूँ ने फारसी प्रशासनिक प्रथाओं की शुरुआत की, राजस्व प्रणालियों में सुधार किया और फारसी कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया।

वास्तुशिल्प उपलब्धियाँ: उसने **दीनापनाह** की स्थापना की, जमाली मस्जिद का निर्माण किया और हुमायूँ के मकबरे का निर्माण शुरू किया, जिसे उसकी पत्नी हमीदा बानू बेगम ने पूरा किया।

सांस्कृतिक प्रभाव: हुमायूँ ने मीर सैय्यद अली और अब्दल समद जैसे फारसी कलाकारों को भारत लाकर **मुगल चित्रकला** के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उसने **निगार खाना (चित्रकला कार्यशाला)** की स्थापना की और **हमज़ा नामा** को चित्रित करने की परियोजना शुरू की, जिसे उसके उत्तराधिकारी अकबर ने जारी रखा।

साहित्यिक योगदान: उसकी बहन गुल बदन बेगम ने **"हुमायूँ-नामा"** लिखा, जिसमें उनके शासनकाल और विरासत का दस्तावेज़ीकरण किया गया।

AIM और WIPO के बीच आशय पत्र

हाल ही में, **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** ने **अटल नवाचार मिशन (AIM)** के साथ एक **संयुक्त आशय पत्र (JLoI)** पर हस्ताक्षर किये। JLoI का उद्देश्य **वैश्विक दक्षिण के देशों के लिये नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा (IP) हेतु कार्यक्रम विकसित करना है।**

- इस साझेदारी का उद्देश्य स्कूल स्तर से **बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR)** के विषय में समझ और जागरूकता बढ़ाना, विश्व की नवाचार क्षमता को उजागर करना तथा **समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।**

नोट:

- **भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** भारत ने अपनी उद्यमशीलता की यात्रा में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने के लिये अपने विशाल प्रतिभा पूल और गतिशील बाज़ार का लाभ उठाते हुए **नवाचार में वैश्विक अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित हुआ है।**
  - **वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रिपोर्ट** के अनुसार, **भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बना हुआ है।**

अटल नवाचार मिशन (AIM) क्या है?

- वर्ष 2016 में शुरू किया गया अटल नवाचार मिशन (AIM) भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसे देश में **नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति** को बढ़ावा देने के लिये **नीति आयोग** द्वारा स्थापित किया गया है।
  - अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम और नीतियाँ विकसित करना, विभिन्न हितधारकों के लिये मंच एवं सहयोग के अवसर प्रदान करना, जागरूकता पैदा करना तथा देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी हेतु एक छत्र संरचना (Umbrella Structure) निर्मित करना।
- **प्रमुख पहलें:**
  - **अटल टिंकरिंग लैब्स:** भारतीय स्कूलों में **समस्या समाधान मानसिकता विकसित करना।**
  - **अटल इनक्यूबेशन सेंटर:** विश्व स्तर पर **स्टार्टअप** को बढ़ावा देना और **इनक्यूबेटर मॉडल** में एक नया आयाम जोड़ना।
  - **अटल न्यू इंडिया चैलेंज: उत्पाद नवाचारों** को बढ़ावा देना और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों/मंत्रालयों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना।
  - **मेंटर इंडिया कैंपेन:** मिशन की सभी पहलों का समर्थन करने हेतु यह सार्वजनिक क्षेत्र, कॉरपोरेट्स और संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया एक **राष्ट्रीय मेंटर नेटवर्क** है।
  - **अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर:** टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित देश के असेवित क्षेत्रों में **समुदाय केंद्रित नवाचार एवं विचारों को प्रोत्साहित करना।**
  - **लघु उद्यमों हेतु अटल अनुसंधान और नवाचार (ARISE): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में नवाचार एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।**

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

IP/बौद्धिक संपदा का तात्पर्य किसी व्यक्ति/कंपनी द्वारा सहमति के बिना बाह्य उपयोग या कार्यान्वयन से स्वामित्व/कानूनी रूप से संरक्षित अमूर्त संपत्तियों से है।

IPR के लिये आवश्यक हैं

- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना।
- आर्थिक विकास।
- रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा करना।
- व्यापार करने में सुलभता बढ़ाना।

संबंधित कन्वेंशन/संधि (भारत ने इन सभी पर हस्ताक्षर किये हैं)

- **WIPO द्वारा प्रशासित (प्रथमतः मान्यता प्राप्त IPR के अंतर्गत):**
  - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन, 1883 **(पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन)।**
  - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय, 1886 **(कॉपीराइट)।**
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO)- ट्रिप्स समझौता:**
  - सुरक्षा के पर्याप्त मानक सुनिश्चित करना।
  - विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये प्रोत्साहित करना।
- **बुडापेस्ट अभिसमय, 1977:**
  - पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु सूक्ष्मजीवों के जमाव की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता।
- **मरकेश VIP समझौता, 2016:**
  - दृष्टिबाधित व्यक्तियों और आँखों से दिव्यांगों (print disabilities) वाले व्यक्तियों को प्रकाशित कार्यों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- IPR को **अनुच्छेद 27** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) में भी रेखांकित किया गया है।

भारत की पहल और IPR

- **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016:**
  - **आदर्श वाक्य:** "क्रिएटिव इंडिया; इनोवेटिव इंडिया"।
  - ट्रिप्स समझौते के अनुरूप।
  - सभी IPR को एक मंच पर लाता है।
  - नोडल विभाग - औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (वाणिज्य मंत्रालय)।
- राष्ट्रीय (IP) जागरूकता मिशन **(NIPAM)**
- बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिये कलाम कार्यक्रम **(KAPILA)**

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस: 26 अप्रैल

बौद्धिक संपदा	संरक्षण	भारत में कानून	अवधि
कॉपीराइट	विचारों की अभिव्यक्ति	कॉपीराइट अधिनियम 1957	परिवर्तनीय
पेटेंट	आविष्कार- नवीन प्रक्रियाएँ, मशीनें आदि।	भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970	सामान्यतः 20 वर्ष
ट्रेडमार्क	व्यावसायिक वस्तुओं या सेवाओं को पृथक करने के लिये चिह्न	व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999	अनिश्चित काल तक रह सकता है
ट्रेड सीक्रेट	व्यावसायिक जानकारी की गोपनीयता	पंजीकरण के बिना संरक्षित	असीमित समय
भौगोलिक संकेत (GI)	विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति पर प्रयुक्त संकेतक और उत्पत्ति स्थल के वजह से विशिष्ट गुण रखते हैं	वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999	10 वर्ष (नवीकरणीय)
औद्योगिक डिज़ाइन	किसी लेख का सजावटी या सौंदर्यपरक पहलू	डिज़ाइन अधिनियम, 2000	10 वर्ष

Drishti IAS

नोट :

संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियाँ

भाग IV WIPO, WMO और IMO

UNSAs संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने वाले 15 स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं

WIPO

- स्थापना- 1967 (1974 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ)
- मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल

- कार्य-
  - रचनात्मक गतिविधि को प्रोत्साहित करना, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा (IP) के संरक्षण को बढ़ावा देना
  - अंतर्राष्ट्रीय IP नियमों के प्रारूप को बनाए रखना
- सदस्य- 193 (भारत 1975 में शामिल हुआ)
- WIPO संधियाँ/ अभिसमय जिन्हें भारत ने अनुसमर्थित/स्वीकार किया है -
  - औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिये पेरिस अभिसमय
  - विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हेतु अभिसमय
  - साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण हेतु बर्न अभिसमय
  - पेटेंट सहयोग संधि
  - एकीकृत सर्किट के संबंध में बौद्धिक संपदा पर संधि
  - ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर नैरोबी संधि
- प्रकाशन- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स

WMO

- स्थापना- 1873 (अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से उत्पत्ति हुई- वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस)
  - WMO अभिसमय 1950 द्वारा UNSA बन गया

WMO मौसम विज्ञान, परिचालन जल विज्ञान और भूभौतिकीय विज्ञान के लिये UNSA है

- मुख्यालय - जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
- कार्य-
  - सदस्य राज्यों में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान/जल विज्ञान सेवाओं से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना
  - टिड्डियों के झुंड, प्रदूषकों के वाहकों (परमाणु, विषाक्त पदार्थ, ज्वालामुखीय राख) से संबंधित भविष्यवाणियाँ
- सदस्य- 193 (भारत सहित)

विश्व मौसम विज्ञान दिवस - 23 मार्च

IMO

- स्थापना. - 1948 (जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पर अभिसमय)
- मुख्यालय - लंदन, यूनाइटेड किंगडम
- कार्य -
  - अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग संबंधी सुरक्षा में सुधार।
  - जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकना।
  - कानूनी मामलों में भी शामिल (देयता, मुआवज़े संबंधी मुद्दे)
- सदस्य राज्य- 174 (भारत 1959 में शामिल हुआ)
- महत्वपूर्ण संधियाँ जिन्हें भारत ने अनुसमर्थित किया है:
  - MARPOL (1973) और इसके प्रोटोकॉल
  - समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (SOLAS, 1974)

IMO ने भारत को उन 10 राज्यों में सूचीबद्ध किया है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि है।

Drishti IAS

ऊर्जा संचयन और विद्युत उत्पादन हेतु सामग्री

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने एक नया अध्ययन किया है जो **आरंभिक धातुओं नामक सामग्रियों के एक नए वर्ग में रासायनिक बंधन को नियंत्रित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक तंत्र को उजागर करता है,** जिसमें समूह IV चाल्कोजनाइड्स की एक एकल 2D परत के भीतर मेटावेलेंट बॉन्डिंग (MVB) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **परिचय:**
  - यह अध्ययन जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र (JNCASR) में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई में आयोजित किया गया था।
- **जाँच - परिणाम:**
  - इस अध्ययन में पाया गया कि समूह IV चाल्कोजनाइड्स पदार्थ गर्म करने या ठंडा होने पर 100 नैनोसेकंड से भी कम समय में **काँच जैसी अनाकार संरचना से क्रिस्टलीय रूप** में परिवर्तित हो सकते है ।

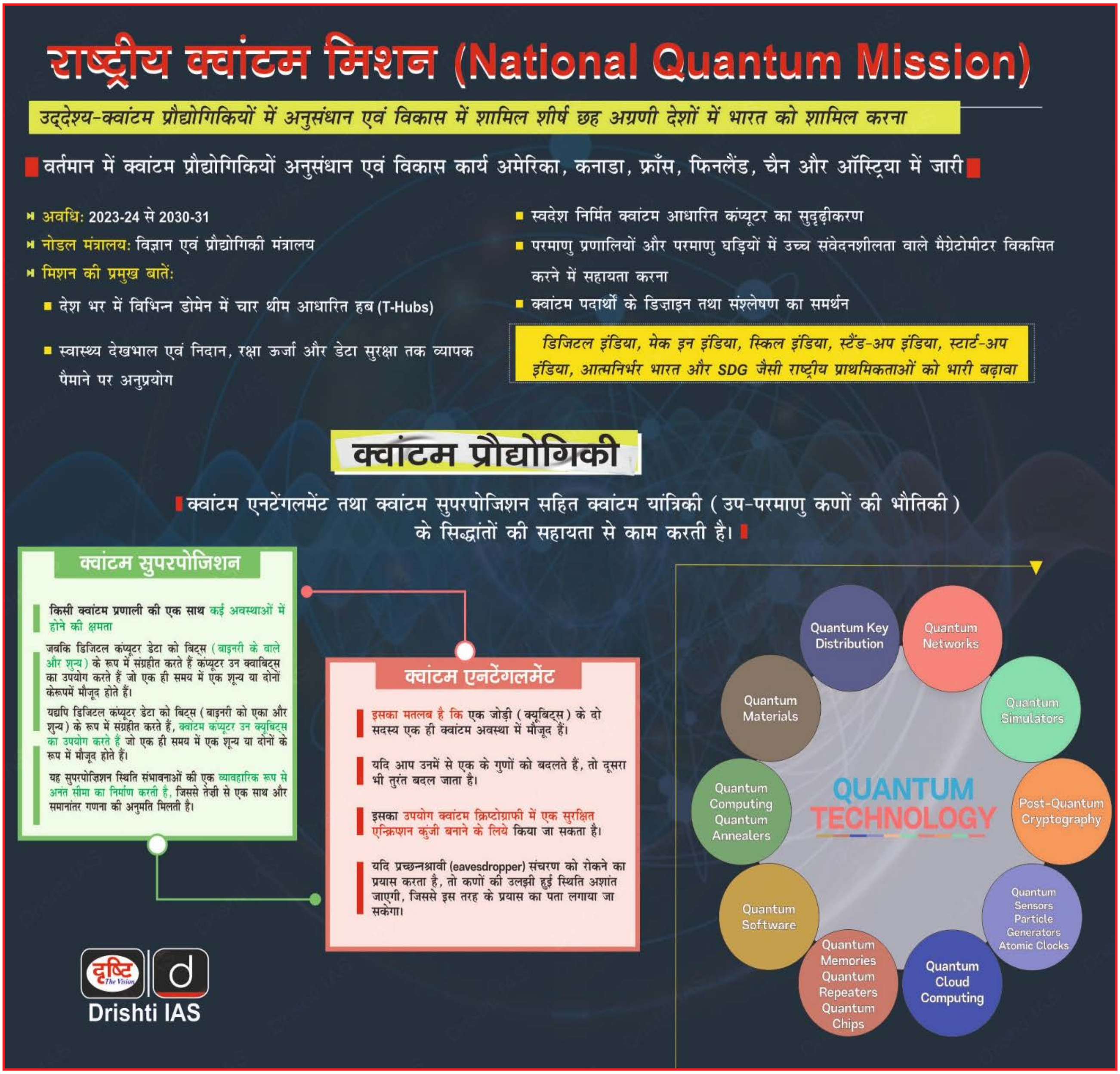

- **महत्त्व:**
  - **नई सामग्री** के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कुशल **ऊर्जा संचयन और विद्युत उत्पादन** में अनुप्रयोग हो सकते हैं।
  - साथ ही, यह शोध क्वांटम सामग्रियों के उभरते क्षेत्र से जुड़ता है जो **भारत के राष्ट्रीय क्वांटम प्रौद्योगिकी मिशन** में मदद करेगा।

नोट :

- **संबंधित शब्द:**
  - **प्रारंभिक धातुएँ:**
    - वे धातुओं के समान विद्युत चालकता प्रदर्शित करती हैं, जिनमें **अर्धचालकों की विशेषता वाली उच्च तापविद्युत दक्षता और असामान्य रूप से कम तापीय चालकता** होती है, जो गुणों का एक ऐसा समूह बनाती है जिसे पारंपरिक रासायनिक बंधन अवधारणाओं द्वारा समझाया नहीं जा सकता है।
  - **चाल्कोजनाइड्स:**
    - **चाल्कोजनाइड्स** ऐसे यौगिक हैं जिनमें कम से कम एक चाल्कोजन तत्त्व आयन (जैसे **सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम**) और कम से कम एक धातु तत्त्व होता है।
  - समूह IV चाल्कोजनाइड्स में आकर्षक गुण होते हैं जो उन्हें तकनीकी अनुप्रयोगों के लिये उपयुक्त बनाते हैं।
    - चाल्कोजनाइड्स अपनी **उच्च विद्युत चालकता और प्रभावी थर्मल-टू-इलेक्ट्रिकल ऊर्जा रूपांतरण** के कारण ऊर्जा संचयन और विद्युत उत्पादन में महत्त्वपूर्ण हैं।
    - चाल्कोजनाइड्स का उपयोग पहले से ही **कंप्यूटर फ्लैश मेमोरी में किया** जाता है, जो क्रिस्टलीय और अनाकार अवस्थाओं के बीच संक्रमण के दौरान ऑप्टिकल गुणों को बदलने की उनकी क्षमता का लाभ उठाते हैं।
  - **मेटावेलेंट बॉन्डिंग:**
    - रसायन विज्ञान में परमाणुओं की वैलेंस/संयोजी शेल में आठ इलेक्ट्रॉनों को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति जिसे चिरसम्मत अष्टक नियम (Classical Octet Rule) कहा जाता है, को चुनौती देने वाले बंधन में धातुओं और ग्लास दोनों में बंधन बनाने के गुण होते हैं।

लद्दाख का रॉक वार्निश

हाल ही में **मैग्नेटोफॉसिल्स (Magnetofossils)**, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित चुंबकीय कणों के जीवाश्म अवशेष **लद्दाख में रॉक वार्निश परतों** में देखे गए हैं।

- रॉक वार्निश एक **गहरे भूरे से लेकर काले रंग की परत** होती है जो शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में स्थिर, उपवायुमण्डलीय रूप से अनावृत चट्टानी सतहों को ढक लेती है।

Panel (I). Field photographs of the rocks sampled for rock varnish studies from NW Himalaya (Leh, Ladakh).

Panel (II). Comparative views of Mars and Ladakh Enviroment.

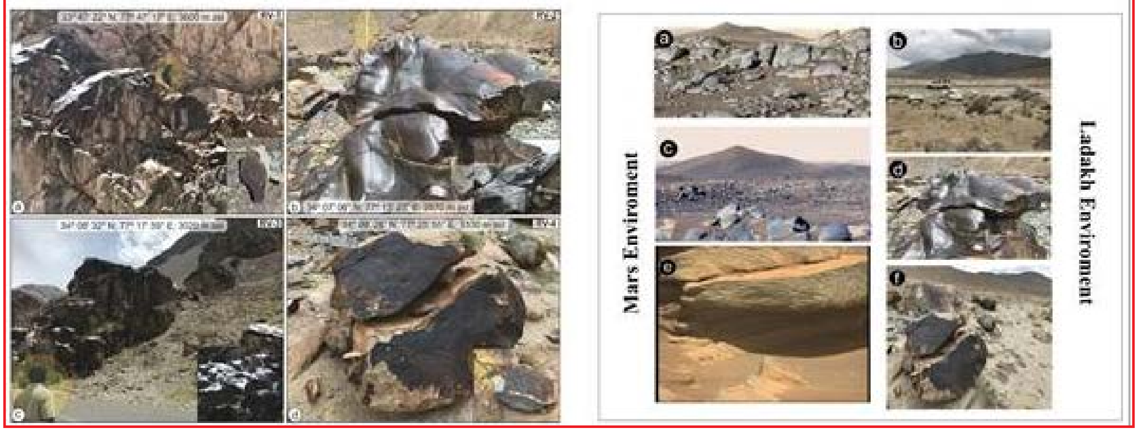

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **निष्कर्ष:**
  - लद्दाख से प्राप्त रॉक वार्निश नमूनों के विश्लेषण से वार्निश सतह पर **ऑक्सीकृत मैंगनीज (Mn4+)** और **कार्बोक्सिलिक एसिड** कार्यक्षमता की उच्च सांद्रता की पहचान की गई, जो कार्बनिक उपस्थिति का संकेत देती है।
  - इन निष्कर्षों से पता चलता है कि **संभावित मार्टियन एनालॉग साइट**, लद्दाख के रॉक वार्निश में **जैविक स्रोतों से प्राप्त चुंबकीय खनिजों की समृद्ध सांद्रता** शामिल है।
    - चुंबकीय खनिज वे होते हैं जो **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का रिकॉर्ड तब से सुरक्षित रखते हैं जब वे निर्मित हुए थे** और ये चट्टानों, तलछटों एवं मृदा में पाए जा सकते हैं।

- **महत्त्व:**
  - यह अध्ययन **खगोल-जीव विज्ञान के लिये बहुमूल्य अंतर्दृष्टि** प्रदान करता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि विषम वातावरण (जैसे कि **लद्दाख जिसे "भारत का ठंडा रेगिस्तान" कहा जाता है**) में जीवन किस प्रकार विद्यमान रह सकता है।
  - यह जानकारी **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO)** और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा **मंगल अन्वेषण** सहित भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण है, **जहाँ रहने योग्य वातावरण की पहचान करना एक प्राथमिक लक्ष्य** है।
    - रॉक वार्निश में जैविक उपस्थिति की पहचान करके, वैज्ञानिक **मंगल ग्रह और अन्य ग्रह निकायों पर संभावित जैव-प्रमाणों/बायोसिग्नेचर (Biosignature)** को बेहतर ढंग से लक्षित कर सकते हैं, जिससे अलौकिक जीवन/एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ (Extraterrestrial Life) की खोज में सहायता मिल सकती है।
  - बायोसिग्नेचर **कोई भी गुण, तत्त्व, अणु, पदार्थ या विशेषता** है जिसका उपयोग **पिछले या वर्तमान जीवन के साक्ष्य के रूप में** किया जा सकता है।

मैग्नेटोफॉसिल्स

परिचय:

"मैग्नेटोफॉसिल्स" मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया (Magnetotactic Bacteria) के जीवाश्म अवशेषों को संदर्भित करता है जिनमें चुंबकीय खनिज होते हैं।

मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड में जीवाश्म युक्त चुंबकीय कण उत्सर्जित करते हैं।

मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया:

मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया ज़्यादातर **प्रोकैरियोटिक जीव होते** हैं जो स्वयं को **पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र** के साथ व्यवस्थित करते हैं। इसकी खोज वर्ष 1963 में **साल्वाटोर बेलिनी** ने की थी।

ये जीव उन स्थानों तक पहुँचने के लिये **चुंबकीय क्षेत्र का अनुसरण करते हैं जहाँ इष्टतम ऑक्सीजन सांद्रता होती** है। यह प्रक्रिया उनकी कोशिकाओं के भीतर **लौह-समृद्ध क्रिस्टल** की उपस्थिति से सुगम होती है।

मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया जल निकायों में बदलते ऑक्सीजन स्तर और तलछट संतृप्ति को नेविगेट करने के लिये अपनी कोशिकाओं के भीतर **मैग्नेटाइट या ग्रेगाइट के छोटे क्रिस्टल** बनाते हैं।

मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के भीतर क्रिस्टल **मैग्नेटोटैक्सिस** के माध्यम से एक **शृंखला विन्यास** में व्यवस्थित होते हैं।

दुर्लभ विशाल मैग्नेटो जीवाश्म पारंपरिक चुंबकीय जीवाश्मों की तुलना में इतने सामान्य नहीं हैं, ये संभवत: बैक्टीरिया के बजाय **यूकेरियोट्स** द्वारा निर्मित होते हैं।

ADCs द्वारा 125वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की मांग

हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों **असम, मेघालय, मोजोरम और त्रिपुरा** के 10 **स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADCs)** के मुख्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों (Chief Executive Magistrates- CEMs) ने केंद्रीय गृहमंत्री से मुलाकात की और **125वें संविधान संशोधन विधेयक** को पारित करने की मांग रखी।

- इस संदर्भ में, केंद्र सरकार ने विधेयक से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिये **गृह राज्य मंत्री** की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया।

125वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन क्या हैं?

- विधेयक का उद्देश्य संविधान की **छठी अनुसूची** के तहत जनजातीय स्वायत्त परिषदों को अधिक **वित्तीय, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ** प्रदान करना है।
- **ग्राम एवं नगर परिषदें:**
  - प्रस्ताव में मौजूदा ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों के साथ-साथ ग्राम एवं नगर परिषदों का गठन भी शामिल है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग गाँवों या गाँवों के समूहों के लिये **ग्राम परिषदें (Village Councils)** स्थापित की जाएंगी, जबकि प्रत्येक ज़िले के शहरी क्षेत्रों में नगर परिषदें स्थापित की जाएंगी।
- **ज़िला परिषदों** को निम्नलिखित के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होगा:
  - ग्राम और नगर परिषदों की संख्या एवं संरचना।
  - इन परिषदों में चुनाव हेतु निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
  - ग्राम एवं नगर परिषदों की शक्तियाँ और कार्य।
- **शक्तियों के हस्तांतरण के नियम:** **राज्यपाल** को ग्राम एवं नगर परिषदों को शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण हेतु नियम बनाने का अधिकार होगा।
  - इन नियमों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
    - आर्थिक विकास योजनाओं की तैयारी।

- भूमि सुधारों का कार्यान्वयन।
- शहरी एवं नगरीय नियोजन।
- अन्य उत्तरदायित्वों के साथ-साथ भूमि उपयोग का विनियमन।
- विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि राज्यपाल दल-बदल/दल -परिवर्तन (Defection) के आधार पर परिषद सदस्यों की अनर्हता संबंधी नियम भी बना सकता है।

- **राज्य वित्त आयोग:** विधेयक में **ज़िला, ग्राम और नगर परिषदों** की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिये इन राज्यों में एक **वित्त आयोग** की नियुक्ति का प्रावधान है। आयोग निम्नलिखित के संबंध में सिफारिशें करेगा:
  - राज्य और ज़िला परिषदों के बीच करों का वितरण।
  - **राज्य की संचित निधि** से ज़िला, ग्राम और नगर परिषदों को अनुदान सहायता।
- **परिषदों के चुनाव:** ज़िला परिषदों, क्षेत्रीय परिषदों, ग्राम परिषदों और नगर परिषदों के चुनावों की देख-रेख **राज्य निर्वाचन आयोग** द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति इन चार राज्यों के लिये राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- **विधेयक की वर्तमान स्थिति:**
  - संविधान (125वाँ संशोधन) विधेयक 2019, **को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था** और बाद में इसे गृह मामलों पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया।
  - समिति **ने वर्ष 2020 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में विधेयक के बारे में कई चिंताएँ व्यक्त थीं और तब से** यह लंबित है।

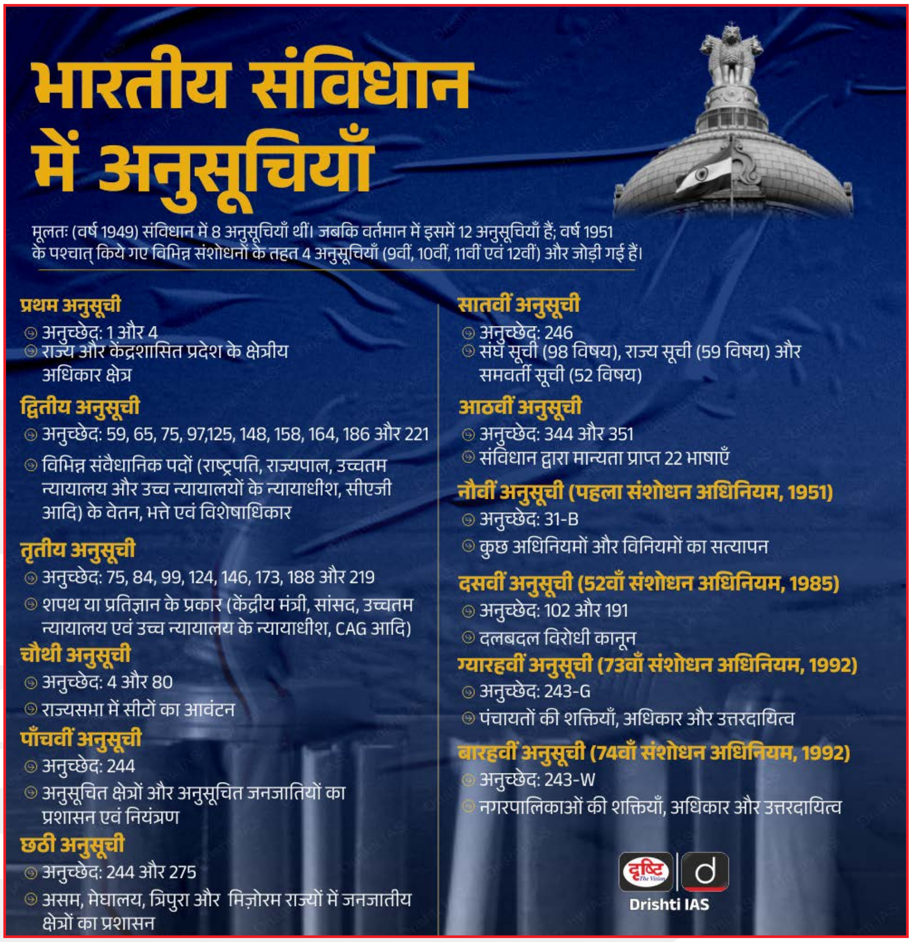

संविधान की छठी अनुसूची क्या है?

- **क्षेत्र:** इस अनुसूची के तहत जनजातीय अधिकारों के संरक्षण हेतु **असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों** के प्रशासन का प्रावधान किया गया है।
- **संवैधानिक आधार:** इस अनुसूची के तहत **अनुच्छेद 244 (2)** (छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे) **और अनुच्छेद 275 (1)** (यह भारत की समेकित निधि से अनुदान सहायता को सुनिश्चित करता है) आते हैं।
- **स्वायत्तता:** इस अनुसूची के तहत **स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADCs)** में शासन का प्रावधान किया गया है, जिसमें भूमि, वन, कृषि, विरासत, सीमा शुल्‍क और करों पर कानून का निर्माण करना शामिल है।
- **शासन:** ADC **विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों** के साथ छोटे राज्यों की तरह कार्य करते हैं।

स्वायत्त ज़िला परिषदें (ADCs) क्या हैं?

- **परिचय:** ADCs **संविधान** की **छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244)** के तहत पूर्वोत्तर भारत में बनाए गए संवैधानिक साधन हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।

- **राज्यपाल का प्राधिकार:** स्वायत्त ज़िलों को उनके क्षेत्रों और सीमाओं सहित व्यवस्थित, पुनर्गठित एवं संशोधित कर सकता है।
- **जनजातीय वितरण:** यदि कई जनजातियाँ मौजूद हैं, तो राज्यपाल ज़िले के भीतर स्वायत्त क्षेत्र का गठन कर सकता है।

- **संरचना:**
  - **ज़िला परिषद:** प्रत्येक ज़िले में 30 सदस्यों की एक परिषद होती है (4 राज्यपाल द्वारा नामित, 26 निर्वाचित), जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
  - **क्षेत्रीय/आंचलिक परिषद:** प्रत्येक स्वायत्त क्षेत्र की अपनी परिषद होती है।
  - **प्रशासन:** ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने क्षेत्राधिकार का प्रबंधन करती हैं तथा जनजातीय विवादों के लिये ग्राम परिषदें या न्यायालयों की स्थापना कर सकती हैं। अपील की सुनवाई राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट तरीके से की जाती है।
- वर्तमान में **10 स्वायत्त परिषदें** अस्तित्व में हैं - असम, मेघालय और मिज़ोरम में तीन-तीन तथा त्रिपुरा में एक।

गल्फ स्ट्रीम और जलवायु संवेदनशीलता

नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक** में अधिक शक्तिशाली पवनों के कारण **पिछले हिमयुग (लगभग 20,000 वर्ष पूर्व)** के दौरान गल्फ स्ट्रीम काफी प्रबल थी।

- इस खोज से पता चलता है कि **गल्फ स्ट्रीम** की प्रबलता सागरीय पवनों के पैटर्न में बदलाव के प्रति संवेदनशील है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण इन पवनों के कमज़ोर होने पर भविष्य की जलवायु को प्रभावित कर सकती है।

नोट:

- गल्फ स्ट्रीम एक **शक्तिशाली महासागरीय धारा** है जो **मेक्सिको की खाड़ी से उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तक उष्ण जल का प्रवाह करती है।**
- इसके पश्चात यह अटलांटिक महासागर को पार करती है और पश्चिमी यूरोप की जलवायु को प्रभावित करती है, जिससे यहाँ की जलवायु पूर्व की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **शोध पद्धति: उत्तरी कैरोलिना और फ्लोरिडा** के तलछट क्रोड से **जीवाश्म फोरामिनिफेरा** के विश्लेषण का प्रयोग प्रागैतिहासिक गल्फ स्ट्रीम की प्रबलता का अनुमान लगाने के लिये किया गया था।
  - निष्कर्षों से पता चला कि पिछले हिमयुग के दौरान **गल्फ स्ट्रीम** दोगुनी गहरी और धाराएँ अधिक तीव्र थी।
- **जलवायु पर प्रभाव:** गल्फ स्ट्रीम की प्रबलता के बावजूद, वैश्विक जलवायु वर्तमान की तुलना में बहुत शीतल थी।
  - भविष्य में गल्फ स्ट्रीम का दुर्बल होना, यूरोप तक पहुँचने वाली उष्णकटिबंधीय उष्णता को सीमित कर सकता है, जिससे महाद्वीपीय शीतलता में वृद्धि हो सकती है और उत्तरी अमेरिका में समुद्र का स्तर बढ़ सकता है।
- **अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC) की भूमिका:** गल्फ स्ट्रीम AMOC का हिस्सा है, जिसमें गभीर जल का निर्माण और पवनों के प्रतिरूप दोनों शामिल हैं।
  - जलवायु परिवर्तन संबंधी व्यवधानों के के परिणाम, जैसे कि ग्रीनलैंड से ग्लेशियर का पिघलना, AMOC को दुर्बल कर सकता है।
  - AMOC की दुर्बलता यूरोप को 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल कर सकती है, कृषि को बाधित कर सकती है और मौसमीय प्रतिरूपों को बदल सकती है।
- **AMOC लूप और जलवायु प्रभाव:**
  - **AMOC** को एक सामान्य कन्वेयर बेल्ट के बजाय **परस्पर संबद्ध लूप** (उपोष्णकटिबंधीय और उपध्रुवीय) के रूप में देखा जाना चाहिये।
    - AMOC के विभिन्न हिस्से जलवायु परिवर्तन के प्रति विशिष्ट रूप से अनुक्रिया कर सकते हैं, जिससे जलवायु संबंधित प्रक्रियाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (AMOC)

- **परिचय:** AMOC महासागरीय धाराओं का एक प्रमुख तंत्र है जो वैश्विक महासागर **कन्वेयर बेल्ट** या **थर्मोहेलिन सर्कुलेशन** (ThermoHaline Circulation- THC) का हिस्सा है, जो विश्व के महासागरों में उष्णता और पोषक तत्त्वों का वितरण करता है।
- **AMOC का कार्य:** AMOC उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्तरी गोलार्द्ध में उष्ण पृष्ठीय जल पहुँचाता है, जहाँ जल शीतल होकर सागर तल में चला जाता है। फिर यह दक्षिण अटलांटिक के माध्यम से एक निम्न धारा के रूप में वापस आता है, अंततः **अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट/परिध्रुवीय धारा (ACC)** द्वारा सभी महासागरीय बेसिनों में विस्तृत हो जाता है, जो विश्व की एकमात्र चक्रीय धारा है।
- **AMOC के दुर्बल होने के निहितार्थ:** गल्फ स्ट्रीम सहित एक दुर्बल AMOC के कारण यूरोपीय क्षेत्र बहुत शीतल हो

सकता है, वर्षा कम हो सकती है, जो संभावित रूप से **अल नीनो** को प्रभावित कर सकता है तथा दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका में मानसून में भी परिवर्तन कर सकता है।

- **ह्रास के कारण:** पूर्वानुमान बताते हैं कि **ग्लोबल वार्मिंग** प्रमुख महासागरीय तंत्रों को कमज़ोर कर सकती है। ग्रीनलैंड की पिघलती बर्फ और **"लास्ट आइस एरिया"** अलवण जल का स्रोत हैं जो जल की लवणता एवं घनत्व को कम करता है, जिससे AMOC प्रवाह बाधित होता है। हिंद महासागर में वर्षा और नदी अपवाह में वृद्धि भी AMOC को प्रभावित कर सकती है।
- **महत्त्व:** AMOC सागरीय उष्णता को पुनर्वितरित करने और वैश्विक मौसमीय प्रतिरूपों को विनियमित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

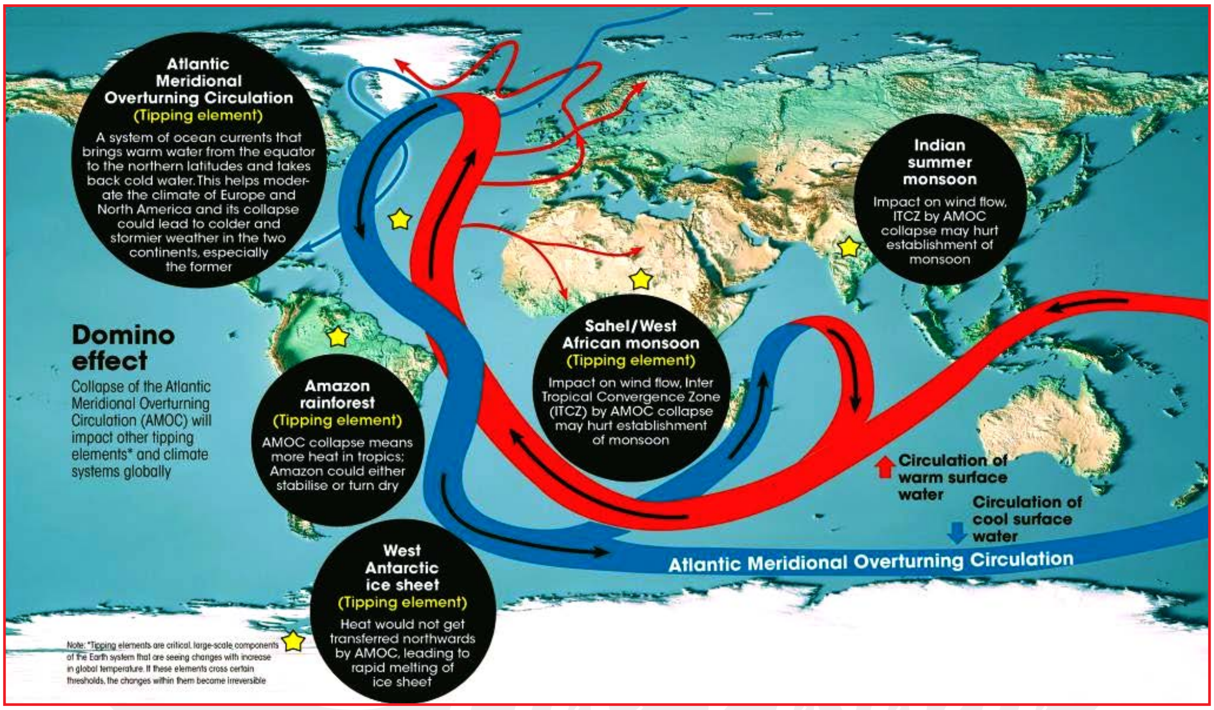

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय संस्कृति कोष

हाल ही में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन** और **राष्ट्रीय संस्कृति कोष** में प्राप्त उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन क्या है?

- **परिचय:**
  - **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना वर्ष** 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी।
- **उद्देश्य:**
  - राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के मुख्य उद्देश्य भारत की पांडुलिपि विरासत का **दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण** और ऑनलाइन प्रसार करना है।
    - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये **मिशन ने पूरे भारत में 100 से अधिक पांडुलिपि संसाधन केंद्र और पांडुलिपि संरक्षण केंद्र** स्थापित किये हैं।
  - **भारत में अनुमानतः दस मिलियन पांडुलिपियाँ हैं,** जो संभवतः विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। इनमें विभिन्न प्रकार के विषय, बनावट और सौंदर्यशास्त्र, लिपियाँ, भाषाएँ, सुलेख, रोशनी तथा चित्रण शामिल हैं।
- **पांडुलिपि:**
  - पांडुलिपि **कागज़, छाल, कपड़े, धातु, ताड़ के पत्ते या किसी अन्य सामग्री पर हस्तलिखित रचना होती है** जो कम-से-कम पचहत्तर वर्ष पुरानी हो और जिसका महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक मूल्य हो।
    - पांडुलिपियाँ ऐतिहासिक अभिलेखों जैसे **पुरालेख, फरमान/अधिदेश और राजस्व अभिलेखों** से भिन्न होती हैं, क्योंकि उनमें प्रत्यक्ष ऐतिहासिक सूचनाओं के बजाय मुख्य रूप से ज्ञान सामग्री होती है।
    - पांडुलिपियाँ **विभिन्न भाषाओं और लिपियों** में होती हैं।

नोट:
- **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्त्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** के अनुसार '**प्राचीन संस्मारक**' किसी भी संरचना, निर्माण/संस्मारक या किसी टीले या समाधि की जगह अथवा किसी गुफा, शैल-मूर्तिकला, शिलालेख या पांडुलिपि को परिभाषित करता है जो **ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक या कलात्मक** रुचि का है और जो **कम-से-कम 100 वर्षों से अस्तित्व में** है।

राष्ट्रीय संस्कृति कोष क्या है?

- **परिचय:**
  - सरकार ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने, उसकी रक्षा करने और उसे संरक्षित करने की दिशा में **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP)** के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये **चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1890** के तहत वर्ष 1996 में एक ट्रस्ट के रूप में **राष्ट्रीय संस्कृति कोष (NCF)** की स्थापना की।
  - यह दाता/प्रायोजक संस्थाओं को सरकार के साथ सीधे भागीदार के रूप में भारत की समृद्ध **मूर्त तथा अमूर्त संस्कृति और धरोहर (संस्मारक/सांस्कृतिक परंपराएँ) के संरक्षण, पुनरुद्धार, संरक्षण एवं विकास का समर्थन करने में सक्षम बनाने के लिये एक वित्तपोषण तंत्र** के रूप में कार्य करता है।
- **उद्देश्य:**
  - विशेषज्ञों और सांस्कृतिक प्रशासकों के **एक कैडर का प्रशिक्षण एवं विकास**।
  - मौजूदा **संग्रहालयों में अतिरिक्त स्थान प्रदान करना** और नई एवं विशेष दीर्घाओं को समायोजित करने या बनाने के लिये नए संग्रहालयों का निर्माण करना।
  - **सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और रूपों,** जो समकालीन परिदृश्यों में अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं या तो लुप्त हो रहे हैं या विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं, **का दस्तावेज़ीकरण**।
- **NCF की विशेषताएँ:**
  - NCF **विरासत, संस्कृति और कला के क्षेत्र में साझेदारी के लिये एक भरोसेमंद तथा नवीन मंच** प्रदान करता है।
  - परियोजनाओं की देखरेख एक **परियोजना कार्यान्वयन समिति (PIC)** द्वारा की जाती है जिसमें दाता, कार्यान्वयनकर्त्ता और NCF के प्रतिनिधि होते हैं।
    - **NCF के खातों का लेखा-जोखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा** वार्षिक रूप से किया जाता है।
- **सदस्य:**
  - NCF का प्रबंधन संस्कृति मंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद और सचिव की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है।

डार्क ऑक्सीजन की खोज

हाल ही में वैज्ञानिकों ने बताया कि एक अज्ञात प्रक्रिया के तहत **विश्व के महासागरों की गहराई,** जहाँ सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण **प्रकाश संश्लेषण** नहीं हो पाता है, **में ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा** है।

- यह खोज महत्त्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीजन समुद्री जीवन को सहारा देती है और यह बताती है कि वहाँ पहले से अज्ञात पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हो सकते हैं।

डार्क ऑक्सीजन क्या है?

- **परिचय:**
  - वैज्ञानिकों ने वितलीय क्षेत्र (जहाँ सूर्य का प्रकाश अत्यंत कम है और प्रकाश संश्लेषण के लिये अपर्याप्त है) के **कुछ क्षेत्रों में ऑक्सीजन की सांद्रता में अप्रत्याशित वृद्धि** देखी।
  - शोधकर्त्ताओं ने कहा कि यह खोज ऑक्सीजन के एक **नए स्रोत का प्रतिनिधित्व करती** है जहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, और **इसे 'डार्क ऑक्सीजन' नाम** दिया गया है।
- **डार्क ऑक्सीजन उत्पन्न होने का संभावित कारण:**
  - आमतौर पर ऑक्सीजन एक वैश्विक परिसंचरण तंत्र **'ग्रेट कन्वेयर बेल्ट'** द्वारा प्रदान की जाती है, जो स्थानीय उत्पादन के बिना कम हो जाएगी, क्योंकि छोटे जीव-जंतु इसे ग्रहण कर लेते हैं।
  - ऑक्सीजन उत्पादन के लिये एक परिकल्पना यह है कि बहुधात्विक ग्रंथिकाएँ (पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स) विद्युत आवेशों का परिवहन करते हैं जो जल के अणुओं का अपघटन करते हैं, जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है।
    - पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स/बहुधात्विक ग्रंथिका समुद्र तल पर पाए जाने वाले लोहे, मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड और चट्टान के ढेर होते हैं।
    - हालाँकि, **बहुधात्विक ग्रंथिकाओं की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का सटीक ऊर्जा स्रोत अभी भी स्पष्ट नहीं है।**
- **अध्ययन के स्थान:**
  - यह क्षेत्र विश्व में **पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स** की सर्वाधिक सांद्रता के लिये जाना जाता है।
    - यह अध्ययन **मैक्सिको के पश्चिमी तट के क्लेरियन-क्लिपर्टन ज़ोन में किया गया** था।

गहरे समुद्र में खनन क्या है?

- **परिचय:**
  - **गहरे समुद्र में खनन** से तात्पर्य गहरे समुद्र तल से खनिज और धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया से है। गहरे समुद्र में खनन के तीन प्रकार हैं:
    - **समुद्र तल में जमा-समृद्ध बहुधातु ग्रंथिकाओं (Nodules) का पृथक्करण**
    - समुद्री तल से बड़े पैमाने पर सल्फाइड भंडार का खनन
    - चट्टान से कोबाल्ट परतों का पृथक्करण।
  - इन ग्रंथिकाओं (Nodules), भंडारों और परतों में **निकेल, दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व, कोबाल्ट और अन्य पदार्थ** पाए जाते हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन में प्रयोग की जाने वाली बैटरी तथा अन्य सामग्रियों, सेलफोन एवं कंप्यूटर जैसी रोजमर्रा की तकनीक के लिये भी आवश्यक होती हैं।
  - पॉलीमेटेलिक ग्रंथिकाओं की उपलब्धता के कारण आने वाले दशकों में **गहरे समुद्र में खनन** एक प्रमुख समुद्री संसाधन निष्कर्षण गतिविधि बनने की उम्मीद है।
- **पर्यावरणीय चिंता:**
  - **'डार्क ऑक्सीजन'** की खोज से इस ऑक्सीजन स्रोत पर निर्भर **पारिस्थितिकी तंत्र को संभावित नुकसान** की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों को चिंता है कि गहरे समुद्र में खनन (जिसमें पॉलीमेटेलिक ग्रंथिकाओं को हटाया जाता है) इस समुद्री पर्यावरण के लिये हानिकारक हो सकता है।
  - नवंबर 2023 में, एक अध्ययन ने संकेत दिया कि **गहरे समुद्र में खनन से गहरे समुद्र में रहने वाली जेलीफ़िश को नुकसान हो सकता है (समुद्र के जल में कीचड़ के गुबार बनाकर जो समुद्री प्रजातियों के पोषण** और प्रजनन चक्र में हस्तक्षेप करते हैं)।
  - भूमि के ऊपर स्थित पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में **वितलीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्रों** के बारे में सीमित वैज्ञानिक ज्ञान, इन पारिस्थितिकी तंत्रों पर गहरे समुद्र में खनन के संभावित प्रभाव और वैश्विक जलवायु प्रक्रियाओं में उनकी भूमिका का आकलन करने के प्रयासों को जटिल बना सकता है।

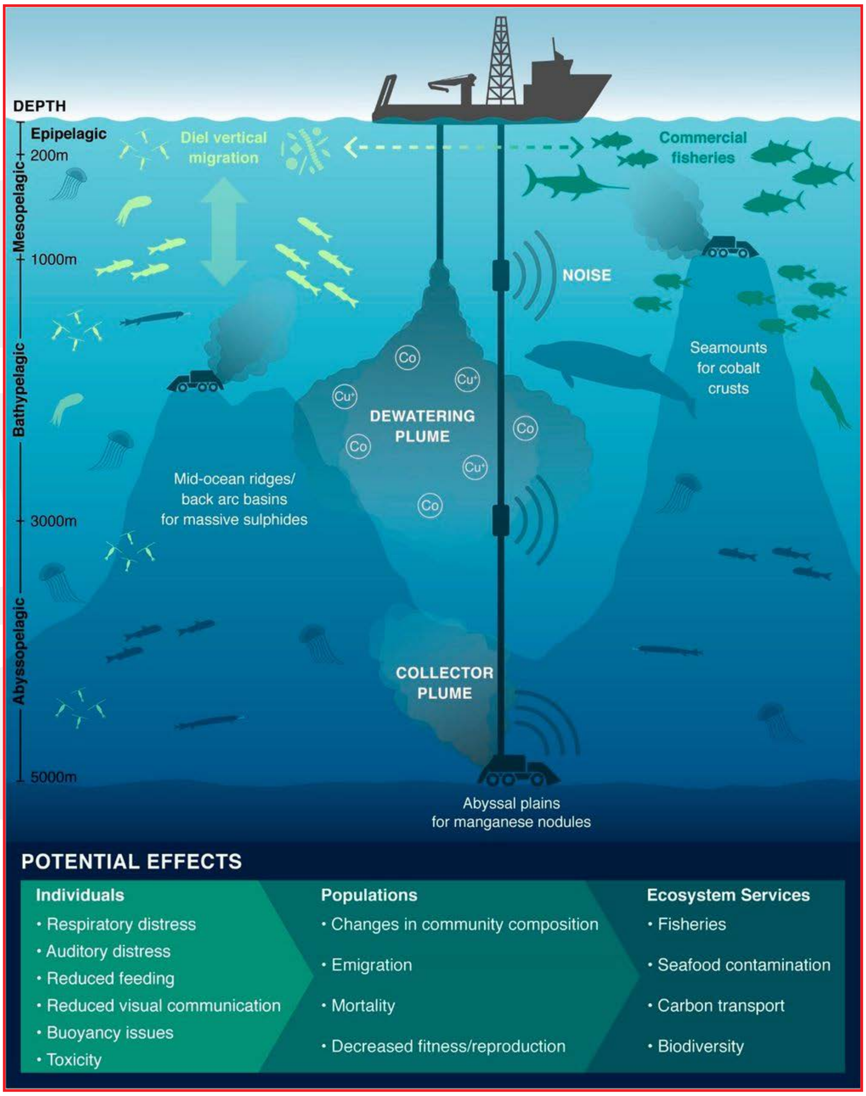

- **भारतीय संदर्भ:**
  - भारत **प्रशांत महासागर** में **गहन समुद्र में खनिजों** की खोज के लिये लाइसेंस हेतु आवेदन करना चाहता है।
    - इसके अलावा, **वर्ष 1987 में भारत 'अग्रणी निवेशक' का दर्जा पाने वाला पहला देश था** और उसे **बहुधात्विक ग्रंथि अन्वेषण** के लिये **मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB)** में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दिया गया था।

- मध्य हिंद महासागर बेसिन में समुद्र तल से पॉलीमेटेलिक ग्रंथियों का अन्वेषण करने के भारत के विशेष अधिकार को वर्ष 2017 में पाँच वर्षों के लिये बढ़ा दिया गया था।
- भारत ने वर्ष 2024 में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर हिंद महासागर के समुद्री क्षेत्र में अन्वेषण के अधिकार के लिये आवेदन किया है, जिसमें कोबाल्ट समृद्ध अफानासी निकितिन सीमाउंट (AN सीमाउंट) भी शामिल है।

◆ भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हिंद महासागर में समान संसाधनों की खोज और खनन के लिये अपने 'डीप ओशन मिशन' के हिस्से के रूप में एक पनडुब्बी वाहन (समुद्रयान मिशन) का निर्माण कर रहा है।

महासागर परिसंचरण और जलवायु परिवर्तन

हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन ने जलवायु परिवर्तन **में महासागर की भूमिका** के विषय में अपने अप्रत्याशित निष्कर्षों के कारण ध्यान आकर्षित किया है।

- अध्ययन से पता चलता है **कि क्षीण महासागरीय परिसंचरण के कारण वायुमंडलीय CO2 का स्तर बढ़ सकता है,** जो कि पिछली धारणाओं के विपरीत है।

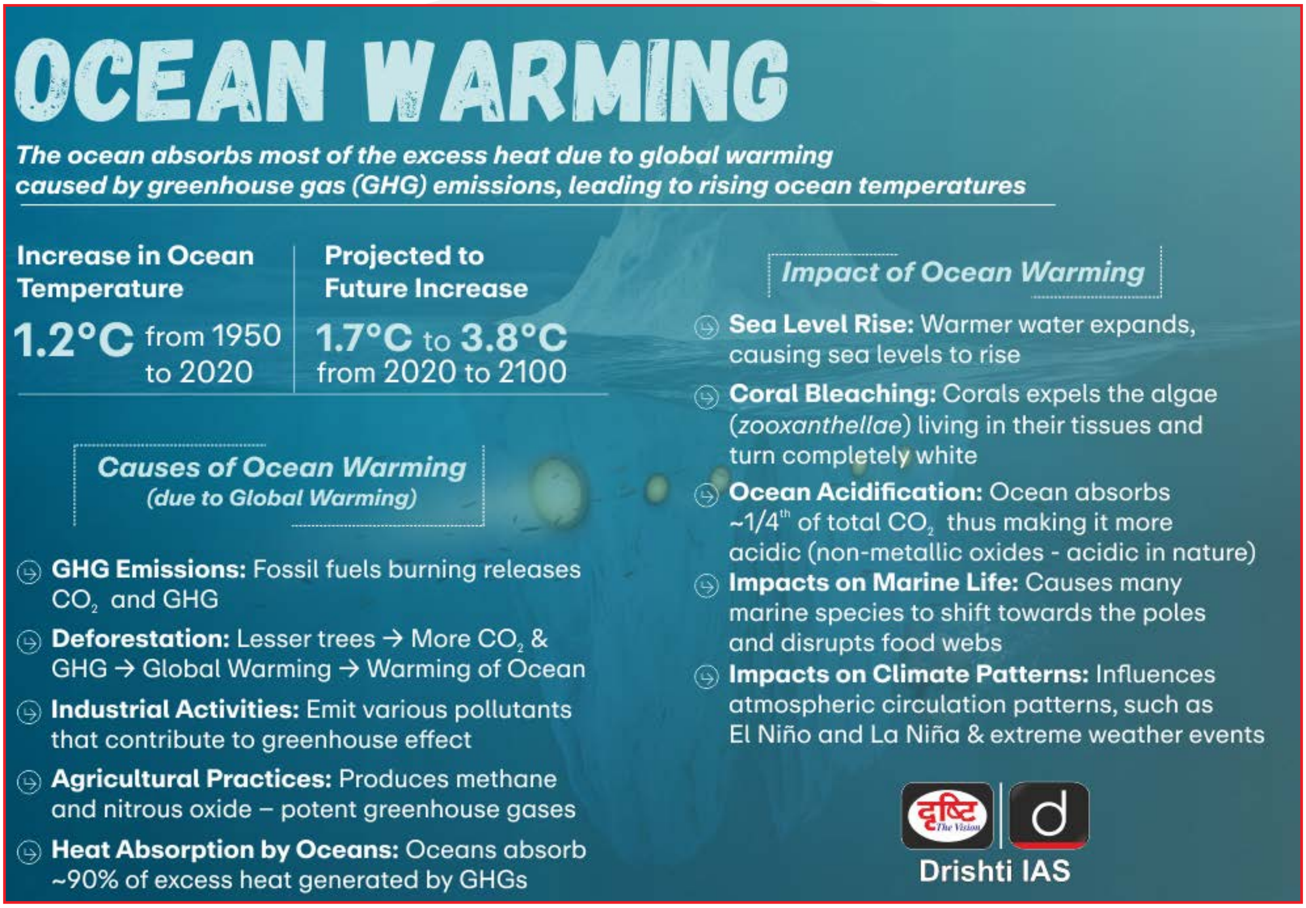

जलवायु परिवर्तन और महासागर परिसंचरण के बीच क्या संबंध है?

- **विपरीत परिसंचरण की भूमिका:** महासागर विपरीत परिसंचरण एक वैश्विक कन्वेयर बेल्ट के रूप में कार्य करता है, जो समुद्र के पार जल और पोषक तत्त्वों का परिवहन करता है। यह एक दोहरी प्रक्रिया है।
  ◆ **जैसे ही सतही जल CO2 को अवशोषित कर लेता है और ठंडा हो जाता है,** वह सघन हो जाता है तथा गहरे समुद्र में नीचे की ओर प्रवाहित होने लगता है तथा कार्बन को वायुमंडल से दूर ले जाता है।

- **गहरे जल से पोषक तत्त्व और कार्बन** सतह पर वापस आते हैं, जिनसे **समुद्री जीवन को पोषण प्राप्त होता है** तथा वायुमंडलीय CO_2 का स्तर भी नियंत्रित होता है।

- **महासागर परिसंचरण और जलवायु परिवर्तन पर पारंपरिक दृष्टिकोण:** जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, वैज्ञानिक विभिन्न कारकों के कारण महासागर परिसंचरण के कमज़ोर होने का पूर्वानुमान करते हैं।
  - **पिघलते हिम आवरण:** अंटार्कटिका में पिघलते हिम आवरण समुद्र में लवण जल के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे परिसंचरण पैटर्न बदल जाता है।
  - **तापमान में बदलाव:** ग्लोबल वार्मिंग समुद्र के तापमान में बदलाव को प्रभावित करती है, जिससे परिसंचरण पर और भी असर पड़ता है।
  - पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि कमज़ोर परिसंचरण का अर्थ है कि **गहरे समुद्र में कम कार्बन संग्रह होगा,** लेकिन **कम कार्बन के वापस ऊपर आने के कारण** समुद्र का कार्बन सिंक प्रभाव संतुलित रहेगा।
- **शोध से नई जानकारी:** नए शोध से **महासागर परिसंचरण,** लौह उपलब्धता, सूक्ष्मजीवों और लिगैंड्स **से जुड़े एक जटिल प्रतिक्रिया तंत्र** का पता चलता है, जो दर्शाता है कि क्षीण महासागर परिसंचरण पिछले मान्यताओं के विपरीत वायुमंडलीय CO_2 के स्तर को बढ़ा सकता है।
  - **लिगैंड्स कार्बनिक अणु होते हैं** जो लोहे के साथ बंध कर उसे घुलनशील और फाइटोप्लांकटन वृद्धि के लिये सुलभ बनाए रखते हैं, लेकिन उनकी **उपलब्धता** वैश्विक स्तर पर लौह निषेचन प्रयासों की **प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है।**
- **जलवायु परिवर्तन शमन हेतु निहितार्थ:** अध्ययन में **जलवायु परिवर्तन शमन में महासागर की भूमिका पर पुनर्विचार करने** की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है क्योंकि कमज़ोर महासागर परिसंचरण **कार्बन सिंक** प्रभावशीलता को कम कर सकता है जिससे वायुमंडलीय CO_2 में वृद्धि हो सकती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है।

मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (MOC) क्या है?

- **परिभाषा:** मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन (MOC) **वैश्विक महासागरीय परिसंचरण का एक महत्त्वपूर्ण घटक है,** जो जल, ऊष्मा, लवण, कार्बन और **पोषक तत्त्वों को मुख्य रूप से** महासागरीय बेसिन के भीतर व बीच में **उत्तर-दक्षिण दिशा में ले जाता है।** यह **पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
- **तंत्र:**
  - **उत्तर की ओर प्रवाह:** अटलांटिक महासागर में, ऊष्मा और लवणीय जल दक्षिण अटलांटिक से **नॉर्डिक समुद्र** (ग्रीनलैंड, इंग्लैंड और उत्तरी कनाडा के पास) **की ओर ले जाया जाता है।** यहाँ, यह जल **ठंडा होकर सघन हो जाता है** और समुद्र तल की ओर प्रवाहित होता है, जिससे **गहन जल-धाराएँ बनती हैं** जो दक्षिण की ओर अंटार्कटिका की ओर प्रवाहित होती हैं।

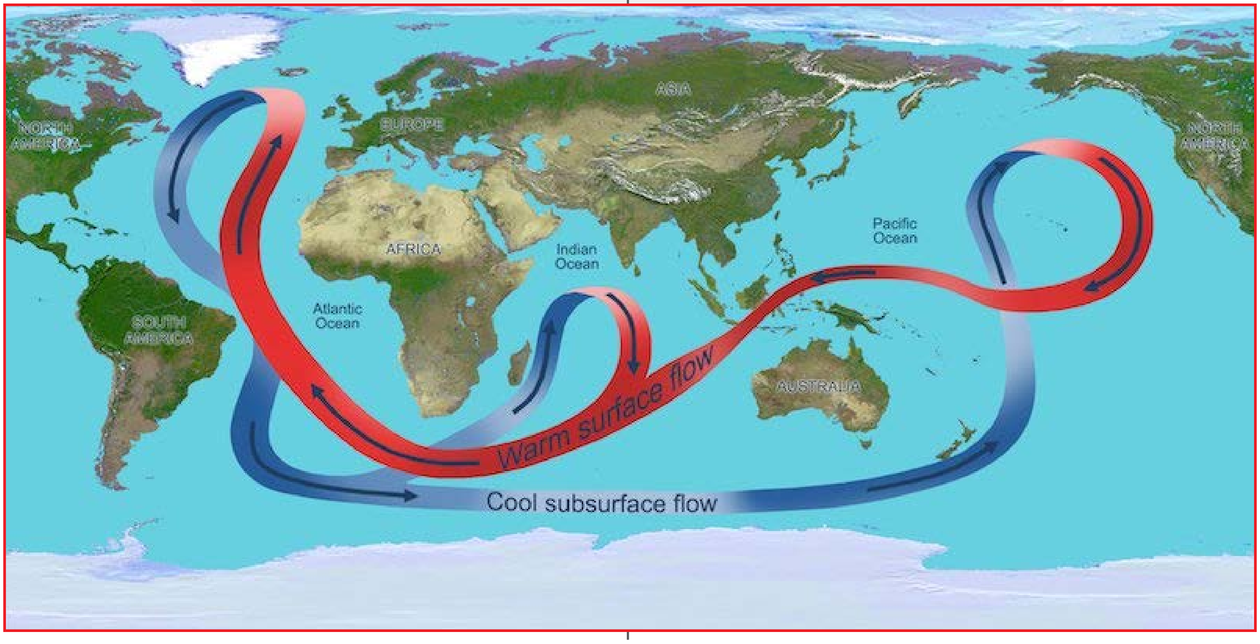

- अंटार्कटिका का योगदान: अंटार्कटिका के समीप और **भी सघन जल बनता है।** इस जल का समुद्र तल के साथ उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक में प्रवाह होता हैं, जहाँ यह वापस दक्षिण की ओर प्रवाहित होने से पूर्व अन्य जल के साथ मिल जाता है।

- **महत्त्व:**
  - MOC महासागरीय **उत्तर की ओर ऊष्मा संवहन** के लगभग दो-तिहाई के लिये जिम्मेदार है, जो इसे जलवायु विनियमन के लिये आवश्यक बनाता है।
  - MOC में परिवर्तन **क्षेत्रीय और वैश्विक ऊष्मा वितरण को प्रभावित** करते हैं, जिससे जलवायु एवं मौसम के पैटर्न प्रभावित होते हैं।
- **चक्र अवधि:** MOC का संपूर्ण परिसंचरण चक्र, जिसे **महासागरीय कन्वेयर बेल्ट** के रूप में भी जाना जाता है, **बहुत ही धीमा** है। बेल्ट के साथ जल की किसी मात्रा (किसी भी दिये गए घन मीटर की मात्रा) को एक चक्र पूरा करने के लिये को लगभग **1,000 वर्ष** लगते हैं।

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक

हाल ही में टोक्यो में **क्वाड** विदेश मंत्रियों की बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान व अमेरिका ने यूक्रेन, **गाज़ा और म्याँमार** में हिंसा को समाप्त करने पर ज़ोर दिया तथा **इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA)** के लिये इंडो-पैसिफिक साझेदारी का विस्तार करने की मंशा व्यक्त की।

क्वाड क्या है?

- क्वाड **ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक अनौपचारिक कूटनीतिक साझेदारी है** जो एक **मुक्त, खुले तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र** का समर्थन करने के लिये प्रतिबद्ध है जो समावेशी एवं लचीला है।
- क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी, हालाँकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने सहित प्रारंभिक बाधाओं को दूर करने के बाद वर्ष 2017 में यह एक औपचारिक समूह बन गया।
- अंततः वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान एक साथ आए तथा इस **"चतुर्भुज" गठबंधन** का गठन किया।

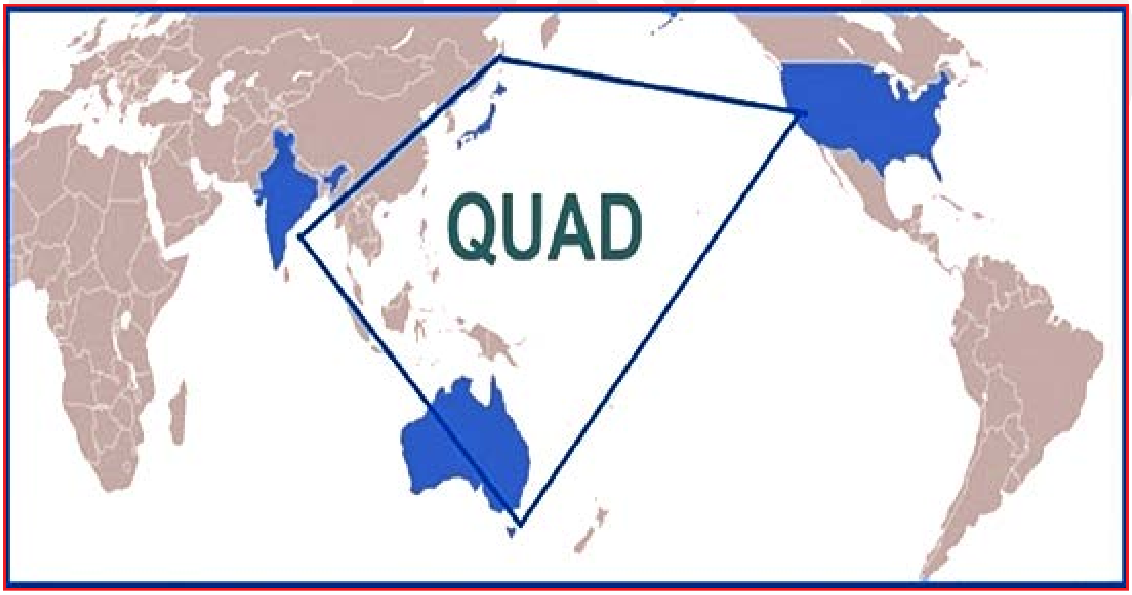

इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) क्या है?

- IPMDA पहल की घोषणा **वर्ष 2022 में टोक्यो में क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन** में की गई थी। यह **इंडो-पैसिफिक** में **प्रशांत द्वीप समूह, दक्षिण पूर्व एशिया** और **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य उन अज्ञात शिपिंग जहाज़ों पर नज़र रखना है जो पता लगने से बचने के लिये अपनी स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) को बंद कर देते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, यह **जलवायु और मानवीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तथा मत्स्य पालन की रक्षा हेतु सामरिक स्तर** की गतिविधियों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कई हिंद-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के लिये महत्त्वपूर्ण है।

नोट :

- **भारत के लिये महत्त्व:** IPMDA हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, जो वैश्विक भू-राजनीतिक महत्त्व का एक प्रमुख क्षेत्र है।
  - भारतीय नौसेना के पास वर्तमान में 140 से अधिक जहाज़ और पनडुब्बियाँ हैं तथा वर्ष 2028 तक इसका विस्तार 170 से 180 जहाज़ों के विशाल बेड़े तक हो जाएगा।

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) क्या है?

- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) 36 तटीय और द्वीपीय देशों में फैला हुआ है तथा अपने व्यापार मार्गों, प्राकृतिक संसाधनों एवं भू-राजनीतिक महत्त्व के कारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
  - इसमें **होर्मुज़ और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे व्यस्त समुद्री मार्ग** शामिल हैं।
- यह क्षेत्र **समुद्री जैवविविधता से समृद्ध** है, लेकिन इसे समुद्री डकैती, अवैध मत्स्यन और पर्यावरण क्षरण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- भारत, चीन, अमेरिका एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा साझा चुनौतियों से निपटने और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।

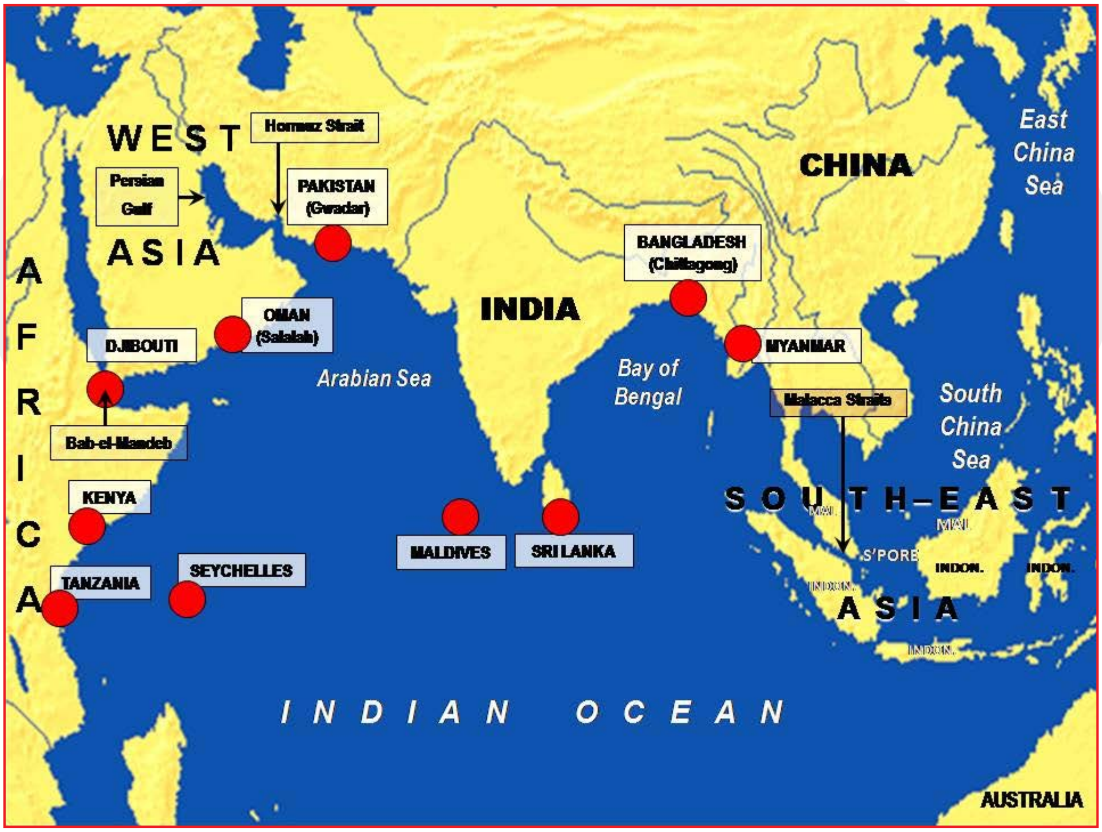

- **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अन्य समूह:**
  - **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA):** यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हिंद महासागर के किनारे स्थित देशों के बीच आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये की गई है।
  - **AUKUS:** यह वर्ष 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका के बीच गठित एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, जो इंडो-पैसिफिक पर केंद्रित है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझा करना शामिल है और इसका उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में चीन की कार्रवाइयों का प्रतिकार करना है। यह साझेदारी AI, क्वांटम तकनीक और गहन समुद्र क्षमताओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को भी बढ़ावा देती है।

नोट :

Members of Indian Ocean Rim Association
IRAN
UNITED ARAB EMIRATES
OMAN
INDIA
BANGLADESH
AILAND
MALAYSIA
SRI LANKA
KENYA
SEYCHELLES
TANZANLA
INDONESIA
COMOROS
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR
SINGAPORE
AUSTRALIA
MAURITIUS
SOUTH AFRICA

■■■

रैपिड फायर

विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ (SAAs)

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court - SC)** ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने प्रत्येक ज़िले में **विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ (Specialised Adoption Agencies - SAAs)** स्थापित नहीं कीं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।

- भारत के 760 ज़िलों में से **370 ज़िलों** में SAA क्रियाशील नहीं हैं, जबकि न्यायालय ने देश भर में SAA की स्थापना अनिवार्य करने का आदेश दिया है।
- इस अंतर के कारण दत्तक ग्रहण पंजीकरण (वर्ष 2023-2024 में 13,467) और वास्तविक दत्तक ग्रहण (लगभग 4,000) के बीच काफी असमानता पैदा हो गई है, जिसका मुख्य कारण अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा है।
- केवल **गोवा, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और चंडीगढ़** ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का पूरी तरह से पालन किया है।
- **उत्तर प्रदेश** जैसे बड़े राज्यों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, **जहाँ 75 में से 61 ज़िलों में SAA नहीं है।**
- भारत में दत्तक ग्रहण **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956** (हिंदुओं, जैन, सिख और बौद्धों के लिये) और **किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** द्वारा शासित है।
- **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority- CARA)** भारत में **अनाथ** और **परित्यक्त बच्चों के दत्तक ग्रहण** को विनियमित करने वाली नोडल संस्था है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1990 में **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** के तहत की गई थी।
  - यह **बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन,** 1993 का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
  - यह राज्य **दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA), SAA, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (AFAA), बाल कल्याण समितियों (CWC)** और **ज़िला बाल संरक्षण इकाइयों (DPU)** को नियंत्रित करता है।

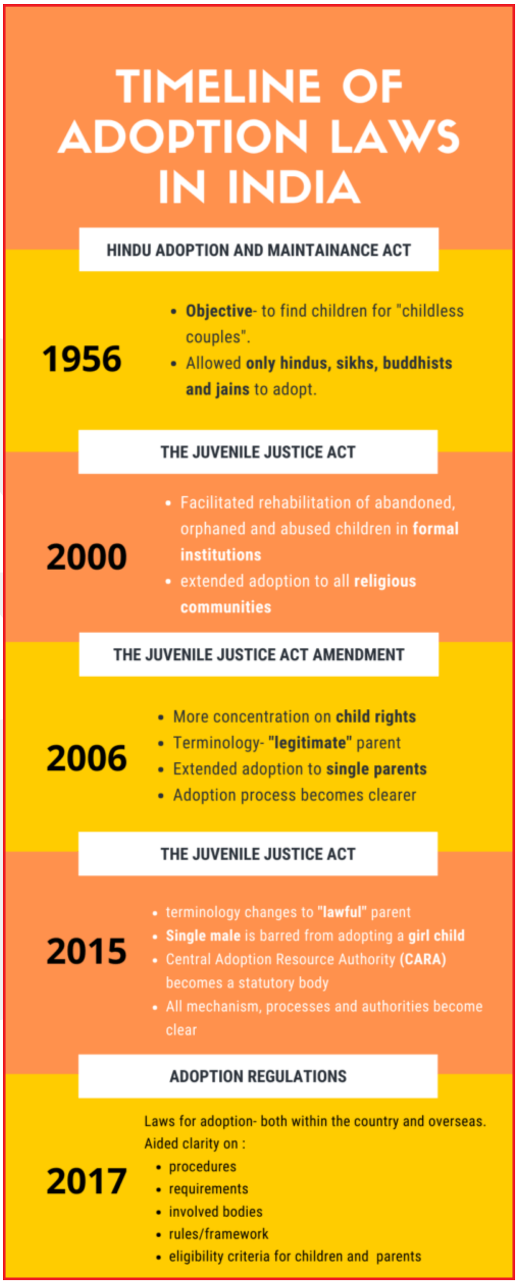

संविधान हत्या दिवस

हाल ही में 25 जून को **संविधान हत्या दिवस** के रूप में घोषित किया जाना, उस मार्मिक अवधि की याद दिलाता है जब **भारत के संविधान** का, विशेष रूप से **वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल** के दौरान,दमन किया गया था।

नोट :

- भारतीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देगा, जिन्होंने आपातकाल की ज़्यादतियों को झेला। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा में संविधान के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के साधन के रूप में कार्य करता है।
- **25 जून 1975 से 21 मार्च 1977** तक की अवधि आपातकाल की अवधि थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में महत्त्वपूर्ण कार्यकारी और विधायी परिवर्तन लागू करने के लिये **संविधान में विशेष प्रावधानों** का उपयोग किया था।
  - आपातकाल की घोषणा से **सत्ता का केंद्रीकरण** होता है, जिससे **संघ को राज्य सरकारों को निर्देश देने की अनुमति** मिलती है, जिससे वे केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, जिससे प्रभावी रूप से **एकात्मक प्रणाली** का निर्माण होता है।
  - भारत ने **तीन बार** राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। सर्वप्रथम वर्ष 1962 से वर्ष 1968 तक **भारत-चीन युद्ध** के दौरान, दूसरी बार **वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध** के दौरान और तीसरी बार **वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक राजनीतिक अस्थिरता** के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी।

संविधान में आपातकालीन प्रावधान:

अनुच्छेद	विषय-वस्तु
अनुच्छेद-352	आपातकाल की उद्घोषणा
अनुच्छेद-353	आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव
अनुच्छेद-354	आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग
अनुच्छेद-355	बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्त्तव्य
अनुच्छेद-356	राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में प्रावधान
अनुच्छेद-357	अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग
अनुच्छेद-358	आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन
अनुच्छेद-359	आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन
अनुच्छेद-360	वित्तीय आपातकाल के संबंध में प्रावधान

GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना (GAINS 2024)

हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री ने कोलकाता में **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE)** की **GRSE त्वरित नवाचार प्रोत्साहन योजना (GRSE Accelerated Innovation Nurturing Scheme- GAINS 2024)** का शुभारंभ किया।

- इस अभिनव योजना का उद्देश्य **शिपयार्ड से संबंधित समास्याओं का समाधान करना** और देश के **स्टार्टअप्स के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना** है।
- यह भारत सरकार की '**मेक इन इंडिया**' और '**स्टार्टअप इंडिया**' नीतियों के अनुरूप है तथा **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME)** एवं **स्टार्ट-अप्स** को आगे की तकनीकी उन्नति के लिये अभिनव समाधान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करने में सक्षम बनाती है।
- इसका उद्देश्य **पोत डिज़ाइन** एवं निर्माण उद्योग **में मौजूदा और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिये** MSME व स्टार्टअप्स के विशाल इकोसिस्टम का लाभ उठाने के साथ आत्मनिर्भरता के उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस

वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के लिये रिपब्लिकन प्रत्याशी और **पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप** को एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान गोली मार दी गई। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिये ज़िम्मेदार एजेंसी सीक्रेट सर्विस ने शूटर को मार गिराया।

यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस:

- यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस की **स्थापना वर्ष 1865** में हुई थी। इसे **उपराष्ट्रपति**, निर्वाचित राष्ट्रपति, उनके परिवारों, पूर्व राष्ट्रपतियों के साथ-साथ उनके जीवनसाथियों (पति/पत्नी के पुनर्विवाह को छोड़कर) और पूर्व राष्ट्रपतियों के 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों की **सुरक्षा करना अनिवार्य** है।
- मूल रूप से अमेरिकी मुद्रा की जालसाज़ी से निपटने के लिये **वर्ष 1902 में सीक्रेट सर्विस** ने **राष्ट्रपति विलियम मैककिनले की वर्ष 1901 में हत्या के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा** की पूर्णकालिक ज़िम्मेदारी संभाली।
  - मैककिनले से पहले **राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तथा जेम्स ए गारफील्ड** की वर्ष 1865 और वर्ष 1881 में हत्या कर दी गई थी।
- वर्ष 1968 में **राष्ट्रपति रॉबर्ट कैनेडी की हत्या के बाद** एजेंसी ने चुनाव प्रत्याशी का प्रभार संभाला।

नोट :

- **रॉबर्ट कैनेडी, वर्ष 1968** के राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे थे।
- कैनेडी की उनके भाई, राष्ट्रपति **जॉन एफ कैनेडी** की हत्या के पाँच वर्ष से भी कम समय बाद, 5 जून 1968 को **लॉस एंजिल्स में गोली मारकर हत्या** कर दी गई थी।

IMO का 132वाँ सत्र

भारतीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने **लंदन** में **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization -IMO)** की परिषद के **132वें** सत्र में भाग लिया।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बड़ी रुचि रखने वाले देशों के लिये IMO परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में **भारत ने नाविकों के परित्याग के ज्वलंत मुद्दे पर प्रकाश डाला।**
  - नाविक वे लोग होते हैं जो जहाज़ों पर काम करते हैं या जो समुद्र में नियमित रूप से यात्रा करते हैं।
- भारत ने संयुक्त त्रिपक्षीय कार्य समूह में IMO का प्रतिनिधित्व करने वाली आठ सरकारों में से एक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो नाविकों के मुद्दों और समुद्री परिचालनों में मानवीय तत्त्व के समाधान के लिये समर्पित है।
  - अन्य प्रस्तावित सदस्य हैं **फिलीपींस, थाईलैंड, लाइबेरिया, पनामा, ग्रीस, अमेरिका और फ्राँस।**
- **लाल सागर, अदन की खाड़ी तथा आस-पास के क्षेत्रों में व्यवधानों से संबंधित चिंताओं पर भी विचार किया गया,** जिससे शिपिंग तथा व्यापार लॉजिस्टिक्स पर प्रभाव पड़ रहा है।
- भारत ने सतत् समुद्री परिवहन के लिये **दक्षिण एशियाई उत्कृष्टता केंद्र (SACE-SMarT)** के लिये अपना प्रस्ताव दोहराया।
  - इस क्षेत्रीय केंद्र का उद्देश्य भारत और दक्षिण एशिया में समुद्री क्षेत्र को तकनीकी रूप से उन्नत, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तथा डिजिटल रूप से कुशल उद्योग में बदलना है।
  - यह केंद्र ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने, क्षमता निर्माण और डिजिटल संक्रमण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

विश्व की दुर्लभतम व्हेल

हाल ही में न्यूज़ीलैंड की संरक्षण एजेंसी ने **दक्षिण द्वीप के समुद्र तट** पर एक जीव के पाए जाने की घोषणा की जो कि संभवत: एक **स्पेड-टूथ व्हेल** (Spade-Toothed Whale) है और यह न्यूज़ीलैंड के वैज्ञानिकों के लिये एक बड़ी सफलता हो सकती है।

- स्पेड-टूथ व्हेल को **विश्व में सबसे दुर्लभ** माना जाता है और इन्हें **अभी तक सजीव अवस्था में नहीं पाया गया** है जिसका अर्थ यह है कि विशाल **दक्षिणी प्रशांत महासागर** में उनकी संख्या, आहार तथा पर्यावास के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।
  - पहली स्पेड-टूथ व्हेल की अस्थियाँ वर्ष 1872 में **न्यूज़ीलैंड के पिट द्वीप** पर पाई गई थीं।
- उक्त व्हेल को जल धारा के प्रवाह के कारण समुद्र के किनारे पाया गया जिसकी थूथन की लंबाई पाँच मीटर है और उसके **रंग पैटर्न तथा कपाल, चोंच व दंत के आकार की मदद से** इसकी **पहचान की गई**।
  - शोधककर्त्ता **स्थानीय माओरी जनजातियों** के साथ मिलकर यह निर्धारित करेंगे कि इसका अध्ययन किस प्रकार किया जाएगा।
- **न्यूज़ीलैंड के मूल निवासियों** द्वारा व्हेल को **पवित्र टाओंगा** (Taonga) की संज्ञा दी जाती है तथा पूर्व में की गई संधियों में व्हेल को **"लीगल पर्सन" के रूप में मान्यता** प्रदान की गई थी। हालाँकि वैश्विक स्तर पर व्हेल के संबंध में ऐसी मान्यता विधिक रूप बाध्यकारी नहीं हैं।
- **IUCN स्थिति: डेटा डिफिशिएंट (DD)**

Discovered Whale in New Zealand

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने **इंदौर** से **मध्य प्रदेश** के सभी 55 **ज़िलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस** का उद्घाटन किया।

- राज्य सरकार द्वारा **नई शिक्षा नीति, 2020** के अनुरूप पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिये शुरू किये गए इन **कॉलेजों का उद्देश्य शिक्षा को रोज़गारोन्मुखी बनाना** है।
  - **मध्य प्रदेश, नई शिक्षा नीति (NEP)** लागू करने वाला **पहला राज्य** बन गया है।
- ये कॉलेज वर्ष 2047 तक मज़बूत शैक्षणिक नींव स्थापित करेंगे।
  - इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये **नई शिक्षा नीति, 2020** प्रस्तुत की गई। यह केवल डिग्री प्रदान करने के बजाय **युवाओं के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित** करता है।

- इसमें **अकादमिक विषयों एवं जीवन कौशल दोनों की शिक्षा** देना शामिल है। छात्रों में पारंपरिक सोच के बजाय **लीक से हटकर सोचने को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर** दिया जाता है।

नगालैंड की जलमार्ग क्षमता में वृद्धि

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री (MoPSW) ने नगालैंड के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर नगालैंड के दीमापुर में आयोजित हितधारक सम्मेलन के दौरान **नगालैंड की जलमार्ग क्षमता** को सक्षम करने के उद्देश्य से प्रमुख पहलों की घोषणा की।

- **तिजु जुनकी (राष्ट्रीय जलमार्ग 101) का विकास:** इसके तहत **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)** और नगालैंड का परिवहन विभाग **अंतर्देशीय जल परिवहन** के लिये फेयरवे के विकास, कौशल विकास तथा पोत खरीद के लिये नौवहन व्यवहारिकता अध्ययन करने के लिये सहयोग करेंगे।
  - नगालैंड में तिजु नदी आगे चलकर **चिंडौन नदी (इरावदी नदी की तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी)** में मिलती है जिसे **म्याँमार में निंगथी नदी** के नाम से भी जाना जाता है।
    - चिंडौन नदी आगे चलकर म्याँमार की सबसे बड़ी नदी- इरावदी नदी में मिल जाती है और अंडमान सागर में गिरती है जो पूर्वोत्तर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों तक माल की आवाजाही के लिये जलमार्ग प्रदान करती है।
  - इसमें **परिवहन के** एक **वहनीय, सतत् और कुशल साधन के रूप में जलमार्गों के उपयोग पर ज़ोर दिया गया** जो कि भारत के विकास के संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप है।
- **पर्यटन पहल:** इसमें सामुदायिक जेटी के साथ **दोयांग नदी झील** को विकसित करने और पर्यटन को बढ़ाने के लिये **रो पैक्स फेरी** की व्यवहारिकता का अध्ययन करने की योजना बनाई गई।
- **समुद्री कौशल विकास:** इस पहल में समुद्री कौशल विकास केंद्र में समुद्री कौशल में प्रशिक्षण के लिये स्थानीय युवाओं को आमंत्रित करना शामिल है जिससे समुद्री क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा मिलेगा।
- **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांज़िट ट्रांसपोर्ट परियोजना:** IWAI के माध्यम से MoPSW संबद्ध क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है जिसमें **कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना**, NW 2 और NW 16 को **इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट (IBPR)** से जोड़ना, IBPR पर फेयरवे विकसित करना तथा **पोर्ट ऑफ कॉल** की घोषणा करना आदि शामिल हैं।

यूरो 2024

UEFA यूरोपीय चैंपियनशिप का 17वाँ संस्करण, जिसे यूरो 2024 के नाम से जाना जाता है, जर्मनी में आयोजित किया गया और स्पेन को चौथी बार चैंपियन का ताज पहनाया गया। इसके अतिरिक्त, **संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित कोपा अमेरिका का 48वाँ संस्करण अर्जेंटीना की जीत** के साथ संपन्न हुआ।

- UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन **यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन (Union of European Football Associations- UEFA)** द्वारा किया जाता है, जो पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, **जो केवल यूरोपीय टीमों के लिये** है।
- वर्ष 1958 में स्थापित यह प्रतियोगिता वर्ष 1960 में शुरू हुई थी। यह टूर्नामेंट आमतौर पर **हर चार साल में** आयोजित किया जाता है, लेकिन यूरो 2020 को महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।
  - यह **फीफा विश्व कप** के बाद दुनिया भर में दूसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट है।
- कोपा अमेरिका, जिसे अमेरिका कप के नाम से भी जाना जाता है, **दक्षिण अमेरिका की राष्ट्रीय टीमों के बीच** चतुष्कोणीय प्रारूप में खेला जाने वाला पुरुषों का **अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल (सॉकर) टूर्नामेंट** है।
  - यह **विश्व की सबसे पुरानी महाद्वीपीय फुटबॉल प्रतियोगिता है**, जिसका इतिहास वर्ष 1916 से है और इसे विश्व स्तर पर तीसरा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है।

प्रोजेक्ट PARI

हाल ही में **संस्कृति मंत्रालय** ने नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र के दौरान **प्रोजेक्ट PARI (Public Art of India अर्थात् भारत की सार्वजनिक कला)** की शुरुआत की।

- इसका उद्देश्य आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए **भारत की कलात्मक विरासत (लोक कला/लोक संस्कृति)** से प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक कला को सामने लाना है।
- देश भर से 150 से अधिक दृश्य कलाकार दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यीकरण के लिये **दीवार चित्रकला (wall paintings), भित्ति चित्र (murals), मूर्तियाँ (sculptures) और प्रतिष्ठानों** सहित विभिन्न कलाकृतियाँ बनाएंगे।

नोट :

- ये मूर्तियाँ प्रकृति, **नाट्यशास्त्र के विचारों, गांधीजी, भारत के खिलौनों, प्राचीन ज्ञान, नाद या आदि ध्वनि, जीवन की सद्भावना और कल्पतरु (दिव्य वृक्ष)** को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी।

विश्व धरोहर समिति (WHC):

- यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में **नए स्थलों** को शामिल करने पर निर्णय लेता है।
- भारत **जुलाई 2024** में **पहली** बार इस बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है।
- भारत में **42 यूनेस्को** विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें हाल ही में 'होयसल के पवित्र समूह' को भी शामिल किया गया है।
- इसमें 34 (सांस्कृतिक स्थल), 7 (प्राकृतिक) और 1 (मिश्रित) शामिल हैं।

विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस

प्रतिवर्ष **17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय** को बढ़ावा देने और वैश्विक समुदाय को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के लिये दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई का सम्मान करने के लिये विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है।

- **ऐतिहासिक महत्त्व:** 17 जुलाई 1998 को **रोम संविधि** को अपनाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court - ICC) की स्थापना हुई।
  - ICC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को नियंत्रित करने के लिये इसका एक अलग समझौता है। वर्तमान में 124 देश ICC के रोम संविधि के पक्षकार हैं। **भारत रोम संविधि/ICCका पक्षकार नहीं है।**
  - **ICC पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है** और इसे 1 जुलाई 2002 को या उसके बाद किये गए नरसंहार, **युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराधों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत** अपराधों पर अधिकार प्राप्त है।
  - रोम संविधि गंभीर अपराधों के लिये दंड से मुक्ति के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, तथा अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।
- यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय न्याय तंत्र तथा दंड से मुक्ति के मुद्दे को संबोधित करने तथा वैश्विक शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

राज्यों ने किया PM-श्री योजना का विरोध

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइज़िंग इंडिया (PM-

SHRI) योजना में भाग लेने में अनिच्छुक होने के कारण **दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल** को **समग्र शिक्षा अभियान (SSA)** के तहत निधि आवंटित करना समाप्त कर दिया है।

- इस योजना में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिये केंद्र सरकार, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित **मौजूदा स्कूलों को अधिक दक्ष बनाकर 14,500 से अधिक पीएम-श्री स्कूल (पीएम स्कूल फॉर राइज़िंग इंडिया) स्थापित किये जाने** का प्रावधान शामिल है।
  - योजना के तहत व्यय का 60% केंद्र द्वारा और 40% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा तथा राज्यों को **शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर कर अपनी भागीदारी की पुष्टि करनी होगी।
- **पाँच राज्यों- तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने MoU पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किये हैं।**
  - तमिलनाडु और केरल ने MoU पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की है जबकि **दिल्ली, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने हस्ताक्षर करने** से **इनकार कर दिया** है जिसके कारण केंद्र ने उनके SSA फंड पर रोक लगा दी है।
- **समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिये** एक **एकीकृत योजना** है जिसका दायरा **प्री-स्कूल से कक्षा XII तक** है और इसका उद्देश्य **स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों** पर समावेशी तथा समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है।
  - इसमें **सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और टीचर एजुकेशन (TE)** जैसी तीन योजनाएँ शामिल हैं।
    - इस योजना का मुख्य लक्ष्य **दो T- टीचर और टेक्नोलॉजी** पर ध्यान केंद्रित कर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत **श्रम ब्यूरो (Labour Bureau)** हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिये **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW)** संकलित कर रहा है।

- **मई, 2024** माह के लिये **मुद्रास्फीति (Inflation) मई, 2023** के **4.42%** की तुलना में कम होकर **3.86% हो** गई।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW):

- CPI-IW का उपयोग **मुख्य रूप से केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों और औद्योगिक क्षेत्रों में कामगारों को दिये जाने वाले महँगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA)** के निर्धारण के लिये किया जाता है, इसके अलावा खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को मापने, **अनुसूचित रोज़गार में न्यूनतम मज़दूरी के निर्धारण और संशोधन के लिये भी इसका उपयोग** किया जाता है।
- **CPI में कई उप-समूह हैं** जिनमें खाद्य व पेय पदार्थ, ईंधन व प्रकाश, आवास और वस्त्र, बिस्तर तथा जूते शामिल हैं।
- CPI के चार प्रकार इस प्रकार हैं:
  - औद्योगिक श्रमिकों के लिये CPI (IW)
  - कृषि मज़दूरों के लिये CPI (AL)
  - ग्रामीण मज़दूरों के लिये CPI (RL)
  - CPI (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त) (CPI-C)
- **IW, AL और RL को श्रम और रोज़गार मंत्रालय** में **श्रम ब्यूरो** द्वारा संकलित किया जाता है। सीपीआई-सी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office - NSO)** द्वारा संकलित किया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं ने MCLR बढ़ाया

भारतीय स्टेट बैंक और **बैंक ऑफ बड़ौदा** जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं ने अपने **निधि आधारित उधार दर की सीमांत लागत (Marginal Cost of funds based Lending Rates - MCLR)** में वृद्धि की है। इससे उधारकर्त्ताओं के लिये **समान मासिक किस्तों (Equated Monthly Instalments- EMIs)** में वृद्धि होगी।

- MCLR वह न्यूनतम ब्याज दर है जो बैंक को उधार देने के लिये वसूलनी चाहिये। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अनुमत कुछ मामलों को छोड़कर, बैंक उस दर से कम पर कोई ऋण नहीं दे सकता है।
  - MCLR एक **"आंतरिक बेंचमार्क"** है जो हर बैंक में अलग-अलग होता है। इसकी गणना निधि की सीमांत लागत के आधार पर की जाती है।
  - MCLR के मुख्य घटक:
    - निधियों की सीमांत लागत
    - CRR का नकारात्मक कैरी ऑन अकाउंट
    - परिचालन लागत
    - अवधि प्रीमियम

- अगर निधि की लागत बढ़ जाती है, तो MCLR बढ़ जाता है और किसी भी MCLR अवधि से जुड़े लोन महँगे हो जाते हैं। इसी तरह **अगर MCLR कम हो जाता है, तो लोन सस्ते हो जाते हैं।**
- वर्ष 2019 में **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने MCLR व्यवस्था को बदलने के लिये **एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट (External Benchmark Based Lending Rate - EBLR)** की शुरुआत की।
- परिणामस्वरूप, **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME)** को दिये जाने वाले सभी खुदरा ऋण तथा फ्लोटिंग-रेट ऋण अब ईबीएलआर से जुड़ गए हैं।

विश्व के सबसे ऊँचे दर्रे पर ड्रोन परीक्षण

हाल ही में बंगलुरु की एक फर्म, **न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज़** ने लद्दाख के **उमलिंग ला दर्रे** पर 19,024 फीट की ऊँचाई पर **100 किलोग्राम अधिकतम टेकऑफ वज़न (Max Takeoff Weight- MTOW) मानव रहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle- UAV)** का परीक्षण किया, जो दुनिया का सबसे ऊँचा मोटरेबल दर्रा है।

- कंपनी के अनुसार, यह 100 किलोग्राम के **MTOW श्रेणी के ड्रोन द्वारा उच्च ऊँचाई पर संचालन** के लिये हासिल किया गया एक नया विश्व रिकॉर्ड है।
    - इससे **जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में रसद, आपदा तथा बचाव कार्यों एवं चिकित्सा राहत में काफी सुधार** होगा।

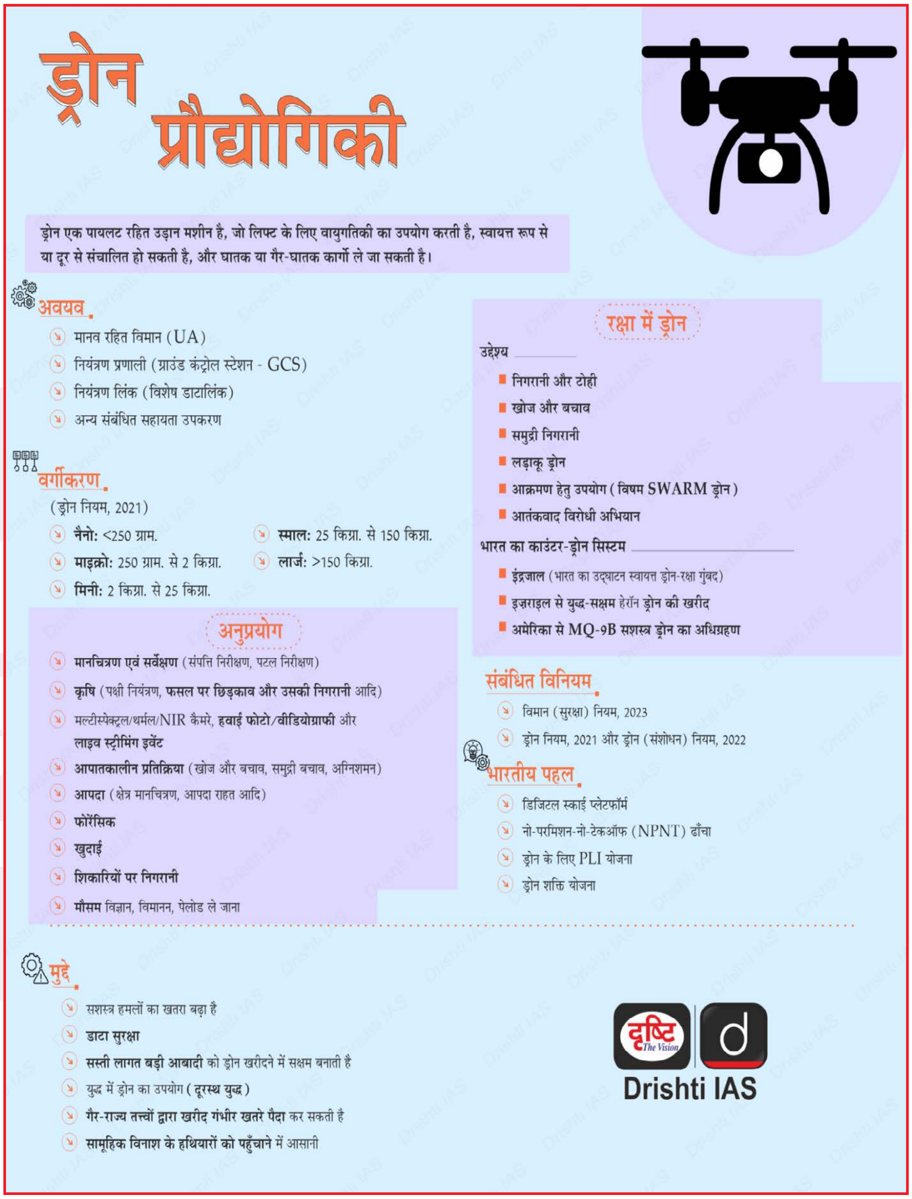

- **उमलिंग ला दर्रे:**
    - लद्दाख में उमलिंग ला 19,024 फीट की ऊँचाई पर दुनिया की सबसे ऊँची मोटर योग्य सड़क है, जिसका निर्माण **सीमा सड़क संगठन** द्वारा **"प्रोजेक्ट हिमांक"** के भाग के रूप में किया गया है।
    - **52 किलोमीटर लंबी यह सड़क चिशुमले को डेमचोक गाँवों** से जोड़ती है, जो **वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC)** के पास हैं और भारत तथा चीन के बीच टकराव का बिंदु है।

नोट :

भारत में प्रमुख दर्रे

तथ्य

- पूर्वी लद्दाख में स्थित **उमलिंग ला दर्रा** हाल ही में विश्व का सबसे ऊँचा मोटरेबल दर्रा बन गया है (प्रोजेक्ट हिमांक)।
- **लिपु लेख दर्रा उत्तराखंड (भारत), चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन** के निकट स्थित है।
- **नाथू ला** (सिक्किम) **भारत-तिब्बत सीमा** पर स्थित है। यह भारत और चीन के बीच तीन खुले व्यापारिक दर्रों में से एक है (अन्य दो दर्रे - **शिपकी ला और लिपु लेख**)।
- सिक्किम में स्थित **नाकू ला दर्रा** हाल ही में LAC **पर भारत-चीन गतिरोध** के कारण खबरों में था।
- **जोजिला दर्रा** लेह को श्रीनगर से जोड़ता है और इसे "Mountain Pass of Blizzards", अर्थात् बर्फीले तूफानों के पर्वतीय दर्रे के रूप में जाना जाता है। जोजिला सुरंग **एशिया की सबसे लंबी सुरंग** है।
- **डुंगरी ला (या माना)** दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। यह जांस्कर पर्वत श्रृंखला (उत्तराखंड) के **नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व में स्थित है**। यहाँ तक कि भारतीय नागरिकों को भी **इस दर्रे से यात्रा करने के लिये सेना से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता** होती है।
- **रोहतांग दर्रा** (हिमाचल प्रदेश) महान हिमालय की **पीर पंजाल श्रेणी** में स्थित है और **कुल्लू घाटी को लाहौल तथा स्पीति घाटियों से जोड़ता है**।
- **पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा तमिलनाडु से सटे केरल के पलक्कड़ (या पाल घाट) में है।**

Drishti IAS

ICCPR की चौथी आवधिक समीक्षा

भारत ने जिनेवा में **नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (International Covenant on Civil and Political Rights - ICCPR)** के अंतर्गत **मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा** सफलतापूर्वक संपन्न की।

नोट :

- ICCPR एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो अन्य प्रमुख दस्तावेज़ों के साथ मिलकर **अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक** का निर्माण करती है। यह देशों को जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा तथा संरक्षण करने के लिये बाध्य करता है।
    - संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1966 में अपनाया गया। ICCPR वर्ष 1976 में लागू हुआ और वर्ष 1979 में भारत सहित 173 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया एवं इसकी तीन पूर्व समीक्षाएँ हो चुकी हैं व नवीनतम समीक्षा वर्ष 2024 में होगी।
    - चौथी आवधिक समीक्षा में भ्रष्टाचार विरोधी उपाय, गैर-भेदभाव, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार, आतंकवाद-निरोध, न्यायिक ढाँचे तथा गोपनीयता कानून सहित विविध मुद्दों को शामिल किया गया।
- अन्य मुख्य संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन और प्रोटोकॉल जिनका भारत हिस्सा है, उनमें शामिल हैं:
    - **ICERD (नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन)**
    - CEDAW (महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन)
    - CRC (बाल अधिकारों पर कन्वेंशन)

फिलिस्तीनी शरणार्थियों हेतु भारत की सहायता

हाल ही में भारत ने वर्ष 2024-25 के लिये **5 मिलियन अमेरीकी डॉलर के** अपने **वार्षिक योगदान** के हिस्से के रूप में नियर ईस्ट (पूर्वी भूमध्य सागर के चरों ओर का पारमहाद्वीपीय क्षेत्र) में स्थित फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिये **संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (United Nations Relief and Works Agency-UNRWA)** को **2.5 मिलियन अमेरीकी डॉलर** की पहली किस्त जारी की।

- UNRWA **वर्ष 1950 से** पंजीकृत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिये **प्रत्यक्ष राहत और कार्य कार्यक्रम** का संचालन कर रहा है तथा साथ ही गाज़ा में **इज़रायल-हमास युद्ध** के बीच भी क्रियाशील रहने हेतु प्रयासरत है।
- भारत ने फिलि्स्तीनी शरणार्थियों के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, राहत एवं सामाजिक सेवाओं सहित UNRWA के मुख्य कार्यक्रमों व सेवाओं हेतु अभी तक **(2023-24) तक** कुल **35 मिलियन अमेरीकी डॉलर** की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA):

- इसकी स्थापना **वर्ष 1948 में हुए अरब-इज़रायल युद्ध** के उपरांत **संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा **वर्ष 1949** में की गई थी।
- इसका उद्देश्य 1948 के अरब-इज़रायल संघर्ष के कारण विस्थापित हुए **फिलिस्तीनी शरणार्थियों** और उनके परिवारों को **सहायता तथा सुरक्षा प्रदान करना** है।
- इसका संचालन गाज़ा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जैसे क्षेत्रों में है।
- यह लगभग पूर्ण रूप से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान दवरा वित्तपोषित है।
- UNRWA को प्रदत्त भारत की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त वह एजेंसी के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिये औषधियाँ भी उपलब्ध कराएगा।

सरकारी निकायों में ई-ऑफिस क्रियान्वन

भारत सरकार ने **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances- DARPG)** की **100-दिवसीय कार्य-सूची** के हिस्से के रूप में **ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म** का सभी संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में क्रियान्वन किये जाने की घोषणा की।

- ई-ऑफिस पहल का उद्देश्य **विभिन्न सरकारी निकायों में फाइल हैंडलिंग और रसीदों को डिजिटल बनाना** है। यह पहल वर्ष 2019 से 2024 की अवधि में केंद्रीय सचिवालय में ई-ऑफिस को अपनाने में आई उल्लेखनीय गति को दृष्टिगत रखते हुए की गई है, जहाँ **94 प्रतिशत फाइलों को ई-फाइल के रूप में और 95 प्रतिशत रसीदों को ई-रसीद के रूप में संभाला गया**।
- इस सफलता के आधार पर, सरकार ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श के बाद ई-ऑफिस पहल के क्रियान्वन के लिये 133 संस्थाओं की पहचान की है। इसे अपनाने हेतु दिशा-निर्देश DARPG और **राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)** द्वारा जारी किये गए थे।
    - डिजिटल परिवर्तन और प्रशासनिक दक्षता के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए सभी मंत्रालय/विभाग नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, डेटा सेंटर स्थापित करेंगे तथा ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के निर्बाध, समयबद्ध क्रियान्वन के लिये NIC के साथ समन्वय करेंगे।

ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते

विगत सात वर्षों (2018- मई 2024) में **रेलवे सुरक्षा बल (RPF) 'नन्हे फरिश्ते' नामक एक अभियान** में अग्रणी रहा है, जो

नोट :

विभिन्न भारतीय रेलवे क्षेत्रों में **देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों** को बचाने के लिये समर्पित एक मिशन है।

- इस अवधि के दौरान, **RPF ने स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया** है, ताकि उन्हें संकट में पड़ने से बचाया जा सके।
  - **ट्रैक चाइल्ड पोर्टल** में पीड़ित बच्चों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी है। भारतीय रेलवे ने 135 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर चाइल्ड हेल्प डेस्क स्थापित किये हैं।
  - जब कोई बच्चा RPF द्वारा बचाया जाता है, तो उसे ज़िला बाल कल्याण समिति को सौंप दिया जाता है, जो बच्चे को उसके माता-पिता को सौंप देती है।
- RPF **केंद्रीय रेल मंत्रालय** के नियंत्रण में एक सशस्त्र बल है, जिसका काम **रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्रों और यात्रियों की सुरक्षा करना** है।
  - RPF मूलतः वर्ष 1881 से **निजी रेलवे कंपनियों के वॉच एंड वार्ड सेट-अप** का हिस्सा, इसे **RPF अधिनियम, 1957** के तहत एक वैधानिक निकाय में पुनर्गठित किया गया था।
  - स्वतंत्रता के पश्चात् के समय में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए; सुरक्षा में सुधार के लिये **वर्ष 1966 में रेलवे संपत्ति (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम** पारित किया गया और वर्ष 1985 में RPF अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप RPF एक सशस्त्र बल के साथ-साथ एक केंद्रीय पुलिस संगठन के रूप में उभरा।

फ्लोरिडा कारपेंटर चींटियाँ

हाल के अध्ययन से पता चला है कि **फ्लोरिडा कारपेंटर चींटियाँ** (*Camponotus floridanus*) अपने जीवित रहने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिये अपने घोंसले में **जीवन रक्षक सर्जरी** करती हैं।

- चोट लगने के स्थान के आधार पर, ये चींटियाँ या तो **अंग काटना (सर्जरी के माध्यम से शारीरिक घटक को हटाना)** अथवा **केवल घाव को साफ करना** चुनती हैं।
  - पैर के ऊपर (फीमर) चोट लगने पर **अंग-विच्छेदन** किया जाता है, जबकि पैर के **निचले भाग (टिबिया) में लगे घावों के लिये सफाई** की जाती है।
- चींटियों में **हेमोलिम्फ नामक एक नीला-हरा तरल पदार्थ** होता है, जो अधिकांश अकशेरुकी जीवों के रक्त के समान होता है। पैर की अधिक चोट लगने से हेमोलिम्फ का प्रवाह धीमा हो जाता है, जिससे प्रभावी विच्छेदन में सहायता मिलती है।
- चींटियों के इस व्यवहार को **जीव जगत में सबसे परिष्कृत "चिकित्सा प्रणाली"** माना जाता है, जो केवल मानव चिकित्सा पद्धतियों की प्रतिद्वंद्वी है।

फ्लोरिडा कारपेंटर चींटियाँ:

- ये **1.5 सेमी. से अधिक लंबी लाल-भूरे रंग की प्रजातियाँ** हैं, जिनके **6 पैर** होते हैं, जो **दक्षिण-पूर्वी अमेरिका में** पाई जाती हैं।
- वे सड़ती हुई लकड़ी में कालोनियाँ बनाती हैं और साथ ही प्रतिद्वंद्वी चींटी कालोनियों से अपने घोंसलों की रक्षा करते हैं।

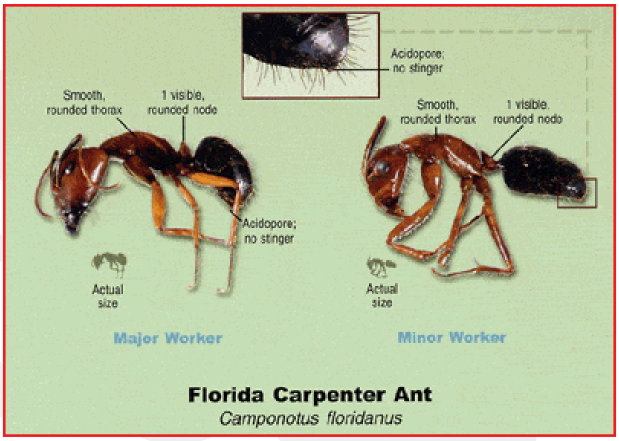

गेवरा और कुसमुंडा विश्व की सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल

हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** की **सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)** की **गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने** WorldAtlas.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में **क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ स्थान हासिल किया** है।

- छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में स्थित ये दो खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल **कोयला उत्पादन** का **लगभग 10% है**।
- गेवरा SECLकी मेगाप्रोजेक्ट्स में से एक है **एवं वित्त वर्ष 2022-23 के लिये वार्षिक उत्पादन 52.5 मिलियन टन और वित्त वर्ष 2023-24 में 59 मिलियन टन तक पहुँचने के साथ वर्ष 2023 में** देश की सबसे बड़ी कोयला खदान बन गई। वित्त वर्ष 2023-24 में कुसमुंडा खदान से 50 मिलियन टन से अधिक का उत्पादन हुआ।
- ये खदानें बिना विस्फोट के पर्यावरण-अनुकूल कोयला निष्कर्षण के लिये **"सरफेस माइनर" जैसी उन्नत खनन मशीनों का उपयोग करती हैं**।

नोट :

- अधिभार हटाने (कोयले की परत को उजागर करने के लिये मिट्टी, पत्थर आदि की परतों को हटाने की प्रक्रिया) के लिये, खदानें पर्यावरण के अनुकूल और विस्फोट-मुक्त ओबी हटाने के लिये वर्टिकल रिपर्स के साथ-साथ **विश्व की कुछ सबसे बड़ी HEMM (हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी) का उपयोग करती हैं।**

- **कोल इंडिया लिमिटेड** एक **महारत्न कंपनी** है, जिसकी स्थापना नवंबर 1975 में की गई थी एवं तब से **यह विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक बन गई है। यह वर्ष 1973 के कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के तहत काम करती है,** जो इसे देश में कोयला खनन और वितरण पर एकाधिकार देता है।

शिवाजी महाराज की वाघ नख की महाराष्ट्र में वापसी

हाल ही में **छत्रपति शिवाजी महाराज** द्वारा इस्तेमाल किया गया युद्धकालीन हथियार **'वाघ नख'** लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट (V&A) संग्रहालय से मुंबई लाया गया है।

- **विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय** ने प्राचीन हथियार को तीन वर्ष की अवधि के लिये ऋणात्मक आधार पर महाराष्ट्र सरकार को सौंपा है, उक्त अवधि के दौरान इसे राज्य भर के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाएगा।
- **'वाघ नख'**, जिसका शाब्दिक अर्थ है **'बाघ का पंजा'**, एक **विशिष्ट मध्यकालीन खंजर** है जिसका उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता है। इस घातक हथियार में एक दस्ताने और एक छड़ से जुड़े **चार अथवा पाँच घुमावदार ब्लेड** होते हैं, जिसे व्यक्तिगत सुरक्षा अथवा गुप्त तरीके से हमला करने के लिये डिज़ाइन किया गया था। इसके नुकीले ब्लेड काफी तेज़ थे।
  - कोंकण क्षेत्र में शिवाजी की मज़बूत पकड़ व अभियानों को कमज़ोर करने के लिये नियुक्त किये गए **बीजापुर के सेनापति अफज़ल खान और छत्रपति शिवाजी के बीच लड़ाई हुई थी।** अफज़ल खान ने शांतिपूर्ण सुलह का सुझाव दिया था किंतु संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए शिवाजी पूरी तैयारी के साथ आए थे।
- उनका जन्म 19 फरवरी, 1630 को महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के शिवनेरी किले में हुआ था, वह बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुपे की जागीरदारी रखने वाले मराठा सेनापति शाहजी भोंसले तथा एक धार्मिक महिला जीजाबाई के पुत्र थे, जिनका शिवाजी के जीवन पर काफी प्रभाव पड़ा।
- उन्होंने **प्रतापगढ़ की लड़ाई, पवन खिंड की लड़ाई, सूरत की लूट, पुरंदर की लड़ाई, सिंहगढ़ की लड़ाई और संगमनेर की लड़ाई** जैसी महत्त्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ीं।
  - उनके द्वारा **छत्रपति, शाककार्ता, क्षत्रिय कुलवंत तथा हैंदव धर्मोधारक की उपाधियाँ** धारण की गई।
  - उन्होंने आठ मंत्रियों की एक **परिषद (अष्टप्रधान)** के साथ एक केंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना की, जो प्रत्यक्ष रूप से उनके प्रति ज़िम्मेदार थे और राज्य के विभिन्न मामलों पर उन्हें सलाह देते थे।
  - शिवाजी ने **जागीरदारी प्रणाली** को समाप्त कर दिया और इसे **रैयतवारी प्रणाली** में बदल दिया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था।

कार्लोस अल्काराज़ ने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता

हाल ही में स्पेन के **कार्लोस अल्काराज़ (Carlos Alcaraz)** ने **विंबलडन** टेनिस मेंस सिंगल के फाइनल मैच में सर्बिया के **नोवाक जोकोविच** को हराकर अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।

- इस जीत के साथ ही अल्काराज़ मात्र **21 वर्ष** की आयु में **4 ग्रैंड स्लैम खिताब** जीतने वाले **सबसे कम आयु के खिलाड़ी** बन गए।
- पिछले 5 ग्रैंड स्लैम में से 4 खिताब, **अल्काराज़** और **जैनिक सिनर** (इटली के खिलाड़ी) जैसे टेनिस के नई पीढ़ी के खिलाड़ियों ने अर्जित किये जो मेंस टेनिस में शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत है।
- फेडरर, नडाल और जोकोविच, जिन्हें **"बिग थ्री"** माना जाता है, का पिछले दो दशकों से इस खेल पर प्रभुत्व रहा है जो वर्तमान में उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से कड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं।

ग्रैंड स्लैम:

- यह एक ही कैलेंडर सीज़न में **सभी 4 प्रमुख टेनिस चैंपियनशिप (ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, ब्रिटेन (विंबलडन) और संयुक्त राज्य अमेरिका की चैंपियनशिप) जीतने** को संदर्भित करता है।
- यह खिताब 5 विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा 6 बार अर्जित किया गया है।
- **डॉन बज वर्ष 1938** में एक ही वर्ष में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतकर **टेनिस में ग्रैंड स्लैम** का खिताब अर्जित करने वाले **पहले खिलाड़ी** हैं।

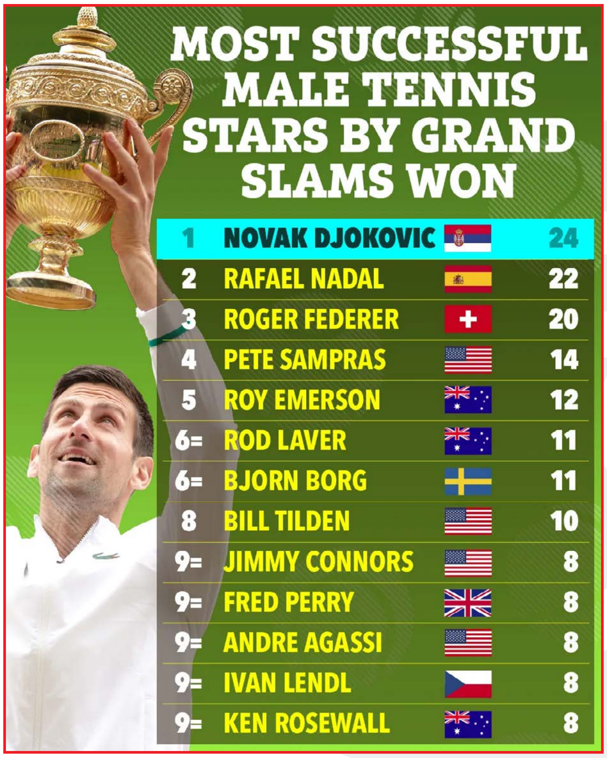

जैविक उत्पादों हेतु पारस्परिक समझौता

हाल ही में भारत और ताइवान ने जैविक उत्पादों के लिये **पारस्परिक मान्यता समझौते (Mutual Recognition Agreement- MRA)** का कार्यान्वन किया।

- यह समझौता दोनों देशों के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह जैविक उत्पादों के लिये **पहला द्विपक्षीय समझौता** है।
  - MRA के लिये कार्यान्वयन अभिकरण भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA) और ताइवान के कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं खाद्य एजेंसी (AFA) हैं।
- पारस्परिक मान्यता से दोहरे प्रमाणन से बचने, अनुपालन लागत को कम करने, **अनुपालन** आवश्यकताओं को **सरल** बनाने और जैविक क्षेत्र में **व्यापार के अवसरों को बढ़ाकर जैविक उत्पाद निर्यात** को **सुगम** बनाया जा सकेगा।
- MRA प्रमुख भारतीय जैविक उत्पादों, जैसे **चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी/काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पादों** आदि का ताइवान में निर्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत में जैविक उत्पादों हेतु योजनाएँ:

- **इंडियन ऑर्गेनिक लोगो।**
- पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया।
- राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)।

भारत-मलेशिया कृषि संबंध

हाल ही में **भारत और मलेशिया ने** कृषि में अपने द्विपक्षीय सहयोग को मज़बूत करने का निर्णय लिया है, जिसमें **पाम ऑयल की खेती** तथा **डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण** पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।

- **सहयोग के क्षेत्र: खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन- ऑयल पाम (NMEO-OP)** को आगे बढ़ाने के लिये सहयोग पर चर्चा की गई। कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिये बाज़ार पहुँच के मुद्दों पर चर्चा की गई।
  - खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन- ऑयल पाम (NMEO-OP), वित्तीय वर्ष 2025-26 तक **ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल के उत्पादन** को 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के लिये वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया। यह 15 राज्यों में संचालित है, जिसका लक्ष्य 21.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है।
  - ऑयल पाम मिशन का उद्देश्य किसानों को रोपण सामग्री, बायबैक आश्वासन और व्यवहार्यता अंतर भुगतान के माध्यम से **वैश्विक मूल्य अस्थिरता से सुरक्षा प्रदान करके नए क्षेत्रों में ऑयल पाम को बढ़ावा देना है।**
- भारत अपने खाद्य तेल का 57% आयात करता है, जिससे **विदेशी मुद्रा भंडार** पर 20.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रभाव पड़ता है। **भारत प्रत्येक वर्ष पाम तेल का आयात करता है, जो कुल खाद्य तेल आयात का लगभग 56% है।**
  - वर्तमान में लगभग 28 लाख हेक्टेयर के कुल संभावित क्षेत्र के मुकाबले, **केवल 3.70 लाख हेक्टेयर में पाम तेल की खेती की जाती है।**
  - **आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल प्रमुख तेल पाम उत्पादक राज्य हैं एवं कुल उत्पादन का 98% भाग उत्पादित करते हैं।**

EVM के माइक्रोकंट्रोलर्स का सत्यापन करेगा ECI

हाल ही में **भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India-ECI)** ने **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)** और **वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT)** प्रणालियों की **बर्न मेमोरी (या माइक्रोकंट्रोलर्स)** के सत्यापन के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure- SOP) जारी की है।

- **एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग वाद, 2024 में सर्वोच्च न्यायालय** के आदेश के बाद, निर्वाचन आयोग ने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लिखित अनुरोध पर विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 5% तक **EVM और VVPAT माइक्रोकंट्रोलरों के सत्यापन की अनुमति** दी है।
- प्रत्येक मशीन पर 1,400 वोट तक का मॉक पोल आयोजित किया जाएगा और यदि परिणाम VVPAT पर्चियों के साथ सुमेलित होते हैं, तो यह संकेत देगा कि **बर्न मेमोरी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं** की गई है तथा उन्हें सत्यापित माना जाएगा।
    - हालाँकि विसंगतियों से निपटने की प्रक्रिया अभी भी अनिश्चित है।
- तकनीकी SOP इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने वाली दो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs)- **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL)** और **इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL)** द्वारा तैयार की गई थी।

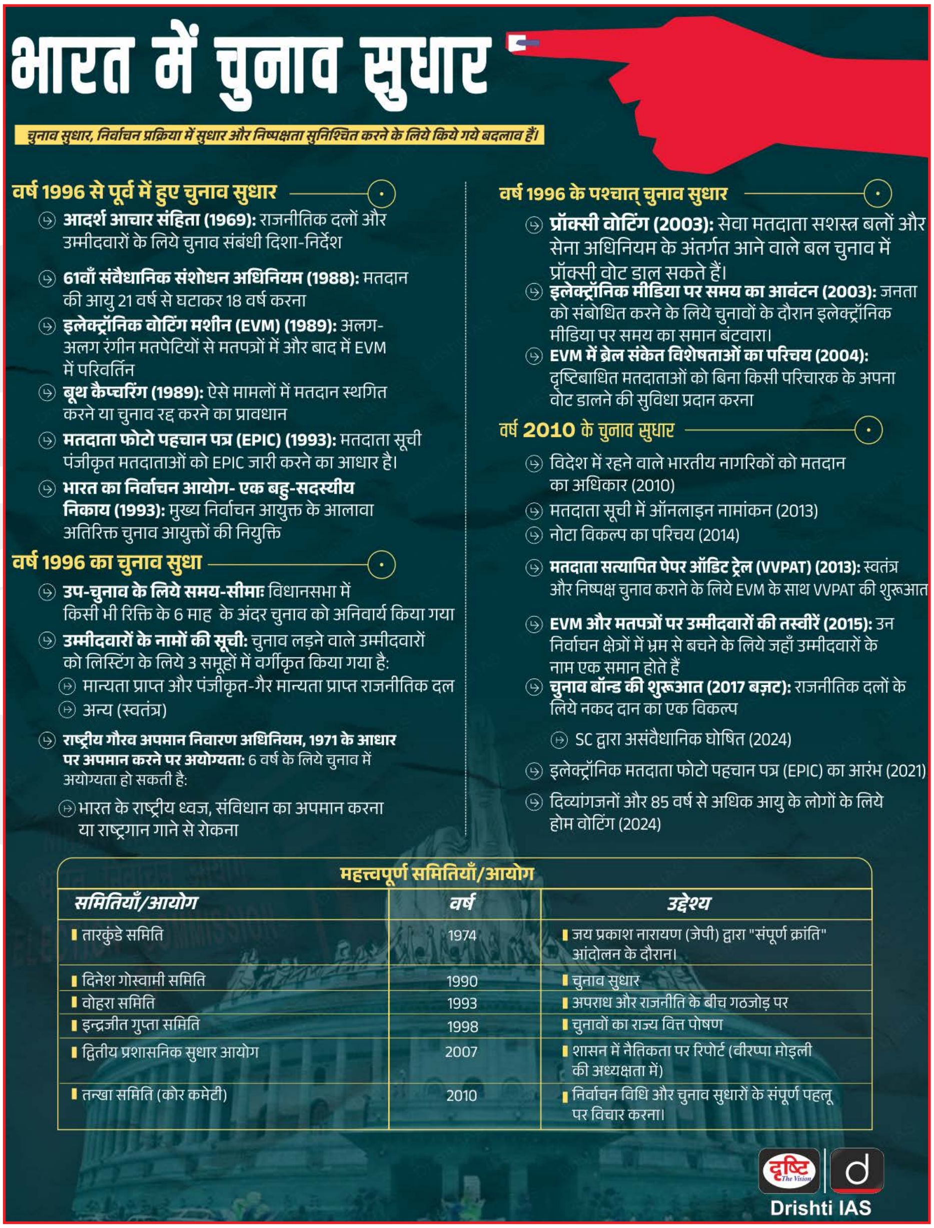

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM):

- इसमें 2 भाग होते हैं, एक **कंट्रोल यूनिट (CU)** और एक **बैलट यूनिट (BU)**।

नोट :

- बैलट यूनिट (BU) मतदाताओं को अपना वोट डालने की अनुमति देती है और उम्मीदवारों तथा उनसे संबंधित प्रतीकों को दर्शाती है, जबकि कंट्रोल यूनिट (CU) बैलट यूनिट का प्रबंधन करती है व डेटा को प्रोसेस करती है।
- पहली बार EVM का उपयोग **वर्ष 1982 में** केरल के पारवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था।

चाँदीपुरा वायरस संक्रमण

हाल ही में गुजरात में संदिग्ध **चाँदीपुरा वायरस (CHPV) संक्रमण** से कई बच्चों की मृत्यु हो गई है।

CHPV संक्रमण:

- CHPV एक **अर्बोवायरस** है जो **रैबडोविरिडे फैमिली के Vesiculovirus genus** से संबंधित है।
- CHPV सैंडफ्लाई की विभिन्न प्रजातियों द्वारा फैलता है, जैसे कि **फ्लेबोटोमाइन सैंडफ्लाई, फ्लेबोटोमस पापाटासी** और मच्छर जैसे कि **एडीज़ एजिप्टी (डेंगू के लिये वेक्टर/कारक)।**
  - यह मुख्यत: **15 वर्ष से कम आयु** के बच्चों को प्रभावित करता है।
- **जटिलताएँ और लक्षण:**
  - वायरस इन कीड़ों की **लार ग्रंथियों** में रहता है और उनके काटने से फैलता है। CHPV **केंद्रीय तंत्रिका तंत्र** को संक्रमित कर सकता है, जिससे संभावित रूप से मस्तिष्क के सक्रिय ऊतकों में सूजन यानी **इंसेफेलाइटिस** हो सकता है।
  - इसके **लक्षण** फ्लू जैसे होते हैं, जिसमें बुखार, शरीर में पीड़ा और सिरदर्द शामिल हैं। यह मानसिक स्थिति में बदलाव, दौरे, इंसेफेलाइटिस, सांस लेने में तकलीफ, रक्तस्राव और यहाँ तक कि एनीमिया का भी कारण बन सकता है।
- **उपचार:**
  - वर्तमान में, CHPV के लिये **कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार या टीका नहीं है,** इसलिये देखभाल और लक्षणात्मक उपचार ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
- **महामारी विज्ञान (Epidemiology):**
  - CHPV की **पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1965 में महाराष्ट्र के चाँदीपुरा गाँव** में डेंगू के प्रकोप के दौरान हुई थी।
  - यह **संक्रमण मध्य भारत में** विशेष रूप से **ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों** में स्थानिक बना हुआ है, जहाँ सैंडफ्लाई अधिक संख्या में पनपते हैं।
  - सैंडफ्लाई के बढ़ते प्रजनन के कारण **मानसून के मौसम में इसका प्रकोप अधिक होता है।**

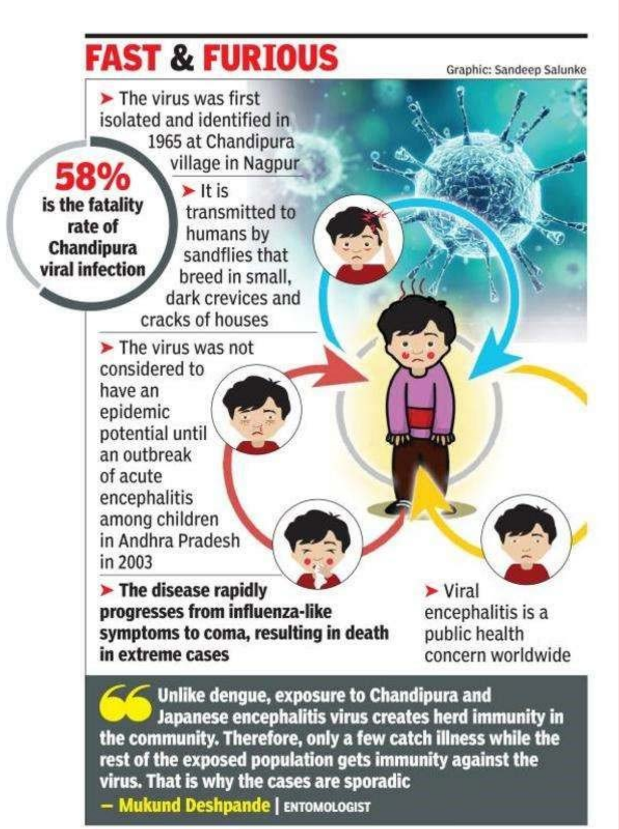

डायसन स्फीयर्स

डायसन स्फीयर्स (Dyson Spheres) एक काल्पनिक विशाल संरचना है जो किसी तारे के चारों ओर उसकी संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन का उपयोग करने के लिये बनाई जाती है।

- भौतिक **विज्ञानी फ्रीमैन डायसन** के नाम पर बनाए गए ये ढाँचे तारे की समस्त विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करेंगे।
- डायसन स्फीयर्स का पता लगना तकनीकी रूप से **उन्नत एलियन सभ्यता की ओर संकेत** हो सकता है, जो संवाद करना पसंद नहीं करती।
- **पृथ्वी को सूर्य से प्रति वर्ग मीटर 1,361 वाट ऊर्जा प्राप्त** होती है, जो सूर्य की कुल **ऊर्जा उत्पादन 380 बिलियन क्वाड्रिलियन वाट प्रति सेकंड का एक छोटा-सा** अंश है।
  - **एक डायसन स्फीयर इस सारी ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा जो अन्यथा अंतरिक्ष में विकीर्ण हो जाती है।**
- **कार्दाशेव स्केल** एक सैद्धांतिक ढाँचा है जो **किसी सभ्यता की ऊर्जा खपत के आधार पर उसकी** तकनीकी प्रगति के स्तर को मापता है।
  - **मानवता वर्तमान में कार्दाशेव प्रकार 0.7449 पर** है तथा पृथ्वी पर उपलब्ध ऊर्जा का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रही है।

कार्दाशेव टाइप	ऊर्जा खपत (वाट/सेकंड)	विवरण
टाइप I	10^16	अपने ग्रह पर उपलब्ध समस्त ऊर्जा का उपयोग करता है
टाइप II	10^26	अपने तारे से सारी ऊर्जा प्राप्त करता है
टाइप III	10^36	आकाशगंगा पैमाने पर ऊर्जा का दोहन करता है
कार्दाशेव टाइप	ऊर्जा खपत (वाट/सेकंड)	विवरण
टाइप I	10^16	अपने ग्रह पर उपलब्ध समस्त ऊर्जा का उपयोग करता है
टाइप II	10^26	अपने तारे से सारी ऊर्जा प्राप्त करता है
टाइप III	10^36	आकाशगंगा पैमाने पर ऊर्जा का दोहन करता है

- यद्यपि **सैद्धांतिक रूप से यह संभव है, लेकिन डायसन स्फीयर का निर्माण संसाधनों, इंजीनियरिंग** और समय के संदर्भ में भारी चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- **प्रोजेक्ट हेफेस्टोस** जैसी विभिन्न परियोजनाओं ने **इंफ्रारेड सर्वेक्षणों से प्राप्त डेटा का उपयोग करके डायसन झुंड की** तलाश की है। जबकि कई वस्तुओं की पहचान की गई है, अधिकांश को प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में खारिज कर दिया गया है।

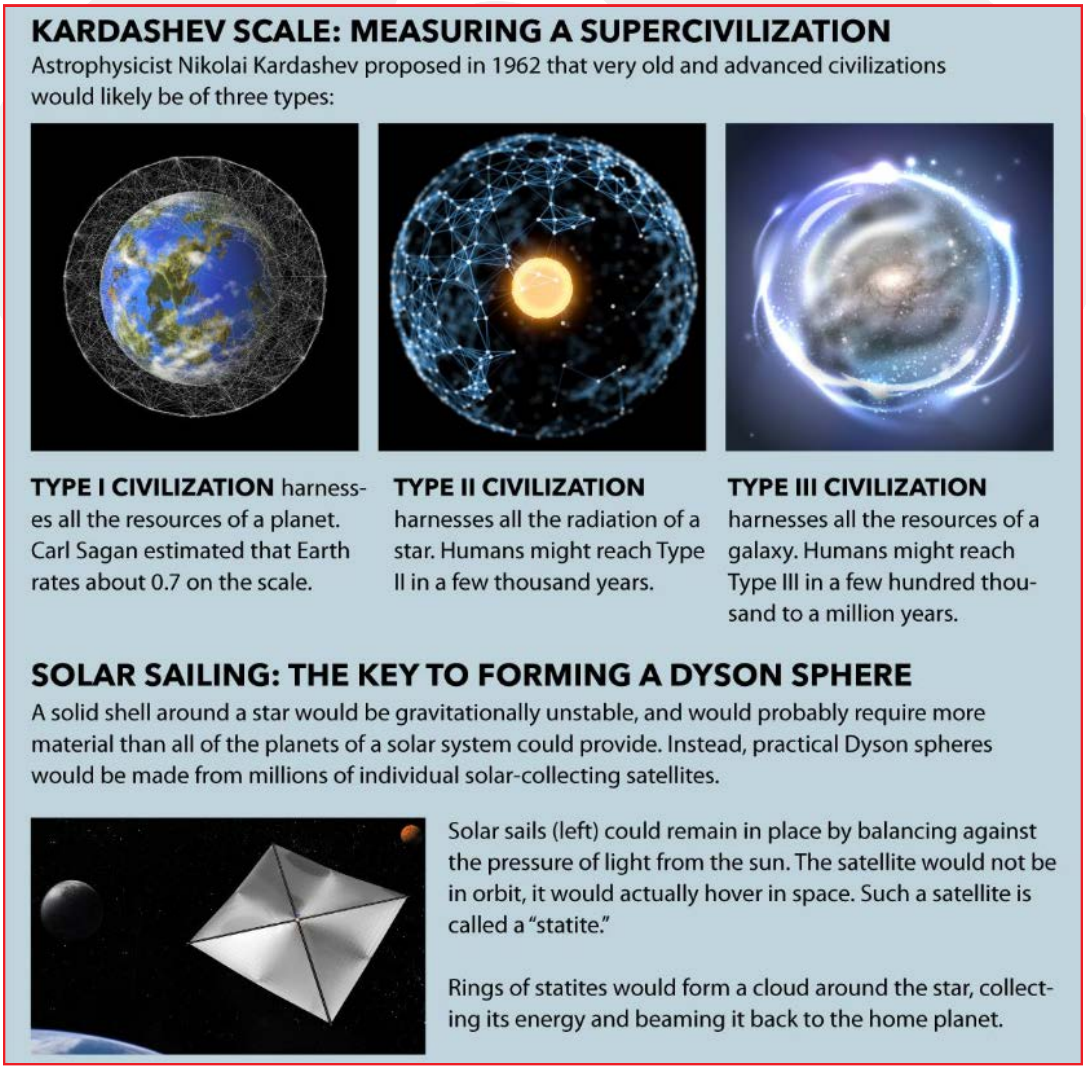

नोट :

माश्को पिरो जनजाति

हाल ही में अतिक्रमण तथा **भोजन एवं सुरक्षा की तलाश** के कारण, **पेरू** में पूर्व काल से ही संपर्कविहीन रही **माश्को पीरो जनजाति** पाई गई है।

- माश्को पिरो विश्व की सबसे **बड़ी संपर्क रहित जनजाति** है, जिसके **750 से ज़्यादा सदस्य** हैं। वे पारंपरिक रूप से **अमेज़न वर्षावन** में अलग-थलग रहते हैं।
  - वे कभी-कभी **यिन समुदाय** के साथ संवाद करते हैं, जिनके साथ उनकी भाषा और वंशावली समान है, लेकिन क्योंकि वे **रोगों से प्रतिरक्षित नहीं** हैं, इसलिये ये संपर्क उनके स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो सकते हैं।
  - 1880 के दशक के **रबड़ बूम** के दौरान, रबड़ के दिग्गज व्यापारियों ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण किया, उन्हें गुलाम बनाया और गंभीर अत्याचारों के अधीन किया।
- वर्ष 2002 में पेरू ने उनकी सुरक्षा के लिये **माद्रे डी डिओस** प्रादेशिक रिज़र्व की स्थापना की, लेकिन यह प्रस्तावित क्षेत्र के केवल एक तिहाई हिस्से को ही कवर करता है।
- **पेरू:**
  - पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में स्थित यह देश **इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया, चिली और प्रशांत महासागर** से घिरा हुआ है।
  - **अमेज़न बेसिन वर्षावन से लेकर एंडीज़ पर्वतमाला** तक फैले पारिस्थितिकी तंत्र के साथ यह एक **अत्यंत विविधतापूर्ण राष्ट्र** है।
  - यह अपने उष्णकटिबंधीय अक्षांश, पर्वत श्रृंखलाओं और दो महासागर धाराओं (**हम्बोल्ट और अल नीनो**) से प्रभावित है।
  - **प्रमुख उत्पादक:** लिथियम, सीसा, जस्ता, सोना, ताँबा और चाँदी।

सर्वोच्च न्यायालय में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति

हाल ही में न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन को **भारत के सर्वोच्च न्यायालय** का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

- न्यायमूर्ति सिंह **मणिपुर से** सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले **पहले न्यायाधीश हैं।**
- इन नियुक्तियों के साथ सर्वोच्च न्यायालय में अब मुख्य न्यायाधीश सहित **न्यायाधीशों की संख्या 34** हो गई है।
  - संसद को विधि निर्माण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति एवं संख्या में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है।

नोट :

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश:

- सर्वोच्च न्यायालय में **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** और **अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं।**
- **मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों** से मिलकर बना **सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम** न्यायिक नियुक्तियों के लिये ज़िम्मेदार होता है।
- **अनुच्छेद 124(2)** के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा **प्रधानमंत्री** की सलाह और मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श के आधार पर की जाती है।
- न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये **कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है** और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश **65 वर्ष की आयु** तक कार्य करने के पात्र होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टियाँ और पेंशन **संसद** द्वारा निर्धारित किये जाते हैं तथा यह **भारत की संचित निधि** पर भारित होते हैं।

मिनामी-तोरीशिमा द्वीप

हाल ही में शोधकर्त्ताओं ने **जापान के सुदूर द्वीप मिनामी-तोरीशिमा (Minami-Torishima)** के निकट समुद्र तल पर **महत्त्वपूर्ण खनिज भंडार** की खोज की है।

- इस खोज के दौरान वृहत मात्रा में **कोबाल्ट** और **निकल** युक्त **मैंगनीज नोड्यूल्स/भंडार** पाए गए हैं।
- शोधकर्त्ताओं ने अनुमान लगाया है कि **मिनामी-तोरीशिमा द्वीप** के निकट समुद्र तल में लगभग 610,000 मीट्रिक टन कोबाल्ट और 740,000 मीट्रिक टन निकल मौजूद है।
    - **कोबाल्ट और निकल** दोनों ही **EV बैटरियों** के आवश्यक घटक हैं।
- कैथोड को अधिक गर्म होने से बचाने तथा बैटरियों के जीवनकाल को बढ़ाने के संदर्भ में **कोबाल्ट**, EV के लिये महत्त्वपूर्ण है जबकि **मैंगनीज** बैटरियों की कैथोड आवश्यकताओं की 61% की पूर्ति करता है।

मिनामी-तोरीशिमा द्वीप:

- वर्ष 1543 में खोजा गया **मिनामी-तोरीशिमा** द्वीप, जापान से 1,125 किमी दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रशांत महासागर में अवस्थित एक **प्रवाल द्वीप** है।
- यह **ओगासावरा द्वीप (Ogasawara Island)** समूह के **चिचिजिमा द्वीप (Chichijima Island)** से भी लगभग 1,200 किमी दूर है।
- **त्रिकोणीय आकार का मिनामी-तोरीशिमा द्वीप** विशाल समुद्री पर्वतमाला का शिखर है और यह **मार्कस-नेकर रिज (Marcus-Necker Ridge)** पर स्थित है।
- जापान के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण जापान में सबसे पहले इसी द्वीप पर सूर्योदय की घटना प्रेक्षित की जाती है।

सियाचिन में AAD की पहली महिला अधिकारी की तैनाती

मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता CT ने **सियाचिन** में **सेना वायु रक्षा कोर की पहली अधिकारी** बनकर इतिहास रच दिया है।

- **सियाचिन ग्लेशियर** को हिमालय में **पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित विश्व के सबसे ऊँचे** युद्धक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत ने वर्ष 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिये ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था, जिसके तहत उसने रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण इस ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था।
- यह **विश्व के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर** है और यूरेशियन प्लेट को भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करने वाले जल निकासी विभाजन के दक्षिण में स्थित है। **नुब्रा नदी (Nubra River) सियाचिन ग्लेशियर से निकलती** है।
    - **ताजिकिस्तान के याज़गुलम रेंज में स्थित फेडचेंको ग्लेशियर विश्व के गैर-ध्रुवीय क्षेत्रों** में अवस्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है।
- सामरिक महत्त्व, विषम जलवायु और दुर्गम भू-भाग के कारण सियाचिन में विभिन्न चुनौतियाँ बनी रहती हैं।
- कैप्टन सुप्रीता से पहले **शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी** थीं।

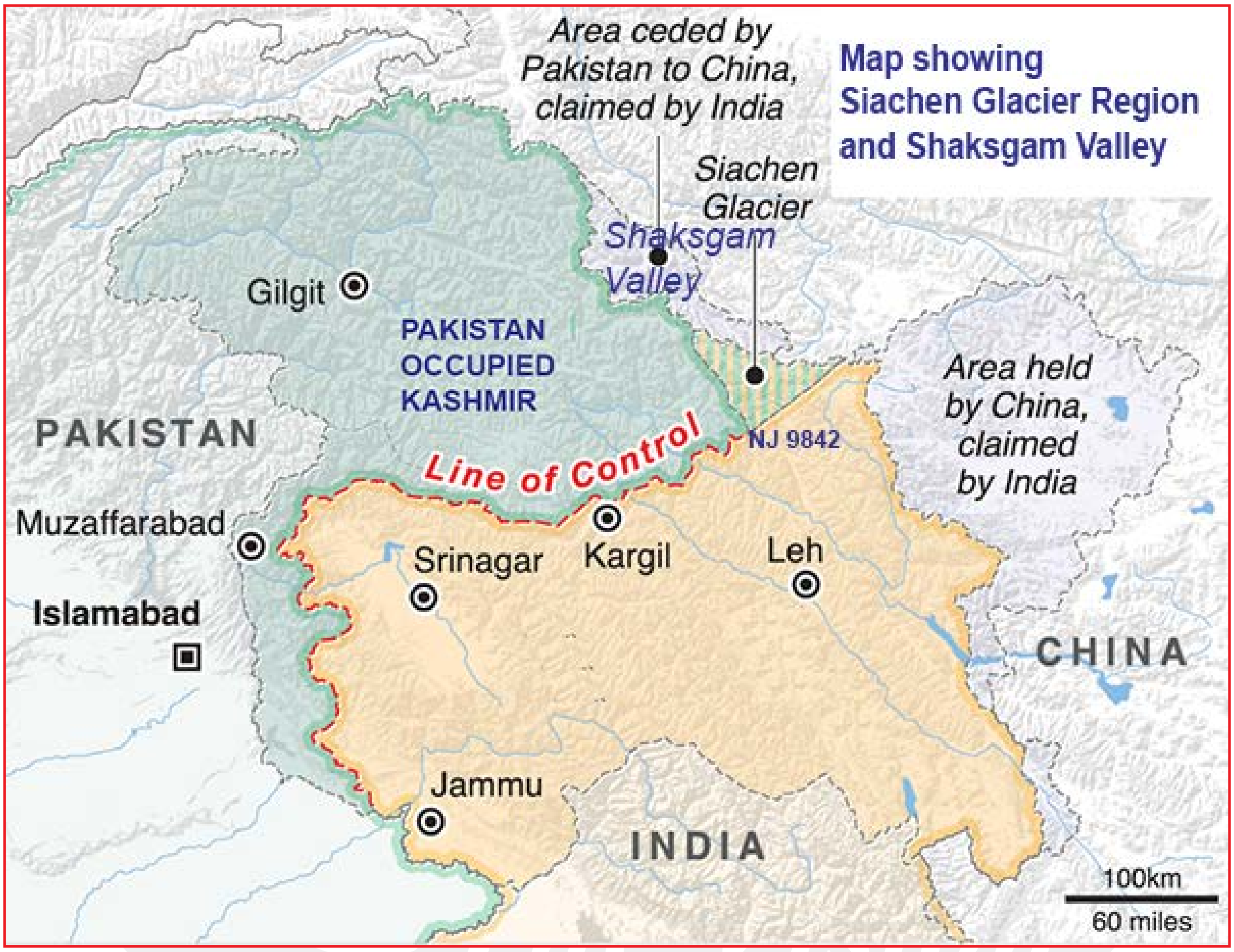

कवक- मशरूम

हाल ही के एक अध्ययन से पता चला है कि मैजिक मशरूम में पाए जाने वाले यौगिक **साइलोसाइबिन** (जो मतिभ्रम उत्पन्न करता है) के अंतर्ग्रहण के परिणामस्वरूप **मस्तिष्क के न्यूरॉन नेटवर्क/तंत्रिका तंत्र** (जो **किसी व्यक्ति में समय और स्व-धारणा/अभिज्ञता को विनियमित करने के लिये ज़िम्मेदार** होता है) में अस्थायी परिवर्तन होता है।

- मशरूम ऐसे कवक हैं जिनमें आमतौर पर **एक तना, एक शीर्ष** (Cap) और **क्लोम/गिल्स (Gills)** होते हैं।
- **क्लोरोफिल न पाए जाने के कारण** इन्हें कवक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस कारण ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन नहीं बना सकते हैं।
  - कवक **विषमपोषी जीवों के एक विशिष्ट संघ** का हिस्सा हैं।
  - ये **यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीवों या मैक्रोस्कोपिक जीवों** का एक विविध समूह होते हैं जो पादप, जंतु और बैक्टीरिया से पृथक् अपने जैविक समुदाय से संबंधित हैं।
  - एककोशिकीय खमीर/यीस्ट (Yeast) को छोड़कर, **कवक तंतुमय होते हैं।**
  - कवक के कई लाभकारी अनुप्रयोग हैं जैसे कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाने तथा भोजन के विविध रूपों के साथ बेकिंग और ब्रूइंग/किण्वासवन में **खमीर/यीस्ट** का अनुप्रयोग।
  - कवक **उष्ण व आर्द्र स्थानों में पनपते** हैं।
  - कवक में **कायिक माध्यमों (विखंडन और मुकुलन)** से जनन के साथ **अलैंगिक जनन (बीजाणुओं द्वारा)** और **लैंगिक जनन** हो सकता है।
  - कवक हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में कई कार्यों जैसे कि **अपघटन, सहजीविता और मृदा संवर्द्धन** के माध्यम से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

GeM लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम

हाल ही में **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के ई-लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम,** 12 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध कराए गए हैं।

नोट :

- वर्ष 2024 में शुरू किया गया **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS),** सरकार द्वारा शुरू की गई एक अभिनव पहल का परिचायक है।
- **GeM-LMS** ज्ञान का महत्त्वपूर्ण भंडार है जिसे उपयोगकर्त्ता-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन किया गया है। यह उपयोगकर्त्ताओं और प्रशिक्षकों के लिये एक व्यापक मंच प्रदान करने के साथ **पंजीकरण, प्रशिक्षण तथा प्रमाणन** जैसी विभिन्न मध्यवर्ती प्रक्रियाओं का समर्थन करता है।
- GeM में **इंटरैक्टिव और उपयोगकर्त्ता के अनुकूल LMS** का विस्तार करके इसमें छह और आधिकारिक भाषाएँ शामिल की गई हैं, जिससे यह शिक्षण प्लेटफॉर्म भारत की कुल बारह आधिकारिक भाषाओं में सुलभ हो गया है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):

- GeM एक **100% सरकारी स्वामित्व वाला राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल** है जो विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों को **सामान्य उपयोग की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद** हेतु सुविधा प्रदान करता है।
- यह पहल भारत सरकार के **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में** शुरू की गई थी।
- यह सरकारी उपयोगकर्त्ताओं को सुविधा प्रदान करने तथा संपत्ति का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने के लिये **ई-बोली, रिवर्स ई-नीलामी और मांग समुच्चय** जैसे उपकरण प्रदान करता है। **इसका उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता एवं गतिशीलता को बढ़ाना है।**

सिंधु-सरस्वती सभ्यता और उज्जयिनी मध्याह्न रेखा

NCERT की नई पाठ्यपुस्तकों में पुरानी पाठ्यपुस्तकों **की तुलना में कई बदलाव किये गए हैं।** इसका उद्देश्य **स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2023** और **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों को तैयार करना है, जिसमें पारंपरिक भारतीय ज्ञान के एकीकरण एवं सामाजिक विज्ञान शिक्षण हेतु विषयगत दृष्टिकोण पर बल दिया गया है।

NCERT की पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन:

- इनमें **हड़प्पा सभ्यता** को **'सिंधु-सरस्वती' सभ्यता** के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें सरस्वती नदी की प्रमुखता पर प्रकाश डाला गया है।
  - इसमें उल्लेख किया गया है कि सरस्वती नदी (जिसे अब **घग्गर-हकरा नदी** के रूप में जाना जाता है) की **हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख भूमिका थी और इसके सूखने से इस सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ।**
- **ग्रीनविच मध्याह्न रेखा** को अपनाने से बहुत पहले भारत की अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा थी जिसे **"मध्य रेखा"** के नाम से जाना जाता था, जो **उज्जैन शहर से होकर गुजरती थी।**
  - पाठ्यपुस्तक में **'उज्जयिनी मध्याह्न रेखा'** की अवधारणा का परिचय दिया गया है जो भारत की एक **प्राचीन प्रधान मध्याह्न रेखा** थी जिसका उपयोग खगोलीय गणनाओं के लिये किया जाता था।
- **संरचना और विषय-वस्तु में अन्य परिवर्तन:**
  - इतिहास, राजनीति विज्ञान और भूगोल विषयों की पूर्व की अलग-अलग पाठ्यपुस्तकों के विपरीत, नई पाठ्यपुस्तक **के एक ही खंड में पाँच विषयों** को शामिल किया गया है।
    - इसका उद्देश्य सामाजिक विज्ञान शिक्षा के क्रम में अधिक एकीकृत और अंत:विषयक दृष्टिकोण विकसित करना है।
  - पुरानी पाठ्यपुस्तकों की तुलना में, **विविधता पर आधारित अध्याय में अब जाति-आधारित भेदभाव तथा असमानता पर कम बल दिया गया है।**

प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस

केरल ने इस दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण के हाल के मामलों के बाद **प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस ((Primary Amoebic Meningoencephaliti - PAM)** के निदान, प्रबंधन और रोकथाम के लिये तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

- केरल स्वास्थ्य विभाग ने **मैनिंजाइटिस मामलों** से निपटने के लिये SOP जारी किये हैं, जो इस दुर्लभ संक्रमण के लिये भारत में संभवत: दिशा-निर्देशों का पहला सेट है। अधिकांश मामलों में अमीबिक परजीवी **नेगलेरिया फाउलेरी (Naegleria Fowleri)** की पहचान की गई, जिसमें से एक मामले में **वर्मअमीबा वर्मीफॉर्मिस (Vermamoeba Vermiformis)** की भी पहचान की गई।
- **रोग की विशेषताएँ:** PAM **नेगलेरिया फाउलेरी** के कारण होता है, जो गर्म, स्थिर मीठे जल में स्वतंत्र रूप से मिलने वाला अमीबा है और इसकी मृत्यु दर बहुत अधिक (>97%) है।
  - इसे **"ब्रेन ईटिंग अमीबा"** के रूप में जाना जाता है, यह नाक के मार्ग से मस्तिष्क को संक्रमित करता है, जिससे मस्तिष्क

के ऊतकों को गंभीर नुकसान होता है। विशेष रूप से बच्चे इसके प्रति संवेदनशील होते हैं, हालाँकि PAM एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या दूषित जल पीने से नहीं फैलता है।

- **लक्षण और निदान:** इसके लक्षणों में सिरदर्द, बुखार, मतली और उल्टी शामिल हैं। PAM का निदान चुनौतीपूर्ण है और अक्सर इसे **बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस** समझ लिया जाता है।
  - बैक्टीरियल मैनिंजाइटिस का आशय मेनिन्जेस (जो **मस्तिष्क और मेरुदंड का सुरक्षात्मक आवरण** है) में होने वाला संक्रमण है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें सूजन आ जाती है। यह एक गंभीर और जानलेवा स्थिति है।
- **उपचार:** प्रारंभिक निदान और एंटीमाइक्रोबियल की समय पर शुरुआत महत्त्वपूर्ण है। इसकी इष्टतम उपचार व्यवस्था अभी भी अनिश्चित है।
- **रोकथाम के उपाय:** स्थिर मीठे जल के संपर्क में आने से बचने एवं नोज़ प्लग का उपयोग करने के साथ PAM को रोकने के लिये स्विमिंग पूल का उचित क्लोरीनीकरण एव रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिये।
- **वर्मअमीबा वर्मीफॉर्मिस** एक मुक्त-अवस्था में मिलने वाला अमीबा है जो मीठे जल के स्रोतों सहित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वातावरण में पाया जाता है।

चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **चंद्रशेखर आज़ाद** को उनकी **जयंती (23 जुलाई 2024)** पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वह एक लोकप्रिय **भारतीय नेता और क्रांतिकारी** थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया।

- उनका जन्म 23 **जुलाई, 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले** में हुआ था।
- 15 वर्षीय छात्र के रूप में **दिसंबर, 1921 में यह असहयोग आंदोलन** में शामिल हुए।
- गांधी द्वारा वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिये जाने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद, **हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (Hindustan Republican Association- HRA)** में शामिल हो गए।
  - HRA भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वर्ष 1924 में पूर्वी बंगाल में **शचींद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी** द्वारा औपनिवेशिक सरकार को सत्ताहीन करने के क्रम में सशस्त्र क्रांति करने हेतु की गई थी।
  - इसके सदस्यों में **भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद**, सुखदेव, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान एवं राजेंद्र लाहिड़ी थे।
- HRA को बाद में **'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' (HSRA)** के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
  - इसकी स्थापना **वर्ष 1928 में नई दिल्ली के फिरोज़ शाह कोटला** में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी।
- चंद्रशेखर आज़ाद वर्ष 1929 में लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम फेंकने के षड्यंत्र में भी शामिल थे।
- **27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के आज़ाद पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद को वीरगति प्राप्त हुई।**

नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी रिपोर्ट, 2024

हाल ही में **केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs- CBIC)** ने **नेशनल टाइम रिलीज़ स्टडी (National Time Release Study- NTRS)** 2024 रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत के 9 बंदरगाहों पर कार्गो रिलीज़ समय को मापा गया है।

- NTRS, 2024 रिपोर्ट का उद्देश्य **राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (National Trade Facilitation Action Plan- NTFAP)** लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करना, विभिन्न व्यापार सुविधा पहलों के प्रभाव की पहचान करना और रिलीज़ समय में तथा अधिक तेज़ी से कमी लाने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना है।
  - NTFAP का उद्देश्य **कुशल, पारदर्शी, जोखिम-आधारित, समन्वित, डिजिटल, निर्बाध और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं के माध्यम से सीमा पार** निकासी तंत्र को बदलना है, जिसे अत्याधुनिक समुद्री बंदरगाह, हवाई अड्डे और भूमि सीमाएँ समर्थन प्रदान करती हैं।
- NTRS, 2024 वार्षिक राष्ट्रीय स्तर का चौथा अध्ययन है, जिसमें **1 जनवरी से 7 फरवरी, 2024 तक आयात और निर्यात हेतु सीमा पर निकासी समय का विश्लेषण करने के लिये** मानकीकृत पद्धति का उपयोग किया गया है।
- अध्ययन में **CBIC पूर्व-भुगतान सीमा शुल्क अनुपालन सत्यापन** पहल की दक्षता पर प्रकाश डाला गया है।
  - CBIC **पूर्व-भुगतान सीमा शुल्क अनुपालन सत्यापन (Pre-payment Customs Compliance Verification- PCCV)** पहल में, सभी सीमा शुल्क औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाती हैं और आयातक द्वारा शुल्कों के भुगतान के लिये केवल अंतिम मंजूरी लंबित रहती है।

नोट :

निपाह वायरस

हाल ही में केरल के एक 14 वर्षीय लड़के की **निपाह वायरस** (Nipah Virus) से संक्रमित होने के बाद मृत्यु हो गई।

- **निपाह वायरस (NiV) एक** ज़ूनोटिक **वायरस (पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला) है और यह दूषित भोजन के माध्यम से या सीधे लोगों के बीच भी फैल** सकता है।
- **प्रकृति:** निपाह वायरस इंसेफेलाइटिस के लिये उत्तरदायी जीव पैरामाइक्सोविरिडे श्रेणी तथा हेनिपावायरस जीनस/वंश का एक RNA अथवा **राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस** है तथा यह हेंड्रा वायरस से **निकटता से संबंधित** है।
- **संचरण:** NiV प्रारंभ में **घरेलू सुअरों, कुत्तों, बिल्लियों, बकरियों, घोड़ों और भेड़ों** में देखा गया।
  - यह रोग पटरोपस जीनस के **'फ्रूट बैट' अथवा 'फ्लाइंग फॉक्स'** के माध्यम से फैलता है, जो निपाह और हेंड्रा वायरस के प्राकृतिक स्रोत हैं। यह वायरस चमगादड़ के मूत्र और संभावित रूप से चमगादड़ के मल, लार व जन्म के समय निकलने वाले तरल पदार्थों में मौजूद होता है।
- **मृत्यु दर: इसमें मृत्यु दर 40% से 75%** तक होती है।
- **लक्षण: मानव संक्रमण में बुखार, सिरदर्द, मानसिक भ्रम, कोमा और संभावित मृत्यु आदि** शामिल है।
- **निदान:** शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से **रियल टाइम पॉलीमिरेज़ चेन रिएक्शन (Real-Time Polymerase Chain Reaction- RT-PCR)** और एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे (Enzyme-Linked Immunosorbent assay- ELISA) के माध्यम से एंटीबॉडी का पता लगाने से निदान किया जा सकता है।
- **रोकथाम: वर्तमान में मनुष्यों और जानवरों, दोनों के लिये कोई टीका उपलब्ध नहीं है।**
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिक्रिया:** इसने **निपाह को प्राथमिकता वाली** बीमारी के रूप में पहचाना है।

लाल डोरा-मुक्त हरियाणा

हरियाणा के सभी गाँवों को लाल डोरा-मुक्त बना दिया गया है। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2019 को **सुशासन दिवस** पर गाँवों को "लाल डोरा-मुक्त" बनाने की योजना शुरू की थी।

- यह **ड्रोन तकनीक** का प्रयोग करके **भू-परिसंपत्तियों की मैपिंग** और **वैधानिक स्वामित्व कार्ड जारी करने** के साथ गाँव के मकान मालिकों को '**अधिकारों का रिकॉर्ड**' प्रदान करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में **परिसंपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व** की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है।
  - **इसके तहत प्रत्येक गाँव में ग्रामीण और आवासीय क्षेत्रों का फील्ड सत्यापन** किया गया और 'लाल डोरा' के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक **भू-परिसंपत्ति की मैपिंग का बारीकी से निरीक्षण** किया गया।
- कुछ राज्यों में गाँवों की आबादी वाले क्षेत्र (जिन्हें पंजाब और हरियाणा में **"लाल डोरा"** भूमि और कुछ स्थानों पर **"आबादी"** के रूप में जाना जाता है) को **अधिकतर ऐसे सर्वेक्षणों से बाहर रखा गया था।**
  - कई भारतीय **ग्रामीण समुदायों को दस्तावेज़ी भूमि अधिकार प्राप्त नहीं थे**, इसके बदले में उन्हें आवासीय क्षेत्रों में **भू-स्वामित्व का दावा करने के लिये वास्तविक आधिपत्य पर निर्भर** रहना पड़ता था।
  - ग्रामीण भू-परिसंपत्ति के मालिक बिना किसी कानूनी दस्तावेज़ के **बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी परिसंपत्ति का उपयोग** वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में **नहीं कर सकते** हैं।

सांस्कृतिक मानचित्रण के लिये राष्ट्रीय मिशन (NMCM)

हाल ही में **संस्कृति मंत्रालय ने भारत भर के गाँवों की सांस्कृतिक विरासत का व्यापक अवलोकन प्रदान** करने के लिये **राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन** (National Mission on Cultural Mapping- NMCM) शुरू किया है।

- इसका उद्देश्य **6.5 लाख गाँवों के सांस्कृतिक पहलुओं का मानचित्रण करते** हुए विकास और पहचान में **सांस्कृतिक विरासत की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना** तथा कलाकारों एवं कला प्रथाओं का एक **राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना, साथ ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल (National Cultural Workplace- NCWP) के लिये एक वेब पोर्टल** व मोबाइल ऐप बनाना है।
- इसमें 2011 की **जनगणना के अनुसार भारत के सभी बसे हुए गाँवों को शामिल** किया जाएगा तथा मानचित्रण प्रक्रिया के लिये **बिहार के सभी गाँवों पर विशेष ध्यान दिया** जाएगा।
- **यह डेटाबेस मेरा गाँव मेरी धरोहर वेब पोर्टल** पर उपलब्ध होगा जिसका उपयोग अन्य मंत्रालयों और संगठनों द्वारा स्थानीय संस्कृतियों, परंपराओं तथा कला रूपों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये किया जा सकेगा।

मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD):

- यह एक **राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM)** है, जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)** के समन्वय से संचालित किया जाता है।

- इसमें भारतीय गाँवों के संबंध में विस्तृत जानकारी संकलित की गई है, जिसमें जीवन, इतिहास और लोकाचार के पहलुओं को शामिल किया गया है।
- **सूचना को 7 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है:** कला और शिल्प, पारिस्थितिकी, शैक्षिक परंपराएँ, महाकाव्य, स्थानीय तथा राष्ट्रीय इतिहास, वास्तुकला विरासत एवं अन्य विशिष्ट विशेषताएँ।

नासा ने शुक्र ग्रह पर भेजा हॉलीवुड गीत

हाल ही में नासा ने हॉलीवुड गायिका मिस्सी इलियट के गीत "द रेन" को डीप स्पेस नेटवर्क (Deep Space Network- DSN) के माध्यम से शुक्र ग्रह तक प्रेषित किया है।

- यह प्रसारण **कैलिफोर्निया के गोल्डस्टोन ड‌ीप स्पेस कम्युनिकेशंस कॉम्प्लेक्स में स्थित (डीप स्पेस स्टेशन) एंटीना** का उपयोग करके किया गया था।

शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिये नासा का भावी मिशन:

- दाविंसी मिशन (DAVINCI Mission), जिसका पूरा नाम **डीप एटमॉस्फियर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging)** है, वर्ष 2029 तक प्रक्षेपित किया जाना है।
- वेरिटस (Veritas), जिसे **वीनस एमिसिविटी, रेडियो साइंस, InSAR, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी** के नाम से भी जाना जाता है, के **वर्ष 2031 तक प्रक्षेपित होने की उम्मीद** है।

भारत का शुक्र मिशन- शुक्रयान-1:

- **शुक्र ऑर्ब‌िटर मिशन** के अंतर्गत, इसरो शुक्रयान-1 को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है, जो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिये शुक्र की परिक्रमा करने वाला एक अंतरिक्ष यान है।

शुक्र ग्रह:

- शुक्र को अक्सर पृथ्वी का जुड़वाँ ग्रह कहा जाता है **तथा यह पृथ्वी से थोड़ा छोटा है।**
- यह **सूर्य के बाद दूसरा ग्रह और छठा सबसे बड़ा ग्रह** है।
- यह हमारे **सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह** भी है।
- शुक्र **पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता** है, जो कि अधिकांश ग्रहों की तुलना में पीछे की ओर है तथा इसका दिन इसके वर्ष से भी बड़ा होता है।

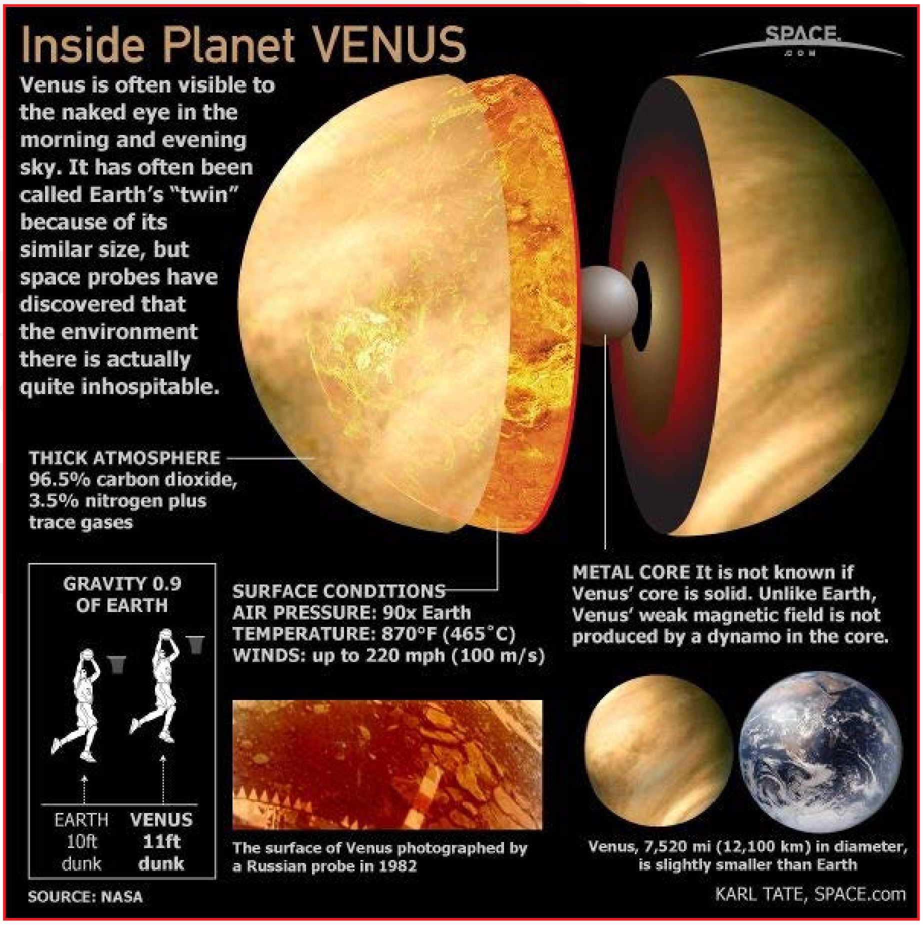

न्यूट्रीनो

कण भौतिकी और खगोल भौतिकी में न्यूट्रिनो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह एक मौलिक प्राथमिक कण है और वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन तब किया जा सकता है जब सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है।

नोट :

न्यूट्रिनो:

- न्यूट्रिनो **उप-परमाणु कण** होते हैं जिनमें कोई **विद्युत आवेश** नहीं होता है, उनका **द्रव्यमान छोटा होता है और वे लेफ्ट हैंडेड होते हैं (उनके घूमने की दिशा उनकी गति की दिशा के विपरीत होती है)।**
  - वे **ब्रह्मांड में फोटॉन के बाद दूसरे सबसे प्रचुर कण** हैं और पदार्थ बनाने वाले कणों में सबसे प्रचुर हैं।
- न्यूट्रिनो **पदार्थ के साथ बहुत कम ही परस्पर क्रिया करते** हैं, जिससे उनका अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है।
- न्यूट्रिनो एक प्रकार (**इलेक्ट्रॉन-न्यूट्रिनो, म्यूऑन-न्यूट्रिनो, टाऊ-न्यूट्रिनो**) से दूसरे प्रकार में बदल सकते हैं क्योंकि वे यात्रा करते हैं और अन्य कणों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसे **न्यूट्रिनो दोलन** कहा जाता है।
- न्यूट्रिनो पदार्थ के साथ सीमित परस्पर क्रिया दर के कारण बड़ी दूरी तक सूचना ले जा सकते हैं।
- उन्हें संभावित रूप से **सूचना प्रसारित करने** के लिये प्रयोग किया जा सकता है, जो संचार चैनलों में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जगह ले सकता है।
  - भौतिकविदों ने न्यूट्रिनो का अध्ययन करने और **न्यूट्रिनो तथा डिटेक्टर** के पदार्थ के बीच परस्पर क्रिया की संख्या को अधिकतम करने के लिये बड़े एवं संवेदनशील डिटेक्टर बनाए हैं।
- भारत की **न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना को थेनी (तमिलनाडु) के पोट्टीपुरम गाँव** में 1,200 मीटर गहरी गुफा में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

चीन द्वारा सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि

चीन अपनी **वैधानिक सेवानिवृत्ति आयु को धीरे-धीरे बढ़ाने** की योजना बना रहा है, जो वर्तमान में विश्व स्तर पर सबसे कम है, क्योंकि वह **पेंशन बजट घाटे का सामना कर रहा है।**

- चीन में पुरुषों के लिये **वर्तमान सेवानिवृत्ति आयु** 60 वर्ष है, महिलाओं (व्हाइट-कॉलर) के लिये 55 वर्ष तथा महिलाओं (कारखाना श्रमिक) के लिये 50 वर्ष है।

जनसांख्यिकीय परिवर्तन:

- चीन में **जीवन प्रत्याशा** वर्ष 1960 में लगभग 44 वर्ष से बढ़कर **वर्ष 2021 में 78 वर्ष** हो गई है तथा अनुमान है कि **वर्ष 2050 तक यह 80 वर्ष से अधिक हो जाएगी।**
- **60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या वर्ष 2035 तक** 280 मिलियन से बढ़कर **400 मिलियन से अधिक होने की उम्मीद है।**
- प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति का भरण-पोषण करने वाले श्रमिकों का अनुपात घट रहा है, जिसका **वर्ष 2030 तक 5-से-1 से घटकर 4-से-1** तथा वर्ष **2050 तक 2-से-1 हो जाने का अनुमान है।**
- भारत में केंद्र सरकार का पेंशन व्यय **बजट 2024-25** में लगभग **2.40 लाख करोड़** रुपए होने का अनुमान है, जो अनुमानित **सकल घरेलू उत्पाद** का 0.7% है।
  - इसके अतिरिक्त भारत की **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली** एक कम लागत वाली, कर-कुशल सेवानिवृत्ति बचत खाता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति और उसका नियोक्ता व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा/कल्याण के लिये उसके सेवानिवृत्ति खाते में सह-योगदान करते हैं।
  - इसी प्रकार **अटल पेंशन योजना** को वर्ष 2015 में गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने हेतु शुरू किया गया था।

बाल गंगाधर तिलक की 168वीं जयंती

23 जुलाई को भारत ने **बाल गंगाधर तिलक** की जयंती मनाई तथा एक **स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद्** के रूप में उनकी विरासत का सम्मान किया।

- **व्यक्तिगत जीवन और विचारधारा:**
  - **बाल गंगाधर तिलक का जन्म जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी** में हुआ था और उन्हें **भारतीय अशांति के जनक** की उपाधि दी गई थी।
  - लोकमान्य तिलक पूर्ण स्वतंत्रता या **स्वराज्य (स्व-शासन)** के सबसे प्रारंभिक एवं सबसे मुखर प्रस्तावकों में से एक है।
  - **लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल** के साथ ये लाल-बाल-पाल की तिकड़ी (गरम दल/उग्रपंथी दल) का हिस्सा थे।
- **सूरत विभाजन, 1907:**
  - लेकिन रास बिहारी घोष के निर्वाचित होने पर इसका विभाजन हो गया।
  - **वर्ष 1907 में सूरत में हुए विभाजन** के बाद **भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (Indian National Congress- INC) उग्रवादी और उदारवादी दल** में विभाजित हो गई। मुख्यत: बॉम्बे प्रेसीडेंसी के उग्रवादियों ने अध्यक्ष के पद के लिये तिलक या लाजपत राय का समर्थन किया।
- **शिक्षा में योगदान:**
  - तिलक **डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी** के संस्थापक (वर्ष 1884) थे, इसके संस्थापक सदस्यों में **गोपाल गणेश अगरकर** और अन्य भी शामिल थे।

- इस सोसाइटी के माध्यम से तिलक ने **वर्ष 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज** की स्थापना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन

बांग्लादेश एक बड़े संकट से गुज़र रहा है क्योंकि **सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन** के परिणामस्वरूप कम से कम 130 लोगों की मृत्यु हो गई।

- विरोध की वर्तमान लहर **बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय खंड** द्वारा सिविल सेवा कोटा प्रणाली को पुन: लागू करने के बाद शुरू हुई, जिसने प्रधानमंत्री के कार्यकारी आदेश को निरस्त कर दिया था।
  - उच्च न्यायालय के निर्णय को रोकने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय प्रभाग के आदेश ने अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, क्योंकि छात्र अधिक समावेशी और योग्यता आधारित कोटा प्रणाली की मांग कर रहे हैं।
  - ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के लिये विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय पर हो रहे हैं क्योंकि वह पहले से ही **उच्च मुद्रास्फीति और बेरोज़गारी** से जूझ रहा है।

- प्रारंभ में **स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों, महिलाओं,** वंचित क्षेत्रों और जातीय अल्पसंख्यकों को लाभ पहुँचाने के लिये स्थापित बांग्लादेश के सरकारी नौकरी कोटे को वर्षों से **पुराना होने एवं दुरुपयोग की आशंका** के कारण **आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।**
- मौजूदा संकट के कारण **भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार रुक गया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF)** ने भी बांग्लादेश में अशांति के संभावित प्रभावों की चिंताओं के जवाब में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी है।
- भारत **बांग्लादेश की सिविल सेवाओं में क्षमता निर्माण** में सक्रिय रूप से शामिल रहा है।
  - हाल ही में **राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG)** ने बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिये एक **विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया।**

बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का द्वितीय चरण का सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने अपने **चरण-II बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली** का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो **लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों** से बचाव में भारत की उन्नत क्षमताओं को प्रदर्शित करता है।

- चरण-II प्रणाली **5,000 किलोमीटर तक की दूरी तक** की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकती है, जिससे भारत की सामरिक सुरक्षा मज़बूत होगी।
  - **2,000 किलोमीटर** तक की दूरी तक की मिसाइलों को रोकने में सक्षम चरण-I की BMD पहले ही तैनात की जा चुकी है।
- चरण-II मिसाइल एक दो-चरणीय ठोस प्रणोदन वाली ज़मीन से प्रक्षेपित की जाने वाली प्रणाली है, जिसे अंत: से लेकर निम्न बाह्य-वायुमंडलीय अवरोधन हेतु डिज़ाइन किया गया है।
  - परीक्षण में लंबी दूरी के सेंसर, कम विलंबता संचार और उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों सहित नेटवर्क-केंद्रित युद्ध हथियार प्रणाली का प्रदर्शन किया गया।
- **कारगिल युद्ध** के बाद वर्ष 2000 में शुरू किये गए **भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) कार्यक्रम** का उद्देश्य भारत को विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन से आने वाले मिसाइल खतरों से बचाना है।
  - यह **पृथ्वी एयर डिफेंस** और **एडवांस्ड एयर डिफेंस** जैसी इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाता है। हाल के प्रयासों में वैश्विक सहयोग के माध्यम से क्षमताओं को बढ़ाने और **रूसी S-400 ट्रायम्फ** जैसी प्रणालियों को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - DRDO चरण 1 और 2 में क्रमशः 2000 किमी और 5000 किमी तक की रेंज वाली मिसाइलों का मुकाबला करने के लिये एक स्वदेशी बहु-स्तरीय नेटवर्क विकसित कर रहा है।
    - इस नेटवर्क में आने वाली मिसाइलों का पता लगाने और उन पर नज़र रखने के लिये निगरानी रडार भी शामिल हैं।
- **भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें अग्नि, K-4 (SLBM), प्रहार, धनुष, पृथ्वी और त्रिशूल हैं।**

सतत् विकास पर ECOSOC फोरम

हाल ही में, न्यूयॉर्क स्थित **संयुक्त राष्ट्र** मुख्यालय में **सतत् विकास पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में राजस्थान** के स्वदेशी जनजातीय समुदायों ने वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी समाधान के रूप में अपनी पारंपरिक प्रथाओं का प्रदर्शन किया।

- यह फोरम **संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC)** के तत्त्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी - **'वर्ष 2030 के एजेंडे को सुदृढ़ बनाना और विभिन्न संकटों में गरीबी उन्मूलन: सतत्, लचीले एवं नवीन समाधानों का प्रभावी क्रियान्वयन' ('Reinforcing the 2030 agenda and eradicating poverty in times of multiple crises: The effective delivery of sustainable, resilient and innovative solutions')।**
  - **वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित** ECOSOC आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद तथा सिफारिशों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु यह एक प्रमुख निकाय है।

- यह **सतत् विकास पर अध्ययन, चर्चा और नवीन सोच** के लिये संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है।
- इसके **54 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा** द्वारा तीन-वर्षीय कार्यकाल के लिये चुने जाते हैं।

- **राजस्थान स्थित** स्वैच्छिक समूह **वाग्धारा** ने कृषि और संसाधन प्रबंधन में स्वदेशी प्रथाओं के लचीलेपन व स्थायित्व पर ज़ोर दिया।
- मंच ने जनजातीय समुदायों द्वारा **बीज संरक्षण, जल संरक्षण और सतत् कृषि** जैसी पहलों को मान्यता दी, जिससे कोविड-19 महामारी के प्रभावों सहित **आर्थिक तथा पर्यावरणीय चुनौतियों** में कमी आई है।
  - **भील, डामोर, दमरिया, धानका, तड़वी, तेतरिया, वलवी, सहरिया, कोली और तुरी राजस्थान** में पाई जाने वाली कुछ अनुसूचित जनजातियाँ हैं।

भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने हेतु राष्ट्रपति भवन हॉल का नाम परिवर्तन

भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने और औपनिवेशिक प्रभाव को कम करने के लिये **राष्ट्रपति भवन** ने आधिकारिक तौर पर अपने दो प्रमुख हॉल का नाम परिवर्तित कर दिया है।

- **'दरबार हॉल' अब गणतंत्र मंडप** है, जो औपनिवेशिक शब्द **'दरबार' (भारतीय शासकों और अंग्रेज़ों के न्यायालय व सभाएँ)** की जगह गणतंत्र की अवधारणा को दर्शाता है।
- **सम्राट अशोक** और भारतीय सांस्कृतिक महत्त्व को सम्मान देते हुए अशोक हॉल का नाम बदलकर **अशोक मंडप** कर दिया गया है। इस परिवर्तन का उद्देश्य पाश्चात्य प्रभावों को हटाना और 'अशोक' शब्द से जुड़े लोकाचार के साथ तालमेल बैठाना है।
  - राष्ट्रपति भवन के बयान में उल्लेख किया गया है कि अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉलरूम था। 'अशोक' शब्द दुख या पीड़ा से मुक्त होने का प्रतीक है और यह एकता एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रतीक सम्राट अशोक को भी संदर्भित करता है।
  - यह शब्द **अशोक वृक्ष** को भी संदर्भित करता है, जिसका भारतीय धार्मिक परंपराओं, कलाओं और संस्कृति में गहरा महत्त्व है।
- नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन विश्व में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सबसे बड़ा निवास स्थान है। इसे मूल रूप से भारत के ब्रिटिश वायसराय के लिये **'वायसराय हाउस'** के रूप में बनाया गया था और बाद में वर्ष 1950 में भारत के गणतंत्र बनने पर इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन कर दिया गया।
  - इसका डिज़ाइन **ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लैंडसीर लुटियंस** ने तैयार किया था, जिन्होंने **भारतीय, मुगल और यूरोपीय स्थापत्य शैली** का संयोजन किया था।
- वर्ष 2023 में राष्ट्रपति भवन स्थित विश्व प्रसिद्ध **'मुगल गार्डन'** का नाम भी बदलकर **'अमृत उद्यान'** कर दिया गया।
  - इससे पहले वर्ष 2022 में **प्रधानमंत्री ने 'कर्त्तव्य पथ' का उद्घाटन किया था,** जो कि सत्ता के प्रतीक तत्कालीन राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तीकरण के उदाहरण के रूप में कर्त्तव्य पथ में बदलाव का प्रतीक है।

अभिनव बिंद्रा को प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से किया गया सम्मानित

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने **एथलीट अभिनव बिंद्रा** को **ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित** किये जाने पर शुभकामनाएँ दीं। अभिनव बिंद्रा को यह सम्मान **ओलंपिक मूवमेंट (Olympic Movement) में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिये** दिया गया।

- ओलंपिक ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (International Olympic Committee) का सर्वोच्च पुरस्कार है, जो **ओलंपिक मूवमेंट में उत्कृष्ट योगदान के लिये व्यक्तियों को दिया जाता है,** जो ओलंपिक के मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिये असाधारण समर्पण को मान्यता देता है।
  - इसकी शुरुआत वर्ष 1975 में हुई तथा इसने **ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट** को प्रतिस्थापित किया।
  - ओलंपिक ऑर्डर के तीन ग्रेड हैं: स्वर्ण (गोल्ड), रजत (सिल्वर) और काँस्य (ब्रोन्ज़)। गोल्ड ऑर्डर राज्य के प्रमुखों और असाधारण परिस्थितियों हेतु आरक्षित है।
  - ओलंपिक ऑर्डर के अन्य उल्लेखनीय प्राप्तकर्त्ताओं में **इंदिरा गांधी और नेल्सन मंडेला** शामिल हैं।
- यह पुरस्कार पेरिस में **अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)** के **142वें सत्र के दौरान** प्रस्तुत किया गया था।

नोट :

- जून 1894 में स्थापित **IOC ओलंपिक खेलों का संरक्षक** है। यह एक **गैर-लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है।
- इसका **मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में** है, जो ओलंपिक राजधानी है।

- अभिनव बिंद्रा **भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता** हैं, जिन्होंने **वर्ष 2008 बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्द्धा जीती** थी।

SHREYAS योजना

युवा अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति योजना **श्रेयस** (Scholarships for Higher Education for Young Achievers Scheme- **SHREYAS**) हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये उच्च शिक्षा का समर्थन करने की दिशा में भारतीय सरकार की एक महत्त्वपूर्ण पहल रही है।

- SHREYAS योजना में हाल के अपडेट से पर्याप्त निवेश और योजना की व्यापक पहुँच का पता चलता है, जो **अनुसूचित जातियों (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)** और **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC)** के लिये शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
- SHREYAS योजना में दो विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं, जो अलग-अलग वर्ग के शिक्षार्थियों की उच्च शिक्षा का समर्थन करने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं, जैसे: **(i) SC के लिये SHREYAS** और **(ii) OBC एवं EBC के लिये SHREYAS**
  - **कुल व्यय:** सत्र 2014-15 से सत्र 2023-24 तक 97,928 SC शिक्षार्थियों के लिये 2708.64 करोड़ रुपए खर्च किये गए।
    - इसी अवधि में OBC शिक्षार्थियों के लिये 38,011 और EBC शिक्षार्थियों के लिये 585.02 करोड़ रुपए खर्च किये गए।
  - **SC के लिये SHREYAS:** IIT, IIIT, IIM और AIIMS जैसे 266 प्रमुख संस्थानों में अध्ययन के लिये SC छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
    - इस वार्षिक छात्रवृत्ति के तहत 125 SC छात्रों को विदेश में शीर्ष 500 **QS रैंकिंग संस्थानों** में अध्ययन करने के लिये **राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति** दी जाती है।
    - नियमित UGC फेलोशिप के अलावा, भारत में PhD में अध्ययन के लिये सालाना 2000 फेलोशिप प्रदान की जाती हैं।
  - **OBC और EBC के लिये SHREYAS:** प्रत्येक वर्ष 3500 आर्थिक रूप से वंचित SC और OBC उम्मीदवारों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की गई, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं एवं उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में सहायता मिली।
- भारत में अन्य शिक्षा योजनाओं में **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संवर्द्धित शिक्षा कार्यक्रम, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, PM SHRI स्कूल** और **राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति (NMMS)** शामिल हैं।

अनुदान योजना

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सबवेंशन स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में घर खरीदने वालों को राहत प्रदान की है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई न करें जिन्हें अपने फ्लैटों का आधिपत्य नहीं मिला है।
- **सबवेंशन स्कीम:**
  - रियल एस्टेट में सबवेंशन स्कीम में **खरीदार, बैंकर और डेवलपर के बीच त्रिपक्षीय समझौता** होता है।
  - खरीदार **5-20% अग्रिम भुगतान** करता है, जबकि बैंक डेवलपर को बाकी राशि उधार देता है।
  - डेवलपर तब तक ऋण ब्याज का भुगतान करता है जब तक खरीदार कब्ज़ा नहीं ले लेता, जिसके बाद खरीदार की EMI शुरू होती है।
  - यह योजना डेवलपर्स के लिये बिक्री को बढ़ावा देती है और खरीदारों के लिये EMI भुगतान में देरी करती है।
  - हालाँकि, वर्तमान मामले में कई बिल्डर से इन भुगतानों में चूक हुई है।
- **सब्सिडी:**
  - सब्सिडी **सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा उपभोक्ता के लिये किसी उत्पाद या सेवा की लागत को कम करने के लिये दी जाने वाली प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता** है।
  - इससे उपभोक्ता के लिये उत्पाद या सेवा की कीमत में कमी आती है। उदाहरण के लिये, खाद्यान्न, उर्वरक या ईंधन पर सरकारी सब्सिडी।

नई पेंशन योजना 'वात्सल्य'

केंद्रीय बजट 2024-25 में **राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme- NPS)** **'वात्सल्य' (Vatsalya)** की घोषणा की गई है, जो **अवयस्कों के लिये एक अभूतपूर्व पेंशन योजना** है।

- यह योजना माता-पिता या अभिभावकों को अपने बच्चों के लिये **NPS खाता** खोलने की अनुमति देती है, जिससे कम उम्र से ही **उत्तरदायी वित्तीय प्रबंधन की नींव** रखी जा सके।
    - यह एक **अंशदायी पेंशन योजना** है जिसमें माता-पिता और अभिभावक अंशदान करेंगे।
- वयस्कता (18 वर्ष की आयु) प्राप्त होने पर, **NPS 'वात्सल्य' खाते सहज रूप से नियमित NPS खातों में परिवर्तित हो जाएँगे**, जिससे निरंतर बचत की आदत को प्रोत्साहन मिलेगा।
- NPS सभी नागरिकों- जिसमें 18 से 70 वर्ष की आयु के निवासी और **अनिवासी भारतीय (NRI)** दोनों शामिल हैं, के लिये एक स्वैच्छिक पेंशन प्रणाली है।
    - यह एक **बाज़ार-संबद्ध अंशदान योजना** है जो भारतीय नागरिकों को **अपनी सेवानिवृत्ति के लिये व्यवस्थित रूप से बचत** करने तथा उससे कर लाभ प्राप्त करने की अनुमति देती है।

टाइफून गेमी

हाल ही में **टाइफून गेमी** (Gaemi) के कारण **भारी वर्षा** हुई है, जिसके कारण **पूर्वी चीन, ताइवान और फिलीपींस में व्यापक क्षति और जान-माल की हानि** हुई है।

- टाइफून गेमी जिसने ताइवान लैंडफॉल किया विगत आठ वर्षों में यहाँ आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है, जिससे द्वीप के **दूसरे सबसे बड़े शहर ताइचुंग** में **भीषण बाढ़** आ गई।
    - **फिलीपींस** में इसने **मौसमी वर्षा** में वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ और **भूस्खलन** शुरू हो गया तथा **झेजियांग (Zhejiang) प्रांत में भीषण बाढ़** आ गई तथा **चीन के वेनझोउ (Wenzhou) शहर में** तूफानी वर्षा की उच्चतम चेतावनी जारी कर दी गई।
- टाइफून **एक तरह का तूफान** है। इसकी उत्पत्ति के स्थान के आधार पर इसे **हरीकेन, टाइफून या चक्रवात** कह सकते हैं।
    - इन सभी प्रकार के तूफानों का वैज्ञानिक नाम **उष्णकटिबंधीय चक्रवात** है।
    - उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रबल वृत्ताकार तूफान होते हैं जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर उत्पन्न होते हैं। इनकी गति 119 किमी/घंटा से अधिक होती है और ये अपने साथ भारी वर्षा लाते हैं।
    - उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्द्ध में **वामावर्त दिशा में** गति करते हैं।

प्रकार	स्थान
टाइफून	चीन सागर और प्रशांत महासागर
हरीकेन	वेस्ट इंडियन आइलैंड, कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर
टॉरनैडो	पश्चिमी अफ्रीका का गिनी क्षेत्र, दक्षिणी USA
विली-विलीज़	उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया
उष्णकटिबंधीय चक्रवात	हिंद महासागर क्षेत्र

इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (INS) टॉवर्स

हाल ही में **भारत के प्रधानमंत्री** ने मुंबई में **इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी (INS)** सचिवालय के दौरे के दौरान INS टावर्स का उद्घाटन किया। यह नई इमारत समाचार पत्र उद्योग के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेगी।

- सोसायटी की स्थापना **वर्ष 1927 में** एक समूह की स्थापना के साथ की गई थी जिसे आरंभ में **'द इंडिया, बर्मा एंड सीलोन न्यूज़पेपर्स लंदन कमेटी'** के नाम से जाना जाता था।
- इसने **भारत, बर्मा, सीलोन और अन्य एशियाई देशों** में प्रकाशित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, समीक्षाओं तथा जर्नलों के लिये आधिकारिक प्रतिनिधि निकाय के रूप में कार्य किया।

लिएंडर पेस टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल

हाल ही में **भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृतराज** को खेल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।

- **लिएंडर पेस** को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम की खिलाड़ी श्रेणी में शामिल किया गया।
    - उन्होंने युगल और मिश्रित युगल में 18 **ग्रैंड स्लैम** खिताब जीते हैं और वे पूर्व युगल विश्व नंबर 1 खिलाड़ी थे।
    - उन्हें वर्ष 2001 में पद्म श्री और वर्ष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।
- पूर्व भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज को योगदानकर्त्ता श्रेणी में मान्यता दी गई है।

नोट :

- उन्होंने अपना पहला ग्रैंड प्रिक्स इवेंट वर्ष 1970 में खेला था। उन्हें वर्ष 1983 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- वे वर्ष 1974 और वर्ष 1987 में फाइनल में पहुँचने वाली भारतीय डेविस कप टीम का हिस्सा थे। उन्हें वर्ष 2001 में शांति के लिये संयुक्त राष्ट्र का राजदूत भी नियुक्त किया गया था।

- **इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम (ITHF)** टेनिस के खेल को समर्पित एक प्रतिष्ठित संस्थान और संग्रहालय है। यह न्यूपोर्ट, **रोड आइलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका** में स्थित है।
  - यह टेनिस के लिये आधिकारिक **हॉल ऑफ फेम के रूप** में कार्य करता है और टेनिस के खेल में उत्कृष्ट व्यक्तियों एवं संगठनों के इतिहास, उपलब्धियों तथा योगदान का जश्न मनाता है।

पुनर्निर्मित मॉडल कौशल ऋण योजना

सरकार ने **कौशल विकास पाठ्यक्रमों** तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से एक संशोधित **'मॉडल कौशल ऋण योजना'** शुरू की है, जिसमें अधिकतम ऋण सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

- नई योजना में **अधिकतम ऋण सीमा** 1.5 लाख रुपए से **बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए** कर दी गई है। वर्ष 2015 में शुरू की गई **पुरानी योजना में अपर्याप्त ऋण सीमा के कारण कम रुचि** देखी गई।
- **केंद्रीय बजट सत्र 2024-2025** में घोषित, संशोधित योजना का उद्देश्य सालाना 25,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। इसमें अब **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFC)**, **NBFC-MFI (सूक्ष्म-वित्त संस्थान)** और **छोटे वित्त बैंक** पात्र ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में शामिल हैं।
- **कोर्स तक पहुँच का विस्तार:** संशोधित योजना में अब पुरानी योजना के तहत केवल **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)-संरेखित पाठ्यक्रमों** के बजाय अधिक कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुँच की अनुमति मिलेगी। साथ ही, **स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म** पर शामिल किये गए गैर-NSQF पाठ्यक्रम भी इस योजना के अंतर्गत आएंगे।
- **पिछला प्रदर्शन:** मार्च 2024 तक, 10,077 उधारकर्त्ताओं को 115.75 करोड़ रुपए की राशि के ऋण दिये गए, जो **उच्च पाठ्यक्रम शुल्क के कारण कम निधि उपयोग** को उजागर करता है।

मनु भाकर ने जीता ओलंपिक में कांस्य पदक

हाल ही में **मनु भाकर** ने **पेरिस 2024 ओलंपिक** में **महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्द्धा** में **कांस्य पदक** (Bronze Medal) जीता।

इस जीत से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- यह **पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत का पहला पदक है** और लंदन 2012 गेम्स के बाद भारत के लिये **निशानेबाज़ी में पहला ओलंपिक पदक है।**
- **हरियाणा के झज्जर** की रहने वाली मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली **पहली भारतीय महिला निशानेबाज़** हैं।
- वह पिछले 20 वर्षों में **किसी व्यक्तिगत स्पर्द्धा में ओलंपिक फाइनल में पहुँचने वाली पहली महिला निशानेबाज़ भी बनीं।**
- मनु भाकर **ओलंपिक पदक जीतने वाली पाँचवीं भारतीय निशानेबाज़ हैं**, उनसे पहले **राज्यवर्धन सिंह राठौर (2004 एथेंस), अभिनव बिंद्रा (2008 बीजिंग), विजय कुमार (2012 लंदन) और गगन नारंग (2012 लंदन) ओलंपिक पदक जीत चुके हैं।**

मनु भाकर की अन्य उपलब्धियाँ:

- **राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2017** में, 9 स्वर्ण पदक जीते और 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में रिकॉर्ड बनाया।
- वर्ष 2018 में, **राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स) में स्वर्ण पदक और** मैक्सिको के ग्वाडलजारा में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में **स्वर्ण पदक** जीता।
- मनु ने **एशियन गेम्स (2022), वर्ल्ड चैंपियनशिप, बाकू (2023), एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, चांगवोन (2023), विश्व कप, भोपाल (2023), वर्ल्ड चैंपियनशिप, काहिरा (2022), वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, चेंगदू (2021)** खेल स्पर्द्धाओं में भी पदक जीते हैं।

बहुपक्षीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2024

हाल ही में भारतीय दल ने मंगोलिया की राजधानी उलानबटार के **फाइव हिल्स ट्रेनिंग एरिया में 27 जुलाई 2024 से 9 अगस्त 2024** तक आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास **खान क्वेस्ट के 21वें संस्करण** में भाग लिया।

- इस अभ्यास का उद्देश्य **भाग लेने वाले देशों के बीच संयुक्त संचालन के लिये रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अंतर-संचालन क्षमता विकसित करना एवं सर्वोत्तम प्रथाओं** को साझा करना है।
- यह अभ्यास **भारतीय सशस्त्र बलों** को बहुराष्ट्रीय वातावरण में **शांति अभियानों** के लिये तैयार करने, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अंतर-संचालन क्षमता और सैन्य तत्परता बढ़ाने के लिये बनाया गया है।
- भारतीय दल में मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन के **40 कर्मी और अतिरिक्त सदस्य शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जापान, तुर्किये, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम सहित 23 देशों के लगभग 430 प्रतिभागी** इस अभ्यास का हिस्सा हैं।
- खान क्वेस्ट की शुरुआत **वर्ष 2003 में अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों** के बीच एक द्विपक्षीय कार्यक्रम के रूप में हुई थी तथा **वर्ष 2006 से यह एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना अभ्यास** बन गया।

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि

27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की **पुण्यतिथि** मनाई जाती है। एक **वैज्ञानिक, शिक्षक और भारत के 11वें राष्ट्रपति** (2002-07) के रूप में अपने अद्वितीय समर्पण के चलते वह सभी भारतीयों के लिये प्रेरणास्रोत हैं।

परिचय:

- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जन्म **15 अक्तूबर, 1931** को **तमिलनाडु के रामेश्वरम में** हुआ था।
- उन्होंने **वर्ष 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची से विज्ञान में स्नातक** की उपाधि प्राप्त की और **वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) से वैमानिकी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता** हासिल की।
- वह **भारत और विदेशों से 48 विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से मानद डॉक्टरेट** प्राप्त करने के अद्वितीय सम्मान के साथ भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक हैं।
- उन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाई, जिसके चलते उन्हें **"भारत का मिसाइल मैन"** (**Missile Man of India**) कहा जाता है।

नोट :

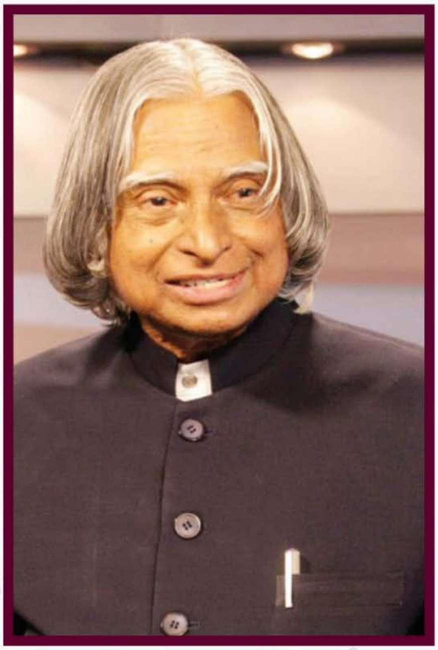

डॉ.ए.पी.जे.अब्दुलकलाम

("मिसाइल मैन ऑफ इंडिया")

"दृढ़ संकल्प वह शक्ति है जो हमें हमारी सभी कुंठाओं और बाधाओं के माध्यम से देखती है। यह हमारी इच्छाशक्ति के निर्माण में मदद करती है जो सफलता का आधार है।"

संक्षिप्त परिचय

- **जन्म:** 15 अक्तूबर, 1931 रामेश्वरम (तमिलनाडु)
  - इनके जन्मदिवस को राष्ट्रीय नवाचार दिवस (National Innovation Day) तथा विश्व विद्यार्थी दिवस (World Students' Day) के रूप में मनाया जाता है।
- भारत के **11वें राष्ट्रपति** (2002-2007)
- **मृत्यु:** 27 जुलाई, 2015 शिलांग (मेघालय)

पुरस्कार

- पद्म भूषण (1981)
- पद्म विभूषण (1990)
- भारत रत्न (1997)
- वीर सावरकर पुरस्कार (1998)
- किंग चार्ल्स द्वितीय मेडल (2007)
- हूवर मेडल (2008)

प्रमुख योगदान

- फाइबरग्लास टेक्नोलॉजी के प्रणेता
- **एकीकृत मार्गदर्शित मिसाइल विकास कार्यक्रम** (IGMDP) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- **पोखरण-2 परमाणु परीक्षण** का नेतृत्व
- इसरो के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम, विशेष रूप से **PSLV के विकास** की व्यक्तिगत जिम्मेदारी
- **टेक्नोलॉजी विजन** 2020 नामक एक देशव्यापी योजना को प्रस्तुत किया
- देश के **हल्के लड़ाकू विमान परियोजना** में शामिल रहे।
- PURA (Providing Urban Amenities to Rural Areas) योजना के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि लाने की मांग की

साहित्यिक रचनाएँ

"विंग्स ऑफ फायर", "इंडिया 2020-ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम", "माय जर्नी", "इग्नाइटेड माइंड्स-अनलीशिंग द पॉवर विदिन इंडिया", "इनडोमिटेबल स्पिरिट", "गाइडिंग सोल्स", "इनविजनिंग एन एम्पॉवर्ड नेशन", "इंसपाइरिंग थॉट्स" आदि।

नोट :

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को **विश्व हेपेटाइटिस दिवस** मनाया जाता है। यह **यकृत की सूजन है** जो गंभीर यकृत रोग और कैंसर का कारण बनती है।

- इसके लिये 28 जुलाई की तारीख इसलिये चुनी गई क्योंकि यह **नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है,** जिन्होंने **हेपेटाइटिस B वायरस (HBV)** की खोज की थी और वायरस के लिये नैदानिक परीक्षण तथा टीका बनाया था।

Types of Hepatitis

	TRANSMISSION	PREVENTION	TREATMENT
Hepatitis A	Eating contaminated food or drinking contaminated water	• Practicing good hygiene • Vaccine	No treatment
Hepatitis B	Through contact with the blood or bodily fluids of an infected person	• Practicing good hygiene • Vaccine • Blood screening	• Alpha interferon • Peginterferon
Hepatitis C	Blood-to-blood contact	• Practicing good hygiene • Avoid sharing needles, toothbrushes, razors or nail scissors	Direct-acting antiviral drugs
Hepatitis D	Contact with infected blood (only occurs in people already infected with hepatitis B)	• Hepatitis B vaccine • Avoid sharing needles, toothbrushes, razors or nail scissors	Interferon
Hepatitis E	Eating contaminated food or drinking contaminated water	• Practicing good hygiene • Avoid drinking water that has come from a potentially unsafe source	No treatment

- विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 की **थीम** है: **"It's time for action"** अर्थात् **कार्रवाई का समय।**
- हेपेटाइटिस के लक्षणों में **बुखार, थकान, भूख न लगना, मतली, वमन,** पेट में दर्द, गहरे रंग का मूत्र, गहरे रंग का मल, जोड़ों में दर्द और पीलिया शामिल हैं।
- हेपेटाइटिस वायरस के पाँच मुख्य प्रकार हैं: **A, B, C, D, व E** इनमें प्रत्येक के संचरण, भौगोलिक वितरण और रोकथाम के तरीके अलग-अलग हैं। **हेपेटाइटिस B और C सबसे सामान्य हैं,** जो प्रत्येक वर्ष 1.3 मिलियन मृत्यु और 2.2 मिलियन नए संक्रमण का कारण बनते हैं। हेपेटाइटिसरोग से प्रत्येक 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है।
  - अन्य कारणों में **ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग,** यकृत में वसा का निर्माण (फैटी लीवर हेपेटाइटिस) या एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया शामिल है जिसमें एक व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी बनाता है जो यकृत (ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस) पर हमला करता है।
- **हेपेटाइटिस से निपटने हेतु पहल:**
  - भारत: राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (वर्ष 2030 तक देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरा बन चुके वायरल हेपेटाइटिस का उन्मूलन करना), भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) (हेपेटाइटिस B सहित निशुल्क टीकाकरण)।
  - वैश्विक: **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस का उन्मूलन (वर्ष 2016 और वर्ष 2030 के बीच नए हेपेटाइटिस संक्रमण को 90% तक कम करना और मृत्यु दर को 65% तक कम करना)।

'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान

15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर **रक्षा मंत्रालय** पूरे देश में **15 लाख वृक्षारोपण अभियान** चलाएगा।

- यह वृक्षारोपण अभियान **'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान** का हिस्सा है, जिसे तीनों सेनाओं, **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)**, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, **रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA)**, **राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)**, सैनिक स्कूलों और आयुध कारखानों के माध्यम से चलाया जाएगा।
- प्रधानमंत्री ने **विश्व पर्यावरण दिवस 2024** पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरुआत की, जिसमें सभी से माताओं को श्रद्धांजलि के रूप में एक पेड़ लगाने का आग्रह किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, ताकि इस शानदार लेकिन लुप्तप्राय जीव के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

- यह दिन **शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत सहित 13 देशों** के सामूहिक प्रयास की याद दिलाता है, जिसके तहत **TX2 वैश्विक लक्ष्य** के माध्यम से वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना किया जाएगा।
  - यह लक्ष्य **विश्व वन्यजीव कोष (WWF)** द्वारा **ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम** और अन्य महत्त्वपूर्ण प्लेटफार्मों के माध्यम से निर्धारित किया गया है।
- यह दिन पहली बार **वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट** में स्थापित किया गया था।
  - इसका मुख्य उद्देश्य **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करके, स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने**

नोट :

और उन देशों में (जहाँ बाघों की बहुत बड़ी जीवसंख्या पाई जाती है) **पर्याप्त वन क्षेत्र बनाए** रखने के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को तेज़ करने का आग्रह करना है।

रोज़गार डेटा संग्रहण तंत्र

केंद्र सरकार **वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण** में उजागर की गई चिंताओं के बाद, **रोज़गार के रुझानों** पर व्यापक डेटा की कमी पर चिंताओं को दूर करने के लिये सभी **मंत्रालयों के सहयोग से एक रोज़गार डेटा संग्रह तंत्र (EDCM)** बनाने के लिये तैयार है।

- EDCM का उद्देश्य रोज़गार डेटा में सुधार करना और **रोज़गार, बेरोज़गारी, वेतन हानि तथा नौकरी** छूटने के आँकड़ों में अंतर को दूर करना है।

नोट :

- सरकार रोज़गार को बढ़ावा देने के लिये **श्रम, रसद, बुनियादी ढाँचे और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों** में सुधार कर रही है। **पीएम गति शक्ति, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ, भारतमाला और सागरमाला एवं रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन पैकेज** जैसी पहलों का उद्देश्य रोज़गार उत्पन्न करना है।
  - देश की कामकाजी आबादी **वर्ष 2021-31 से प्रति वर्ष 9.7 मिलियन और वर्ष 2031-41 से प्रति वर्ष 4.2 मिलियन बढ़ने** की उम्मीद है।
  - **केंद्रीय बजट 2024-2025** में **प्रधानमंत्री पैकेज के तहत तीन "रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन"** योजनाओं सहित रोजगार और कौशल योजनाओं के लिये 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
    - ये योजनाएँ **कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)** में नामांकन पर ध्यान केंद्रित करती हैं और नए कर्मचारियों तथा उनके नियोक्ताओं के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। इन योजनाओं से रोज़गार में प्रवेश करने वाले कुल 290 लाख युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजन के लिये विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाएँ हैं, लेकिन अभी तक रोज़गार सृजन का अनुमान लगाने हेतु **उनका प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया है।**

भारत ने एशियन डिज़ास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता संभाली

भारत ने सत्र 2024-25 के लिये **एशियन डिज़ास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर (ADPC)** के अध्यक्ष का पदभार संभाला, जो वैश्विक और क्षेत्रीय **आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR)** में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- ADPC **एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है जो **एशिया और प्रशांत क्षेत्र** में जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर केंद्रित है।
  - इसकी स्थापना भारत और आठ पड़ोसी देशों: **बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका** और **थाईलैंड** द्वारा की गई थी।
  - ADPC एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है जो न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होता है, जिसका **मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में** है और परिचालक देशों में इसके उप-केंद्र हैं।
  - भारत ने DRR में, विशेष रूप से **आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)** की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई की है। भारत **आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंदाई फ्रेमवर्क (SFDRR)** के लिये प्रतिबद्ध है, जिस पर इसने वर्ष 2015 में **आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन** के दौरान हस्ताक्षर किये थे।
- **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005** भारत में राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिये कानूनी एवं संस्थागत फ्रेमवर्क स्थापित करता है।
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)** नीति निर्माण के लिये जिम्मेदार शीर्ष निकाय है, जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) राज्य तथा ज़िला स्तर की नीतियों एवं योजनाओं की देखरेख करते हैं।
- **प्रमुख संस्थान: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM)** क्षमता विकास, प्रशिक्षण, अनुसंधान पर केंद्रित है जो NDMA के तहत कार्य करता है।
  - **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) आपदा रहत के लिये समर्पित विश्व का सबसे बड़ा त्वरित प्रतिक्रिया बल** है। यह रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों सहित प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के लिये एक विशेष प्रतिक्रिया बल है। यह NDMA के निर्देशन में कार्य करता है।

मेकेदातु परियोजना

कर्नाटक के मुख्यमंत्री (CM) ने मानसून संकट के दौरान तमिलनाडु के साथ जल-बँटवारे के मुद्दों को हल करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण समाधान के रूप में **मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना** पर प्रकाश डाला है और ज़ोर देकर कहा है कि इस परियोजना से दोनों राज्यों को लाभ होगा, विशेष रूप से जल की कमी के समय में।

- मेकेदातु बहुउद्देश्यीय परियोजना का उद्देश्य कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण करना है, जो **बंगलुरु को पीने का जल उपलब्ध कराएगा और 400 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करेगा।**
  - मेकेदातु **कावेरी और अर्कावती नदियों के संगम पर एक गहरी** घाटी है।
- **सर्वोच्च न्यायालय** ने कावेरी जल के बँटवारे का मामला सुलझा लिया है, जिसमें कर्नाटक को **177.25 हज़ार मिलियन क्यूबिक (TMC) फीट जल आवंटित करने की आवश्यकता** है,

नोट :

लेकिन केवल सामान्य वर्ष में, न कि कम वर्षा वाले वर्ष में। तमिलनाडु को **177.25 टीएमसी फीट जल का अधिकार** है, लेकिन केवल सामान्य मानसून के दौरान।

- कर्नाटक के मुख्यमंत्री (CM) ने ज़ोर देकर कहा कि मेकेदातु जलाशय बंगलुरु की पेयजल ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और कर्नाटक को संकट वर्ष के दौरान तमिलनाडु को पानी छोड़ने में सक्षम करेगा, क्योंकि **65 टीएमसी फीट पानी रोका जा सकता है, जो अन्यथा समुद्र में चला जाएगा।**

- हालाँकि निचले तटवर्ती राज्य तमिलनाडु ने इस परियोजना का विरोध किया क्योंकि उनका तर्क है कि मेकेदातु बाँध से नीचे की ओर पानी का प्रवाह काफी कम हो जाएगा, जिससे राज्य की कृषि गतिविधियों और जल आपूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा **कावेरी न्यायाधिकरण एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कावेरी नदी पर किसी भी परियोजना के लिये निचले तटवर्ती राज्य की अनापत्ति आवश्यक है।**

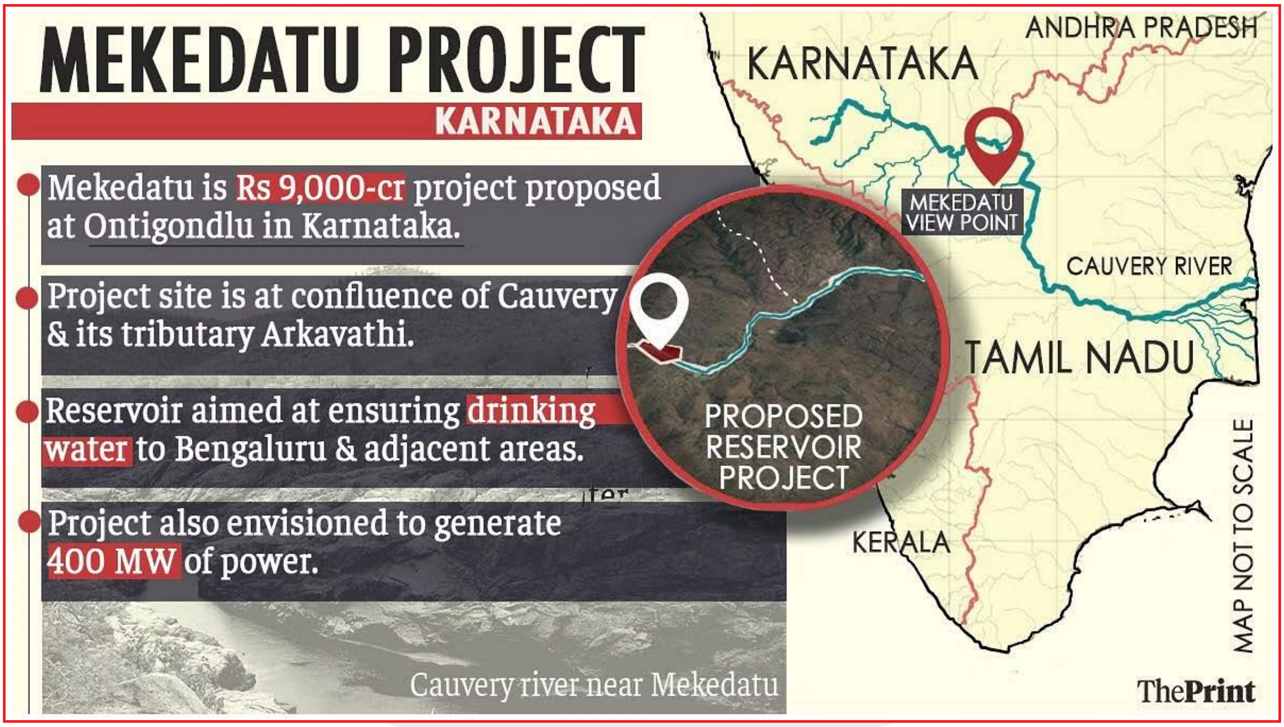

चार्ल्स डार्विन का मेंढक

हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप समूह में **स्थानिक चार्ल्स डार्विन मेंढक (मिनरवेरिया चार्ल्सडार्विनी) प्रजाति में अद्वितीय प्रजनन** व्यवहार की खोज की है।

- **परिवार:** यह **डिक्रोग्लोसिडे परिवार** से संबंधित है, जो एशियाई मेंढकों का एक बड़ा समूह है जिसमें 220 से अधिक प्रजातियाँ हैं।
- **IUCN स्थिति:** मेंढक को वर्तमान में **IUCN रेड लिस्ट** में 'सुभेद्यता' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - इनका नाम प्रसिद्ध प्रकृतिवादी **चार्ल्स डार्विन** के सम्मान में रखा गया है।
  - ये मेंढक अपने **स्थलीय अंडे पानी के ऊपर देते हैं तथा प्रजनन के दौरान वृक्ष गुहा की दीवारों पर उल्टा लेट जाते हैं**, जो संभवत: **आवास के नुकसान** के अनुकूलन के रूप में होता है।

नोट :

- विखंडित वन आवास के कारण, वे **अब प्रजनन स्थल के रूप में प्लास्टिक की थैलियों** जैसी कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करते हैं।
- नर मेंढक मादाओं को आकर्षित करने के लिये **तीन अलग-अलग आवाज़ें निकालते** हैं, साथ ही प्रतिद्वंद्वियों को रोकने के लिये आक्रामक आवाज़ें निकालते हैं। असफल होने पर, वे मानव युद्ध तकनीकों से मिलते-जुलते शारीरिक टकराव में शामिल हो जाते हैं।

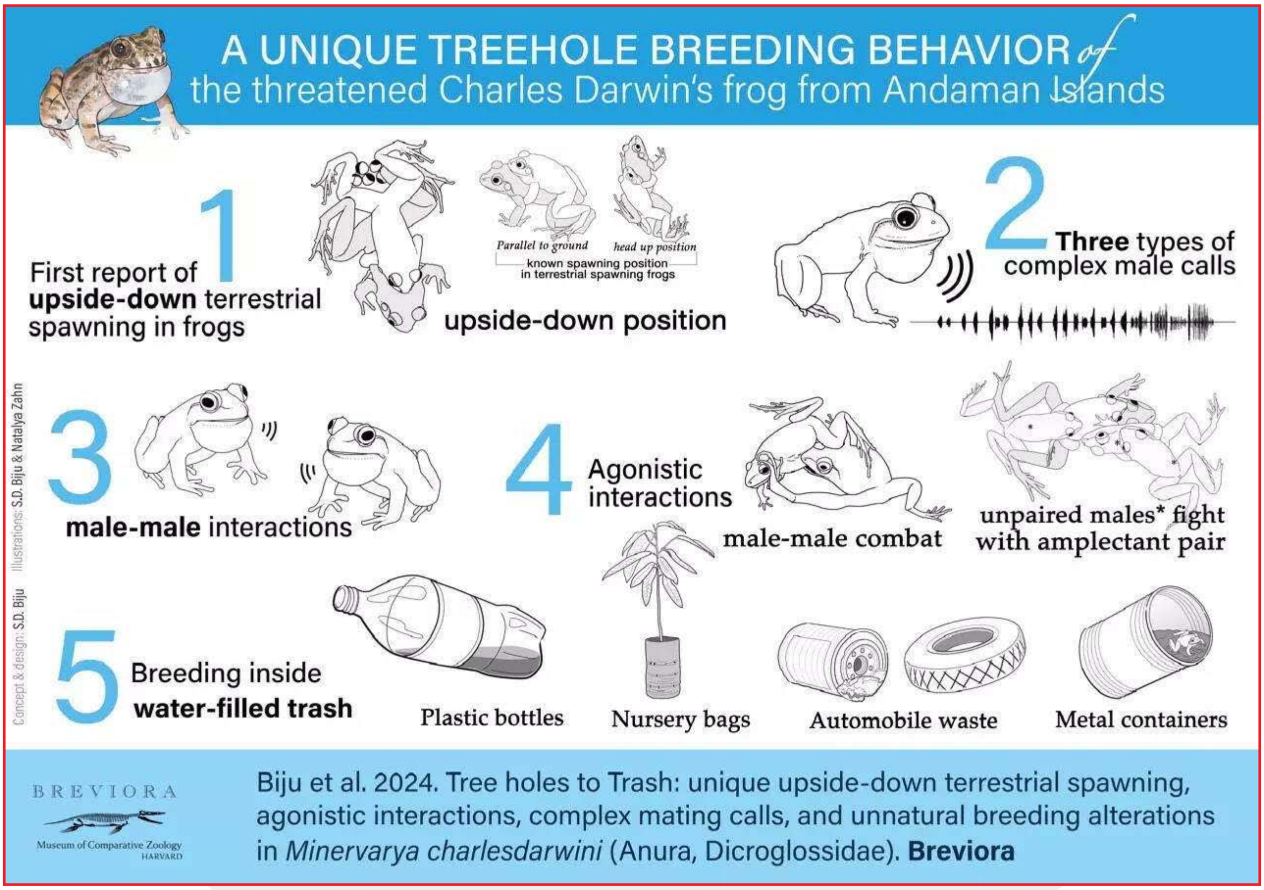

CRPF स्थापना दिवस

27 जुलाई को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

- **स्थापना और विकास:**
  - CRPF की स्थापना **वर्ष 1939 में** रियासतों में राजनीतिक उथल-पुथल और अशांति के जवाब में **क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस** के रूप में की गई थी।
  - वर्ष 1949 में इस बल का नाम बदलकर **केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल** कर दिया गया।
  - **तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल** ने इस पुलिस बल के लिये एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की, इसके कार्यों को एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की उभरती ज़रूरतों के साथ जोड़ा।

- **मुख्य भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ:**

- **विशेष इकाइयाँ:**
  - CRPF में कई विशेष इकाइयाँ हैं, जिनमें **रैपिड एक्शन फोर्स (RAF)**, **कमांडो बटालियन फॉर रिज़ोल्यूट एक्शन (CoBRA)**, **VIP सुरक्षा विंग और महिला बटालियन** शामिल हैं।
- **उपलब्धियाँ और योगदान:**
  - बल ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय स्थलों पर हमलों को विफल किया है, **पंजाब और त्रिपुरा में उग्रवाद को नियंत्रित किया** तथा **नक्सलवाद के उन्मूलन** में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- **बहादुर जवानों का सम्मान:**
  - CRPF ने भारी कीमत चुकाई है, जिसके **2,255 जवानों** ने सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्हें **जॉर्ज क्रॉस, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र** आदि अलंकरणों से सम्मानित किया गया।

नोट :

समुद्री शैवाल आधारित जैव उत्तेजक

हाल ही में भारत सरकार ने किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले जैव उत्तेजक पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये **उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अंतर्गत समुद्री शैवाल आधारित जैव उत्तेजक पदार्थों** को शामिल किया है।

- **जैव उत्तेजक:** जैव उत्तेजक/बायोस्टिमुलेंट्स **पौधों या उनकी जड़ों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं** को बढ़ावा देते हैं, पोषक तत्त्व अवशोषण, दक्षता, तनाव सहनशीलता और समग्र फसल की गुणवत्ता तथा उपज में सुधार करते हैं।
  - ये **जैविक खेती के साथ अच्छी तरह से सुमेलित** हैं क्योंकि वे **पारिस्थितिक संतुलन, मृदा स्वास्थ्य और सिंथेटिक रसायनों पर निर्भरता को कम करने** पर भी ज़ोर देते हैं।
- सरकार **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना** (Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana- PMMSY) के माध्यम से देश में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा दे रही है।
- सरकार **परंपरागत कृषि विकास योजना** (Paramparagat Krishi Vikas Yojana- PKVY) और **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन** (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region- MOVCDNER) जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है।
  - **PKVY को देश भर में पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा अन्य सभी राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है,** जबकि MOVCDNER योजना **विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वित** की जा रही है।
  - दोनों योजनाएँ जैविक खेती में लगे **किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण,** प्रामाणीकरण और विपणन तथा फसलोपरांत प्रबंधन तक संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर ज़ोर देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण इस योजना का अभिन्न अंग हैं।

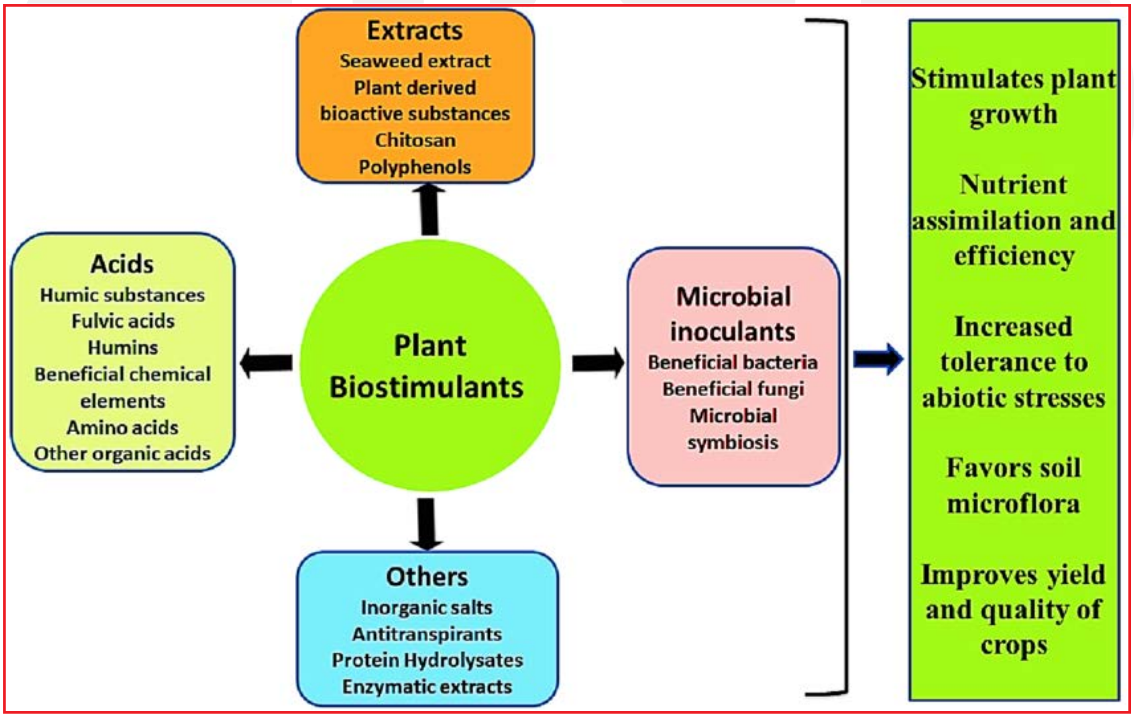

सरदार उधम सिंह

31 जुलाई 1940 को लंदन में फाँसी पर लटकाए गए **सरदार उधम सिंह जलियाँवाला बाग नरसंहार** के लिये न्याय पाने के भारत के अटूट संकल्प के प्रतीक हैं।

- 28 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम में जन्मे उधम सिंह सिख धर्म और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे, जिसमें **कोमागाटा मारू घटना** एवं **गदर पार्टी विद्रोह** शामिल था, जिसने उनके ब्रिटिश उपनिवेशवाद विरोधी रुख को आकार दिया।

नोट :

- उधम सिंह **वर्ष 1919 के जलियाँवाला बाग नरसंहार से बहुत प्रभावित** हुए थे, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को मार डाला था।
- उधम सिंह ने **पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर** जिसने जलियाँवाला **नरसंहार का आदेश दिया** था, **की हत्या करके** नरसंहार का **बदला लेने की कसम** खाई।
- वर्ष 1924 में, उधम सिंह औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिये गदर पार्टी में शामिल हो गए। वर्ष 1927 में, उन्हें अवैध रूप से आग्नेयास्त्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और पाँच साल की जेल की सज़ा सुनाई गई।
  - वर्ष 1940 में, उधम सिंह ने लंदन के **कैक्सटन हॉल में** एक बैठक के दौरान **माइकल ओ'डायर की सफलतापूर्वक हत्या** कर दी। यह कृत्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक प्रभावी प्रत्युत्तर था।
- उधम सिंह पर मुकदमा चलाया गया व उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई और **31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविले जेल में फाँसी दे दी गई।**
  - उत्तराखंड के एक ज़िले, उधम सिंह नगर का नाम वर्ष 1995 में उनके नाम पर श्रद्धांजलि के रूप में रखा गया।

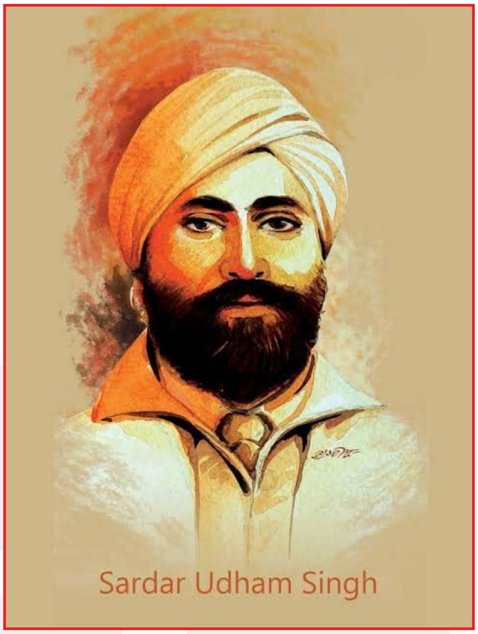

■■■